पंचदश माला, खंड 27, अंक 1

बुधवार, 8 अगस्त, 2012
17 श्रावण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 86
Dated: 11 June 2015

(खंड 27 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनिता उपाध्याय
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

' 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 27, ग्यारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 1, बुधवार, 8 अगस्त, 2012/17 श्रावण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची.	(v—xii)
लोक सभा के पदाधिकारी.	(xiii)
मंत्रिपरिषद.	(xv—xvii)
राष्ट्रगान.	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण.	1
सदन के नेता का परिचय.	1
भूटान के संसदीय शिष्टामंडल का स्वागत.	2
निधन संबंधी उल्लेख.	2-5
प्रश्नों के लिखित उत्तर.	7-507
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	7-77
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	77-507
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख.	507
लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के लिए पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई	507-508
स्थगन प्रस्ताव.	508-609
असम में अवैध घुसपैठ तथा असम के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	512, 516-538
श्री पवन सिंह घाटोवार	538-544
श्री शैलेन्द्र कुमार	544-546
श्री दारा सिंह चौहान	546-547
श्री बसुदेव आचार्य	547-551
श्री शरद यादव	551-555
श्री तथागत सत्पथी	555-559

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना गया।

विषय	कॉलम
डॉ. एम. तम्बिदुरई	559-560
श्री लालू प्रसाद	560-562
श्री अनंत गंगाराम गीते	562-568
श्री प्रबोध पांडा	568-570
श्री नरहरि महतो	570-572
श्री जोसेफ टोप्पो	572-574
श्री बदरुद्दीन अजमल	574-576
श्री मनोहर तिरकी	576-577
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	577-581
श्रीमती रानी नरह	581-584
श्री शरीफुद्दीन शारिक	584-585
श्री असादूद्दीन ओवेसी	585-587
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	587-588
डॉ. तरुण मंडल	589-590
श्री राजेन गोहैन	590-592
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	592-599
प्रो. सौगत राय	599-602
श्री सुशील कुमार शिंदे	602-607
प्रस्ताव अस्वीकृत	609
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	512-515
सदस्य द्वारा त्यागपत्र.	515
लोक सभा में स्थान रिक्त होना.	515
दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव.	516
नियम 377 के अधीन मामले.	609-619
(एक) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. मोबाइल टावरों को स्थापित किए जाने तथा उनका उचित कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
राजकुमारी रत्ना सिंह	609-610

विषय **कॉलम**

(दो) उत्तर प्रदेश में पश्चिमी गंडक नहर का पुनरुद्धार और मरम्मत कार्य तत्काल आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री हर्षवर्धन 610

(तीन) देश में आम आदमी के लिए तत्काल ई-पासपोर्ट सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 611

(चार) देश के सभी विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल तथा बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 611-612

(पांच) हरियाणा के दक्षिणी भागों में पेयजल आपूर्ति परियोजना संबंधी हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने तथा परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्रुति चौधरी 612

(छह) आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य में केन्द्रीय दल भेजे जाने और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मन्दा जगन्नाथ 612-613

(सात) तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तित्ताकुड्डी और पन्नाडम नगरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी 613

(आठ) मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 को चार लेन में बदले जाने की आवश्यकता

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 614

(नौ) असम में बाढ़ को रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों से गाद निकालने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेन डेका 614-615

(दस) गुना-इटावा रेल परियोजना को तेजी से पूरा किए जाने और इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 615

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 615

(बारह) उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक खंड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं और ए.टी.एम. स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पकौडी लाल 616

विषय **कॉलम**

(तेरह) मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 616

(चौदह) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह 616-617

(पंद्रह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक ई.एस.आई. अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती हेलन जे. डेविडसन 617

(सोलह) केरल के पालक्काड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश 617-618

(सत्रह) महाराष्ट्र में विशेष रूप से परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर 618

(अठारह) तिरुचिरापल्ली से बेंगलुरू तक सीधी रेल शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार 618-619

(उन्नीस) महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी 619

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010 620

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल 620-622

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 641

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 642-650

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 651-652

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 651-652

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंगड़ी श्री सुरेश	(बेलगाम)
अग्रवाल श्री जयप्रकाश	(उत्तर-पूर्व-दिल्ली)
अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	(मेरठ)
अजनाला, डा. रतन सिंह	(खडूर साहिब)
अजमल, श्री बदरुद्दीन	(धुबरी)
अजहरुद्दीन, मोहम्मद	(मुरादाबाद)
अडसुल, श्री आनन्दराव	(अमरावती)
अधिकारी, श्री शिशिर	(कांथी)
अधिकारी, श्री सुवेन्दु	(तामलुक)
अनन्त कुमार, श्री	(बंगलौर-दक्षिण)
अनुरागी, श्री घनश्याम	(जालौन)
अब्दुल्ला, डॉ. फारुख	(श्रीनगर)
अमलाबे, श्री नारायण सिंह	(राजगढ़)
अर्गल, श्री अशोक	(भिण्ड)
अलागिरी, श्री एम.के.	(मदुरै)
अलागिरी, श्री एस.	(कुड्डालोर)
अहमद, श्री सुल्तान	(उलूबेरिया)
अहीर, श्री हंसराज गं.	(चन्द्रपुर)
आचार्य, श्री बसुदेव	(बांकुरा)
आजाद, श्री कीर्ति	(दरभंगा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण	(गांधीनगर)
आदित्यनाथ, योगी	(गोरखपुर)
आधि शंकर, श्री	(कल्लाकुरिची)
आनदंन, श्री एम.	(विलुपुरम)
आरुन रशीद, श्री जे.एम.	(थेनी)
आवले, श्री जयवंत गंगाराम	(लातूर)
इंग्ती, श्री बिरेन सिंह	(स्वशासी जिला-असम)
इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.	(चेन्नई उत्तर)
इस्लाम, शेख नूरुल	(बसीरहाट)
इरींग, श्री निनोंग	(अरुणाचल पूर्व)
उदासी, श्री शिवकुमार	(हावेरी)
उपाध्याय, श्रीमती सीमा	(फतेहपुर सीकरी)
एंटोनी, श्री एंटो	(पथमथीट्टा)
ऐरन, श्री प्रवीण सिंह	(बरेली)
ओला, श्री शीश राम	(झुंझुनू)
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	(हैदराबाद)
कछाड़िया, श्री नारनभाई	(अमरेली)
कटारिया, श्री लालचन्द	(जयपुर ग्रामीण)
कटील, श्री नलिन कुमार	(दक्षिण कन्नड़)
कमलनाथ, श्री	(छिंदवाड़ा)
कमांडो, श्री कमल किशोर	(बहराइच)
करवारिया, श्री कपिल मुनि	(फूलपुर)
करुणाकरन, श्री पी.	(कासरगोड)
कलमाडी, श्री सुरेश	(पुणे)
कश्यप, श्री दिनेश	(बस्तर)
कश्यप, श्री वीरेन्द्र	(शिमला)
कस्वां, श्री राम सिंह	(चुरू)
कामत, श्री गुरुदास	(मुम्बई उत्तर पश्चिम)
किल्ली, डॉ. कृपारानी	(श्रीकाकुलम)
कुमार, श्री अजय	(जमशेदपुर)
कुमार, श्री कौशलेन्द्र	(नालंदा)
कुमार, श्री पी.	(तिरुचिरापल्ली)
कुमार, श्री मिथिलेश	(शाहजहांपुर)
कुमार, श्री रमेश	(दक्षिण दिल्ली)
कुमार, श्री विश्व मोहन	(सुपौल)
कुमार, श्री वीरेन्द्र	(टीकमगढ़)
कुमार, श्री शैलेन्द्र	(कौशाम्बी)
कुमार, श्रीमती मीरा	(सासाराम)
कुमारास्वामी, श्री एच.डी.	(बंगलौर ग्रामीण)
कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश	(जोधपुर)
कुमारी, श्रीमती पुतुल	(बांका)
कुरूप, श्री एन. पीताम्बर	(कोल्लम)
कृष्णास्वामी, श्री एम.	(अरानी)

कृष्टप्प, श्री एन.	(हिन्दुपुर)
केपी, श्री महिन्दर सिंह	(जालंधर)
कोड़ा, श्री मधु	(सिंहभूम)
कोवासे, श्री मरोतराव सैनुजी	(गडचिरौली-चिमुर)
कौर, श्रीमती परनीत	(पटियाला)
खंडेला, श्री महादेव सिंह	(सीकर)
खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	(नांदेड़)
खत्री, डॉ. निर्मल	(फैजाबाद)
खरगे, श्री मल्लिकार्जुन	(गुलबर्गा)
खान, श्री हसन	(लद्दाख)
खुर्शीद, श्री सलमान	(फर्रुखाबाद)
खैरे, श्री चन्द्रकांत	(औरंगाबाद)
गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	(बनासकांठा)
गणेशमूर्ति, श्री ए.	(इरोड)
गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	(बागलकोट)
गवली, श्रीमती भावना पाटील	(यवतमाल वाशिम)
गांधी, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल	(अहमदनगर)
गांधी, श्री राहुल	(अमेठी)
गांधी, श्री वरुण	(पीलीभीत)
गांधी, श्रीमती मेनका	(आंवला)
गांधी, श्रीमती सोनिया	(रायबरेली)
गांधी सेलवन, श्री एस.	(नामाक्कल)
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	(मुम्बई दक्षिण-मध्य)
गावित, श्री माणिकराव होडल्या	(नन्दुरबार)
गीते, श्री अनन्त गंगाराम	(रायगढ़)
गुड्डू, श्री प्रेमचन्द	(उज्जैन)
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर	(फरीदकोट)
गोगोई, श्री दीप	(कलियाबोर)
गोहैन, श्री राजेन	(नोगोंग)
गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	(बंगलौर उत्तर)
गौडा, श्री शिवराम	(कोप्पल)
घाटोवार, श्री पबन सिंह	(डिब्रूगढ़)
घुबाया, श्री शेर सिंह	(फिरोजपुर)
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया	(गुवाहाटी)
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	(दिंडोरी)
चांग, श्री सी.एम.	(नागालैंड)
चाको, श्री पी.सी.	(थ्रिसूर)
चित्तन, श्री एन.एस.वी.	(डिंडीगुल)
चिदम्बरम, श्री पी.	(शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डॉ.	(तिरुपति)
चौधरी, डॉ. तुषार	(बारडोली)
चौधरी, श्री अधीर	(बहरामपुर)
चौधरी, श्री अबू हशीम खां	(मालदा दक्षिण)
चौधरी, श्री अरविन्द कुमार	(बस्ती)
चौधरी, श्री जयन्त	(मथुरा)
चौधरी, श्री निखिल कुमार	(कटिहार)
चौधरी, बंस गोपाल	(आसनसोल)
चौधरी, श्री भूदेव	(जमुई)
चौधरी, श्री हरीश	(बाड़मेर)
चौधरी, श्रीमती श्रुति	(भिवानी महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्रीमती सन्तोष	(होशियारपुर)
चौहान, श्री दारा सिंह	(घोसी)
चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	(पंचमहल)
चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	(साबरकांठा)
चौहान, श्री संजय सिंह	(बिजनौर)
चौहान, श्रीमती राजकुमारी	(अलीगढ़)
जगतरक्षकन, डॉ. एस.	(अराकोनम)
जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	(नागरकुरनूल)
जतुआ, श्री चौधरी मोहन	(मथुरापुर)
जेयदुरई, श्री एस.आर.	(थूथुकुडी)
जयाप्रदा, श्रीमती	(रामपुर)
जरदोश, श्रीमती दर्शना	(सूरत)
जहां, श्रीमती कैसर	(सीतापुर)
जाखड़, श्री बद्री राम	(पाली)
जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई	(कच्छ)
जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	(बुलढाणा)
जाधव, श्री बलीराम	(पालघर)
जायसवाल, डॉ. संजय	(पश्चिम चम्पारण)
जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	(देवरिया)
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश	(कानपुर)
जावले, श्री हरिभाऊ	(रावेर)

जिन्दल, श्री नवीन	(कुरुक्षेत्र)	तीरथ, श्रीमती कृष्णा	(उत्तर पश्चिम दिल्ली)
जिगजिणगी, श्री रमेश	(बीजापुर)	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	(मुरैना)
जूदेव, श्री दिलीप सिंह	(बिलासपुर)	त्रिवेदी, श्री दिनेश	(बैरकपुर)
जेना, श्री मोहन	(जाजपुर)	थरूर, डॉ. शशी	(तिरुवनंतपुरम)
जेना, श्री श्रीकांत	(बालासोर)	थामराईसेलवन, श्री आर.	(धर्मापुर)
जैन, श्री प्रदीप	(झांसी)	थॉमस. प्रो. के.वी.	(एर्नाकुलम)
जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	(वाराणसी)	थॉमस, श्री पी.टी.	(इदुक्की)
जोशी, डॉ. सी.पी.	(भीलवाड़ा)	दत्त, श्रीमती प्रिया	(मुम्बई उत्तर-मध्य)
जोशी, श्री कैलाश	(भोपाल)	दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष	(बारासात)
जोशी, श्री प्रहलाद	(धारवाड़)	दास, श्री खगेन	(त्रिपुरा पश्चिम)
जोशी, श्री महेश	(जयपुर)	दास, श्री भक्त चरण	(कालाहांडी)
झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	(विजयनगरम)	दास, श्री राम सुन्दर	(हाजीपुर)
टन्डन, श्रीमती अन्नू	(उन्नाव)	दासगुप्त, श्री गुरुदास	(घाटल)
टन्डन, श्री लालजी	(लखनऊ)	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	(रायगंज)
टम्टा, श्री प्रदीप	(अल्मोड़ा)	दीक्षित, श्री सन्दीप	(पूर्वी दिल्ली)
टुडु, श्री लक्ष्मण	(मयूरभंज)	दुबे, श्री निशिकांत	(गोड्डा)
टैगोर, श्री मानिक	(विरूद्धनगर)	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	(परभणी)
टोप्पो, श्री जोसेफ	(तेजपुर)	देव, श्री वी. किशोर चन्द्र	(आरूकु)
ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	(हमीरपुर)	देवरा, श्री मिलिंद	(मुम्बई-दक्षिण)
ठाकोर, श्री जगदीश	(पाटन)	देवी, श्रीमती अश्वमेध	(उजियारपुर)
डिएस, श्री चार्ल्स	(नामनिर्देशित)	देवी, श्रीमती रमा	(शिवहर)
डे, डॉ. रत्ना	(हुगली)	देवेगौड़ा, श्री एच.डी.	(हसन)
डेका, श्री रमेन	(मंगलदोई)	देशमुख, श्री के.डी.	(बालाघाट)
डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन	(कन्याकुमारी)	धनपालन, श्री के.पी.	(चालाकुडी)
डोम, डॉ. रामचन्द्र	(बोलपुर)	धुर्वे, श्रीमती ज्योति	(बेतूल)
तम्बिदुरई, डॉ. एम.	(करूर)	धोत्रे, श्री संजय	(अकोला)
तंवर, श्री अशोक	(सिरसा)	ध्रुवनारायण, श्री आर.	(चामराजनगर)
तकाम, श्री संजय	(अरुणाचल पश्चिम)	नकवी, श्री जफर अली	(खीरी)
तराई, श्री बिभु प्रसाद	(जगतसिंहपुर)	नटराजन, कुमारी मीनाक्षी	(मंदसौर)
तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ	(भिवंडी)	नटराजन, श्री पी.आर.	(कोयम्बटूर)
ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर	(दाहोद)	नरह, श्रीमती रानी	(लखीमपुर)
तिरकी, श्री मनोहर	(अलीपुरद्वार)	नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्र	(बनगांव)
तिरुमावलावन, श्री थोल	(चिदम्बरम)	नाईक, श्री पी. बलराम	(महबूबाबाद)
तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	(संत कबीर नगर)	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	(ठाणे)
तिवारी, श्री मनीष	(लुधियाना)	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	(उत्तर गोवा)

नागपाल, श्री देवेन्द्र	(अमरोहा)
नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह	(गौतम बुद्ध नगर)
नामधारी, श्री इन्दर सिंह	(चतरा)
नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	(धुले)
नारायणसामी, श्री वी.	(पुडुचेरी)
निरूपम, श्री संजय	(मुम्बई-उत्तर)
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	(मुजफ्फरपुर)
नूर, कुमारी मौसम	(मालदा उत्तर)
नैपोलियन, श्री डी.	(पेरम्बलूर)
पक्कीरप्पा, श्री एस.	(रायचूर)
पटले, श्रीमती कमला देवी	(जांजगीर-चम्पा)
पटेल, श्री आर.के. सिंह	(बांदा)
पटेल, श्री किसनभाई वी.	(वलसाड़)
पटेल, श्री दिनशा	(खेडा)
पटेल, श्री देवजी एम.	(जालौर)
पटेल, श्री देवराज सिंह	(रीवा)
पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई	(दादरा और नगर हवेली)
पटेल, श्री प्रफुल	(भन्डारा गोंदिया)
पटेल, श्री बाल कुमार	(मिर्जापुर)
पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई	(दमन और दीव)
पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली	(सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	(महेसाणा)
परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	(कल्याण)
पलानीमनिकम, श्री एस.एस.	(तंजावूर)
पवार, श्री शरद	(माधा)
पांगी, श्री जयराम	(कोरापुट)
पांडा, श्री वैजयन्त	(केन्द्रपाड़ा)
पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	(भुवनेश्वर)
पाटील डॉ. पद्मसिंह बाजीराव	(उस्मानाबाद)
पाटील, श्री ए.टी. नाना	(जलगांव)
पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	(जालना)
पाटील, श्री प्रतीक	(सांगली)
पाटील, श्री संजय दिना	(मुम्बई उत्तर पूर्व)
पाटील, श्री सी.आर.	(नवसारी)
पाठक, श्री हरिन	(अहमदाबाद पूर्व)
पाण्डा, श्री प्रबोध	(मिदनापुर)
पाण्डेय, कुमारी सरोज	(दुर्ग)
पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	(श्रावस्ती)
पाण्डेय, श्री गोरखनाथ	(भदोही)
पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	(गिरिडीह)
पाण्डेय, श्री राकेश	(अम्बेडकर नगर)
पायलट, श्री सचिन	(अजमेर)
पाल, श्री जगदम्बिका	(डुमरियागंज)
पाल, श्री राजाराम	(अकबरपुर)
पाला, श्री विन्सेंट एच.	(शिलांग)
पासवान, श्री कमलेश	(बांसगांव)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	(सिल्चर)
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	(विशाखापटनम)
पुनिया, श्री पन्ना लाल	(बाराबंकी)
पॉल, श्री तापस	(कृष्णानगर)
पोटाई, श्री सोहन	(कांकेर)
प्रभाकर, श्री पोन्नम	(करीमनगर)
प्रधान, श्री अमरनाथ	(सम्बलपुर)
प्रधान, श्री नित्यानंद	(अस्का)
प्रसाद, श्री जितिन	(धौरहरा)
प्रेमदास, श्री	(इटावा)
बंदोपाध्याय, श्री सुदीप	(कोलकाता उत्तर)
बंसल, श्री पवन कुमार	(चण्डीगढ़)
बक्शी, श्री सुब्रत	(कोलकाता दक्षिण)
बब्बर, श्री राज	(फिरोजाबाद)
बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह	(हाथरस)
बनर्जी, श्री अम्बिका	(हावड़ा)
बनर्जी, श्री कल्याण	(श्रीरामपुर)
बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान	(संभल)
बलीराम, डॉ.	(लालगंज)
बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	(पोन्नानी)
बासवराज, श्री जी.एस.	(तुमकुर)
बाइते, श्री थांगसो	(बाह्य मणिपुर)
बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	(विष्णुपुर)
बाजवा, श्री प्रताप सिंह	(गुरुदासपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर	(भटिंडा)
बापीराजू, श्री के.	(नरसापुरम)
बाबर, श्री गजानन ध.	(मावल)
बाबा, श्री के.सी. सिंह	(नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)
बालू, श्री टी.आर.	(श्रीपेरूम्बुदुर)
बाल्मीकि, श्री कमलेश	(बुलन्दशहर)
बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	(राजकोट)
बासके, श्री पुलीन बिहारी	(झाड़ग्राम)
बिश्नोई, श्री कुलदीप	(हिसार)
बिसवाल, श्री हेमानन्द	(सुन्दरगढ़)
बीजू, श्री पी.के.	(अलथूर)
बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह	(खजुराहो)
बेग, डॉ. मिर्जा महबूब	(अनन्तनाग)
बेसरा, श्री देवीधन	(राजमहल)
बैठा, श्री कमेश्वर	(पलामू)
बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	(करौली)
बैस, श्री रमेश	(रायपुर)
बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	(कोकराझार)
भगत, श्री सुदर्शन	(लोहरदगा)
भगोरा, श्री ताराचन्द्र	(बांसवाड़ा)
भडाना, श्री अवतार सिंह	(फरीदाबाद)
भुजबल, श्री समीर	(नासिक)
भूरिया, श्री कांति लाल	(रतलाम)
भैया, श्री शिवराज	(दमोह)
भोंसले, श्री उदयनराजे	(सतारा)
भोई, श्री संजय	(बारगढ़)
मंडल डॉ., तरुण	(जयनगर)
मंडल, श्री मंगनी लाल	(झांझरपुर)
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	(कोल्हापुर)
मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	(बलूरघाट)
मणि, श्री जोस के.	(कोट्टायम)
मणियन, श्री ओ.एस.	(मथिलादुतुरई)
मरांडी, श्री बाबू लाल	(कोडरमा)
मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह	(सोनीपत)
मलिक, श्री शक्ति मोहन	(आरामबाग)
मसराम, श्री बसोरी सिंह	(मंडाला)
महन्त, डॉ. चरण दास	(कोरबा)
महताब, श्री भर्तृहरि	(कटक)
महतो, श्री नरहरि	(पुरुलिया)
महतो, श्री वैद्यनाथ प्रसाद	(वाल्मीकिनगर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा	(इन्दौर)
महापात्र, श्री सिद्धान्त	(बहरामपुर)
महाराज, श्री सतपाल	(गढ़वाल)
माकन, श्री अजय	(नई दिल्ली)
माझी, श्री प्रदीप	(नवरंगपुर)
मांझी, श्री हरि	(गया)
मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	(जामनगर)
मारन, श्री दयानिधि	(चेन्नई मध्य)
मित्रा, श्री सोमेन	(डायमंड हार्बर)
मिर्धा, डॉ. ज्योति	(नागौर)
मिश्रा, श्री गोविन्द प्रसाद	(सीधी)
मिश्रा, श्री पिनाकी	(पुरी)
मिश्रा, श्री महाबल	(पश्चिम दिल्ली)
मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	(दौसा)
मीणा, श्री नमोनारायण	(टौंक-सवाई-माधोपुर)
मीणा, श्री रघुवीर सिंह	(उदयपुर)
मुंडे, श्री गोपीनाथ	(बीड)
मुण्डा, श्री कड़िया	(खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास	(नागपुर)
मुनियप्पा, श्री के.एच.	(कोलार)
मेघवाल, श्री अर्जुन राम	(बीकानेर)
मेघवाल, श्री भरत राम	(श्रीगंगानगर)
मेघे, श्री दत्ता	(वर्धा)
मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड	(नामनिर्देशित)
मैन्या, डॉ. थोकचोम	(आंतरिक मणिपुर)
मोइली, श्री एम. वीरप्पा	(चिकबल्लापुर)
मोहन, श्री पी.पी.	(बंगलौर मध्य)
यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	(पाटलीपुत्र)
यादव, श्री अरुण	(खांडवा)

यादव, श्री अंजनकुमार एम.	(सिकन्दराबाद)	राय, श्री प्रेम दास	(सिक्किम)
यादव, श्री ओम प्रकाश	(सीवान)	राय, श्री महेन्द्र कुमार	(जलपाईगुड़ी)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र	(खगड़िया)	राय, श्री रूद्रमाधव	(कंधमाल)
यादव, श्री धर्मेन्द्र	(बदायूं)	राय, श्री विष्णु पद	(अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
यादव, श्री मधुसूदन	(राजनंदगांव)		
यादव, श्री मुलायम सिंह	(मैनपुरी)	राय, प्रो. सौगत	(दमदम)
यादव, श्री रमाकान्त	(आजमगढ़)	राय, श्रीमती शताब्दी	(बीरभूम)
यादव, श्री शरद	(मधेपुरा)	राव, श्री के. नारायण	(मछलीपट्टनम)
यादव, श्री हुकुमदेव नारायण	(मधुबनी)	राव, श्री के.एस.	(एलूरू)
यादव, श्रीमती डिम्पल	(कन्नौज)	राव, श्री के. चन्द्रशेखर	(महबूबनगर)
यास्खी, श्री मधु गौड	(निजामाबाद)	राव, श्री नामा नागेश्वर	(खम्माम)
रहमान, श्री अब्दुल	(वेल्लोर)	राव, श्री रायापति सांबासिवा	(गुंटूर)
राघवन, श्री एम.के.	(कोझिकोड)	रावत, श्री अशोक कुमार	(मिसरिख)
राघवेन्द्र, श्री बी. वाई	(शिमोगा)	रावत, श्री हरीश	(हरिद्वार)
राजगोपाल, श्री एल.	(विजयवाड़ा)	रियान, श्री बाजू बन	(त्रिपुरा पूर्व)
राजभर, श्री रमाशंकर	(सलेमपुर)	रुआला, श्री सी.एल.	(मिजोरम)
राजा, श्री ए.	(नीलगिरि)	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	(अनन्तपुर)
राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह	(धार)	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	(नेल्लोर)
राजू, श्री एम.एम. पल्लम	(काकीनाडा)	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	(ओंगोले)
राजेन्द्रन, श्री सी.	(चेन्नई दक्षिण)	रेड्डी, श्री एस. जयपाल	(चेवेल्ला)
राजेश, श्री एम.बी.	(पालक्कड़)	रेड्डी, श्री एस.पी. वाई	(नांदयाल)
राठवा, श्री रामसिंह	(छोटा उदयपुर)	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	(भोंगीर)
राठौर, श्री रमेश	(अदीलाबाद)	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	(कुरनूल)
राणा, श्री कादिर	(मुजफ्फरनगर)	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	(नलगोंडा)
राणा, श्री जगदीश सिंह	(सहारनपुर)	रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल	(नरसारावपेट)
राणा, श्री राजेन्द्र सिंह	(भावनगर)	रेड्डी, श्री वाई.एस. जगन मोहन	(कडापा)
राणे, श्री निलेश नारायण	(रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग)	लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका	(बापतला)
रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	(पोरबन्दर)	लागुरी, श्री यशवंत	(क्योंझर)
राम, श्री पूर्णमासी	(गोपालगंज)	लाल, श्री पकौड़ी	(रॉबर्ट्सगंज)
रामकिशुन, श्री	(चन्दौली)	लालू प्रसाद, श्री	(सारण)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली	(वडकरा)	लिंगम, श्री पी.	(तेनकासी)
रामशंकर, प्रो.	(आगरा)	वर्धन, श्री हर्ष	(महाराजगंज उ.प्र.)
रामासुब्बू, श्री एस.एस.	(तिरुनेलवेली)	वर्मा, श्री बेनी प्रसाद	(गोंडा)
राय, श्री अर्जुन	(सीतामढ़ी)	वर्मा, श्री सज्जन	(देवास)
राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	(कूचबिहार)	वर्मा, श्रीमती ऊषा	(हरदोई)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	(भरूच)
वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	(शिरडी)
वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	(हिंगोली)
वासनिक, श्री मुकुल	(रामटेक)
विजय शान्ति श्रीमती एम.	(मेडक)
विजयन, श्री ए.के.एस.	(नागापट्टिनम)
विवेकानन्द, डॉ. जी.	(पेड्डापल्ली)
विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच.	(मैसूर)
विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश	(चिक्कोडी)
विश्वनाथन, श्री पी.	(कांचीपुरम)
वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार	(राजामुन्दरी)
वेणुगोपाल, श्री के.सी.	(अलप्पुझा)
वेणुगोपाल, डॉ. पी.	(तिरुवल्लूर)
व्यास, डॉ. गिरिजा	(चित्तौड़गढ़)
शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार	(करनाल)
शर्मा, श्री जगदीश	(जहानाबाद)
शर्मा, श्री मदन लाल	(जम्मू)
शानवास, श्री एम.आई.	(वयनाड)
शांता, श्रीमती जे.	(बेल्लारी)
शारिक, श्री शरीफुद्दीन	(बारामूला)
शिन्दे, श्री सुशील कुमार	(शोलापुर)
शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश	(रामनाथपुरम)
शिवप्रसाद, डॉ. एन.	(चित्तूर)
शिवाजी, अधलराव पाटील	(शिरूर)
शिवासामी, श्री सी.	(तिरूपुर)
शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	(करीमगंज)
शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	(वडोदरा)
शेखर, श्री नीरज	(बलिया)
शेखावत, श्री गोपाल सिंह	(राजसमंद)
शेटकर, श्री सुरेश कुमार	(नहौराबाद)
संगमा, कुमारी अगाथा	(तुरा)
सईद, श्री हमदुल्लाह	(लक्षद्वीप)
सचान, श्री राकेश	(फतेहपुर)
सत्पथी, श्री तथागत	(ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री सर्वे	(मल्काजगिरी)
सम्पत, श्री ए.	(अटिंगल)
सरोज, श्री तूफानी	(मछलीशहर)
सरोज, श्रीमती सुशीला	(मोहनलाल गंज)
सहाय, श्री सुबोध कान्त	(रांची)
साई प्रताप, श्री ए.	(राजकोट)
साय, श्री विष्णु देव	(रायगढ़)
सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	(दक्षिण गोवा)
साहा, डॉ. अनूप कुमार	(वर्धमान उत्तर)
साहू, श्री चन्दुलाल	(महासमुन्द)
सिंगला, श्री विजय इन्दर	(संगरूर)
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	(गुना)
सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	(ग्वालियर)
सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	(बोलनगिर)
सिंह, श्री आर.पी.एन.	(कुशीनगर)
सिंह, चौधरी लाल	(उधमपुर)
सिंह, डॉ. भोला	(नवादा)
सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	(वैशाली)
सिंह, डॉ. संजय	(सुल्तानपुर)
सिंह, राजकुमारी रत्ना	(प्रतापगढ़)
सिंह, राव इन्द्रजीत	(गुड़गांव)
सिंह, श्री अजित	(बागपत)
सिंह, श्री इज्यराज	(कोटा)
सिंह, श्री उदय	(पूर्णिया)
सिंह, श्री उदय प्रताप	(होशंगाबाद)
सिंह, श्री उमाशंकर	(महाराजगंज)
सिंह, श्री एन. धरम	(बीदर)
सिंह, श्री कल्याण	(एटा)
सिंह, श्री गणेश	(सतना)
सिंह, श्री जगदानन्द	(बक्सर)
सिंह, श्री जसवंत	(दार्जिलिंग)
सिंह, श्री जितेन्द्र	(अलवर)
सिंह, श्री दुष्यंत	(झालावाड़)
सिंह, श्री धनंजय	(जौनपुर)
सिंह, श्री पशुपति नाथ	(धनबाद)
सिंह, श्री प्रदीप कुमार	(अररिया)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (केसरगंज)
सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)
सिंह, श्री महाबली (काराकाट)
सिंह, श्री मुरारीलाल (सरगुजा)
सिंह, श्री यशवीर (नगीना)
सिंह, श्री रतन (भरतपुर)
सिंह, श्री रवनीत (आनन्दपुर)
सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)
सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)
सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन (मुंगेर)
सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारन)
सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)
सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)
सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर)
सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)
सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़)
सिंह, सुशील कुमार (औरंगाबाद)
सिंह, श्रीमती मीना (आरा)
सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)
सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)
सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)
सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)
सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)
सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)
सिरिसिल्ला, श्री राजय्यां (वारंगल)
सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)
सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)
सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)
सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)
सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मवेलीकारा)
सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)
सुशान्त, डॉ. राजन (कांगड़ा)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)
सैलजा, कुमारी (अम्बाला)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)
सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)
सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)
सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)
स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)
स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)
स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांडया)
हक, श्री मोहम्मद असरारूल (किशनगंज)
हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)
हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)
हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)
हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)
हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)
हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)
हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)
हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)
हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)
हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)
हेगड़े, श्री अनन्त कुमार (उत्तर कन्नड)
हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश (उडूपी चिकमगलूर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किये गये हैं, जैसे: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; और 4. अंतरिक्ष विभाग
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री सुशील कुमार शिंदे	गृह मंत्री
श्री एस.एम. कृष्णा	विदेश मंत्री
श्री विलासराव देशमुख	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	विद्युत मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री कमल नाथ	शहरी विकास मंत्री
श्री अजित सिंह	नागर विमानन मंत्री
श्री वायालार रवि	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	पर्यटन मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री
श्री मुकुल वासनिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री एम.के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	इस्पात मंत्री
श्री मुकुल राय	रेल मंत्री
श्री जयराम रमेश	ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री दिनशा पटेल	खान मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थामस	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री श्रीकांत जेना	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयंती नटराजन	पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री पबन सिंह घाटोवार	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमो नारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सौगत राय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरीश रावत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री महादेव सिंह खंडेला	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री शिशिर अधिकारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सुल्तान अहमद	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चौधरी मोहन जतुआ	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर.पी.एन. सिंह	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विन्सेंट एच पाला	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुमारी अगाथा संगमा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.सी. वेणुगोपाल	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुदीप बंदोपाध्याय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. चरण दास महंत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितेन्द्र सिंह	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मिलिन्द देवरा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राजीव शुक्ला	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा वाद-विवाद

खंड 27, पन्द्रहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र का प्रथम दिन अंक 1

लोक सभा

बुधवार, 8 अगस्त, 2012/17 श्रावण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदया: महासचिव शपथ अथवा प्रतिज्ञान के लिये सदस्यों को बुलाएंगे।

महासचिव: श्री एम. राजा मोहन रेड्डी।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश)

श्रीमती डिम्पल यादव (कन्नौज, उत्तर प्रदेश)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सदन के नेता का परिचय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे श्री सुशील कुमार शिंदे को सदन के नेता के रूप में सभा से परिचय कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और यह कामना करते हैं कि वे अपने इस कार्य में सफल होंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

भूटान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत यात्रा पर आए रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की नेशनल काउंसिल के चेयरपर्सन, महामहिम श्री नामगे पेंजोर और भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करती हूं।

वे रविवार, 5 अगस्त, 2012 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से महामहिम भूटान नरेश, महामहिम चतुर्थ नरेश, महामहिम प्रधानमंत्री और भूटान की मित्र जनता का अभिनन्दन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने सात पूर्व सहयोगियों श्री रंजीत सिंह गायकवाड़, श्री गंगा राम, श्री लम्बोदर बलियार, श्री भंवर सिंह डंगावास, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती मृणाल गोरे और श्री राजेश खन्ना के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री रंजीत सिंह गायकवाड़ 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने गुजरात के बड़ौदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

प्रतिष्ठित सांसद श्री गायकवाड़ 1985-86 के दौरान लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। 1987 के दौरान के आवास समिति के सभापति भी रहे।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री गायकवाड़ ललित कला, संस्कृति और संगीत के विकास के कार्य के लिए कार्य करने वाले विभिन्न

न्यासों और संगठनों से जुड़े रहे। संगीत और चित्रकला के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें गुजरात राज्य अकादमी द्वारा 'गौरव पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

श्री रंजीत सिंह गायकवाड़ का निधन 74 वर्ष की आयु में 10 मई, 2012 को बड़ौदरा गुजरात में हुआ।

श्री गंगाराम 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

कुशल प्रशासक श्री गंगाराम उत्तर प्रदेश योजना आयोग के सदस्य श्री रहे।

श्री गंगा राम का निधन 89 वर्ष की आयु में 23 जून, 2012 को देहरादून में हुआ।

श्री लम्बोदर बलियार 1971 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश के बस्तर संसदीय क्षेत्र के बस्तर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1980 से 1985 के दौरान भी बलियार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री लम्बोदर बलियार का निधन 83 वर्ष की आयु में 26 जून, 2012 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ।

श्री भंवर सिंह डंगावास 2004 से 2009 तक चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री डंगावास 1993 से 1998 और 2003 से 2004 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी रहे। 1998 में वे राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे।

एक कुशल सांसद श्री डंगावास 2007 से 2009 के दौरान जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे।

श्री डंगावास को उनके शौर्य तथा विशिष्ट और उल्लेखनीय पुलिस सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से समानित किया गया था।

भी भंवर सिंह डंगावास का निधन 83 वर्ष की आयु में 2 जुलाई, 2012 को हुआ।

श्री प्रताप सिंह 1989 से 1996 तक नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल सांसद श्री प्रताप सिंह 1909-1991 के दौरान सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।।

पेशे से किसान श्री सिंह ने जनजातियों के कल्याण तथा पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए कार्य किया।

श्री प्रताप सिंह का निधन 77 वर्ष की आयु में 5 जुलाई, 2012 को कोलकाता में हुआ।

श्रीमती मृणाल गोरे 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा की सदस्य रहीं और उन्होंने महाराष्ट्र के बम्बई उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती गोरे 1972 से 1977 और 1985 से 1990 तक महाराष्ट्र विधान सभा की सदस्य भी रहीं। महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्ष की नेता के रूप में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया।

एक कुशल सांसद श्रीमती गोरे ने लोक सभा की प्राक्कलन समिति और ग्रंथालय समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

मृणालताई, जैसा उन्हें आदरपूर्वक कहा जाता था, मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र गोरेगांव में पेयजल की आपूर्ति हेतु किए गए प्रयासों के लिए उन्हें 'पानी वाली बाई' का उपनाम दिया गया।

श्रीमती मृणाल गोरे का निधन 84 वर्ष की आयु में 17 जुलाई 2012 को ठाणे में हुआ।

श्री राजेश खन्ना 1992 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने दिल्ली के नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के रूप में जाने जाने वाले एक पूर्व अभिनेता श्री राजेश खन्ना ने अपने विविधतापूर्ण एवं भावपूर्ण अभिनय से मंत्रमुग्ध किया।

श्री राजेश खन्ना का निधन 69 वर्ष की आयु में 18 जुलाई, 2012 को मुंबई में हुआ।

हमें आने मित्रों के निधन पर गहरा दुःख है और मुझे विश्वास है कि सदन शोकसंतप्त परिवारों को सांत्वना देने में मेरे साथ शामिल होगा।

माननीय सदस्यगण आपको ज्ञात होगा कि हाल के वर्षों में असम में सर्वाधिक भीषण बाढ़, जिससे लगभग 24 लाख लोग प्रभावित हुए तथा सम्पत्ति और फसल का भारी नुकसान हुआ, में 125 लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक लोग लापता हो गए।

जुलाई और अगस्त के महीने में असम में छिट-पुट जातीय हिंसा हुई, जिसमें 73 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए तथा लगभग दो लाख लोग बेघर हो गए जिन्हें राज्य के, 270 राहत शिविरों में रखा गया है।

अलग-अलग घटनाओं में, इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के दौरान 100 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गयी।

15 जुलाई, 2012 को नेपाल में एक बस के फिसलन भरी सड़क पर फिसलकर बाढ़ प्रभावित नहर में गिर जाने से 39 तीर्थ यात्रियों, 10 महिलाओं और एक बालिका सहित अधिकांशत: भारतीय थे, की मृत्यु और अनेक अन्य लोगों के घायल हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

30 जुलाई, 2012 को आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के समीप चेन्नई जाने वाली समिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग जाने के कारण 32 लोगों की मृत्यु और 25 अन्य व्यक्तियों के घायल हो जाने, की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

30 जुलाई, 2012 को हरियाणा के भिवानी में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई जिसके परिणामस्वरूप 10 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 29 से अधिक तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

एक अन्य घटना में, एक रिपोर्ट के अनुसार, 1 अगस्त, 2012 को उत्तराखंड में देहरादून के चिल्हल गांव में बस के एक गहरी खाई में गिरने की सड़क दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप 27 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य 26 व्यक्ति घायल हो गए।

4 अगस्त, 2012 को बादल फटने के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों में 34 व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक व्यक्तियों के गायब होने, की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

5 अगस्त, 2012 को संयुक्त राज्य अमेरिक के विस्कोन्सिन में गुरुद्वारा में गोली-बारी की दु:खद घटना में 4 भारतीय नागरिक और 2 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सहित 6 व्यक्तियों की मृत्यु हई और 3 अन्य व्यक्ति घायल हो गए।

सभा इन त्रासदियों और प्राकृतिक आपदाओं पर गहरा दु:ख प्रकट करती है। जिनके परिणामस्वरूप लापता एवं घायल हुए और मृत लोगों के परिवारों को गहन पीड़ा और कष्ट झेलने पड़े हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल–प्रश्न सं. 1. श्री संजय दिना पाटील।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: असम की हिंसा के बारे में मुझे स्थगन प्रस्ताव की कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना स्वीकार कर ली है और इस पर ठीक 1200 बजे विचार किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.17 बजे

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम इस विषय पर मध्याह्न 12.00 बजे विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.18 बजे

इस समय श्री बदरूद्दीन अजमल आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम इस विषय पर मध्याह्न 12.00 बजे विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। हमने इस विषय को स्वीकार कर लिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार कर लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: हम इस विषय को बारह बजे लेंगे। अभी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम इस विषय को बारह बजे ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कोयले की आपूर्ति

***1. श्री संजय दिना पाटील:**
श्री इन्दर सिंह नामधारी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इनकी सहायक कम्पनियां ताप विद्युत संयंत्रों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को मांग और इस संबंध में किए गए विभिन्न करारों/वार्षिक संविदाओं के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं कर पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विद्युत कम्पनियों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा की गई कोयले की मांग तथा कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा की गई आपूर्ति का कम्पनी/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों सहित कोयला आधारित कुछ उद्योग कोयले की कमी/'क्रिटिकल स्टाक' के कारण बंद कर दिए गए हैं अथवा बंद होने के कगार पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने उनके राज्य में स्थित विद्युत संयंत्रों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) वार्षिक योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया के दौरान कोयला मंत्रालय/योजना आयोग देश में कोयले की समग्र मांग का मूल्यांकन कोयला खपत करने वाले क्षेत्र-वार करते हैं। ऐसी मांग का मूल्यांकन का राज्य-वार नहीं किया जाता है। ऐसी मूल्यांकन की गई मांग के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल द्वारा कंपनी-वार कोयला आपूर्ति योजना तैयार की जाती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में कंपनी-वार कोयला उठान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार था:-

वार्षिक योजना लक्ष्य की तुलना में सीआईएल और सहायक कंपनियों का उठान कार्य निष्पादन (मिलियन टन में)

कंपनी	2009-10			2010-11		
	लक्ष्य	वास्तविक आपूर्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	वास्तविक आपूर्ति	% प्राप्ति
ईसीएल	31.00	29.22	94%	33.00	29.74	90%
बीसीसीएल	28.00	25.08	90%	29.00	29.34	101%
सीसीएल	50.00	44.29	89%	50.00	46.23	92%
एनसीएल	66.50	66.67	100%	72.00	64.21	89%
डब्ल्यूसीएल	45.00	45.51	101%	46.50	42.56	92%
एसईसीएल	106.00	105.89	100%	112.00	109.02	97%
एमसीएल	109.30	98.15	90%	116.75	102.09	87%
एनईसी	1.20	1.07	89%	1.25	1.10	88%
सीआईएल	437.00	415.88	95%	460.50	424.30	92%

कंपनी	2011-12 (अनंतिम)			2012-13 (जुलाई 2012 तक) (अनं.)		
	लक्ष्य	वास्तविक आपूर्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	वास्तविक आपूर्ति	% प्राप्ति
ईसीएल	34.00	30.83	91%	10.75	10.98	102%
बीसीसीएल	30.00	30.16	101%	10.26	11.00	107%
सीसीएल	52.00	47.89	92%	18.15	16.76	92%
एनसीएल	68.50	63.61	93%	21.29	20.37	96%
डब्ल्यूसीएल	45.50	41.97	92%	14.71	13.34	91%
एसईसीएल	112.00	115.15	103%	38.28	40.47	106%
एमसीएल	109.00	102.53	94%	36.85	35.92	97%
एनईसी	1.00	0.80	80%	3.35	0.19	54%
सीआईएल	452.00	432.94	96%	150.62	149.03	99%

आपूर्ति कार्यनिष्पादन बेहतर हो सकता था किन्तु भारी वर्षा के कारण दूसरी तिमाही के दौरान कोयले की ढुलाई और वैगन लोडिंग प्रभावित हुई, दिसम्बर से मार्च के दौरान सर्वाधिक उत्पादन मौसम के दौरान सहायक कंपनियों द्वारा की गई मांगों के अनुरूप वैगन की उपलब्धता में बाधा और झारखण्ड और ओडिशा राज्य में कानून और व्यवस्था की बार-बार उत्पन्न हो रही समस्याओं के कारण कोयले की ढुलाई और वैगन लोडिंग प्रभावित हुई।

तापीय विद्युत संयंत्रों सहित विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां से कच्चे कोयले की उठान, 2010-11 को छोड़कर जब यह 92% थी, पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक योजना के भाग के रूप में योजना आयोग द्वारा अनंतिम रूप दिए गए आपर्ति योजना लक्ष्य का 95% से अधिक रही है। चालू वर्ष में जुलाई, 2012 तक इसमें और सुधार आया है जिससे यह लक्ष्य का 99% हो गया है।

(ग) कोल इंडिया लि. लिंक्ड उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति करता है जिन्होंने संबंधित कोयला कंपनी के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न किया है। कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि विद्युत संयंत्र जिसने एफएसए/एमओयू हस्ताक्षर किया है और सीआईएल की सहायक कंपनी के साथ लिंक्ड है, कोयले की कमी के कारण बंद हो रहा है अथवा बंद होने के कगार पर है, सहित किसी कोयला आधारित उद्योग की सूचना नहीं मिली है। नियामक क्षमता से अधिक प्रचालन, यूनिटों द्वारा लक्ष्य से कम आयात, संभार तंत्र की बाधाएं आदि सहित विभिन्न कारणों से कुछ यूनिटों/विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी हो सकती है।

(घ) और (ङ) कोयले की आपूर्ति विद्युत क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति करार के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।, तथापि, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे विभिन्न राज्य सरकारों ने उनके राज्य में स्थित विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है। विद्युत उपयोगिताओं के कोयले की आपूर्ति नियमित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय की अवसंरचना संबंधी समीक्षा समिति द्वारा गठित अंतर्मत्रालयी उप-समूह द्वारा मानीटर की जाती है जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधि होते हैं। यह उप-समूह क्रिटिकल कोयला स्टाक की स्थिति सहित विद्युत उपयोगिताओं से संबंधित किसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेता है। इसके अलावा कोल इंडिया लि. को अपनी मौजूदा खानों से उत्पादन में वृद्धि करने और नई परियोजनाओं से उत्पादन में गति लाने के लिए कहा गया है। हालांकि विद्युत उपयोगिताओं सहित उपभोक्ता मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अनुमानित अंतर को पाटने के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं, सीआईएल की स्वदेशी उत्पादन और एफसए प्रतिबद्धताओं के बीच अंतर का पाटने के लिए कोयल के आयात की संभवना की भी तलाश कर रही है।

[हिन्दी]

कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक कोयला खानें

***2. श्री अशोक कुमार रावतः**
श्री नारनभाई कछाड़ियाः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भूमिगत और खुले मुहाने वाली कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक कोयला खानों की स्थान-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यात्मक कोयला खानों से कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया और इन खानों से सरकार द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-कार्यात्मक खानों का पुनरुद्धार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष और बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान नई कोयला खानें खोलने और/या कुछ नये कोयला ब्लाकों में खनन शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो खान-वार/स्थान-वार/राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन सरकारी एवं गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इन खानों के विकास का कार्य सौंपे जाने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) 1.04.2012 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लि. (एससीसीएल) के कार्यात्मक एवं गैर-कार्यात्मक भूमिगत तथा ओपनकास्ट कोयला खानों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

सहायक कंपनी	राज्य	कार्यात्मक			गैर-कार्यात्मक	
		भूमिगत (यूजी)	ओपनकास्ट	मिश्रित	भूमिगत (यूजी)	ओपनकास्ट
ईसीएल	पश्चिम बंगाल	76	12	2	40	13
	झारखण्ड	10	5	0	3	4
बीसीसीएल	पश्चिम बंगाल	2	1	0	0	0
	झारखण्ड	37	18	20	3	1
सीसीएल	झारखण्ड	24	41	1	11	4
एनसीएल	मध्य प्रदेश	0	6	0	0	1
	उत्तर प्रदेश	0	4	0	0	0
डब्ल्यूसीएल	मध्य प्रदेश	20	7	2	25	6
	महाराष्ट्र	22	31	0	12	7
एसईसीएल	छत्तीसगढ़	37	17	1	22	1
	मध्य प्रदेश	28	7	0	15	4
एमसीएल	ओडिशा	11	16	0	0	1
एनईसी	असम	4	3	0	0	0
	मेघालय	1	0	0	0	0
कुलः सीआईएल		272	168	26	131	42
एससीसीएल		35	14	0	0	1

(ख) सीआईएल एवं एससीसीएल के कार्यात्मक खानों से कच्चे कोयला का उत्पादन तथा रायल्टी के कारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अर्जित राजस्व नीचे दिया गया है:

	उत्पादन (मिलियन टन में)				रायल्टी के कारण अर्जित राजस्व (करोड़ रु. में)		
	2009	2010-11	2011-12	2012-13 (जून, 12 तक) (अनंतिम)	2009	2010-11	2011-12
सीआईएल	431.26	431.332	435.84	102.46	4697.68	4799.52	5315.14
एससीसीएल	50.43	51.33	52.21	11.66	637.13	665.59	785.47

(ग) जी, हां। प्रारंभ में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के अट्ठारह परित्यक्त खानों की पहचान संयुक्त उद्यम भागीदारों के चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर पुन: खोलने के लिए की जाती है। चूंकि प्रतिक्रिया संतोषनजक नहीं थी इसलिए सीआईएल ने खान डेवलपर एंड आपरेटर (एमडीओ) नियुक्त कर उनका खनन करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष तथा 21वीं याजेना अवधि के दौरान खान-वार, राज्य-वार तथा कंपनी-वार उत्पादन के लिए आयोजित परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	खान/परियोजना	राज्य	ओसी/यूजी	पीक रेटिड क्षमता मिलियन टन में
1	2	3	4	5
	ईसीएल			
1.	सोनपुर (कोम्ब)	पश्चिम बंगाल	ओसी	4.60
2.	पांडेश्वर	पश्चिम बंगाल	ओसी	2.00
3.	चुपरभीता	झारखण्ड	ओसी	4.00
4.	हुरा-सी	झारखण्ड	ओसी	3.00
5.	सिमलांग ओसी (विस्तार)	झारखण्ड	ओसी	2.00
6.	झांझरा कम ऊंचाई वाला सीएम	पश्चिम बंगाल	यूजी	0.4
7.	तिलाबोनी	पश्चिम बंगाल	यूजी	1.86
8.	कुमारडीह बीसीएम	पश्चिम बंगाल	यूजी	0.51
9.	शंकरपुर यूजी (1.16) ओसी (2.00)	पश्चिम बंगाल	ओसी	3.16
	बीसीसीएल			
1.	ब्लाक 4 ओसीपी	झारखण्ड	ओसी	6.00
2.	साउथ तिसरा/नार्थ तिसरा आग. एनसी ओसी (2.00)	झारखण्ड	ओसी	6.00

1	2	3	4	5
3.	ब्लाक-2 में सतत खनिक प्रौद्योगिकी द्वारा सीम-I/II का उपयोग	झारखण्ड	यूजी	0.45
4.	मधुबंद टर्नकी	झारखण्ड	यूजी	1.20
5.	घानूडीह गोलकडीह सीएम यूजी	झारखण्ड	यूजी	0.50
6.	मूनीडीह 16 टॉप सीम	झारखण्ड	यूजी	1.20
7.	लोहा पट्टी	झारखण्ड	यूजी	0.50
	सीसीएल			
1.	तापीन इंटीग	झारखण्ड	ओसी	1.10
2.	अशोक विस्तार/पश्चिम ओसीपी	झारखण्ड	ओसी	15.00
3.	चाणो-रिकवा ओसी	झारखण्ड	ओसी	2.00
4.	गोस ओसी	झारखण्ड	ओसी	2.00
5.	कोएड/मनातू ओसी	झारखण्ड	ओसी	10.00
6.	पचरा इंट्रीगेटेड ओसी	झारखण्ड	ओसी	15.00
7.	पिचरी/पिचरी विस्तार ओसी	झारखण्ड	ओसी	1.20
8.	केडी हेसालोंग विस्तार ओसी	झारखण्ड	ओसी	4.50
9.	रामगढ़-II वेस्ट ओसी	झारखण्ड	ओसी	1.00
10.	अरगदा ओसी	झारखण्ड	ओसी	1.25
11.	पिपरवार मांगरदाहा यूजी	झारखण्ड	ओसी	1.38
12.	अश्वा एनएस	झारखण्ड	यूजी	1.00
13.	पुंडी विस्तार	झारखण्ड	ओसी	2.50
14.	रेलीगारा	झारखण्ड	ओसी	0.60
15.	हेसालोंग	झारखण्ड	ओसी	1.50
16.	कुजू	झारखण्ड	ओसी	1.00
	एनसीएल			
1.	जयंत विस्तार	उत्तर प्रदेश	ओसी	5.00
2.	बीना ककड़ी आमलोंग	उत्तर प्रदेश	ओसी	10.00
3.	सामारिया	मध्य प्रदेश	ओसी	2.00
4.	ब्लाक-बी विस्तार	मध्य प्रदेश	ओसी	6.00

1	2	3	4	5
	डब्ल्यूसीएल			
1.	चिंचोली	महाराष्ट्र	ओसी	0.30
2.	धूपताला (शास्ति यूजी से ओसी)	महाराष्ट्र	ओसी	1.70
3.	काम्पटीडीह	महाराष्ट्र	ओसी	1.50
4.	मकरधोकरा-III ओसी (दिनेश ओसी)	महाराष्ट्र	ओसी	3.00
5.	मोटा घाट	महाराष्ट्र	ओसी	1.25
6.	नए गांव/बिलोरा द्वीप	महाराष्ट्र	ओसी	1.00
7.	न्यू मांजरी यूजी से ओसी	महाराष्ट्र	ओसी	0.80
8.	नीलजयी विस्तार (दीप)	महाराष्ट्र	ओसी	3.00
9.	पौनी-III (शखरी-इरावती)	महाराष्ट्र	ओसी	1.25
10.	उपकनीदीप-11	महाराष्ट्र	ओसी	2.00
11.	भाटडीह विस्तार-2 (भाटडीह नार्थ-वेस्ट)	महाराष्ट्र	ओसी	1.25
12.	चिकलगांव/चिंचाला	महाराष्ट्र	ओसी	3.00
13.	न्यू मांजरी से.ए. विस्तार	महाराष्ट्र	ओसी	1.00
14.	एकोना-1 विस्तार (वानोजा)	महाराष्ट्र	ओसी	0.50
15.	एकोना-2 विस्तार (शिवानी)	महाराष्ट्र	ओसी	1.25
16.	पदमापुर दीपे	महाराष्ट्र	ओसी	2.00
17.	पौनी दीप	महाराष्ट्र	ओसी	1.50
18.	पिंपलगांव दीप	महाराष्ट्र	ओसी	1.00
19.	बल्लारपुर वृद्धि	महाराष्ट्र	यूजी	0.40
20.	भाखरा	मध्य प्रदेश	यूजी	0.27
21.	धनकाशा	मध्य प्रदेश	यूजी	1.00
22.	हारादोल	मध्य प्रदेश	यूजी	0.14
23.	जमुनिया	मध्य प्रदेश	यूजी	0.72
24.	सी.एम पैकेज के साथ मऊरी ब्लाक (वृद्धिक)	मध्य प्रदेश	यूजी	0.90
25.	शारदा	मध्य प्रदेश	यूजी	0.32
26.	सावनर खान-1 विस्तार (वृद्धिक)	मध्य प्रदेश	यूजी	0.75

1	2	3	4	5
27.	तवा-2 विस्तार	मध्य प्रदेश	यूजी	0.75
28.	तवा-3	मध्य प्रदेश	यूजी	0.48
29.	गांधी ग्राम	मध्य प्रदेश	यूजी	1.20
	एसईसीएल			
1.	कुशमुंडा विस्तार (15.50 मि.ट. प्रति वर्ष)	छत्तीसगढ़	ओसी	35.00
2.	गेवरा विस्तार (35-50)	छत्तीसगढ़	ओसी	15.00
3.	दीपका विस्तार (25-35)	छत्तीसगढ़	ओसी	10.00
	एमसीएल			
1.	बलराम ओसी विस्तार	ओडिशा	ओसी	7.00
2.	गर्जनबहाल	ओडिशा	ओसी	10.00
3.	मधुपुर	ओडिशा	ओसी	2.00
4.	सिआरमल	ओडिशा	ओसी	40.00
5.	कुदला ओसी विस्तार	ओडिशा	ओसी	5.00
	एससीसीएल			
1.	केके 6 एवं 7	आंध्र प्रदेश	यूजी	
2.	कासीपेट II	आंध्र प्रदेश	यूजी	4.32
3.	जल्लाराम	आंध्र प्रदेश	यूजी	
4.	जेवीआर	आंध्र प्रदेश	ओसी-II	
5.	किस्ताराम	आंध्र प्रदेश	ओसी	
6.	एमएनजी	आंध्र प्रदेश	ओसी	13.30
7.	अब्बापोर	आंध्र प्रदेश	ओसी	
8.	आरकेपी	आंध्र प्रदेश	ओसी	
9.	आरजी फेस-3	आंध्र प्रदेश	ओसी	

कोयला खान/ओबर बर्डन हटाने का कार्य या तो विभागी तौर पर अथवा निविदाएं आमंत्रित करने के बाद आउटसोर्स के द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

मोबाइल टावर्स और हैंडसेटों से विकिरण

***3. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोबाइल टावरों और हैंडसेटों से इलेक्ट्रोमेग्नेटिक सहित नान-आइनाइज्ड विकिरण से उत्पन्न खतरों का अध्ययन कराने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने टावर लगाते समय विकिरण सीमा तथा अवासीय और सार्वजनिक स्थानों से उचित दूरी बनाए रखने के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का दूरसंचार आपरेटरों द्वारा पालन नहीं किए जाने की ओर ध्यान दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी दूरसंचार आपरेटरों के विरुद्ध आपरेटर-वार सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। बेस स्टेशनों एवं मोबाइल फोनों से निकलने वाले विद्युत-चुम्बकीय क्षेत्र (ईएमएफ) विकिरण के प्रभाव की जांच करने के लिए दिनांक 24.08.2010 को दूरसंचार विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों की एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गई थी।

(ग) और (घ) जी, हां। अंतर मंत्रालयी समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन (बीटीएस) रेडियो फ्रिक्वेंसी (आरएफ) प्रभाव सीमा को कम करके मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग (आईसीएनआईआरपी) द्वारा निर्धारित सीमा का 1/10वां भाग करने और मोबाइल हैंडसेटों हेतु विशिष्ट आमेलन दर (एमआर) को 2 वाट/कि.ग्रा. से कम करके 1.6 वाट/कि.ग्रा. करने की सिफारिश की है। अंतर मंत्रालयी समिति की इन सिफारिशों को दूर संचार विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इनके क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:-

(1) मोबाइल टावरों से निकलने वाले ईएमएफ विकरण को कम करके मौजूदा निर्धारित सीमा का 1/10वां भाग करने के लिए दूरसंचार विभाग के दिनांक 30.12.2011 के पत्र द्वारा मोबाइल प्रचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश दिनांक 01.09.2012 से लागू किए जाएंगे।

(2) मोबाइल हैंडसेटों हेतु एसएआर को 2 वाट/कि.ग्रा. से कम करके 1.6 वाट/कि.ग्रा. करने के लिए दूरसंचार विभाग के दिनांक 25.01.2012 के पत्र द्वारा मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश दिनांक 01.09.2012 से लागू किए जाएंगे।

(ङ) और (च) सभी सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस)/एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसधारक दूरसंचार विभाग के संबंधित दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं निगरानी (टीईआरएम) प्रकोष्ठों को अपने बेस प्रसारण स्टेशनों के बारे में स्वयं प्रमाणन पत्र प्रस्तुत करके मौजूदा संदर्भ सीमा/स्तरों का अनुपालन प्रस्तुत कर रहे हैं। टीईआरएम प्रकोष्ठों ने दिनांक 30.06.2012 को 28,862 बीटीएस के विकिरण स्तर की जांच की है और पाया है कि सभी परीक्षित बीटीएस में विकिरण का स्तर विनिर्धारित स्तरों के अनुरूप है।

अर्थव्यवस्था का विकास

***4. श्री गुरुदास दासगुप्त:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने बारहवीं योजना अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर पूर्व अनुमानित विकास दर से कम दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) योजन आयोग 12वीं

योजनाअवधि में अर्थव्यवस्था की विकास दर के लक्ष्य को शीघ्र ही अंतिम रूप देगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में अनुमान किया गया था कि 12वीं योजनाअवधि (2012-17) के दौरान अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 9 प्रतिशत रहेगी। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दृष्टिकोण-पत्र के अनुमोदन के उपरांत, वैश्विक आर्थक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और घरेलू अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव परिलक्षित होने के कारण 2011-12 में विकास दर 6.5 प्रतिशत रही और 2011-12 की आखिरी तिमही में तो यह दर महज 5.3 प्रतिशत थी। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अब भी अनिश्चित बना हुआ है। अत: बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की औसत विकास दर 9 प्रतिशत रखने के पूर्व के लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा। तथापि, आयोग इस बात पर नजर रखेगा कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को फिर से तेज बनाने के लिए क्या करना व्यवहार्य होगा। संशोधित लक्ष्य राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष इस वर्ष बाद में सामान्य प्रकार से प्रस्तुत किए जाएंगे।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में त्वरित और समावेशी विकास दरों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यनीतियों और उपायों का उल्लेख किया गया है। इसमें स्वीकार किया गया है कि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक तथा निजी-दोनों प्रकार के निवेशों के साथ प्रोत्साहन ढांचे को व्यवस्थित करने हेतु सुधार की आवश्यकता है ताकि बेहतर परिणाम हासिल हों। बीजों और सिंचाई की पहचान प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में की गई है ताकि आपूर्ति के लिए उत्पादकता बढ़े। मांग बढ़ाने के लिए, ऐसे अधिकांश नियंत्रणों को हटाने की आवश्यकता को मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है जो अधिकतर कृषि उत्पदों के लिए एकीकृत और सुलभ अखिल भारतीय बाजार की राह में बाधक रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में, वैश्कि प्रतिस्पर्द्धात्मक में सुधार, वास्तविक ढांचे के विकास, लघु तथा मध्यम उद्यमों की भूमिका, कुशल कार्यबल की उपलब्धता आदि को प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है साथ ही, अवसंरचना में निवेश की गति को बढ़ाने; शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रकों का सुदृढ़ीकरण करने, पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने तथा आर्थिक विकास हेतु सेवा क्षेत्रक को सक्षम बनाने की पहचान प्राथमिक क्षेत्र के रूप में की गई है। कृषि और विनिर्माण-दोनों के लिए अवसंरचना का विकास बेहद महत्वपूर्ण है। बारहवीं योजना में अवसंरचना विकास के लिए एक व्यवहार्य कार्यनीति तय की जाएगी। उक्त उपायों से बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरा उच्चतर, संधारणीय तथा समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

जी.ए.ए.आर. का क्रियान्वयन

***5. श्री गजानन ध. बाबर:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनरल एंटी एवाइडेंस रूल्स (जी.ए.ए.आर.) के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को देश में जी.ए.ए.आर.' से निवेश पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव अथवा अन्य कारणों के मद्देनजर इसके विरुद्ध किन्हीं क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में बड़ी मात्रा में काला धन जमा करने के विरुद्ध तथा कर वंचन को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की प्रभावोत्पादकता के संबंध में 'जी.ए.ए.आर.' के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब का क्या प्रभाव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 01 अप्रैल, 2014 से आयकर अधिनियम, 1961 में नए अध्याय X-क को जोड़ कर सामान्य परिहाररोधी नियम (गार) को लाया गया है। प्रावधान कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 एवं परवर्ती वर्षो हेतु प्रयोज्य होंगे। इन प्रावधानों को अधीनस्थ विधायन के माध्यम से विहित होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसरण में कार्यान्वित किया जाएगा। दिशानिर्देशों के प्रथम प्रारूप को तैयार कर लिया गया है तथा 29.06.2012 को आम जनता हेतु उपलब्ध करा दिया गया है ताकि विभिन्न पणधारकों की टिप्पणियां प्राप्त की जा सके। दिनांक 17.07.2012 को इन दिशानिर्देशों पर सूचना (फीडबैक) लेने तथा दिशानिर्देशों के दूसरे प्रारूप को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति दिशानिर्देशों पर विस्तृत परामर्श भी करेगी तथा तत्पश्चात 30.09.012 तक संशोधित दिशानिर्देश एवं सरकार को गार के कार्यान्वयन हेतु एक रूपरेखा भी सौंपेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) गार दिशानिर्देशों के पहले प्रारूप को आम जनता के बीच रखे जाने के उपरांत संस्थानों/व्यष्टियों से 14 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सूची विवरण के रूप में संलग्न की गई है। विशेषज्ञ समिति (जैसा कि उपर्युक्त भाग (की) के उत्तर में इंगित किया गया है) विभिन्न पणधारकों से प्राप्त हुए सुझावों/अभ्यावेदनों की जांच कर रही है।

(घ) गार को लागू किए जाने को एक वर्ष और बढ़ा दिया गया ताकि ऐसे विधायन को कार्यान्वित करने से पूर्व विस्तृत परामर्श का अवसर उपलब्ध कराया जा सके। गार के प्रावधान आक्रामक कर योजना के माध्यम से कर-परिहार्यता को रोके जाने हेतु तैयार किए गए हैं। काले धन के सृजन तथा कर अपवंचन का सामना मुख्य रूप से विभिन्न अपवंचनरोधी उपायों जैसे सर्वेक्षण, तलाशी एवं जब्ती अभियानों तथा विभिन्न स्रोतों से ढूंढी एवं प्राप्त की गई सूचना के मिलान द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, गार के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब का काले धन के प्रचुर मात्रा में उत्पादन तथा कर अपवंचन को रोकने हेतु किए जा रहे उपायों की क्षमता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विवरण

क्र.सं.	व्यक्ति/समूह का नाम
1.	वैकल्पिक निवेश प्रबंधन संघ
2.	एलस्टोम
3.	अंकित वीरेन्द्र सुधा शाह, सनदी लेखाकार
4.	बॉम्बे वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स
5.	इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आई बी एफ)
6.	खेतान एंड कम्पनी
7.	मनीष अगवाल, आदित्य बिरला
8.	मानवेन्द्र गोयल, सनदी लेखाकार
9.	नीरज शाह, सनदी लेखाकार
10.	पूर्णिमा मेपवानी, कर निर्धारीति
11.	प्राइस वॉटर कूपरहाउस (पी डब्ल्यू सी)
12.	एस.जी. भोकारिकर, लेखा-परीक्षक)
13.	स्वामी शरण वर्मा
14.	अंतर्राष्ट्रीय कारोबार हेतु संयुक्त राज्य परिषद

विमान कंपनियों को ऋण

***6. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:**
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान विमान कंपनी-वार/बैंक-वार/संस्थान-वार और वर्ष-वार विभिन्न बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा विमान कंपनियों को कितनी राशि का ऋण दिया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा ऋण की कितनी राशि वापिस की गई/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण की कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) विमान कंपनी-वार वसूल की जाने वाली ऋण की राशि और इसके लिए गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न विमान कंपनियों से ऋण और बकाया राशि वापिस लिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (30.06.2012 तक) में विमान कंपनियों को दी गई ऋण की राशि और उन पर बकाया ऋण राशि के संबंध में बैंक-वार आंकड़े तथा इन ऋणों के प्रति प्रतिभूतियों की स्थिति संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां कहीं अग्रिम राशियों के प्रति प्रतिभूति मूर्त रूप में नहीं ली जाती है, उन मामलों में अग्रिम राशि देले वालों द्वारा विमान कंपनियों के नकदी प्रवाहों पर प्रभार लगाकर अपना पैसा सुरक्षित किया जाता है।

(घ) बैंक अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों द्वारा अभिशासित होते हैं और बैंकों द्वारा बकायों तथा ऋणों की वसूली विधि विहित प्रक्रिया और विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-12 और 2012-13 (30.06.2012 तक) के लिए विमान कंपनियों को प्रमुख बैंकों द्वारा निवेश

(रुपए करोड़ में)

बैंक का नाम	वित्तीय बैंक 2009-10	वित्तीय बैंक 2010-11	वित्तीय बैंक 2011-12	वित्तीय बैंक 2012-13 (30.6.2012 तक)		प्रतिभूतियों का मूल्य
	संवितरण	संवितरण	संवितरण	संवितरण	संवितरण	
1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	600.00	100.00	0.00	0.00	709.42	981.55

1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्रा बैंक	0.00	0.00	648.91	0.00	649.56	0.00
ऐक्सिस बैंक	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	35.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.00	0.00	0.00	0.00	4132.89	3396.42
बैंक ऑफ इंडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	4614.54	0.00
केनरा बैंक	2899.25	3087.66	2550.50	0.00	2327.27	0.00
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	0.00	0.00	0.00	*3254.32	*3094.09	22646.35
कर्पोरेशन बैंक	50.00	1357.39	18.00	0.00	1725.51	0.00
देना बैंक	855.00	640.00	612.32	631.46	636.31	0.00
एचडीएफसी बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08	0.00
आईडीबीआई बैंक	2030.00	290.50	35.12	24.06	2550.33	1802.15
इंडियन बैंक	1100.00	1500.00	792.08	0.00	792.33	0.00
इण्डियन ओवरसीज बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.49	0.00
लक्ष्मी विलास बैंक	75.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	0.00	0.00	0.00	*1938.02	*1844.09	570.45
पंजाब एंड सिंध बैंक	631.94	650.44	568.86	0.00	568.86	0.00
पंजाब नैशनल बैंक	1750.00	3016.85	300.00	0.00	4010.07	0.00
भारतीय स्टेट बैंक	0.00	0.00	5120.74	0.00	5120.74	815.04
स्टेट बैंक आफ मैसूर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिंडिकेट बैंक	1288.90	1664.50	18.46	0.00	1571.17	1429.55
यूको बैंक	2050.00	2217.76	1053.02	26.19	1503.83	1272.96
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1036.00	185.00	163.71	75.00	75.00	11.25
यूनाइड बैंक आफ इंडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	1693.22	0.00
विजया बैंक	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यस बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	769.93	0.00
कुल	14416.09	14710.10	11981.72	5949.05	40621.73	32960.72

स्रोत: आईबीए और बैंक

*संवितरण और बकाया के तहत दर्शाई गई राशि विगत तीन वर्षों के लिए हैं।

2009-10 से 2012-13 कुल संवितरण (30 जून, 2012 तक)	47,056 करोड़ रुपए
30.6.2012 को कुल बकाया	40,621 करोड़

भारत में विदेशी शिक्षण संस्थान

*7. **श्री टी.आर. बालू:**
श्री धर्मेंद्र यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों को कैम्पस स्थापित करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 देश में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा कैम्पस स्थापित करने की अनुमति देता है/क्या यह इस संबंध में लागू होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विदेशी शिक्षा संस्था (प्रवेश और प्रचालन विनियमन) विधेयक, 2010 दिनांक 3.5.2010 को संसद में पेश किया। विधेयक में संदिग्ध गुणवत्ता वाली विदेशी शिक्षा संसथाओं के प्रवेशा पर रोक लगाते हुए, विदेशी शिक्षा संस्थाओं (एफईआईएस) के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रावधान है। प्रस्तावित विधान के तहत विदेशी शिक्षा संस्थाएं, जब एक बार विदेशी शिक्षा प्रदाताओं (एफईपीएस) के रूप में अधिसूचित हो जाएंगी, तभी वे भारत में परिसर स्थापित कर सकती हैं।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदंडों को समन्वित तथा निर्धारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में डिग्रियां देने वाली किसी भी संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों का पालन करना होगा। वर्तमान में, सरकारी नीिं, शिक्षा में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान करती है जो कानून के तहत विनियामक अपेक्षाआें के अध्यधीन है। प्रस्तावित विधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विदेशी शिक्षा संस्थओं से आवेदन प्राप्त करने, उन्हें प्रोसेस करने और केन्द्र सरकार को सिफारिश करने, विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के रूप में विदेशी शिक्षा संस्थाओं को अधिसूचित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रस्तावित विधान के तहत विनियमों को बनाने के लिए शक्तियों का भी प्रयोग करेगा।

सामान्य प्रवेश परीक्षा

*8. **श्री संजय भोई:**
श्री चार्ल्स डिएस:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षिक वर्ष 2013 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य केन्द्रीय संस्थानों में प्रवेश हेतु केवल एक ही पुन: प्रारूपित सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यविधि तैयार की गई है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित कदम के किए जा रहे विरोध की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण/गैर-मेट्रो क्षेत्रों के छात्रों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों में अवर स्नातक इंजीनियरी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) इंजीनियरी में अवर स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा दो भागों में जेईई-मेन और जेईई-एडवांस्ड आयोजित की जाएगी।

(ii) जेईई-मेन के बाद समुचित अंतराल के उपरांत जईई-एडवांस्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जेईई-मेन परीक्षा में केवल पहले 1,50,000 अभ्यर्थी (सभी श्रेणियों को मिलाकर) जेईई-एडवांस्ड परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश जैईई-एडवांस्ड परीक्षा में श्रेणीवार अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) पर आधारित होगा परंतु शर्त यह है कि उक्त अभ्यर्थी लागू श्रेणियों में अपने बोर्डों के सफल अभ्यर्थियों के प्रथम 20 प्रतिशत/शतमक में आते हों।

(iv) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिला कक्षा XII के बोर्ड में निष्पादन के लिए प्रतिशतता के आधार पर सामान्यकृत प्राप्तांकों के 40 प्रतिशत अंकभार तथा जेईई मुख्य परीक्षा में निष्पादन के 60 प्रतिशत अंकभार के आधार पर दिया जाएगा और तदनुसार संयुक्त योग्यता सूची तैयार की जाएगी। अन्य केन्द्रीय निधीयन प्राप्त संस्थाओं द्वारा भी इस नीति को अपनाया जा सकता है।

(v) जेईई-मेन परीक्षाओं में बहु विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जबकि जेईई-एडवांस्ड परीक्षाओं का स्वरूप और रूपरेखा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के संयुक्त प्रवेश बोर्डों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(vi) प्रस्तावित परिवर्तन वर्ष 2013 से लागू होंगे और केन्द्र द्वारा वित्तापोषित तकनीकी संस्थाएं (सीएफटीआई) और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों संयुक्त रूप से इसे कार्यान्वित करने में सहायता करेंगे।

(ग) और (घ) विभिन्न हितधारकों अर्थात आईआईटी संकाय परिसंघ, आईआईटी के सीनेटों, आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्डों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श तथा साथ ही आईआईटी की परिषद के साथ-साथ एनआईटी की परिषद आदि की अनेक बैठकों के बाद इसमें सहमति हुई है।

(ङ) 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में निष्पादन और परिणामस्वरूप स्कूल प्रणाली को यथोचित अधिमान देने के निर्णय से छोटे कस्बों, ग्रामीण इलाकों के छात्रों और बालिकाओं को अधिक सहायता मिलने की आशा है जो सामान्यत: महंगी कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं।

एमटीएनएल और बीएसएनएल की घटती हिस्सेदारी

*9 **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बाजार में हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों की बाजार में लगातार घटती हिस्सेदारी के कारणों की हाल ही में कोई विस्तृत समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों के पुनरुत्थान हेतु कोई नीतिगत हस्तक्षेप करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) दिल्ली और मुम्बई लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्रों (एलएसए) को छोड़कर देशभर में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराता है जबकि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) केवल दिल्ली एवं मुम्बई लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराता है। गत तीन वर्षों के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल की बाजार में हिस्सेदारी का ब्यौरा निम्नवत है:

दिनांक	बाजार में हिस्सेदारी का प्रतिशत		
	बीएसएनएल	एमटीएनएल	सार्वजनिक क्षेत्र में दोनों उपक्रमों का योग
31.03.2010	15.66	14.21	17.04
31.03.2011	13.83	11.29	14.89
31.03.2012	12.70	11.00	13.68

(ख) और (ग) बीएसएनएल और एमटीएनएल बाजार में हिस्सेदारी सहित विभिन्न मानदंडों की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं और वृद्धि को बनाए रखने के लिए अपेक्षित विभिन्न कदमों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करते हैं। दूरसंचार विभाग (डीओटी) भी बीएसएनएल और एमटीएनएल के कार्य-निष्पादन की अवधिक तौर पर समीक्षा करता है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की बाजार में कम होती हिस्सेदारी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- फिक्स्ड लाइन टेलीफोन कनेक्शनों को निजी मोबाइल फोनों से प्रतिस्थापित करना।
- प्राइवेट प्रचालकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा।
- जहां एक ही घर/कार्यालय परिसर में अनेक टेलीफोन कनेक्शन हैं उनमें अतिरिक्त वायरलाइन टेलीफोन कनेक्शनों को वापस करना।
- कारगर विपणन व्यवस्था का अभाव।
- कमजोर ग्राहक सेवा।

इसके साथ, मोबाइल संचार हेतु ग्लोबल सिस्टम (जीएसएम) उपकरण की क्षमता में वृद्धि करने में हुए विलंब के कारण भी बीएसएनएल की बाजार में हिस्सेदारी कम हुई है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा बाजार में कम होती हिस्सेदारी को रोकने के लिए उठाए गए कदम निम्नवत हैं:–

बीएसएनएल

बीएसएनएल द्वारा अति-प्रतिस्पर्धी मोबाइल उद्योग में मोबाइल की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल:

ख परियोजना 'विजय' की मार्फत मोबाइल की बिक्री और वितरण प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।

- चरण-VII की क्षमता में 15 मिलियन की बढ़ोत्तरी करना।
- बीएसएनएल के विक्रय दलों की फ्रेंचाइजियों/रिटेलरों के साथ जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठक आयोजित करना।
- विक्रय दल के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना।
- रिटेलर प्रबंधकवार लक्ष्य निर्धारित करना और उसकी निगरानी करना।
- उन ग्राहकों जो सेवा छोड़ना चाहते हैं, की समस्याओं का समाधान करके अपने कनेक्शनों को बनाए रखने के लिए विशेष शिविर लगाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए डाक विभाग मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए बिक्री केन्द्र खोलना।
- 3जी डाटा सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धी पशु स्मार्ट उपकरण तथा 3जी डाटा कार्ड के साथ वायरलेस ब्रॉडबैंड शुरू करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं पर सतत् रूप से ध्यान देना।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों के अनुसार सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की निगरानी करना।

लैंडलाइन कनेक्शनों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बीएसएनएल द्वारा की गई पहल:

- परियोजना 'उड़ान' की मार्फत लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की बिक्री और वितरण प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।
- परियोजना 'स्माइल' की मार्फत ग्राहक सुविधा में लगातार सुधार करना। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम परिवर्तित करोबार प्रक्रियाओं और एकल खिड़की क्लीयरेंस संकल्पना के साथ लगभग 4000 सीएससी का उन्नयन किया जा रहा है।
- भारतीय दूरसंचार विनियमक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों के अनुसार सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की निगरानी करना।
- विभिन्न आकर्षक प्रशुल्क योजनाओं और स्तरोन्नत विपणन नीतियों का इस्तेमाल करना।
- बीएसएनएल ने अपने लैंडलाइन ग्राहकों को बनाए रखने और ब्रॉडबैंड सेवाओं, इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवाओं तथा वीडियो/गेम्स/मांग पर संगीत आदि जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित अनेक मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध करवाकर उनकी उपयोगिता बढ़ने के सभी प्रयास किए हैं।
- बाह्य संयंत्रों को उन्नत करने और मांग पर लैंडलाइन टेलीफोन उपलब्ध करवाने के लिए नई अस्तित्व में आ रही कॉलोनियों में कनेक्टीविटी प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- नए ग्राहक सुविधा (एकल खिड़की) और बिलिंग मंच, प्रावधान प्रणाली सुविधाएं प्रारंभ करना।
- ग्राहक स्वयं सुविधा पोर्टल, पर्सनलाइज्ड रिंग बैक टोन (पीआरबीटी) जैसी मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) की मार्फत ऑटोमेटिक प्रोवीजनिंग करना।
- कर्ब/घर तक ऑप्टिकल फाइबर का विस्तार करना और ग्राहकों को उच्च बैंडविड्थ उपलब्ध कराना।
- ब्रॉडबैंड पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लैंडलाइन की मूल्य संरचना को बढ़ाना।

एमटीएनएल

मोबाइल और लैंडलाइन कनेक्शनों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एमटीएनएल द्वारा किए गए उपाय

- एमटीएनएल ने कन्वर्जेंट बिलिंग प्रारंभ करने की योजना बनाई है। इस प्रणाली में किसी ग्राहक को सभी सेवाओं के लिए एक ही बिल दिया जाएगा। इस प्रणाली में सेवाओं, प्रशुल्क आदि के बादे में ग्राहकों के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा।

- एमटीएनएल अपनी विभिन्न सेवाओं और उत्पादों के लिए प्रशुल्कों की समीक्षा कर रहा है ताकि उन्हें ग्राहकोपयोगी बनाया जा सके और जो समाज के विभिन्न वर्गों को उपयोगी लगें।
- एमटीएनएल ने समाज के सभी वर्गों की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेलीफोन बिलों के सरल भुगतान हेतु अनेक उपाय किए हैं।
- सत्यनिष्ठा आधारित स्कीम और कारपोरेट ग्राहकों का विशेष ध्यान रखना।
- एमटीएनएल ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए काल सेंटर/हेल्पलाइन संचालित कर रहा है।
- विभिन्न सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग और लैंडलाइन तथा मोबाइल फोनों की ऑनलाइन शिकायत की सुविधा अब उपलब्ध है।
- एमटीएनएल ने दिल्ली में संचार हाट और मुम्बई में ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित किए हैं जहां पर ग्राहक नई सेवा हेतु पंजीकरण, सेलुलर कनेक्शनों के डुप्लीकेट बिल, बिल भुगतान, वीसीसी कार्ड आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी-2012) में अन्य बातों के साथ-साथ, बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए निम्नलिखित भूमिका का प्रावधान किया गया है:

- भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित द्विपक्षीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित राष्ट्रीय सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों में सरकार की उपाय संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने/बेहतर करने के लिए दूरसंचार के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनीतिक महत्व को स्वीकार करना।
- कार्यनीतिक और प्रचलनात्मक सिर्जिज की पहचान और उनका बेहतर उपयोग करने के लिए दूरसंचार विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहित करना ताक वे सेवा प्रावधान, अवसंरचना सृजन और निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।
- दूरसंचार विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अलग-अलग संगठनों के आपसी लाभ के लिए उनकी निजी शक्ति का बेहतर उपयोग करना ताकि इन संगठनों का राष्ट्र की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को सुचारू रूप से पूरा करते हुए प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में प्रभावी रूप से उभरना सुनिश्चित किया जा सके। अलग-अलग संगठनों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और उत्पादों की प्राप्ति हेतु प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार करने के प्रयास किए जाएंगे।

कोलफील्ड्स में आग

*10. **श्री महेन्द्र कुमार राय:**
शेख सैदुल हक:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झरिया और रानीगंज कोलफीड्स में आग लगने के कारण उत्पन्न चिरस्थायी समस्याओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आग बुझाने और आग से प्रभावित लोगों के शीघ्र पुनर्वास हेतु कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस संबंध में अभी तक किए गए कार्य की प्रगति क्या है;

(ङ) झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स के पुनर्स्थापन हेतु स्वीकृत की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन हेतु किसी नई टाउनशिप की पहचान की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में अवैज्ञानिक खनन के कारण आग और धंसाव के मुद्दों को सरकार की जानकारी में लाया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। रानीगंज और झरिया के खनिज क्षेत्रों में आग और धंसाव की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत ने अगस्त, 2009 में एक मास्टर प्लान को अनुमोदित किया है।

इस मास्टर प्लान में 9773.84 करोड़ रु. (रानीगंज कोलफील्ड्स-2661.73 करोड़ रु. झरिया कोलफील्ड्स-7112.11 करोड़ रु.) के अनुमानित निवेश से 10/12 वर्षों की अवधि के दौरान

कार्यान्वयन के लिए क्रमशः आग की समस्याओं, धंसाव समस्याओं और अवसंरचना के डायवर्जन से निपटने के उपाय शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) और झारखण्ड में झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) जिसकी पहचान रानीगंज कोलफील्ड्स (आरपीएफ) से 33196 परिवारों और झरिया कोलफील्ड्स (जेसीएफ) से 79159 परिवारों का सुरक्षित क्षेत्रों पर पुनर्वास करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पहचान की गई है। मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार पुर्नवासित किए जाने वाले स्थलों के रूप में जेसीएफ में 595 स्थलों और आरसीएफ में 139 स्थलों की पहचान की गई है। इसके पश्चात आसीएफ में पुनर्स्थापित किए जाने वाले 2 स्थल और जोड़ दिए गए हैं जो कुल मिलाकर 141 हो गए हैं। आरसीएफ और जेसीएफ को मिलाकर मास्टर प्लान के संक्षिप्त मापदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जेसीएफ क्षेत्र में 595 स्थलों में जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार आरसीएफ क्षेत्र में 141 स्थलों में से 88 क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। झरिया कोलफील्ड्स में खतरनाक क्षेत्रों से बेलगोरिया टाउनशिफ में लोगों को स्थानांतरित करने के लिए 2352 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और 1132 परिवार पहले ही शिफ्ट हो गए हैं। बीसीसीएल ने कोयला मंत्रालय के अनुमोदन से 849.68 एकड़ भूमि गैर-कोयलाधारी क्षेत्र में और भुलीटाउनशिप की 86.44 एकड़ भूमि जेआरडीए को स्थानांतरित करने के लिए एनओसी जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित पुनर्वास के लिए 2 टाउनशिपों में 2214 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए एडीडीए के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ङ) मास्टर प्लान का अनुमोदित परिव्यय 9773.84 करोड़ रु. (रानीगंज कोलफील्ड्स-2661.73 करोड़ रु. झरिया कोलफील्ड्स-7112.11 करोड़ रु.) है। इस परिव्यय को 350 करोड़ रु. प्रतिवर्ष की सीमा तक कोल इंडिया लि. के आंतरिक संसाधनों के माध्यम से और शेष कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्टोईंग उत्पाद शुल्क के संग्रह से वित्त पोषित किए जाने का प्रस्ताव है। आज की तारीख तक एडीडीए को 160.64 करोड़ रु. और जेआरडीए को 111 करोड़ रु. की राशि रिलीज कर दी गई है।

(च) और (छ) मास्टर प्लान के अनुसार प्रभावित परिवारों को नए टाउनशिप में विस्थापित किया जाना है। अन्य क्षेत्रों के अलावा जेआरडीए द्वारा नए टाउनशिप के विकास के लिए बीसीसीएल से संबंधित भुलीटाउनशिप में झरिया कोलफील्ड्स में 86.44 एकड़ रिक्त भूमि और बेलगोरिया टाउनशिप के ईर्द-गिर्द 849.68 एकड़ भूमि की पहचान की गई है। इसके अलावा रानीगंज कोलफील्ड्स में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए नए टाउनशिपों की स्थापना के लिए 2 स्थलों अर्थात बोंजेमारी और गोरांडी की पहचान की गई है। उक्त के लिए कुल क्षेत्र 2214 एकड़ (896 हे.) अपेक्षित है। एडीडीए में इस प्रयोजनार्थ भूमि के अधिग्रहण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया था।

विवरण

झरिया एवं रानीगंज मास्टर प्लान से संबंधित प्रस्ताव का संक्षिप्त मापदंड निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मास्टर प्लान के विभिन्न घटकों का विवरण	आरसीएफ (ईसीएल) अप्रैल, 08	जेसीएफ (बीसीसीएल) (मार्च, 08)
1	2	3	4
ए	आग से निपटना		
1.	विद्यमान खानों की संख्या	7	67 (45 आग परियोजनाओं के अंतर्गत)
2.	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	40.28	2311.50
बी	पुनर्वास		
1.	पुनर्वासित किए जने वाले स्थलों की संख्या	139	595
2.	प्रभावित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में	8.62	25.69

1	2	3	4
3.	रिक्त/पुनर्वासित किए जाने वाले मकानों की संख्या		
(i)	बीसीसीएल (अधिवर्षिता को ध्यान में रखते हुए)		44155/25000*
(ii)	निजी (अधिकृत)		29444
(iii)	अतिक्रमणकर्ता (अनधिकृत)		23847
iv)	अन्य		868
	कुल संख्या	33196	98314/79159
	शामिल जनसंख्या	180263	395795
4	पुनर्वास के लिए अपेक्षित भूमि (हे.)	896.29	1504.99
5	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	2610.10	4780.60
सी	रेलवे लाइन/सड़क/ओसी पाइप लाइन का डायवर्जन	7 स्थल	20 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ आयोजना एवं सर्वेक्षण
1	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	11.35	20.00
डी	आग परियोजनाओं एवं बीसीसीएल/ईसीएल मकानों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी	ईसीएल	बीसीसीएल
ई	गैर-बीसीसीएल/ईसीएल मकानों-निजी एवं अतिक्रमणकारी के पुनर्वास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी	आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए), पश्चिम बंगाल सरकार	झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण (जेआरडीए) झारखंड सरकार
एफ	कार्यान्वयन कार्यक्रम, वर्ष	2 (बीसीसीएल के लिए कार्यान्वयन फेस से पूर्व + 10 (5-5 वर्ष के दो फेसों में)	
जी	आग परियोजनाओं, पुनर्वास एवं रेल/सड़क/पाइप लाइन आदि के लिए अनुमानित पूंजी आवश्यकता (करोड़ रु.)	2661.73	7112.11

विवरण II

मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए व्यय की वर्ष-वार चरणबद्धता निम्नानुसार होगी:

चरण	वर्ष	आरसीएफ (ईसीएल) (अप्रैल, 08)				जेसीएफ (बीसीसीएल) (मार्च, 08)			
		आग परियोजनाएं	पुनर्वास परिजोनाएं	रेल/सड़कों का डायवर्जन	कुल	आग परियोजनाएं	पुनर्वास परियोजनाएं	रेल/सड़कों का डायवर्जन	आग परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कार्या.-पूर्व	I					2.69	81.89	10.00	94.58
	II					2.24	81.90	10.00	94.14
						4.93	163.79	20.00	188.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पहली	8.056	293.21	2.269	303.54	191.52	448.66		640.18
	दूसरी	8.056	267.02	2.269	277.35	211.51	509.75		721.26
I	तीसरी	8.056	293.74	2.269	304.06	267.76	509.75		777.51
	चौथी	8.056	288.02	2.269	298.35	216.36	515.05		731.41
	पांचवीं	8.056	282.85	2.269	293.17	214.04	515.05		729.09
चरण II		40.28	1424.84	11.35	1476.47	1101.19	2498.26		3599.45
	छठी	-	232.49	-	232.46	262.68	423.71		686.39
	सातवीं	-	239.26	-	239.26	259.11	423.71		682.82
	आठवीं	-	241.15	-	241.15	250.67	423.71		674.38
	नौवीं	-	239.29	-	239.29	252.43	423.71		676.14
	दसवीं	-	233.10	-	233.10	180.50	423.71		604.21
चरण II		-	1185.26	-	1185.26	1205.39	2118.55		3323.94
कुल		40.28	2610.10	11.35	2661.73	2311.51	4780.60	20.00	7112.11
सकल योग		9773.84							

इंटरनेट/ब्रॉडबैंड की पहुंच

*11 **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
श्री महेश जोशी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड की कितनी पहुंच है;

(ख) क्या विकासशील देशों में भारत में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सबसे कम पहुंच है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक आज तक राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और प्राप्त किए गए हैं तथा लक्ष्य कम प्राप्त किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या (13.81 मिलियन ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं सहित) 22.86 मिलियन है। इसके अतिरिक्त, लगभग 448.89 मिलियन बेतार उपभोक्ताओं ने डाटा सेवाओं के लिए भुगतान किया है।

(ख) दिसंबर, 2010 के अंत तक 20 देशों में सिथर ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) इंटरनेट/ब्रॉडबैंड की वृद्धि में रुकावट डालने वाली प्रमुख बाधाएं निम्नानुसार हैं-

(i) गैर-लाभकारी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार के लिए निजी प्रचालकों में रुची की कमी।

(ii) मार्गाधिकार संबंधी अनापत्ति से जुड़े मुद्दों और मार्गाधिकार प्रभारों की ऊंची लागत के कारण ओएफसी नेटवर्क बिछाने में कठिनाई।

(iii) उच्च बैकहॉल लागत

(iv) पीसी की कम पहुंच

(v) ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई) की उच्च लागत

(vi) कम साक्षरता स्तर

(vii) स्थानीय सामग्री की कमी

(viii) खराब विद्युत आपूर्ति

(घ) ब्राडबैंड नीति 2004 में दिए गए विवरण के अनुसार देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं से संबंधित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष के अंत में	इंटरनेट उपभोक्ता		ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	
	लक्ष्य	उपलब्धि (वायरलाइन उपभोक्ता)	लक्ष्य	उपलब्धि (वायरलाइन उपभोक्ता)
2005	6 मिलियन	6.70 मिलियन	3 मिलियन	0.903 मिलियन
2007	18 मिलियन	10.36 मिलियन	9 मिलियन	3.13 मिलियन
2010	40 मिलियन	18.69 मिलियन	20 मिलियन	10.99 मिलियन

दिनांक 30.6.2012 की स्थिति के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रदान किए गए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने और ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी प्रदान करने और ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के प्रसार में वृद्धि करने के लिए दिनांक 25 अक्तूबर, 2011 को राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन के लिए स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए मौजूदा आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का पंचायतों तक विस्तार करना है। इस परियोजना को 2 वर्षों में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के प्रसार में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें चलाई हैं:

1. ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड का प्रसार बढ़ाने के लिए ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड 5 वर्षों की अवधि में व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थानों को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा। दिनांक 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार कुल 3,75,648 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

2. (i) "असम में अंतर-जिला उपमंडलीय मुख्यालय (एसडीएचक्यू) जिला मुख्यालय (डीएचक्यू) ओ.एफ.सी. नेटवर्क का आप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन"

यह आप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम दिनांक 12.2.2010 से 18 महीनों की अवधि के भीतर असम के 27 जिलों में 354 अवस्थानों को कनेक्ट करेगी। फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार 177 नोड संस्थापित किए गए हैं।

(ii) "पूर्वोत्तर-I परिमंडल में अंतर जिला उपमंडलीय मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओ.एफ.सी. नेटवर्क (मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों को शामिल करते हुए) के आप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन।"

इस स्कीम के अंतर्गत मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को आप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन के लिए लिया गया है। यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 24 माह की अवधि के भीतर 19 जिलों में 188 अवस्थानों को कनेक्ट करेगी।

(iii) "पूर्वोत्तर-I परिमंडल में अंतर जिला उपमंडलीय मुख्यालय-जिला मुख्यालय ओ.एफ.सी. नेटवर्क (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों को शामिल करते हुए) के आप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन।"

इस स्कीम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों को ओएफसी संवर्द्धन के लिए लिया गया है। यह ओएफसी स्कीम करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 महीनों की अवधि के भीतर 30 जिलों में 407 अवस्थानों को कनेक्ट करेगी।

विवरण I

दिसंबर, 2010 के अंत में शीर्ष 20 देशों के स्थिर ब्रॉडबैंड ग्राहक जो आईटीयू वेबवाइट पर उपलब्ध है

क्र.सं.	देश	ग्राहकों की संख्या
1	2	3
1.	चीन	126,337,000
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका	85,723,155

1	2	3	1	2	3
3.	जापान	34,044,729	12.	भारत	10,990,000
4.	जर्मनी	26,089,800	13.	स्पेन	10,534,492
5.	फ्रांस	21,345,000	14.	कनाडा	10,138,741
6.	यूनाइटेड किंगडम	19,579,823	15.	टर्की	7,079,792
7.	कोरिया (गणराज्य)	17,193,570	16.	नीदरलैंड	6,330,000
8.	रूस	15,700,000	17.	आस्ट्रेलिया	5,385,000
9.	ब्राजील	13,266,310	18.	ताईवान, चीन का प्रदेश	5,265,026
10.	इटली	13,259,398	19.	पोलैण्ड	4,960,528
11.	मेक्सिको	11,325,022	20.	अर्जेंटीना	3,862,354

स्रोत: www.itu.int

विवरण II

क्र.सं.	सर्किल	बीएसएनएल के कुल ब्रॉडबैंड कनेक्शन		
		शहरी 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार सकल जोड़	ग्रामीण 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार सकल जोड़	कुल 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार सकल जोड़
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,916	1348	6,264
2.	आंध्र प्रदेश	8,45,985	110671	9,56,656
3.	असम	79,933	7579	87,512
4.	बिहार	93,962	5846	99,808
5.	छत्तीसगढ़	86,168	5479	91,647
6.	चंडीगढ़	5,78,280	35089	6,13,369
7.	गुजरात	5,48,458	56781	6,05,239
8.	हरियाणा	2,54,599	26641	2,81,240
9.	हिमाचल प्रदेश	68,871	13612	82,483
10.	जम्मू और कश्मीर	61,809	5980	67,789
11.	झारखंड	90,819	3833	94,652
12.	कर्नाटक	9,78,107	58376	10,36,483

1	2	3	4	5
13.	केरल	5,61,750	317665	8,79,415
14.	कोलकाता	3,55,922	354	3,56,276
15.	मध्य प्रदेश	2,97,101	11635	3,08,736
16.	महाराष्ट्र	8,11,347	73425	8,84,772
17.	पूर्वोत्तर-I	33,371	1651	35,022
18.	पूर्वोत्तर-II	16,962	1655	18,617
19.	ओडिशा	1,59,678	19433	1,79,111
20.	पंजाब	4,46,090	81620	5,27,710
21.	राजस्थान	3,91,139	29776	4,20,915
22.	तमिलनाडु	7,15,168	95275	8,10,443
23.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3,07,184	23034	3,30,218
24.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2,16,196	9443	2,25,639
25.	उत्तराखंड	83,136	4984	88,120
26.	पश्चिम बंगाल	1,30,923	21007	1,51,930
	कुल	82,17,874	1022192	92,40,066

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें

***12. श्री भूपेन्द्र सिंह:**
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के कथित रूप से भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कुप्रबंधन के अन्य मामलों में संलिप्त होने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 30 जून, 2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध कथित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की लंबित शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) राज्यवार कितने अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं तथा अनुमति प्राप्त न होने के कारण कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई लंबित है; और

(ङ) अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है तथा सरकार का प्रयास समय-समय पर अपने भ्रष्टाचार निरोधी कानूनी एवं अन्य तंत्रों को सुदृढ़ करना रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भ्रष्टाचारी को प्रभावी रूप से एवं शीघ्रतापूर्वक सजा दी जा सके। भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, केन्द्र सरकार ने हाल के समय में संसद में अनेक विधेयकों को पुरःस्थापित किया है। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011

(ii) भण्डाफोड़ संरक्षा विधेयक, 2011; पदाधिकारी

(iii) विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक 2011; तथा

(iv) समयबद्ध समान एवं सेवा सौंपने के लिए नागरिक अधिकार तथा शिकायत निवारण विधेयक, 2011

(ग) अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में तैनात किया जाता है तथा इन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राज्य सरकार, राज्यपाल, संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी, आदि के पास दर्ज किया जा सकता है तथा ऐसे आंकड़ों को केन्द्रीय कृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) सीबीआई द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.06.2012 तक की स्थिति के अनुसार 10 मामलों में अखिल भारतीय सेवाओं (अर्थात आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएफ) के 16 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी लंबित है। राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य	मामलों की संख्या
असम	1
झारखण्ड	1
संघ शासित क्षेत्र/एजीएमयू	2
आंध्र प्रदेश	3
कर्नाटक	1
महाराष्ट्र	1
पश्चिम बंगाल	1
कुल	10

(ङ) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 18.12.1997 के अपने निर्णय द्वारा निदेश दिया था कि "अभियोजन की मंजूरी प्रदान करने के लिए तीन माह की समय-सीमा का सख्ती से अवश्य पालन किया जाए। तथापि, वहां अतिरिक्त एक माह के समय की अनुमति दी जा सकती है जहां महान्यायवादी के कार्यालय में महान्यायवादी (एजी) या किसी विधि अधिकारी से परामर्श अपेक्षित होता है।" कभी-कभी इस समय-सीमा का पालन करना संभव नहीं होता है। अभियोजन की मंजूरी देने में होने वाला विलंब अधिकांशत: विशाल केस रिकार्डों एवं साक्ष्य की विस्तृत जांच एवं विश्लेषण, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करने तथा कभी-कभी संगत दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण होता है।

तथापि, अभियोजना की मंजूरी प्रदान करने में होने वाली विलंब को रोकने के लिए, का. एवं प्र.वि. ने लोक सेवकों के अभियोजन के लिए सीबीआई से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक चरण में निश्चित समय सीमा प्रदान करने के लिए अपने का.ज्ञा. सं. 393/33/2006-ए.वी.डी.-III दिनांक 06.11.2006, इसके पश्चात दिनांक 20.12.2006 के अन्य का.ज्ञा. द्वारा पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

भ्रष्टाचार से निपटने में मंत्रियों के समूह ने, अपनी प्रथम रिपोर्ट में, अभियोजन मामलों की मंजूरी के तीव्र निपटान के लिए कुछ संस्तुतियां दी थीं जिनमें सम्मिलित था-3 माह के भीतर ऐसे मामलों पर निर्णय करना; मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर ऐसे मामलों की निगरानी करना तथा मंत्रिमंडल सचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा मंजूरी प्रदान करने में इंकार करने की स्थिति में, सूचना के लिए 7 दिनों के भीतर अगली उच्चतर प्राधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। (जहां सक्षम प्राधिकारी मंत्री हो वहां ऐसी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाए)। मंत्रियों के समूह की उक्त संस्तुति को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा दिनांक 03.05.2012 को सरकार ने अनुदेश जारी कर दिए हैं।

पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का सर्वेक्षण

***13 श्री भूदेव चौधरी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने निर्धनता का आकलन करने हेतु पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) इस संबंध में निर्धनता का स्तर निर्धारित करने हेतु क्या मानदंड हैं; और

(घ) तेजी से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के अनुरूप निर्धनता के स्तर को पुनर्परिभाषित करने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा निर्धनता का स्तर किस सीमा पर निर्धारित किया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। योजना आयोग गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए

परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर लगाता है। ये सर्वेक्षण पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों सहित प्रतिदर्श आधार पद देश के सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में कराए जाते हैं।

(ग) योजना आयोग गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय (एमपीसीई) के आधार पर परिभाषित करता है। गरीबी अनुमान हेतु कार्यप्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की गई है। प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अखिल भारत स्तर पर 2004-05 में गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 447 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 579 रुपये के एमपीसीई के रूप में संगणित किया है। परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी बृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्ष पर कराए जाते हैं। वर्ष 2004-05 के पश्चात् यह सर्वेक्षण 2009-10 में कराया गया है। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन किया है जिसमें परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के एनएसएस के 66वें दौर (2009-10) के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है तथा 19 मार्च, 2012 को वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी अनुमान जारी किया गया है। इसके अनुसार अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा एमपीसीई के रूप में वर्ष 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रुपये अनुमानित की गई है जो 2009-10 की कीमतों पर पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3,365 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 4,300 रु. के मासिक उपभोग व्यय के बराबर है।

(घ) योजना आयोग ने जून, 2012 में "गरीबी मापने हेतु कार्यप्रणाली की समीक्षा" करने के लिए डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह समिति गरीबी मापने हेतु कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश करेगी कि गरीबी रेखा को भारत सरकार के अंतर्गत स्कीमों एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता एवं हकदारी से कैसे जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

***14. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों की अधिक आबादी वाले खंडों में शिक्षा का स्तर सुधारने हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों में भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले जिलों के बारे में, कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलना, वर्तमान स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों आदि जैसे बालोन्मुखी लाभों का प्रावधान करना शामिल है।

(ग) से (ङ) सरकार ने देश के 571 जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईईटी) की मंजूरी पहले ही दे दी है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल जिले शामिल हैं। इसके अलावा, अध्यापक शिक्षा योजना के तहत सरकार ने प्रारंभिक सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल जिलों में ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थानों (बीआईटीई) की स्थापना लिए अनुमेदन प्रदान किया है। बीआईईटीई की स्थापना के बारे में कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना के लिए वर्ष 2012-13 का वार्षिक बजट प्रावधान 500 करोड़ रुपए है।

विवरण

राज्य-वार बीआईटीई की स्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	11
2.	असम	14
3.	बिहार	8
4.	छत्तीसगढ़	6
5.	गुजरात	4

1	2	3
6.	हरियाणा	4
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू और कश्मीर	2
9.	झारखंड	8
10.	कर्नाटक	3
11.	केरल	1
12.	मध्य प्रदेश	6
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणिपुर	6
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	8
17.	नागालैंड	8
18.	ओडिशा	7
19.	पंजाब	12
20.	राजस्थान	4
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	7
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	36
25.	उत्तराखंड	3
26.	पश्चिम बंगाल	14
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
28.	दिल्ली	1

[हिन्दी]

रुपये का मूल्य

*15 **श्री कामेश्वर बैठा:**
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंपनियाँ भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण विदेशी व्यापार में दबाव का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय रुपये के डॉलर के मुकाबले स्थिर न रहने के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इनका क्या प्रभाव रहा है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण कीमतों में वृद्धि पर हो रहे प्रभाव का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय कंपनियों पर विनिमय दर अवमूल्यन का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें विनिमय दर और निर्यातों तथा आयातों का लचीलापन शामिल है। सैद्धांतिक रूप से, मुद्रा के अवमूल्यन से देश के निर्यात को बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि घरेलू कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ती हो जाती हैं: अतएव रुपये के अवमूल्यन से निर्यातोन्मुखी कंपनियों को लाभ मिलना चाहिए लेकिन इससे आयातोन्मुखी कंपनियों का आयात महंगा हो जाता है। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में, विनिमय दर अवमूल्यन भारतीय कंपनियों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वैश्विक और घरेलू मांग में कमी के अन्य कारक हैं।

अमरीकी डालर के मुकाबले, रुपये के मूल्ये में गिरावट का कारण घरेलू विदेशी विनिमय बाजार में आपूर्ति-मांग में असंतुलन होना है। ऐसा व्यापार और चालू खाता घाटा बढ़ने, यूरो जोन संकट बढ़ जाने के कारण पोर्टफोलियो प्रवाह में कमी तथा अमरीकी कोषागारों की सुरक्षित एवं सुखद स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर के मजबूत होने के कारण हैं।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी अंतर्वाह को आसान बनाने, रुपये की विनिमय दर में गिरावट को रोकने हेतु विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल में किए गए इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल है: ऋण प्रतिभूतियों (कारपोरेट और सरकारों दोनों प्रतिभूतियों में) में एफआईआई निवेश में बढ़ोत्तरी, 3-5 वर्ष की परिपक्वता के बीच विदेशी क्षेत्र उधरों (ईसीबी), के लिए ऑल-इन-कॉस्ट सीमा को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा राशियों के लिए अधिक ब्याज दर सीमा, रुपया मूल्य-वर्धित अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियमन। विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र की कंपनियां अब

पूंजीगत ब्याज के संबंध में बकाया रुपया ऋण की अदायगी हेतु 10 बिलियन अमरीकी डालर की उच्चतम सीमा तक विदेशी क्षेत्र उधारों का लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा, विदेशी व्यापार नीति 2009-14 की पूरक वार्षिक व्यवस्था 2012-13 के अंतर्गत, सरकार ने 2012-13 में निर्यातों को लगभग 360 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के प्रयासों की घोषणा की है।

परिणामस्वरूप, रुपये की विनिमय दर जो 27 जून, 2012 को 57.2 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर पर सर्वकालीन न्यूनतम स्तर पर थी सुधरकर 31 जुलाई, 2012 को 55.8 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर पर आ गई।

(घ) रुपये की विनिमय दर मूल्य के अवमूल्यन से आयात अधिक महंगा हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ उच्चतर लागत उपभोक्ताओं पर डाल दी जाती है, इससे स्फीतिकारी दबाव बढ़ने लगते हैं और सामान्यतया कीमतों में भी वृद्धि होती है। हालांकि, महंगाई पर विनिमय दर के घट-बढ़ के प्रभाव का स्पष्ट आंकलन करना संभव नहीं है। सरकार ने महंगाई को काबू में रखने के लिए अनेक राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाल के महीनों में महंगाई घटकर लगभग 7-7.5 प्रतिशत रह गई है।

[अनुवाद]

एनसीईआरटी की पुस्तकों की समीक्षा

***16. श्री प्रदीप माझी:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षणिक रूप से अनुचित सामग्री की पहचान के मद्देनजर एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को एनसीईआरटी की पुस्तकों में कतिपय कार्टूनों के प्रकाशन/उन्हें हटाए जाने के संबंध में गठित उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने प्रो.एस. के. थोराट, अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की अध्यक्षता में निम्नलिखित विचारार्थ विषयों हेतु छह सदस्यीय एक समिति का गठन किया था:-

1. शैक्षणिक रूप से अनुचित सामग्री की पहचान करने की दृष्टि से कक्षा IX से कक्षा XII तक की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान/राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकों की समीक्षा करना।

2. पाठ्यपुस्कों में प्रतिस्थापित किए जाने वाले विकल्पों के लिए सुझाव देना ताकि संबंधित प्रशिक्षुओं को सामग्री तत्काल उपलब्ध करायी जा सके।

(घ) और (ङ) थोराट समिति ने अपनी रिपोर्ट एनसीईआरटी को प्रस्तुत कर दी है। इसने चार पाठ्यपुस्तकों, नामतः "डेमोक्रैटिक पॉलिटिक्स II- कक्षा XI" तथा "पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इन्डिपेंडेंस-कक्षा XII" में कुछ परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा समिति ने पुस्तकों की सामान्य समीक्षा के समय पर विचार किए जाने हेतु कुछेक सामान्य सिफारिशें भी की हैं।

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने, मुद्रित करने और वितरण करने के मामले में पूर्ण शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त है। थोराट समिति की सिफारिशों की एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित सांस्थानिक प्रक्रिया द्वारा जांच की जा रही है तथा अंतिम निर्णय शीघ्र होने की आशा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों के रिक्त पद

***17. श्री बिभू प्रसाद तराई:**
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में अध्यापकों के रिक्त पदों का बैकलॉग है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय-वार भरे नहीं गए रिक्त पदों के ब्यौरे सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की रिक्त पदों को रोस्टर-वार भरने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) XIIवीं योजना अवधि में विस्तार और विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता में वृद्धि को देखते हुए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त शिक्षण पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों को भरने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के साथ-साथ अपनी-अपनी संविधियों और अध्यादेशों के तद्नुरूप किया जाता है। रिक्तियों को भरे जाने की अंतर्निहित प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भरी न गई रिक्तियों के बारे में उपलब्ध कराए गए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रालय ने वर्ष 2008 से पूर्व स्थापित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पिछली बकाया रिक्तयों को भरने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए लिखा है। इन संस्थानों को रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए लिखा है। इन संस्थानों को रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित रूप से स्मरण कराया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को लिखा है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पिछली बकाया अभिज्ञात रिक्तियों को भरने और उनके अपेक्षित रिकॉर्ड के रखरखाव अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को लिखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2011-12 के बजट अनुमानों को अनुमोदित करते हुए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को रिक्त पदों को शथाशीघ्र भरने के निदेश दिए थे। इसके पश्चात, जनवरी, 2012 और पुनः मार्च 2012 में भी उन्हें पत्र लिखे गए हैं।

सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दाखिला देने पर बल देती है। ताकि उन संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें खाली न रह जाएं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित शिक्षण पदों को भरने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन अभ्यर्थियों को अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों के साथ-साथ उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिकरक कोचिंग के वास्ते निधियां मुहैया कराता है। सरकार स्नातकोत्तर, डाक्टरल तथा पोस्ट-डाक्टरल डिग्रियों के लिए उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करती है। यह देखा गया है कि हाल ही में नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों के रिक्त पद

क्र.सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत संख्या	अनुसूचित जातियों का ब्यौरा			अनुसूचित जनजाति का ब्यौरा		
			स्वीकृत	भरे गए	भरे न गए पद	स्वीकृत	भरे गए	भरे न गए पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1887	283	1	282	142	0	142
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	2416	362	115	247	181	30	151
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1702	255	44	211	128	14	114
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	542	81	29	52	41	11	30
5.	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय	824	124	58	66	62	17	45
6.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	727	109	24	85	55	9	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय	460	69	50	19	35	17	18
8.	विश्व भारती	714	107	77	30	54	30	24
9.	बाबसाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	130	20	14	6	10	4	6
10.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	79	12	10	2	6	2	4
11.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	284	43	21	22	21	9	12
12.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	236	35	26	9	18	16	2
13.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	852	128	22	106	64	2	62
14.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	228	34	4	30	17	2	15
15.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	406	61	6	55	30	19	11
16.	असम विश्वविद्यालय	325	49	35	14	24	14	10
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय	243	36	20	16	18	8	10
18.	नागालैंड विश्वविद्यालय	249	37	12	25	19	98	.
19.	मिजोरम विश्वविद्यालय	337	51	26	25	25	132	.
20.	मणिपुर विश्वविद्यालय	266	40	5	35	20	4	16
21.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	157	24	1	23	12	24	.
22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	216	32	14	18	16	13	3
23.	सिक्किम विश्वविद्यालय	201	30	5	25	15	9	6
24.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	1	20	11	1	10
25.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	19	2	11	10	1
26.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	2	19	11	0	11
27.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	3	18	11	0	11
28.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	21	3	0	3	2	0	2
29.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	0	21	11	0	11
30.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	6	15	11	2	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	1	20	11	0	11
32.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	2	19	11	1	10
33.	ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	2	19	11	1	10
34.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	0	21	11	0	11
35.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	1	20	11	1	10
36.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	140	21	0	21	11	0	11
37.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय	329	49	14	35	25	3	22
38.	गुरू घासीघाट विश्वविद्यालय	329	49	24	25	25	13	12
39.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	468	70	11	59	35	0	35
40.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	461	67	28	39	33	13	20

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

***18. श्री नीरज शेखर:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 2004 से 2009 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी कंपनियों को आबंटित 155 कोयला ब्लॉकों के आबंटन और उपयोग में कथित अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में कोई मामला अथवा एफआईआर दर्ज की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कोयला ब्लॉकों के आवंटन और उपयोग में कथित अनियमितताओं संबंधी फाइलें मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जैसाकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सूचना दी गई है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 2006-09 की अवधि के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा आबंटित कोयला ब्लाकों के आबंटन की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

(ग) से (ङ) सीबीआई ने उन कंपनियों जिन्हें केप्टिव कोयला ब्लाकों का आबंटन किया गया है, के विरुद्ध तथा कोयला मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच 01.06. 2012 को दर्ज की है।

(च) और (छ) अपेक्षित फाइलें/दस्तावेज जो उपलब्ध हैं, समय-समय पर सीबीआई को सौंपे गए हैं।

फोरेक्स डेरीवेटिव कान्ट्रेक्ट्स

***19. श्री मनीष तिवारी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 2008 से 1 जुलाई, 2012 के बीच वार्षिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत और भारतीय बैंकों द्वारा निष्पादित विदेशी विनिमय डेरीवेटिक कान्ट्रेक्ट्स का कुल मूल्य कितना है;

(ख) 1 अप्रैल, 2008 से 1 जुलाई, 2012 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य सांविधिक अभिकरण द्वारा फोरेक्स डेरीवेटिव कान्ट्रेक्ट्स से भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों को वार्षिक रूप से कितना घाटा हुआ;

(ग) 1 अप्रैल, 2008 से 1 जुलाई, 2012 के बीच डॉलर के मुकाबले रूपए की विनिमय दर में मासिक आधार पर औसतन कितना उतार-चढ़ाव रहा;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंकों ने फोरेक्स डेरीवेटिव कान्ट्रक्ट्स के कारण 22 बैंकों को हुए बाजार घाटे का मात्र 31,719 करोड़ रूपए का ही अनुमान लगया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कोरेक्स डेरीवेटिव्स व्यापार संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक 'फेमा' के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 अप्रैल, 2011 के आदेश के तहत दोषी पाए गए बैंकों और उन पर लगाई गई शास्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विशेषकर वस्त्र और भेषज क्षेत्रों में अनेक एसएमई एककों के भारी घाटे को देखते हुए नाममात्र की शास्ति लगाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी लेन-देनों का संचालन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) प्रयोक्ताओं द्वारा किए जाने वाले विदेशी मुद्रा डेरीवेटिव लेन-देन, जिन प्रयोजन के लिए ऐसे लेन-देन किए जा सकते हैं और ऐसे लेन-देन के लिए जिन-जिन दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकता है उनके प्रकार का निर्धारण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी संविदाओं के लिए कोई विशिष्ट अनुमोदन नहीं देता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने फोरेक्स डेरीवेटिव कान्ट्रैक्ट्स के कारण भारतीय कंपनियों तथा व्यक्तियों को हुए घाटे का आकलन नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसे घाटे की मात्रा बताने के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं।

(ग) भारतीय रुपए की विनिमय दर विदेशी मुद्रा की आपूर्ति तथा मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है। अप्रैल 2008 से जुलाई 2012 के बीच ऐसे उतार-चढ़ाव को दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि उसके पास विदेशी विनिमय डेरीवेटिव व्यापार के अनुमानित घाटे के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है। तथापि, दिसम्बर 2008 के लिए ग्राहकों के बारे में 'मार्क्स टु मार्केट' (एमटीएम) स्थिति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 बैंकों से एकत्रित अलग-अलग आंकड़ों के अनुसार, यह आंकड़ा 31,719 करोड़ रुपए था। इसे अनुमानित घाटा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एमटीएम मूलतः लेखा अवधारणा है, जिसके अंतर्गत सभी बकाया वित्तीय संविदाओं को उचित मूल्य पर मार्केट में भेजा जाता है। अतः एमटीएम मूल्य गतिशील स्वरूप का है और बाजार की गतिविधियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन होता है तथा यह गतिशील स्वरूप का है और बाजार की गतिविधियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन होता है तथा यह डेरीवेटिव संविदाओं की स्थानापन लागत (रिप्लेसमेंट कॉस्ट) को व्यक्त करता है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 19.04.2011 के अपने आदेश के द्वारा आरबीआई/फेमा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए किसी बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 क के तहत 26 अप्रैल, 2011 को संलग्न विवरण-II के अनुसार 19 बैंकों पर जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना, डेरीवेटिव के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया था, जैसे उत्पादों की उपयुक्तता के बारे में समुचित सावधानी न बरतना, उन प्रयोक्ताओं को डेरीवेटिव उत्पाद बेचना जिनके पास जोखिम प्रबंधन नीति नहीं है, आदि।

(च) दण्डात्मक कार्रवाई को युक्तिसंगत बनाने के लिए 19 बैंकों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया था। यह वर्गीकरण कार्यवाहियों के दौरान सिद्ध गंभीर उल्लंघनों की संख्या के आधार पर किया गया था। 19 बैंकों में से उन छह बैंकों पर 15 लाख रुपए प्रति बैंक जुर्माना लगाया गया था जिन्होंने पांच या इससे अधिक ऐसे उल्लंघन किए थे। जिन आठ बैंकों ने पांच से कम परन्तु दो से अधिक ऐसे उल्लंघन किए, उन पर प्रति बैंक 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया और जिन पांच बैंकों ने ऐसे दो उल्लंघन किए, उप पर प्रति बैंक 5,00 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था।

विवरण I

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित यूएस डॉलर-भारतीय रुपया दैनिक संदर्भ दर के आधार 1 अप्रैल, 2008 से 1 जुलाई, 2012 के बीच डॉलर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में औसत उतार-चढ़ाव

माह	यूएस डॉलर की तुलना में रुपए का मासिक उतार-चढ़ाव (+) वृद्धि/(-) कमी
1	2
मार्च-08	+0.82%
मई-08	-4.98%

1	2
जून-08	-1.62%
जुलाई-08	-0.04%
अगस्त-08	+0.24%
सितम्बर-08	+5.76%
अक्तूबर-08	+6.33%
नवम्बर-08	+0.74%
दिसम्बर-08	0.74%
जनवरी-09	+0.39%
फरवरी-09	+0.79%
मार्च-09	+3.92%
अप्रैल-09	+2.34%
मई-09	+3.15%
जून-09	+1.59%
जुलाई-09	+1.45%
अगस्त-09	+0.29%
सितम्बर-09	+0.21%
अक्तूबर-09	+3.68%
नवम्बर-09	+0.33%
दिसम्बर-09	+0.13%
जनवरी-10	+1.45%
फरवरी-10	+0.78%
मार्च-10	+1.82%
अप्रैल-10	+2.25%
मई-10	+2.85%
जून-10	+1.63%
जुलाई10	+0.58%
अगस्त-10	+0.58%
सितम्बर-10	+1.10%
अक्तूबर-10	+3.71%
नवम्बर-10	+1.34%
दिसम्बर-10	+0.32%
जनवरी-11	+0.52%
फरवरी-11	+0.09%
मार्च-11	-0.99%
अप्रैल-11	+1.40%
मई-11	+1.20%
जून-11	-0.12%
जुलाई-11	+0.98%
अगस्त-11	+1.91%
सितम्बर-11	+4.95%
अक्तूबर-11	+3.29%
नवम्बर-11	+3.12%
दिसम्बर-11	+3.46%
जनवरी-12	+2.57%
फरवरी-12	+4.44%
मार्च-12	-2.30%
अप्रैल-12	-2.86%
मई-12	-4.90%
जुलाई-12	-2.78%

विवरण II

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों पर लगाया गया जुर्माना

(लाख रुपए में)

बैंक का नाम	जुर्माना
1	2
1. ऐक्सिस बैंक लि.	15.00
2. बारक्लेज बैंक पीएलजी	15.00

1		2
3.	एचडीएफसी बैंक लि.	15.00
4.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	15.00
5.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	15.00
6.	एस बैंक लि.	15.00
7.	बीएनपी पारीबास	10.00
8.	सिटी बैंक एनए	10.00
9.	क्रेडिट एग्रीकोल-सीआईबी	10.00
10.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	10.00
11.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	10.00
12.	रायल बैंक आफ स्काटलैंड	10.00
13.	स्टैंण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	10.00
14.	भारतीय स्टेट बैंक	10.00
15.	बैंक आफ अमेरिका एनए	5.00
16.	डीबीएस बैंक लि.	5.00
17.	एयूश बैंक एजी	5.00
18.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	5.00
19.	जेपी मारेगन चेस बैंक एनए	5.00

[हिन्दी]

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

***20 डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने हेतु कुछ और सेवाओं की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संबंध में बैंकों द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋणों की मौजूदा निर्धारित प्रतिशतता को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20.07.2012 को अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी दिशानिर्देशों में शामिल क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-II, III और IV में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को चरणबद्ध तरीके से पीएसएल लक्ष्य हासिल करने के लिए घरेलू बैंकों के समकक्ष लाया गया है। इससे देश के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार के प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा सतत आधार पर पीएसएल लक्ष्यों की निगरानी की जाती है। बैंकों को, समय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में उनकी कमी को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) में जमा करना होता है।

विवरण I

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संशोधित दिशानिर्देश में शामिल गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ब्यौरा

- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत समग्र लक्ष्य को 40 प्रतिशत बनाए रखा जाए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि उधार दोनों के अंतर्गत लक्ष्यों को क्रमशः समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.5 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।
- संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में शामिल किया गया है।

- सूक्ष्म और लघु सेवा उद्यमों को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण और सूक्ष्म तथा लघु विनिर्माण उद्यमों को सभी ऋण।
- आवास हेतु 10 लाख से उपर की आबादी वाले महानगरीय केन्द्रों में 25 लाख रुपए तक और अन्य केन्द्रों में 15 लाख रुपए तक के ऋण।
- खाद्य और कृषि प्रोसेसिंग इकाईयों को ऋण।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित शिक्षा के प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति को भारत में शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक और विदेश में शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक के ऋण।
- केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के समूहों के लिए आवास परियोजना ऋण बशर्ते लागत प्रति आवास 5 लाख रुपए से अधिक न हो।
- गैर-संस्थानिक उधारदाताओं से लिए गए ऋण से विपदाग्रस्त किसानों को ऋण।
- नो फ्रिल्स खातों को 50,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाओं को ऋण।
- घरों के लिए ऑफ-ग्रीड सोलर और अन्य ऑफ-ग्रीड नवीकरण ऊर्जा समाधान के लिए एकल व्यक्तियों को ऋण।
- किसानों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को गैर-संस्थानिक उधारदाताओं से लिए ऋणों की पूर्व चुकौती के लिए 50,000 रुपए तक की राशि के ऋण।
- 1 अप्रैल 2013 से शुरु करते हुए अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के भीतर एक चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों के लिए देश में 20 अथवा उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंको को घरेलू बैंकों के समरूप लाया जाएगा।
- 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को 32 प्रतिशत समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य के भीतर अन्य कोई सह-लक्ष्य नहीं होगा।
- प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस), कृषक सेवा समितियां (एफएसएस) और बड़े आकार वाली आदिवासी बहु-उद्देश्यीय सहकारी समिति (एलएमपीएस) को बैंक ऋण देना जो ऐसे बैंकों द्वारा चलाई जाती है अथवा प्रबंधित/नियंत्रित की जाती है और जिसका उपयोग आगे चलकर कृषि और सहबद्ध क्रियाकलापों के लिए किसानों को उधार देने के लिए होता है, को प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है।

विवरण II

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्राप्ति

क्र.सं.	बैंक का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार							
		2009		2010		2011		2012*	
		बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	इलाहाबाद बैंक	20.040	40.3	24279	41.3	30763.73	42.96	35506.14	39.11
2.	आन्ध्रा बैंक	14.955	43.3	18323	41.2	21885.27	38.54	26497.63	36.56
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	39.239	46.4	48552	44.4	57363.6	43.57	68527.36	43.37
4.	बैंक ऑफ इंडिया	41.317	46.7	52125	46.4	60035.3	45.61	57728.88	35.76
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11.933	40.1	14017	40.3	15680.32	38.69	17284.09	36.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	केनरा बैंक	48.763	46.0	593.10	43.9	70757	44.08	67382.53	33.45
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	28.453	38.7	35161	40.9	40074.7	37.75	39251.19	29.90
8.	कार्पोरेशन बैंक	15.752	40.2	19805	40.8	20307.55	32.13	28313.32	32.60
9.	देना बैंक	9.715	41.6	11718	40.2	15149ण66	42.41	17223.44	38.70
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	22.738	27.5	29548	28.4	40437.71	29.46	49087.31	31.50
11.	इंडियन बैंक	18157	47.5	21433	43.9	25572.79	42.99	29769.88	41.18
12.	इंडियन ओवरसीज बैंक	23719	41.6	26566	39.6	32648.15	44.47	41354.78	40.08
13.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	22230	40.7	28511	41.6	34469.73	41.29	40269.67	41.99
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	7.388	40.1	10754	43.5	13248.74	40.46	13052.39	30.96
15.	पंजाब नेशनल बैंक	50.136	41.5	61907	40.6	73764.91	40.67	93757.46	40.70
16.	सिंडिकेट बैंक	27.445	46.8	32713	45.9	36605.73	46.21	41201.69	45.01
17.	युको बैंक	24.607	49.4	26880	54	27963.47	38.76	27709.32	32.85
18.	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	35.747	47.7	43064	44.4	49128.3	41.89	41633.53	29.37
19.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	11.652	41.4	14396	40.3	17751.13	41.52	21738.45	40.31
20.	विजया बैंक	13.450	42.0	14553	40.6	14670.99	34.99	17371.63	35.23
21.	भारतीय स्टेट बैंक	160.892	42.5	188164	40.7	238809	42.04	259450.37	39.07
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	11.122	43.9	13277	44.1	14855.1	41.77	17272.72	41.38
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	14.496	40.2	18333	41.6	27477.92	51.50	26559.84	40.59
24.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	10.052	54.8	10183	46.8	भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलयित			
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसुर	8.370	39.3	8927	34.5	12105.82	40.51	11446.22	33.61
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	13.779	37.5	17931	40.8	19325	41.09	20316.06	38.81
27.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	13.350	46.4	14132	42.8	17362.91	44.10	20287.35	43.64

स्रोत: आरबीआई *आंकड़े अनंतिम

एएनबीसी: समायोजित निवल बैंक ऋण सीईओबीई बाह्य तुलन-पत्र निवेश की ऋण समतुल्य राशि

विवरण III

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्राप्ति

क्र.सं.	बैंक का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार							
		2009		2010		2011		2012*	
		बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो
1.	ऐक्सिस बैंक लि.	23.025	42.2	29.772	41.4	41300	44.4	50051.87	40.31
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	1.992	26.5	2.714	34.9	एनए	एनए	11020.49	32.00
3.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	1.462	43.5	1.535	41.3	2117	46.6	2548.37	40.43
4.	सिटी युनियन बैंक लि.	1.833	40.1	2.451	43.1	3346	48.4	4275.54	45.78
5.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.553	37.8	1.603	46.1	1657	45.1	1953.79	43.44
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	1.135	52.9	1.411	43.7	2555	50.7	2808.44	30.85
7.	फेडरल बैंक लि.	8.687	46.0	10.891	48.6	11312	40.9	12100.03	36.78
8.	यस बैंक लि.	4.020	42.6	5.687	45.7	10163	45.7	एनए	एनए
9.	एचडीएफसी बैंक लि.	33.696	52.6	45.818	46.3	58064	46.6	64357.14	42.27
10.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	68.426	50.6	62.698	51.3	55173	53.1	61404.62	36.49
11.	इंडसइंड बैंक लि.	6257	48.9	6.805	43.7	9437	45.9	12552.01	47.97
12.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	6293	43	7.105	42.4	7724	41.7	9584.68	40.61
13.	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	7339	43.8	8.317	45.2	10424	51.9	10257.79	38.84
14.	कर्नाटक बैंक लि.	4.553	41.0	5.389	44.5	6348	43.0	7473.25	42.23
15.	करुर वैश्य बैंक लि.	3.815	39.9	4.439	42.0	5614	41.1	7398.30	40.89
16.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	6.473	41.2	6.990	41.2	8991	42.4	12528.53	42.15
17.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1.763	45.7	2.142	40.3	2615	41.2	3382.73	41.31
18.	नैनीताल बैंक लि.	628	69.2	676	59.7	811	62.9	964.86	57.49
19.	रत्नाकर बैंक लि.	276	44.8	333	47.7	500	56.1	834.02	43.44
20.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक	134	36.8	114	36.2	97	46.8	एनए	एनए
21.	साउथ इंडियन बैंक लि.	4.263	39.6	5.089	41.9	6085	38.1	5203.38	25.19
22.	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लि.	2.680	49.4	3.572	53.6	4494	53.6	5720.10	52.61

स्रोत: आरबीआई *आंकड़े अनंतिम, एनए= उपलब्ध नहीं

एएनबीसी: समायोजित निवल बैंक ऋण सीईओबीई: बाह्य तुलन-पत्र निवेश की ऋण समतुल्य राशि

विवरण IV

विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्राप्ति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार							
		2009		2010		2011		2012*	
		बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो	बकाया राशि	एएनबीसी/सीईओबीई का प्रतिशत जो भी अधिक हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	एबीएन आमरो बैंक	6.688	32.6	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
2.	आब धाबी कमर्शियल बैंक	40	21.9	56	37.2	71.06	42.75	61.33	32.65
3.	एंटवर्प डायमंड बैंक	713	149.7	481	68.3	511	105.55	949.15	139.38
4.	एबी बैंक	10	39.5	8	46.1	21	33.90	23.75	37.41
5.	बीएनपी पारीबास	एनए	एनए	एनए	एनए	1275	34.11	एनए	एनए
6.	बैंक ऑफ अमेरिका	1.119	34.4	1.317	40.1	1518	41.85	2183.00	37.23
7.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	70	25.1	124	41.4	132	34.08	201.94	51.35
8.	बैंक ऑफ सिलोन	20	35.1	24	47.3	33	41.57	38.09	55.60
9.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	1.824	38.2	1.508	31.4	2729	53.82	2909.22	46.18
10.	बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सबिसी	1.017	44.1	1.290	43.1	1977	59.06	3456.08	65.61
11.	बारक्लेज बैंक पीएलसी	2559	33.5	3.477	33.00	3043	40.22	2847.72	34.26
12.	बीएनपी पारीबास	1292	34.00	1.632	33.5	एन	एनए	2413.77	44.33
13.	चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	59	45.4	69	46.8	40	20.06	14.17	6.04
14.	सिटी बैंक	12.678	33.0	13.298	33.3	132.46	36.10	14996.25	36.94
15.	सिलोन बैंक	684	36.8	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
16.	क्रेडिट एग्रीकोल	एनए	एनए	1.152	37.2	1410	48.30	1202.35	34.26
17.	ड्यश बैंक	3.108	34.4	3.325	37.1	4828	36.90	5809.47	40.23
18.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	1.084	45.8	1824	67.00	3790	64.20	5843.17	70.90
19.	एचएसबीसी लि.	10.077	33.1	9722	33.8	10463	42.50	9898.34	35.16
20.	जेपी मोरगन चेस बैंक	414	33.9	1170	33.4	1182	41.90	2259.36	64.98
21.	करुंग थाई बैंक	7	73.6	2	17.8	5	94.10	6.25	47.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	मशरेक बैंक	11	28.0	53	547.2	41	73.80	52.28	126.56
23.	मिजहो कारपोरेट बैंक	344	39.8	362	32.4	488	17.90	1307.72	51.85
24.	सिन्हान बैंक	111	35.2	162	35.5	266.72	64.25	एनए	एनए
25.	सोसिएट जनरेल	130	33.8	138	37.6	एनए	एनए	337.55	48.25
26.	सोनाली बैंक	9	114.3	5	42.5	4.16	40.19	9.41	99.89
27.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	11359	34.1	12868	34.3	14188.25	34.14	17505.22	35.58
28.	स्टेट बैंक ऑफ मारीशिस	81	38.0	112	37.1	176	43.00	251.3	41.91
29.	दि रायल बैंक ऑफ स्काटलैंड	एनए	एनए	6111	35.5	4791.83	34.38	5323.19	47.94
30.	फर्स्ट रैंड बैंक	एनए	एनए	एनए	एनए	56.76	283.80	109.3	77.30
31.	जेएससी वीटीवी	एनए	एनए	एनए	एनए	10	26.06	15.97	29.56
32.	सिन्हान बैंक	एनए	एनए	एनए	एनए	172	35.80	204.35	33.00
33.	युबीएस एजी	एनए	एनए	एनए	एनए	14.14	104.12	एनए	एनए
34.	कामनवैल्थ बैंक ऑफ ऑस्टेलिया	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	50.7	192.70

स्रोत: आरबीआई * आंकड़े अनंतिम, एनए= उपलब्ध नहीं

एएनबीसी: समायोजित निवल बैंक ऋण सीईओबीई: बाह्य तुलन-पत्र निवेश की ऋण समतुल्य राशि

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना

1. **श्री के. सुगुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह है कि यद्यपि भारत में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि भारत की आबादी की तुलना में इनकी संख्या अभी भी काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में और अधिक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की 2020 तक अपने नागरिकों को टर्शरि डिग्री प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियों में उच्चतर शिक्षा की सुलभता की चुनौती भी शामिल है। देश के कुछ हिस्सों में अभी तक पर्याप्त संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्थाएं नहीं हैं।

(ख) और (ग) शिक्षा, समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण, नई संस्थाओं की स्थापना करने की जिम्मेवारी केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों की है। केन्द्र सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जहां कहीं भी आवश्यक हो, नई संस्थाओं की स्थापना करती है। सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं से उच्चतर शिक्षा में नई दाखिला क्षमता सृजित हुई है। इनमें 374 चिन्हित किए शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों, 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 08 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), 07 भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम), 10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) इत्यादि के खोले जाने की योजना शामिल है। केन्द्रीय शिक्षा संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित होने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में दाखिला क्षमता को 54% तक बढ़ा दिया है।

(ख) और (ङ) उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वर्ष 2007-08 के 12.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 15% तक हो गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2020 तक उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को 30% तक बढ़ाना है।

विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आकाश टेबलेट

2. **श्री के.जे.एस.पी.:**
श्री देवजी एम. पटेलः
श्री एस.एस. रामासुब्बुः
श्री हंसराज गं. अहीरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों के लाभ के लिए कम कीमत वाला आकाश टेबलेट लांच किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इसकी गुणवत्ता निष्पादन और उपलब्धता अच्छे स्तर की नहीं है और इसकी काफी आलोचना हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इसको लांच करने से सरकार को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार का विद्यार्थियों के लाभ हेतु उच्च गुणवत्ता वाले टेबलेट शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आकाश टेबलेट को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले गरीब छात्रों को निःशुल्क वितरित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत सूचना संचार प्रौद्योगिकी योजना के जरिए दिनांक 5 अक्तूबर, 2011 को आकाश नामक एक लो कोस्ट-एक्सेस-कम-कम्प्यूटिंग यंत्र शुरू किया गया था। आईआईटी राजस्थान को स्वीकृत की गई परियोजना के प्रथम चरण में प्राप्त किये जा रहे 1,00,000 टेब्लेट्स उच्चतर तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए थे ताकि इसके कार्य-प्रचालन और प्रयोज्यता के संबंध में तकनकी फीडबैक को और आगे सुनिश्चित किया जा सके। शुरू किए जाने के पश्चात् प्रारंभिक फीडबैक से उन क्षेत्रों के बारे में पता चला, जहां पर सुधार किए जाने अपेक्षित थें। ये क्षेत्र थें:– (1) यंत्र का तापन (2) बैटरी के अधिक समय तक चलने की अपेक्षा (3) रेजिस्टिव टच स्क्रीन के स्थान पर कैपिसिटिव की अपेक्षा (4) बेहतर प्रोसेसन आदि की अपेक्षा। इस मामले को विक्रेता के साथ उठाया गया था और वह परिवर्तन करने पर सहमत हो गया, जिनमें 366 एमएचजैड आर्म 11 आधारित प्रोसेसर को अपग्रेड कर 700 एमएचजैड आर्म कोर्टेक्स ए8 प्रोसेसर लगाना, फर्मवेयर में सुधार करना, 2100 एमएएच बैटरी के स्थान पर 3200 एमएएच क्षमता की बैटरी लगाना और लागत में कोई वृद्धि किये बिना रेजिस्टिव टच स्क्रीन के स्थान पर केपिसिटिव को लगाना शामिल है। क्योंकि विक्रेता को आईआईटी, राजस्थान द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था, इसीलिए सरकार को हानि नहीं हुई है।

(ङ) महोदय, इस समय वहां ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बीमा कारबार हेतु अनुमति

3. **श्री अर्जुन राम मेघवालः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार और क्षेत्र-वार आज की तिथि तक बीमा-कारबार के मामले में अनुमति प्रदान की जाने वाली निजी और विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को पॉलिसी धारकों से कुछ निजी बीमा कंपनियों के विरुद्ध अनियमितताओं का आरोप लगाने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) बीमा कारोबार में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा लाइसेंस प्रदत्त निजी बीमाकर्त्ताओं और उनके विदेशी साझेदारों के नाम राज्य-वार संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां पूरे भारत में परिचालन करती हैं।

(ख) से (घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि प्राधिकरण की एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस), जो सभी बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पॉलिसी धारकों की शिकायतों और उनके निवारण का केन्द्रीय निधान सृजित करता है। कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। शिकायतों की जांच की जाती है और संबंधित बीमाकर्ताओं द्वारा इनका निदान किया जाता है।

विवरण I

बीमा कारोबार में अनुमत निजी और विदेशी बीमाकर्ताओं के नाम

क्र.सं.	बीमाकर्ता	विदेशी साझेदार	कारपोरेट कार्यालय की स्थिति
1	2	3	4
1.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	आईएनजी इंश्योरेंस इंटरनेशनल बी.वी.	बंगलोर, कर्नाटक
2.	मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स, यूएसए	बंगलोर, कर्नाटक
3.	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	मित्सुई सुमिटोमो इंश्योरेंस, जापान	गुड़गांव, हरियाणा
4.	अवीवा इंश्योरेंस कं. लि.	अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि. यूके	गुड़गांव, हरियाणा
5.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स	गुड़गांव, हरियाणा
6.	डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	प्रूडेंशियल ऑफ अमेरिका, यूएसए	गुड़गांव, हरियाणा
7.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	सनलाम, साउथ, अफ्रीका	हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
8.	सहारा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.		लखनऊ, उत्तर प्रदेश
9.	एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	स्टैण्डर्ड लाइफ (मारीशिस होल्डिंग्स) 2006	मुम्बई, महाराष्ट्र
10.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	प्रूडेंशियल, यूके	मुम्बई, महाराष्ट्र
11.	कोटक महिन्द्रा ओम लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	ओल्ड म्युचुअल, साउथ अफ्रीका	मुम्बई, महाराष्ट्र
12.	बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	सनलाइफ, कनाडा	मुम्बई, महाराष्ट्र
13.	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस, बेरमुडा	मुम्बई, महाराष्ट्र
14.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	बीएनपी पारीबास एश्योरेंस एसए, फ्रांस	मुम्बई, महाराष्ट्र
15.	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस, जापान	मुम्बई, महाराष्ट्र
16.	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एक्सा इंडिया होल्डिंग्स फ्रांस	मुम्बई, महाराष्ट्र
17.	फ्यूचर जनरेली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	पार्टिसिपेट माटसापिच ग्राफसाफ	मुम्बई, महाराष्ट्र
18.	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एजीज, इंश्योरेंस इंटरनेशनल, एनवी	मुम्बई, महाराष्ट्र
19.	एगोन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एगोन इंडिया होल्डिंग बी.वी., नीदरलैण्ड्स	मुम्बई, महाराष्ट्र
20.	स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	दाई-ईची, जापान	मुम्बई, महाराष्ट्र
21.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	लीगल एंड जनरल मिडल ईस्ट, यूके	मुम्बई, महाराष्ट्र
22.	एडलवाईज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	टोक्यो मैरिन होल्डिंग्स इंश्योरेंस, टोक्यो	मुम्बई, महाराष्ट्र
23.	एलायंज बजाज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एलायंज, जर्मनी	पुणे, महाराष्ट्र
	गैर-जीवन बीमाकर्ता		
1.	भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	सोसिएट बूजौन, एक्सा होल्डिंग्स, फ्रांस	बंगलोर, कर्नाटक
2.	रायल सुंदरम एलायंज इंश्योरेंस कं. लि.	रायल सन एलायंज, यूके	चेन्नेई, तमिलनाडु
3.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं.	मित्सुई सुमिटोमो, जापान	चेन्नेई, तमिलनाडु

1	2	3	4
4.	स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कं. लि.	इंडविज्युल प्रोमोटर्स, यूएई	चेन्नेई, तमिलनाडु
5.	इफको-टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कं.	टोक्यो मैरिन एशिया पैसिफिक लि., जापान	गुड़गांव हरियाणा
6.	अपोलो म्यूनिख हैल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	म्यूनिख हैल्थ हौल्डिंग एजी, जर्मनी	गुड़गांव हरियाणा
7.	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	सनलाम, साउथ अफ्रीका	जयपुर, राजस्थान
8.	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कं.	एचडीआई-ग्रलिंग इंटरनेशनल होल्डिंग एजी	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
9.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं.	-	मुम्बई, महाराष्ट्र
10.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	चार्सिस मेमसा होल्डिंग्स इंश्योरेंस	मुम्बई, महाराष्ट्र
11.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं.	फयेरफैक्स थ्रू इट्स एफिलिएट्स, कनाडा	मुम्बई, महाराष्ट्र
12.	एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कं.	ईआरजीओ इंटरनेशनल एजी, जर्मनी	मुम्बई, महाराष्ट्र
13.	फ्यूचर जनरेली इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	पार्टिसिपेट माटसापिच ग्राफसाफ	मुम्बई, महाराष्ट्र
14.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.	सोम्पो, जापान	मुम्बई, महाराष्ट्र
15.	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	क्यूबीई होल्डिंग्स, ऑस्ट्रेलिया	मुम्बई, महाराष्ट्र
16.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	आईएजी इंटरनेशनल पटि, ऑस्ट्रेलिया	मुम्बई, महाराष्ट्र
17.	एल एंड टी जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	–	मुम्बई, महाराष्ट्र
18.	लिबर्टी विडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कं.	लिबर्टी इंटरनेशनल, यूएसए	मुम्बई, महाराष्ट्र
19.	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं.	एलायंज जर्मनी	पुणे, महाराष्ट्र
20.	मैक्स बूपा हैल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स पटि.	नई दिल्ली, नई दिल्ली
21.	रेलीगेयर हैल्थ इंश्योरेंस कं. लि.	–	नई दिल्ली, नई दिल्ली

विवरण II

वर्ष 2011-12 के दौरान पालिसीधारकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की संख्या

क्र.सं.	बीमाकर्ता का नाम	वर्ष के दौरान संसूचित निजी जीवन बीमाकर्ता	वर्ष के दौरान निवारण किए गए
1	2	3	4
1.	एगोन रेलीगेयर	3440	2774
2.	अवीवा	13520	13467
3.	बजाज एलायंज	22390	22388
4.	भारती एक्सा	7310	7285
5.	बिरला सनलाइफ	11911	11632
6.	केनरा एचएसबीसी	5258	5256
7.	डीएलएफ प्रामेरिका	621	619
8.	एडलवाईज टोक्यो	6	6
9.	फ्यूचर जनरेली	15667	15640

1	2	3	4
10.	एचडीएफसी स्टैण्डर्ड	35218	35205
11.	आईसीआईसीआई प्रूडेशियल	22016	22016
12.	आईडीबीआई फेडरल	502	500
13.	इंडिया फर्स्ट	738	738
14.	आईएनजी वैश्य	10498	10497
15.	कोटक महिन्द्रा	8850	8844
16.	मैक्स न्यूयार्क	10362	10360
17.	मेट लाइफ	2940	2940
18.	रिलायंस	50807	50802
19.	सहारा	29	29
20.	एसबीआई लाइफ	18490	18482
21.	श्रीराम	149	142
22.	स्टार यूनियन दाईची	284	283
23.	टाटा एआईजी	16307	16291
	कुल	257313	256196
	निजी गैर-जीवन बीमाकर्ता		
1.	अपोलो म्यूनिख हैल्थ इंश्योरेंस	1117	1117
2.	बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस	11728	11727
3.	भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस	2701	2701
4.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस	10728	10725
5.	फ्यूचर जनरेली इंडिया इंश्योरेंस	2336	2336
6.	एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस	1917	1917
7.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस	23735	23731
8.	इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस	4137	4137
9.	एल एंड टी जनरल इंश्योरेंस	103	103
10.	मैक्स बूपा हैल्थ इंश्योरेंस	735	734
11.	रहेजा क्यूबीई	3	3
12.	रिलायंज जनरल इंश्योरेंस	9715	9682
13.	रायल सुंदरम एलायंज जनरल इंश्योरेंस	5884	5884
14.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस	447	445
15.	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस	169	168
16.	स्टार हैल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस	441	440
17.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस	4332	4331
18.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	269	269
	कुल	80497	80450

[अनुवाद]

वन इंडिया लाइसेंस की शुरुआत

4. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन इंडिया लाइसेंस से प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है और दूरसंचार उद्योग के लिए कार्यान्वयन संबंधी गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर के लाइसेंसों को सेवा क्षेत्र स्तर पर दिया जाना जारी रहेगा। इसके मद्देनजर, प्रतिस्पर्धा में कमी और कार्यान्वयन संबंधी गंभीर मुद्दे उत्पन्न नहीं होंगे। सरकार इस संबंध में ट्राई की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

सर्वाधिक सस्ता आकाश टेबलेट

5. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाश टेबलेट विश्व में सर्वाधिक सस्ता कम्प्यूटर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कुल कितने टेबलेट खरीदे जाने का प्रस्ताव है और इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) महोदय, ऐसी कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिनांक 05 अक्तूबर, 2011 को आरंभ किए गए आकाश टैबलेट का मूल्य 2276/- रुपए प्रति टैबलेट है जो 1,00,000 टैबलेटों के आदेश पर है (इसमें किराया और बीमा, सर्विसिंग एवं प्रलेखन आदि प्रभार शामिल है)।

(ग) एनएमईआईसीटी स्कीम के अंतर्गत, समग्र भारत में छात्रों द्वारा विभिन्न जलवायु एवं प्रयोग की स्थितियों में टेस्टिंग तथा ऐसे टेबलेटों के लिए परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के प्रयोजनों हेतु 1,00,000 आकाश टेबलेटों की खरीद के लिए 47.72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई

6. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों, विभागों, कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों के लिए मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन करना और उन पर कार्रवाई करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे अनिवार्य बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कैबिनेट सेक्रेटरी ने केन्द्र सरकार के सचिवों को मंत्रिमंडल समितियों के निर्णयों को समय पर कार्यान्वित करने हेतु कोई पत्र लिखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों द्वारा किए गए निर्णयों का कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाना अपेक्षित है, और उन मामलों में, जहां ऐसे किसी निर्णय में परिवर्तन आवश्यक समझा जाता है, को मंत्रिमंडल अथवा संबंधित मंत्रिमंडल समिति के समक्ष उसके विचारार्थ रखा जाना अपेक्षित होता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के सथासमय/शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय आवधिक रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को पत्र लिखता है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मुस्लिम बालिकाओं को शिक्षा

7. **श्री कपिल मुनि करवारिया:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन द्वारा मुस्लिम बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान हेतु मदरसा अध्यापकों के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में केन्द्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम को पुन: आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन (आईएएसई), सरदारशहर, चुरू, राजस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऋण राहत योजना

8. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे किसान विशेष रूप से महिलाएं, जिन्होंने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप से ऋण लिया है, कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत राहत उपायों हेतु पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्य-वार, राहत-वार कितनी वित्तीय राहत प्रदान की गई है और कितने किसानों को इससे लाभ हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास ऋण प्राप्त करने हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे किसानों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (नमो नारायण मीणा): (क) से (ग) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 01 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2007 के बीच संवितरित कृषि ऋण, जो 31 दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय तथा 28 फरवरी, 2008 तक अदेय थे, ऋण माफी/ऋण राहत के लिए पात्र थे। इस योजना के ऋण माफी भाग को 30.06.2008 को बंद कर दिया गया था। इस योजना के ऋण राहत भाग को 30.06.2010 को बंद कर दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के संबंध में योजना के कार्यान्वयन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के संबंध में बैंक-वर ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। योजना के अंतर्गत 3.45 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड को 52,275. 55 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण I

एडीडब्ल्यूआरएस 2008 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को दी गई छूट राहत दावों का विवरण 16.03.2012 तक की स्थिति*

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/बैंकों के नाम	ऋण में छूट		डीडब्ल्यू जीआरएम		ऋण में छूट		डीडब्ल्यू जीआरएम		कुल	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	समेकित स्थिति										
	एससीबी	11096480	1557562.04	107271	6394.43	1769262	265132.90	0	1465.23	12973013	1830554.61
	एसएसडीबी	1688577	337409.45	24238	5087.52	254730	41813.16	221	27.07	1967766	384337.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आरआरबी	3361766	602660.08	12470	2632.77	500884	91414.65	2340	345.32	3877460	697052.82
	कुल	16146823	2497631.57	143979	14114.72	2524876	398360.71	13645	1837.62	18829323	2911944.52
1.	**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**										
	एससीबी	715	81.33	0	0	0	0.00			715	81.33
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी))	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी (नं.आरआरबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल योग	715	81.33	0	0	0	0.00			715	81.33
2.	**आंध्र प्रदेश**										
	एससीबी	2487188	346239.35	228	82.82	261681	32084.72			2749097	378406.69
	एसएलडीबी (सं. एलडीबी में एपी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	535066	100827.12	51	6.49	107532	19661.65			642649	120495.28
	सकल जोड़	3022254	447066.47	279	89.11	369213	51746.37			3391746	498901.95
3.	**अरुणाचल प्रदेश**										
	एससीबी	11320	237.05	0	0	29	5.34			11349	242.39
	एसएलडीबी (सं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	1013	235.12	37	17.27	0	0.00			1050	252.39
	सकल जोड़	12333	472.17	37	17.27	29	5.34			12399	494.78
4.	**असम**										
	एससीबी	13576	880.30	0	0	19	5.36			13595	885.66
	एसएलडीबी	95	48.38	0	0	13	2.68			108	51.06
	आरआरबी	72253	8188.57	0	0	681	66.81			72934	8255.38
	सकल जोड़	85924	9117.25	0	0	713	74.85			86637	9192.10
5.	**बिहार**										
	एससीपी	317028	33783.51	4673	624.48	0	0.00	0	0.00	321701	34407.99
	एसएलडीबी	15583	3458.80	0	0	324	202.13	0	0.00	15907	3660.93
	आरआरबी	449669	77263.74	5	80.61	14701	2344.20	2228	325.30	466603	80013.85
	सकल जोड़	782280	114506.05	4678	705.09	15025	2546.33	2228	325.30	804211	118082.77
6.	**दिल्ली**										
	एससीबी	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.16
	एसएलडीबी (नं.आरआरबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी (नं.आर.आर.बी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल जोड़	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.16
7.	**गोवा**										
	एससीबी	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	एसएलडीबी (सं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी (नं.आरआरबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल जोड़	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71
8.	**गुजरात**										
	एससीबी	314519	77372.06	0	20.7	128148	29872.08			442667	107264.84
	एसएलडीबी	9941	4680.91	0	0	0	3081.29			9941	7762.20
	आरआरबी	28709	4772.67	8	7.15	10425	2062.43			39142	6842.25
	सकल जोड़	353169	86825.64	8	27.85	138573	35015.80			491750	121889.29
9.	**हरियाणा**										
	एससीबी	261229	82961.49	164	43.63	91582	16180.97			352975	99186.09
	आरआरबी	49316	19502.66	19	102.69	10101	2056.30			59436	21661.65
	एसएलडीबी	18991	6875.07	28	17.05	7423	2402.53			26442	9294.65
	सकल जोड़	329536	109339.22	211	163.37	109106	20639.80			438853	130142.39
10.	**हिमाचल प्रदेश**										
	एससीबी (पीएसीएस 1195 सहित)	113836	16699.30	64	20.64	567	123.98			114467	16843.92
	एसएलडीबी	10986	3897.64	0	0	1060	224.76			12046	4122.40
	आरआरबी	8294	1594.96	1	0.46	133	18.37			8428	1613.79
	सकल जोड़	133116	22191.90	65	21.1	1760	367.11			134941	22580.11
11.	**जम्मू और कश्मीर**										
	एससीबी	17929	2742.71	0	0	0	0.00			17929	2742.71
	एसएलडीबी	576	443.55	0	0	72	19.68			648	463.23
	आरआरबी	5414	1054.91	0	0	0	0.00			5414	1054.91
	सकल जोड़	23919	4241.17	0	0	72	19.68			23991	4260.85
12.	**झारखंड**										
	एससीपी	36736	2742.71	0	0	0	0.00			36736	4930.30
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	168733	14018.35	52	2.26	2680	215.03			171465	14235.64
	सकल जोड़	205489	18948.65	52	2.26	2680	215.03			208201	19165.94
13.	**कर्नाटक**										
	एससीबी	164964	30715.88	9998	3447.25	20005	2441.31			194967	36604.44
	एसएलडीबी	77456	9057.36	501	19.52	25780	3000.82			103737	12077.70
	आरआरबी	239423	67485.87	240	82.79	135125	24077.86			374788	91646.52
	सकल जोड़	481843	107259.11	10739	3549.56	180910	29519.99			673492	140328.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	केरल										
	एससीपी	524753	91668.52	73576	443.32	2347	667.72			600676	92779.56
	एसएलडीबी	126723	18196.36	0	0	3640	594.16			130363	18790.52
	आरआरबी	126650	36128.32	17	10.86	1130	289.06			127797	36428.24
	सकल जोड़	778128	145993.20	73593	454.18	7117	1550.94			858836	147998.32
15.	मध्य प्रदेश										
	एससीबी	870103	100567.04	0	0	158037	18160.02			1028140	118727.06
	आरआरबी	115394	33233.21	1103	585.87	43311	6655.71			159808	40474.79
	एससीबी	77188	16205.18	1517	383.23	41084	7662.53			119789	24250.94
	सकल जोड़	1062685	15005.43	2620	969.1	242432	32478.26			1307737	183452.79
16.	छत्तीसगढ़										
	एससीबी	270165	18244.97	1463	0	93812	8752.02	0	0॰00	365440	26996.99
	एसएसडीबी	10226	1869.04	582	79.13	4869	924.62	221	27॰07	15898	2899.86
	आरआरबी	52147	6844.54	2	0.43	9718	1667.98	2	0॰54	61869	8513.49
	सकल जोड़	332538	26958.55	2047	79.56	108399	11344.62	223	27॰61	443207	38410.34
17.	महाराष्ट्र										
	एससीबी	2197708	377078.07	1492	398.77	647072	109272.27			2846270	486749.11
	एसएलडीबी	96687	29230.36	0	9.3	37834	4403.66			136521	33643.32
	आरआरबी	72044	12031.97	455	78.36	38597	7218.14			11096	19328.47
	सकल जोड़	2388437	418340.40	1947	486.43	723503	120894.07			3093887	539720.90
18.	मणिपुर										
	एससीबी	41210	2019.53	0	0	105	50.56			41315	2070.09
	एसएलडीबी	30	21.20	23	15.17	2	0.58			55	36.95
	आरआरडी	16780	221.80	0	0	32	7.34			16812	229.14
	सकल जोड़	58020	2262.53	23	15.17	139	58.48			58182	2336.18
19.	मेघालय										
	एससीबी	4855	500.08	0	0	20	3.61			4875	503.69
	एसएलडीबी (सं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	5673	843.40	0	0	5	0.16			5678	843.56
	सकल जोड़	10528	1343.48	0	0	25	3.77			10553	1347.25
20.	मिजोरम										
	एससीबी	1552	439.44	0	0	0	0.00			1552	439.44
	एसएलडी (सं.एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरसी	5510	1358.04	0	0	310	7.68			5820	1366.02
	सकल जोड़	7062	1798.48	0	0	310	7.98			7372	1805.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	**नागालैंड**										
	एससीबी	10813	1072.94	0	0	0	0.00			10813	1072.94
	एसएलडीबी (सं.एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	1091	191.68	0	0	5	1.93			1096	193.61
	सकल जोड़	11904	1284.62	0	0	5	1.93			11909	1286.55
22.	**पुदुचेरी**										
	एसीबी	6713	1344.09	0	0	129	13.13			6842	1357.22
	एसएलडीबी	303	172.12	0	0	0	0.00			303	172.12
	आरआरबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल जोड़	7016	1516.21	0	0	129	13.13			7145	1529.34
23.	**ओडिशा**										
	एससीबी	89934	24218.76	1	0.56	12932	2007.01			102867	26226.33
	एसएलडीबी	92130	13458.13	3583	711.98	1834	229.71			97547	14399.82
	आरआरबी	325836	40536.30	6544	815.41	14736	2306.37			347116	43660.08
	सकल योग	1456167	180387.97	10313	1653.38	31368	4266.82			1497848	186308.17
24.	**पंजाब**										
	एससीबी	89934	24218.76	1	0.56	12932	2007.01			102867	26226.33
	एसएलडीबी	26313	12498.19	0	0	25249	4497.05			51562	16995.24
	आरआरबी	6	2260.06	5	5.82	2564	728.85			2575	2994.73
	सकल जोड़	116253	38977.01	6	6.38	40745	7232.91			157004	46216.30
25.	**राजस्थान**										
	एसडीसी	378957	57040.73	1182	205.62	284565	37973.32	0	0.00	664704	95219.67
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	113816	24460.11	109	39.75	39930	7924.53	1	0.20	153856	32424.59
	सकल जोड़	602541	110557.02	2720	680.08	378908	55707.03	1	0.20	984170	166944.33
26.	**तमिलनाडु**										
	एससीपी	90264	12538.42	3	0.79	13442	1806.07			103709	14345.28
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	एसएलडीबी	41991	6345.39	6	064	5641	916.11			47638	7262.14
	सकल जोड़	132255	18883.81	9	1.43	19083	2722.18			151347	21607.42
27.	**सिक्किम**										
	एससीबी	529	82.69	0	0	7	1.50			536	84.19
	एसएलडीबी (सं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबीएस (सं. आरआरबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल जोड़	529	82.69	0	0	7	1.50			536	84.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	**त्रिपुरा**										
	एससीडी	1067922	79492.97	1793	137.51	37684	3622.92	0	0.00	1107399	83253.40
	एसएलडीबी	894908	149207.99	16996	3128.48	46079	6090.92	0	0.00	957983	158427.39
	आरआरबी	7280	638.66	0	0	24	2.34			7304	641.00
	सकल जोड़	28820	4088.27	0	25.13	29	2.92			26849	4116.31
29.	**उत्तर प्रदेश**										
	एससीबी	1067922	79492.97	1793	137.51	37684	3622.92	0	0.00	1107399	83253.40
	एसएसडीबी	894908	149207.99	16996	3128.48	46079	6090.92	0	0.00	957983	158427.39
	आरआरबी	844366	157535.24	3364	1079.13	67165	11632.21	109	19.28	915004	170265.86
	सकल जोड़	2807196	386236.20	22153	4345.12	150928	21346.05	109	19.28	2980386	411946.65
30.	**उत्तराखंड**										
	एससीबी	669802	57351.08	12410	811.07	389	95.42			682601	58257.57
	एसएलडीबी	72048	6933.81	37	8.22	1661	198.98			73746	7139.01
	आरआरबी	9790	1273.71	0	0	725	96.93			10515	1370.64
	सकल जोड़	81838	8207.52	37	6.22	2386	295.91			84261	8509.65
31.	**पश्चिम बंगाल**										
	एससीबी	669802	57351.08	12410	811.07	389	95.42			682601	58257.57
	एसएलडीबी	49155	9126.67	2	0.67	144	19.33			49301	9146.97
	आरआरबी	134033	13469.30	29	5.06	518	101.31			134580	13575.67
	सकल जोड़	852990	7947.35	12441	816.8	1051	216.06			866482	80980.21
	कुल जोड़	18146823	2497631.57	143979	14114.72	2524876	398360.71	2561	372.39	18818239	2910479.39

अनंतिम आंकड़े, बैंकों से प्राप्त धन वापसी और संवितरण के कारण संशोधन के अध्यधीन

विवरण II

2008 एडीडब्लयूडीआरएस के बैंक-वार आंकड़े

(खातों की सं. हजारों में और राशि वास्तविक रुपए में)

	ऋण में छूट			ऋण राहत			
	कुल खाते	कुल अदा (रु)	13/3/12 तक कुल रुपए	कुल खाते	कुल अदा (रु)	13/3/12 तक कुल रुपए	13/3/12 तक कुल रुपए
1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र के बैंक							
1. भारतीय स्टेट बैंक	2429.25	53294410382.03	53294410382.03	714.703	14765942338	1476942338	68060352719.77
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1986.66	4163093370.25	4163093370.25	109.501	2614256324	2614256324	6777349694.74

1	2	3	4	5	6	7	8
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	293.82	5442321191.00	5442321191.00	84.665	1692559485	1692559485	7134880676.00
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	307.93	1614716193.95	1614716193.95	52.64	1166645755	1166645755	2781361948.77
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	750.90	2435488153.00	2435488153.00	27.055	761216165	761216165	3196704318.00
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	38.29	1434285373.56	1434284373.56	34.037	658555502.8	658555502.8	2092840876.37
7. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	118.76	8279188533.00	3279188533.00	6.207	151819223	151819223	3431007756.00
8. इलाहाबाद बैंक	428.50	10418047072.00	10418047072.00	88.03	1898134579	1898134579	12316181651.07
9. आंध्रा बैंक	397.84	7469608832.00	7469608832.00	78.45	1518040962	1518040962	898764793.74
10. बैंक ऑफ बड़ौदा	554.03	5060367844.00	5060367844.00	64.839	1333875904	1333875904	6394243748.00.
11. बैंक ऑफ इंडिया	339.92	6392185943.76	6392185943.76	71.707	1625103267	1625103267	8017289210.76
12. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86.58	2192806730.72	2192806730.72	32.32	820085639	820085639	3012892369.72
13. केनरा बैंक	471.58	12601664112.45	12601664112.45	67.118	1707521305	707521305	14309185417.62
14. संट्रल बैंक ऑफ इंडिया	449.98	9824675470.00	9824675470.00	87.213	2018830577	2018830577	11843506047.00
15. कारपोरेशन बैंक	42.76	1145867302.00	1145867302.00	10.945	348853971	348853971	1494721273.00
16. देना बैंक	54.55	771748896.00	771748896.00	18.309	465424050	465424050	1237172946.00
17. आईडबीआई बैंक	11.27	273213581.00	273213581.00	4.106	82243008.16	82243008.16	355456589.16
18. इंडियन बैंक	582.87	4602870616.00	4602870616.00	30.42	643171482	643171482	5246042098.00
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	311.00	5773479756.00	5829651280.00	50.172	931342316	920839088	6750490368.00
20. ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	98.30	8700929661.00	3700809923.00	25.647	939890231.6	939890213.6	4640700154.64
21. पंजाब नेशनल बैंक	339.40	11472784863.00	11472784863.00	98.043	2795782864	2795782864	14268567726.70
22. पंजाब एंड सिंध बैंक	15.38	477226992.00	477226992.00	5.714	164643567	164643567	641870559.00
23. सिंडिकेट बैंक	293.23	7368647864.15	7369717728.15	84.605	1822365785	1822365785	9192083512.89
24. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	275.94	7387857983.22	7387857973.22	57.885	1440178909	1440178909	8828036882.06
25. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	144.94	2112247563.00	2111944545.00	185.17	31592592	31592592	2143537137.00
26. यूको बैंक	252.35	5377102680.00	5377102680.00	24.239	539656042.7	539656042.7	5916758722.67
27. विजया बैंक	47.81	1478380299.21	1478613312.21	15.239	403917320	403917320	1882530632.21
कुल	11123.83	177565217248.30	177622268893.30	3810.98	43341649163.59	43331145935.59	220953414828.89
निजी क्षेत्र के बैंक							
1. बैंक ऑफ राजस्थान लि.	17.10	53120868.00	53120868.00	0.694	12632315	12632315	65753183.00
2. कैथोलिक सिरयान बैंक लि.	1.55	25964880.00	25964879.99	45.001	1985325	1985325	27950204.99
3. सिटी यूनियन बैंक	5.61	97582109.53	97582109.63	0.686	14601177.52	14601177.52	112183287.15
4. धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.15	43554034.28	43554034.28	0.059	1509173.81	1729584.81	45283619.09
5. एचडीएफसी बैंक	18.77	1057019406.00	1057019405.99	2.557	201694072	201694072	1258713477.99
6. फेडरल बैंक	0.43	28960769.00	28960768.99	0	0	41133578	70094346.99

1	2	3	4	5	6	7	8
7. आईसीआईसीआई बैंक लि.	672.03	2549561028.43	2549561028.42	16.204	213593478.9	213593478.90	2763154507.32
8. कर्नाटक बैंक लि.	9.03	232127161.13	232127161.12	3.807	107826606.9	107826606.9	339953768.00
9. करूर वैश्य बैंक लि.	16.600	347491744.88	347491744.87	3.73	24187515.83	24187515.83	371679260.70
10. कोटिक महिन्द्रा बैंक लि.	0.18	5053295.00	5053295.00	0.057	892168	892168	5945463.00
11. लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.48	175899020.00	17599020.00	2.383	37059058	37059058	212958078.00
12. नैनीताल बैंक लि.	0.99	26251110.00	26251110.00	0.91	7030092	7030092	33281202.00
13. रत्नाकर बैंक लि.	1.10	29962591.00	29962591.00	0	10715931	10715931	40678522.00
14. साउथ इंडियन बैंक लि.	4.90	95248748.00	95248747.99	0.001	11151282	11151282	106400029.99
15. तमिलनाडु बैंक लि.	4.18	68630891.00	68630890.99	2.093	29739481	29739481	98370371.99
16. एक्सिस बैंक लि.	6.75	481190317.36	481190317.36	70.045	210339142	210339142	691529459.40
17. आईएनजी वैश्य बैंक लि.	14.74	387201814.00	38721814.00	6.289	147902540.4	147902540.4	535104354.43
18. जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	8.25	205960974.00	205960974.00	0.435	14808204.79	14808204.79	220769178.79
कुल	793.85	5910780761.71	5910780761.64	91.95	1047667564.20	1089021553.20	6999802314.84
स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के नाम							
सुभद्रा लोकल यरिया बैंक	0.04	1073666.00	1073666.00	0.01	462368.00	462368.00	1536034.00
कोश्टल लोकल एरिया बैंक लि.	0.11	1737036.00	1737036.00	0.01	190433.00	190433.00	1927469.00
कृष्ण भीम समरुद्दीन लैब लि.	2.08	9330194.00	9330194.00	0.03	298597.00	298597.00	9628791.00
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	0	0	0	0.05	5249942.00	5249942.00	5249942.00
कुल	2.23	12140896.00	12140896.00	0.11	6201340.00	6201340.00	18342236.00
अर्बन कापरेटिव बैंक		3403735498.00	3403735498.00		185749591.50	185749591.50	3589485089.50
31/1/12 तक चुकाये गये कुल एडब्लयूडीआरएस			रुपए				
सरकारी क्षेत्र के बैंक			220953414828.89				
निजी क्षेत्र के बैंक			6999802314.84				
लैब			18342236.00				
यूसीबी			3589485090				
कुल अदा			231561044469.23				

वेकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम

9. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 3जी स्पेक्ट्रम सहित ऑफ स्पेक्ट्रम और उसकी नीलामी पर कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) "स्पेक्ट्रम को रिक्त करने और इस उद्देश्य के लिए संसाधनों को जुटाने" संबंधी मंत्रिसमूह (जीओएम) का दिनांक 22.06.2007 को गठन किया गया। मंत्रिमंडल के दिनांक 06.02.2009 के निर्णय के अनुसार, क्रमश: 1710-1785/1805-1880

मेगाहर्ट्ज और 1920-1980 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड में 2जी और 3जी सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम को जारी करने के संबंध में दिनांक 22.05.2009 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने 2जी सेवाओं हेतु 10+10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और 3जी सेवाओं के लिए 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जारी किया है। 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी वर्ष 2010 में पूरी हो चुकी है।

स्पेक्ट्रम को रिक्त करने और 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) ने अन्य फ्रिक्वेंसी बैंड्स में स्पेक्ट्रम रिक्त करने का निर्णय लिया है।

अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े संस्थान/विश्वविद्यालय

10. **श्री अशोक तंवर:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से जुड़े संस्थानों/विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनके लिए कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों से जुड़े और अधिक विश्वविद्यालय/संस्थानों की स्थापना करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) इनकी संख्या दो है-(1) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी), तिरुवनंतपुरम, एक मानित विश्वविद्यालय और (2) आंध्र विश्वविद्यालय के साथ शैक्षिक सहयोग से देहरादून में स्थित भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस)।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु चालू वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान में बजटीय आबंटन रु. 100. 00 करोड़ तथा आईआईआरएस हेतु रु. 32.50 करोड़ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एशियन डेवेलपमेंट बैंक के विकास का अनुमान

11. **श्री नलिन कुमार कटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियन डेवेलपमेंट बैंक ने विकास संबंधी कोई पूर्वानुमान लगाया है जो कि भारत सरकार द्वारा लगाये गये पूर्वानुमान से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इसकी विकास दर के पहले के अनुमान को पूरा करने हेतु कोई उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) द्वारा जुलाई, 2012 में प्रकाशित एशियन डेवलपमेंट आउट लुक सप्लीमेंट के अनुसार, भारत की विकास दर 2012 तथा 2013 में क्रमशः 6.5 प्रतिशत तथा 7.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थक समीक्षा 2011-12 के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक विकास दर वर्ष 2012-13 के लिए 7.6 (+/-25 प्रतिशत अनुमानित हैं अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी विभिन्न एजेंसियां और देश के भीतर बाहर अनुसंधान संगठन अर्थव्यवस्था में विकास दर के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। ये अनुमान प्रायः एक दूसरे से भिन्न होते हैं।

(ग) और (घ) विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशिष्ट उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र के लिए निवेश के स्तर को बढत्रना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आबंटन के जरिए माइक्रो, लघु तथा मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के सेक्टर को बढ़ावा देना, सरकारी निजी भागीदारी पर जोर देते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए कई विधायी उपाय करना और नई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत, आदि शामिल हैं।

कोयला कंपनियों को लाभकारी बनाने की योजना

12. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों को लाभकारी बनाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, इन उपक्रमों में घाटे की राशि कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रहे इन सरकारी उपक्रमों को बंद करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या घाटे में चल रहे इन एककों को आमेलित करने अथवा इनमें विनिवेश करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. पिछले दो वर्षों से मुनाफे में चल रही हैं।

(ग) सीआईएल की दो सहायक कंपनियों अर्थात इंस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) और भारत कोचिंग कोल लि. (बीसीसीएल) को रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था और अवसंरचना एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया था। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ईसीएल और बीसीसीएल की संचित हानि क्रमश: 7165.30 करोड़ रु. और 5604.83 करोड़ रु. है। ईसीएल और बीसीएल में हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(i) छोटे डाया साफ्ट की बहुत सी ओपनिंग वाली संख्या में भूमिगत खान होने के कारण यूनिट में उत्पादन कम होता है और उत्पादकता का स्तर निराशाजनक होता है। कुछ ओपनकास्ट खानें पंजी पर असमानुपातिक जनशक्ति, अधिक स्ट्रिपिंग अनुपात और कम क्षमता उपयोग के कारण घाटे पर चल रही है।

(ii) उच्च डिग्री की गैसीनेस, स्वत: ऊष्मन के लिए संवेदनशील सीमें, ऊपरी सीमों में जलमग्न खदानों की उपस्थिति, माटी सीम और उच्च ग्रेडिएन्ट वाली इन्क्लाइंड सीमों जैसी कठिन भू-खनन परिस्थितियां।

(iii) ओपनकास्ट खनन की सीमित गुंजाइश।

(iv) भूमिगत खानों तथा प्रवेश बिन्दु से काफी दूर कोयले की विस्तृत मेनुअल लोडिंग के लिए अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होने के कारण उत्पादन और उत्पादकता में कमी।

(v) कठिन सतही विशेषताओं और अन्य प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों की मौजूदगी होने के कारण कई खानों में हाइड्रोलिक रेत-भराई को बहाल करना पड़ता है जिससे इन खानों में प्रचालन लागत प्रतिटन 350 रु. से 375 रु. तक अतिरिक्त बढ़ जाती है।

(vi) कंपनी की भुगतान करने की क्षमता से अधिक प्रगामी मजदूरी की घटना।

(vii) निधि की अत्यन्त कमी होने के कारण खनन उपकरण में अपर्याप्त निवेश किया जाता है जिसके कारण उपकरण पुराने हो गए हैं, क्षमता में कमी आ गई है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन कम हो गया है।

(viii) कार्यशील पूंजी की समस्या कंपनी को समय पर क्रिटिकल स्टोरों और कलपुर्जों तथा सुरक्षा मदों की खरीद के लिए भुगतान करने में असमर्थ बना रही है जिससे उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय असंतुलन

13. **श्रीमती ज्योति धुर्वे:**
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अवसंरचना का विकास और कनैक्टिविटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवसंरचना के विकास और कनैक्टिविटी पर विशेष बल देते हुए देश में, विशेष रूप से ओडिशा और झारखंड में गरीबी को दूर करने हेतु कतिपय विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) क्षेत्रीय असंतुलन विभिन्न कारकों का परिणाम है जैसे कि संसाधन संपन्नता में अंतर, भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताएं और कनैक्टिविटी सहित

अवसंरचना की उपलब्धता। किसी क्षेत्र के लिए योजना बनाना और उसका विकास करना मुख्यत: संबंधित राज्यों का दायित्व है। केन्द्र सरकार, अपनी ओर से, विभिन्न विशिष्ट क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, फ्लैगशिप कार्यक्रमों और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, जिनमें अवसंरचना का विकास और कनैक्टिविटी भी शामिल है, के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

(ग) और (घ) गरीबी उपशमन तथा अवसंरचना और कनैक्टिविटी पर ध्यानकेन्द्रण वाली विभिन्न स्कीमें ओडिशा और झारखंड सहित अन्य राज्यों में लागू हैं। देश में लागू प्रमुख विकास कार्यक्रम/स्कीमें इस प्रकार हैं: (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), (ii) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), (iii) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), (v) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), (vi) समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी), (vii) मध्याह्न भोजन (एमडीएम), (viii) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), (ix) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), (x) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), (xi) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), (xii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई, (xiii) राजीव गांधी पेयजल मिशन (आरजीडीडब्ल्यूएम), (xiv) त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), और (xv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)।

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विशिष्ट स्कीम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) है। बीआरजीएफ के दो घटक है, नामत: (i) 27 राज्यों में 272 पिछड़े जिलों (जून 2012 में कवरेज के लिए अनुमोदित 22 जिलों सहित) को कवर करने वाला जिला घटक तथा (ii) राज्य घटक जिसके वर्तमान रूप में बिहार के लिए विशेष योजना, ओडिशा के कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना, चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा उपशमन कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए विशेष पैकेज शामिल है। बीआरजीएफ के जिला घटक में ओडिशा के 20 जिले और झारखंड के 23 जिले शामिल है। चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के तहत ओडिशा के 18 जिले और झारखंड के 17 जिले शामिल हैं।

[अनुवाद]

मंत्रियों को स्वैच्छिक शक्तियां

14. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय-वार, विभिन्न मंत्रालयों में मंत्रियों को प्रदत्त और उनके द्वारा प्रयोग की जा रही स्वैच्छिक शक्तियों का ब्यौरा क्या है.

(ख) मंत्रालय-वार, मंत्रालयों में मंत्रियों और वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा ऐसी शक्तियों का उपयोग करने के उदाहरण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का मंत्रियों द्वारा प्रयोग की जा रही सभी प्रकार की स्वैच्छिक शक्तियों को समाप्त करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में मंत्रियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों के ब्यौरे केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिए सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2011 को मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्रियों के समूह के "विचारार्थ विषयों में से एक केन्द्र में मंत्रियों द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों को समाप्त करना था। इस संदर्भ में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे केन्द्र में मंत्रियों द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। उस संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर, केन्द्र में मंत्रालयों के विवेकाधिकारों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रियों के समूह ने संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रयोग किए जा रहे विवेकाधिकारों के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना की समीक्षा की।

समीक्षा के आधार पर, मंत्रियों के समूह ने संस्तुति की थी कि सभी मंत्रालय/विभाग विवेकाधिकारों के प्रयोग को विनियमित करने वाले प्राचलों को लागू करने तथा उन्हें सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं ताकि ऐसे अधिकारों के प्रयोग में मानमानेपन को न्यूनतम किया जा सके।

सरकार ने मंत्रियों के समूह की उक्त संस्तुति को स्वीकार कर लिया है तथा तदनुसार सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को, जहां कहीं भी ऐसे दिशा-निर्देश मौजूद नहीं हैं, वहां विवेकाधिकारों के प्रयोग को विनियमित करने वाले प्राचलों को लागू करने की तथा उन्हें सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखने की सलाह दी गई है।

विवरण

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में मंत्रियों के विवेकाधिकार

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	माननीय मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा उपयोग किए जा रहे विवेकाधिकार
1	2	3
कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	सहकारी संगठनों अर्थात, एनसीडीसी, एनसीसीटी, वीएएमएनआईसीओएम, एनएफएलसी, एनएफईडी, एनसीयूआई और एनआईएम, एसएफएसी जैसे संस्थानों के बोर्डों/प्रबंधन समितियों में सरकारी नामित व्यक्तियों की नियुक्ति। एमएएनएजीई, नारियल विकास बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति जैसी स्वासत्त संस्थाओं और बोर्डों में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन।
2.	कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग	कृषि मंत्री को कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संबंध में कोई विशिष्ट विवेकाधिकार कोटा नहीं है।
3.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
4.	परमाणु ऊर्जा विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
6.	उर्वरक विभाग	मंत्री द्वारा उर्वरक सलाहकार फोरम में किसानों के प्रतिनिधि नामित किए जाते हैं।
7.	फार्मास्यूटिकल	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
8.	नागर विमानन मंत्रालय	नागर विमानन मंत्री किसी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं करता है क्योंकि यह क्षेत्र विभिन्न अधिनियमों और नियमों, विनियमों और नीतिगत ढांचा से विनियमित होता है।
9.	कोयला मंत्रालय	(1) कोयला मंत्री नियोक्ताओं के एक प्रतिनिधि जो नियोक्ताओं के संगठन का सदस्य न हो तथा कर्मचारियों के एक सदस्य जो कर्मचारियों के संगठन का सदस्य न हो, को कोयला खान भविष्य निधि कुटुम्ब पेंशन एवं योजना अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अनुसार कोयला खान भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित करने का अधिकार है। ये सांविधिक अधिकार हैं तथा ट्रस्टी बोर्ड के गठन हेतु प्रयोग किए जाने हैं तथा इन्हें बनाए रखा जाना हैं। (2) कोयला मंत्री कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा गठित राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता कौंसिल (एसीसीसी) तथा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, नार्दन कोलफील्ड्य लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जैसी कोल उत्पादक सहायक कंपनियों द्वारा गठित क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता कौंसिल (आरसीसीसी) में गैर सरकारी जनहित से जुड़े सदस्यों को नामित/नियुक्त करता है। चूंकि इन नामांकनों को करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया/नीति नहीं है इसलिए इन अधिकारों को विवेकाधीन अधिकार की तरह माना जा सकता है।

1	2	3
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
10.	वाणिज्य विभाग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सिविल सेवा बोर्ड द्वारा भेजे गए पैनल में से किसी अधिकारी को चुनने हेतु विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
11.	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग	मंत्री (सी एवं आई एम) के पास डीआईपीपी से संबंधित कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं होता है।
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
12.	दूर संचार विभाग	माननीय दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के विवेकाधीन अधिकार (1) दूरभाष सलाहकार समिति (टीएसी) के सदस्यों को नामित करने हेतु (2) बिना बारी के दूरभाष कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु माननीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के विवेकाधीन अधिकार (1) बिना बारी के दूरभाष कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु
13.	डाक विभाग	दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विशिष्ट व्यक्तियों, अवसर आदि पर दिशानिर्देशों तथा वार्षिक डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम के अनुसार अपने विवेक से डाक टिकट जारी करने का अनुमोदन अपने विवेक पर कर सकते हैं।
14.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	कोई विशिष्ट विवेकाधीन अधिकार नहीं है।
15.	कारपोरेट मंत्रालय	चूंकि ड्यूटी तथा अधिकार अधिनियम एवं विनियमन तथा इसके अंतर्गत नियमों से राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मिलने हैं जो प्रकृति में अधीनस्थ विधान की भांति होते हैं इसलिए किसी विवेकाधीन अधिकार की गुंजाइश नहीं होती है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	(1) माननीय मंत्री के पास विकास परिषद (प्रक्रियात्मक) नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार चीनी उद्योग से संबंधित कुल 25 गैर सरकारी सदस्यों की सीमा तक गैर सरकारी सदस्यों के नाम का सुझाव देने का विवेकाधिकार होता है तथापि विभाग द्वारा अंतिम संघटन की अधिसूचना औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा उनके मंत्री के अनुमोदन के बाद जारी की जाती है। (2) माननीय मंत्री प्रत्येक मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति जिसमें संबंधित मंत्रालय की गतिविधियों के संबंधित क्षेत्र के 15 सदस्य होते हैं, में 4 गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का विवेकाधीन अधिकार होता है। (3) राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार चावल की आपूर्ति के लिए समय में विस्तार की अनुमति, मामला दर मामला आधार पर माननीय मंत्री के अनुमोदन के बाद दी जाती है। 2. शर्करा प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मानकों के अनुसार प्रत्येक 6 माह में प्रशासनिक अनुमोदन की वैधता में दो विस्तार की अनुमति प्रदान करने में सक्षम है। वह उन चीनी मिलों को वितरित किए गए एसडीएफ ऋण की प्रतिभूति के तौर पर शर्करा फैक्ट्री की परिसंपति के आधार पर प्रभार देने/अनापत्ति जारी करने के लिए भी सक्षम है जहां सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है अथवा द्वितीय स्थान की विशेष हिस्सेदारी है।

1	2	3
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	(1) उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 3 (1) (जीए) के प्रावधानों के अनुसार माननीय मंत्री केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सदस्यों के नामांकन के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है। (2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 7 (2) (ग) के उपबंधों के अनुसार, मंत्री को राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों में अंतिम नामांकन करने का विवेकाधिकार है।
18.	संस्कृति मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
रक्षा मंत्रालय		
19.	रक्षा विभाग	विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत रक्षा मंत्री विवेकाधिकार कोष (आरएमडीएफ) से भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों की विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। एक समिति द्वारा की गई अनुशंसा को रक्षा मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में इन मामलों में मंत्री को कोई विवेकाधिकार नहीं है।
20.	रक्षा उत्पादन विभाग	न तो रक्षा मंत्री (आर एम) और न ही रक्षा राज्य मंत्री (आरआरएम) को कोई विवेकाधिकार है।
21.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (डीआरडीओ)	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
22.	भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	मंत्री और अध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईसी) को कोई विवेकाधिकार नहीं है, क्योंकि सभी निर्णय, वित्तीय और प्रशासनिक, नियम दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाते हैं।
24.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
25.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
26.	विदेश मंत्रालय	(1) श्रेणी 'एफ' के अंतर्गत कूटनीतिज्ञ पासपोर्ट प्रदान करना (2) हज सीटों के कुछ भाग का आवंटन करना।
वित्त मंत्रालय		
27.	वित्तीय सेवाएं विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
28.	आर्थिक मामले विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
29.	व्यय विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
30.	राजस्व (सीबीईसी एवं सीबीडीटी) विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
31.	विनिवेश विभाग	वित्त मंत्री को कोई विवेकाधिकार नहीं है।

1	2	3
32.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	(1) माननीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को भारतीय अंगुर प्रसंस्करण बोर्ड (आईजीपीबी) तथा राष्ट्रीय मीट तथा पॉलिटरी प्रसंस्करण बोर्ड (एनएमपीपीबी) के अध्यक्ष/सदस्य के नामांकन का विवेकाधिकार है। (2) माननीय मंत्री को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में राष्ट्रीय संस्थान खाद्य प्रौद्यासेगिकी उद्योग तथा प्रबंधन (एनआईएफटीईएम) तथा एनआईएफटीईएम की अध्यक्ष/एक सदस्य तथा निदेशक की खोज सह चयन समिति में नियुक्ति का विवेकाधिकार है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
33.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किसी भी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं किया जाता।
34.	आयुष विभाग	कोई विशिष्ट विवेकाधिकार नहीं जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री में निहित है।
35.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
36.	एड्स नियंत्रण विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग		
37.	भारी उद्योग विभाग	कोई विनिर्दिष्ट विवेकाधिकार नहीं है। विभाग के कार्य लोक उद्यम विभाग एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सांविधिक उपबंधों/दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।
38.	लोक उद्यम विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
गृह मंत्रालय		
39.	गृह मंत्रालय	पुलिस बल स्कीम के आधुनिकीकरण के अंतर्गत एक वर्ष के कुल बजट का 5 प्रतिशत एचएस/एसएम, आकस्मिक निधि के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो विभिन्न राज्यों को, आबंटन के आधार पर वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राज्य पुलिस बल की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जारी की जाती है। गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंतर्गत 01 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री के पास आतंकवाद/साम्प्रदायिकता/नक्सल हिंसा के शिकार असैनिक पीड़ितों को सहायता की केन्द्रीय योजना के संबंध में विवेकाधीन शक्तियां हैं। उन व्यक्तियों को राहत देना जिन्होंने राष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, लोकोपकार और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की है। साथ ही, उनके परिवारों की राहत देना जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो। वीरता और जन कल्याण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करना। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर राष्ट्र की सेवा करने वाले पात्र संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।

1	2	3
		अत्यधिक दु:ख की स्थिति में परिवार के सदस्यों या स्वयं की चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत व्यक्तियों को राहत देना।
		आपवादिक रूप से पात्र समझे जाने वाले किसी अन्य मामले में अनुदान जारी करना।
		दिनांक 24.08.2001 के मंत्रिमंडल सचिवालय आदेश संख्या 1/22/2/2001 सी.ए.वी. गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीपीओ में आई जी और ए.डी.जी. के स्तर के भा.पु. सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति
		दिनांक 30.03.2010 के पैरा 20 के भारतीय प्रशासनिक सेवा कालावधि नीति द्वारा डीआई स्तर तक के मामलों के संदर्भ में भा.प्र. सेवा कालावधि नीति के प्रावधानों से विचलन या छूट।
40.	राजभाषा विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
41.	अंतर राज्य परिषद सचिवालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
42.	सीमा प्रबंधन विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
43.	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
44.	उच्च शिक्षा विभाग	विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और नियुक्ति के मामले में मानव संसाधन मंत्री के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। सामान्य तकनीकी शिक्षा वे क्षेत्र में उत्कृष्ण कार्य करने वाली संस्थाओं/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 4.00 लाख रुपए प्रति वर्ष की विवेकाधीन निधि है।
45.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
46.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
47.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
विधि और न्याय मंत्रालय		
48.	विधि कार्य विभाग	माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
49.	विधायी विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
50.	न्याय विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
51.	खान मंत्रालय	खान मंत्रालय, मंत्री की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के लिए संसद में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 ला रहा है।
52.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	(i) केन्द्रीय वक्त परिषद (के.व.प.)- केन्द्रीय वक्फ परिषद में नियुक्ति के लिए संसदीय मामले मंत्री द्वारा किए गए नामांकनों पर मंत्री द्वारा किए गए नामांकनों पर मंत्री को किसी भी नाम की सिफारिश करने का विवेकाधिकार है। (ii) दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर:- मंत्री, जिन्हें किसी भी नाम की सिफारिश करने का विवेकाधिकार है, द्वारा सिफारिश की जाने पर दरगाह समिति, अजमेर के सदस्य की नियुक्ति राजपत्र अधिसूचना द्वारा होती है।

1	2	3
		(iii) मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एमएएफएफ) मंत्री को आवश्यकता की पूर्ति करने वाले किसी भी व्यक्ति को नामांकन करने का अधिकार है।
		(iv) अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग:- आयोग में एनसीएम अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त नाम रखने की विवेकाधीन शक्ति मंत्री और मंत्रालय के पास होती है। नामों को अंतिम रूप से प्रधान मंत्री अनुमोदित करते हैं।
		(v) भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त:- प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकारी की नियुक्ति के लिए उपयुक्त नाम देने का विवेकाधिकार मंत्री और मंत्रालय के पास होता है।
		(vi) एनएमडीएफसी के गैर सरकारी निदेशक एवं अध्यक्ष की नियुक्ति:- एनएमडीएफसी के निदेशकों मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के दो पद हैं। विवेकाधिकार शक्ति डीपीई को नामों के पैनल का केवल सुझाव देने तक ही सीमित है। एनएमडीएफसी के गैर सरकारी निदेशक एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करने संबंधित अंतिम अधिकार एसीसी के पास ही रहेंगे।
53.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	कोई विशेषाधिकार नहीं है।
54.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	कोई विशेषाधिकार नहीं है।
55.	विदेशी भारतीय मामले मंत्रालय	कोई विशेषाधिकार नहीं है।
56.	संसदीय मामला मंत्रालय	कोई विशेषाधिकार नहीं है।
57.	पंचायती राज मंत्रालय	मंत्री के पास कोई विवेकाधिकार शक्ति नहीं है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
58.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	कोई विशेषाधिकार नहीं है।
59.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग	कोई विशेषाधिकार नहीं है।
60.	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग	कोई विशेषाधिकार नहीं है।
61.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	(अर्द्ध सैन्य रक्षा बल एवं पुलिस बल के शहीदों के परिवारजनों को सीधी ही डीलरशिप/संवितरण आबंटित करने संबंधी विवेकाधिकार कोटा स्कीम (डीक्यूएस) को दिसम्बर, 2006 में भंग कर दिया गया है)
62.	योजना आयोग	योजना आयोग में निम्नलिखित क्षेत्रों में उपाध्यक्ष स्तर पर निर्णयों का अनुमोदन किया जाता है:- (i) संघ के मंत्रालयों का आबंटन; (ii) राज्यों को विशेष पैन सहायता; (iii) योजना आयोग में सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियक्ति। चूंकि सभी निर्णयों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जानी होती है सलिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पास अनन्य विवेकाधिकार शक्तियां नहीं हैं।

1	2	3
63.	विद्युत मंत्रालय	कोई विशेषाधिकार नहीं है।
64.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	(i) भले ही नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति से संबंधित मामलों में, सीसीए तथा/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन अनिवार्य हो, फिर भी माननीय मंत्री जी (स.प.एवं.रा.) कतिपय अवसरों पर पहले निर्णय लेकर तथा इसे कार्योत्तर अनुमोदन के लिए एसीसी और/या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तावों को अग्रेषित कर विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उक्त विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग केवल मुकदमों आदि से संबंधित अत्यधिक प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता के दौरान ही किया जाता है।
		(ii) मंत्रालय में सीईएस (सड़क) विभिन्न संवर्गों के स्थानांतरण, तैनाती एवं प्रतिनियुक्ति से सबंधित मामलों को इस संबंध में निर्धारित स्थानांतरण नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है। मानवीय मंत्री जी (स.प.एवं. रा.) प्रशासिनक तात्कालिक आवश्यकता के कारण तथा/या लोक हित में कतिपय अवसरों पर उक्त स्थानांतरण नीति में परिवर्तन के लिए विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
65.	रेलवे मंत्रालय	(i) कोचिंग प्रशुल्क में अनुमत्य से इतर अनुरोधों पर रियायत प्रदान करना।
		(ii) कतिपय पात्र मामलों में अनुग्रह राशि घोषित करने के अतिरिक्त रेल दुर्घटनाओं एवं अप्रिय घटनाओं के पीड़ितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान करना।
		(iii) सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेलकूद और कल्याणकारी क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्ति/संगठनों को कल्याणकारी आधार पर मानार्थ कार्ड तथा चैक प्रवेश-पत्र जारी करना।
		(iv) यात्री सुख-सुविधा समिति तथा यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नामांकन करना।
ग्रामीण विकास मंत्रालय		
66.	ग्रामीण विकास विभाग	(i) सतर्कता एवं निगरानी समितियां:- सभी राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों में गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों के गैर सरकारी सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का नामांकन के विवेकाधिकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध विवेकाधिकार के रूप में समझा जाए।
67.	ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध शक्तियां।	(i) **लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट):-** माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जो केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री तथा कापार्ट के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, सोसायटी के सदस्य नामांकित किए गए हैं।
		(ii) **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान:-** माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री संस्थान के अध्यक्ष होते हैं। वह महापरिषद के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान के नियमानुसार माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री संस्थान के अध्यक्ष होने के नाते महापरिषद और कार्यकारी परिषद के कतिपय सदस्यों का नामांकन करते हैं।
	भूमि संसाधन विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
68.	पेयजल आपूर्ति विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।

1	2	3
69.	पोत परिवहन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
70.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
71.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
72.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	मंत्री द्वारा किसी विवेकाधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है।
73.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(क) **सभी मंत्रियों को समान विवेकाधिकार शक्तियां:**- "मंत्रिपरिषद" स्कीम और "मंत्रियों द्वारा विवेकाधिकार अनुदान" के अंतर्गत विवेकाधिकार अनुदान कैबिनेट के सभी मंत्रियों को उपलब्ध होता है और इस स्कीम के अंतर्गत 2010 में 6.00 लाख का प्रावधान है; मंत्री निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी वित्तीय वर्ष में है जिनके पास जिला स्तर का कैम्प है। विशेष कैम्प प्राप्त करने के लिए एडीआईपी के अंतर्गत आबंटन का कतिपय भाग; सामान्य जिला स्तर के कैम्पों से उपर के कतिपय आबंटनों में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संस्वीकृत करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के लिए प्रत्येक वर्ष एक तरफ रख दिया जाता है 5 करोड़ रुपए का एक प्रावधान, एडीआईपी के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के कुल आबंटन की तुलना में विशेष कैम्पों के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान रखा गया है।
74.	अंतरिक्ष विभाग	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
75.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
76.	इस्पात मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है। फिर भी, मंत्री जी इस्पात उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं और विभिन्न राज्य उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीधे माननीय मंत्री महोदय द्वारा गैर-सरकारी सदस्य (लगभग 400) नामित किए जाते हैं।
77.	वस्त्र मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
78.	पर्यटन मंत्रालय	विभिन्न सलाहकार समितियों/स्वायत्त संस्थानों के बोर्डो में सदस्यों को नामित करने का अधिकार:- (1) हिन्दी सलाहकार समिति में 4 सदस्यों का नामांकन (2) आईआईटीटीएम बोर्ड में विशेषज्ञों का नामांकन (3) एनसीएचएमसीटी की आम सभा में विशेषज्ञों का नामांकन (4) राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) में विशेषज्ञों का नामांकन मंत्री जी के अनुमोदन से प्रति वर्ष परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को प्राथमिकता दी जाती है।
79.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	विवेकाधीन निधि के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्री का एक वर्ष का कुल बजट रु. 2.00 लाख है। शीर्ष के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान कोई अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया है।

1	2	3
		जनजातीय कार्य मंत्री को निम्नलिखित किसी भी प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विवेकाधिकार है:- (i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थाएं (ii) अत्यधिक प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति के बच्चे/पीटीजी के बच्चे (प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण) जिनका पूर्ववर्ती परीक्षाओं में अंकों के उच्च प्रतिशत रहा हो, जिनके अभिभावक दिवंगत हो चुके हों अथवा जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय रु. 5000/- प्रतिमाह से अधिक न हो, की शिक्षा हेतु। (iii) चिकित्सीय उपचार हेतु सभी स्रोतों से जिनकी आय 500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं है। (iv) किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अनुदान की राशि 10,000/- रु. से अधिक नहीं होगा।
80.	शहरी विकास मंत्रालय	आवास से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सीसीए) के अनुमोदन के अध्यधीन शहरी विकास मंत्री प्रत्येक प्रकार (टाईप) में प्रतिवर्ष होने वाली कुल रिक्तियों की 5% सीमा तक चिकित्सीय और कार्यात्मक आधार पर पात्र कर्मचारियों को सामान्य पूल आवास (जीपीआरए) से बिना आबंटन के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। मंत्री जी प्रतिवर्ष दिल्ली गोल्फ क्लब लिमिटेड में (बिना बारी के) 2 सदस्य नामित कर सकते हैं। मंत्री जी प्रतिवर्ष भारतीय पर्यावास केन्द्र में भी दस सदस्य नामित कर सकते हैं।
81.	जल संसाधन मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
82.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	कोई विवेकाधिकार नहीं है।
युवा कार्य और खेल मंत्रालय		
83.	खेल विभाग	राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण निधि नामक एक स्कीम में विवेकाधिकार खंड है। मंत्रालय के प्रभारी मंत्री साधार समिति के अध्यक्ष की हैसियत से उपयुक्त मामले में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त सहायता संस्वीकृत कर सकते हैं। यह सहायता रु. 50,000/- से 5 लाख रु. तक के बीच हो सकती है।
84.	युवा कार्य विभाग	राज्यमंत्री (युवा कार्य और खेल) के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

ई-शासन के अन्तर्गत परियोजना

15. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार उन जिलों के नाम क्या है जहां ई-शासन के अन्तर्गत कॉमन सर्विस-सेंटर और ई-जिला मिशन मोड परियोजना अब तक कार्यान्वित की गई है;

(ख) राज्य-वार इन स्कीमों के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी निधियां जारी की गई हैं और उपयोग में लायी गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्कीमों/परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी जिलों को कवर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने जिलों को कवर किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) ई-शासन परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली सामान्य सेवा केन्द्र और ई-जिला मिशन मोड परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जारी और उपयोग में लाई निधियां ऊपर भाग (क) में उल्लेख किए गए अनुसार संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इस स्कीम के अन्तर्गत देश के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिले शामिल हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	सहायता अनुदान							
		जारी निधियां				प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	13.25	0	14.01	0	12.38	0	13.25	0
4.	बिहार	0	0	0	0	2	7.11	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0.49	0	0	0
6.	गोवा	0	0.002	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0.22	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1.5	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0.95	0
12.	कर्नाटक	0	9.74	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0.45	0	0	0.45	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	1.6	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0.63	2.012	0	0.7912	0.6354	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0.1556	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	0	0	0.92	0	0	0	0.4015	0
19.	नागालैण्ड	0	0.46	0	0	0	0	0.8937	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0.91
23.	सिक्किम	0.21	0.21	0	0	0.2025	0.2084	0.2054	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0.29	0	0	0	0.182	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.31	0
27.	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	9.5	0	0	0
	कुल (राज्य)	13.46	11.48	17.23	0	29.1337	7.9538	16.3482	2.08
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.18	0	0	0	0	0	0.015	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0.18	0	0	0	0	0	0.015	0
	कुल (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	13.64	11.48	17.23	0	29.13	7.95	16.36	2.08

विवरण II

ई-जिला राष्ट्रीय कार्यान्वयन के अन्तर्गत जारी निधियों के विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2011-12 में जारी	वित्त वर्ष 2012-13 में जारी	राज्य द्वारा उपयोग की गई राशि
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.00		लागू नहीं
आन्ध्र प्रदेश	350.83		लागू नहीं

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	0.00	331.93	लागू नहीं
असम	890.60		लागू नहीं
बिहार	320.00		लागू नहीं
चंडीगढ़	20.00		लागू नहीं
छत्तीसगढ़	520.88		लागू नहीं
दादरा और नगर हवेली	10.00		लागू नहीं
दमन और दीव	92.81		लागू नहीं
दिल्ली	0.00		लागू नहीं
गोवा	161.42		लागू नहीं
गुजरात	1003.00		लागू नहीं
हरियाणा	0.00		लागू नहीं
हिमाचल प्रदेश	90.00		लागू नहीं
जम्मू और कश्मीर	50.00		लागू नहीं
झारखंड	240.00		लागू नहीं
कर्नाटक	10.00		लागू नहीं
केरल	505.85		लागू नहीं
लक्षदीप	10.00		लागू नहीं
मध्य प्रदेश	490.00		लागू नहीं
महाराष्ट्र	412.27		लागू नहीं
मणिपुर	348.18		लागू नहीं
मेघालय	226.64		लागू नहीं
मिजोरम	228.26		लागू नहीं
नागालैण्ड	120.00		लागू नहीं
ओडिशा	561.21		लागू नहीं
पुदुचेरी	40.00		लागू नहीं
पंजाब	0.00	197.12	लागू नहीं
राजस्थान	120.00		लागू नहीं
सिक्किम	162.35		लागू नहीं

1	2	3	4
तमिलनाडु	175.49		लागू नहीं
त्रिपुरा	286.99		लागू नहीं
उत्तर प्रदेश	280.00		लागू नहीं
उत्तराखण्ड	90.00		लागू नहीं
पश्चिम बंगाल	180.00		लागू नहीं
कुल	8005.80	529.05	

[अनुवाद]

कराधान नीति

16. **श्री जोस के. मणि:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मॉरीशस के विदेश मंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के दौरे के बाद सरकार ने अपनी कराधान नीतियों को कलैक्शन फोकस डोमेन से बदल कर इन्वेस्टर फ्रेंडली डोमेन कर दिया है/करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) सरकार की कराधान नीति राजस्व की आवश्यकताओं और इनबाउंड निवेश पर ध्यान केंद्रित करने के बीच संतुलन बनाए रखती है। अत: इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। फिर भी विभिन्न क्षेत्रों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सामान्य कर-परिहार रोधी नियमावली (जी एएआर) से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति केवल संविभाग निवेश के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के संदर्भ में भी परिसंपत्तियों के अनिवासी स्थानांतरण, जहां विचाराधीन परिसंपत्ति भारत में, कर कराधान में संशोधन की प्रयोज्यता की जांच कर रही है।

एक्सचेंजों में निवेश

17. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में कितने लोग एक्सचेंजों में निवेश कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने निजी व्यक्तियों को विभिन्न प्राइमरी और सेकेण्डरी मार्किट में निवेश करने को बढ़ावा देने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न प्राइमरी और सेकेण्डरी मार्किट में निवेश करने के बारे में लागों को शिक्षित करने हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) देश भर के विविध एक्सचेंजों में निवेश करने वाले लोगों की संख्या के कोई भरोसेमंद अनुमान नहीं हैं। तथापि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के जुलाई 2011 में प्रकाशित सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि 2008-09 के दौरान भारत में 24.46 मिलियन निवेशक परिवार थे।

(ख) सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में व्यक्तिगत निवेश को बढ़ाने की अनेक पहले की हैं। इस संबंध में विगत तीन वर्षों में की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

* इक्विटी बाजारों में प्रथम बारगी खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने की राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आरजीईएसएस) नामक एक नई योजना की घोषणा वर्ष 2012-13 के बजट में की गई थी। यह योजना उन नए खुदरा निवेशकों को 50 प्रतिशत की आयकर छूट

अनुमत करेगी जो इक्विटी में सीधे 50,000 रुपए तक का निवेश करते हैं तथा जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है।

* परिदाय आधारित नकद खंड लेनदेन के लिए प्रतिभूति लेनदेन कर में 20 प्रतिशत की कमी करना;
* भारतीय इक्विटी बाजार में अर्हक विदेशी निवेशक ढांचे के तहत विदेशी निवेशकों को भी निवेश करने में समर्थ बनाने की योजना;
* व्यष्टि निवेशकों को ऑनलाइन एएसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन पत्र) सुविधा का विस्तार;
* इश्यु में व्यष्टि निवेशक आवेदन पर मौद्रिक सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना;
* इंटरनेट आधारित कारोबारी ढांचे का सुदृढ़ीकरण;
* व्यष्टि निवेशकों के लिए मूल्य संवेदी तथा अन्य संगत सूचना का बेहतर प्रकटन;
* कारोबारी खाता खोलने तथा अपने ग्राहक को जानें अपेक्षाओं का सरलीकरण तथा यौक्तिकीकरण;
* स्टॉक एक्सचेंज की अवसंरचना के जरिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में कारोबार को सुकर बनाना;
* निवेशक संघों (आईए), राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम), एक्सेंजों, निक्षेपागारों तथा विभिन्न व्यापार संगठनों जैसे भारती म्युचुअल फंड संघ (एएमएफआई) के जरिए सेबी द्वारा संचालित निवेशक जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशाला।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेश से धन प्रेषण पर सेवा कर

18. **श्री पी. कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेश से धन प्रेषण पर सेवा कर लगाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस मामले में कोई मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी नहीं। विदेश से भारत को भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि पर स्वत: ही कोई सेवा कर नहीं लगाया जाता है।

(ख) उपयुक्त (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) गोवा सरकार को अनिवासी भारतीय मामलों से संबंधित आयुक्त से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है।

(घ) इस संदर्भ में मांग की गई है कि विदेश से भारत भेजी जाने वाली धन राशियों पर लगने वाले कथित सेवा कर की वसूली रद्द कर दी जाए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने परिपत्र सं. 163/14/2012- सेवाकर, के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि 'ओवरसीज' (विदेश) से भारत भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा पर स्वत: ही कोई सेवाकर नहीं लगाया जाता है।

स्थानांतरण/रोटेशनल पॉलिसी

19. **श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डीओपीएंडटी में कर्मचारियों के स्थानांतरण/रोटेशन की क्या नीति अपनायी जाती है;

(ख) कितने कर्मचारियों को पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा करने पर तथा अगले ग्रेड में प्रोन्नति पर स्थानान्तरित/रोटेट किया गया है;

(ग) क्या कर्मचारियों को प्रोन्नति पर स्थानान्तरित करना अनिवार्य है; और

(घ) उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अपनी निर्धारित अवधि पूरा करने पर और प्रोन्नति पर न तो स्थानांतरित किया गया है और न ही रोटेट किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की रोटेशनल स्थानांतरण नीति में निर्धारित किया गया है कि किसी मंत्रालय/विभाग विशेष में एक अधिकारी का संयुक्त कार्यकाल, अवर सचिव, उप सचिव एवं निदेशक के मामले में 5 वर्ष एवं अनुभाग अधिकारियों एवं सहायकों के मामले में 7 वर्ष होगा। किसी

भी स्तर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी को पदोन्नति होने, पर दो वर्ष में सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारी को छोड़कर, उस मंत्रालय/विभाग से बाहर तैनात किया जाएगा यदि उसने उसी मंत्रालय/विभाग से किसी भी स्तर पर नियत कार्यकाल से अधिक कार्य किया है।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) की रोटेशनल स्थानांतरण नीति में निर्धारित किया गया है कि किसी भी विशिष्ट संवर्ग यूनिट/मंत्रालय/विभाग में एक अधिकारी का कार्यकाल इस अपवाद के साथ 10 वर्ष होगा यदि उस अधिकारी की 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति होने वाली हो या उस विभाग के सचिव के कार्यालय में कार्यरत हो तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा बशर्ते कि संबंधित मंत्रालय/विभाग में कोई रिक्ति हो। तथापि, सामान्यत: पदोन्नति होने पर ही एक अधिकारी का स्थानांतरण किया जाएगा।

(ख) 01 जनवरी, 2012 से रोटेशनल स्थानांतरण नीति के अधीन केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 425 एवं केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 1347 अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा चुका है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जिन कर्मचारियों का रोटेशनल स्थानांतरण नीति के अधीन नियत कार्यकाल पूरा होने पर स्थानांतरण किया जाना है, उन्हें चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

मंगल मिशन

20. **श्री महाबली सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "मंगल मिशन" संबंधी प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मिशन पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है और इस मिशन के कितने समय में पूरा होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) प्रस्तावित "मंगल मिशन" (मानवरहित कक्षित्र) अनुमोदन हेतु सरकार के पास विचारार्थ अंतिम चरण में है।

(ख) अक्टूबर-नवंबर, 2013 के दौरान एक "मंगल कक्षित्र मिशन" का आयोजन करने का इसरो का प्रस्ताव है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत की प्रौद्योगिकिय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचना जिससे भविष्य में वैज्ञानिक अन्वेषी मिशनों के रास्ते खुलेंगे। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पीएसएलवी-एक्स एल) का उपयोग करते हुए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से मंगल कक्षित्र का प्रमोचन निर्धारित है।

(ग) प्रस्तावित "मंगल कक्षित्र मिशन" की लागत रुपये 450 करोड़ है और यह मिशन 2015-16 तक पूरा किए जाने हेतु निर्धारित है।

[अनुवाद]

डिजिटल पाथ

21. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक वित्तीय समावेश हेतु डिजिटल पाथ अपनाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) वहनीय लागत पर आम लोगों को प्रभावी तरीके से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने और अधिकतम प्रणालीगत दक्षता हासिल करने के उद्देश्य से, बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन प्रयासों में प्रौद्योगिकी अपनाने की पहलें, जिनमें, अन्य के साथ-साथ, वित्तीय समावेशन खातों के लिए विक्रय केन्द्र मशीनों के माध्यम से स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी का उपयोग, सूक्ष्म एटीएम लगाने, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बीसीए के रूप में स्थापित सामान्य सेवा केन्द्रों का उपयोग, बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का विकास, डेबिट कार्ड के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, सरकार प्रायोजित स्कीमों के इलेक्ट्रानिक तरीके से लाभों के अंतरण के लिए इलेक्ट्रानिक लाभ अंतरण (ईबीटी) शामिल हैं।

विद्यालयों में अनुचित प्रथाएं

22. **श्री हमदुल्लाह सईद:**
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) विद्यालयों के कामकाज पर नजर रखने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अनुचित प्रथाओं के निषेध संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अधिकृत है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यालयों में चंदा मांगने, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के बारे में अनुचित प्रथाएं सरकार के ध्यान में आने के बाद यह निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने और उक्त विधेयक कब तक पारित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देने वाला सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 7 जून, 2011 की अपनी बैठक में स्कूलों में अनुचित प्रथाएं अपनाने के संबंध में अपनी बैठक में अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं तथा अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए एक विधायी प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिस दिशा में इसने स्कूल विधायी प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिस दिशा में इसने स्कूल शिक्षा क्षेत्र में अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए मसौदा कानून तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति गठित की थी।

(ग) समिति ने राज्य सरकारों सहित स्टेक होल्डरों के आधार पर इन्पुट के लिए एक मसौदा कानून तैयार किया है।

विद्यालयों को मान्यता

23. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में कितने सरकारी तथा निजी स्कूल हैं;

(ख) क्या स्कूलों की उक्त संख्या दिल्ली में बढ़ रही जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त हैं;

(ग) क्या निजी स्कूलों को मान्यता दिए जाने संबंधी नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि दिल्ली में 2874 सरकारी तथा 2353 निजी स्कूल हैं।

(ख) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई), अधिनियम, 2009 के मानकों के अनुसार चूंकि प्रत्येक वर्ष नामांकन लगभग एक लाख बढ़ रहा है, इसलिए और अधिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतः चेपदार टिकटें

24 श्री पी.टी. थॉमसः क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा टिकटों के बदले स्वतः चेपदार डाक टिकटें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अभी तक इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) देश में मौजूदा डाक-टिकटों के बदले स्वतः चेपदार डाक-टिकटों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूआईडी योजना में परिवर्तन

25. श्री कीर्ति आजादः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूआईडी योजना में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिवर्तनों के कारण सरकार को कितना अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) चरण-1 के अनुभवों तथा यूआईडीएआई पारिस्थितिकी-प्रणाली के पणधारियों से प्राप्त विभिन्न सुझावों से सीखते हुए वर्तमान प्रक्रिया/दिशा निर्देशों एवं प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित संशोधन/सुधार शामिल किए गए हैं:

(i) यूआईडीएआई लक्षित समूहों को समय-सीमा के अंदर कवर करने हेतु बहु-पंजीयक मॉडल पर कार्य करना जारी रखेगी। यूआईडीएआई के सभी पंजीयक (आरजीआई को छोड़ कर) 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भौगोलिक सीमा के अंदर पंजीकरण करेंगे। गैर-सरकारी पंजीयक (बैंक, इग्नू, एनएसडीएल आदि) यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करते हुए अपने/नजदीकी परिसर में पंजीकरण मॉडल पर कार्य करेंगे। वे क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राज्य सरकारों के परामर्श से स्वीप एप्रोच पंजीकरण मॉडल अपनाएंगे।

(ii) पंजीयकों से पंजीकरण हेतु यूआईडीएआई के पैनल के पंजीकरण एजेंसियों की सहायता लेने की सलाह दी गई है। पंजीकरण कार्यकलाप शुरू करने से पहले पंजीकरण एजेंसियों को पंजीकरण केन्द्र आन-बोर्ड प्रक्रिया से गुजरना होगा। पंजीकरण एजेंसियों को नया पंजीकरण शुरू करने से पहले अपनी सभी मशीनों का पुनः पंजीकरण कराना होगा। उन्हें पंजीकरण योजना भी तैयार करनी होगी। प्रशासनिक कर्मचारियों और संचालकों/पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है।

(iii) पंजीकरण के दौरान सामाजिक समावेशन पर विशेष ध्यान केन्द्रण होगा।

(iv) पंजीकरण के पहले चरण में छूट गए लोगों के लिए स्थायी पंजीकरण केन्द्र की स्थापना। ये केन्द्र यदि आवश्यक हो, तो सुधार/संशोधन/अद्यतन तथा पुनः पंजीकरण हेतु टच-प्वाइंट के रूप में कार्य करेंगे।

(v) पुनःबल दिया गया है कि पंजीकरण कार्य को उप-संविदा पर देने की अनुमति नहीं होगी।

(vi) यह निर्णय लिया गया है कि पंजीकरण प्रक्रिया के साथ प्रक्रिया अनुपालन की समीक्षा हेतु ईए निष्पादन की थर्ड पार्टी लेखा परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता है।

(vii) फील्ड में पंजीकरण के दौरान संचालकों/पर्यवेक्षकों द्वारा की गई गलतियों के लिए प्रोत्साहन हटा लेना, दण्ड गलाने हेतु प्रावधान कर दिया गया है।

(viii) यह अधिदेश दिया गया है कि पंजीयक सभी पंजीकरण केन्द्रों पर दस्तावेज जांचकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

(ix) पंजीकरण केन्द्रों का स्थान सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा उपाय के रूप में यथाशीघ्र जीपीएस प्रणाली चालू की जानी चाहिए।

(x) जनांकिकी भूलें कम से कम हों यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संचालक अपने पंजीकरण का दिन की समाप्ति पर समीक्षा (ईओडी) करेंगे।

(xi) पंजीकरण स्टेशनों का सीआईडीआर के साथ प्रत्येक 10 दिन के अंतर्गत तालमेल करना तथा पंजीकरण के 20 दिन के अंतर्गत पैकेट्स अपलोड करना।

(xii) चरण-II के दौरान निवासियों के पंजीकरण हेतु 7.5.2012 को जावा आधारित सिंगल क्लाइंट वर्जन अर्थात् जावा आधारित क्लाइंट वर्जन 2.1.0.0 पहले से ही लगा दिया गया है।

(xiii) पंजीकरण के समय निवासियों द्वारा दिए गए पीओआई/पीओए दस्तावेजों के स्कैनिंग का प्रावधान होना चाहिए।

(ग) अतिरिक्त पंजीकरण की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर आवश्यकतानुसार हासिल किए जाएंगे। सरकार ने चरण-III के लिए कुल 8814.75 करोड़ रुपये का अनुमोदन दे दिया है जिसमें चरण-II में किए गए 3023.01 करोड़ रुपये शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए यूआईडीएआई को अपना अधिदेश लागू करने हेतु सरकार 1758 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु सांसद कोटा

26. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
श्री हरि मांझी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु संसद सदस्यों (एमपी) के कोटे में बढ़ोत्तरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन संसदीय क्षेत्रों जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, के सांसदों हेतु क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या अन्य जिलों के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु सांसदों को कोटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने शासी बोर्ड के अनुमोदन से केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में संसद सदस्यों के लिए विशेष वितरण प्रवेश की एक नई योजना दिनांक 20.07.2012 से कार्यान्वित की है। योजना के तहत, प्रत्येक संसद सदस्य के लिए सिफारिशों के आधार पर वितरण प्रवेश कोटा एक शैक्षिक वर्ष में 6 प्रवेशों तक बढ़ा दिया गया हैं ऐसी सिफारिशें केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेशों के लिए होंगी। यदि माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है तो उन्हें किसी भी पड़ोस के निकटस्थ निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में इन प्रवेशों की सिफारिश की जा सकती है। तथापि, राज्य सभा सदस्यों के लिए, जिस राज्य से माननीय सदस्य को चुना गया है, उन्हें इस प्रयोजन के लिए उनका निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा। राज्य सभा और लोक सभा के मनोनीत सदस्य देश के किसी भी एक या अधिक केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 6 प्रवेशों के लिए सिफारिश कर सकते हैं।

ग्राम शिक्षा समितियां

27. **डॉ. कृपारानी किल्ली:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम शिक्षा समितियां पूरे देश में गठित की जा चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने में इनकी भूमिका क्या होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ाने हेतु जागरुकता और समर्थन अभियान शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्राम/स्कूल स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के नाम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। तथापि, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूल के कार्यकरण की निगरानी करने, स्कूल विकास योजना तैयार करने तथा स्कूल के लिए प्राप्त अनुदानों के उपयोग की मानीटरिंग करने के लिए स्कूल प्रबंध समितियों के गठन का प्रावधान है।

(ग) और (घ) सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए एक वर्ष पूर्व, 11 नवम्बर, 2011 को 'शिक्षा का हक अभियान' नामक राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय मानदंडों के अनुसार समुदाय जुटाव के लिए परिव्यय के 0.5 प्रतिशत का आबंटन किया जाता है।

लौह अयस्क निर्यात पर शुल्क

28. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात मंत्रालय लौह अयस्क के निर्यात पर 30 प्रतिशत शुल्क चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी हां।

(ख) इस्पात मंत्रालय ने सितम्बर, 2011 में अनुरोध किया था कि लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क को 20% मूल्यानुसार से बढ़ाकर 30% मूल्यानुसार कर दिया जाए।

(ग) सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात, पहले से ही अर्थात् 20 दिसम्बर, 2011 से लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क (एक मुश्त और दण्ड दोनों) को 20% मूल्यानुसार से बढ़ाकर 30% मूल्यानुसार कर दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान बजट

29. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) हेतु मानदंडों में यह प्रावधान है कि एसएसए बजट का 30 प्रतिशत से अधिक सिविल निर्माण पर व्यय नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक अध्यापक हेतु कम से कम एक कमरा और कार्यालय कक्ष/स्टोर के रूप में उपयोग किए जाने हेतु एक अतिरिक्त कमरे का प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के मामलों में, जहां स्कूलों में कमरों की आवश्यकता अधिक है और एसएसए के अपर्याप्त बजट के कारण नियम अवधि के भीतर उक्त आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती, आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कमरों से संबंधित मानकों का सरकार किस प्रकार अनुपालन सुनिश्चित करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के अनुसार, किसी वर्ष विशेष में जिला वार्षिक योजना परिव्यय के 50 प्रतिशत तक पर सिविल निर्माण कार्यों के लिए विचार किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना की संपूर्ण अवधि के दौरान सिविल निर्माण कार्यों का परिव्यय कुल परियोजना लागत के 33 प्रतिशत तक सीमित रहेगी।

(ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में प्रत्येक अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा-कक्ष की व्यवस्था की गई है। ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों/अनुभागों में, जिनमें नामांकन क्रमशः 150 और 100 से अधिक है, एक कार्यालय एवं भंडार एवं प्रधान अध्यापक/मुख्य अध्यापक कक्ष की व्यवस्था भी की गई है।

(ग) आरटीई अधिनियम 2009 के लागू हो जाने के बाद, वर्ष 2010-11 और 2011-12 में 4,98,339 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष तथा 2012-13 में 1,90,046 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत किए गए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्र/राज्य द्वारा प्रायोजित अन्य स्कीमों का अवसंरचना के विकास में उपयोग करने का प्रयास करें।

एनसीटीई के कार्यकरण संबंधी समिति

30. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार का विचार एनसीईटी को अपने नियंत्रण में लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार/एनसीटीई द्वारा देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) अध्यापक शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका तथा कार्य सम्मिलित हैं, की जांच करने और सुधार हेतु उपाय सुझाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने मई, 2011 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्त जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया। आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार जुलाई, 2011 में एनसीटीई की परिषद का अधिक्रमण कर दिया और परिषद के अधिकारों के उपयोग और कार्यों को सम्पन्न करने के लिए एक समिति का गठन किया।

(ङ) शिक्षक तैयारी और शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत अध्यापक अर्हताओं को निर्धारित करना; शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को उत्तीर्ण करने को कक्षा 1-8 तक के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता के रूप में विनिर्दिष्ट करना; राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना 2009 (एनसीएफटीई) का विकास करना; अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की आदर्श पाठ्यचर्या तैयार करना; अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना में 12वीं योजना कॉलेज (सीटीई) और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आईएएसई) जैसी मौजूदा संस्थागत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तार करना शामिल हैं; राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एसईआरटी) का सशक्तीकरण, अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों में ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना आदि।

कोयले की चोरी

31. श्री उदय सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का पश्चिम बंगाल और झारखंड में अपनी खानों से कोयले की चोरी रोकने हेतु कोई परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परामर्शदाता के अभाव में सीआईएल ने देशभर में अपनी खानों से कोयले की चोरी रोकने के लिए कदम नहीं उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) परामर्शदाता की नियुक्ति से सीआईएल को अपनी खानों से कोयले की चोरी रोकने में कितनी मदद मिलने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की खानों में कोयले की उठाईगिरी को नियंत्रित करने के लिए सहायता करने हेतु सीआईएल द्वारा परामर्शदाता नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोयले की उठाईगिरी और चोरी कानून और व्यवस्था की समस्या है और कोयले की चोरी/उठाईगिरी को रोकने/समाप्त करने के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई करना राज्य/जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेवारी है। तथापि, कोयले की चोरी, उठाईगिरी को रोकने/समाप्त करने के लिए सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा पहले ही निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) संवेदशील बिन्दुओं पर चेक-पोस्ट की स्थापना की गई है।

(2) कोयला डम्पिंग यार्ड के चारों ओर चार-दिवारी, रोशनी की व्यवस्था और 24 घंटे सशस्त्र गार्डो की तैनाती की व्यवस्था करना।

(3) ओवर-बर्डेन डम्पों सहित खान के आस-पास नियमित रूप से गश्त लगाई जाती है।

(4) रेलवे साइडिंगों में सशस्त्र गार्डो की तैनाती की गई है।

(5) जिला अधिकारियों के साथ नियमित अंतराल पर परस्पर बातचीत और संपर्क करना तथा प्रत्येक महीने जिला प्रशासन के साथ बैठक आयोजित करना।

(6) जिले के बाहर ट्रकों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिए चलान जारी करना और होलोग्राम चिपकाना तथा उठाईगिरी को नियंत्रित करने के लिए सीआईएसएफ के प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाना।

(7) कोयले की उठाईगिरी/चोरी के विरुद्ध स्थानीय थाने में कोलियरियों और सीआईएसएफ के संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से एफआईआर दर्ज कराना/ सीआईएसएफ द्वारा अपराधियों के कार्यकलापों पर गहन निगरानी रखना।

(8) पुरानी/परित्यक्त खुली खदानों की चरणबद्ध तरीके से भराई/डोजिंग/सीलिंग/विस्फोट के लिए कार्रवाई करना।

(ङ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु आरबीआई की नीतिगत दरें

32. **डॉ. निलेश नारायण राणे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने धीरे-धीरे रिवर्स रेपो दर, रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात में नीतिगत दरें बढ़ाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नीतिगत दरों से मुद्रास्फीति के किस प्रकार नियंत्रण में रहने की संभावना है; और

(घ) मुद्रास्फीति में और वृद्धि को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी हां। विगत वर्ष में प्रमुख नीतिगत दरों में हुए अंतर को नीचे सारणी में दिया गया है:-

प्रतिशत

तब से प्रभावी	रेपो दर	रिवर्स रेपो दर	नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर)
1	2	3	4
3 मई, 2011	7.25	6.25	6.00
16 जून, 2011	7.50	6.50	6.00

1	2	3	4
26 जुलाई, 2011	8.00	7.00	6.00
16 सितम्बर, 2011	8.25	7.25	6.00
25 अक्तूबर, 2011	8.50	7.50	6.00
28 जनवरी, 2012	8.50	7.50	5.50
10 मार्च, 2012	8.50	7.50	4.75
17 अप्रैल, 2012	8.00	7.00	4.75

(ग) मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने और स्फीतिकारी आशंकाओं को काबू में रखने के लिए आमद को आंकते हुए वस्तु की लागत में वृद्धि के माध्यम से उसकी मांग को संचालित करते हुए मुद्रास्फीति नीति को लागू किया जाता है। तथापि मध्यावधि के बाद निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहने के लिए मौद्रिक नीति उत्पादक क्षेत्रों को निरंतर ऋण सहायता उपलब्ध कराती है।

(घ) सरकार मूल्य स्थिति पर बराबर नजर बनाए रखती है क्योंकि वह मूल्य स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, महंगाई कम होना शुरू हो गई है। चूंकि अधिक प्रोटीन युक्त वस्तुओं में उच्च मुद्रास्फीति इसे ऊंचे स्तर पर बनाए रखने के कारकों में से एक थी, सरकार ने 2012-13 के केन्द्रीय बजट में देश में प्रोटीन पूरकों की उपलब्धता बढ़ाने और इन उत्पादों की मांग और आपूर्ति में संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपायों का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

पशु चिकित्सालयों हेतु आबंटन

33. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ में पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु राशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या स्वीकृत राशि जारी की जा चुकी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और उक्त राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) 6 पशु चिकित्सालयों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तथा 68 औषधालयों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के लिए 2010-11 के दौरान 4.9 करोड़ रुपये की एकल-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार को जारी की जा चुकी है और निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, एकीकृत कार्य योजना (आईएपी), जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 10 जिले आते हैं, के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ये निधियां राज्य सरकार को जारी की जाती हैं और वह इन्हें जिलों को जारी करती है। जिला स्तर पर तीन-सदस्यीय समिति, जिसमें डीएम/कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी शामिल होते हैं, द्वारा इन निधियों से शुरू की जाने वाली स्कीमों का निर्णय किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएपी के तहत अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ 74 पशु चिकित्सालयों/केन्द्रों का निर्माण शुरू किया है जिसमें से 42 बीजापुर में, 29 दंतेवाड़ा में और 3 कंकेर में हैं।

[अनुवाद]

आई.टी. निर्यात

34. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वर्ष 2011-12 में आई.टी. के निर्यात से कितना राजस्व अर्जित किया;

(ख) चालू वित्त वर्ष में आई.टी. निर्यात हेतु क्या लक्ष्य नियत किया गया है; और

(ग) घरेलू हार्डवेयर ब्रांडों के विकास में सरकार क्या भूमिका अदा कर सकती है ताकि भारत इस क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन सके?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) वर्ष 2011-12 के दौरान आईटी निर्यात से प्राप्त होने वाला अनुमानित राजस्व 77.9 बिलियन अमरीकी डालर है।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012-13) के दौरान आईटी निर्यात के लिए अनुमानित लक्ष्य 87 बिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) घरेलू हार्डवेयर ब्राण्ड के विकास के लिए भारत को इस क्षेत्र में मुख्य शक्ति बनाने हेतु सरकार ने बहुत सारी पहलें की हैं जो कि निम्नलिखित हैं:

1. सुरक्षा चिंताओं के कारण घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रौनिक उत्पादों की खरीद और सरकारी खरीद में उन्हें वरीयता देने के लिए नीति अधिसूचित की गई है।

2. ईएसडीएम सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व-स्तरीय मूलसंरचना उपलब्ध कराने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर स्कीम को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

3. इलेक्ट्रॅनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योगों में अक्षमता को दूर करने एवं निवेश आकर्षित करने के लिए एक संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम अधिसूचित की गई है।

4. देश में अर्द्धचालक फेब्रिकेशन सुविधा स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी और निवेशकों को चिन्हित करने हेतु सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की है।

5. अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसी किसी कम्पनी जो इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, कम्प्यूटर और दूरसंचार उपस्कर के कारोबार में संलग्न है, के मामले में घरेलू स्तर पर किए गए अनुसंधान और विकास पर होने वाले व्यय के संबंध में 200% की भारित कटौती का प्रावधान उपलब्ध है।

परमाणु ऊर्जा संबंधी लक्ष्य

35. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी 20 वर्षों, अर्थात् 2032 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संबंध में कोई लक्ष्य नियत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का उक्त लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां।

(ख) दे. की एकीकृत ऊर्जा नीति में दर्शाए गए अनुसार वर्ष 2032 तक 63,000 मेगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मौजूदा 4780 मेगावाट स्थापित क्षमता को, वर्ष 2017 तक निर्माणाधीन 7 रिएक्टरों, जिनकी कुल क्षमता 53000 मेगावाट है, को क्रमिक रूप से पूरा करके 10,080 मेगावाट तक हासिल करने की योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का कार्य शुरू करने की परिकल्पना की गई है जिससे कुल क्षमता से वर्ष 2023-24 तक कुल विद्युत क्षमता बढ़कर 27,480 मेगावाट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विदेशी तकनीकी सहकार दोनों पर आधारित और अधिक नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को भी भविष्य में स्थापित करने की योजना है।

माल और सेवा कर लागू करना

36. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं और जीएसटी कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने जीएसटी लागू होने के कारण केन्द्रीय बिक्री कर में कमी की स्थिति में प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार के पास अभ्यावेदन दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इससे केन्द्र और राज्यों को अन्य वस्तुओं के साथ-साथ माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एक साथ कर लगाने का अधिकार मिलेगा। इसके बाद उपयक्त केन्द्रीय और राज्य विधानों को भी पारित करना होगा, जिन्हें मूल प्रावधानों के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता होगी। संविधान संशोधन विधेयक तैयार कर लिया गया था और दिनांक 22.3.2011 को लोक सभा में पुर:स्थापित कर दिया गया। विधेयक वित्त समिति के पास जांच के लिए भेजा गया है। एससीएफ की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) से (ङ) जी हां, बहुत सारे राज्यों ने अभ्यावेदन दिए हैं कि केन्द्र सरकार को जीएसटी लागू किए जाने तक केन्द्रीय बिक्री कर में हुई कमी के कारण होने वाली हानि के लिए प्रतिपूर्ति को जारी रखना चाहिए। इस मामले में प्रतिपूर्ति करने हेतु सरकार का वास्तविक निर्णय केवल 2009-10 तक का ही था, जिसका पूरा भुगतान कर दिया गया है। केन्द्रीय बिक्री कर की आगे होने वाली प्रतिपूर्ति के मामले पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

3-जी सेवाएं

37. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी टेलीकॉम सर्किलों में 3-जी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो आपरेटर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देश के प्रत्येक भाग में उक्त सेवा कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में 3-जी सेवाएं सफल नहीं रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या 2-जी सेवा की तुलना में 3-जी सेवा महंगी है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने उक्त कमियों को दूर करने और 3-जी सेवा को उपलब्ध कराने तथा इसे आम लोगों के लिए वहनीय बनाने हेतु क्या उपाय किए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ किए जाने संबंधी स्थिति, जैसा कि 3जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्राप्त लाइसेंसधारकों से सूचना प्राप्त हुई है, का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता हेतु 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस)/सीएमटीएस लाइसेंस करार में किए गए संशोधन के अनुसार, लाइसेंसधारकों को लाइसेंस के अनुसार 3जी स्पेक्ट्रम का वाणिज्यिक उपयोग करने का अधिकार लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 01.09.2010 से 5 वर्षों के भीतर संशोधन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए नेटवर्क का विस्तार करना है। अतः रॉल आउट हेतु निर्धारित समय-सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है।

(ग) से (छ) इस मामले से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ होने की स्थिति

क्र.सं.	लाइसेंसधारक का नाम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	सेवाओं की वाणिज्यिक शुरूआत की स्थिति
1	2	3	4
1.	ऐयरसेल लि.	आंध्र प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
2.	ऐयरसेल लि.	कर्नाटक	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
3.	ऐयरसेल लि.	तमिलनाडु	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
4.	भारती एयरटेल लि.	आंध्र प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
5.	भारती एयरटेल लि.	असम	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
6.	भारती एयरटेल लि.	बिहार	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
7.	भारती एयरटेल लि.	दिल्ली	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई

1	2	3	4
8.	भारती एयरटेल लि.	हिमाचल प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
9.	भारती एयरटेल लि.	जम्मू और कश्मीर	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
10.	भारती एयरटेल लि.	कर्नाटक	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
11.	भारती एयरटेल लि.	मुम्बई	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
12.	भारती एयरटेल लि.	तमिलनाडु	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
13.	भारती एयरटेल लि.	उत्तर प्रदेश (प.)	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
14.	भारती एयरटेल लि.	पश्चिम बंगाल	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
15.	भारती हेक्साकॉम लि.	पूर्वोत्तर	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
16.	भारती हेक्साकॉम लि.	राजस्थान	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
17.	डिशनेट वायरलेस लि.	असम	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
18.	डिशनेट वायरलेस लि.	बिहार	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
19.	डिशनेट वायरलेस लि.	जम्मू और कश्मीर	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
20.	डिशनेट वायरलेस लि.	केरल	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
21.	डिशनेट वायरलेस लि.	कोलकाता	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
22.	डिशनेट वायरलेस लि.	पूर्वोत्तर	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
23.	डिशनेट वायरलेस लि.	ओडिशा	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
24.	डिशनेट वायरलेस लि.	पंजाब	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
25.	डिशनेट वायरलेस लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
26.	डिशनेट वायरलेस लि.	पश्चिम बंगाल	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
27.	आइडिया सेल्यूलर लि.	आंध्र प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
28.	आइडिया सेल्यूलर लि.	गुजरात	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
29.	आइडिया सेल्यूलर लि.	हरियाणा	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
30.	आइडिया सेल्यूलर लि.	हिमाचल प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
31.	आइडिया सेल्यूलर लि.	जम्मू और कश्मीर	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
32.	आइडिया सेल्यूलर लि.	केरल	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
33.	आइडिया सेल्यूलर लि.	मध्य प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
34.	आइडिया सेल्यूलर लि.	महाराष्ट्र	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई
35.	आइडिया सेल्यूलर लि.	पंजाब	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुई

1	2	3	4
36.	आइडिया सेल्यूलर लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
37.	आइडिया सेल्यूलर लि.	उत्तर प्रदेश (प.)	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
38.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	दिल्ली	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
39.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	जम्मू और कश्मीर	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
40.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	मुंबई	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
41.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	पंजाब	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
42.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	राजस्थान	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
43.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	असम	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
44.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	बिहार	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
45.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	हिमाचल प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
46.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	कोलकाता	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
47.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	मध्य प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
48.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	पूर्वोत्तर	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
49.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	ओडिशा	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
50.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	पश्चिम बंगाल	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
51.	एस.टेल प्रा. लि.	बिहार	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
52.	एस.टेल प्रा. लि.	हिमाचल प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
53.	एस.टेल प्रा. लि.	ओडिशा	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
54.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	महाराष्ट्र	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
55.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	गुजरात	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
56.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	हरियाणा	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
57.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	कर्नाटक	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
58.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	केरल	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
59.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	मध्य प्रदेश	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
60.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	पंजाब	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
61.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	राजस्थान	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
62.	टाटा टेलीसर्विसेज लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
63.	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.	महाराष्ट्र	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं

1	2	3	4
64.	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि. (तमिलनाडु) और वोडाफोन एस्सार साउथ लि. (चेन्नई)	तमिलनाडु	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
65.	वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक लि.	हरियाणा	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
66.	वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
67.	वोडाफोन एस्सार ईस्ट लि.	कोलकाता	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
68.	वोडाफोन एस्सार गुजरात लि.	गुजरात	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
69.	वोडाफोन एस्सार लि.	मुंबई	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
70.	वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेज लि.	दिल्ली	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं
71.	वोडाफोन एस्सार साउथ लि.	पश्चिम बंगाल	3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ हुईं

यह उल्लेख किया जाता है कि बीएसएनएल को प्रचालन के सभी राज्यों/लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में 3जी स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया तथा इसने सभी राज्यों/लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में, जम्मू व कश्मीर सेवा क्षेत्र में वीडियों कॉल की सेवा को छोड़कर, 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए सेवाएं आरंभ कर दी हैं। इसी तरह, एमटीएनएल ने दिल्ली एवं मुंबई सेवा क्षेत्रों में 3जी स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए सेवाएं आरंभ कर दी है।

योजना व्यय में कटौती

38. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री पी.सी. मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खराब आर्थिक स्थिति के मद्देनजर योजना व्यय में 10 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि केन्द्र सरकार के अनेक मंत्रियों और अधिकारियों ने इस घोषणा के बाद 1 मई, 2012 से 31 जुलाई, 2012 के बीच विदेश दौरे किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके दौरों पर हुए व्यय का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे व्यय पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विदेश यात्रा, कार्य संबंधी जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय वनचबद्धताओं के आधार पर की जाती हैं। किफायत उपायों के भाग के तौर पर सभी मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया है कि विदेश यात्राएं अत्यावश्यक और अपरिहार्य सरकारी कार्यों के लिए ही हों और कम से कम हों। मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा यात्राओं पर किए गए व्यय के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

डीसीआरएफ के तहत ऋण की वसूली

39. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेट कन्सोलिडेशन एंड रिहेबिलिटेशन फेसिलिटि (डीसीआरएफ) के तहत राजस्थान सरकार का 308.70 करोड़ रुपए का ऋण 2008-09 में माफ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य की ऋण सीमा नियत करने हेतु राज्य के सकल घरेलू उत्पाद संबंधी नवीनतम क्या मापदंड अपनाए गए हैं और उन्हें ऋण माफी हेतु नहीं अपनाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के लिए ऋण सीमा नियत करने के लिए नवीनतम राज्यीय सकल घरेलू उत्पाद के मापदंडों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऋण माफी में इनके नहीं अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) राजस्थान सरकार को, राज्य के 2008-09 के बजट अनुमानों जिनमें राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले में 3.3 प्रतिशत दर्शाया गया था और जो 3.5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर था, के आधार पर ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिए 308. 70 करोड़ रुपए की अनंतिम ऋण माफी दी गई थी। वर्ष 2008-09 के वित्तीय लेखे उपलब्ध होने पर सभी राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले में राज्यों के समय राजकोषीय घाटे का पुन: मूल्यांकन किए जाने पर यह पाया गया कि राजस्थान सरकार ने सीमा का उल्लंघन किया है जिससे यह राज्य अनंतिम रूप से प्रदान की गई ऋण माफी की पुष्टि के लिए अयोग्य हो गया है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के माध्यम से प्राप्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों (2004-05 श्रृंखला) का उपयोग वर्ष 2012-2013 के लिए प्रत्येक राज्य की वार्षिक निवल ऋण सीमा की गणना के लिए किया गया है। ऋण समेकन और राहत सुविधा स्कीम, वर्ष 2009-10 में समाप्त हो गई।

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार ने अनुरोध किया था कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए ऋण माफी हेतु राज्य की पात्रता के निर्धारण के लिए, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों (2004-05 श्रृंखला) को स्वीकार किया जाए। इन वर्षों में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों (1999-2000 श्रृंखला) का उपयोग सभी राज्यों की वार्षिक ऋण सीमा की गणना के लिए किया गया था। ऋण सीमा को अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात् राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों को पूर्व-प्रभावी रूप से संशोधित करना उचित नहीं समझा गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

40. श्री कादिर राणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी/निजी बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में मुज्जफरनगर और मेरठ सहित तत्संबंधी राज्य-वार, बैंक-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) सहित घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (i) टीयर 2 से 6 केन्द्रों (99,999 तक की जनसंख्या वाले) में जिनमें ग्रामीण केन्द्र भी शामिल है और (ii) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी और शहरी केन्द्रों में रिपोर्टिंग के अध्यधीन शाखाएं/मोबाइल शाखाएं/प्रशासनिक शाखाएं/सीपीसी (सेवा शाखाएं) खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। गैर सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे सतत आधार पर अपनी कुल शाखाओं की 25% शाखाएं 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले अर्द्ध-शहरी केन्द्रों और ग्रामीण केन्द्रों में खोलें। यह उनको बैंकिंग लाइसेंस देने में विहित शर्तों में से एक हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अपनी शाखा प्राधिकार नीति में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना तैयार करते समय वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25% बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (टीयर 5 और टीयर 6) को आबंटित करें। मौजूदा शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार ग्रामीण और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने पर विशेष जोर दिया गया है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रिपोर्टिंग के अध्यधीन आरबीआई की पूर्व अनुमति लिए बिना अपने पसन्द के स्थानों पर स्थलेत्तर एटीएम/मोबाइल एटीएम स्थापित करने की सामान्य अनुमति दी गई है। बैंक अपने ग्राहकों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए सतत आधार पर शाखाएं/एटीएम खोल रहे हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1354 शाखाएं शामिल हैं। मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों के लिए शाखा खोलने की योजना में क्रमश: 16 और 13 शाखाएं है; जिसमें से क्रमश: 13 और 12 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु पृथक निधि

41. श्री नवीन जिन्दल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का देश में फिलहाल कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए एक पृथक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित कोष में राज्य तथा केन्द्र सरकार, दोनों से समान अंशदान की आवश्यकता होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं; और

(च)) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु वर्दी

42. **श्री सी. शिवासामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु एक विशिष्ट समान वर्दी लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि वर्ष 1963 से केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु ड्रेस कोड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि प्रस्तावित 'ड्रेस कोड' समसामयिकी दिखाई देगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए वर्दी का निर्धारण करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इसका निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा ही किया जाता है जो एक स्वायत्त निकाय है। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अलग पहचान देने के लिए एक नई वर्दी लागू की है। यह ड्रेस कोड वर्ष 1963 के बाद पहली बार बदला गया है।

एमएफआईएस को सिडबी का ऋण

43. **श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (डिबी) ने सूक्ष्म असंगठित क्षेत्र को और ऋण देने के लिए बैंकों के पुन: वित्तपोषण हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिडबी ने देश में सूक्ष्म/असंगठित उद्यमों को पुन: ऋण देने के लिए बैंकों को अब तक 1500 करोड़ रुपए वितरित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितने सूक्ष्म/असंगठित उद्यमों को ऐसे ऋणों को लाभ मिला है और तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) निगरानी परामर्शदात्री समूह को किस हद तक प्रभावी पाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के वित्पोषण को सुकर बनाने तथा उसकी निगरानी करने के लिए 17 अगस्त, 2009 को सिडबी में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया था।

विशेष प्रकोष्ठ एमएसई (पुनर्वित्त) निधि के कार्पस में से निधियों के संवितरण के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। उक्त निधि में प्राथमिकता-प्राप्त उधार देयताओं की प्राप्ति में कमी वाले बैंकों द्वारा अंशदान दिया जाता था।

सूक्ष्म उद्यमों को तुरंत सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रकोष्ठ ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सुव्यवस्थित कार्य-निष्पादन करने वाले राज्य वित्तीय निगमों (एसएफसी) को अभिचिन्हित किया, जिनके माध्यम से निधियों में से सहायता को त्वरित एवं प्रभावी रूप से अभियोजित किया जा सके।

प्रकोष्ठ ने सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की निगरानी करने तथा इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए 10 बैठकें आयोजित की हैं।

(ग) से (ङ) सिडबी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए 15 बैंकों तथा 2 एसएफसी के माध्यम से 2603.39 करोड़ रुपये संवितरित किए। लाभार्थियों की कुल संख्या 163,333 थी। लाभार्थियों की संख्या तथा संवितरण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) समूह की सलाह ने वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों को 55% से अधिक वित्तीय सहायता के संवितरण में योगदान दिया। सिडबी द्वारा 2603.39 करोड़ रुपये की संवितरित निधि के परिणाम स्वरूप बैंकों/राज्य वित्तीय संस्थाओं ने कुल 5770.22 करोड़ रुपये का संवितरण किया।

सूक्ष्म उद्यमों में 163,333 हिताधिकारियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एमएसई (पुनर्वित्त) निधि में से संवितरित कुल राशि के हिताधिकारियों की संख्या का 90% था।

विवरण

वित्त वर्ष 2012 के दौरान आएमएसई 3 के अंतर्गत संवितरण

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	पीएलआई का नाम	आरएमएसई के अंतर्गत संवितरण राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्रा बैंक	150	5031
2.	ऐक्सिस बैंक	5	22
3.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	85	2562
4.	आईडीबीआई बैंक लि.	475	44467
5.	इंडियन ओवरसीज बैंक	180	22518
6.	इंडसइंड बैंक लि.	300	24859
7.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	150	2313
8.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	650	18727
9.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	150	14916
10.	स्टेट बैंक ऑफ तमिलनाडु	85	1097
11.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	55	1252
12.	तमिलनाडु मर्किनटाइल बैंक लि.	50	3053
13.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	95	13526
14.	विजया बैंक	150	7321
15.	यश बैंक लि.	20	1579
16.	एमपीएफसी	2.5	62
17.	डब्ल्यूबीएफसी	0.89	28
	कुल	2603.39	163333

सम्पत्ति कर को तर्क संगत बनाना

44. श्री ए. साईं प्रताप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने सम्पत्ति कर को तर्क संगत बनाने के संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी हां, शहरी विकास मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि समिति ने मार्च, 2011 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:-

(1) संपत्ति कर को सामान्य कर और सेवा कर के रूप में पृथक/विघटित किया जाना चाहिए। संपत्ति कर को सामान्य लाभ कर के रूप में बनाए रखा जाना चाहिये और जल कर एवं सीवरेज कर जैसे इसके संघटकों को बदल कर उपयुक्त "उपभोक्ता प्रभार" कर दिया जाना चाहिए;

(2) संपत्ति कर सभी अचल संपत्तियों, अर्थात निर्मित भवनों तथा खाली जमीन पर लगाया जाना चाहिए। या फिर,

खाली जमीन पर संपत्ति कर को एक अलग कर "खाली भूमि कर" के रूप में कहा जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जमीन की जमाखोरी को कोई गलत प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसके बाद "संपत्ति कर" के किसी भी संदर्भ में "खाली भूमि पर कर" भी शामिल होगा;

(3) निर्मित संपत्ति कर एबीएस के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए, जिसमें स्थान, निर्माण के प्रकार और प्रयोग के प्रकार के आधार पर प्रति वर्ग फुट की एक खंड (स्लैब) दर हो। तथापि, खाली भूमि पर कर पूंजीगत मूल्य के एक आशु परिकलक के आधार पर लगाया जाना चाहिए;

(4) सभी सरकारी संपत्तियां, चाहे वे भारत सरकार, राज्य सरकारों या किसी स्थानीय निकायों की हो, को कराधान का एक भाग होना चाहिये। सर्वोत्तम संपत्तियां जिन पर संवैधानिक प्रतिरोध के कारण लगाना संभव नहीं है, पर उपयुक्त सेवा प्रभार लगाया जाना चाहिये;

(5) संपत्ति कर लगाने के आधार का प्रत्येक पांच वर्ष में पुनर्मुल्यन किया जाना चाहिए। इस बीच में मुद्रा स्फीति को समायोजित करने के लिए कुछ न्यूनतम वार्षिक सूचीकरण किया जाना चाहिये जिससे संपत्ति के नये मूल्य के अनुरूप सुचारू परिवर्तन हो सके।

(6) यूएलबी को कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा के अधीन, निर्मित संपत्ति के संबंध में कर की दर निर्धारित करने की सुविधा होना चाहिये। यह दर राज्य सरकारों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होनी चाहिये, यद्यपि वे दर बैंड निर्धारित कर सकती हैं। खाली भूमि पर कर 0.5 प्रतिशत की एक नियत दर अर्थात पूंजीगत मूल्य के आशु परिकलक का एक आधा प्रतिशत के आधार पर लगाया जाना चाहिये।

(7) चूक/गलतियों को कम से कम रखने के लिए कर दाताओं का एक सक्रिय और सही रजिस्टर रखा जाना चाहिये।

(8) योजना के अनुमोदन और पूर्ण होने के तुरंत बाद भवनों को कर के दायरे में लाने के लिए राजस्व और शहरी योजना विभागों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिये।

(9) कर निर्धारण स्व-निधारण पर आधारित होना चाहिये तथा कर संग्रहण ऑनलाइन अदायगी/कंप्यूटरीकृत केन्द्रों के द्वारा किया जाना चाहिये।

(10) अप्राधिकृत भवन, जिन पर संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता है, से शहरी सेवाओं के उपयोग के लिए सेवा प्रभार संग्रहित किया जाना चाहिये।

(11) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी कानून के तहत अपेक्षित संपत्ति कर संग्रहण के अनुपालन को बढ़ाने में वार्ड समितियों और क्षेत्र सभाओं को एक अहम भूमिका निभानी चाहिये। सामुदायिक संगठनों और निवासी कल्याण संगठनों को सही समय पर करों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त सेवाएं या छूट द्वारा प्रोत्साहित किया जना चाहिये।

(ग) सिफारिशों को लागू करने के लिए रणनीति को अभी तक कानूनी रूप नहीं दिया गया है।

बढ़ती जनसंख्या वाले शहर

45. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर में 50 या 60 शहरीकृत गांवों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रुपये के आवंटन हेतु योजना आयोग द्वारा तेज गति से बढ़ती जनसंख्या वाले शहरों के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जनसंख्या वले शहरों की संख्या वर्ष 2001 में 1362 से वर्ष 2011 में 3894 तक बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना में प्रायोगिक आधार पर पीयूआरए स्कीम शुरू की है जिसमें निजी डिवलपर को सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत 10 वर्षों के दौरान पंचायत क्षेत्र में निर्दिष्ट अवसंरचना तैयार करने एवं सुविधा प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। योजना आयोग द्वारा गठित पीयूआरए कार्य समूह ने 12वीं योजना अवधि में इसे जारी रखने की सिफारिश की है। यद्यपि वित्तीय वर्ष के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, 12वीं योजना के लिए परिव्यय अभी निर्धारित नहीं है।

(ख) पीयूआरए स्कीम के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है, चूंकि स्कीम परियोजना मोड में कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. विद्यार्थियों के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा

46. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने तथा उन्हें तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु देश में, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में आज की तारीख तक चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को इन योजनाओं से लाभ हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने विद्यार्थी इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) मंत्रालय ने देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की उच्चतर शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की हैं:

- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए प्रदत्त छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।
- भारतीय बैंक एसोशिएसन की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंक से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए शैक्षिक ऋणों के संबंध में ऋण-स्थगनकाल की अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सहायिकी प्रदान करने की एक नई केन्द्रीय योजना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दाखिले के लिए न्यूनतम अटक अंकों में छूट प्रदान करता है, स्नातकों के लिए लाभप्रद रोजगार हेतु कैरियर प्रबोधन कार्यक्रम कार्यान्वित करता है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विस्तार कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, यूजीसी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों का एक केन्द्रीय पूल डाटा बेस बनाया है और यह विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षण पदों के लिए उनकी अभ्यर्थिता की सिफारिश करता है।
- यूजीसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी, उपचारी कोचिंग योजनाओं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कालेजों में विज्ञापन, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं समाज विज्ञान में उन्नत अध्ययन एवं पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए एम.फिल. तथा पी. एच.डी. पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति जैसी उच्चतर शिक्षा के कार्यकमों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु राजवी गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए प्रावधान करता है।
- उपर्युक्त के अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए तैयारी पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए चयन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सूची से किया जाता है जिन्होंने दाखिले के लिए क्वालीफाई नहीं किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में तैयारी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, वे बी.टेक. कार्यक्रम ज्वाइन करने के पात्र हो जाते हैं और उन्हें पुनः संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं होगी। तैयारी पाठ्यक्रम को ज्वाइन करने वाले छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाता है।

छात्रों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के छात्र शामिल हैं, को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भी निम्नलिखित योजना है:

- गेट/जीपीएटी अर्हता प्राप्त सभी छात्रों को इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी में मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति।
- सभी स्रोतों से 4.5 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय रखने वाले माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षण-शुल्क मुक्ति की योजना जो तीन/चार वर्ष की अवधि के स्नातक कार्यक्रम, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करने वाली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। प्रति पाठ्यक्रम संस्वीकृत दाखिला क्षमता के अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीटें अधिसंख्या स्वरूप में ऐसे दाखिलों के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) इन योजनाओं से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थी छात्रों की संख्या का रखरखाव इस मंत्रालय में नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध

47. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है जिनका विरोध स्थानीय जनता और अन्य संगठनों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) ऐसे विरोध का संयंत्र-वार कारण क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या परमाणु-विरोधी और मानवाधिकार समूहों के गठबंधन ने हाल ही में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परमाणु-विरोधी और मानवाधिकार समूहों के गठबंधन ने यह आरोप लगाया है कि कुडनकुलम परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है क्योंकि यह परियोजना सुनामी और भूकंप संभावित क्षेत्र में है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त अधिकार समूहों ने यह भी आरोप लगाया है कि परियोजना शुद्ध पानी के जलाशयों के निर्माण की बाध्यकारी अपेक्षा का भी उल्लंघन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उक्त समूहों का संदेह दूर करने हेतु क्या कदम उठाया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) नाभिकीय विद्युत का सैद्धांतिक रूप से विरोध कर रहे संगठनों के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा कुडनलकुलम स्थल पर विरोध प्रकट किया गया था।

(ख) कुडनकुलम का विरोध करने की वजह, फुकुशिमा घटना के बाद नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा के बारे में उठी आशंकाएं थीं जिनमें नाभिकीय विद्युत का सैद्धांतिक रूप स विरोध करने वाले वर्गों द्वारा गलत ढंग से फलााई गई सूचना के कारण वृद्धि हुई थी। केन्द्रीय सरकार ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक विशेषज्ञ दल गठित किया था जिसने स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और सभी आशंकाओं का पूर्ण रूप से निवारण किया। केन्द्रीय सरकार ने लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक परिवर्धित पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू किया है।

(ग) से (ङ) 18 मई, 2012 को, 18 से 20 व्यक्तियों ने लंदन स्थित भारत के उच्चायोग के सामने 1600 बजे से लेकर 1830 बजे तक प्रदर्शन किया था। ये लोग दक्षिण एशिया भाईचारा वर्ग से संबंधित थे और उन्होंने कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र के मुद्दों पर विरोध प्रकट किया था। उन्होंने यह उल्लेख किया था कि यह संयंत्र शुद्ध जल कुंडों के निर्माण के लिए अपेक्षित मानदंडों, जो किसी नाभिकीय दुर्घटना के मामले में अनिवार्य हैं, का उल्लंघन करता है।

(च) नाभिकीय-विरोधी वर्गों द्वारा लगाए गए आरोपों तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा करता है। कुडनकुलम रिएक्टर तीसरी पीढ़ी के रिएक्टर हैं और उनमें सुरक्षा संबंधी प्रगत विशिष्टताएं विद्यमान हैं। इन रिएक्टरों की सुरक्षा की पुरनीक्षा रूस के नियामक प्राधिकारियों और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) द्वारा की गई है। फुकुशिमा घटना के बाद, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के कृतिक बल और परमाणं ऊर्जा नियामक बोर्ड की विशेषज्ञ समिति द्वारा कुडनकुलम संयंत्र की सुरक्षा की पुनरीक्षा की गई है, जिन्होंने यह पाया है कि यह संयंत्र गंभीरतम प्राकृतिक घटनाओं के मामले में भी सुरक्षित हैं कुडनकुलम भारत के निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में और काफी अधिक पर अवस्थित है। यह स्थल भूकंप और सुनामी से सुरक्षित है। अधिक ऊंचाई पर अवस्थित होने के अतिरिक्त, इसके आस-पास 8 मीटर ऊंची तटीय संरक्षा दीवार भी बनाई गई है। शुद्ध जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस संयंत्र में उपयुक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। शुद्ध जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस संयंत्र में उपयुक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल द्वारा विरोध कर रहे लोगों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में तथ्यों से अवगत करा दिया गया है। विशेषज्ञ दल द्वारा विरोध कर रहे लोगों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में तथ्यों से अवगत करा दिया गया है। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्टें सार्वजनिक प्रक्षेत्र में भी प्रकाशित कर दी हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई/न्यूक्लियर) पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऐसी गलत आशंकाओं को दूर करने के लिए पब्लिक आउटरीच प्रयासों के लिए एक समर्पित कक्ष भी स्थापित किया है।

राज्य सरकारों को नौकरशाहों को हटाने का अधिकार

48. श्री के.पी. धनपालन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, राज्य सरकारों को नौकरशाहों को नौकरी से हटाने का अधिकार देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस संबंध में अपेक्षित न्यूनतम सेवा अवधि कितनी है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) राज्य सरकारों एवं केनद्र सरकार से संबंधित सिविल सेवक उन सरकारों के अनुशासनिक नियंत्रण में होते हैं जहां वे तैनात होते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा आती हैं, संबंधित सिविल सेवक, सिविल सेवकों की उस श्रेणी में आते हैं जो राज्य या केन्द्र में अपनी तैनती के आधार पर, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अधीन सेवा से हटाना एक निर्धारित शास्ति है। हालांकि, यह केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही लगाई जा सकती है। इस शक्ति को राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

के.सी.सी. योजना का मूल्यांकन

49. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के मूल्यांकन हेतु कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए विहित यशोचित मानको में कोई परिवर्तन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) किसानों की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को समयबद्ध ढंग से एवं आसानी से पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण आपूर्ति के एक नये तरीके के रूप में उभरा है। यह योजना पूरे देश में 1998 से क्रियान्वित की जा रही है और इसमें वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक शामिल हैं।

किसानों की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुकूल योजना को सरल एवं सुसंगत बनाने तथा इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना आसान बनाने की दृष्टि से, मई 2012 में एक संशोधित केसीसी योजना तैयार की गई है। योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में फसल ऋण का हिस्सा, कटाई उपरान्त खर्चे, घरेलू किसानों की उपभोग आवश्यकताएं, कृषि आस्ति तथा संबद्ध कार्यकलापों की देख-रेख के लिए कार्यशील पूंजी शामिल होगी। किसान कृषि और संबद्ध कार्यकलापों जैसे पम्पसेट, दुधारू पशु आदि के लिए निवेश ऋण हेतु भी पात्र होंगे।

(ii) किसान, क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसे सभी किसान पात्र हैं जो एकल अथवा संयुक्त उधारकर्त्ता हैं या स्वयं मालिक, किसान पट्टेदार एवं बटाईदार हैं।

(iii) किसान क्रेडिट कार्ड सीमा के अल्पावधिक घटक की प्रकृति परिक्रामी नकदी ऋण सुविधा की है। इसमें निकासी व जमा की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मौजूदा मौसम/वर्ष के लिए आहरण सीमा, शाखा के जरिए परिचालन, चैक सुविधा के प्रयोग द्वारा परिचालन, एटीएम/डेबिट कार्ड के जरिए आहरण, कारोबार संपर्की के जरिए परिचालन, कृषि निविष्टि डीलरों को पीओ (पीओएस) और मोबाइल आधारित अंतरण लेन-देनों के जरिए परिचालन जैसे आपूर्ति माध्यमों में से किसी एक का प्रयोग करते हुए आहरित किए जाने की अनुमति है।

(iv) भारत सरकार और/अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार तुरन्त वापसी अदायगी के लिए ब्याज सहायता/प्रोत्साहन।

[अनुवाद]

मुस्लिमों के लिए कोटा

50. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा नौकरियों में मुस्लिमों के लिए 4.5 प्रतिशत कोटा निरस्त करने के बाद सरकार का उच्चतम न्यायालय की पूर्ण खण्डपीठ के समक्ष मामला दायर करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का मुस्लिमों को कोटा देने के लिए संविधान में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के जुडिकेचर के आदेश, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के 27 प्रतिशत आरक्षण के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण के उप कोटा के अनुदेशों को रद्द कर दिया गया था, के विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका पहले ही दायर कर दी गई है।

सेवा कर

51. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा कर से कितना राजस्व एकत्रित हुआ और वर्तमान में कितने मदों को इससे छूट प्राप्त है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में सेवा कर के क्षेत्र से और सेवाओं को हटा दिया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सेवा कर के नेटवर्क से कुछ और सेवाओं जिनका गरीब और आम जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है को हटाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) उत्तर संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए की जा रही तैयारी स्वरूप, छूट को कम से कम करके कर-आधार का विस्तार किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा कर से वसूले गये राजस्व की राशि नीचे दर्शायी गई है:-

वर्ष	सेवा कर राजस्व (करोड़ रुपये)
2009-10	58,422
2010-11	70.016
2011-12	97,356

जहां तक छूट का संबंध है, इस समय नकारात्मक सूची (वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 घ) के अंतर्गत सत्रह मद और मेगा छूट अधिसूचना 25/2012-सेवाकर, दिनांक 20.06.2012 के अंतर्गत उन्तालिस मद शामिल किए गए हैं।

विवरण II

जी हां, सरकार ने हाल ही में कुछ और अधिक सेवाओं को सेवा कर से छूट प्रदान की है। ये हैं:-

वर्ष	छूट
1	2
2009-10	विशिष्ट एशोसिएशन्स द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्लब या एशोसिएशन सेवा, विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के इन्टर बैंक संव्यवहार के संबंध में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा दूसरे अनुसूचित बैंक को प्रदान की जाने वाली मनी चेंजिंग या बैंकिंग और वित्तीय सेवा ऐसे टूर आपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली टूर आपरेटर सेवा जिनके पास यात्रियों के अंतर्राज्यीय या परा-राज्यीय परिवहन का कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट हो, सड़कों का प्रबंधन, देखरेख और मरम्मत, भारतीय रेल, राष्ट्रीय जलमार्ग, अन्तर्देशीय जल एवं समुद्र तटीय शिपिंग के द्वारा विशिष्ट माल का किया जाने वाला परिवहन, प्रतिभूतिय के क्रय और विक्रय के संबंध में स्टाक ब्रोकर को सब-ब्रोकर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहरों के निर्माण से संबंधित निर्माण अनुबंध सेवायें, व्यापार सहायक सेवायें साइकिल या सिलाई मशीन के कलपुर्जो के विनिर्माण के दौरान पैकेज्ड या केन्ड साफ्टवेयर के प्रयोग का अधिकार, विद्युत पारेषण से सबंधित सेवायें, तकनीकी निरीक्षण, विशिष्ट बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध करई जाने वाली सेवायें, विशिष्ट समाचार एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ऑनलाइन डाटा बेस और रिट्रीवल सर्विस, मेकेनिकल फूडग्रेन हैण्डलिंग सिस्टम्स की संस्थापना और संचालन।

1	2
2010-11	मड्यूलर इम्प्लायेबल स्किल कोर्सस के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवायें, विशिष्टि व्यक्तियों से संबंधित यात्रियों का हवाई जहाज से परिवहन, विनिर्दिष्ट उत्तर-पूर्वी राज्यों में उद्भूत और समाप्त होने वाली वायु परिवहन सेवा, विनिर्दिष्ट योजनाओं के अंतर्गत परिसरों का निर्माण, विनिर्दिष्ट टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप से संबंधित प्रायोजित सेवायें, विद्युत वितरण में दी जाने वाली कर योग्य सेवायें, पत्तन या वायुपत्तन के भीतर उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्ट सेवायें, विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवायें, पत्तन, अन्य पत्तन या वायुपत्तन के भीतर उपलब्ध कराई जा रही सेवायें, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आउटडोर कैटरिंग, विनिर्दिष्ट फसल बीमा योजनाओं से संबंधित सामान्य बीमा सेवा, विशिष्ट व्यापारिक प्रदर्शनी सेवा, विनिर्दिष्ट सरकारी योजनाओं के अंतर्गत निर्माण अनुबंध, विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित सामान्य बीमा सेवा, माल के परिवहन से संबंधित विशिष्ट सेवाएं, वायुपत्तन के भीतर निर्माण अनुबंध सेवा, पत्तन और अन्य पत्तन या निर्माण अनुबंध सेवा।
2011-12	चिकित्सीय संस्थापनाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर अल्पकालीन आवासीय सेवा, बस्रिाव उपचार के संबंध में 'डाईग यूनिट्स' के एशोसिएशनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्लब या एसोसियेशनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्लब या एसोसियेशनों सेवा, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवा।
2012-13	अंतर्देशीय जलमार्ग के द्वारा किये जाने वाले माल का परिवहन, सिनेमेटोग्राफी संबंधी कापीराइट्स, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के द्वारा चलाये जा रहे व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, राज्य परिवहन प्राधिकरणों के लिए बसों को किराये पर लेना, जल आपूर्ति संरचनाओं की संस्थापना और संचालन, इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए स्थान की बिक्री, होर्डिंग, विशिष्ट निर्माण सेवाएं, विशिष्ट सेवाएं जो सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं (सभी सेवाएं जिनको वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छूट दी गई है, और अब जो अधिसूचना सं. 25/2012-एस टी दिनांक 20 जून, 2012 में समेकित की गई है।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा फसल ऋण

52. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महाराष्ट्र में बुलढ़ाणा जिले में किसानों को फसल ऋण नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यक्रम की समीक्षा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने यह सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने खरीफ, 2012 के दौरान महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा जिले में 97,311 किसानों को 431.47 करोड़ रुपये का फसल ऋण संवितरित किया है।

(ग) से (ङ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों की शर्तों के तहत सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समायोजित निबल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) या तुलन-पत्र बाह्य जोखिम (ओबीई) की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का 40% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार दिया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत, ए.एन.बी.सी. या ओ.बी.ई. की ऋण समतुल्य राशि, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार जो भी अधिक हो, कम 18% भाग कृषि क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य किया गया है।

सरकार को सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु समय-समय पर कई नीतिगत कदम उठाये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

- सरकार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती रही है। वर्ष 2011-12 के 4,75,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए कृषि लक्ष्य 5,75,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- किसानों को 3 लाख रुपये तक का लघु अवधि फसल ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा ब्याज सहायता योजना वर्ष 2006-07 से कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से समय से भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध करा रही है। अतिरिक्त सहायता वर्ष 2009-10 में 1%, वर्ष 2010-11 में 2% तथा वर्ष 2011-12 में 3% थी। सरकार ने वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में इस योजना को वर्ष 2012-13 में भी जारी रखने की घोषणा की है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को 1,00,000 रुपये तक के कृषि ऋण के लिए मार्जिन/जमानत की अपेक्षाओं को समाप्त करने की सलाह दी है।
- बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) जारी करने की सलाह दी गई है।

विद्यालय छोड़ने की दर

53. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी संख्या में विद्यार्थी बारहवीं कक्षा करने से पूर्व ही पढ़ाई छोड़ देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये या उठाये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) देश में वर्ष 2009-10 (अनंतिम) के दौरान कक्षा I-V, कक्षा I-VIII, तथा कक्षा I-X के दौरान छात्रों द्वारा अध्ययन बीच में छोड़ने की दर क्रमशः 28.86, 42.39 तथा 52.76 है। अध्ययन बीच में छोड़ने की उच्च दर के कारण अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना तथा सुविधाएं प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात, बच्चों का घरेलू अथवा अन्य प्रकार के कार्यों में लगा होना, मौसमी प्रव्रजन आदि हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रालय में केन्द्रीय सर्तकता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा अन्य स्रोतों से समय-समय पर शैक्षिक संस्थाओं में प्राप्त वाली भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कोयला ब्लाकों का क्रमबद्ध आवंटन

54. **श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी एजेंसियों और निजी उद्योगों दोनों को कोयला ब्लॉकों का योजनाबद्ध आवंटन सुनिश्चित करने के लिए एक निकाय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निष्कर्षित कोयला का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए कोयला आवंटित किया गया है और सरकारी एजेंसियों या निजी उद्योगों द्वारा कोयला को काला बाजार में बेचने से रोकने को सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3) (क) (3) के अंतर्गत विशिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए कैप्टिव खपत के लिए निजी कंपनियों को किया जाता है। कैप्टिव ब्लॉकों से कोयले की बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है। निजी कंपनियों द्वारा कोयले की बिक्री करने पर कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द तथा खनन पट्टे को निरस्त कर दिया जाएगा।

नए कॉलेज

55. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश विद्यार्थी बारहवीं कक्षा पास करने के बाद कॉलेजों में दाखिला लेने में असफल रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को देखते हुए दिल्ली में इंजीनियर कॉलेजों में बहुत ही सीमित सीट हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का आने वाले वर्षों में दिल्ली में नये स्नातक स्तरीय कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों/संस्थानों को खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जबकि दिल्ली में अधिकांश विद्याथियों को बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कॉलेजों में प्रवेश मिल जाता है। यह सत्य है कि कुछ विद्यार्थियों को अपनी पसंद की संस्था में दाखिल नहीं ले पाएंगे।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई इंजीनियरिंग सीटों के अतिरिक्त, 19 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 7150 सीटें उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने दिल्ली में वर्ष 2010 में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया है, जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ के निवासियों के 50% सीटें उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्रीय शिक्षण संस्था (प्रवेश में आरक्षण), अधिनियम, 2006 के पास होने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने तकनीकी संस्थाओं सहित सभी केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में 54% तक दाखिला क्षमता बढ़ा दी है। इससे केन्द्रीय शिक्षण संस्था में उपलब्ध सीटों का अत्यधिक विस्तार हुआ है। वर्ष 2009 में, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया। तथापि, राज्य नियंत्रण वाली सार्वजनिक संस्थाओं में दाखिला क्षमता में वृद्धि करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

विदेशों में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

56. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार विदेशों में कर्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या विदेशों में कार्यरत अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन बैंकों को लाभकारी इकाइयों में बदलने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) वर्तमान में देश में राज्य-वार और बैंक-वार कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है;

(च) क्या देश में विदेशी बैंकों की और शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) दिनांक 01.08.2012 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 12 बैंक (पीएसबी) विदेशी केन्द्रों में 151 शाखाएं संचालित कर रहे हैं। विदेशी केन्द्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि विदेशों में कार्य करने वाले सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के संबंध में घाटे की सूचना नहीं दी है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के 3 बैंक की 8 विदेशी शाखाओं (बैंक ऑफ बड़ौदा-5, भारतीय स्टेट बैंक-2 तथा यूको बैंक-1) ने मार्च, 2012 के अंत में घाटे की सूचना दी है।

(घ) सरकार ने विदेशी केन्द्रों में अपनी शाखाएं संचालित करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आपने कार्यालयों में पूंजी के इष्टतम उपयोग को प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशी कार्यालयों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ करने की सलाह दी है। इन बैंकों को कुछेक चयनित कार्य/निष्पादन मानदंडों के आधार पर भी अपने विदेशी कार्यालयों के कार्य-निष्पादन की तिमाही आधार पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

(ङ) दिनांक 01.08.2012 की स्थिति के अनुसार, 41 विदेशी बैंक भारत में 324 शाखाएं संचालित कर रहे हैं। देश में इस समय कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं का बैंक-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से 3 विदेशी बैंकों की भारत में एक-एक शाखा खोलने के प्रस्तावों की अनुशंसा की है।

विवरण I

1 अगस्त, 2012 की स्थिति के अनुसार विदेशी केन्द्रों में भारतीय बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंक) की देश-वार शाखाएं

सरकारी क्षेत्र के बैंक

देश का नाम	भारतीय स्टेट बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ बड़ौदा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक	इलाहाबाद बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	यूको बैंक	केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक	आईडीबीआई	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अफगानिस्तान	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
आस्ट्रेलिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
बहामस द्वीप (नसाऊ)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
बेहरीन	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5
बांग्लादेश	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
बेल्जियम	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
कंबोडिया	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
केमन द्वीप	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
चेनल द्वीप	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
चीन	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
फ्रांस	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
फिजी द्वीप	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
जर्मनी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
हांग-कांग	2	2	2	1	2	1	-	2	2	1	-	-	15
इजराइल	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
जापान	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
केनिया	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
मालदीव द्वीप	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	2
मौरिशस	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
कतर	1 (क्यूएफसी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
सऊदी अरेबिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सेसेल्स	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
सिंगापुर	7	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	13
श्रीलंका	3	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	7
दक्षिण अफ्रीका	2	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	4
दक्षिण कोरिया	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
सल्तनत ऑफ ओमान	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
थाईलैंड	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
यूनाईटेड किंगडम	10	7	10	-	-	-	-	-	-	2	1	-	30
यूनाईटेड स्टेट ऑफ अमेरिका	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
यूनाइटेड अरब अमीरात	1 (सीआई एफसी)	-	6	-	1 (डीआई एफसी)	-	-	-	-	-	-	1 (डीआई एफसी)	9
कुल	52	24	48	1	4	1	4	6	4	5	1	1	151

विवरण

देश में विदेशी बैंकों का राज्य-वार ब्यौरा (01.08.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	बैंक का नाम	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	चंडीगढ़	छत्तीसगढ़	दिल्ली	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	ओडिशा	पुदुचेरी	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिम बंगाल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आबू धाबी कार्मिशियल बैंक									1			1									2
2.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिग कारपोरेशन						1															1
3.	एंटवर्प डायमंड बैंक												1									1
4.	एबी बैंक लि.												1									1
5.	आस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि.												1									1
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया												1									1
7.	बैंक ऑफ बेहरीन एंड कुवैत	1											1									2
8.	बैंक ऑफ शिलोंग																	1				1
9.	बैंक ऑफ टोकियो एंड मित्सुबिशी यूएफजे लि.						1						1					1				3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.	बारक्लेज बैंक	2					1	2		1			3					1				10
11.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	1					1			1			1					1				5
12.	बीएनपी पैरीबस	1					1	1		1			2					1			1	8
13.	बैंक ऑफ अमेरिका						1			1			1					1			1	5
14.	चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक						1											1				2
15.	क्रेडिट एग्रीकोल कारपोरेट एंड इं. बैंक						1	1		1			2					1				6
16.	क्रेडिट सूसी एजी												1									1
17.	सिटी बैंक	2			1		5	5	2	2	1	2	10	1	1	2	1	3	2		2	42
18.	ड्यूश बैंक						1		1	1			6			1		3	2		1	16
19.	डीबीएस बैंक लि.						1	1		1			4					3	1		1	12
20.	एचएसबीसी	2	1	1	1	1	5	3	1	3	2	1	14			1	2	3	2		7	50
21.	जे.पी. मोरगन चैस बैंक												1									1
22.	कुरंग थाई पब्लिक कं. लि.												1									1
23.	मिजहो कारपोरेट बैंक						1						1									2
24.	मशरेक												1									1
25.	नैशनल आस्ट्रेलिया बैंक												1									1
26.	ओमान इंटरनेशनल										1		1									2
27.	रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड	1					5	3	2	2			5			1	2	3	4		3	31
28.	शिनहान बैंक						1						1					1				3
29.	सोशिएट जनरैल						1						1									2
30.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लि.	1											1					1				3
31.	सोनाली बैंक		1																		1	2
32.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	3	2	1	1		16	4	2	3	2	2	24	1		3	1	8	6	1	16	96
33.	कॉमन वैल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया												1									1
34.	फर्स्ट रैन्ड बैंक												1									1
35.	जेएससी वीटीबी						1															1
36.	यूबीएस एजी												1									1
37.	यूनाईटेड ओवरसीज बैंक												1									1
38.	सबेर बैंक												1									1
39.	रेबो बैंक इंटरनैशनल												1									1
40.	इंडस्ट्रीयल एंड कमिर्शियल बैंक ऑफ चाइना लि.												1									1
41.	वोरी बैंक																	1				1
	कुल	14	4	2	3	1	45	20	8	18	6	5	96	2	1	8	6	34	17	1	33	324

सीमाओं पर सीमा-शुल्क अवसंरचना

57. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भू-सीमाओं पर सीमा-शुल्क हेतु उपलब्ध विद्यमान पारगमन स्थान (ट्रांजिट-प्वाइंट-वार) अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इसका उन्नयन करने/इसे सुदृढ़ बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) भू-सीमाओं पर सीमा शुल्क के लिए उपलब्ध वर्तमान पारगमन-बिन्दुवार अवसंरचनाओं को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। सीमा पर अवस्थित 13 स्थानों पर सात पारागमन बिन्दुओं समेत) एकीकृत जांच चौकियों को चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जा रहा है जिससे कि सभी विनियामक एजेंसियों को एक जगह व्यवस्थित किया जा सके और उनको वहीं पर आवश्यक बुनियादी सुविधायें मुहैया कराई जा सके। जैसा कि अनुबंध में दर्शाया गया है, कुछ अन्य पारगमन बिन्दुओं पर भी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के प्रस्ताव की शुरुआत हो गई है।

विवरण

क्र.सं.	पारगमन बिंदु के नाम	सीमा	कार्यालय भवन	क्या संवर्द्धन/सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव पर काम शुरू हुआ या नही
1	2	3	4	5
1.	बनबासा	नेपाल	हां	हां
2.	बहैनी	नेपाल	हां	पहले से ही उपलब्ध
3.	भीमनगर	नेपाल	हां	हां
4.	भीतमोड़ (सीतामढ़ी)	नेपाल	हां	हां
5.	गलगलिया	नेपाल	हां	पहले से ही उपलब्ध
6.	गौरी-फाण्टा	नेपाल	हां	हां
7.	जारवा	नेपाल	हां	हां
8.	जयनगर	नेपाल	हां	हां
9.	जोगबनी	नेपाल	हां	पहले से ही उपलब्ध
10.	नौतनवा (सोनौली)	नेपाल	हां	हां
11.	नक्सल बाड़ी (पानी टंकी)	नेपाल	हां	पहले से ही उपलब्ध
12.	नेपाल गंज रोड	नेपाल	हां	पहले से ही उपलब्ध
13.	रक्सौल	नेपाल	हां	पहले से ही उपलब्ध
14.	सुखिया पोखडी	नेपाल	हां	पहले से ही उपलब्ध
15.	तिकोनिया	नेपाल	हां	पहले से ही उपलब्ध
16.	फुलबारी	बांग्लादेश	हां	पहले से ही उपलब्ध

1	2	3	4	5
17.	चांगड़ाबांध	बांग्लादेश	हां	पहले से ही उपलब्ध
18.	डौकी	बांग्लादेश	हां	पहले से ही उपलब्ध
19.	उल्टा पानी	भूटान	हां	एलसीएल व्यापार की कमी के कारण कार्यरत नहीं है
20.	चामुर्ची	भूटान	हां	पहले से ही उपलब्ध
21.	दर्रंगा	भूटान	नहीं	एलसीएल व्यापार की कमी के कारण कार्यरत नहीं है
22.	ढुबरी	भूटान	हां	पहले से ही उपलब्ध
23.	हाथिसार (गेलेफू)	भूटान	हां	पहले से ही उपलब्ध
24.	जयगांव	भूटान	हां	पहले से ही उपलब्ध

[हिन्दी]

सी.बी.आई. में शिकायतें

58. श्री जगदीश ठाकोर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य के उन सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सीबीआई को पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिकायतें मिली हैं;

(ख) उन अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सी.बी.आई. ने उक्त शिकायतों के आधार पर उनके कार्यालयों/आवासों पर छापा मारा है; और

(ग) ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध जांच शुरू की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) गुजरात सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध पिछले दो वर्ष अर्थात 2010, 2011 और 2012 के दौरान सीबीआई में सत्यापन के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। तथापि सीबीआई द्वारा दो मामलों की जांच-पड़ताल/अन्वेषण के दौरान गुजरात सरकार के कर्मचारियों की भूमिका देखी गई है। इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

सीबीआई ने कथित झूठी मुठभेड़ से संबंधित चार मामले दर्ज किए हैं जिनमें गुजरात राज्य के कर्मचारी संलिप्त हैं। तथापि ये मामले उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले हैं और इन्हें शिकायत के आधार पर दर्ज नहीं किया गया है।

विवरण I

आर.सी. 1(ए)/2012-जीएनआर मामले में संक्षिप्त टिप्पणी

डीएफसीसीआईएल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में कथित अनियमितताओं के बारे में मुख्य परियोजना प्रबंधक डीएफसीसीआईएल बड़ौदरा के कार्यालय से अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी डीएफसीसीआईएल से प्राप्त संदर्भ के आधार पर दिनांक 11.04.2010 को शिकायत संख्या सीआरएएचएम 2011ए 2003 दर्ज की गई थी। शिकायत के सत्यापन के पश्चात दिनांक 19.05.2011 को पीई 2 (ए) 2011-जीएनआर के अंतर्गत एक आरंभिक जांच-पड़ताल दर्ज की गई थी। इसके पश्चात यह जांच-पड़ताल आरसी संख्या 1(ए)/2012-जीएनआर के अंतर्गत श्री महेन्द्र भाई एम. शाह तलाती, गांव डेमोल, जिला आनंद, श्रीमती धर्मनिष्ठा, एम. पटेल, सरपंच गांव डेमोल, जिला आनंद, खोडाभाई शंकरभाईरबाड़ी निवासी 134 रबड़ीवास लटोला, बदोदरा, डीएफसीसीआईएल के अज्ञात कर्मचारियों और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित मामले में बदल गई। अभियुक्त श्री महेन्द्र भाई एम. शाह और श्रीमती धर्मनिष्ठा एम. पटेल, गुजरात सरकार के कर्मचारी हैं। इनके घरों की दिनांक 17.01.2012 को तलाशी ली गई थी।

मामले की सुनवाई हो रही है।

विवरण II

आर.सी. 8(ए)/2011-जीएनआर मामले में संक्षिप्त टिप्पणी

राष्ट्रीय ग्रामीण कर्मचारी गारंटी अधिनियम निधि को वर्ष 2010 के दौरान लाभग्राही खाते में करवाने के बजाय इसे अन्य खातों में जमा करवा के लगभग 50 लाख रुपये की कुल धनराशि के दुर्विनियोजन के आरोपों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए श्री ईकबाल इसमाईल पटेल, तत्कालीन शाखा प्रबंधक और अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध श्री एच. एस. सिधु, अध्यक्ष बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक द्वारा दायर दिनांक 30.06.2011 की शिकायत के आधार पर सीबीआई, एसीबी, गांधीनगर में दिनांक 30.06.2011 को यह मामला दर्ज किया गया था। अन्वेषण के दौरान डॉ. देवेन्द्र रायू भाई महला, सहायक निदेशक पशुपालन, आईसीडीपी शाखा, तापी, और तत्कालीन तालुका विकास अधिकारी अहूवा, डैंग (गुजरात सरकार के कर्मचारी) की भूमिका भी सामने आई थी।

जांच पड़ताल के पश्चात दिनांक 28.12.2011 को श्री इकबाल इसमाईल पटले, (ए-1) तत्कालीन शाखा प्रबंधक बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक सकर पटल शाखा, डैंग (इस समय निलंबनाधीन), श्री चन्द्रभाई सौमाभाई गावित (ए-2) गैर सरकारी व्यक्ति, श्री वसंत भाई अर्जुन भाई मावित (ए-3) गैर सरकारी व्यक्ति, श्री नागीन भाई सौमा भाई गावित (ए-4) गैर सरकारी व्यक्ति, श्री रुईडैस और डॉ. देवेन्द्र रायू भाई महला, (ए-7) सहायक निदेशक पशुपालन, आईसीडीपी शाखा, तापी, तत्कालीन कार्यक्रम समन्वयक और तालुका विकास अधिकारी, अहुआडैम अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के साथ पठित धारा 120-ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ग) और 13(1) (घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत आरोप पत्र दायर कर दिया गया है।

मामले की सुनवाई हो रही है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में खेलकूद प्रतिस्पर्धा

59. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्यालयों और कॉलेजों में विशेषकर जनजातियों के लिए खेलकूद प्रतिस्पर्धा कराना सुनिश्चित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितना धन आवंटित और व्यय किया गया; और

(घ्न) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य, विशेषकर आंध्र प्रदेश से विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबद्ध स्कूलों की लगभग 9000 स्वतंत्र श्रेणियों में 17 खेल-विधाओं में कलस्तर, जोन तथा राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 160 स्थानों पर प्रत्येक वर्ष अंतर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इन प्रतिस्पर्धाओं के सुचारू संचालन के लिए स्कूलों को 16 कलस्टर तथा पांच जोन में विभक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ कलस्टर 7 का भाग है। राज्य स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) सीबीएसई अंतर स्कूल खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं स्वः वित्तपोषित शैक्षिक गतिविधि है और इसमें सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। तथापि, बोर्ड प्रत्येक आयोजक स्कूल को निर्धारित संचालन अनुदान प्रदान करता है। वह सभी भागीदारों और विजेताओं को प्रमाण-पत्र तथा पदक भी प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं के संचालन पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करता है। आंध्र प्रदेश के संबद्ध स्कूलों की लगभग 250 स्वतंत्र श्रेणियों के छात्र इन प्रतिपर्धाओं में भाग लेते हैं।

जहां तक सर्व शिक्षा अभियान का प्रश्न है स्कूल अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का स्कूलों में खेल उपकरणों की खरीद के लिए राज्यों/स्कूलों द्वारा किया जा सकता है।

[हिन्दी]

भ्रष्ट साधनों से सम्पत्ति का अर्जन

60. **श्री बलीराम जाधव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्ट साधनों के माध्यम से सम्पत्ति अर्जित करने के कई मामले उजागर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सम्पत्ति जब्त की गई है और वैसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) भविष्य में ऐसे मामले होने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सीबीआई ने गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2009-2012 (31.07.2012 तक) के दौरान आय से अधिक सम्पत्ति के 251 मामले दर्ज किए हैं। दण्डात्मक कार्रवाई और व्यक्तियों, जिनकी परिसम्पतियां जब्त की गई हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भ्रष्ट लोक सेवकों की परिसम्पत्तियां आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 1944 और धनशोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत कुर्क/जब्त की जाती है। भ्रष्ट माध्यम से अर्जित भ्रष्ट लोक सेवकों की सम्पत्ति की कुर्की हेतु प्रावधान लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 में भी समाविष्ट किए गए हैं।

विवरण

वर्ष	दर्ज डीए मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र दायर किया गया की गई है	मामलों की संख्या जिनमें आरोपी की सम्पत्ति जब्त के संबंध में जब्त की गई है	व्यक्तियों की संख्या जिनकी सम्पत्ति कॉलम 4 में उल्लिखित मामलों
2009	84	50	2	2
2010	66	51	1	1
2011	62	18	3	3
2012 (31.7.12 तक)	39	1	7	7
कुल	251	120	13	13

यथोक्त दर्ज कुल 251 डीए मामलों में से, 81 मामले अब भी अन्वेषण के अधीन हैं।

कोयला ब्लॉकों की प्रतिस्पर्धात्मक बोली

61. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने बहुत पहले वर्ष 2004 में यह निर्णय लिया था कि भविष्य में निजी कंपनियों को सभी कोयला ब्लाकों का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौकरशाही रवैये के चलते कोयला ब्लॉकों की नीलामी से संबंधित सरकारी आदेश का कार्यान्वयन नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रतियोगी बोली लागू करने का प्रस्ताव सरकार के पास 2004 से विचाराधीन था। बहु-स्तरीय परामर्श और विस्तृत जांच के पश्चात खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को संशोधित करने का एक विधेयक 2008 में संसद में पेश किया गया था।

(ग) और (घ) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 को संसद द्वारा पास कर दिया गया था और इसे भारत के राजपत्र (असाधारण) में 9 सितम्बर, 2010 को अधिसूचित किया गया है। इस संशोधन अधिनियम में यथा-निर्धारित नियम और शर्तों पर प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के माध्यस से कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण अनुमति, पूर्वेक्षण लाईसेंस अथवा खनन पट्टा प्रदान करने का प्रावधान करने की मांग की गई है। तथापि, यह निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:

- जहां खनन अथवा ऐसे अन्य निर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए किसी सरकारी कंपनी अथवा निगम को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र पर विचार किया जाता है;

• जहां किसी ऐसी कंपनी अथवा निगम को आवंटन के लिए ऐसे क्षेत्र को विचार किया जाता है जिसे टेरिफ (अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट सहित) के लिए प्रतियोगी बोलियों के आधार पर पॉवर प्रोजेक्ट अवार्ड की गई है।

सरकार ने "कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी" को दिनांक 02.02.2012 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है। इसके अलावा खान मंत्रालय द्वारा उक्त संशोधित अधिनियम, 2010 के आरंभ को भी 13 फरवरी, 2012 को अधिसूचित कर दिया गया है।

सरकार ने कोयला ब्लॉकों की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के लिए आधार/आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, नीलामी के लिए माडल निविदा दस्तावेज और प्रारूप करार तैयार करने की पद्धति का सुझाव देने के लिए जून, 2010 में परामर्शदाता के रूप में मैसर्स सीआरआईएसआईएल को तैनात किया है। परामर्शदाता को तीन महीने का समय दिया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा

62. श्री एम.बी. राजेश: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समीक्षा में यह पाया गया कि देश में गरीबों को 2002 की बीपीएल जनगणना में "गरीब नहीं " के रूप में चिन्हित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समीक्षा में यह भी पाया गया कि 2011 की बीपीएल जनगणना हेतु प्रस्तावित प्रणाली में गंभीर समस्याएं थीं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय शुरू किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां। योजना आयोग ने केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लचीलापन, पैमाना और कुशलता में वृद्धि के लिए इसकी पुनर्सरचना हेतु एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

स्वदेशी परमाणु रिएक्टर

63. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वदेशी रूप से अब तक निर्मित परमाणु रिएक्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार रूस की सहायता से और परमाणु रिएक्टर बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या रूस सरकार के प्रस्ताव से सहमत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्य है तथा इसकी अनुमानित क्षमता कितनी है और ऐसे रिएक्टरों की वर्तमान स्थिति क्या है जो पूरे होने की कगार पर हैं; और

(ङ) नए रिएक्टरों को कब तक बनाए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) देश के बीस नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में से सतहत्तर स्वदेश में ही निर्मित किए गए हैं। वर्तमान में पांच स्वदेशी नाभिकीय विद्युत रिएक्टर निर्माणाधीन हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। इस संबंध में भारत और रूसी परिसंघ के बीच 05 दिसंबर, 2008 को एक अंतर्सरकारी करार और (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) रूसी सहकार के साथ स्थापित किए जाने वाले अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों की क्षमता निम्नलिखित है:-

स्थल तथा अवस्थिति	क्षमता (मेगावाट)
कुडनकुलम, तमिलनाडु	4x1000
हरिपुर, पश्चिम बंगाल	6x1000

कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना यूनिट 1 तथा 2 (केकेएनपीपी 1 तथा 2) पूरी होने के प्रगत चरण पर है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इनमें क्रमशः अक्तूबर, 2012 तथा जून, 2013 तक वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू किया जाना है।

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना यूनिट 3 तथा 4 का कार्य शुरू करने की योजना है जिसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में पूरा किया जाना है। रूसी सरकार के साथ स्थापित किए जाने वाले अन्य रिएक्टरों का कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद शुरू करने की योजना है ताकि 14वीं पंचववर्षीय योजना और उसके बाद उन्हें क्रमिक रूप से पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

एन.सी.टी.ई. में कथित भ्रष्टाचार

64. योगी आदित्यनाथ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) में विशेष रूप से अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता दिए जाने के संबंध में भ्रष्टाचार के मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सूचित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनसीटीई में चल रहे कथित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) में भ्रष्टाचार के आरोप की मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हल की जाती हैं।

(ख) और (ग) एनसीटीई के विरुद्ध शिकायतों के आधार पर सरकार ने एनसीटीई की परिषद को हटा दिया है तथा परिषद के अधिकारों और कार्यों के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति ने अपने कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चार क्षेत्रीय समितियों के पुनर्गठन और अन्य प्रशासनिक उपायों सहित कई कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, एनसीटीई के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे कि मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना, फीस का ऑनलाइन भुगतान तथा आवेदनों पर कालक्रमानुसार कार्रवाई इत्यादि। एनसीटीई ने मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा सूचना को ऑनलाइन प्रकट करने हेतु प्रणाली तथा आवेदनों की कार्रवाई के चरणों को ऑनलाइन देखने का भी प्रबंध किया है।

कोयला क्षेत्रों में भ्रष्टाचार

65. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में सामने आए कथित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के मामले का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला और इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या में बढ़ोत्तरी

66. श्री रमेन डेका: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अधिक कट-ऑफ अंकों के कारण एक बड़ी संख्या में छात्र/छात्राएं, संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में असफल रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार की अधिक छात्रों को प्रवेश देने हेतु सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संस्थानों में नामांकन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) कुछ छात्र अधिक कट ऑफ अंकों के कारण अपनी पसंद की संस्था में दाखिला नहीं ले पाएंगे।

(ख) दाखिले की प्रक्रिया का निर्धाण संबंधित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा किया जाता है, जो दाखिले के मामले में स्वायत्तशासी होते हैं। सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा शुरू किए गए कई कार्यक्रमों और स्कीमों से उच्चतर शिक्षा में नई दाखिला क्षमता का सृजन हुआ है। इनमें शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, पहचाने गए 374 जिलों में डिग्री कॉलेज, 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 08 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 07 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम,) 10 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) इत्यादि, खोलने की योजना शामिल है। केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के पास किए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार ने सभी शिक्षा संस्थाओं में दाखिला देने की क्षमता को 54% की सीमा तक बढ़ा दिया है। इससे केन्द्रीय शिक्षा संस्थाओं में सीटों की उपलब्धता में अत्यधिक विस्तार हुआ है। राज्य नियंत्रण वाली सार्वजनिक संस्थाओं में दाखिले की क्षमता में वृद्धि करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कोयला उत्पादन का लक्ष्य

67. **श्री नामा नागेश्वर राव:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री मानिक टैगोर:
श्री जगदानन्द सिंह:
श्री अर्जुन राय:
श्री हरि माझी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री रवनीत सिंह:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा इसके अनुषंगी सिंगरेनी कोलिएरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तथा नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसीएल) द्वारा कंपनी-वार, वर्ष-वार तथा राज्य-वार कोयले के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन कितना है तथा उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) क्या देश में कोयले का उत्पादन घट रहा है अथवा सरकार विभिन्न कोयला आधारित उद्योगों की मांग के आपूर्ति में अंतर/कमी कितनी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न उद्योग-वार मांग कितनी है और मांग के अनुसार कोयले का उत्पादन नहीं की पा रही है;

(घ) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार एवं कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्य प्राप्त करने और देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार कोयले का निजीकरण करने तथा कोयला क्षेत्र को एक अवसंरचनात्मक क्षेत्र के रूप में घोषित करने का है ताकि इस उद्योग को कर-रियायत मिल सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2012-13 के दौरान कोल इंडिया लि; (सीआईएल), (सहायक कंपनी-वार) एससीसीएल द्वारा कोयले के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन एवं नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) द्वारा लिग्नाइट के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 2012-13 के अनुसर पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार निवेश की गई वास्तविक निधि (पूंजी व्यय) निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

कंपनी	200-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 ब.प्रा.
1	2	3	4	5
ईसीएल	165.02	184.93	332.96	450.00
बीसीसीएल	293.35	320.94	410.72	300.00
सीसीएल	321.31	200.76	320.99	425.00
एनसीएल	545.45	310.53	702.11	850.00

1	2	3	4	5
डब्ल्यूसीएल	252.34	239.74	275.72	350.00
एसईसीएल	770.67	581.87	937.65	900.00
एमसीएल	404.19	608.10	497.95	500.00
एनईसी	5.04	10.01		15.00
अन्य एमएफ	52.62	82.84	249.07	135.00
(जे एंड आरएफ)	0.00	0.00		350.00
सीआईएल	2809.99	2539.72	3727.17	4275.00
एससीसीएल	888.67	643.81	1070.56	3220.23
एनएलसी	1363.10	1356.69	1684.38	1687.45

(ख) और (ग) यद्यपि कोयले के उत्पादन में 2009-10 में 431.26 मि.ट. से 2011-12 के दौरान 435.84 मि.ट. तक की मामूली वृद्धि हुई है और ऋणात्मक वृद्धि को 1% तक सकारात्मक वृद्धि में परिवर्तित किया गया है, विभिन्न कोयला आधारित उद्योगों को कोयले की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ रहा है। वार्षिक योजना 2012-13 के अनुसार कोयले की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर 192.54 मि.ट. का है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

2012-13 के लिए अखिल भारतीय कोयले की मांग

(मि.ट. में)

क्षेत्र	मांग (ब.अ.)	आपूर्ति (ब.अ.)
कोकिंग कोयला: इस्पात क्षेत्र	52.30	20.29
विद्युत (उपयोगिताएं)	512.00	404.73
विद्युत (कैप्टिव) (सीपीपी)	43.00	44.70
सीमेन्ट	30.24	14.73
स्पांज आयरन	35.30	24.46
कोलियरी खपत सहित अन्य	100.00	71.40
अखिल भारतीय कोयले की कुल मांग	772.84	580.30

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के लिए गठित कोयला एवं लिग्नाइट संबंधी प्रारूप कार्य-समूह के अनुसार आगामी तीन वर्षों अर्थात 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान कोयला उत्पादन के लक्ष्य/अनुदान निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन टन में)

कंपनी	2012-13 ब.अ. (लक्ष्य)	2013-14 अनुमान	2014-15 अनुमान
ईसीएल	33.00	35.00	36.00
बीसीसीएल	31.00	32.00	33.00
सीसीएल	55.00	62.00	70.00
एनसीएल	70.00	71.00	74.00
डब्ल्यूसीएल	117.00	119.00	123.00
एसईएल	117.00	119.00	123.00
एमसीएल	112.00	120.00	125.00
एनईसी	1.10	1.15	1.25
कुल सीआईएल	464.10	485.65	507.75
एससीसीएल	53.10	54.00	55.00
एनएलसी	24.80	26.02	26.02

सरकार ने पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरियां शीघ्रता से प्राप्त करने, रेल रेकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ संपर्क करने और भूमि अधिग्रहण तथा कानून एवं व्यवस्थान से संबंधित समस्याओं में आवश्यक सहायता के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने सहित कई उपाय किए हैं। इसके अलावा कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं:- (1) उपकरणों की कार्यक्षमता बढ़ाना, नियमित मॉनीटरिंग, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यांत्रिकीकरण और मौजूदा खानों तथा चल रही परियोजनाओं का सक्रिय रूप से पर्यवेक्षण करना (2) नई एवं भावी परियोजनाओं से क्षमता संवर्धन करना (3) पर्यावरणीय एवं वानिकी मंजूरियों, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं का समाधान करने के निरंतर प्रयास करना।

(च) और (छ) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के लिए 30.06.2012 तक सहायक कंपनी-वार, राज्य-वार और वास्तविक कोयला उत्पादन

(मिलियन टन में)

कंपनी	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (जून, 2012 तक)	
		लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
ईसीएल	झारखंड		13.985		15.48		14.249		
	पश्चिम बंगाल		16.073		15.32		16.309		
	कुल	31.00	30.058	33.00	30.803	33.00	30.558	33.00	7.744
बीसीसीएल	झारखंड		27.449		28.975		30.170		
	पश्चिम बंगाल		0.063		0.029		0.033		
	कुल	28.00	27.512	29.00	29.004	30.00	30.203	31.00	7.135
सीसीएल	झारखंड	48.00	47.083	50.00	47.521	51.00	48.004	55.00	9.427
एनसीएल	एमपी		53.702		50.727		50.224		
	यूपी		13.968		15.526		16.177		
	कुल	66.50	67.670	72.00	66.253	68.50	66.401	70.00	15.066
डब्ल्यूसीएल	मध्य प्रदेश		7.122		6.722		6.369		
	महाराष्ट्र		38.613		36.932		36.741		
	कुल	45.00	45.735	46.50	43.654	47.00	43.11	45.00	10.343
एसईसीएल	छत्तीसगढ़		95.058		99.347		99.605		
	मध्य प्रदेश		12.951		13.358		14.232		
	कुल	106.00	108.009	112.00	112.705	112.00	113.837	117.00	27.571
एमसीएल	ओडिशा	109.30	104.079	116.75	100.280	106.00	103.118	112.00	25.056
एनईसी	असम	1.20	1.113	1.25	1.101	1.00	0.602	1.10	0.121
सीआईएल		435.00	431.26	460.50	431.32	447.00	435.84	102.457	102.463
एससीसीएल	आंध्र प्रदेश	44.500	50.429	46.00	51.333	51.00	52.211	53.10	11.664
एनएलसी	तमिलनाडु	21.750	22.338	24.140	23.144	23.95	24.591	24.80	6.237

[हिन्दी]

आई.आई.आई.टी. की स्थापना

68. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री के.पी. धनपालन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल सहित देश में और अधिक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से अपने राज्यों में आईआईआईटी स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, प्रस्ताव-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(च) उक्त प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(छ) इन संस्थानों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी स्वरूप में 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का अनुमोदन किया है। अनुमोदित योजना के अनुसार, केन्द्र सरकार, उन राज्यों की सरकारें जिनमें आईआईआईटी स्थापित किए जाएंगे तथा उद्योग जगत पणधारी होंगे। प्रत्येक आईआईआईटी की पूंजीगत लागत का अंशदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा उद्योग जगत द्वारा क्रमश: 50:35:15 (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 57.5:35:7.5) के अनुपात में किया जाएगा। अब तक 17 राज्य सरकारों ने सार्वजनिक निजी भागीदारी स्वरूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि अभिचिन्हित कर ली है जिनके नाम हैं-असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। असम, राजस्थान तथा त्रिपुरा राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी स्वरूप में 3 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। हिमालच प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्हें उद्योग जगत से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं और उद्योग जगत के भागीदारों के बारे में अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है। शेष राज्य सरकारों को इस योजना के कार्यान्वियन हेतु उद्योग जगत के भागीदारों की पहचान करना/अंतिम निर्णय लेना अभी शेष है।

(ङ) से (छ) हालांकि केन्द्र सरकार ने आईआईआईटी की स्थापना के लिए असम, राजस्थान तथा त्रिपुरा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ 25.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित कर दी है, तथापि, इन राज्यों में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय-सीमा सूचित करना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

मिड डे मील योजना

69. श्री निशिकांत दुबे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में मिड डे मील योजना (एमडीएमसी) की स्थिति क्या है;

(ख) झारखंड में कुल कितने स्कूलों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले खाने की गुणवत्ता कैसी है तथा इस पर कितना व्यय किया जाता है;

(घ) इस योजना को कार्यान्वित किए जाने के प्रयोजन से झारखंड में कुल कितने खाना बनाने वालों को रखा गया है; और

(ङ) झारखंड में इस योजना से कुल कितने छात्र लाभान्वित हुए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) झारखंड में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन सभी सरकारी, सरकार द्वारा सहायताप्राप्त, स्थानीय निकाय और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायताप्राप्त मदरसों/मकतबों में किया जा रहा है।

(ख) 2011-12 के दौरान झारखंड में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 42,041 स्कूल शामिल थे।

(ग) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के ऊर्जा घटक सुनिश्चित करने के लिए 100 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं), 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल से तैयार पका हुआ पोषक भोजन प्रदान किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के ऊर्जा घटक सुनिश्चित करने के लिए इस पात्रता में 150 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं), 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को भोजन परोसने के लिए प्राथमिक स्तर पर 750 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से परिवहन सहायता, प्राथमिक के लिए प्रति बच्चा प्रति दिवस 3.33 रुपए की दर से और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा प्रति दिवस 4.99 रुपए की दर से भोजन पकाने की लागत खर्च की जाती है।

(घ) राज्य सरकार ने 2011-12 के दौरान स्कूल में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने और परोसने हेतु 81013 रसोइयों-सह-सहायकों की नियुक्ति की है।

(ङ) वर्ष 2011-12 के दौरान झारखंड में इस योजना के अंतर्गत 24,00,915 प्राथमिक और 8,15,061 उच्च प्राथमिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. का खराब नेटवर्क

70. **डॉ संजय सिंहः**
श्री गोपीनाथ मुंडेः
श्री उदय प्रताप सिंहः
श्री यशवंत लागुरीः
श्री लालजी टन्डनः
श्रीमती सुमित्रा महाजनः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों में खराब मोबाइल नेटवर्क तथा असंतोषजनक दूरसंचार सेवा के कारण एक बड़ी संख्या में बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के मूल तथा मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता निजी कंपनियों की ओर रुख कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक राज्य-वार लौटाए गए लैंडलाइन और मोबाइल कनेक्शन की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में खराब मोबाइल नेटवर्क कवरेज के लिए बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(घ) क्या सरकार ने इस पीएसयू की खराब नेटवर्क कवरेज के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच/सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पीएसयू की नेटवर्क कवरेज में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के ग्राहकों को कभी-कभी सेवा की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तथापि, बीएसएनएल एवं एमटीएनएल सामान्यतः दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्कों का अनुपालन कर रहे हैं तथा विभिन्न राज्यों में अपर्याप्त मोबाइल नेटवर्क तथा असंतोषजनक दूरसंचार सेवा की वजह से बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के बेसिक और मोबाइल टेलीफोन के मामले में, जून, 2012 तक बीएसएनएल के सिर्फ 0.6 प्रतिशत ग्राहकों ने दूसरी कंपनियों की सेवाओं को अपनाया था जबकि एमटीएनएल के संदर्भ में यह आंकड़ा 1.79 प्रतिशत है।

(ग) बीएसएनएल एवं एमटीएनएल द्वारा विगत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान अपर्याप्त मोबाइल नेटवर्क कवरेज के बारे में प्राप्त शिकायतों की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता रहा है। मोबाइल कवरेज के लिए निर्धारित पैरामीटर की तुलना में किए गए निष्पादन का आकलन ड्राइव टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली एवं मुम्बई में एमटीएनएल नेटवर्क तथा चुनिंदा शहरों में बीएसएनएल नेटवर्क का ड्राइव टेस्ट प्रचालक के सहयोग से ट्राई द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया ताकि मार्च, 2012 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान सेवा की गुणवत्ता की जांच तथा आकलन किया जा सके। इन रिपोर्टों से यह पता चलता है कि यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थानों में सेवा कवरेज 100 प्रतिशत नहीं है, तथापि बीएसएनएल एवं एमटीएनएल का सेवा निष्पादन अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवा के अनुरूप ही है।

ट्राई सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है। इनमें से कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं:

ख ट्राई सेवा की गुणवत्ता हेतु निर्धारित विभिन्न पैरामीटरों के बेंचमार्कों के आधार पर सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी तिमाही एवं मासिक निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से करता रहा है। इसके अलावा, अंतर्सयोजन संकुलन बिंदु की निगरानी भी मासिक आधार पर की जा रही है।

- ट्राई बेसिक, सेल्यूलर तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ आकलन भी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन एजेंसियों के माध्यम से तिमाही आधार पर उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण भी कराया जाता है। इन जांचों और सर्वेक्षणों के परिणाम को जनता/स्टेकधारकों की जानकारी हेतु व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है।
- ट्राई सेवा की गुणवत्ता संबंधी बेंचमार्कों को पूरा करने में होने वाली कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता रहा है।

विवरण

शिकायतों की सर्किल-वार संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	कमजोर मोबाइल नेटवर्क कवरेज के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जून 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	552	406	415	30
2.	आंध्र प्रदेश	2812	4712	6139	2081
3.	असम	4236	2555	802	270
4.	बिहार	28	25	30	19
5.	गुजरात	लागू नहीं	30813	60907	33765
6.	हरियाणा	लागू नहीं	2155	9267	1942
7.	हिमाचल प्रदेश	2004	4903	3780	1643
8.	जम्मू और कश्मीर	80	631	402	305
9.	झारखंड	27	49	42	20
10.	कर्नाटक	5458	7886	8654	2456
11.	केरल	684	699	566	260
12.	महाराष्ट्र	92495	69263	50551	30478
13.	मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित	40673	30856	13044	4012
14.	पूर्वोत्तर-I	लागू नहीं	लागू नहीं	54	26
15.	पूर्वोत्तर-II	25	30	20	11

1	2	3	4	5	6
16.	ओडिशा	2786	2986	2665	1299
17.	पंजाब	397	486	493	204
18.	राजस्थान	लागू नहीं	लागू नहीं	2004	571
19.	तमिलनाडु	13968	6137	5313	2595
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	लागू नहीं	13000	12819	9788
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	लागू नहीं	6196	4357	2038
22.	उत्तरांचल	लागू नहीं	1914	1810	496
23.	पश्चिम बंगाल	699	775	155	11
24.	चेन्नई टेलीफोन	10800	5299	782	989
25.	कोलकाता टेलीफोन	2412	4864	2733	1300
	एमटीएनएल				
	दिल्ली	91199	82867	21520	4912
	मुंबई	लागू नहीं	11317	26923	6878

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय

71. **श्री वैजयंत पांडा:**
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा सहित देश में विश्वस्तरीय दर्जा प्राप्त करने की ओर लक्षित नवोन्मेषी विश्वविद्यालयों की स्थापना में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे विश्वविद्यालयों के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्र सरकार ने 'अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक' संसद में पेश कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसंधान एवं नवाचार विश्वविद्यालयों की स्थापना करना तथा उन्हें नियमित करना है। केन्द्र सरकार ने अमृतसर (पंजाब), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), पटना (बिहार), गुवाहाटी (असम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), भोपाल (मध्य प्रदेश), कोच्ची (केरल), गांधीनगर (गुजरात), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), मैसूर (कर्नाटक), पुणे (महाराष्ट्र), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) एवं भुवनेश्वर (ओडिशा) में सार्वजनिक निधियन प्रणाली से ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए विभिन्न स्थानों/अवस्थानों की अस्थायी तौर पर पहचान की है।

(ख) और (ग) इन विश्वविद्यालयों की स्थापना केवल संसद में विधेयक पास होने के बाद ही की जा सकती है।

खनन लीज

72. **श्री बाल कुमार पटेल:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ के जाजनगर चंबा जिले में विशिष्ट रूप से अपने स्पंज-आयरन संयंत्र के लिए कोयला निकालने हेतु एक खनन लीज प्राप्त की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2004 तक कंपनी को स्पंज-आयरन उत्पादन दुगुना करने के लिए लीज दी गई;

(घ) यदि हां, तो क्या कंपनी ने वर्ष 2004 तक स्पंज-आयरन उत्पादन दुगुना कर दिया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो कंपनी ने लीज पर दिए गए ब्लॉक से अनुमति से अधिक कोयला निकाला; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) मैसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. को स्पांज आयरन प्लांट की इसकी प्रस्तावित 4 लाख टन प्रतिवर्ष (एलटीपीए) विस्तार क्षमता के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3) (क) (3) के अंतर्गत 4.9.2003 को चोटिया कोयला ब्लाक का आबंटन किया गया था। इसकी मौजूदा 4 एलटीपीए क्षमता स्पांज आयरन परियोजना तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए, कंपनी के पास कोल इंडिया लि. से कोयला लिंकेज था। कंपनी ने कोयला लिंकेज को वापस सौंपने का अनुरोध किया तथा 4 एलटीपीए की अतिरिक्त क्षमता को विकसित करने में विलंब के कारण चोटियां ब्लाक से कोयले का उपयोग करने की अनुमति मांगी।

(ग) और (घ) चोटिया कोयला ब्लाक के लिए खनन पट्टा आबंटिती कंपनी तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच 2006 में किया गया था तथा चोटिया कोयला ब्लाक से कोयले का उत्पादन 2006 से शुरू हुआ। प्रस्तावित विस्तार क्षमता 2004 तक शुरू नहीं हो पायी है।

(ङ) और (च) चोटिया कोयला ब्लाक से अधिक निष्कर्षण किए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

धनराशि आऊटफलो

73. **श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक देश में माध्यम-वार/श्रेणी-वार कितनी विदेशी धनराशि निवेश की गई तथा वापस ली गई;

(ख) इतनी अधिक मात्रा में तथा तेजी से धनराशि के बाहर जाने के कारण यदि कोई हो तो, वे क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारत में विदेशी निधियों का प्रवाह अन्यों के अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश के मार्ग से होता है। विगत 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश का वर्ष-वार अंर्तप्रवाह तथा बहिप्रवाह निम्नानुसार है:-

(अमरीकी मिलियन डालर में)

निधियों की किस्म	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अंतर्वाह)	25,834.41	19426.93	36,504.28	3,183.62
बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (बहि:प्रवाह)	15,143.00	16,524.00	10,950.00	1,105.00

#मई 2012 तक

(करोड़ रुपए में)

निधियों की किस्म	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
पोर्टफोलियो निवेश एफआईआई सकल खरीद	7,36,009.85	9,72,653.25	8,99,913.62	5,06,110.81
पोर्ट फोलियो निवेश एफआईआई सकल बिक्री	6,48,022.60	7,92,979.31	8,60,561.00	4,28,057.28

3 अगस्त, 2012 तक

(ख) और (ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहिप्रर्वाह एक दूसरे से तुलनीय नहीं हैं क्योंकि पूर्ववर्ती अंतर्वाह विदेशी निवेशकों द्वारा लिए जाते हैं तथा पश्चोक्त बहिप्रर्वाह घरेलू कंपनियों द्वारा। एकआईआई अंतर्वाहों तथा बहिप्रर्वाहों के संबंध में, इनक निर्धारण उनकी निवेश कार्यनीति तथा जोखिम अवबोधन द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

पृथक् फोरम

74. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला तथा अन्य खनिजों से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक् फोरम गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह फोरम कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राज्यों में अनुमोदित कोयला ब्लॉक के पीएल/एमएल मामले केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मामलों के तुरंत निपटान हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी से छूट देने तथा कोयला निकालने के संबंध में "नो गो एरिया" सिद्धांत से छूट देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा उपयुक्त मामलों में राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिया जाता है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और यदि उन्हें सही पाया जाता है तब अनुमोदन दिया जाता है।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

आकाश टैबलेट के लिए प्रौद्योगिकी

75. श्री किशनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आकाश परियोजना के लिए रूप-रेखा और प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के अंतर्गत 604 विश्वविद्यालयों तथा 35,000 कालेजों तथा ग्राम पंचायतों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) महोदय, लो कोस्ट एकस्स-कम-कम्प्यूटिंग डिवाइस (एलसीएडी) आकाश दिनांक 05.01.2011 को शुरू किया गया था। प्राप्त किए गए फीडबैक के आधार पर, आकाश टेबलेट के विनिर्देश बढ़ा दिए गए हैं जिसमें प्रोससर को 366 मेगाहर्ट्ज आर्म 11 बेस से एक 700 मेगाहर्ट्ज आर्म कोर्टेक्स ए-8 प्रोसेसर में उन्नत करना, फर्मवेयर में सुधार, रेस्टिव टच स्क्रीन के स्थान पर केपेसिटिव टच स्क्रीन और लागत बढ़ाए बिना 2100 एमएएच बैटरी को 3200 एमएएच क्षमता वाली एक बैटरी से बदलना शामिल है।

(ग) से (ङ) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत देश में 25000 से अधिक कालेजों और 2000 पॉलिटेक्निकों और 419 विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने की अभिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालयों को आप्टिकल फाइबर पर और कालेजों को कॉपर केबल पर कनेटिविटी प्रदान की गई है। उपरोक्त 419 विश्वविद्यालयों के बाद और ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी क्रमशः राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) और राष्ट्रीय आप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की सीमा में आता है। एनएमईआईसीटी योजना के तहत कनेक्टिविटी की बीएसएनएल/एमटीएनएल के साथ नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर के मामले

76. श्री एस. सेम्मलई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कर अपवंचन की मात्रा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय द्वारा उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपवंचन के लिए दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अपवंचन करने वालों से कर अपवंचन की कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ग) कर अपवंचन करने वालों द्वारा क्या तरीका अपनाया गया; और

(घ) इस प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए निदेशालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) मांगी गई जानकारी इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क			सेवा कर		
	मामलों की संख्या	निहित राशि	मामलों की संख्या	निहित राशि	मामलों की संख्या	निहित राशि
2010-11	453	1471.01	127.49	457	4400.28	291.82
2011-12	350	982.80	238.79	450	5012.90	434.27

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन करने वाले कर अपवंचकों द्वारा अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:- (i) बिना माल को प्राप्त किये केवल बीजक प्राप्त करके तथा शुल्क युक्त माल के साथ-साथ शुल्क मुक्त माल के लिए सामान्य आदानों का प्रयोग करके सेनवेट क्रेडिट का गलत प्रयोग करना (ii) गलत वर्गीकरण करना, (iii) क्षेत्र आधारित छूट का उल्लंघन और (iv) गुप्त उत्पादन और विस्थापन। सेवाकर अपवंचन के लिए अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:- रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत सेवा कर का अवमूल्यन, पूर्ण एवं प्रत्यक्षतया अपवंचन और इसक गैर-भुगतान।

(घ) बच निकलने के रास्तों को बंद करने के लिए यह निदेशालय जो उपाय कर रहा है उनमें शामिल हैं- आसूचना नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण अपवंचन प्रवण जिंसों/सेवाओं की पहचान अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय और उनके साथ जानकारी का आदान-प्रदान। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों को भी ऐसी कार्य प्रणाली (मोडस ऑपरेंडी) से संबंधित परिपत्र जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति

77. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री रंजन प्रसाद यादव:
श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह माह के दौरान मुद्रास्फीति की दर का ब्यौरा क्या है तथा इसका अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर क्या असर पड़ा;

(ख) बाजार में मांग और मूल्यों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या खाद्य वस्तुओं के खुदरा मूल्य समग्र रूप से मुद्रास्फीति की दर से अधिक दर पर बढ़ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मूल्यों में इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति शीर्ष रेखा दर-नई श्रृंखला (सीपीआई-एनएस) नीचे सारणी में दी गई है-

सारणी 1. डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति-नई श्रृंखला (%)

	थोक मूल्य सूचकांक सभी उपभोक्ता वस्तुएं	अखिल भारतीय सीपीआई-नई श्रृंखला
जनवरी-12	7.23	7.65
फरवरी-12	7.56	8.83
मार्च-12	7.69	9.38
अप्रैल-12	7.50	10.26
मई-12	7.55	10.36
जून-12	7.25	10.02

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 2010-11 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 9.2 प्रतिशत से 2011-12 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 5.3 प्रतिशत की क्रमिक मंदी देखने को आई वृद्धि में तीव्र मंदी के लिए मुख्यत: विनिर्माण उप-क्षेत्र में मूल्य संवर्धित संकुचन और अधिकांश सेवा उप-क्षेत्रकों में मंदनकारी स्थितियों को जिम्मेदार माना जा सकता है। यह अधोगामी प्रवृत्ति जारी ऊंची मुद्रास्फीति और अन्य विपरीत वैश्विक एवं घरेलू मैक्रो आर्थिक कारकों को प्रतिबिम्बित करती है।

(ग) सीपीआई-नईश्रृंखला के अनुसार, वर्ष दर वर्ष शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति और अद्य मुद्रास्फीति, जो खुदरा कीमत स्तर पर महंगाई को प्रतिबिम्बित करती है, निम्नानुसार है:

सारणी 2. सीपीआई में अखिल भारत शीर्ष रेखा और खाद्य मुद्रास्फीति-नई श्रृंखला (%)

	वर्ष-दर-वर्ष शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति	वर्ष-दर-वर्ष खाद्य मुद्रास्फीति
जनवरी-12	7.65	4.06
फरवरी-12	8.83	6.65
मार्च-12	9.38	8.10
अप्रैल-12	10.26	10.11
मई-12	10.36	10.52
जून-12	10.02	10.78

जनवरी, 2012 के दौरान समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति कम रही। तथापि मई, 2012 से खाद्य मुद्रास्फीति समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक रही।

(घ) हाल के महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण वृद्धि मौसमी कमी की वजह से मुख्यत: सब्जी की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी। सब्जियों के अतिरिक्त दालों और खाद्य तेलों में भी महंगाई अधिक थी। जबकि विगत में खाद्यान्नों में मुद्रास्फीति संतुलित रही लेकिन पिछले वर्ष में रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद 2012-13 के पहली तिमाही में इसमें वृद्धि हुई। तथापि अवसंरचनात्मक मांग-आपूर्ति असंतुलनों संबंधी दबावों और लागत दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए प्रोटीन की अधिकता वाली मदों अर्थात दूध, अंडा, मछली और मांस में मुद्रास्फीति लगातार अधिक बनी रही। खाद्य मुद्रास्फीति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष उपायों तथा सेक्टर/उपभोक्ता वस्तु विशेष हस्तक्षेप शुरू किए गए। पहले किए गए विभिन्न राजकोषीय तथा प्रशासनिक उपायों के अलावा भारत सरकार ने 2012-13 के केंद्रीय बजट में निम्नांकित उपायों की घोषणा की।

- प्रोटीन पूरक हेतु राष्ट्रीय मिशन: डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार हेतु विश्व बैंक की सहयाता से 2,242 करोड़ रुपये की एक परियोजना शुरू की जा रही है। ताजे पानी में खेती के अतिरिक्त तटवर्ती खेती के जरिए मछली के उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए 2012-13 में परिव्यय को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक किया जा रहा है। कुक्कुट, सुअर और बकरी पालन के लिए भी उपयुक्त आबंटन किए जा रहे हैं।
- खाद्यान्नों के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान: 2012-13 के दौरान 5 मिलियन टन क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है।
- पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की स्कीम के लिए आबंटन को 2011-12 में 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2012-13 में 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है क्योंकि इस स्कीम के परिणामत: 2011 में खरीफ की फसल में 7 मिलियन टन धान का अतिरिक्त उत्पादन हुआ।
- कृषि ऋण हेतु लक्षित ऋण में 100,000 करोड़ रुपये की वृद्धि के अलावा कृषि के लिए 18 प्रतिशत अधिक बजटीय आबंटन से आपूर्ति पक्ष में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

78. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्राम पंचायतों में ई-शासन स्थापित करने हेतु गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा वर्ष 2012-13 में किन गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार देश में 'वायरलैस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एंड रिमोट एरियाज' नामक योजना पर कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने गांवों को शामिल किया गया है तथा तमिलनाडु सहित राज्य-वार शेष गांवों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना है। एनओएफएन परियोजना का क्रियान्वयन विशेष उद्देश्य वाहक कंपनी नामत: बीबीएनएल द्वारा किया जा रहा है, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25 फरवरी, 2012 को निगमित कर दिया गया। नेटवर्क का कार्य 2 वर्ष की समयावधि में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, यूएसओएफ ने ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा के विस्तार में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित स्कीम भी आरंभ की है:

1. **ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम** ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा का विस्तार करने के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2014 तक अलग-अलग प्रयोक्ताओं तथा सरकारी संस्थाओं को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा। दिनांक 30.6.2012 की स्थिति के अनुसार कुल 3,75,648 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

2. **(i) "असम में अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्यालय जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन"**

इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम के तहत दिनांक 12.02.2010 से 18 महीनों की अवधि के भीतर असम के 27 जिलों में 354 स्थानों को जोड़ा जाएगा। फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 177 नोडों की संस्थापना हो गई है।

(ii) "पूर्वोत्तर-I सर्किल में अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्यालय जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क (मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों को शामिल करते हुए) के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन"

इस स्कीम के अंतर्गत मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन का कार्य आरंभ किया गया है। यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 24 माह की अवधि के भीतर 19 जिलों के 188 स्थानों को जोड़ेगी।

(iii) "पूवोत्तर-II सर्किल (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों को शामिल करते हुए) के अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्यालय जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन"

इस स्कीम के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन का कार्य आरंभ किया गया है। यह ओएफसी स्कीम, करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 माह की अवधि के भीतर 30 जिलों के 407 स्थानों को जोड़ेगी।

(ग) और (घ) जी, हां। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए बेस स्टेशनों जैसी वायरलेस ब्रॉडबैंड अवसरंचना के निर्माण हेतु सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "ग्रामीण वायरलेस ब्रॉडबैंड स्कीम" की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में लगभग 5 लाख गांवों को 512 केबीपीएस की गति से ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के तहत अखिल भारत आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने की परिक्लपना की गई है।

यह स्कीम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। इस स्कीम का निविदा मसौदा अप्रैल, 2011 में वेबसाइट पर डाल दिया गया/सार्वजनिक कर दिया गया ताकि स्टेकधारकों की इस बारे में टिप्पणियां प्राप्त हो सकें। स्पेक्ट्रम आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अर्थात 2015 तक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने संबंधी 2जी/बीडब्ल्यूए लाइसेंसधारकों के मौजूदा अनिवार्य रॉलआउट दायित्वों,

जो उन्हें आबंटित स्पेक्ट्रम उल्लेखित है, के मद्देनजर इस स्कीम को आस्थगित कर दिया गया है। इस दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर अवसरंचना के विस्तार की राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) स्कीम आरंभ कर दी गई है ताकि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिगम नेटवर्क में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधा की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु सभी श्रेणियों के दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा इस स्कीम का उपयोग किया जा सकता है।

बीडब्ल्यूए/3जी प्रचालकों द्वारा वर्ष 2014-15 तक अपने रॉल आउट दायित्व को पूरा किए जाने और इसके समानांतर एनओएफएन इको प्रणाली तैयार किए जाने के बाद इस स्कीम की समीक्षा की जाएगी। ब्रॉडबैंड सुविधा के विस्तार पर एनओएफएन परियोजना के प्रभाव का भी वर्ष 2015 में आकलन किया जा सकता है ताकि इसमें आने वाले अंतराल का निर्धारण किया जा सके। तदनुसार वायरलेस ब्रॉडबैंड स्कीम की समीक्षा करके उस समय बाजार द्वारा पूरा नहीं किए गए अंतराल को पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का ऑनलाइन पंजीकरण

79. **श्री ए. सम्पतः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन पंजीकरण में छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी-अपनी वेब-साईटों के जरिए स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों का पंजीकरण किया जाता है। कोई भी विश्वविद्यालय ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में किसी भी कठिनाई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नोटिस में नहीं लाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्पैक्ट्रम का आबंटन और मूल्य निर्धारण

80. **श्री सी. राजेन्द्रनः**
श्री लक्ष्मण टुडुः
श्री अर्जुन मेघवालः
श्री महाबली सिंहः
श्री प्रहलाद जोशीः
श्री हेमानंद बिसवालः

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश के अनुसार स्पैक्ट्रम के आबंटन और मूल्यनिर्धारण हेतु नए मानक शुरू एवं कार्यान्वित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो नए मानकों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर विभिन्न पनधारकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या स्पैक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया 31 अगस्त, 2012 तक, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है, पूर्ण किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या 2जी था 3जी स्पैक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण पर कोई विशेष समूह/समिति गठित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) सरकार ने ट्राई की दिनांक 23.04.2012 की सिफारिशों और दिनांक 12,05,2012 की अन्य सिफारिशों पर विचार करने के बाद दिनांक 3 जुलाई, 2012 को 1800 मेगाहर्ट्ज और 8 मेगाहर्ट्ज बैण्डों में स्पेक्ट्रम के आवंटन और नीलामी के संबंध में कुछ मुद्दों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ग) और (घ) नीलामी प्रक्रिया में निहित विभिन्न कदमों की समय-सीमा को चयनित नीलामीकर्त्ताओं के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार ने विभिन्न मुख्य मुद्दों के बारे में निर्णय लिया है, जिनमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ नीलामी का उद्देश्य, पात्रता मानदण्ड, स्पेक्ट्रम की राशि, ब्लाक की संख्या और ब्लाक का आकार और नीलाम किए गए स्पेक्ट्रम की वैधता अवधि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर में देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्रीहरिकोटा पर तीसरा लॉन्चपैड

81. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में एक तीसरे लॉन्चपैड का विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अगले पांच वर्षों में कम से कम 60 मिशन लॉन्च करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की आगामी प्रमोचक राकेट कार्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सतीश धवन अंतरिक्ष, केन्द्र श्रीहरिकोटा में तीसरे लांच पैड की स्थापना हेतु प्रारंभिक अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) अंतरिक्ष विभाग के 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव, जो कि इस समय अनुमोदन हेतु विचाराधीन है, 33 उपग्रह मिशनों और 25 प्रमोचक राकेट मिशनों सहित कुल 58 मिशनों के प्रमोचक हेतु अभिकल्पित है।

[हिन्दी]

पावर टावर्स के लिए नवीकरणीय ऊर्जा

82. **डॉ. संजय जायसवाल:**
श्री दत्ता मेघे:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बिजली तथा डीजल जेनेरेटरों से चल रही मोबाइल टावरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार 2015 तक इन मोबाइल टावरों को हरित ऊर्जा स्रोतों से चलाने तथा डीजल की चोरी रोकने के लिए कोई ठोस योजना शुरू की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2015 के लिए निर्धारित लक्ष्य सहित अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) सभी मोबाइल टावरों को बिजली से चलाया जा रहा है तथा पावर ग्रिड उपलब्ध न होने की स्थिति में ही बैकअप बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जेनरेटर सेटों का उपयोग किया जाता है। देश में मोबाइल बेस टर्मिनल स्टेशनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त (स्टेंडबाई) बिजली आपूर्ति के रूप में मोबाइल बेस टर्मिनल स्टेशनों को बिजली प्रदान करने के लिए जेनरेटर सेटों को चालने के लिए डीजल का उपयोग किया जा रहा है। बेस टर्मिनल स्टेशनों (बीटीएस) के स्वामित्व वाले मोबाइल प्रचालकों द्वारा डीजल जेनरेटर सेट संस्थापित किए जाते हैं। चोरी रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

सौर-पवन आधारित बिजली आपूर्ति की तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय साध्यता की जांच के लिए, मोबाइल बेस टर्मिनल स्टेशनों को बिजली प्रदान करने हेतु सौर एवं सौर पवन हाइब्रिड प्रणाली संबंधी प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की गई है।

हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के संबंध में ट्राई की सिफारिशों को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है तथा विभाग ने व्यापक निर्देशों और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र को हरित क्षेत्र बनाने संबंधी मानदंड अपनाने के लिए लाइसेंसधारकों/सभी आईएलडी सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैः

(i) सभी ग्रामीण टावरों के कम-से-कम 50% टावर तथा शहरी टावरों के 20% टावरों को वर्ष 2015 तक हाइब्रिड पावर (नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां (आईटी) + ग्रिड पावर) से बिजली प्रदान की जाए जबकि वर्ष 2020 तब ग्रामीण टावरों के 75% तथा शहरी टावरों के 33% टावरों को हाइब्रिड पावर से बिजली आपूर्ति की जाए।

(ii) सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 2020 तक प्रत्येक बीटीएस की कुल बिजली खपत 500 वाट से अधिक नहीं होगी।

(iii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सेल स्थलों को पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ईंधन सेल्स अथवा इनके संयोजन सहित हाइब्रिड नवीकरणीय

स्रोतों के द्वारा बिजली प्रदान करने के संबंध में एक चरणबद्ध कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। इस चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत यह संभावित लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2015 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी टावरों के लगभग 50% टावरों को हाइब्रिड नवीकरणीय स्रोतों के द्वारा बिजली प्रदान की जाए।

(iv) सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा घोषित रूपरेखा के ब्यौरे के आधार पर सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नेटवर्क के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी लक्ष्यों के संबंध में वर्ष 2012-13 तक 5%, वर्ष 2014-15 तक 8%, 2016-17 तक 12% और 2018-19 तक 17% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

विवरण

मोबाइल बेस टर्मिनल स्टेशनों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र/राज्य	बीटीएस की संख्या
1	2	3
1.	असम	13695
2.	आंध्र प्रदेश	59226
3.	बिहार	43982
4.	चेन्नई	20804
5.	दिल्ली	21577
6.	गुजरात	44902
7.	हरियाणा	17349
8.	हिमाचल प्रदेश	7274
9.	जम्मू और कश्मीर	10214
10.	कर्नाटक	53429
11.	केरल	34787
12.	कोलकाता	18391
13.	मध्य प्रदेश	44102
14.	महाराष्ट्र	61684
15.	मुंबई	27784
16.	पूर्वोत्तर	7001
17.	ओडिशा	21684
18.	पंजाब	26319
19.	राजस्थान	34157
20.	तमिलनाडु	47143
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	45254
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	38666
23.	पश्चिम बंगाल	29239
	कुल	728663

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूहों के लिए नाबार्ड की योजना

83. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाबार्ड द्वारा स्व-सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला स्व-सहायता समूहों की विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने यह सूचित किया है कि स्व-सहायता समूहों के संवर्द्धन के लिए वह गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), किसान क्लबों, अलग-अलग ग्रामीण स्वयंसेवकों आईआरवी) को अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है। इन एजेंसियों को उपलब्ध करायी जा रही अनुदान सहायता की राशि निम्नानुसार है:-

सजेंसी	अनुदान सहायता की राशि/स्व-सहायता समूह (रुपये में)
गैर सरकारी-संगठन	7000
आरआरबी/डीसीसीसीबी/यूसीबी	3500
किसान क्लब/ग्रामीण वाटरशेड समितियां/ गांव वाड़ी समितियां	1600
अलग-अलग ग्रामीण स्वयं सेवक	1200

इसके साथ-साथ, नाबार्ड एसएचजी सदस्यों और अन्य भागीदारों के प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन, कौशल, उन्नयन, अनुभव दौरा आदि के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) के संवर्द्धन और वित्त पोषण संबंधी एक योजना देश के 150 पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्लयूई) प्रभावित जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य बैंकों के साथ मिलकर इन समूहों को बढ़ावा देने और ऋण सहबद्धता को सुकर बनाने, निरंतर सहायता देने, जीविकोपार्जन में उन्हें समर्थ बनाने और साथ ही ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने वाले एंकर एनजीओज/सहायक एजेंसियों को शामिल करके अर्थक्षम एवं महिला स्व-सहायता समूहों से जिलों को परिपूर्ण करना है।

(ख) नाबार्ड ने सूचित किया है कि एसएचजी बैंक सहबद्धता कार्यक्रम का बड़ा हिससा (83%) अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्ग के ग्राहकों को कवर करता है। तथापि, नाबार्ड के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

लैंडलाइन टेलीफोन पर मोबाइल का प्रभाव

84. **श्री पी. करुणाकरन:**
श्री अर्जुन चरण सेठी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोबाइल टेलीफोन सेवाएं आरंभ होने के पश्चात लैंडलाइन टेलीफोन सेवाओं पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रतिशत में कोई गणना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने लैंडलाइन टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) देश में मोबाइल टेलीफोन की शुरुआत नब्बे के दशक के मध्य में की गई। वर्ष 2002-03 तक लैंडलाइन टेलीफोनों में सतत रूप से वृद्धि हुई। इसके बाद, वर्ष 2003-04 के दौरान इनमें कमी आई, वर्ष 2004-05 के दौरान इनमें वृद्धि हुई, वर्ष 2005-06 के दौरान इनमें पुन: कमी आई और वर्ष 2006-07 के दौरान इसमें पुन: वृद्धि हुई। इसके बाद लैंडलाइन फोनों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) पिछले 15 वर्षों के दौरान लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोनों में वर्ष-वार प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) लैंडलाइन सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। लैंडनाइन टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने वके लिए भारत संचार निगम लिम्टिड (बीएसएनएल) द्वारा किए गए कुछ उपचारात्मक उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) नए लैंडलाइन कनैक्शन के साथ स्पीकर फोन हैंडसेट प्रदान करना।

(ii) कॉल डाटा रिकार्ड आधारित बिलिंग की शुरुआत।

(iii) ब्रॉडबैंड और पॉलिफॉनिक रिंग बैक टोन जैसी मूल्य वर्द्धित सेवाओं की शुरुआत।

(iv) भारत संचार निगम लिमिटेड लैंडलाइन से किसी भी लैंडलाइन फोन पर स्थानीय दरों पर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग (एसटीडी) कॉलों का प्रभार वसूलना।

(v) बाह्य संयंत्र का स्तरोन्नयन।

(vi) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों की सख्त निगरानी करना।

विवरण I

देश में लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या

(आंकड़े मिलियन में)

मार्च के अंत में	लैंडलाइन टेलीफोन	मोबाइल टेलीफोन	कुल टेलीफोन
1	2	3	4
1997	14.54	0.34	14.88
1998	17.80	0.88	18.68
1999	21.61	1.20	22.81
2000	26.65	1.88	28.53

1	2	3	4
2001	32.70	3.58	36.28
2002	38.29	6.68	44.97
2003	41.32	13.29	54.61
2004	40.92	35.61	76.53
2005	41.42	56.95	98.37
2006	40.22	101.87	142.09
2007	40.77	165.09	205.86
2008	39.41	261.08	300.49
2009	37.96	391.76	429.72
2010	36.96	584.32	621.28
2011	34.73	811.60	846.33
2012	32.17	919.18	951.35

विवरण II

देश में लैंडलाइन और मोबाइल टेलीफोन कनेक्शनों में वार्षिक वृद्धि

(वार्षिक दर प्रतिशत में)

मार्च के अंत में	लैंडलाइन टेलीफोन	मोबाइल टेलीफोन	कुल टेलीफोन
1	2	3	4
1998	22.42	158.82	25.54
1999	21.40	36.36	22.11
2000	23.32	56.67	25.08
2001	22.70	90.43	27.16
2002	17.09	86.59	23.95
2003	7.91	98.95	21.44
2004	-0.97	167.95	40.14
2005	1.22	59.93	28.54
2006	-2.90	78.88	44.44
2007	1.37	62.06	44.88
2008	-3.34	58.14	45.97
2009	-3.68	50.05	43.01
2010	-2.63	49.15	44.58
2011	-6.03	38.90	36.22
2012	-7.37	13.26	12.41

एनबीएफसीएस के विरुद्ध शिकायतें

85. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गैर-बैंककारी कंपनियों/पौधरोपण कंपनियों के राज्य-वार और कंपनी-वार क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान निवेशकों की मेहनत की कमाई का भुगतान न करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/कंपनी लॉ बोर्ड को शिकायतें मिली हैं या देखी गई हैं;

(ख) प्रत्येक कंपनी के विरुद्ध अब तक प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या कितनी है और उनके वित्तीय प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है/प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी अनेक कंपनियों ने अपने नाम बदल लिए हैं या स्वयं को निधि कंपनियों के रूप में परिवर्तित कर लिया है और वे अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से कार्य कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विज्ञापनों का व्यय

86. **श्री सज्जन वर्मा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अपने-अपने सेवा क्षेत्रों में अपने उत्पादों/योजनाओं के विज्ञापन और संवर्धन हेतु किए गए व्यय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विज्ञापन कार्य प्रदान करने हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एनटीएनएल) द्वारा विज्ञापनों और अपने उत्पादों/स्कीमों के प्रोत्साहन के संबंध में गए व्यय का सर्किल-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बीएसएनएल में विज्ञापनों/कार्यों को प्रदोन करने के संबंध में अपनाए गए मापदंड/मानदंड विज्ञापन संबंधी कार्यकलापों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं सामान्यत: पैनल में शामिल की गई एजेंसियों, जिनका चयन खुलील निविदा/अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर किया जाता है, के माध्यम से कार्य सौंपा जाता है। ऐसे कार्य जो पैनल में शामिल की गई एजेंसियों के कार्य-क्षेत्र में कवर नहीं होते हैं, को उच्च शक्ति प्राप्त समिति के द्वारा बातचीत के आधार पर सौंपा जाता है। बीएसएनएल द्वारा निर्धारित किए गए विस्तृत मापदंड/मानदंड का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

एमटीएनएल के संबंध में विज्ञापनों/कार्यों को प्रदान करने संबंधी मापदंड/मानदंड निम्नलिखित हैं:

- इस प्रकार के विज्ञापन संबंधित उत्पाद प्रोन्नयन संबंधी आवश्यकताओं, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार परिदृश्य और मीडिया पहुंच निष्कर्षों जैसे विभिन्न घटकों के आधार पर जारी किए जाते हैं।
- पैनल में शामिल की गई एजेंसियों के माध्यम से सभी विज्ञापन जारी किए जाते हैं।
- विज्ञापन के लिए उच्च प्रोफाइल पत्रिकाओं के अतिरिक्त महिलाओं, युवाओं के लिए पत्रिकाओं और हिंदी/क्षेत्रीय भाषा की पत्रिकाओं के संबंध में विचार किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आउटडोर मीडिया के लिए गठित समिति विभिन्न विकल्पों पर विचार करती है। इसके बाद समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा किया गया व्यय

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल	व्यय (रुपये में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
	बीएसएनएल				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,07,983	1,70,428	59,502	33,288
2.	आंध्र प्रदेश	15,79,71,017	9,95,29,288	1,76,66,466	-
3.	असम	3,93,98,482	5,30,72,122	90,61,034	8,48,454
4.	बिहार	1,37,44,357	1,13,88,746	81,76,363	-
5.	छत्तीसगढ़	93,08,304	39,97,514	30,82,937	1,95,687
6.	गुजरात	10,83,22,097	1,67,90,233	43,66,528	-
7.	हरियाणा	2,01,52,081	1,80,35,665	75,16,949	14,87,996
8.	हिमाचल प्रदेश	68,89,180	34,76,977	5,12,288	-

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	27,58,907	13,66,524	1,23,950	16,350
10.	झारखंड	53,79,585	81,98,237	31,69,008	7,11,143
11.	कर्नाटक	12,45,83,578	5,50,01,641	1,78,77,734	3,52,923
12.	केरल	6,12,83,496	2,00,33,359	30,83,453	
13.	महाराष्ट्र	30,11,68,633	12,31,10,506	27,08,021	20,683
14.	मध्य प्रदेश	1,23,83,252	1,42,95,116	2,83,339	-
15.	पूर्वोत्तर-I	15,47,788	36,51,552	23,54,505	1,90,214
16.	पूर्वोत्तर-II	15,48,967	23,74,353	9,82,581	31,926
17.	ओडिशा	5,18,00,284	3,77,52,457	1,57,90,136	73,041
18.	पंजाब	1,67,91,131	1,143,43,089	82,53,051	6,04,068
19.	राजस्थान	8,54,58,222	7,10,41,602	30,72,989	-
20.	तमिलनाडु	4,32,56,270	2,52,18,933	90,28,912	1,92,690
21.	चेन्नई दूरसंचार जिला	10,94,57,997	3,30,34,030	24,48,213	-
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	10,31,09,483	11,30,35,668	3,78,88,742	-
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1,99,00,842	1,52,83,471	63,55,945	3,75,174
24.	उत्तरांचल	56,80,525	69,17,349	15,72,648	1,07,552
25.	पश्चिम बंगाल	3,60,13,235	2,23,24,073	1,06,75,281	-
26.	कोलकाता दूरसंचार जिला	11,69,74,963	8,18,97,516	1,85,57,050	3,96,190
	एमटीएनएल				
1.	दिल्ली	12,82,00,000	8,26,00,000	11,46,00,000	6,00,000
2.	मुंबई	21,49,00,000	18,94,00,000	6,06,00,000	2,06,00,000

*बीएसएनएल के आंकड़े दिनांक 30.04.2012 तक हैं तथा एमटीएनएल के आंकड़े दिनांक 30.06.2012 तक है।

विवरण II

मार्केटिंग संबंधी दिशानिर्देश

			कुल मार्केटिंग बजट का प्रतिशत
1.	प्रिंट मीडिया	निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार चयन संबंधी मानदंडों का अनुपालन किया जाए (i) समाचार पत्र > 25,000 प्रचार संख्या प्रति संस्करण (ii) पत्रिका > 25,000 प्रसार संख्या प्रति संस्करण (iii) स्मारिका : प्रसार संख्या की कोई सीमा नहीं।	15%

2.	इलेक्ट्रानिक मीडिया	(i) क्षेत्रीय चैनल (ii) राष्ट्रीय चैनल परंतु क्षेत्रीय घटना के लिए (iii) सिनेमा हाल/केबल टीवी	15%
3.	आउटडोर मीडिया	सर्किल द्वारा 100%- हार्डिंग्स, कटआउट, पिलर्स/केबिनेट/डीपी आदि	20%

4. फ्रेंचाइजियों/ग्राहक सेवा केंद्रों को मार्केटिंग सहायता

(क) विक्रेताओं/वितरकों को पीओपी सामग्री।

(ख) विक्रेताओं/वितरकों/रिटेलरों आदि और एसटीडी पीसीओ स्वामियों के लिए साइन बोर्ड/कटआउट

(ग) आउटडोर (होर्डिंग), प्रिंट मीडिया, पेम्पलेट आदि में फ्रेंचाइजियों का विशेष उल्लेख।

5. प्रिंटिंग — 5%

(i) प्रत्येक सेवा के लिए सर्किल/कार्पोरेट, ब्राउचरों फॉल्डरों, प्रशुल्क तालिकाओं और बिक्री बिंदु हेतु पीओपी सामग्री (विक्रेता/वितरक)

(ii) डायरी/कलेंडर/कार्पोरेट उपहारों/प्रेस-नोट/उपभोक्ताओं आदि से पत्र-व्यवहार।

नोट: सर्किल की वार्षिक रिर्पोट की प्रिंटिंग पर कार्पोरेट कार्यालय द्वारा पूर्णत: प्रतिबंध है।

6. प्रायोजन
- (i) दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक से संबंधित कोई कार्यक्रम।
- (ii) पर्यावरण, शिक्षा, पीने का पानी आदि जैसे सामाजिक कार्य से संबंधित कोई कार्यक्रम।
- (iii) कालेज/स्कूल विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां।
- (iv) बच्चों की प्रतियोगिता।
- (v) सांस्कृतिक कार्यकलापों, स्मारक कार्यक्रमों के विज्ञापन आदि।

7. प्रदर्शनी/रोड शो — 5%
- (i) दूरसंचार (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) से संबंधित कोई प्रदर्शनी अथवा जहां लक्षित श्रोताओं की आशा होती है।
- (ii) रोड शो अनन्य रूप से बीएसएनएल, एमटीएनएल, दूरसंचार विभाग और संबंधित सरकारी संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं।

8. जन संपर्क — 4%
- (i) पत्रकार सम्मलेन आयोजित करना, प्रैस नोट तैयार करना और मीडिया को सूचना प्रदान करना।
- (ii) नकारात्मक खबरों को रोकना और बीएसएनएल खबरों, सेवा संबंधी ब्यौरे और प्रचालनों को भरना।
- (iii) राय निर्माताओं, वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं, राजनैतिक नेताओं आदि को पत्र लिखना।
- (iv) सर्किल के निर्णयों के अनुसार रात्रि भोज/लंच का आयोजन करना।
- (v) फ्रेंचाइजियों से सूचना एकत्र करना और उनका विज्ञापनों में उपयोग करना।
- (vi) फ्रेंचाइजियों के लिए गृह पत्रिका और बीएसएनएल के समाचारों का प्रकाशन करना।
- (vii) शिकायतों को देखना और उनका तुरंत समाधान करना।

9. प्रशिक्षण — 1%

- नई सेवाओं/नई मार्केटिंग पहलों के बारे में सीएससी स्टाफ को प्रशिक्षण देना
- फ्रेंचाइजियों को स्टाफ को प्रशिक्षण (फ्रेंचाइजी से तात्पर्य है कोई भी आउटसोर्स की गई सेवा) देना।
- बीएसएनएल स्टाफ के लिए मार्केटिंग के संबंध में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

10. मार्केटिंग संबंधी अनुसंधान • अभियानों, नई सेवाओं की शुरूआत, टैरिफ अथवा संवितरण प्रक्रिया (नई फ्रेंचाइजी एवेन्यू खोलना) में परिवर्तन के लिए एमआर एजेंसियों के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करना। • बीएसएनएल कार्पोरेट कार्यालय अथवा किसी अन्य स्रोत से सहायक सूचना प्राप्त करना। • विज्ञापन जारी करने से पहले मार्केट की जांच पड़ताल करना और विज्ञापन जारी करने के बाद रेटिंग प्राप्त करना।	2%
11. एजेंटों/विक्रेताओं को कमीशन/प्रोत्साहन स्कीम	20%
12. वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं और कार्पोरेट ग्राहकों को बढ़ावा देना	2%
सकल जोड़	100%

अपर्याप्त मोबाइल टावर

87. **श्री दत्ता मेघे:**
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री लक्ष्मण टुडु:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्पैक्ट्रम की कमी है और मांग को पूरा करने के लिए मोबाइल टावर भी पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में घटिया नेटवर्क कवरेज के लिए मोबाइल टावरों की कम संख्या एक मुख्य कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों द्वारा पर्याप्त संख्या में मोबाइल टावर लगवाने और साथ ही विकिरण के मुद्दे पर भी ध्यान देने के लिए क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) दूरसंचार सेवाओं हेतु मौजूदा स्पेक्ट्रम अपेक्षा तथा उपयोग की वजह से, कुछ फ्रीक्वेंसी बैंडों में स्पेक्ट्रम की कमी है। सेवा प्रदाता स्वयं अपने टावरों की स्थिति एवं संख्या के बारे में निर्णय अपनी तकनीकी एवं व्यावसायिक अपेक्षाओं के मद्देनजर लेते हैं। फिलहाल, देश में लगभग 7.5 लाख से अधिक मोबाइल टावर हैं तथा संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा और मोबाइल टावरों की संस्थापना नियमित रूप से की जा रही है। अधिक टावरों की संस्थापना से नेटवर्क कवरेज बेहतर हो सकती है।

(ङ) बीएसएनएल ने सरकार की सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ) के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण/सुदूरवर्ती क्षेत्रों मं अनेक मोबाइल टावरों की संस्थापना की है। जहां तक मोबाइल टावरों से निकलने वाली विद्युतचुंबकीय विकिरण की बात है, सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशनों (बीटीएस) द्वारा विद्युतचुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) दुष्प्रभाव संबंधी विकिरण मानकों के क्रियान्वयन के बारे में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

निजी फर्मों के माध्यम से किसानों को ऋण

88. **श्री जगदीश शर्मा:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी निजी फर्म को किसानों को आगे वितरण करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 110 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि किसानों को प्रदान नहीं की गई और उसका दूसरे शीर्षों के अंतर्गत अन्यत्र उपयोग कर दिया गया जैसा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकों ने उक्त धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को एक शिकायत प्राप्त हुई है कि विभिन्न बैंकों ने मैसर्स बॉयटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बैंकिंग मानदण्डों का पालन न करते हुए बड़ी राशि मंजूर की थी जिसके परिणामस्वरूप खाता अनर्जक आस्ति बन गया।

सीवीसी की सलाह के आधार पर, सभी बैंकों के प्रमुख सतर्कता अधिकारियों को कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने और साथ ही केस दर्ज कराने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से सम्पर्क करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

कोयला ब्लॉकों की स्वीकृति

89. श्री पी. विश्वनाथन:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य के स्तरों पर पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति हेतु बड़ी संख्या में सरकार और निजी कोयला ब्लॉक लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और निजी कंपनियों-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन स्तरों पर लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों को पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार कितने सरकारी और निजी क्षेत्र के कोयला ब्लॉकों को पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ङ) शेष कोयला ब्लॉकों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(च) क्या मंत्रालय की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, आवंटित किए गए 195 कोयला ब्लाकों में से 148 कोयला ब्लाक वन स्वीकृति के लिए लंबित है और 115 कोयला ब्लाक ईएमपी स्वीकृति के लिए लंबित है:

* निजी क्षेत्र में आवंटित किए गए 108 कोयला ब्लॉकों में से 75 कोयला ब्लाक वन स्वीकृति के लिए लंबित हैं और 58 कोयला ब्लाक ईएमपी स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

* सार्वजनिक क्षेत्र में आवंटित किए गए 87 कोयला ब्लाकों में से 73 कोयला ब्लाक वन स्वीकृति के लिए लंबित है और 58 कोयला ब्लाक ईएमपी स्वीकृति के लिए लंबित है।

वन और पर्यावरण स्वीकृति के लिए लंबित राज्य-वार विस्तृत स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित कोयला ब्लाकों की संख्या	राज्य एवं केन्द्र स्तर (आरई ब्लाकों को छोड़कर) वन स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित कोयला ब्लाकों की संख्या	नोट
1.	आंध्र प्रदेश	01	1	लंबित राज्य-वार वन स्वीकृति केवल अन्वेषण ब्लाकों की दी गई है और राज्य एवं केन्द्र स्तर पर प्रस्ताव लंबित है।
2.	छत्तीसगढ़	31	20	
3.	झारखंड	27	23	
4.	महाराष्ट्र	08	14	
5.	मध्य प्रदेश	14	05	
6.	ओडिशा	25	16	
7.	पश्चिम बंगाल	09	07	
	कुल	115	86	

(ग) कोयला मंत्रालय नियमित रूप से प्रगति को मानिटर करता है और वन स्वीकृति (ईसी) और पर्यावरण स्वीकृति (एफसी) को गति प्रदान करने के लिए सामान्य प्रकृति के मुद्दों की जांच करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है।

(घ) इसके कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष (मई, 2012 तक) के दौरान प्राप्त पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की राज्य-वार और वर्ष-वार विस्तृत स्थिति निम्नानुसार दी गई है:-

राज्य का नाम	2009 ब्लाक नं.		2010 ब्लाक नं.		2011 ब्लाक नं.		2012 (मई, 2012 तक) ब्लाक नं.	
	वन स्वीकृति	पर्यावरण स्वीकृति	वन स्वीकृति	पर्यावरण स्वीकृति	वन स्वीकृति	पर्यावरण स्वीकृति	वन स्वीकृति	पर्यावरण स्वीकृति
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	1	0	0	0	2	2	0
झारखंड	0	5	1	5	1	1	0	0
महाराष्ट्र	0	2	0	0	0	4	0	0
मध्य प्रदेश	1	1	2	0	1	0	0	2
ओडिशा	0	1	1	0	2	4	0	0
पंश्चिम बंगाल	0	1	0	1	0	0	0	0

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) यह एक सतत प्रक्रिया है और ईसी एवं एफसी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने के लिए एमओईएफ को अनुरोध किया गया है।

(च) कोयला खनन और अन्य विकास परियोजनाओं के संबंधित पर्यावरणीय और विकासात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए गठित मंत्री समूह की सिफारिश के अनुसार एमओईएफ से विलंब को कम करने के लिए ईसी और एफसी के लिए आवेदन को आनलाइन प्रोसेस करने की एक प्रणाली लागू करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वन एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्थिति

कोयला ब्लाक	कपंनी का नाम	राज्य	वर्ष वन	वर्ष ईएमपी	वन स्वीकृति प्रदान करना	ईएमपी स्वीकृति प्रदान करना
1	2	3	4	5	6	7
गारे पालमा 4/6	जेएसपीएल एंड नलवा स्पांज आयरन लि.	सीजी		2009	एन	15.05.09
पारसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत	सीजी	2012	2011	15.3.2012	21.12.11
कांताबासन	राजस्थान राज्य विद्युत	सीजी	2012	2011	15.3.2012	21.12.11
तासरा	एसको/सेल	जेएस		2009	एन/ए	18.03.09
तोकिसुद नार्थ सब ब्लाक	जीवीके पावर	जेएस	2011		28.12.11	24.09.2008
पकरी बरवाडीह	एनटीपीसी लि.	जेएस	2010	2010	17.9.2010	31.3.10
पंचवारा नार्थ	डब्लयूबीपीडीसीएल	जेएस		2009	एन	23.09.09

1	2	3	4	5	6	7
कोटरे बसंतपुर एंड पचमो	टाटा स्टील लि.	जेएस		2009	एन	18.05.09
डुमरी	नीलाचल आयरन एंड बजरंग इस्पात	जेएस		2010	एन	23.12.10
सोगिया	जेएसएमडीसीएल	जेएस		2009	एन	02.02.09
जितपुर	जेएसएमडीसीएल	जेएस		2009	एन	28.05.09
चकल	एसार पावर लि.	जेएस		2010	एन	20.12.10
सितनाला	सेल	जेएस		2010	एनए	20.12.10
तुबेड	हिंडाल्को, टीपीएल	जेएस		2011	एन	25.7.2011
चोरीटांड तिलेया	रुंगटा माइन्स लि. एंड अन्य	जेएस		2010	एन	22.11.2010
चिनोरा	फिल्ड माइनिंग एंड इस्पात लि.	एमएच		2009	एन/ए	19.05.2009
वरोरा (साउथ)	फील्ड माइनिंग एंड इस्पात लि.	एमएच		2009	एन/ए	19.05.2009
मरकी मंगली-2-4	श्री विरंगाना स्टील लि.	एमएच		2011	वाई	27.1.11
मरकी मंगली-2-4	श्री विरंगाना स्टील लि.	एमएच		2011	एन	27.1.11
नेराद मालेगांव	गुप्ता मेटलिक्स एंड पावर	एमएच		2011	एनए	21.12.11
कोसर डोंगरगांव	चमन मेटलिक्स लि.	एमएच		2011	एनए	28.3.11
अमेलिया नार्थ	एमपीएसएमसीएल	एमपी		2012	एनए	30.07.07
डोनगिरी ताल 2	एमपीएसएमसीएल	एमपी		2012	एनए	22.2.2012
मोहर	पावर फाइनेंश कारपोरेशन लि.	एमपी	2010		25.5.10	10.12.08
मोहर अमरेली एक्स.	पावर फाइनेंश कारपोरेशन लि.	एमपी	2010		25.5.10	10.12.08
सियल घोगरी	प्रिज्म सीमेंट लि.	एमपी	2011	2009	7.2.2011	31.12.09
मडला नाथ	जयप्रकाश एसोसिएट लि.	एमपी		2012	एन	15.2.2012
उत्कल-सी	उत्कल कोल लि.	ओरआर	2011		7.10.11	05.10.2006
उत्कल बी-2	मोनेट इस्पात एंड इनर्जी लि.	ओआर	2011		21.7.11	28.07.2006
उत्कल बी-1	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	ओआर	2010		1.9.2010	09.04.2007
उत्कल-ई	नेशनल एलोमिनीयम का लि.	ओआर		2009	एन	10.12.09
मंदाकिनी ए टाटा पावर	मोनित इस्पात, जिंदल फोटो,	ओआर		2011	एन	30.6.2011
के-जोयदेव	डीवीसी	डब्ल्यूबी		2009	एन/ए	22.06.09
आंर्धाग्राम	सोवा इस्पात, जय बालाजी स्पोंज	डब्ल्यूबी		2010	एन	23.3.10

सीएच: छत्तीसगढ़, जेएच: झारखंड, ओअर: ओडिशा, डब्लयूबी: पश्चिम बंगाल, एमपी: मध्य प्रदेश, एमएच: महाराष्ट्र

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों में प्रवेश

90. **श्री उदय प्रताप सिंह:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवोदय विद्यालयों में निर्धन छात्रों के प्रवेश हेतु संसद सदस्यों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पदोन्नति में आरक्षण

91. **श्री रतन सिंह:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पदोन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) एम. नागराज बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को समर्थ बनाने हेतु किए गए संशोधन संवैधानिक रूप से वैध हैं। फिर भी, राज्यों को प्रशासन की कार्य कुशलता बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, वर्ग के पिछड़ापन और सरकारी क्षेत्र के रोजगार में उस वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले मात्रात्मक आकड़ें एकत्र करना पड़ता है, जैसा कि अनुच्छेद 335 में इंगित किया गया है।

हाल ही में, राजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में पदोन्नति में आरक्षण प्रावधान को रद्द कर दिया था क्योंकि उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

उपर्युक्त निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य की सेवाओं के संबंध में है।

[अनुवाद]

बैंकों में साइबर धोखाधड़ी

92. **श्री अनंत कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008, 2009 और 2010 में बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों में डाटा की चोरी, साइबर धोखाधड़ी और सूचना सुरक्षा के उल्लंघन की घटनाओं की संख्या क्या है;

(ख) सरकार और भा.रि.बैं. द्वारा बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों में सूचना सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में क्या कदम सुझाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में उक्त संस्थानों की क्या प्रतिक्रिया है और जनता के हितों की सुरक्षा में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एटीएम/डेबिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ियां, इंटरनेट बैंकिंग तथा क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ियों से संबंधित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कैलेण्डर वर्ष	सूचित किए गए कुल मामले	अन्तर्ग्रस्त राशि
1.	2008	17397	5355.21
2.	2009	21966	7233.31
3.	2010	15018	4048.94

इसके अलावा, रायल बैंक ऑफ स्काटलैण्ड ने वर्ष 2010 में डाटा चोरी के दो मामलों की सूचना दी थी, हालांकि इस मामले में कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) बैंकों के एटीएम हेतु सुरक्षा प्रबंध, (दिनांक 22.02.2006) तथा (2) एटीएम/डेबिट कार्डो की स्किमिंग, 26 जून, 2006 नामक दो परिपत्र जारी किये हैं, जिसमें बैंकों को क्रेडिट कार्डो की स्किमिंग अथवा अनुलिपि बनाने से संबंधित धोखाधड़ियों को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपाय करने की सलाह दी गई है। निवारक उपायों में कार्ड जारी कर्ता की वेबसाइट पर सचेतक संदेश दर्ज करके ग्राहकों को शिक्षित करना, ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों के प्रति उत्तर में पिन को प्रकट न करने के बारे में ग्राहकों को सूचित करना, लेन-देन विवरण को आवधिक रूप से अभिप्रमाणित करना, यदि किसी अनधिकृत लेन-देन का पता चलता हो तो बैंक को तत्काल सूचित करना और कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने पा बैंक को सूचित करना शामिल है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 2010 में "सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों को पता लगाने" के लिए गठित कार्य समूह ने सुझाव दिया था कि एटीएम कार्डों की स्किमिंग के खतरों का समना करने के उपाय के रूप में चुंबकीय पत्ती (मैगनेटिक स्ट्रिप) काडों के विकल्प के रूप में चिप आधारित कार्ड प्रयोग किए जाएं। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 अप्रैल, 2011 के परिपत्र के तहत उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें बैंकों को यह सलाह दी गई कि वे 31 अक्तूबर, 2011 तक आधारभूत संगठनात्मक संरचना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा ऐसी नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाएं जिनमें वृहत बजटीय समर्थन, अवसंरचनात्मक अथवा प्रौद्योगिकी परिवर्तन अपेक्षित न हों। दिशानिर्देशों में मूलत: सुरक्षा, बैंकिंग प्रक्रियाओं में कुशलता बढ़ाना अपेक्षित है और इससे बैंकों तथा उसके ग्राहकों को लाभ मिलेगा। क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा किया जाना तथा तिमाही आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 1.7.2011 के "बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन" के संबंध में अपने मास्टर परिपत्र के तहत बैंकों को धोखाधड़ियों का प्रतिरोध करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने तथा प्रो-एक्टिव धोखाधड़ी नियंत्रण तथा प्रवर्तन उपाय करने की सलाह दी है। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्रेडिट कार्ड परिचालन दुरुस्त, चौकस और लाभकारी दिशा में हो तथा ये 'अपने ग्राहक को जानें' की अपेक्षाओं को भी पूरा करते हों, ग्राहकों के ऋण जोखिम का आकलन करते हो, साफ और सरल भाषा में सेवा शर्तें विनिर्दिष्ट हों, बिलों का तुरंत प्रेषण सुनिश्चित करें, ग्राहक की गोपनीयता आदि भी बरतें। इसके अलावा, क्रेडिट/डेबिट/प्री-पेड कार्डो पर उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी ऑन-लाइन/आईबीआर/मोटो/आवर्ती लेनदेशों आदि के अतिरिक्त अधिप्रमाणन/वैधीकरण लाना बैंकों के लिए अनिवार्य करते हुए आरबीआई ने "कार्ड प्रजेन्ट लेन-देनों से संबंधित सुरक्षा मामले और जोखिम कम करने के उपाय" से संबंधित दिनांक 22.09.2011 के अपने परिपत्र के तहत बैंकों को सलाह दी है कि वे सुरक्षित कार्ड नॉट प्रेजेन्ट लेन-देन को सुरक्षित बनाने के प्रयास करें।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पीशिंग अटैक, जिसमें ऐसे अटैक के संबंध में कार्य-प्रणाली तथा पिशिंग अटैक को रोकने के सुरक्षात्मक/खोजी उपायों का न्यूनतम निर्धारण शामिल है, के संबंध में दिनांक 16.02.2006 के पत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सचेत किया गया है।

(5) उपर्युक्त के अलावा, जनता को खाता विवरण प्रकट न करने, निधि अंतरण के बनावटी प्रस्तावों पर ध्यान न देने, लाटरी में भाग लेने के लिए धन प्रेषण, धन परिचालन योजनाओं तथा सस्ते फंडों के अन्य बनावटी प्रस्तावों आदि के संबंध में प्रेस रिलीज/अधिसूचना के जरिए सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

बेरोजगारी का प्रतिशत

93. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी श्रेणियों के अधिक शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उन व्यक्तियों की आजीविका में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और आय का कोई स्रोत नहीं है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) श्रम ब्यूरो, श्रम व रोजगार मंत्रालय की रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011-12 संबंधी रिपोर्ट दर्शाती है कि बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक शिक्षित व्यक्तियों में अधिक है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित व्यक्तियों में अधिक हो सकती है, जिसका कारण श्रम बाजार में

मांग व आपूर्ति में असमानता अथवा औपचारिक शिक्षा के बावजूद उपयुक्त कौशल की कमी है। भारत सरकार ने कौशल विकास संबंधी समन्वित कार्रवाई शुरु की है जिसके अंतर्गत एक त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है अर्थात्-(i) कौशल विकास से संबंधित व्यापक नीतिगत उद्देश्यों हेतु प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (ii) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरु की गई कौशल विकास पहलों का समन्वय करने हेतु उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड तथा (iii) निजी क्षेत्रकों के कौशल विकास पहलों को प्रेरित करने के लिए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तर पर कौशल विकास प्रयासों का ध्यान केंद्रित करने हेतु राज्य कौशल विकास मिशन स्थापित किए हैं। विभिन्न कौशल विकास उपायों जैसे आईटीआईज को उत्कृष्टता केन्द्र में अपग्रेड करना, मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशल (एमईएस) ढांचे के अंतर्गत कौशल विकास पहल(एसडीआई) आदि शुरु की गई है जिससे कि भारत में रोजगार तथा लोगों की आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में आवश्यक समावेशी क्षमताओं के सृजन एवं गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा प्रणाली को सुचारू बनाने हेतु उपाय किए गए है।

विवरण

15 और इससे अधिक के लिए बेरोजगारी दर (%) (2011-12)

	(ग्रामीण + शहरी) कुल			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अशिक्षित	0.8	1.6	1.2	0.7	1.8	1.1	0.9	2.1	1.3
प्राथमिक से नीचे	0.7	2.1	1.1	0.7	2.0	1.0	1.0	1.1	1.2
प्राथमिक	1.2	3.5	1.7	1.1	3.6	1.6	1.8	3.6	2.1
मिडिल	2.1	7.2	2.8	2.1	6.5	2.8	2.2	10.3	3.4
माध्यमिक	3.8	15.8	5.4	4.0	16.3	5.8	3.0	14.8	4.2
उच्चतर माध्यमिक	5.6	18.7	7.3	6.3	17.9	7.8	4.7	19.4	6.8
डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	6.9	18.2	9.2	7.5	13.7	8.7	6.3	22.3	9.7
स्नातक	6.7	25.1	9.4	8.4	28.2	11.0	5.1	23.3	8.3
परास्नातक	7.3	19.3	10.0	10.6	27.3	13.9	5.1	15.5	7.6
कुल	2.8	6.7	3.8	2.8	5.7	3.5	3.4	12.3	5.1

[अनुवाद]

दोहरे प्रौद्योगिकी स्तर को रद्द किया जाना

94. **श्री जे.एम. आरुन रशीद:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) से ट्राई द्वारा किए गए पक्षपात के कारण कुछ दूरसंचार आपरेटरों को प्राप्त दोहरे प्रौद्योगिक स्तर को रद्द करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन दूरसंचार आपरेटरों के नाम क्या हैं जिनका ट्राई ने पक्ष लिया है और जिसके फलस्वरूप राजकोष को हानि हुई है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण

95. **श्री लालचन्द कटारिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सच्चर समिति और राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण में से अल्पसंख्यक समदायों, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध तथा पारसी शामिल है, के लिए 4.5% आरक्षण उप कोटा के अनुदेश जारी किए थे। यह उप कोटा केवल उन अल्पसंख्यकों पर लागू होता है जो अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए गए हैं।

फिर भी, हाल ही के निर्णय में, हैदराबाद उच्च न्यायालय ने इन अनुदेशों को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यालय में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है।

शिक्षकों के वेतनमान में विसंगतियां

96. श्री रमाशंकर राजभर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षकों के वेतनमान में अनेक विसंगतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने शिक्षकों के वेतनमान में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार की शिक्षकों को चिकित्सा और आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो शिक्षकों को उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(च) देश में प्राथमिक शिक्षकों की कुल कितनी कमी है; और

(छ) उक्त रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) देश में अधिकांश स्कूल शिक्षक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में है जो उनके वेतन और भत्तों के साथ-साथ निबंधन एवं सेवा शर्तों को भी निर्धारित करती हैं। केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्कूलों के शिक्षण स्टाफ के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतनमान को स्वीकार कर लिया गया है और किसी भी प्रकार की विसंगतियां सूचित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्कूलों के शिक्षकों को सिविल सेवा चिकित्सा उपस्थिति (सीएसएमए) नियमावली, 1944 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के कुछ शिक्षकों को स्टाफ-क्वाटर्स भी दिए गए हैं और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी भी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) के हकदार हैं। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) के तहत कार्य कर रहे अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के स्थान पर आवासीय सुविधाएं दी जाती हैं।

(च) और (छ) देश में केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के 1,694 पद रिक्त हैं और न्यायालय में चल रहे मामलों के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत 32.26 लाख प्राथमिक शिक्षक पदों में से केवल 6.58 लाख पद रिक्त बताए गए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए स्कूल स्तर पर निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात को कायम रखने के लिए राज्यों को 31 मार्च, 2013 तक सभी रिक्तियों को भरने को कहा गया है।

जाली मुद्रा

97. श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री विजय बहादुर सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान पता लगाई गई जाली मुद्रा का मूल्यवर्ग-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वास्तविक भारतीय मुद्रा और जाली भारतीय मुद्रा की छपाई की औसत लागत क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान बैंकों में सबसे अधिक संख्या में पाए गए जाली नोटों का मूल्यवर्ग क्या है और उनका कुल मूल्य क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) पिछले दो वर्षों में बैंकिंग प्रणाली में पता लगाए गए नकली करेंसी नोटों का मूल्यवर्ग-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) आरबीआई ने सूचित किया है कि इसके पास असली भारतीय करेंसी तथा नकली भारतीय करेंसी के मुद्रण की लागत के संबंध में कोई सूचना नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल) द्वारा सप्लाई किए गए असली भारतीय बैंक नोटों के मुद्रण की औसत लागत तथा भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. (एसपीएमसीआईएल) द्वारा असली भारतीय करेंसी के मुद्रण की मूल्यवर्ग-वार औसत लागत निम्नलिखित है:

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड

मूल्यवर्ग	रु. 10	रु. 20	रु. 50	रु. 100	रु. 500	रु. 1000
मुद्रण प्रभार की दर प्रति 1000 नोट (रु.)	600	940	1080	1200	2450	2670

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. (एसपीएमसीआईएल) की प्रैस

मूल्यवर्ग	रु. 10	रु. 20	रु. 50	रु. 100	रु. 500	रु. 1000
मुद्रण प्रभार की दर प्रति 1000 नोट (रु.)	946	1160	1635	1408	2530	3159

(ग) आरबीआई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 500 रुपये के मूल्यवर्ग अधिकतम संख्या में पाये गये थे। नोटों की संख्या तथा उनका मूल्य नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	नोटों की संख्या	मूल्य (रु.)
2010-11	246049	123024500
2011-12	301678	150839000

(घ) जाली भारतीय करेंसी नोटों की समस्या के बहु-आयामी पहलुओं से निपटने के लिए, विभिन्न एजेंसियां जैसे भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र और राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि एक साथ मिलकर काम कर रही है ताकि जाली भारतीय करेंसी नोटों के अवैध क्रियाकलापों को रोका जा सके। इन एजेंसियों के कार्य की आवधिक समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित नोडल समूह (एफसीओआरडी) द्वारा की जाती है। एफसीओआरडी (एफआईसीएन समन्वय प्रकोष्ठ) विश्व में जाली भारतीय करेंसी नोटों के चलन/तरस्करी के संबंध में सभी उपलब्ध जानकारी/आसूचना का समन्वय/आदान-प्रदान करता है और उसका विश्लेषण करता है। कार्यात्मक स्तर पर, राज्यों से समन्वय के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है तथा राजस्व आसूचना महानिदेशालय को इस प्रयोजनार्थ अग्रणी आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को इस समस्या से निपटने के लिए इस प्रकार के अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने आतंकवादी वित्त-पोषण तथा जाली करेंसी के मामलों की जांच पर ध्यान देने के लिए 2010 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में आतंकवादी वित्तपोषण एवं जाली करेंसी प्रतिषेध प्रकोष्ठ (टीएफएफसी) की स्थापना भी की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों की पहचान किए जाने से संबंधित तंत्र को भी सुदृढ़ किया है।

विवरण I

पिछले दो वर्षों में बैंकिंग प्रणाली में पाए गए जाली मुद्रा नोटों का मूल्यवर्ग वार विवरण

वर्ष	10	20	50	100	500	1000	योग
2010-11	139	126	10,962	124,219	246,049	54,112	435,607
2011-12	126	216	12,457	123,398	301,678	83,280	521,155

विवरण II

बैंक द्वारा बैंक-वार जालसाजी
(आरबीआई के अलावा)

बैंक	अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011	अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012
1	2	3
अभ्युदय बैंक		11
इलाहाबाद बैंक		196
आंध्र बैंक	33	670
एक्सिस बैंक	27226	37421
बैंक ऑफ बड़ौदा	23	66
बैंक ऑफ इंडिया	38	54
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1433	145
केनरा बैंक	29	240
कैथोलिक सीरियन बैंक	25	0
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	98	204
सिटी बैंक	6018	5982
सिटी यूनियन बैंक	136	42
कारपोरेशन बैंक	516	212
देना बैंक		0
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	21	3
धनलक्ष्मी बैंक	268	0
एचडीएफसी बैंक	14140	42982
एचएसबीसी	393	915
आईसीआईसीआई बैंक	333584	378754
आईडीबीआई बैंक	487	3456
इंडियन बैंक	610	720
इंडसिंद बैंक	15	28
आईएनजी वैश्य बैंक		1752
जम्मू एंड कश्मीर बैंक	508	322
कर्नाटक बैंक	5	282
करुर वैश्य बैंक	306	226
खारदाह कोपरेटिव बैंक		2
कोटक महिंद्रा बैंक	147	475
लक्ष्मी विलास बैंक		4
एनकेजीएसबी		0
नैनीताल बैंक	4	0
नॉर्थ कनारा जीएस कोपरेटिव बैंक	19	0
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	20	16
पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक	3	0
पंजाब एंड सिंध बैंक	32	0
पंजाब नेशनल बैंक	63	33
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड	2	40
सारस्वत कॉपरेशन बैंक	3	4
सिरसी अर्बन सहकारी बैंक	3	0
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	1502	3039
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	78	5
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	127	40
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1582	3923
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	33	0
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर		2
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3	1
स्टेट बैंक ऑफ त्रावनकोर	33	96
सिंडीकेट बैंक	174	523
सिरसी अर्बन सहकारी बैंक		0
तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक	45	7

1	2	3
दि कालूपुर कॉम कोपरेटिव बैंक		60
यूको बैंक	384	217
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	29	112
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2	52
विजया बैंक	12	57
यस बैंक	30	567
योग	390264	483985

[अनुवाद]

गवेषण समिति में नामिति

98. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से गवेषण समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नामिति के स्थान पर राज्य सरकार के नामिति को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने इस मंत्रालय को लिखित में अनुरोध किया था कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्चतर शिक्षा के स्तरों का रखरखाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विनियम, 2010 के प्रावधानों को संशोधित किया जाए। राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि खण्ड 7.3.0 के अनुसार, कुलपति के चयन हेतु खोज सह चयन समिति के गठन को भी इस तरह से संशोधित किया जाए ताकि राज्य विश्वविद्यालयों हेतु यूजीसी के प्रतिनिधि के बजाय राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों। यह मामला यूजीसी को भेजा गया था। आयोग ने 18 और 19 जुलाई, 2012 को अपनी 487वीं बैठक में, उपर्युक्त विनियमों से खण्ड 7.3.0 को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अतः महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मामले का समाधान हो गया है।

सीवीसी की सलाह

99. श्री हरीश चौधरी:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीवीसी की सलाह को स्वीकार करना या अस्वीकार करना संबंधित अनुशासनिक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संबंधित अनुशासनिक प्राधिकरण को अग्रेषित सीवीसी की सलाह की विभाग/मंत्रालय-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान संबंधित अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार न की गई सलाह की विभाग/मंत्रालय-वार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशें परामर्शी स्वरूप की हैं और संगत अनुशासनिक नियमों के अनुसार, अनुशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए अनुशासनिक अधिकारी अंतिम प्राधिकारी है।

(ख) मौजूदा व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग से दो स्तर पर परामर्श किया जाता है अर्थात पहले स्तर की सलाह के लिए कि क्या प्रारंभिक जांच-पड़ताल के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही में भारी अथवा लघु शास्ति बनती है। जांच-पड़ताल के पूरा होने के पश्चात मामले के रिकार्ड दोबारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिए जाने वाले मामलों को छोड़कर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं किए गए आरोपों के आधार पर द्वितीय स्तर की सलाह के लिए भिजवाए जाते हैं।

वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान आयोग ने क्रमश: 1280, 1342 और 1317 मामलों में कार्रवाई के लिए अपनी प्रथम स्तर की सलाह दी है।

वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान आयोग ने क्रमश: 1435, 1180 और 1027 मामलों में कार्रवाई के लिए अपनी द्वितीय स्तर की सलाह दी है।

(ग) इस तरह के केन्द्रीकृत आंकड़े इस मंत्रालय/विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

एस.बी.आई. को सहायता

100. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एसबीआई की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अशोध्य ऋणों और लाभ में कमी के कारण एसबीआई की वित्तीय स्थिति बदतर हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एसबीआई का धन जुटाने के लिए शेयर जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारत सरकार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पर्याप्त रूप से पंजीकृत करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान एसबीआई को 7,900 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

(ग) और (घ) यद्यपि, निवल गैर-निष्पादित आस्तियों का अनुपात दिनांक 31.03.2011 के 1.63% से थोड़ा बढ़कर दिनांक 31.03.2012 को 1.82% हो गया है। तथापि, एसबीआई की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी हुई है। लाभ में कोई कमी नहीं है। वास्तव में, पिछले वर्ष की तुलना में एसबीआई के निवल लाभ में 41.66% तक की वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) एसबीआई का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों से काफी ऊपर है। वर्तमान में, शेयरों के निर्गम द्वारा एसबीआई द्वारा पैसा जुटाने संबधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

जन शिकायत संबंधी शिकायतें

101. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से जन शिकायतों और पेंशन संबंधी मामलों के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान शिकायतों के निवारण संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां। लोक शिकायतों का निवारण विकेन्द्रीकृत रूप से किया जाता है। केन्द्र सरकार ने पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निपटान करने हेतु "केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली" (सीपीजीआरएएमएस) नामक एक वेब आधारित पोर्टल स्थापित किया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली पोर्टल के माध्यम से संबंधित राज्यों से प्राप्त शिकायतों और राज्य सरकारों द्वारा उनके निपटान से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

प्राप्त और निपटायी गई शिकायतें

क्र.सं.	राज्य का नाम	लोक शिकायतों (पेंशन संबंधी मामलों सहित) की संख्या							
		प्राप्त शिकायतें				निपटाई गई शिकायतें			
		2009	2010	2011	2012 (जुलाई तक)	2009	2010	2011	2012 (जुलाई तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	913	1333	1720	1093	0	145	4	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	19	35	30	26	0	6	0	26
3.	असम	82	116	226	149	0	11	1	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	258	347	638	408	1	31	1	22
5.	छत्तीसगढ़	74	128	152	126	1	36	229	119
6.	गोवा	52	58	120	53	0	24	138	52
7.	गुजरात	490	537	1025	700	1	130	1	19
8.	हरियाणा	732	757	1099	616	1	93	0	17
9.	हिमाचल प्रदेश	85	94	165	99	0	9	0	3
10.	जम्मू और कश्मीर	106	181	298	198	6	14	7	18
11.	झारखंड	208	203	350	192	0	16	1	18
12.	कर्नाटक	1404	815	1250	705	2	303	0	11
13.	केरल	263	282	1437	341	2	55	0	4
14.	मध्य प्रदेश	419	724	954	606	0	39	343	294
15.	महाराष्ट्र	2699	2117	2796	1760	3	398	2	30
16.	मणिपुर	10	23	42	9	0	4	0	3
17.	मेघालय	6	27	33	20	0	1	18	3
18.	मिजोरम	4	12	6	13	0	2	4	0
19.	नागालैंड	4	16	18	18	0	0	0	8
20.	ओडिशा	203	250	573	386	1	31	0	7
21.	पंजाब	342	518	869	720	5	65	0	13
22.	राजस्थान	379	602	1065	690	3	92	4	25
23.	सिक्किम	15	14	21	14	0	2	0	0
24.	तमिलनाडु	1780	1731	4965	2413	3	362	743	45
25.	त्रिपुरा	16	31	48	29	0	0	0	1
26.	उत्तर प्रदेश	1602	1725	2798	1812	9	245	6	97
27.	उत्तराखंड	198	222	380	285	0	21	1	8
28.	पश्चिम बंगाल	666	780	1411	805	1	104	1	21

[अनुवाद]

ए.आर.सी. की स्थापना में दिशानिर्देशों में एकरूपता

102. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की स्थापना हेतु लाइसेंस संबंधी दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है और इन दिशानिर्देशों को किस हद तक पूरा किया गया है;

(ग) क्या सहकारी बैंकों में अनावधानता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा काली सूची में डाले गये लेखापरीक्षक ने उक्त अवधि के दौरान कोई लाइसेंस जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के व्यवसाय को प्रभावशाली बनाने के लिए पंजीकरण, स्वामित्वाधीन निधि, अनुमत व्यवसाय, परिचालन अवसंरचना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्निर्माण के व्यवसाय को सरकासी अधिनियम, 2002 की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रारंभ करने अथवा/और आगे जारी रखने के लिए अब तक 14 कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सीओआर) प्रदान किए हैं।

(ग) ऐसी कोई भी घटना सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एम.डी.एम.एस. का कार्यकरण

103. **श्री यशवंत लागुरी:**
श्री एस. अलागिरी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के कार्यकरण पर प्रतिकूल रिपोर्ट के बारे में अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या मंत्रालय की केन्द्रीय टीम ने योजना के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए देश में विभिन्न राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दोषी विद्यालय प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और देश में विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के कार्यकरण के संबंध में प्राप्त 86 शिकायतों (निधियों के दुर्विनियोजन 30, भोजन की घटिया गुणता 25, और अन्य अनियमितताएं 31) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इन रिपोर्टों को सुधारात्मक उपाय करने तथा इस विभाग को की गई कार्रवाई नोट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था। 2011-12 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में इस योजना की समीक्षा करने तथा तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त, योजना की समीक्षा करने तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाने के लिए संयुक्त समीक्षा मिशनों ने केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का दौरा भी किया। इन दलों की टिप्पणियों, यथा नामांकन की तुलना में कम छात्रों को शामिल किया जाना, रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय के भुगतान में विलंब, खाद्यान्न के अनुचित भंडारण, खाद्यान्न और निधियों की अनुपलब्धता के कारण स्कूलों में मध्याह्न भोजन में व्यवधान, खाद्यान्न को उठाने में विलंब, बफर स्टॉक न रखने आदि, को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को अवगत कराया गया।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सही पाई गई 38 शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की है। इसमें संबंधित गैर-सरकारी संगठन और जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी, प्रधानाचार्य तथा निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करना, प्रधानाचार्य का स्थानांतरण, चूककर्ता कर्मचारियों का निलंबन, लापरवाही के लिए ठेकेदार के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कराना, आपूर्तिकर्ता की संविदा को निरस्त करना, जहां आवश्यक हो, रसोइयों को बदलना, ग्राम प्रधान

से वसूली करना तथा न्यायालय के निदेशानुसार बच्चों को क्षतिपूर्ति करना शामिल हैं।

आपूर्ति मध्याह्न भोजन की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, योजना के दिशानिर्देशों में एफसीआई गोदामों से अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न उठाने, खाद्य पदार्थों को सूखे और सुरक्षित स्थानों पर रखने, भोजन को स्वास्थ्यप्रद वातावरण में उचित रूप से प्रशिक्षित रसोइयों के द्वारा पकाए जाने का प्रावधान है। पके हुए भोजन को शिक्षकों सहित 2-3 प्रौढ़ों द्वारा चखा जाना होता है। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाता है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि जैसे कुछ राज्यों ने भी भोजन की पोषकता और कैलोरीफिक मात्रा की जांच करने के लिए नमूने एकत्र किए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी स्तरों पर योजना का नियमित निरीक्षण करने के लिए एक विस्तृत तंत्र-प्रणाली लागू की गई है।

विवरण

एमडीएमएस के कार्यकश्रण के बारे में प्राप्त राज्य-वार शिकायतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	झारखंड	2	0	0
2.	उत्तर प्रदेश	11	4	11
3.	दिल्ली	3	1	3
4.	बिहार	3	3	6
5.	मध्य प्रदेश	8	2	2
6.	राजस्थान	1	1	1
7.	कर्नाटक	0	1	0
8.	हरियाणा	1	1	5
9.	असम	1	1	1
10.	छत्तीसगढ़	2	0	0
11.	पंजाब	1	0	2
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1
13.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0
14.	उत्तराखंड	1	1	0
15.	पश्चिम बंगाल	1	1	0
16.	चंडीगढ़	0	0	1
17.	ओडिशा	0	0	1
	कुल	35	17	34

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान

104. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में दिनांक 16.05.2012 के तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर का संदर्भ ग्रहण करें तथा बताएं कि:

(क) उन जिलों की संख्या कितनी है और राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समिति का गठन किया गया है और विभिन्न जिलों में हुई बैठकों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या बैठक की तिथि निर्धारित करने से पहले संसद सदस्यों से परामर्श लिया जाता है अथवा जिला कलेक्टर के आदेश पर बैठक का आयोजन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्लॉक स्तर पर भी ऐसी समिति का गठन किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सभी स्कूलों की निगरानी करने के लिए किसी स्कूल निगरानी समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्र सरकार के दिनांक 29.8.2007 के निदेश के अनुसार, चंडीगढ़, गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने जिला स्तरीय समितियां गठित कर ली है। भारत सरकार के निदेशों में जिला स्तरीय समितियों की तिमाही बैठकें करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/जिला परिषद/शहरी स्थानीय निकाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव होता है जो बैठक की तारीखें तय करता है।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान में ब्लॉक स्तर पर ऐसी किसी समिति का प्रावधान नहीं है।

(ङ) और (च) स्कूल के कार्यकरण के अनुवीक्षण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूल स्तर पर एक स्कूल प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान है जिसमें कम-से-कम 75 प्रतिशत प्रतिनिधित्व उन माता-पिता का होगा जिनके बच्चे उस स्कूल में हैं। गोवा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल प्रबंध समितियां गठित की गई हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक सेवाओं में निजी क्षेत्र

105. श्री मानिक टैगोर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल तथा मल-जल प्रबंधन सहित सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी पहल के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सेवाओं की प्रदायगी के लिए निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपर्याप्त अवसंरचना (बिजली, सड़क एवं पुल, दूरसंचार, रेल, सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पत्तनों, हवाईपत्तनों, भंडारण तथा तेल एवं गैस पाइपलाइनों के रूप में परिभाषित) को तीव्र प्रगति में एक प्रमुख बाधा के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 22 अक्तूबर, 2011 को यथा-अनुमोदित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में यह कहा गया है कि बारहवीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचना में कुल निवेश 45 लाख करोड़ रु. से अधिक होना चाहिए। इस स्तर के निवेश का वित्तपोषण करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक से और अधिक परिव्ययों की अपेक्षा होगी परंतु इसके साथ ही निजी निवेश में आनुपातिक वृद्धि से भी अधिक वृद्धि करनी होगी। अनुमान है कि निजी और पीपीपी निवेश ने ग्यारहवीं योजना में अवसंरचना में कुल निवेश में 30 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया है। बारहवीं योजना में इनका हिस्सा बढ़कर 50 प्रतिशत होना चाहिए।

(घ) इन सेवाओं की प्रदायगी के लिए निबंधन एवं शर्तें विभिन्न क्षेत्रकों में अलग-अलग हैं और इन्हें इनके संबंधित रियायत समझौतों में निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद की गणना

106. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संबंध में आधिकारिक रूप से जारी किए जा रहे तथ्य वास्तविकता से कोसों दूर हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में जीडीपी की जानकारी प्राप्त करने के लिए नयी व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित नई व्यवस्था के कब तक लागू होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमानों के माध्यम से वास्तविकता दर्शाता है। नवीनतम उपलब्ध सूचना एवं सर्वेक्षण परिणामों के समावेशन से आधार वर्ष की पुनरीक्षा के समय अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जीडीपी के संकलन में आधारिक पुनरीक्षण करना एक नियमित प्रक्रिया है तथा इसे पांच वर्ष में एक बार कराया जाता है।

[अनुवाद]

सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में बाधाएं

107. श्री रवनीत सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में अनिश्चितताएं और बाधाएं देश में विदेशी निवेश के आगम को प्रभावित कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वैश्विक सुधार से पूर्व सापेक्षतया बेहतर घरेलू आर्थिक निष्पादन होने के बावजूद वर्ष 2010-11 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों के मंद रहने के कारणों की जांच करने के लिए उसने एक अनुसंधान अध्ययन किया था। इस अवधि के दौरान, अन्य प्रमुख ईएमई को वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों में फिर भी सुधार परिलक्षित हुआ था। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी अंतर्वाहों में इस प्रकार की कमी के उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करने के लिए की गई आनुभाविक प्रक्रिया के आधार पर अध्ययन ने सुझाया कि सांस्थानिक कारक जैसे नीतिगत अनिश्चिता के कारण वृहद आर्थिक परिवर्तियों की मजबूती के बावजूद भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह मंद रहे। अध्ययन में विशिष्ट रूप से इंगित है कि ईएमई में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं मुक्तता, विकास संभावनाएं, वृहद आर्थक स्थायित्व तथा श्रम लागत। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 (अप्रैल 2012 तथा जुलाई 2012) में अपने वृहद आर्थिक तथा मौद्रिक घटनाक्रमों में रिजर्व बैंक ने जोर दिया कि पूंजी प्रवाहों में प्रवृत्तियां अधिकांशतः वैश्विक तथा घरेलू आर्थिक तथा वित्तीय दशाओं पर निर्भर करेंगी जिनमें घरेलू नीतिगत सुधार की गति शामिल है।

सरकार निवेशक अनुकूल व्यवस्था करने तथा विदेशी पूंजीगत अंतर्वाह सुकर बनाने के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

108. श्री लालजी टंडन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऐसी एनआईटी को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, दस नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं ताकि सभी बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक संस्थान हो जाए। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद में एक एनआईटी कार्य कर रहा है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, जिनमें मालदा में गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान शमिल है, की स्थापना की योजना के अंतर्गत 500.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 3000.00 करोड़ रुपए का व्यय परियोजित है। नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रत्येक में 90 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ सभी नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने वर्ष 2010-2011 से अपने-अपने शैक्षिक सत्र शुरू कर दिए हैं।

विवरण

10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का राज्यवार, स्थानवार ब्यौरा

क्र.सं.	नए स्थापित एनआईटी का स्थान	अस्थायी परिसर	स्थायी जगह/परिसर
1	2	3	4
(i)	अरुणाचल प्रदेश	यूपिया, जिला-पांपुमपारे, अरुणाचल प्रदेश।	कंपो गांव, जोटे, जिला-पांपुमपारे, अरुणाचल प्रदेश।
(ii)	मणिपुर	राजकीय पॉलीटेक्नीक, ताकयेलपेट, इम्फला, मणिपुर।	लैंगोल-लाम्फेन एरिया, इम्फाल सिटी, मणिपुर।
(iii)	मेघालय	एसवीएनआईटी-सूरत (परामर्शदाता संस्थान)।	सोहरा जिला, मेघालय।

1	2	3	4
(iv)	मिजोरम	चायतियांग (दावरक्वान), आइजोल, नागालैंड।	लेंगपुई, आइजोल, मिजोरम।
(v)	नागालैंड	चुमुकेदिमा, दीमापुर, नागालैंड।	चुमुकेदिमा, जिला, दीमापुर, नागालैंड।
(vi)	गोवा (जो दमन और दीव, दादर और नगर तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों की भी आवश्यकताओं को पूरा करेगा)	जीईसी कैंपस, फार्मगुडी, गोवा।	अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
(vii)	पुदुचेरी (जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगा)	अरिग्नार अन्ना राजकीय कला कॉलेज कैंपस, भरतियार रोड़, नेहरू नगर, कराईकल, पुदुचेरी।	पूवम ग्राम, कराईकल, पुदुचेरी।
(viii)	सिक्किम	रावंगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम।	खमडोंग, सिंगटम के निकट, सिक्किम।
(ix)	दिल्ली (जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा)	एनआईटी-वारंगल (परामर्शदाता संस्थान)।	अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
(x)	उत्तराखंड	राजकीय पॉलीटेक्नीक श्रीनगर गढ़वाल, जिला-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड।	अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

किसानों की भूमि पर गारा

109. डॉ. बलीराम: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने किसानों की भूमि से को. श्री दुर्गा स्लरी एंड ब्रिक्विटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा भवानी कोल कंपनी की सहायता से गारा हटाने का निदेश कोल इंडिया लि. (सीआईएल)/भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय, सीआईएल तथा बीसीएल को किस तिथि को आदेश प्राप्त हुए हैं तथा इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) उक्त न्यायालयी आदेश के अनुपालन के लिए संसद सदस्यों से कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, हाँ। प्रतिवादी मैसर्स दुर्गा स्लरी और ब्रिक्विटी इंडस्ट्रीज लि. (पार्टी नं 01) और वादी मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) एवं अन्य के संबंध में 2003 की रिट याचिका सं. 944 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची ने 16.05.2012 के माध्यम से यह कहते हुए निदेश दिया कि:

परिस्थितियों के अंतर्गत और पार्टियों की ओर से दिए गए प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पार्टी सं. 1 को अथारिटी के समक्ष आज की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित लीज का डीड प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने पर, अथारिटी वादी के दावे से संतुष्ट हो जाने पर भूमि के चिन्हांकन से संबंधित मामले पर कार्रवाई करेगी जिस पर स्लरी डाल दी गई है और विपक्षी पार्टी सं. 1 ने स्लरी को खरीदने का अपना दावा प्रस्तुत किया है और उसके पश्चात 6 सप्ताह के भीतर इसकी बिक्री की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो बीसीसीएल जिला प्रशासन की मदद ले सकती है।

(ग) मैसर्स श्री दुर्गा स्लरी और ब्रिक्विट इंडस्ट्रीज लि. की ओर से बिक्री एवं विपणन डिवीजन, बीसीसीएल (मुख्यालय) में 01.06.2012 को इस आदेश को प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी। उपरोक्त पत्र के प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर मैसर्स श्री दुर्गा स्लरी और ब्रिक्विट इंडस्ट्रीज लि., धनबाद और भवानी कोल ट्रेडर्स, धनबाद को किसानों की भूमि पर जमा स्लरी की बिक्री के लिए प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं।

(घ) इस संबंध में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल को संबोधित दिनांक 18.06.2012 के पत्र के माध्यम से डॉ. बली राम, माननीय संसद सदस्य का एक वीआईपी संदर्भ प्राप्त हुआ था।

(ङ) इस संबंध में बीसीसीएल द्वारा पहले ही कार्रवाई की गई है जो निम्नानुसार है:

(1) मैसर्स श्री दुर्गा स्लरी और ब्रिक्विट इंडस्ट्रीज लि. और भवानी कोल ट्रेडर्स को किसानों की भूमि पर जमा स्लरी की बिक्री के लिए प्रस्ताव पत्र भेज दिए गए हैं।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में दी गई सलाह के अनुसार संबंधित पार्टी को भूमि के अभिलेख और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(3) किसानों की भूमि पर जमा स्लरी की मात्रा और गुणवत्ता का मूल्यांकन सरकारी एजेंसी तैनात करके कराया गया है।

[अनुवाद]

इंटरनेट एक्सेस की बढ़ती लागत

110. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में इंटरनेट एक्सेस करने की लागत बढ़ा दी है तथा अप्रैल, 2012 से लेवी बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, नहीं। इंटरनेट एक्सेस की लागत का निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। इंटरनेट सेवा संबंधी प्रश्न को समय-समय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार प्रशुल्क आदेश/आदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

तथापि, सरकार ने दिनांक 1.7.2012 से शुरू करके दो प्रयासों में चरणबद्ध ढंग से सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर "समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)" के 8 प्रतिशत के रूप में समरूप लाइसेंस शुल्क लेने का निर्णय लिया है।

(ग) विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर समरूप लाइसेंस शुल्क लगाने संबंधी निर्णय, सरकार को राजस्व प्राप्ति संबंधी विषय और देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास को दृष्टगत रखकर लाइसेंस शुल्क में समापन विवाचन के हित में सरलता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, लाइसेंस शुल्क अवस्थिति का विस्तारण और विभिन्न सेवाओं के बीच स्थल संचालन क्षेत्र का निर्धारण करते हुए लिया गया था।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए भ्रष्टाचार संबंधी मामले

111. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भ्रष्टाचार संबंधी कितने मामले भेजे गए हैं;

(ख) कितने मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ग) पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कितने मामले लौटाए गए हैं;

(घ) कितने मामलों में अधिकारियों को दोषी पाया गया है;

(ङ) कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दंड देने की सिफारिश की गयी है; और

(च) कितने मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से दो स्तरों पर परामर्श किया जाता है अर्थात पहले स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान प्राथमिक पड़ताल में एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर या तो दीर्घ या लघु शास्ति लगाई जाती है। जांच पड़ताल के समाप्त होने के बाद, मामले का रिकार्ड को दूसरे स्तर की सलाह के लिए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से दोषसिद्ध अथवा दोषरहित होने के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पुनः भेज दिया जाता है।

वर्ष 2010 और 2011 के दौरान आयोग ने क्रमशः 3424 और 3144 मामलों में अपनी प्रथम स्तर की सलाह दी है। प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति का विवरण संलग्न है।

इसके बाद, कार्यवाही समाप्त होने पर, संगठनों से प्राप्त संदर्भों पर आयोग शास्तियों की प्रकृति पर अथवा अन्यथा सलाह देता है। ऐसी सलाहों को दूसरे स्तर की सलाह के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्ष 2010 और 2011 के दौरान, आयोग ने क्रमशः 1108 और 1027 मामलों में अपनी दूसरे स्तर की सलाह दी है। प्रथम स्तर की सलाह और दूसरे स्तर की सलाह की प्रकृति के विवरण भी संलग्न है।

(च) ऐसे आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं तथापि, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी अनुशासनात्मक मामलों में अंतिम निर्णय लेते समय आयोग की सलाह पर विचार करता है।

विवरण

वर्ष 2010 और 2011 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई प्रथम स्तर की सलाह की प्रकृति

वर्ष सलाह की प्रकृति	2010 की जांच पड़ताल रिपोर्ट पर सीबीआई	2010 की जांच पड़ताल रिपोर्ट पर सीवीओ	2010 कुल	2011 की जांच पड़ताल रिपोर्ट पर सीबीआई	2011 की जांच पड़ताल रिपोर्ट पर सीवीओ	2011 कुल
आपराधिक कार्यवाही	87	12	99	73	32	105
दीर्घ शास्ति कार्यवाही	61	495	556	35	509	544
लघु शास्ति कार्यवाही	18	291	309	08	212	220
प्रशासनिक कार्रवाई, चेतावनी, सावधानी, आदि	22	356	378	27	421	448
बंद किए गए मामले	68	2014	2082	57	1770	1827
कुल	256	3168	3424	200	2944	3144

वर्ष 2010 और 2011 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई द्वितीय स्तर की सलाह की प्रकृति

वर्ष सलाह की प्रवत्ति	2010 सीबीआई रिपोर्टों पर	2010 केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त मामलों पर	2010 कुल	2011 सीबीआई रिपोर्टों पर	2011 केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त मामलों पर	2011 कुल
दीर्घ शास्ति	39	484	523	10	435	445
लघु शास्ति	8	261	269	9	199	208
निर्मुक्त	6	253	259	12	275	287
अन्य कार्रवाई	12	117	129	5	82	87
कुल	65	1115	1180	36	991	1027

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) का विस्तार

112. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने स्कूलों को शामिल किया गया है तथा कितने बच्चों को यह भोजन दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित अनुदान रहित निजी स्कूलों तक एमडीएम को विस्तारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम में और सुधार करने का है ताकि विद्यार्थियों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) मध्याह्न भोजन योजना में सभी सरकारी, सरकार द्वारा सहायताप्राप्त, स्थानीय निकाय और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजन स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायताप्राप्त मदरसों/मकतबों में कक्षा 1-8 में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। 2011-12 के दौरान 12.37 लाख संस्थाओं में पढ़ने वाले 10.54 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा गया था।

(ग) से (च) 12वीं योजना के लिए प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कार्य समूह ने 109 अनुसूचित जनजाति तथा 61 अनुसूचित जाति बहुल जिलों में गैर-सहायताप्राप्त निजी स्कूलों के बच्चों को एक चरणबद्ध तरीके से मध्याह्न भोजन योजना में शामिल करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

ग्रामीण ऋण योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण

113. **श्री जगदानन्द सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ऋण योजना (आरसीएस) के अंतर्गत किसानों को पर्याप्त ऋण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी किसानों को सौ प्रतिशत ऋण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में बदला जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या किसानों को हो रही समस्याओं के कारण कृषि अब लाभदायी व्यवसाय नहीं रहा है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारत सरकार कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य तय करती रही हैं वर्ष 2011-12 के लिए यह लक्ष्य 4,75,000 करोड़ रुपयए था, जिसकी तुलना में मार्च 2012 के अंत तक प्राप्ति 5,11,029 करोड़ रुपए (अनंतिम) थी। वर्ष 2012-13 के लिए यह लक्ष्य 5,75,000 करोड़ रुपए रखा गया है।

(ग) और (घ) किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रभावी माध्यम है। बैंकों को, सभी पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने की सलाह दी गयी है।

(ङ) और (च) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कृषि क्षेत्र के बकाया ऋण की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों का अनुपात वर्ष 2009-10 में 2.42%, 2010-11 में 3.45% और वर्ष 2011-12 में 4.79% थी।

(छ) और (ज) कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने सस्ते और समय पर कृषि ऋण की उपलब्धता संबंधी उपायों सहित कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल है:

(i) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से एक वर्ष की अवधि के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज सहायता योजना चलाई जा रही है। भारती सरकार वर्ष 2009-10 से समय पर भुगातन करने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त ब्याज सहायता वर्ष 2009-10 में 1% 2010-11 में 2% और वर्ष 2011-12 में 3% थी।

इसके अलावा, मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष 2011-12 में अपने उत्पाद को गोदाम में रखने के लिए हस्तांतरणीय मालगोदाम रसीद के एवज में फसल कटाई के पश्चात और छः महीने की अवधि के लिए उसी दर पर जो फसल ऋण पर उपलब्ध है, ब्याज सहायता का लाभ उपलब्ध कराया गया था।

सरकार ने वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में इस स्कीम को वर्ष 2012-13 में भी जारी रखने की घोषणा की है।

(ii) आरबीआई ने बैंकों को 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋणों पर मार्जिन/जमानत अपेक्षाओं को माफ करने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

आधार संख्या का जारी किया जाना

114. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने देश में आधार नंबर जारी करने के मुद्दे के संबंध में कुछेक आपत्तियां उठायी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालयों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठायी गयी इन आपत्तियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा संग्रहित ब्यौरों की सत्यनिष्ठा तथा इसकी सुरक्षा को लेकर कुछ आशंकाएं हैं। निवासियों के बायोमीट्रिक ब्यौरों के संग्रहण को व्यवस्थित रखने की दिशा में भारत सरकार ने अच्छी प्रगति की है अथवा जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आधार पंजीकरण हेतु वचन दिया है और उसे विभिन्न सेवा प्रदाता अनुप्रयोगों के साथ समेकित करने की योजना बना रहे हैं, वहां भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के माध्यम से ही आधार पंजीयन जारी रहेगा। तदनुसार, ऐसे कुछ राज्यों की पहचान की गई है जहां यूआईडीएआई ही ब्यौरे संग्रहित करेगा। यह निर्णय भी लिया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) में पंजीकरण पूर्ववत् ही जारी रहेगा, किन्तु यदि पंजीकरण के दौरान कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह आधार के लिए पहले ही से पंजीकृत है, तो आरजीआई उसके ब्यौरे नहीं लेगा। इसकी बजाए, एनपीआर में आधार संख्या/पंजीकरण संख्या दर्ज की जाएगी और यूआईडीएआई बायोमीट्रिक ब्यौरे आरजीआई को देगा। यह निर्णय भी लिया गया कि एनपीआर और यूआईडीएआई के ब्योरों में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर, एनपीआर के ब्यौरे ही मान्य होंगे।

(ग) यूआइडीएआई द्वारा संग्रहित ब्यौरों को अनधिकृत हाथों से सुरक्षित रखने के लिए कई प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। इनमें, पंजीकरण के तत्काल बाद स्रोत पर ही डेटा को इन्क्रिप्ट करना; ब्यौरे को इन्क्रिप्टेड स्वरूप और जिप प्रारूप में डेटा सेंटर भेजना (जिसके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है); मानक सुरक्षा व्यवस्था कायम करना, जैसे-वर्चुअल प्रोवाइडर, कायरवाल और इन्ट्रूजनरोधी व्यवस्था और यूआईडीएआई अवसंरचना तक पहुंच को केवल अधिकृत लोगों तक सीमित रखना। पंजीयकों/पंजीयन एजेंसियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा ऋण

115. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में शिक्षा ऋण के अंतर्गत जारी की गयी राशि से संबंधित कोई रिकार्ड रखती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, वर्ष-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को शिक्षा ऋण के इंकार के संबंध में केरल राज्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल बकाया शिक्षा ऋणों के आंकड़े रखता है। आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2010, 2011 और 2012 के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया शिक्षा ऋणों का बैंक-वार आंकड़ा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2010, 2011 और 2012 के मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया शिक्षा ऋणों का राज्य-वार आंकड़ा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) आरबीआई द्वारा दी गई सूचनानुसार, वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान केरल, लक्षद्वीप एवं माह केन्द्र शासित प्रदेश के बैंकिंग लोकपालों द्वारा बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार निपटाए गए शिक्षा ऋण से संबंधित शिकायतों की संख्या क्रमशः 215, 253 और 269 हैं।

शिक्षा ऋण की असंस्वीकृति, गैर वितरण, संस्वीकृति/वितरण में विलंब, 4 लाख रुपए से कम ऋणों के लिए बैंक द्वारा जमानत की मांग संबंधी शिकायतें जब किसी और जैसे ही प्राप्त होती है तत्काल समाधान के लिए उन्हें संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

विवरण I

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बैंकवार बकाया शिक्षा ऋण

(खाते लाख में और राशि करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को					
	2010		2011		2012	
	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	काया शेष
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	4.20	8711.00	5.31	10367.00	5.58	11488.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.19	367.89	0.20	435.04	0.2	405.47
स्अेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.51	1009.48	0.52	1055.94	0.51	1098.26
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.11	210.03				
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.26	489.39	0.29	533.70	0.29	566.15
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.51	304.43	0.13	340.00	0.14	369.90
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.47	1682.00	1.06	1719.00	1.09	1800.39
इलाहाबाद बैंक	0.39	818.82	0.43	1030.64	0.46	1163.68
आंध्रा बैंक	0.79	1647.81	0.74	1629.34	0.68	1507.81
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.70	1466.36	0.81	1685.11	0.82	1780.59
बैंक ऑफ इंडिया	0.90	1716.00	1.03	1917.64	1.16	2184.25
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.21	379.21	0.23	409.41	0.25	499.18
केनरा बैंक	1.71	2896.00	1.93	3503.00	2.09	3948.24
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.68	1161.69	0.83	1515.89	0.51	1098.26
कार्पोरेशन बैंक	0.46	814.39	0.43	926.17	0.5	1049.46
देना बैंक	0.13	288.56	0.15	286.02	0.15	292.53
इंडियन बैंक	1.61	2160.98	1.80	2635.19	1.99	3055.81
इंडियन ओवरसीज बैंक	1.12	1447.45	1.56	1970.92	1.86	2455.22
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0.41	938.52	0.46	1070.96	0.48	1147.27

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब नेशनल बैंक	1.14	2131.69	1.35	2642.01	1.48	3087.06
पंजाब एंड सिंध बैंक	0.07	204.23	0.07	218.28	0.07	226.56
सिंडिकेट बैंक	0.95	1459.68	1.02	1889.03	1.14	2268.13
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.67	1289.05	0.75	1536.76	0.84	1731.59
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.22	421.80	0.21	457.19	0.22	520.03
यूको बैंक	0.35	659.00	0.47	856.79	0.48	1059.24
विजया बैंक	0.30	534.47	0.31	602.90	0.2	647.84
आईडीबीआई बैंक लि.	0.04	82.18	0.05	109.88	0.06	326.51
कुल	19.12	35292.11	22.13	41343.81	23.25	45787.43

स्रोत: आरबीआई नोट: अनंतिम आंकड़े

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकवार बकाया शिक्षा ऋण

खाते लाख में और राशि करोड़ में

बैंक का नाम	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को					
	2010		2011		2012	
	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	काया शेष
1	2	3	4	5	6	7
बैंक आफ राजस्थान लि.	0.00	9.19				
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	0.04	63.44	0.05	80.41	0.06	101.31
सिटि यूनियन बैंक लि.	0.04	41.75	0.06	65.85	0.07	94.66
डवलपमेंट क्रेडिट बैंक	0.00	1.51	0.00	2.18	0.01	3.30
धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.02	30.56	0.02	33.11	0.02	34.70
फेडरल बैंक लि.	0.13	222.67	0.15	265.40	0.18	316.47
एचडीएफसी बैंक लि.	0.09	246.54	0.11	279.50	0.09	228.36
आईसीआईसीआई बैंक लि.	0.01	5.85	0.02	348.18	0.21	213.24
इंडसंड बैंक लि.	0.00	0.44	0.00	0.63	0.01	0.54
करूर वैश्य बैंक लि.	0.01	11.42	0.01	9.69	0.01	8.51

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू एवं कश्मीर बैंक	0.06	99.17	0.06	116.92	0.07	130.08
कर्नाटक बैंक लि.	0.05	94.54	0.05	111.00	0.06	129.56
करूर वैश्य बैंक लि.	0.04	52.20	0.05	75.92	0.07	76.50
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0.03	35.87	0.05	57.62	0.07	78.04
नैनीताल बैंक लि.	0.01	13.11	0.01	15.97	0.01	16.70
रत्नाकर बैंक	0.00	1.40	0.00	1.88	0.01	1.92
एसबीआई कमर्शियल	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00	0.00
साउथ इंडियन बैंक लि.	0.03	50.72	0.04	69.6	0.07	100.21
तमिलनाडु मर्केंटरलाइट बैंक	0.06	67.29	0.08	92.8	0.09	120.28
एक्सिस बैंक लि.	0.01	19.83	0.01	25.67	0.01	20.64
कुल	0.61	1067.56	0.76	1652.37	1.12	1675.02

स्रोत: आरबीआई नोट: अनंतिम आंकड़े

विवरण II

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बैंकवार बकाया शिक्षा ऋण

(राशि हजार रुपए में) (खातों की संख्या वास्तविक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को					
	2010		2011		2012	
	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	बकाया शेष	खातों की संख्या	काया शेष
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11464	2659347	15100	3669422	17875	4314788
असम	8300	1856046	10809	2604257	12941	3038211
मेघालय	715	165837	919	220091	1257	295143
मिजोरम	339	119429	439	163653	585	212191
अरुणाचल प्रदेश	421	88266	458	98711	372	82898
नागालैण्ड	204	58443	239	63808	336	85362
मणिपुर	738	222306	1259	316643	1164	352773

1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	747	149020	977	200259	1220	248210
पूर्वी क्षेत्र	148272	28178282	184379	37557976	239414	50641899
बिहार	33344	6436966	42215	9125266	62597	13806855
झारखंड	22456	4896225	30094	6729767	38088	9274536
पश्चिम बंगाल	52227	9587869	60429	11616783	72617	13735361
ओडिशा	39706	7135842	50957	9925865	65289	13639406
सिक्किम	293	74417	334	86562	338	85255
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	246	46963	350	73733	485	100486
केन्द्रीय क्षेत्र	167664	29832334	210304	40768951	240483	48637736
उत्तर प्रदेश	85661	15442367	107901	22548388	126071	27907189
उत्तराखंड	15725	2866466	19624	3930961	22795	5020614
मध्य प्रदेश	57580	9860740	71265	11787917	76968	12891638
छत्तीसगढ़	8698	1662761	11514	2501685	14649	2818295
उत्तरी क्षेत्र	141661	31810580	158550	39239593	174427	42399219
दिल्ली	31386	9785297	35657	11324374	36445	10961954
पंजाब	30819	6190630	30387	7741727	32700	8313466
हरियाणा	26647	5445928	29916	6865756	33815	7694112
चंडीगढ़	4938	1449529	5738	1732121	5905	1828089
जम्मू और कश्मीर	2990	690143	3522	913040	3672	932617
हिमाचल प्रदेश	8660	1367096	10194	1925362	12282	2488080
राजस्थान	36221	6881957	43136	8737213	49608	10180901
पश्चिमी क्षेत्र	141455	31684065	167839	40442208	186269	43259666
गुजरात	35542	9323707	40286	11612845	43780	11084318
महाराष्ट्र	101967	21488206	123627	27854564	138197	31222103
दमन और दीव	429	130765	440	135689	245	41134
गोवा	3103	644338	3347	803891	3481	843096
दादरा और नगर हवेली	414	97049	139	35219	566	69015

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिणी क्षेत्र	904248	137736465	1150900	191837426	1353076	224165046
आन्ध्र प्रदेश	188809	38035840	213903	46940608	218054	50081040
कर्नाटक	132163	22964070	154518	27886279	167291	31037098
पुदुचेरी	13	1558	14	1606	15	2334
तमिलनाडु	387490	48572760	544776	69922880	689094	92341998
केरल	187900	27165536	228050	45743402	267703	49036212
पुदुचेरी	7873	996701	9639	1342651	10919	1666364
पूर्वोत्तर क्षेत्र	66	40462	56	12653	66	18925
असम	36	6323	50	11553	56	15819
मेघालय	2	130	4	605	4	290
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	2	1535	2	495	4	1181
मणिपुर	26	32474	0	0	2	1635
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र	742	185000	968	262751	1034	281162
बिहार	27	5404	38	11166	49	14664
झारखंड	97	23558	132	31739	126	29472
पश्चिम बंगाल	514	135563	662	190095	716	200962
ओडिशा	99	18189	130	27663	139	33766
सिक्किम	4	1421	5	1332	3	1669
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	865	1	756	1	629
केन्द्रीय क्षेत्र	891	175378	1178	246249	1393	332926
उत्तर प्रदेश	425	91432	586	144942	685	182409
उत्तराखंड	327	56644	363	54792	427	89636
मध्य प्रदेश	122	22714	206	40390	248	51747
छत्तीसगढ़	17	4588	23	6125	33	9134

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	7066	1387924	8516	1901136	9473	2138785
दिल्ली	1437	481589	2074	724397	2316	786659
पंजाब	162	43739	242	71043	237	68209
हरियाणा	232	59215	383	116682	346	112119
चंडीगढ़	97	28746	139	44880	152	46346
जम्मू और कश्मीर	4806	706579	5187	842631	5778	975109
हिमाचल प्रदेश	11	1930	8	1010	11	1965
राजस्थान	321	66126	483	100493	633	148378
पश्चिमी क्षेत्र	2740	678383	4109	1044655	5331	4467053
गुजरात	409	101774	651	179481	813	221776
महाराष्ट्र	2299	567322	3419	853781	4479	4234396
दमन और दीव	3	1340	5	2547	6	3083
गोवा	24	7138	27	7297	25	5873
दादरा और नगर हवेली	5	809	7	1549	8	1925
दक्षिणी क्षेत्र	35477	5488241	45659	7198472	59001	9270881
आंध्र प्रदेश	2258	630349	2656	812177	2724	836912
कर्नाटक	4100	792258	4904	1007669	5492	1125383
लक्षद्वीप	0	0	10	1459	0	0
तमिलनाडु	12828	1633229	19463	2397787	28167	3480800
केरल	16164	2414667	18447	2956450	22295	3784810
पुदुचेरी	127	17738	179	22930	323	42976

स्रोत-आर.बी.आई.

कोयले की उपलब्धता

116. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रस्ताव किया है कि खानों से कोयला सीधे उठाने के लिए रक्षित विद्युत संयंत्रों को अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो, विभिन्न खानों में उपलब्ध कोयले की मात्रा तथा मांग एवं आपूर्ति के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान रक्षित विद्युत संयंत्रों द्वारा खरीदी गई माह-वार मात्रा कितनी है; और

(घ) इस मामले में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) जी, नहीं। सीआईएल ने केप्टिव विद्युत संयंत्रों को "जैसे है जहां है" आधार पर स्टॉक से कोयला उठाने की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं किया है जैसे विशेष योजना के अंतर्गत विद्युत पयोगिताओं को पेशकश की जाती है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को देख्रते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2011-12 के दौरान सीआईएल के स्रोतों से केप्टिव विद्युत संयंत्रों को कोयले के प्रेषण और कोयले के उत्पादों कज्ञ माह-वार ब्यौरा निम्नानुसार था:-

2011-12 के दौरान सीआईएल के स्रोतों से केप्टिव विद्युत संयंत्रों को माह-वार कोयले का प्रेषण और कोयला उत्पाद

(मिलियन टन में)

माह	प्रेषण (अनंतिम)
अप्रैल, 11	2.78
मई, 11	3.07
जून, 11	2.74
जुलाई, 11	3.42
अगस्त, 11	2.69
सितम्बर, 11	2.08
अक्तूबर, 11	2.45

2011-12 के दौरान सीआईएल के स्रोतों से केप्टिव विद्युत संयंत्रों को माह-वार कोयले की प्रेषण और कोयला उत्पाद

(मिलियन टन में)

माह	प्रेषण (अनंतिम)
नवम्बर, 11	3.30
दिसम्बर, 11	3.07
जनवरी, 11	2.51
फरवरी, 11	3.31
मार्च, 11	3.24

(घ) केप्टिव विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) को सीआईएल के स्रोतों से कोयले की आपूर्ति सीआईएल की सहायक कंपनियों के साथ उनके द्वारा संपन्न ईंधन आपूर्ति करार के नियम एवं शर्तों के अनुसार की जाती है। सीपीपी समय समय पर ई-नीलामी के अंतर्गत सीआईएल के स्रोतों से पेशकश किए गए कोयले के लिए ई-नीलामी और बोली में भाग लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

संस्कृति स्कूल को अनुदान

117. **श्री जयवंत गंगाराम आवले:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 21.04.2010 के तारांकित प्रश्न संख्या 363 के उत्तर में बताए अनुसार दिल्ली स्थित संस्कृति स्कूल को किस परिस्थिति में 279.435 लाख रुपये का अनुदान दिया गया;

(ख) किन विशिष्ट मदों के लिए अनुदान दिया गया था तथा क्या इस संबंध में वित्त मंत्रलय की अनुमति मिली थी;

(ग) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए क्या मानदंड अपनाए गए तथा क्या विभाग के पास इसका स्वयं का कोई कोटा है; और

(घ) इस अनुदान की उपयोगिता रिपोर्ट तथा ऑडिट रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान परिसर में एनेक्सी ब्लॉक के निर्माण हेतु मंत्रालय द्वारा संस्कृति विद्यालय को सहायता अनुदान के रूप में 279.435 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त रखी गई थी कि संस्कृति विद्यालय सिविल सेवकों के बच्चों का अनुपात 60 प्रतिशत बनाए रखेगा।

(ग) संस्कृति विद्यालय में प्रवेश हेतु विभिन्न श्रेणियों में सीटों की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

- सिविल सेवाओं/रक्षा संवर्ग और समवर्गी सेवाओं के बच्चों हेतु 60 प्रतिशत।
- सामान्य जनता के बच्चों हेतु 10 प्रतिशत।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों हेतु 25 प्रतिशत।
- स्टाफ के सदस्यों के बच्चों हेतु 5 प्रतिशत।

इस मंत्रालय/विभाग को कोई कोटा नहीं दिया गया है।

(घ) विद्यालय के वार्षिक अंकेक्षित खातों से युक्त वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए जारी की गई धनराशि को उस उद्देश्य से संस्कृति विद्यालय द्वारा प्रयोग कर लिया गया है जिस उद्देश्य से यह जारी की गई थी।

[हिन्दी]

राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

118. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के प्रत्येक ग्रेड के अधिकारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक संबंधित विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों तथा की गयी जांच का निष्कर्ष, एवं उससे संबंधित की गयी सिफारिशों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार सभी मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह और विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के निर्णय, जैसा भी मामला हो, के अनुसार कार्रवाई कर रही है।

विवरण

2009 से 2011 के दौरान और 2012 में आज तक राजस्व विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध राजस्व विभाग के कार्यालयों, सीबीआई और सीवीसी द्वारा मारे गए छापों और जांचों की संख्या

ग्रेड	सीबीआई	सीवीसी	विभागीय
1	2	3	4
वर्ष 2009			
समूह क	41	41	4
समूह ख	58	58	1
समूह ग	24	24	1
वर्ष 2010			
समूह क	11	11	4
समूह ख	8	8	15
समूह ग	22	22	11
वर्ष 2011			
समूह क	25	25	6
समूह ख	26	26	13
समूह ग	19	19	8
वर्ष 2012 (आज तक)			
समूह क	12	12	4
समूह ख	15	15	
समूह ग	6	6	

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भंडार

119. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विदेशी मुद्रा भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा का अधिक सार्थक एवं उत्पादक तरीके से उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी अंत 2012 में 292.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से कम होकर जुलाई अंत 2012 में 288.8 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	अवधि	विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमरीकी डालर)
1.	2009-10 (मार्चान्त 2010)	279.1
2.	2010-11 (मार्चान्त 2011)	304.8
3.	2011-12 (मार्चान्त 2012)	294.4
4.	2012-13 (जुलाई अंत, 2012)	288.8

(ग) और (घ) क्रय शक्ति, प्रतिलाभों में जोखिम एवं अस्थिरता को न्यूनतम करने तथा तरलता बनाए रखने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार के दीर्घावधि मूल्य परिरक्षण के सिद्धान्तों के अनुरूप, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा आस्तियों को प्रमुख परिवर्तनीय मुद्रा लिखतों में रखता है। इनमें अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों, अतर्राष्ट्रीय निपाटन बैंक तथा अग्रणी विदेशी वाणिज्यिक बैंकों तथा प्रभुतासंपन्न एवं उत्कृष्ट संस्थाओं में ऋण प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी प्रतिभूतियों जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 10 वर्षों से अधिक न हो, में निक्षेप शामिल हैं।

गैर-सरकारी बीमा कंपनियों से संबंधित दुर्घटना मृत्यु दावे

120. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी बीमा कंपनियों द्वारा संग्रहित प्रीमियम तथा निपाटए गए मृत्यु दावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी बीमा कंपनी ने बीमा किए व्यक्तियों के दुर्घटना मृत्यु दावे को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बीमा कंपनी/पालिसी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मृत्यु दावों के निपटान संबंधी कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में चूककर्ता बीमा कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे संसद के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मुद्रा की जमाखोरी

121. **श्री रामकिशुन:**
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया इंक. द्वारा मुद्रा की बड़े पैमाने पर जमाखोरी के संबंध में जन प्रतिनिधियों से शिकायतें/सुझाव सरकार को मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बड़ी राशि पर ब्याज दर कम करने के संबंध में अपनी नीति में बदलाव करने का निदेश भारतीय रिजर्व बैंक को दिया है ताकि इसे विश्व में विकसित देशों के समकक्ष लाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?,

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जाली एससी/एसटी प्रमाणपत्रों से रोजगार प्राप्त करना

122. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों ने जाली एससी/एसटी प्रमाणपत्रों के आधार पर रोजगार प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर रोजगार पाए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं. और

(च) भविष्य में जाली जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर भर्ती होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) जाली/झूठे जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों से संबंधित सूचनाएं केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती हैं।

हालांकि, केन्द्रीय सरकार ने जाली/झूठे जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए वर्ष 2010 में एकबार का अभियान चलाया था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से प्राप्त सूचना के अनुसार जाली/झूठे जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर कथित रूप से 1832 नियुक्तियां की गई थीं। सभी मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई थीं। उपयुक्त 1832 मामलें में से 276 में निलम्बन/सेवा-समापन इत्यादि किया गया जबकि 521 मामलों में मुकदमेबाजी हुई तथा शेष 1035 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लम्बित रहीं।

(च) सरकारी अनुदेशों में व्यवस्था है कि नियोक्ता प्राधिकारी को उम्मीदवार की प्रारम्भिक नियुक्ति के समय उसके अजा/अजजा/अपिव की जाति की स्थिति तथा साथ ही कर्मचारी के कैरियर के सभी उतार-चढ़ाव का सत्यापन करना चाहिए।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को राज्यों के जिलाधीशों/जिला समाहर्ताओं/उपयोक्ताओं को इस आशय के अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है कि जब भी उन्हें जाति प्रमाणपत्रों की सत्यता इत्यादि का सत्यापन करने के लिए कहा जाए तो वे स्वयं के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि जिला प्राधिकारियों को संदर्भित जाति/समुदाय प्रमाणपत्रों की सत्यता का सत्यापन का लिया गया है एवं ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने के एक माह में नियोक्ता प्राधिकारी को सूचित कर दिया जाए। जाली/झूठे प्रमापत्रधारी उम्मीदवारों एवं जिला या उप जिला-स्तर के कर्मचारियों के टकराव को रोकने के लिए, उन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवहियां आरम्भ की जानी चाहिए जो ऐसे मामलों में जाति की स्थिति के संबंध में समय पर सत्यापन करने में चूक करते हैं या झूठे प्रमाणपत्र जारी करते हैं।

[हिन्दी]

आर्थिक वृद्धि दर

123. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगले पांच वर्षों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक वृद्धि दर क्या निर्धारित की गयी है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम क्या है; और

(ग) गरीबी उपशमन तथा अवसंरचना विकास के लिए तैयार की गयी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार अर्थव्यवस्था की 12वी पंचवर्षीय योजनावधि (2012-17) के दौरान 9 प्रतिशत की औसतन वार्षिक विकास दर से बढ़ने की संभावना है। तथापि, एनडीसी द्वारा दृष्टिकोण पत्र को अनुमोदन देने के बाद वैश्विक आर्थिक परविश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और उसका प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर वर्ष 2012-13 की अंतिम तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की अनुमानित विकास दर में परिलक्षित हुआ है जो 5.3 प्रतिशत हैं वैश्विक आर्थिक स्थिति लगातार अनिश्चित बनी हुई है, इसलिए 12वीं योजनावधि के दौरान अनुमानित 9 प्रतिशत औसतन वार्षिक जीडीपी विकास दर प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करते समय एनडीसी को इस पर एक राय बनानी है।

(ख) और (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में विभिन्न क्षेत्रकों में लक्षित विकास दर हासिल करने के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यनीतियों एवं कदमों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रोत्साहन संरचनाओं को सरल बनाने हेतु सुधारों के साथ-साथ कृषि क्षेत्रक में दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के उच्च निवेश स्तरों की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। आपूर्ति पक्ष पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीजों और सिंचाई की पहचान प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में की गई है। मांग पक्ष की तरफ से उन अधिकांश नियंत्रणों जिन्होंने अधिकांश कृषि उत्पादों के लिए संगठित और निर्बाध भारतीय बाजार को वंचित किया है, को हटाने की आवश्यकता की महत्वपूर्ण प्राथमिक क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। विनिर्माण क्षेत्रक में,

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार, भौतिक अवसंरचना का विकास, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका, दक्ष कार्यबल आदि जैसे मुद्दों की प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त अवसंरचना में निवेश की गति को बढ़ाने, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रकों को सुदृढ़ करने, पर्यावरणीय चुनौतियों पर काबू पाने, आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक योगदान देने हेतु सेवा क्षेत्रक को समर्थ बनाना आदि की महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है। दृष्टिकोण पत्र में पहचान की गई है कि अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश का संपर्कता में सुधार करने और अधिक आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करने के लिए पिछड़े हुए और दूरस्थ क्षेत्रों में अवसंरचना आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग रखना होगा।

भारत की हाल ही की उच्च आर्थिक विकास दर ने भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसने देश में विकट गरीबी के उदाहरण को कम किया है। इसके अतिरिक्त सरकार इस उद्देश्य के लिए अनेक फ्लैगशिप कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन स्कीम, सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं समग्र स्वच्छता अभिमयान, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), लक्षित सार्वजनकि वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) आदि। इन हस्तक्षेपों से गरीबी के कम हाने और मूलभूत सुविधाओं तक उन्नत पहुंच आदि के मामले में आने वाले समय में बेहतर परिणाम आना अपेक्षित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों पर निर्माण कार्य करने और संधारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

कंप्यूटरों के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर

124. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में माइक्रोसॉफ्टवेयर के स्थान पर कंप्यूटरों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (ओएसएस) के उपयोग का निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने विभागों एवं राज्यों ने कंप्यूटरों में ओएसएस का प्रयोग प्रारंभ किया है;

(घ) उक्त निदेशों के अक्रियान्वयन के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ङ) अन्य देशों की तर्ज पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सभी विभागों में ओएसएस के प्रयोग को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?,

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान में ओएसएस का प्रयोग देश के 115 विभागों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है। सभी 28 राज्य/संघ शासित क्षेत्र विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ओएसएस का उपयोग कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) देश में मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लोकप्रिय बनाने और उसके उन्नयन के लिए अनुसंधान और विकास, एफओएसएस परियोजना, सहायता, जागरूकता पैदा करने और मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्रों (एनआरसीएफओएसएस) की स्थापना की गई है। एनआरसीएफओएसएस सी-डैक चेन्नई ने भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन (बीओएसएस) नामक ओपन सोर्स जीएनयू/लीनक्स पर आधारित एक प्रचालन प्रणाली तैयार की है जो बहुत सी भारतीय भाषाओं का समर्थन करती है। बीओएसएस को http:bosslinux.in से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रयोक्ताओं को भरपूर सहायता मुहैया करवाने के लिए पूरे देश में बीओएसएस सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई है। विभिन्न विभागों में ई-शासन, कार्यालय और शिक्षा अनुप्रयोगों के लिए बीओएसएस को नियोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, एनआईसी ने केन्द्र और राज्य सरकार के बहुत से विभागों में ओएसएस को कार्यान्वित किया है। एनआईसी ने मुक्त मानकों पर आधारित ई-शासन अनुप्रयोगों में एफओएसएस के अंगीकरण में मुख्य भूमिका अदा करने के लिए मुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र (ओटीसी) की भी स्थापना की है।

[अनुवाद]

टायर II एवं टायर III शहरों से कर संग्रह

125. **श्री शिवकुमार उदासीः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या व्यक्तिगत एवं कॉर्पोरेट कर संग्रह की वृद्धि के मामले में टायर II एवं टायर III शहरों ने महानगरों को पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शहरों में कई कॉर्पोरेट घरानों तथा गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संस्थानों के आने के फलस्वरूप कर संग्रहण में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये नगर अवसंरचना के मामले में पिछड़े हैं तथा इन पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार विकास हेतु और निधि आवंटित करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (घ) कारपोरेट व व्यक्तिगत आयकर के संग्रह के अलग नगर-वार (टायर II एवं टायर III) डाटा का केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है। विभिन्न नगरों में उद्भूत हो रही कारपोरेट घरानों और शैक्षिक संस्थानों से संबंधित कर निर्धारित के डाटा को भी केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेशन कर और वक्तिगत आयकर से संग्रहित राशि निम्न हैं:-

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	कर/शुल्क की प्रकृति	2009-10	2010-11	*2011-12
1.	निगम कर	244725	298688	323224
2.	व्यक्तिगत आयकर	133338	148247	171575

अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के संबंध में नगर-वार डाटा (टायर II एवं टायर III) का भी केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण निम्न है:-

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	संग्रहित राशि
2009-10	245367.0
2010-11	345127.4
*2011-12	391357.5

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ङ) सरकार जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनःनवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत इन नगरों की अवसंरचना विकास के लिए भरसक ध्यान दे रही है।

(च) और (छ) विकास के लिए अतिरिक्त निधियों का आबंटन, आबंटित निधियों के उपयोग अर्थात प्रगामी व्यय और साथ ही संसाधन उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान में राजकोषीय प्रतिबंधों के कारण, विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों को आवंटित करने की कोई योजनाएं नहीं है व सरकार ने पहले ही व्यय को नियंत्रित करने के लिए उपाय के रूप में मितव्ययिता निर्देश जारी किए हैं। तथापि, योजनाओं हेतु निधियों की अपेक्षाओं की वर्ष में बाद में संशोधित अनुमान स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

वैकल्पिक कोयला ब्लॉक

126. **श्री हरिन पाठकः**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीएमडीसी) ने केन्द्र सरकार से मोरगा-दो के स्थान पर वैकल्पिक कोयला ब्लॉकों के आवंटन हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जीएमडीसी के अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (जीएमडीसी) ने मोरगा-2 के बदले वैकल्पिक कोयला ब्लाक के आवंटन का अनुरोध किया है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पूर्वेक्षण लाइसेंस जारी करने के लिए वानिकी मंजूरी हेतु उनका आवेदन अस्वीकर कर दिया है।

(ग) और (घ) मौजूदा दिशानिर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत वैकल्पिक कोयला ब्लाक प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एसईसीएल में भ्रष्टाचार के मामले

127. **श्री के.डी. देशमुखः** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एसईसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसईसीएल के कतिपय क्षेत्रों में 'नो गो' क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद कोयला माफिया और अधिकारियों की सांठ-गांठ से इन क्षेत्रों में ठेका कार्य जारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या लापरवाही के कारण एसईसीएल क्षेत्र में आम लोग गंभीर रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है/ की जा रही है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) का सतर्कता विभाग ने वर्ष 2011 के दौरान तथा 30.6.2012 तक भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के 20 सतर्कता मामले तथा नियमित विभागीय कार्रवाई करने के लिए 24 मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एसईसीएल के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 11 मामले दर्ज किए हैं।

(ग) और (घ) एसईसीएल द्वारा कोयला खनन सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र में किया जाता है।

(ङ) और (च) एसईसीएल क्षेत्र में लापरवाही के कारण गंभीर रोगों से आम लोगों के पीड़ित होने की कोई सूचना नहीं हैं। कंपनी के 47 चिकित्सालयों, 17 अस्पतालों, 151 एम्बूलेंसों, 242 चिकित्सकों तथा अर्द्ध चिकित्सीय कार्मिकों के माध्यम से कर्मचारियों तथा आम लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। उसके अलावा, एसईसीएल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले कार्डधारकों के लिए एसईसीएल के सभी अस्पतालों और चिकित्सालयों में बहिरंग रोगी विभाग चलाता है।

[अनुवाद]

संघ लोक सेवा आयोग बोर्ड

128. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विधि में आवश्यक संशोधन करके 'संघ लोक सेवा आयोग' से 'आयोग' शब्द के स्थान पर बोर्ड शब्द को प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) महोदया, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करना

129. श्री पी. लिंगम:
श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुछ इकाइयों को शीघ्र ही आरंभ करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वीकृति लेने, कृत्रिम ईंधन को हटाने और वास्तविक ईंधन भरने आदि और अंतिम निरीक्षण जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो अंतिम निरीक्षण के दौरान पायी गई खामियों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी औपचारिकताओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या वैज्ञानिकों के दल ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या परियोजना के संबंध में स्थानीय लोगों और अन्य लोगों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) निर्धारित कार्यकम के अनुसार कुडनकुलम परियोजना के यूनिट 1 की कमीशनिंग करने का कार्य बहुत शीघ्र पूरा किया जाएगा।

(ग) यूनिट 1 में रिएक्टर दाब पात्र से कृत्रिम ईंधन को हटाने और उसके निरीक्षण का कार्य पूरा किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) को प्रस्तुत कर दी गई है। अंतिम निरीक्षणों वे दौरान कोई दोष देखने में नहीं आए हैं। निरीक्षण कार्य पूरा करने के बाद, ईंधन भरण के लिए नियामक प्राधिकारियों को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से चरण-वार अनुमति प्राप्त करने के बाद ईंधन भरण, क्रांतिकता प्राप्त करने और विद्युत का उत्पादन करने का कार्य आरंभ किया जाएगा।

(ङ) सरकार द्वारा गठित, विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, डाक्टरों और इंजीनियरों के एक विशेषज्ञ वर्ग ने कुडनकुलम परियोजना की सुरक्षा और उससे संबद्ध पहलुओं के बारे में अध्ययन किया और इन परियोजना को कमीशन करने का विरोध करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को स्थिति स्पष्ट की।

(च) जी, हां। केन्द्रीय सरकार के विशेषा वर्ग ने स्थानीय लोगों और अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त चिंताओं का निवारण किया और उन्होंने कुडनकुलम संयंत्र को सुरक्षित पाया। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने भी इस संयंत्र को सुरक्षित पाया है।

[हिन्दी]

पंचायत संचार सेवा योजना

130. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिहार राज्य सहित देश में पंचायत संचार सेवा योजना के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या योजना अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना की निगरानी प्रणाली सुदृढ़ बनाने और इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) 'पंचायत संचार सेवा योजना' स्कीम के अंतर्गत पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालयों में बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोले जाते हैं, जहां डाकघर नहीं हैं। इस स्कीम को ग्राम पंचायतों द्वारा एजेंटों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इन एजेंटों की नियुक्ति ग्राम पंचायतों द्वारा संबंधित अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर की लिखित सहमति से की जाती हैं यह ग्राम पंचायत प्रमुखों से आवदेनों की प्राप्ति पर भी निर्भर करता है। 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान कार्य कर रहे पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की सर्किलवार संख्या, बिहार सहित, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) ग्राम पंचायत मुख्यालयों में बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने के अपने उद्देश्य को यह स्कीम किस हद तक प्राप्त कर पाती है, यह निर्भर करता है (i) पंचायत संचार सेवा योजना एजेंटों द्वारा दिखाई गई रुचि पर; (ii) पंचायत संचार सेवा केन्द्र के कार्य-संचालन के प्रति पीएसएसके एजेंटों द्वारा दर्शाई गई प्रतिबद्धता पर और (iii) ग्राम पंचायतों द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन पर।

(घ) पीएसएसके के कार्य-संचालन की मानीटरिंग फील्ड अधिकारियों अर्थात् डाकघर निरीक्षक/सहायक अधीक्षक डाकघर/वरिष्ठ/अधीक्षक डाकघर द्वारा इन केन्द्रों के दौरों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। पीएसएसके एजेंटों को ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) व्यवसाय के डायरेक्ट एजेंटों के रूप में कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई है ताकि व्यवसाय की मात्रा और पीएसएसके की आय में वृद्धि हो सके।

विवरण

2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान देश में कार्यरत पंचायत संचार सेवा केन्द्रों (पीएसएसके) की सर्किलवार संख्या

क्र.सं.	सर्किल	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	87	86	72
2.	असम	173	141	80
3.	बिहार	1072	1072	1072
4.	छत्तीसगढ़	218	141	44
5.	दिल्ली	0	0	0
6.	गुजरात	14	10	8
7.	हरियाणा	103	103	97

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	109	95	69
9.	जम्मू और कश्मीर	25	25	24
10.	झारखंड	261	214	115
11.	कर्नाटक	11	11	11
12.	केरल	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	220	212	198
14.	महाराष्ट्र	508	505	431
15.	उत्तर पूर्व	86	66	42
16.	ओडिशा	204	186	163
17.	पंजाब	7	7	7
18.	राजस्थान	66	40	38
19.	तमिलनाडु	87	82	71
20.	उत्तराखंड	103	77	57
21.	उत्तर प्रदेश	1194	1191	1140
22.	पश्चिम बंगाल	7	7	7
	योग	4555	4271	3746

[अनुवाद]

के.बी.के. क्षेत्रों हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि

131. श्री तथागत सत्पथी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ओडिशा के के.वी.के. क्षेत्र हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओडिशा सरकार ने क्षेत्र के लिए विशेष सहायता राशि में वृद्धि करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विशेष सहायता में वृद्धि बारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना हेतु विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के आवंटन को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 130 करोड़ रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2012-13 में 250 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार केबीके जिलों के विशेष योजना हेतु आवंटन को बढ़ाने की मांग करती रही है। राज्य सरकार द्वारा 2009-10 से 2016-17 तक की अवधि के लिए केबीके क्षेत्र के लिए आठ वर्षीय भावी योजना का मसौदा प्रस्तुत किया गया था जिसमें 4550 करोड़ रु. का एसीए घटक शामिल था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित निर्णयों, जो अभी तक नहीं लिए गए हैं, के मद्देनजर, प्रस्तावित आठ वर्षीय भावी योजना पर निर्णय आस्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 250 करोड़ रु. की विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के लिए 2012-13 के लिए केबीके जिलों के प्रयोजनार्थ विशेष योजना का मसौदा भी प्रस्तुत किया है।

(ङ) और (च) ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना हेतु विशिष्ट सहायता में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी 2012-13 के लिए है। इस बीच, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) की पुनर्सरचना करने का निर्णय लिया गया है जिसमें जिला घटक के साथ-साथ विशेष योजना को कवर करने वाला राज्य घटक भी शामिल है। केबीके जिलों के लिए विशेष योजना को जारी रखने और बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के शेष वर्षों के लिए विशिष्ट सहायता को बढ़ाने का निर्णय इस कार्रवाई के पूरा हो जाने के बाद लिया जाएगा।

अवसंरचना का आधुनिकीकरण

132. श्री एम.के. राघवन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान और अभियांत्रिकी हेतु अवसंरचना के आधुनिकीकरण हेतु बड़ी पहलों की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु सभी प्रयोगशालाएं हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में योजना के अंतर्गत कुल कितना व्यय किया गया है और लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की एक योजना है जो आधुनिकीकरण तथा अप्रचलित के निवारण पर केन्द्रित है। इस योजना का उद्देश्य पुस्तकालयों को छोड़कर प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं/कंप्यूटर सुविधाओं को आधुनिक बनाना तथा अप्रचलित का निवारण करना है ताकि शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के प्रयोजन से तकनीकी संस्थाओं की प्रकार्यात्मक कुशलता में वृद्धि की जा सके। यह योजना शिक्षण कक्ष तथा प्रयोगशाला/शिक्षण प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला अनुदेशात्मक सामग्री एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास में नव-प्रवर्तनों की भी समर्थन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों द्वारा किया जाने वाला प्रायोगिक कार्य और परियोजना कार्य समसामयिकी हो और उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए की सीमा तक वित्तपोषित उपस्कर का आदर्श रूप से उपयोग मौजूदा प्रयोगशालाओं में उपस्करों के स्तरोन्नयन, निष्पादन पैरामीटर में सुधार, मौजूदा उपस्कर के विनिर्देशन, उस क्षेत्र में अद्यतन विकास के निगमन तथा पुराने ह्रास-मूल्य उपकरणों को आधुनिक उपकरणों से बदलने के लिए किया जा सकेगा। उपर्युक्त बड़े उद्देश्यों के अलावा, मॉडरॉब्स के जरिए संस्थापित उपस्करण का उपयोग सतत शिक्षा कार्यक्रमों, स्थानीय उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और परामर्श कार्य के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संकाय/छात्रों के लाभ के लिए किया जा सकता है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान, मॉडरोब्स योजना में व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपए में)

2008-09	2009-10	2010-11
1434.19	5943.75	2531.17

केन्द्र-प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' वर्ष 2009-10 से कार्यान्वयनाधीन है जिसका उद्देश्य है 15-16 वर्ष आयु-समूह के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता की माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध, सुलभ और वहनीय बनाना। यह योजना शैक्षिक कार्यकलापों को सुसाध्य बनाने के लिए कंप्यूटर कक्षों तथा भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान और गणित के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ समेकित प्रयोगशालाओं का प्रावधान करके स्कूलों में विज्ञान संबंधी अवसंरचना के आधुनिकीकरण के महत्व को स्वीकार करती है। 2009-10 से इस योजना के कार्यकरण के बाद मौजूदा माध्यमिक स्कूलों में 23807 नई विज्ञान प्रयोगशाला और 19641 कंप्यूटर कक्ष अनुमोदित किए गए हैं जिनमें से अब तक 1881 विज्ञान प्रयोगशाला और 1585 कंप्यूटर कक्ष पूरे कर लिए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 2009-10 से 2011-12 के दौरान सभी नए 9636 माध्यमिक स्कूलों के लिए कंप्यूटर कक्ष और विज्ञान प्रयोगशाला संस्वीकृत की गई हैं।

[हिन्दी]

विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार

133. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखण्ड सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार में कितने अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं और इस कृत्य के लिए कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) इस संबंध में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा से बर्खास्त/दंडित किया गया है; और

(ग) दोषी पाए गए कर्मचारियों को दिए गए दण्ड और उनके द्वारा की गई अनियमितताओं की प्रकृति का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) इस संबंध में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009, 2010, 2011 एवं 2012 (13.07.2012 तक) के दौरान भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के अधीन संघीय सरकार विभिन्न विभागों के 2537 अधिकारियों/कार्मिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं जिसमें झारखण्ड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में केन्द्रीय सरकार के 85 अधिकारी/पदाधिकारी शामिल है। इस संबंध में वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में शामिल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/पदाधिकारियों की संख्या	कॉलम 2 में से, झारखण्ड राज्य में तैनात संघ सरकार के अधिकारियों/कार्मिकों की संख्या
2009	810	26
2010	657	29
2011	620	14
2012 (31.07.2012 तक)	450	16
कुल	2537	85

आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के संबंध में निर्णय, साक्ष्य एवं अन्वेषण की आवश्यकता के आधार पर मामले-दर-मामले के आधार पर लिया जाता है।

(ख) और (ग) ऐसे आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

सेबी को प्राप्त शिकायतें

134. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को किसी कंपनी के विरुद्ध सेबी दिशा निर्देशों के उल्लंघन, कॉरपोरेट शासन संबंधी मुद्दों, सार्वजनिक धन के दुर्विनियोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान सेबी को प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा ये शिकायतें किस प्रकार की थी; और

(ग) इस संबंध में सेबी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सेबी अधिनियम के प्रावधानों, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत सूचीयन करार तथा कंपनी अधिनियम की धारा 55क के प्रावधान के अनुसार, सेबी मुख्यत: पेशकश दस्तावेजों में प्रकटन, सूचीयन करार के अनुसार निरंतर प्रकटन अपेक्षाओं, पूंजी निर्गम, प्रतिभूति अंतरण तथा लाभांश का भुगतान न किए जाने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करता है। सेबी को प्राप्त निधियों के दुर्विनियोजन संबंधी शिकायतें, यदि कोई हों, समुचित कार्यवाही हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अग्रेषित की जाती हैं। वर्तमान में, सेबी के पास कर्मचारी स्टॉक विकल्प संबंधी दिशानिर्देश हैं। वर्तमान वर्ष (2012-13) सहित विगत तीन वर्षों में किसी भी वर्ष में इस दिशानिर्देश के संबंध में कोई शिकायत सेबी को प्राप्त नहीं हुई है।

जहां तक सूचीबद्ध कंपनियों से जुड़े अभिशासन मुद्दों संबंधी शिकायतों का संबंध है, उनको सूचीयन करार के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। सेबी को कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं जो मुख्यतया प्रतिदाय/आवंटन/लाभांश के प्राप्त न होने, शेयरों का अंतरण न होने इत्यादि से संबंधित होती है। इन शिकायतों पर कार्रवाई सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में निर्गम, अंतरण न दिए जाने तथा लाभांश के भुगतान न किए जाने के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 55क के तहत सेबी को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार की जाती है। वर्ष 2010 से वर्ष 2012 की अवधि के दौरान (31 जुलाई, 2012 तक) प्राप्त ऐसी शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अप्रैल 2009 से 31 जुलाई 2012 तक अवधि के लिए कारपोरेट अभिशासन से जुड़ी शिकायतों जो सेबी को प्राप्त हुई हैं की वर्षवार सूची निम्नानुसार है:-

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (31 जुलाई 2012 तक)
शिकायतों की संख्या	24	122	82	14

(ग) सेबी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई निम्नानुसार है:

1. सेबी को जो तमाम शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके समाधानार्थ वह समुचित कदम उठाता है। यह अभिशासन मुद्दों संबंधी सूचीयन करार विषयक उचित कार्रवाई के लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ उन पर चर्चा करता है। सेबी के कहने पर स्टॉक एक्सचेंज निगमित अभिशासन संबंधी सूचीयन करार की विविध अपेक्षाओं के बारे में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनुपालन या अन्यथा के ब्यौरों का प्रकटन अपनी वेबसाइट पर करते हैं।

   सेबी के कहने पर स्टॉक एक्सचेंजों ने सूचीयन करार के अनुपालन के कारण व्यापार के निलंबन जैसी कार्रवाई भी की हैं। वित्त वर्ष 2011-12 की अवधि में एनएसई और बीएसई ने उक्त अनुपालन के कारण क्रमश: 8 और 69 कंपनियों के व्यापार निलंबित किए हैं।

2. सेबी निवेशक शिकायतों के गैर निपटान के लिए सेबी अधिनियम 1992 की विविध धाराओं के तहत प्रवर्तन कार्रवाईयां भी करता है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार सेबी 1,20,705 शिकायतों (सामूहिक निवेश योजनाओं के खिलाफ शिकायतों सहित) के मामलों में निवेशक शिकायतों के गैर-अननुपालन के लिए विनियामक कार्रवाइयां कर रहा है।

3. शिकायतों के निपटान में शीघ्र कार्रवाई करने हेतु सेबी ने समाधान न की गई निवेशक शिकायतों की संख्या के आधार पर शीर्ष 100 कंपनियों और शीर्ष 50 सक्रिय कंपनियों (व्यापारार्थ अनिलंबित) की पहचान की प्रक्रिया लागू की थी। ऐसी पहचान के आधार पर सेबी ने 18 कंपनियों और इसके निदेशकों के खिलाफ वित्त वर्ष 2010-11 में तथा 11 कंपनियों और इसके निदेशकों के खिलाफ वित्त वर्ष 2011-12 में निर्देश पारित किए हैं जिनमें सभी अनिर्णीत निवेशक शिकायतों के समाधान किए जाने तक प्रतिभूति बाजार में उन्हें पहुंचने से रोका गया है।

4. अधिनिर्णयन कार्यवाहियों के दौरान सेबी ने वित्त वर्ष 2010-11 और 2011-12 की अवधि में क्रमश: चार और सात कंपनियों के खिलाफ निवेशक की शिकायतों के निपटान में चूकने के कारण जुर्माने लगाए हैं। वित्त वर्ष 2011-12 में अधिनिर्णयन कार्यवाहियां पांच और कंपनियों के खिलाफ शुरू की गई हैं तथा सात कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के निपटान में उनके चूकने के कारण सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11(4) (ख) के तहत कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं।

विवरण

सेबी ने 31 अगस्त 2011 तक विभिन्न शिकायतों के एक विशिष्ट श्रेणीकरण का अनुसरण किया जिसमें सितम्बर 2011 में सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) की शुरुआत के पश्चात परिवर्तन आया। अंत: कारपोरेट अभिशासन संबंधी शिकायतों से अन्यथा शिकायतों/व्यवस्थाओं के ब्यौरे निम्नानुसार दो भागों में दिए गए हैं:-

क. 31 अगस्त 2011 तक प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे:

निम्न से संबंधित शिकायतें	2010	पहली जनवरी 2011 से 31 अगस्त 2011	कुल जोड़
इश्यु संबंधित	1444	1864	3308
लाभांश संबंधित	2484	1052	3536
शेयर प्रमाणपत्र संबंधित	3525	1640	5165
ऋणपत्र/ब्रांड संबंधित	597	332	929
विविध	252	254	506
अधिग्रहणों/वापस खरीद/असूचीयन में प्रतिफल का प्राप्त न होना	1319	1189	2508

ख. स्कोर्स के तहत पहली सितम्बर 2011 से 31 जुलाई 2012 तक प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे

क्र.सं.	शिकायतों का स्वरूप	शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	पते/हस्ताक्षर या सुधार इत्यादि का अद्यतन न होना	548
2.	बोनस शेयर प्राप्त न होना	522
3.	लाभांश प्राप्त न होना	4654
4.	डुप्लीकेट ऋण प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त न होना	20
5.	डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होना	585
6.	आंशिक हकदारिता का प्राप्त न होना	184
7.	प्रतिभूतियों के प्रेषण/क्रेडिट में विलंब हेतु ब्याज का प्राप्त न होना	21
8.	लाभांश में विलंब के लिए ब्याज का प्राप्त न होना	69
9.	ऋण प्रतिभूति पर ब्याज में विलंब के लिए ब्याज का प्राप्त न होना	51
10.	ऋण प्रतिभूति की मोचन प्राप्तियों में विलंब के लिए ब्याज का प्राप्त न होना	65
11.	प्रतिदायों में विलंब के लिए ब्याज का प्राप्त न होना	213
12.	प्रतिभूतियों पर ब्याज का प्राप्त न होना	155

1	2	3
13.	सार्वजनिक/राइट्स निर्गम में प्रतिदाय का प्राप्त न होना	421
14.	सार्वजनिक/राइट्स निर्गम में प्रतिदाय का प्राप्त न होना	1264
15.	राइट्स/निर्गम में प्रतिदाय का प्राप्त न होना	72
16.	परिवर्तन/पृष्ठांकन/समेकन/विभाजन के बाद प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	105
17.	रीमेट के बाद प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	10
18.	अंतरण के बाद प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	108
19.	प्रेषण के बाद प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	31
20.	सार्वजनिक/अधिकार निर्गम में प्रतिभूतियों का प्राप्त न होना	240
21.	परिवर्तन/पृष्ठांकन/समेकन/विभाजन के बाद शेयरों का प्राप्त न होना	697
22.	रीमेट के बाद शेयरों का प्राप्त न होना	29
23.	अंतरण के बाद शेयरों का प्राप्त न होना	2238
24.	प्रेषण के बाद शेयरों का प्राप्त न होना	244
25.	सार्वजनिक/राईट्स निर्गम (आवंटन पत्र सहित) में शेयरों का का प्राप्त न होना	1022
26.	अन्य	3637
27.	इलेक्ट्रॉनिक तरीके के स्थान पर मूर्त रूप में वापसी/लाभांश की प्रप्ति	201
28.	इलेक्ट्रॉनिक तरीके के स्थान पर मूर्त रूप से शेयरों की प्राप्ति	37
	कुल जोड़	17466

विद्यालय खोलना

135. श्री एल. राजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत अनुमोदित विद्यालयों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रत्येक विद्यालय में केवल 2 सैक्शनों की ही अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक उपर्युक्त विद्यालय को किए गए वित्तीय आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत आंध्र प्रदेश में वर्ष 2009-10 में, 37 प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने, वर्ष 2010-11 में 20 प्राथमिक स्कूल और 5 उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने तथा वर्ष 2011-12 में 13 प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के स्कूल भवन डिजाइनों के आधार पर नए स्कूल अनुमोदित किए जाते हैं।

(घ) नए स्कूल खोलने के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्कूल भवन के निर्माण तथा राज्य मानदंडों के अनुसार शिक्षक वेतन के लिए निधियां प्रदान करता है जबकि प्राथमिक स्कूलों के लिए 20,000 रु. की दर से तथा उच्च प्राथमिक के लिए 5,00 रु. की दर से और उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए 7,000 रु. की दर से

स्कूल अनुदान और 500 रु. की दर से शिक्षक अनुदान प्रदान किया जाता है।

आई.आई.टी./एन.आई.टी. में शिक्षकों की कमी

136. श्री अधीर चौधरी:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.ई.आर.), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी;) और इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त संस्थानों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों में संकाय सदस्यों की कमी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	संस्थानों का नाम	संस्वीकृत संकाय संख्या	रिक्ति
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	5092	1669
2.	भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान	300	9
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	4291	1487
4.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेज	423634	81551

(ग) से (ङ) संकाय सदस्यों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है तथा सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र तथा अतिरिक्त आवश्यकता इत्यादि के कारण रिक्तियां होती रहती हैं। संस्थाएं अनुबंध आधार पर और विजिटिंग संकाय को नियुक्त कर रही हैं तथा इस कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण की ऑन-लाइन पद्धति का प्रयोग कर रही हैं। सरकार ने केन्द्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें आरंभिक वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में कार्य करने वाले संकाय सदस्यों को 10 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घावधि प्रतिनियुक्ति आधार पर नवगठित केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में कार्यग्रहण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। एआईसीटीई ने भी बी.टेक. अर्हताओं वाले अध्यापकों की प्रो.टर्म लेक्चरर के रूप में भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है। अक्त प्रो-टर्म लेक्चरर को तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करनी अपेक्षित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

137. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त एजेंसियों/निकायों से केन्द्र सरकार को प्राप्त रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का बिन्दु-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) केन्द्र सरकार समय-समय पर खासतौर से केंद्रीय बजट तैयार करते समय विभिन्न संगठनों/संस्थानों और व्यक्तियों से भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कई रिपोर्ट, दस्तावेज और सुझाव प्राप्त करती है जिसके आधार पर उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा समय-समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कराए/अधिकृत किए जाते हैं और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विद्यालयों की स्थापना हेतु निधियां

138. श्री खगेन दास: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर पूर्वोत्तर के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत नए विद्यालय स्थापित करने हेतु स्वीकृत की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समन्वयन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) नए सरकारी माध्यमिक स्कूलों (कक्षा 9-10) की स्थापना के लिए और मौजूदा सरकारी माध्यमिक स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आर.एम.एस.ए. और मॉडल स्कूलों के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित विनिर्मुक्त की गई निधियां निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आरएमएसए के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विनिर्मुक्त निधियां	आरएमएसए के अधीन उत्तर पूर्वी राज्यों को विनिर्मुक्त निधियां	मॉडल स्कूल के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विनिर्मुक्त निधियां	मॉडल स्कूल के अधीन उत्तर पूर्वी राज्यों को विनिर्मुक्त निधियां
2009-10	547.83	72.75	251.71	8.83
2010-11	1480.10	125.43	480.12	39.09
2011-12	2495.90	232.86	1088.39	78.48
2012-13	726.94	85.00	39.22	0.00

(ख) से (घ) वर्तमान में, आरएमएसए और मॉडल स्कूल स्कीमों के अधीन समर्थित स्कूलों में आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है और ये सभी वर्गों के बच्चों के लिए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल विशुद्ध रूप से अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

139. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने वंचित समुदाय में विद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण हेतु 'हुनर' परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विशेषकर असम में कितनी राशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) बिहार में वर्ष 2009 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा बिहार सरकार के सहयेग से हुनर परियोजना आरंभ की गई थी। वर्ष 2009 में 298 मदरसों में 13768 बालिकाओं को नामांकित किया गया। वर्ष 2010 में इस परियोजना के तहत कुल 12257 बालिकाओं ने कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण पूरा किया। दिल्ली में 26.2.2011 को मुस्लिम बालिकाओं हेतु हुनर पर पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया। कुल 1613 बालिकाओं को नामांकित किया गया और जून, 2011 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ था।

(ग) हुनर एक राज्य प्रायोजित परियोजना है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की भूमिका अकादमिक और प्रशिक्षण सहयोग उपलब्ध कराने तक सीमित है। असम में हुनर का आरंभ नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आयातित 4-जी उपस्करों की सुरक्षा चिंताएं

140. **श्रीमती ऊषा वर्मा:**
श्री कामेश्वर बैठा:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 4-जी प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क वाली दूरसंचार कंपनी के बारे में चिंता व्यक्त की है क्योंकि उनका प्रबंधन चीनी कंपनी द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है:

(घ) देश में उन कस्बों/शहरों की संख्या कितनी है जहां 4-जी नेटवर्क की व्यवस्था जेडटीई कंपनी द्वारा की जा रही है; और

(ङ) 4-जी के प्रबंधन में स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण हेतु जांच एजेंसियों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) एक सुरक्षा एजेंसी के हवाले से जानकारी मिली है कि मै. भारतीय एयरटेल लि. 4जी सेवाओं के रॉल आऊट के समय टाइम डिविजन-लोंग टर्म इवोल्युशन (टीडी-एलटीई) प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है जिसका विकास एक चीनी कंपनी मै. जेडटीई द्वारा किया गया है। अत: 4जी नेटवर्क के प्रबंधन और मै. भारतीय एयरटेल के स्थानीय कार्मिकों के पर्याप्त प्रशिक्षण में जेडटीई की भूमिका को तय किया जाए।

(ग) सरकार ने अधिदेश दिया है कि लाइसेंसधारक अपने दूरसंचार नेटवर्क के केवल उन्हीं नेटवर्क अवयवों को शामिल करेगा जिनका संबंधित समकालीन भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार उन मानकों की किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी/प्रयोगशाला द्वारा 31 मार्च, 2013 तक परीक्षण करवा लिया गया हो। 1 अप्रैल, 2013 से प्रमाणन भारत की किसी प्राधिकृत और प्रमाणित एजेंसी/प्रयोगशाला से ही प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस की शर्त के अनुसार लाइसेंसधारक मुख्य तकनीकी अधिकारी, मुख्य आसूचना सुरक्षा अधिकारी, अंतरावरोधन और मॉनीटरिंग मामलों को देखने के लिए नोडल कार्यकारियों तथा जीएमएससी, एमएससी, सॉफ्टस्विच, केंद्रीय डाटाबेस के प्रभारी और प्रणाली प्रशासक(को) के रूप में केवल निवासी, प्रशिक्षित भारतीयों को ही नियोजित करेगा।

(घ) देश में जहां 4जी नेटवर्क का प्रबंधन जेडटीई कंपनी द्वारा किया जाता है, उन कस्बों/शहरों की संख्या से संबंधित सूचना दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से एकत्र की जा रही हैं।

(ङ) सुरक्षा एजेंसी ने कोई सुझाव नहीं दिया हैं। तथापि, इसने 4जी नेटवर्क को संभालने के लिए स्थानीय कार्मिक को मै. जेडटीई द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के बारे में पूछताछ की है।

[अनुवाद]

जाली प्रमाण पत्र

141. **श्रीमती प्रिया दत्त:**
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय और उत्तराखंड राज्य सहित देश में जाली जाति प्रमाण पत्र, जाली अंक तालिका और डिग्रियों के आधार पर शैक्षिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन घटनाओं में विश्वविद्यालयों के कर्मचारी भी शामिल पाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय और उत्तराखंड राज्य सरकार को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों की जांच करने का निर्देश दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) जबकि ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली है, इन घटनाओं के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर अनुरक्षित नहीं किए जाते, क्योंकि विश्वविद्यालयों का स्थापन तथा नियंत्रण केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं जिन्हें आध्यादेशों के माध्यम से दाखिलों के लिए नियमों का निर्धारण करने की शक्तियां हैं। इसी प्रकार से, विश्वविद्यालयों के पास ऐसे मामलों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ करने की पूर्ण शक्तियां हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय

में जाली प्रमाण-पत्रों/डिग्रियों के आधार पर दाखिला लेने के 31 मामले तथा जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर दाखिला लेने वाले सभी 31 विद्यार्थियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर दाखिला लेने वाले 43 मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय ने इन जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया। इसके परिणामस्वरूप 13 विश्वविद्यालय ने इन जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया। इसके परिणामस्वरूप 13 विद्यार्थियों ने नए जाति प्रमाण-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जिन्हें सत्यापन करने के बाद सही पाया गया, जबकि 5 विद्यार्थियों ने अपना दाखिल वापस ले लिया। विश्वविद्यालय ने 25 विद्यार्थियों का दाखिला रद्द कर दिया गया है। शेष 18 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों को पुनः सत्यापन हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है। इसी प्रकार का जाली स्थानांतरण प्रमाणपत्र का एक मामला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा गुजरात से प्राप्त हुआ है।

(छ) विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है तथा सभी अकादमिक एवं प्रशासनिक मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम है। सरकार की विश्वविद्यालयों के दिन-प्रतिदिन के अभिशासन संबंधी मामलों में कोई भूमिका नहीं होती है। तथापि, सरकार द्वारा अकादमिक अर्हताओं के राष्ट्रीय डाटा बेस की इलक्ट्रॉनिक डिपोजिटरी की स्थापना करने हेतु "राष्ट्रीय अकादमिक डिपोजिटरी विधेयक, 2011" दिनांक 05.09.2011 को लोक सभा में पेश किया गया। इस डिपोजिटरी से अकादमिक संस्थाओं द्वारा जारी की गई अकादमिक अर्हताओं का ऑनलाइन सत्यापन एवं अधिप्रमाणन किया जा सकेगा तथा इस प्रकार जाली प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियां की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा।

नए आईआईटी की स्थापना

142. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के समक्ष चुनौतियों के समाधान के लिए तीन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए प्रस्तावित आई.आई.टी. निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संस्थानों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की स्थापना की थी। इन आठ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के अलावा सरकार ने देश में किसी अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने की मंजूरी नहीं दी है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इग्नू पाठ्यक्रमों को बंद किया जाना

143. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने कुछ इंटरएक्टिव फेस-टू-फेस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम बंद कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और उन्हें बंद किए जाने के परिणामस्वरूप प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पाठ्यक्रमों को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोई वैकल्पिक सुझाव दिये गये हैं; जिससे विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, इसने अपने किसी भी इंटरएक्टिव फेस-टू-फेस पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को बंद किया है।

दिसम्बर, 2011 में अपने प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) के निर्णय के अनुरण में फेस-टू-फेस कार्यक्रम प्रदान करने में संबंधित मुद्दों

सहित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अधिनियम, 1985 में विश्वविद्यालय के लिए अधिदेशित भूमिका की समीक्षा करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की थी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पूर्व विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा अधिदेश का प्रोन्नयन करने में फेस-टू-फेस कार्यक्रमों के योगदान का मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन होने तक अकादमिक सत्र 2012 में प्रारंभ होने वाले परिसर आधारित कार्यक्रमों में नए दाखिलों को आस्थगित रखा जाए। तथापि, फेस-टू-फेस कार्यक्रमों में पहले से ही दाखिल किए गए विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करना जारी रखेंगे। इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा तदनुसार, इसके द्वारा आयोजित किए गए सभी फेस-टू-फेस कार्यक्रमों की समीक्षा प्रक्रिया जारी है। समीक्षा किए जा रहे फेस-टू-फेस कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर में दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

फेस-टू-फेस कार्यक्रमों का मूल्यांकन

क्र.सं.	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम
1	2	3
1.	एमएससीसीएचईएम	रसायन विज्ञान निष्णात (एमएससी इन कैमिस्ट्री)
2.	एमएससीएसएस	जीवविज्ञान निष्णात (एमएससी इन लाईफ साइंस)
3.	एमएजेएमएस	पत्रकारिता एवं जन संचार निष्णात
4.	एमएईएमपीएम	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उत्पादन एवं प्रबंधन निष्णात
5.	एमएससीएई	एमएससी इन एकचुरियल इकनामिक्स (एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन एवं मैनेजमेंट)
6.	एमएससीएएफ	एमएससी इन एपलाइड क्वानटिटेटिव (फाइनेन्स)
7.	एमएससीईई	एमएससी इन इनवायरमेंटल इकनामिक्स
8.	एमपीएएचवीएम	मास्टर ऑफ परफारमिंग आर्ट्स-हिन्दुस्तानी वोकल म्यूजिक
9.	एमपीएटीएचए	मास्टर ऑफ परफारमिंग आर्ट्स-थिएटर आर्ट्स
10.	एमएफएपी	मास्टर ऑफ फाईन आट्स-पेंटिंग
11.	एमएससीएएस	एमएससी इन एक्टयुरियल साइंस
12.	एमबीएसीजी	एमबीए कारपोरेट गवर्नेंस
13.	एमएजीडी	मास्टर इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज
14.	एमडब्ल्यूजीएम	एमए इन विमिन एंड डेवलपमेंट स्टडीज
15.	एमएजीपीएस	एमए गांधी एंड पीस स्टडीज
16.	एमएलडी	एमए इन लेबर एंड डेवलपमेंट
17.	एमएएसए	एमए सोशल एथ्रांपॉलाजी
18.	एमएईडीएस	मास्टर ऑफ आर्टस इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज
19.	एमएटीएस	एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज
20.	सीसीएलसी	सर्टिफिकेट इन चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर
21.	बीपीपीडीएस	बैचलर आफ प्रीपेटरी प्रोग्राम फार डेफ स्टूडेन्ट्स
22.	बीएएसएलएस	बीए इन एपलाइड साइन लैंग्वेज स्टडीज
23.	एमएसडब्लयूएनई	मास्टर ऑफ सोशल वर्क (नार्थ-ईस्ट)
24.	सीपीएचएन	सर्टिफिकेट इन पीसी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग
25.	पीजीडीएफटी	पीजी डिप्लोमा इन फूड साइंस एंड टेक्नालॉजी

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

144. **श्रीमती मीना सिंह:**
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री के.डी. देशमुख:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में अवैध खनन, काला बाजारी, चोरी और कायेले की ढुलाई में चोरी और 'अनियमितताओं के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कोयले और राजस्व की क्षति का सहायक कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय मामलों में विभिन्न कोयला कंपनियों के सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों की सांठ-गांठ पायी गई है;

(घ) यदि हां, तो सहायक कंपनी-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन मामलों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र हेतु ऋण का पुनर्गठन

145. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वस्त्र पर ऋण भार के पुनर्गठन संबंधी नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप लाभान्वित होने वाली वस्त्र इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को कोई मानदंड जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तां तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वस्त्र क्षेत्र के ऋण भार के पुनर्गठन हेतु सरकार पर वित्तीय बौझ का ब्यौरा क्या है; और

(च) वस्त्र क्षेत्र में उक्त पुनर्गठन के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बीओबी केपिटल मार्केट्स द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन से यह पता चलता है कि वस्त्र इकाइयों 35,000 करोड़ रु. के ऋण की भुगतान अनुसूची बैंकों द्वारा फिर से बनाने की जरूरत है। तत्पश्चात सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे वस्त्र उद्योग के पात्र उधारकर्ताओं से प्राप्त भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के प्रस्ताव पर मामला-दर-मामला विचार करने के लिए पृथक कार्यालय स्थापित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने उपर्युक्त अध्ययन की जांच करने के पश्चात यह मत दिया है कि किसी पृथक विनियामक छूट की आवश्यकता नहीं है। और बैंक सावधि ऋणों पर दो वर्षो का अधिस्थगन प्रदान कर सकता है और कार्यशील पूंजी को विद्यमान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार 3-5 वर्षों की अवधि में भुगतान किए जाने वाले कार्यशील सावधि ऋणों में परिवर्तित कर सकता है।

(ग) और (घ) आरबीआई 2 जुलाई, 2012 को जारी आय निर्धारण से संबंधित विवेकशील मानदंड, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में जारी मास्टर परिपत्र अन्य बातों के साथ-साथ, अग्रिमों के भुगतान अनुसूची पुनः बनाने के लिए विवेकशील दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

(ङ) बैंकों द्वारा वस्त्र क्षेत्र को दिए गए ऋण की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा।

(च) उक्त कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

कम राजस्व बताने पर शास्ति

146. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोबाइल कंपनियों द्वारा कम राजस्व बताए जाने और कम सांविधिक लेवी का भुगतान किए जाने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मोबाइल कंपनी पर सरकार/दूरसंचार विभाग द्वारा लगाई गई दांडिक राशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर दूरसंचार सेवा प्रदाता की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) और (ख) जी, हां। चालू वित्त वर्ष में मोबाइल कंपनियों पर लगाई गई दांडिक राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभाग द्वारा जारी की गई मांगों के संशोधन के लिए मैसर्स सिस्टेमा श्याम एवं मैसर्स वीडियोकॉन टेलीकॉम लिमिटेड ने अभ्यावेदन भेजे हैं।

मैसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड के बिहार सेवा क्षेत्र से संबंधित 5 (पांच) करोड़ रु. की राशि की वित्तीय बैंक प्रत्याभूति को भुना लिया गया है चूंकि विभाग द्वारा लगाई गई दांडिक राशि का भुगतान फर्म ने नहीं किया है।

मैसर्स एस.टेल.प्रा.लि. से संबंधित वित्तीय बैंक प्रत्याभूति का नकदीकरण न्यायाधीन है।

विवरण

वर्ष 2012-13 में मोबाइल फोन कंपनियों पर लगाए गए अर्थदंड

कंपनी का नाम	लगाए गए अर्थदंड (रुपयों में)
मैसर्स एस.टेल.प्रा. लिमिटेड	141126739
मैसर्स विडियोकॉन टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड	98197007
मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज	537504886
मैसर्स लूप टेलीकॉम लि.	20707376
कुल योग	797536008

अवस्थिति आधारित सेवा प्रणाली

147. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद दूरसंचार प्रचालकों तथा सभी मोबाइल सेवा-प्रदाताओं के लाइसेंस करार में अवस्थिति आधारित सेवा के लिए एक प्रणाली शुरू करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन सेवा प्रदाताओं ने प्रणाली को लागू किया है और क्या इन्हें अभी भी नई प्रणाली का अनुपालन करना है;

(ग) क्या मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने अपना विरोध/आपत्तियां व्यक्त की हैं और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ट्राई से सक्रिय भूमिका निभाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या आपत्तियां उठाई गईं और प्रणाली के कार्यान्वयन में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां। मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस संशोधन दिनांक 31.5.2011 के द्वारा निम्नलिखित अनुबंधों के अनुसार अवस्थिति परिशुद्धताएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

अवस्थिति विवरण:

(i) लाइसेंसधारक इस संशोधन और परिशुद्धता के जारी होने की तारीख से नीचे उल्लिखित समय सीमा के अनुसार लाइसेंस सेवा क्षेत्र में मोबाइल ग्राहकों के अवस्थिति विवरण उपलब्ध कराएगा। यह प्रकोष्ठ स्थलों के समन्वय के अलावा अक्षांश और देशांतर के रूप में सीडीआर का एक भाग होंगे जो पहले से ही सीडीआर के अधिदेशित क्षेत्रों में से एक हैं।

प्रतिशत विशुद्धता

दूरी मीटरों में	शहरी (नगर पालिका सीमा में दस लाख से अधिक मोबाइल)		उप-नगरीय और ग्रामीण			दूरस्थ	
	1 वर्ष	2 वर्ष	1 वर्ष*	2 वर्ष	3 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
50	30	50					
100	60	75		50	60		
300	80	95	50	60	70	50	60
500			60	70	80	60	70

*जम्मू और कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर लागू।

(ii) इस विवरण को शुरू करने के लिए विशेष मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। तथापि, तीन वर्षों की अवधि के भीतर अवस्थिति विवरण सभी मोबाइल कालों के लिए सीडीआर का भाग बन जाएंगे।

टिप्पणी I: प्रौद्योगिकी विकास को दृष्टिगत रखते हुए परिशुद्धता सीमा को भविष्य में किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

(ख) सेवा प्रदाता अधिदेशित परिशुद्धता कार्यान्वित करने की विभिन्न अवस्थाओं में है। तथापि, कोई भी सेवा प्रदाता कार्य को पूर्ण करने एवं उसका अंतिम अनुपालन भेजने में समर्थ नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) मोबाइल सेवा प्रदाता से उन कुछ मामलों के स्पष्टीकरणों के लिए कहा गया है, जो उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता इन सेवाओं के कार्यान्वयन संबंधी वित्त पोषण मुद्दे को उठाते रहे हैं। तथापि, यह इंगित किया गया है कि इस प्रणाली को टीएसपी द्वारा उनकी लागत पर कार्यान्वित किया जाना है। उन्होंने ट्राई के साथ किन्हीं मामलों को उठाया है, इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) इस मुद्दे की जांच विभाग के तकनीकी अंश टीईसी द्वारा की जा रही है। टीईसी से रिपोर्ट प्राप्त होते ही उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

छात्रों को परेशान करना

148. **श्री सुरेश अंगड़ी:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप विद्यालयों में वंचित वर्गों के बच्चों को अलग करने की रिपोर्ट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से मामले की जांच करने और अपने निष्कर्ष सरकार को देने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा (1) (ग), जो वंचित समूहों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क दाखिला देने तथा शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है, के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला बच्चों के पृथक्करण/विभेद की छिटपुट मीडिया रिपोर्टें आई हैं। ऐसे मामलों को जांच तथा उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्र सरकार द्वारा तुरंत भेज दिया जाता है।

(ङ) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, के आलोक में, केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल नियमों में प्रावधान है कि धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत दाखिल बच्चों को न तो कक्षा के अन्य बच्चों से पृथक्कृत किया जाएगा, न ही उनके निए कक्षाएं अन्य

बच्चों की कक्षाओं से अलग स्थान और अलग समय पर ली जाएंगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि धारा 12(1)(ग) के अनुपालन में दाखिल बच्चों को पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय तथा आईसीटी सुविधाओं, पाठ्येतर कार्यकलापों तथा खेलकूद जैसी हकदारियों और सुविधाओं के मामले में किसी भी तरह से अन्य बच्चों से विभेदित नहीं किया जाएगा।

शिक्षा का अधिकारर अधिनियम में शिकायत निवारण हेतु स्थाानीय प्राधिकारण अधिसूचित करने तथा बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार के अनुवीक्षण हेतु राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

149. **श्री राजू शेट्टीः**
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः
श्री प्रशांत कुमार मजूमदारः
श्री मनोहर तिरकीः
श्री आर. ध्रुवनारायणः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के तहत शामिल स्कूली बच्चों की संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के तहत कितनी निधियां आबंटित/उपयोग की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में एमडीएमएस के तहत बच्चों के लिये न्यूनतम कैलोरी निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार योजना के तहत बच्चों द्वारा उपयोग की गई प्रमात्रा/कैलोरी की नियमित निगरानी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये गये हैं कि योजना के तहत बच्चों द्वारा अपेक्षित मात्रा में कैलोरी ग्रहण की जा रही है;

(च) क्या उक्त योजना के तहत विद्यालयों से आहार के नमूने एकत्रित करने और उसमें पोषक तत्वों की जांच करने के लिये प्रयोगशालाओं में भेजने का कोई उपबंध है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शामिल स्कूली बच्चों की संख्या और प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवारी जारी तथा प्रयुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। इस योजना के अंतर्गत बच्चे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर क्रमशः 450 और 700 कैलोरी के ऊर्जा घटक प्रदान करने के पके हुए गर्म पोषक भोजन के पात्र हैं।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक गहन मॉनीटरिंग प्रणाली का प्रावधान है। इस योजना की राष्ट्र स्तरीय निरीक्षण-सह-मॉनीटरिंग समिति की बैठकों में और कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाती है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्कूल स्तर पर उपस्थिति, मध्याह्न भोजन के लाभार्थियों और मध्याह्न भोजन योजना के स्टॉक के लिए रजिस्टर बनाए रखना अपेक्षित है। इन रजिस्टरों का ब्लॉक तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय समीक्षा मिशन मौके पर जाकर मूल्यांकन करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं। स्वतंत्र मॉनीटरिंग संस्थान भी नियमित अंतराल पर योजना का मूल्यांकन करते हैं।

(च) और (छ) आपूर्त मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए योजना के दिशा-निर्देशों में अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाने, खाद्य पदार्थों को सूखे और सुरक्षित स्थानों पर रखने, भोजन को स्वच्छ वातावरण में समुचित प्रकार से प्रशिक्षित रसोइयों के माध्यम से पकाने का प्रावधान है। पके हुए भोजन को अध्यापकों सहित 2-3 प्रौढ़ों द्वारा चखा जाना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में समुदाय की भागीदारी का संवर्धन किया जाता है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि जैसे कुछ राज्यों में भोजन के पोषक और कैलोरी घटक का निरीक्षण करने के लिए नमूने एकत्रित किए हैं।

विवरण I

2011-12 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत लक्षित और शामिल बच्चों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन	कवरेज	प्रतिशत कवरेज
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6376294	5661609	89
2.	अरूणाचल प्रदेश	274231	2681473	98
3.	असम	5260461	4693848	89
4.	बिहार	20498092	8882442	43
5.	छत्तीसगढ़	4511250	3750998	83
6.	गोवा	165578	153853	93
7.	गुजरात	6274016	4110722	66
8.	हरियाणा	2149424	2108820	98
9.	हिमाचल प्रदेश	705713	661951	94
10.	जम्मू और कश्मीर	1274114	769893	60
11.	झारखंड	5536195	3215976	58
12.	कर्नाटक	5626184	5278797	94
13.	केरल	2998822	2687079	90
14.	मध्य प्रदेश	10802279	8084242	75
15.	महाराष्ट्र	13383283	10868151	81
16.	मणिपुर	231801	197854	85
17.	मेघालय	600622	484489	81
18.	मिजोरम	184618	167148	91
19.	नागालैंड	277156	260707	94
20.	ओडिशा	5921688	4837061	82
21.	पंजाब	2126165	1810346	85
22.	राजस्थान	7340544	5765230	79
23.	सिक्किम	99704	90582	91
24.	तमिलनाडु	5525299	4129238	75

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	577517	442619	77
26.	उत्तराखंड	977626	807164	83
27.	उत्तर प्रदेश	20378166	11610848	57
28.	पश्चिम बंगाल	13686162	12180117	89
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41705	31746	76
30.	चंडीगढ़	106533	53940	51
31.	दादरा और नगर हवेली	50108	36067	72
32.	दमण और दीव	19584	15450	79
33.	दिल्ली	1820800	1233473	68
34.	लक्षद्वीप	9760	9485	97
35.	पुदुचेरी	88211	79472	90
	कुल	145899705	105439889	72

विवरण II

2009-10 से 2011-12 तथा चालू वर्ष 2012-13 के दौरान आबंटित निधियां और किया गया व्यय

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	31.7.2012 की स्थिति के अनुसार जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	26105.6	20981.3	48302.4	45775.1	85191.5	58518	33579.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	1616.82	1073.71	2043.18	1663.96	2091.75	1068.18	774.91
3.	असम	28555.8	25167.5	34408.2	39322.3	53220.9	43999.1	13364.87
4.	बिहार	52100.1	31936.1	80506.4	78795.9	81820.3	74035.6	49980.15
5.	छत्तीसगढ़	17578.6	15661.6	36187.7	36938.9	47463	37890.1	22941.74
6.	गोवा	794.34	578.81	1168.27	1049.35	825.41	1158.12	358.2
7.	गुजरात	24603.1	21163.8	28851.6	30167.6	35301.6	33068.4	20053.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हरियाणा	19094.9	17651.9	15325.1	15325.1	16713.4	20302.2	9550.14
9.	हिमाचल प्रदेश	4835.78	5932.09	6487.67	7002.68	7351.6	7652.29	4180.49
10.	जम्मू और कश्मीर	5607.67	2982.36	7990.6	8234.22	13430.6	7329.56	2535.06
11.	झारखंड	22777.9	18335.1	32595.5	28691	52252.2	29951.4	17406.6
12.	कर्नाटक	26902.3	25847.7	45368.3	42599.7	56525.8	46357	32167.7
13.	केरल	13845.1	10198.6	18511.3	18112.9	14277.1	18083.2	11191.97
14.	मध्य प्रदेश	53311.2	35598.2	65781.8	69417.1	76704.4	74684.5	21567.4
15.	महाराष्ट्र	57771.5	46105.6	107492	85622.2	69255.8	90962	47963.11
16.	मणिपुर	1478.66	1056.59	5658.11	5575.57	1894.19	1655.46	575.99
17.	मेघालय	5635.93	5360.22	13831.8	12275.5	3528.12	5303.84	1414.76
18.	मिजोरम	821.34	769.19	1902.29	1668.96	3306.57	2800.32	544.28
19.	नागालैंड	1062.01	1023.36	4026.97	4079.66	2464.37	2464.37	691.03
20.	ओडिशा	32108.2	28046.1	38959.1	28403.4	37124.4	36798.5	25225.32
21.	पंजाब	11139.4	10267.4	16605.1	16310.8	17561.5	16268.2	4697.17
22.	राजस्थान	40639.5	36328.6	46225.8	46428.6	52901.2	49415.3	24704.74
23.	सिक्किम	444.55	423.78	899.59	920.36	1035.65	1225.39	634.12
24.	तमिलनाडु	40189.2	40012.7	44250.6	42407.5	40333.7	40879.3	24306.71
25.	त्रिपुरा	3801.36	4462.79	4856.76	4661.2	8408.41	4902.96	1274.47
26.	उत्तराखंड	5169.29	3916.02	10963.3	12478.4	14255.5	11839.5	10064.47
27.	उत्तर प्रदेश	89054.4	83949.7	102715	114634	107639	105879	67917.28
28.	पश्चिम बंगाल	74165.5	60920.7	79480	79578.4	77251	88572.8	43351.48
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	216.48	154.48	247.06	207.31	509.14	238.44	207
30.	चंडीगढ़	343.12	343.12	525.54	492.83	680.77	680.77	301
31.	दादरा और नगर हवेली	152.62	144.46	290.45	288.83	342.71	342.71	72.43
32.	दमण और दीव	89.93	89.96	147.78	142.1	136.58	136.34	116.08
33.	दिल्ली	7074.43	3817.07	9072.32	7944.17	6562.19	8429.61	5792.26
34.	लक्षद्वीप	46.48	38.5	80.54	48.87	76.32	54.47	45.87
35.	पुदुचेरी	429.7	366.34	693.24	651.84	635.99	635.99	201.47
	कुल	669563	560705	912452	887916	989072	923582	499753.5

नामांकन दर

150. **श्रीमती सीमा उपाध्याय:**
श्री कामेश्वर बैठा:
श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती उषा वर्मा:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालयों में छात्रों का नामांकन लगातार गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम छात्रों का नामांकन भी घट रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) वर्ष 2009-10 के दौरान देश में कक्षा I-XII में नामांकित छात्रों की संख्या 24, 33, 56, 708 (अनंतिम) है। सरकारी स्कूलों तथा प्राइवेट स्कूलों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान देश में कक्षा I-XII में नामांकित अनुसूचित जाति (एस.सी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की संख्या वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है। विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष/वर्ग	2007-08	2008-09 (अनंतिम)	2009-10 (अनंतिम)
अनुसूचित जाति	4,25,91,431	4,36,12,297	4,55,74,036
अनुसूचित जनजाति	2,19,23,007	2,30,59,903	2,33,01,274

अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम छात्रों की संख्या से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

शिक्षकों की कमी

151. **श्रीमती सुशीला सरोज:**
श्री महेश्वर हजारी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्री रवनीत सिंह:
श्री महाबली सिंह:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री के. सुगुमार:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राथमिक, उच्च माध्यामिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षकों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यामिक स्तर के विद्यालयों में राज्य-वार कितने शिक्षकों की जरूरत है/कमी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इन विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति का क्या प्रतिशत है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई), 2010-11 जो शिक्षा के प्रारंभिक स्तर के आंकड़े प्रतिवर्ष एकत्र करती है, के अनुसार, प्राथमिक स्कूलों में राष्ट्रीय शिष्य अध्यापक अनुपात (पीटीआर) 32 है जबकि इसके विपरीत यह बिहार में (58), झारखंड में (43) और उत्तर प्रदेश में (46) है; उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय औसत 29 है जो बिहार में (62), झारखंड में (43) और उत्तर प्रदेश में (44) है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्कूल शिक्षा सांख्यिकी (2009-10) के अनुसार शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर पीटीआर 30 है तथा 10 राज्य में पीटीआर इसके प्रतिकूल है। प्रारंभिक स्तर और

माध्यमिक स्तर पर राज्यवार छात्र-अध्यापक अनुपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू किए जाने के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता 5.08 लाख होने का अनुमान लगाया गया था। आरटीई लागू किए जाने के बाद सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 2011-12 तक कुल 6.31 लाख अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के दौरान 1.23 लाख अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की योजना में अन्य बातों के साथ-साथ पीटीआर में सुधार लाने के लिए वर्तमान सरकारी माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, अतिरिक्त अध्यापकों की अनुमानित आवश्यकता 1.79 लाख थी जबकि इसकी तुलना में अब तक 1.15 लाख अतिरिक्त अध्यापकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं एसएसए के तहत 2010-11 से 2012-13 तक और आरएमएसए के तहत 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान संस्वीकृत किए गए राज्यवार अतिरिक्त अध्यापक दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) वर्ष 2008-09 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों की औसत उपस्थिति दर क्रमशः 81.7 प्रतिशत और 80.5 प्रतिशत थी। राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि अध्यापकों के नियोजन को युक्तिसंगत करें, राज्य क्षेत्र के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों को भरने के साथ-साथ एसएसए और आरएमएसए के तहत संस्वीकृत अध्यापकों के पदों की रिक्तियों को भरें।

विवरण I

डीआईएसई 2010-11 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर तथा स्कूल शिक्षा सांख्यिकी (एसएसई) (2009-10) के अनुसार माध्यमिक स्तर पर छात्र अध्यापक अनुपात (पीटीआर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर पर पीटीआर (डीआईएसई) 2010-11	उच्च प्राथमिक स्तर पर पीटीआर (डीआईएसई) 2010-11	माध्यमिक स्तर पर पीटीआर (एसएसई 2009-10 के अनुसार)
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	10	16
आन्ध्र प्रदेश	23	17	29
अरुणाचल प्रदेश	19	18	21
असम	26	17	22
बिहार	58	62	59
चंडीगढ़	25	24	38
छत्तीसगढ़	25	23	39
दादरा और नगर हवेली	41	43	19
दमन और दीव	31	28	18
दिल्ली	35	34	33
गोवा	25	24	18

1	2	3	4
गुजरात	31	32	29
हरियाणा	30	22	26
हिमालच प्रदेश	17	17	23
जम्मू और कश्मीर	14	13	14
झारखंड	43	43	60
कर्नाटक	26	28	24
केरल	22	21	27
लक्षद्वीप	16	14	12
मध्य प्रदेश	34	34	32
महाराष्ट्र	30	31	34
मणिपुर	19	21	27
मेघालय	18	14	26
मिजोरम	17	13	13
नागालैंड	22	22	24
ओडिशा	31	26	22
पुदुचेरी	18	16	23
पंजाब	22	17	29
राजस्थान	27	26	22
सिक्किम	12	14	8
तमिलनाडु	28	33	38
त्रिपुरा	19	21	25
उत्तर प्रदेश	46	44	57
उत्तराखंड	25	22	18
पश्चिम बंगाल	28	32	51
कुल	32	29	30

विवरण II

एसएसए के तहत 2010-11 से 2012-13 तक और आरएमएसए के तहत 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान संस्वीकृत अध्यापकों के पद

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएसए के तहत 2010-11 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान संस्वीकृत अतिरिक्त अध्यापकों के पद	एसएसए के तहत 2012-13 के दौरान संस्वीकृत अतिरिक्त अध्यापकों के पद	आरएसएसए के तहत 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान संस्वीकृत अतिरिक्त अध्यापकों के पद
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	81	870	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	924	821	19220
3.	असम	25751	20015	0
4.	बिहार	142572	18496	5579
5.	छत्तीसगढ़	10106	822	9482
6.	गोवा	0	78	0
7.	गुजरात	38372	20316	1968
8.	हरियाणा	2372	2134	7671
9.	हिमाचल प्रदेश	1678	0	544
10.	जम्मू और कश्मीर	5367	0	3682
11.	झारखंड	9626	29114	1782
12.	कर्नाटक	2917	1860	3428
13.	केरल	2925	0	672
14.	मध्य प्रदेश	73899	15610	15329
15.	महाराष्ट्र	28011	10725	949
16.	मणिपुर	2354	152	830
17.	मेघालय	2606	0	175
18.	मिजोरम	584	12	532
19.	नागालैंड	2557	0	1086
20.	ओडिशा	6552	0	5654
21.	पंजाब	9250	0	1192
22.	राजस्थान	0	0	14602

1	2	3	4	5
23.	सिक्किम	158	156	0
24.	तमिलनाडु	10290	296	14654
25.	त्रिपुरा	1139	71	415
26.	उत्तर प्रदेश	147336	0	4576
27.	उत्तराखंड	6596	161	1530
28.	पश्चिम बंगाल	89589	1445	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	110	129	0
30.	चंडीगढ़	605	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	408	87	0
32.	दमन औद दीव	18	7	12
33.	दिल्ली	7068	0	0
34.	लक्षद्वीप	9	3	31
35.	पुदुचेरी	0	0	54
	कुल एसएसए	631830	123380	115649

विवरण III

अध्यापकों की उपस्थिति की प्रतिशतता

राज्य	अध्यापक	
	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
1	2	3
आंध्र प्रदेश	78.1	77.3
असम	79.2	55.2
बिहार	75.8	74.9
छत्तीसगढ़	75.7	73.5
दिल्ली	95.0	उपलब्ध नहीं*
गुजरात	70.0	87.6
हरियाणा	86.9	91.9
हिमाचल प्रदेश	80.0	88.0
जम्मू और कश्मीर	80.8	83.1
कर्नाटक	83.9	84.0
केरल	84.5	85.3
मध्य प्रदेश	70.4	67.0
महाराष्ट्र	87.8	87.1
ओडिशा	87.4	86.6
पंजाब	83.5	78.1
राजस्थान	81.1	79.8
तमिलनाडु	86.6	89.6
उत्तर प्रदेश	77.8	82.6
उत्तराखंड	83.0	77.7
पश्चिम बंगाल	96.3	98.1
कुल	81.7	80.5

[अनुवाद]

विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में बलपूर्वक मूत्रपान कराना

152. **श्री यशवीर सिंह:**
श्री नीरज शेखर:
श्री उदय सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में छात्रों को बलपूर्वक मूत्रपान के लिए बाध्य करने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बलपूर्वक मूत्र सेवन कराने की घटनाओं की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बताया गया है। विश्व-भारती से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जुलाई, 2012 को पाठ भवन (विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्कूल) के एक छात्र को मूत्र से भीगी चादर चाटने के लिए बाध्य किया गया था।

(ग) से (ङ) विश्व-भारती द्वारा मामले की जांच करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा समिति की रिपोर्ट के आधार पर घटना में शामिल कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

फेमा उल्लंघन

153. **श्री अंजन कुमार एम. यादव:**
श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान निजी कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) उल्लंघन और धन शोधन के मामले की जानकारी प्राप्त हुई है/पंजीकृत किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार फेमा उल्लंघन के मामले में कारण बताओं संबंधी उपबंधों के तहत शास्ति राशि में फेरबदल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मूल्य सूचकांक के मद्देनजर विशेष रूप से मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान निजी कंपनियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत पंजीकृत धन शोधन के अपराध के प्रथम दृष्ट्या मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	फेमा	पीएमएलडी
2010-11	34	31
2011-12	37	23

चूंकि फेमा/पीएमएलए के तहत उल्लंघनों के आरोपों में सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा इन अधिनियमनों के अंतर्गत निर्णय देना अपेक्षित होता है, इसलिए इस स्तर पर कंपनियों का ब्यौरा देना उचित नहीं होगा।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फेमा, 1999 के उल्लंघनों के लिए की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, आरबीआई ऐसे व्यक्तियों (निवासी और अनिवासी) से प्राप्त आवेदनों को देखता है, जोकि अधिनियम की धारा 3(क) के तहत उल्लंघनों के अलावा प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन हेतु फेमा के स्वीकृत उल्लंघन के लिए समझौता करना चाहते हैं। ऐसी कंपनियां/बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्होंने फेमा के तहत उल्लंघनों को शामिल किए जाने के लिए आवेदन किया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	आवेदनों की सं.
1, जुलाई, 2010-30 जून, 2011	581
1, जुलाई, 2011-30 जून, 2012	478

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) कानून में निर्धारित किया गया अर्थदंड मूल्यवृद्धि से सूचीबद्ध नहीं है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

154. श्री पी.के. बिजू:
श्री नीरज शेखर:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री यशवीर सिंह:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुमोदित की है और उसकी घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और नई नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने घोषणा की है कि नई नीति के तहत ग्राहकों पर कोई रोमिंग प्रभार नहीं लगाया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई नीति से ग्रामीण दूरसंचार घनत्व के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा में किस तरह से वृद्धि होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31, मई 2012 को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 अनुमोदित किया है।

(ख) दूरसंचार नीति-2012 के दृष्टिकोण, लक्ष्य और उद्देश्य सहित इसकी मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के उद्देश्य में अन्य बातों के साथ-साथ "एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी" का लक्ष्य प्राप्त करना और "एक राष्ट्र निःशुल्क रोमिंग" की दिशा में कार्य करना शामिल है।

(ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 में अन्य बातों के साथ-साथ ब्रॉडबैंड, ग्रामीण टेलीफोनी और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के संबंध में निम्नलिखित कार्यनीतियां शामिल हैं:

- वर्तमान ग्रामीण टेलीघनत्व लगभग 39 प्रतिशत को बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 70 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत करना।
- वर्ष 2015 तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करना और वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड से 600 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना एवं मांग पर कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्चतर गति उपलब्ध कराना।
- उपभोक्ता परिसर में अभिगम, समामेलन स्तर, पर्याप्त क्षमता युक्त कोर नेटवर्क, लागत प्रभावी उपभोक्ता परिसर उपकरण और संगत अनुप्रयोगों को विकसित करने हेतु परिवेश के लिए माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से संबंधित मंत्रालयों/सरकारी विभागों/अभिकरणों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ गहरा तालमेल स्थापित करने के लिए ब्रॉडबैंड हेतु एक ई-व्यवस्था विकसित करना। समान और निष्पक्ष परिवेश में मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़े या छोटे सभी प्रकार के सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए विनियामक नीतियां तैयार करना।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के समान एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड संयोजकता सेवाओं के समान एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड संयोजकता को मान्यता प्रदान करना तथा जनता को ब्रॉडबैंड का अधिकार प्रदान करने की दिशा में कार्य करना।
- ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस और अन्य प्रौद्योगिकियों के उपयुक्त संयोजन द्वारा "ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में विश्वसनीय और वहनीय ब्रॉडबैंड अभिगम प्रदान करने पर विशेष बल देना।" आरंभ में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्त पोषण द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से सभी गांवों और वास स्थानों तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तक अभिगम सभी के लिए उपलब्ध और प्रौद्योगिकी निरपेक्ष होगा।
- ग्रामीण रॉल आउट के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

* मौजूदा 256 केबीपीसी की ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को संशोधित करके 512 केबीपीएस करना और तत्पश्चात वर्ष 2015 तक इसे 2एमबीपीएस करना और इसके पश्चात इसे कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्च गति स्तर पर पहुंचाना।

* वर्तमान विनियामक ढांचे में समर्थनकारी प्रावधानों को शामिल करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता युक्त ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध कराने की दृष्टि से केबल टीवी नेटवर्कों सहित मौजूदा अवसंरचना का इष्टतम उपयोग हो सके।

* देश में ब्रॉडबैंड के तेजी से विस्तार हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों से समन्वय करने की दृष्टि से उपयुक्त संस्थागत अवसंरचना स्थापित करना।

* ऑन लाईन पहचान और वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था करने सहित सुरक्षित लेन-देन सेवाओं के लिए अत्यधिक विशेषताओं वाले मोबाइल उपकरण तथा सिम कार्ड को प्रोत्साहित करना।

* ई-अभिशासन, ई-पंचायत, मनरेगा, एन.के.एन., आधार आकाश टैबलेट आदि ब्रॉडबैंड के रॉल आउट और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना।

* उपयुक्त फ्रीक्वेंसी बैंड में माइक्रोवेव अभिगम/बैकहाल के लिए मौजूदा और भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

* ब्रॉडबैंड अनुप्रयोगों और सेवाओं की मांग में वृद्धि करने के लिए विशेषकर स्थानीय बोलचाल की भाषाओं में सुविधाओं के सृजन को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर कार्य करना जिससे एनजीएन सहित सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) में निवेश बढ़ेगा।

* दीर्घकालिक स्थायित्व को हासिल करने के लिए ऊर्जा सक्षम उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

* यूएसओ निधि को उपयोग में लाने के लिए अपनाए जा रहे तरीकों की समय-समय पर समीक्षा करना और अन्य देशों में अपनाए जा रहे सर्वोत्तम तरीकों के मुकाबले इस संबंध में मानक निर्धारित करना।

* वाणिज्यिक दृष्टि से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कन्वर्ज्ड संचार सेवाओं हेतु यूएसओ निधि से निरंतर सहायता उपलब्ध कराना।

विवरण

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 के दृष्टिकोण, लक्ष्य और उद्देश्य सहित इसकी मुख्य-मुख्य बातें

दृष्टिकोण

भारत के तीव्र और समेकित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय, वहनीय एवं उच्च गुणवत्ता वाली अभिसरित दूरसंचार सेवाएं कभी भी कहीं भी उपलब्ध कराया जाना।

II. लक्ष्य:

1. सुदृढ़, सुरक्षित और अत्याधुनिक दूरसंचार नेटवर्क तैयार करना ताकि ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों का विशिष्ट ध्यान रखते हुए निर्बाध कवरेज उपलब्ध करायी जा सके और डिजिटल अन्तर को पाटा जा सके और इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक विकास को सुगम बनाया जा सके।

2. देश भर में वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली ब्रॉडबैंड सुविधाओं का विस्तार करते हुए ज्ञान आधारित समाज बनाना।

3. मोबाइल डिवाइस को नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में स्थापित करना।

4. दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण एवं अभिसरित दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता के लिए भारत को वैश्विक केन्द्र बनाना।

5. सुरक्षा और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देते हुए घरेलू और विश्वभर के बाजार की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक आईसीटीई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं में अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

6. राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए मानकों के विकास को बढ़ावा देना, आईपीआर का सृजन करना और वैश्विक मानकों के निर्माण में भागीदारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निकायों में भाग लेना, जिससे भारत को दूरसंचार के मानकीकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनाया जा सके।

7. घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करना।

8. उपर्युक्त सभी के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

III. उद्देश्य:

1. सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली, वहनीय एवं सुरक्षित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करना।

2. वर्तमान ग्रामीण टेलीफोन लगभग 39 प्रतिशत को बढ़कर वर्ष 2017 तक 70 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत करना।

3. वर्ष 2015 तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करना और वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड से 600 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना एवं मांग पर कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्चतर गति उपलब्ध कराना।

4. उपयुक्त एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ई-अभिशासन में सहयोग करने और इसमें भाग लेने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाना।

5. प्रौद्योगिकियों के सम्मिश्रण के माध्यम से वर्ष 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों में और वर्ष 2020 तक सभी गांवों और आबादी वाले स्थानों पर उत्तरोत्तर रूप से उच्च गति और गुणवत्ता की ब्रॉडबैंड अभिगम्यता उपलब्ध कराना।

6. घरेलू और वैश्विक बाजारों को आपूर्ति कराने हेतु दक्षता और क्षमता में वृद्धि करते हुए स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और विनिर्माण को बढ़ावा देना।

7. 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान और विकास, आईपीआर सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण एवं विनियोजन हेतु समग्र निधि बनाना।

8. डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण के लिए ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना अर्थात वर्ष 2020 तक क्रमश: 40% और 65% मूल्य वर्द्धन के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की 60% और 80% मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार उपस्कर के घरेलू उत्पादन के लिए समग्र मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना।

9. उन दूरसंचार उत्पादों के प्रापण में जिनका, देश की सुरक्षा के लिए सरोकार है, और सरकारी प्रापण में स्वयं के प्रयोग के लिए सरोकार है, विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अनुरुप स्वदेश में ही निर्मित दूरसंचार उत्पादों को वरीयता देना।

10. राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने, आईपीआर सृजित करने और वैश्विक मानकों को तैयार करने में सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों में भागीदारी करना और इस प्रकार भारत को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकीकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और प्रयोक्ताओं के साथ उपयुक्त संपर्क बनाते हुए सहायता प्रदान की जाएगी।

11. ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली अभिसारित सेवाओं का विस्तार करने के लिए लाइसेंसिंग ढांचे को सरल बनाना। इसमें विषय-वस्तु विनियमन शामिल नहीं होगा।

12. सभी सेवाओं और सभी क्षेत्रों के लिए "एक राष्ट्र-एक लाइसेंस" बनाने का प्रयास करना।

13. "एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी" का लक्ष्य प्राप्त करना और एक "राष्ट-नि:शुल्क रोमिंग" की दिशा में कार्य करना।

14. मोबाइल फोन को मात्र एक संचार यंत्र न मानते हुए इसे अधिकारिता के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हुए प्रस्तुत करना जिसमें संचार की सुविधा के साथ-साथ पहचान का प्रमाण पूर्ण रूप से सुरक्षित वित्तीय एवं अन्य लेन-देन क्षमता, बहु-भाषी सुविधाएं और अन्य विशेषताएं होंगी जिसके लिए साक्षरता कोई बाधा नहीं होगी।

15. "ओपन प्लेटफार्म" मानकों पर आधारित और बहुभाषी सेवाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम मोबाइल फोनों के विकास को बढ़ावा देना।

16. प्रयोक्ताओं के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संवर्द्धित सेवा सुपुर्दगी हेतु अभिसारित नेटवर्कों पर निर्बाध और स्पष्ट आवाज, डाटा, मल्टीमीडिया और प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराना।

17. पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करते हुए अभिसारित दूरसंचार सेवा क्षेत्र में समेकन को सुगम बनाना।

18. उपभोक्ताओं को फिक्स्ड मोबाइल अभिसरण के द्वारा चाहे उनके पास कोई भी डिवाइस हो या कहीं भी हों,

सेवाओं को अधिकतम रूप से उपलब्ध कराना और इस तरह, अन्य बेतार सेवाओं के लिए बहुमूल्य स्पेक्ट्रम को उपलब्ध कराना।

19. वीएएस उद्योग मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में भागीदारों के लिए "इकोसिस्टम" को बढ़ावा देना ताकि भारत मूल्यवर्द्धित सेवाओं के लिए वैश्विक केन्द्र बन जाए।

20. बाजार संबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता और इसके आवंटन को सुनिश्चित करना। आईएमटी सेवाओं के लिए वर्ष 2017 तक 300 अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज और वर्ष 2020 तक 200 और अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज उपलब्ध कराना।

21. स्पेक्ट्रम उपयोग की नियमित जांच की व्यवस्था करते हुए स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।

22. सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवृत्ति बैंडों के लिए लाइसेंस हटाना।

23. विकास के लिए आईसीटी की वास्तविक कार्यक्षमता को साकार रूप में लाने के लिए दूरसंचार को अवसंरचना क्षेत्र के रूप में महत्व देना।

24. दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने में "रॉइट ऑफ वे" मुद्दों का समाधान करना।

25. सामान्य और भेदभाव रहित अभिगम्यता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न नेटवर्कों के अंतर्सयोजन हेतु सामान्य प्लेटफार्म का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इकोसिस्टम अनिवार्य करना।

26. दूरसंचार क्षेत्र में संबद्ध पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधित सरोकारों का समाधान करने वाले ढांचे को सुदृढ़ करना।

27. दूरसंचार क्षेत्र में "ग्रीन पॉलिसी" को अपनाने, बढ़ावा देने तथा स्वामित्व के लिए नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

28. सेवा, प्रशुल्क, उपयोग इत्यादि की गुणवत्ता में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सूचित सहमति को बढ़ावा देते हुए उपभोक्ता हित को संरक्षित करना।

29. यथासमय एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने हेतु शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना।

30. क्षेत्र की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाओं का आकलन एवं समाधान करते हुए मानव पूंजी निर्माण तथा क्षमता निर्माण गति को बढ़ाने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना।

31. उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से दूरसंचार विभाग के विभिन्न संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सार्थक सहयोग के महत्व और सृजन को प्रोत्साहित करना तथा देश में सुदृढ़ और सुरक्षित दूरसंचार एवं सूचना अवसंरचना के निर्माण में इनके संसाधनों और क्षमताओं के इष्टतम उपयोग के लिए सहायता प्रदान करना।

32. दीर्घकालिक स्थायित्व के अनुरूप इस क्षेत्र का वित्तपोषण करने हेतु एक नीतिगत ढांचे को तैयार करना।

33. दूरसंचार उत्पादों और अनुसंधान व विकास संस्थानों के स्वदेशी विनिर्माणकर्ताओं के लिए अपेक्षित उपयुक्त राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।

34. वर्ष 2020 तक एक चरणबद्ध और समयबद्ध रूप में देश में नए इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपीपी-6) में पर्याप्त बदलाव लाना और आईपी प्लेटफॉर्म पर अनेक सेवाओं को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक परिवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना।

35. संस्थागत, कानूनी और विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाना तथा इसे अधिक दक्ष, समय से निर्णय करने में सक्षम तथा पारदर्शी बनाने की दृष्टि से संबंधित प्रक्रिया को पुनर्सचरित करना।

36. दूरसंचार विभाग में सभी प्रकार की सेवाओं तथा दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस और क्यिरेंस जारी करने हेतु ऑन लाइन आवेदन जमा कराने में सहायक एक वेब आधारित, वास्तविक ई-अभिशासन समाधान को संस्थापित करना।

मुख्य-मुख्य बातें

लाइसेंसिंग, अभिसारिता और मूल्यवर्धित सेवाएं

- सभी सेवाओं और सभी क्षेत्रों के लिए "एक राष्ट्र-एक लाइसेंस" बनाने का प्रयास करना।
- "एक राष्ट-पूर्ण मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी" का लक्ष्य प्राप्त करना और "राष्ट्र-निःशुल्क रोमिंग" की दिशा में कार्य करना।
- समयबद्ध तरीके से कानूनी, विनियामक और लाइसेंसिंग ढांचे को उन्मुख करना, समीक्षा करना और उसे संगतिपूर्ण बनाना ताकि प्रौद्योगिकी और सेवा तटस्थ वातावरण में अभिसारित सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी को समर्थ बनाया जा सके। अभिसारिता में निम्नलिखित को कवर किया जाएगा:-
    - सेवाओं की अभिसारिता अर्थात् वायस डाटा, वीडियो, इंटरनेट टेलीफोन (वीओआईपी), मूल्यवर्धित सेवाओं और प्रसारण सेवाओं की अभिसारिता।

- नेटवर्कों की अभिसारिता अर्थात अभिगम नेटवर्क, संवहन नेटवर्क (एनएलडी/आईएलडी) और प्रसारण नेटवर्क।
- उपकरणों की अभिसारिता अर्थात टेलीफोन, पर्सनल कम्प्यूटर, टेलीविजन रेडियो, सेट टॉप बॉक्स और अन्य संबंधित उपकरण।

- अभिसारिता, स्पेक्ट्रम उदारीकरण से जुड़े लाभों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रणाली की ओर बढ़ना और सक्रिय एवं निष्क्रिय अवसंरचनाओं को साझा करके अंतिम प्रयोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने से नेटवर्कों की लाइसेंसिंग को डिलिंक करने को सुगम बनाना ताकि प्रचालक अपने नेटवर्कों तथा स्पेक्ट्रम का इष्टतम और दक्षता से उपयोग करने में सक्षम हो सके। इससे सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी, निवेश इष्टतम होंगे और डिजिटल बंटवारे के मुद्दे का समाधान करने में मदद मिलेगी। इस नई लाइसेंसिंग प्रणाली से पर्याप्त स्पर्धा सुनिश्चित करते हुए, समान अवसर प्रदान करने, रोल आउट दायित्वों, विलय संबंधी नीति एवं अधिग्रहण, आईपी स्तर पर अंतर कनेक्शन सहित भेदभावरहित इंटरकनेक्शन आदि आवश्यकताओं का समाधान होगा।
- पर्याप्त सुनिश्चित करते हुए आवश्यक संशोधनों सहित एक उदारीकृत विलय एवं अधिग्रहण नीति तैयार करना।
- सुरक्षा एवं लाइसेंस संबंधी अन्य दायित्वों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते समय उपभोक्ता के छोर पर मजबूत प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता के अनुरूप-उदाहरण के लिए, वर्चुअल प्रचालकों की शुरुआत द्वारा-थोक और खुदरा दोनों में-प्रस्तावित लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत, सेवा स्तर पर पुन: बिक्री को सुलभ बनाना।
- सभी भावी लाइसेंसों के बारे में स्पेक्ट्रम को डी-लिंक करना। बाजार संबंधी प्रक्रियाओं की मार्फत निर्धारित मूल्य पर स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा।
- ट्राई से परामर्श करके पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नए लाइसेंसिंग ढांचे, मौजूदा लाइसेंसधारकों को नए ढांचे में लाने, निर्गम नीति के लिए समुचित नीतियां तैयार करना।
- डिजिटाइजेशन के बाद स्थानीय केबल टीवी नेटवर्कों को सुगम बनाना।
- वहनीय कीमतों पर वीएएस के वितरण हेतु समुचित विनियामक ढांचा प्रस्तुत करना जिससे उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्र की विषय-वस्तु की सुलभता में वृद्धि हो सके।
- संवहन शुल्कों को विनियमित करने हेतु एक ढांचे की स्थापना करना जो विषय वस्तु के प्रति तटस्थ हो तथा बैंडविड्थ के उपयोग पर आधारित हो। इससे मोबाइल प्लेटफार्म की अपेक्षा सूचना और डाटा की व्यवस्था जैसी गैर मूल्यवर्धित सेवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- मोबाइल फोन को मात्र संचार यंत्र न मानते हुए इसे अधिकारिता के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हुए प्रस्तुत करना जिसमें संचार की सुविधा के साथ-साथ पहचान का प्रमाण, पूर्ण रूप से सुरक्षित वित्तीय एवं अन्य लेन-देन क्षमता, बहु-भाषी सुविधाएं और अन्य विशेषताएं होंगी जिसके लिए साक्षरता कोई बाधा नहीं होगी।

स्पेक्ट्रम प्रबंधन

- बाजार संबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता और इसके आवंटन को सुनिश्चित करना। आईएमटी सेवाओं के लिए वर्ष 2017 तक 300 अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज और वर्ष 2010 तक 200 और अतिरिक्त मेगाहर्ट्ज उपलब्ध कराना।
- समुचित विनियामक तंत्र की मार्फत स्पेक्ट्रम का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम होने के लिए स्पेक्ट्रम पूलिंग, शेयरिंग और बाद में व्यापार करने की अनुमति देना और किसी प्रौद्योगिकी में कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसी बैंड में स्पेक्ट्रम के उदारीकरण की ओर शीघ्रता से बढ़ना।
- स्पेक्ट्रम उपयोग की आवधिक जांच करना ताकि इसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- दूरसंचार अनुप्रयोगों हेतु नई प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय-समय पर स्पेक्ट्रम को पुनर्संरचित करना एवं सेवा प्रदाताओं को वैकल्पिक फ्रीक्वेंसी बैंड अथवा मीडिया का आवंटन करना।
- प्रत्येक 5 वर्ष में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की रूपरेखा तैयार करना।

ब्रॉडबैंड और ग्रामीण टेलीफोनी

- वर्तमान ग्रामीण टेलीघनत्व लगभग 39 प्रतिशत को बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 70 प्रतिशत और वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत करना।

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के समान एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड संयोजकता को मान्यता प्रदान करना तथा जनता को "ब्रॉडबैंड का अधिकार" प्रदान करने की दिशा में कार्य करना।

- वर्ष 2015 तक मांग पर वहनीय एवं विश्वसनीय ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना तथा वर्ष 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करना और वर्ष 2020 तक न्यूनतम 2एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड से 600 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना एवं मांग पर कम से कम 100 एमबीपीएस की उच्चतर गति उपलब्ध कराना।

- प्रौद्योगिकियों के सम्मिश्रण के माध्यम से वर्ष 2014 तक सभी ग्राम पंचायतों में और वर्ष 2020 तक सभी गांवों और आबादी वाले स्थानों पर उत्तरोत्तर रूप से उच्च गति और उच्च गुणवत्ता की ब्रॉडबैंड अभिगम्यता उपलब्ध कराना।

दूरसंचार उपकरणों का अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और मानकीकरण

- डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, आईपीआर सृजन, परीक्षण, मानकीकरण और विनिर्माण के लिए ईकोसिस्टम को बढ़ावा देना अर्थात वर्ष 2017 और वर्ष 2020 तक क्रमश: 40% और 65% मूल्य वर्द्धन के साथ भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की 60% और 80% मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार उपस्कर के घरेलू उत्पादन के लिए समग्र मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देना।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वदेशी अनुसंधान और विकास, आईपीआर सृजन, उद्यमिता, विनिर्माण, अत्याधुनिक दूरसंचार उत्पादों एवं सेवाओं के वाणिज्यीकरण एवं विनियोजन हेतु समग्र निधि बनाना।

- सुरक्षा आवश्यकताओं सहित राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सरकार, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, सेवा प्रदाताओं एवं शिक्षण संस्थानों की प्रबल सहभागिता से एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में दूरसंचार मानक विकास संगठन (टीएसडीओ) की संस्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करना। इससे अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठनों में सभी स्टेकहोल्डरों के लिए अभिगम सुगम होगा और यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भारतीय अपेक्षा/आईपीआर/मानकों को शामिल करने की तैयारी करने के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा।

* उन दूरसंचार उत्पादों के प्रापण में जिनका, देश की सुरक्षा के लिए सरोकार है, और सरकारी प्रापण में स्वयं के प्रयोग के लिए सरोकार है, विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप स्वदेश में ही निर्मित दूरसंचार उत्पादों को वरीयता देना।

दूरसंचार अवसंरचना/मार्गाधिकार मुद्दे, ग्रीन स्काईलाइन, आपदा तथा आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान प्रशमन संबंधी प्रयास

- वायरलाइन तथा वायरलेस दोनों के लिए दूरसंचार क्षेत्र को अवसंरचना क्षेत्र की मान्यता प्रदान करने और अवसंरचना क्षेत्रों को उपलब्ध लाभ दूरसंचार क्षेत्र को प्रदान करने की दिशा में कार्य करने की दिशा में कार्य करना ताकि विकास के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वास्तविक संभावना को समझा जा सके।

- हरित दूरसंचार के लिए सभी स्टेकधारियों जैसे सरकार, दूरसंचार उद्योग और उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दूरसंचार नेटवर्कों को विद्युत प्रदान करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों) के वर्द्धित प्रयोग को सुचारू बनाना। क्षेत्र विशिष्ट स्कीमों तथा लक्ष्यों को हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के निमित्त नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय और अन्य स्टेकधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा करना

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों और विनिर्धारित निष्पादन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक तंत्र को सुदृढ़ करना।

- ग्राहक अधिग्रहण से संबंधित सुरक्षा मुद्दों का निदान करने और पारदर्शिता सुधारने के लिए बिक्री और विपणन संचार हेतु एक प्रैक्टिस कोड तैयार करना।

- उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित उपभोक्ता मंचों के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए विधायी उपाय करना।

सुरक्षा

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरसंचार नेटवर्क में सेफ-टु-कनेक्ट उपकरणों को इस्तेमाल किया जाए और सेवा प्रदाता, नेटवर्क की और इसमें प्रवाहित/एकत्र होने वाले डाटा/सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय करें, विनियामक उपायों के माध्यम से एक संस्थागत ढांचे का सृजन करना।

- तेजी से असुरक्षित होते संतांत्रिक (साइबर स्पेस) में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विशिष्ट रूप से निर्धारित किए गए मानकों को अपनाते हुए देशी रूप से डिजाइन की गई चिप के साथ देशी रूप से निर्मित मल्टी-फंक्शनल सिम कार्डों को जटिल माना गया है। इस प्रयोजनार्थ और अन्य प्रयोजनों के लिए वेफर-फेब से आरंभ करते हुए संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स इको-पद्धति को बनाया जाना आवश्यक है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण नीति-परक उद्देश्य और परिणाम के रूप में देखा जाता है।

कौशल विकास और सार्वजनिक क्षेत्र

- क्षेत्र की संगत आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद और उद्योग के साथ भागीदारी से विभिन्न दक्षता और विशेषज्ञता स्तरों पर जनशक्ति की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना और एक तरीका तैयार करना।

क्लाउड सेवाएं

- इस बात की पहचान करना कि क्लाउड कंप्यूटिंग से सेवाओं को प्रदान करने और इनके रॉलआउट, सामाजिक नेटवर्किंग और भागीदारी आधारित गवर्नेंस व ई-कॉमर्स की सक्षमता में इस पैमाने पर महत्वपूर्ण ढंग से तेजी मिलेगी जो कि प्रौद्योगिकी के परंपरागत समाधानों से संभव न होती।
- सेवा की सुपुर्दगी की लागत को कम करने के लिए आवश्यक रूप से उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों सहित क्लाउड प्रयोक्ताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के सरोकारों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों पर नई सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का तीव्र विस्तार सुनिश्चित करने के लिए नई नीतिगत पहल को अपनाना।

दूरसंचार उद्यम सेवाएं, डेटा प्रयोग नई प्रौद्योगिकियां और आईपीवी 6 अनुरूपी नेटवर्क

- वहनीय अभिगम्यता और दक्ष सेवा सुपुर्दगी के माध्यम से जन कल्याण और ग्राहकों के लिए विकल्पों में और वृद्धि को बढ़ावा देने में नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका का पता लगाना। सेवा के नए प्रारूपों जैसे कि मशीन-टू-मशीन (एम 2 एम) संचार (यथा रीमोट से चलने वाले सिंचाई पंप, स्मार्ट विड इत्यादि) के आगमन से अवसरों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, विशेषकर इनका रॉल-आऊट और अधिक व्यापक हो गया है।
- नए प्रोटोकॉल पर नई आईपी आधारित सेवाओं की पेशकश की शुरुआत करने और सभी स्टेकहोल्डरों के भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए अथवयवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नए और नवाचारी आईपीवी6 आधारित अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नए इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपीवी6 के महत्व को स्वीकार करना।

दूरसंचार क्षेत्र का वित्त पोषण

- दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने के लिए दूरसंचार की परियोजनाओं के वित्तपोषण को गतिमान करने और इसे दिशा देने के लिए दूरसंचार वित्त निगम को एक विशेष प्रयोजन के साधन के रूप में सृजित करना।
- क्षेत्र को प्रभावित करने वाले करों और उगाहियों को युक्तिसंगत बनाना तथा निवेशों को उत्प्रेरित करने और सेवाओं को और अधिक वहनीय बनाने के लिए स्थिर राजकोषीय व्यवस्था प्रदान करने की ओर कार्य करना।

विनियामक की भूमिका, कानून में परिवर्तन

- ट्राई के कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विनियामक अपर्याप्तताओं/बाधाओं को दूर करने के विचार से ट्राई अधिनियम की समीक्षा करना।
- भारतीय तार अधिनियम और इसके नियमों तथा अन्य संबद्ध कानूनों की व्यापक रूप से समीक्षा करना ताकि इन्हें उपर्युक्त नीतिगत उद्देश्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्यार्थ इनके अनुरूप बनाया जा सके।

नीति का प्रचालन

- सेवा के समान अवसर के साथ एक एकीकृत उदारीकृत माहौल वाली नई व्यवस्था में मौजूदा सेवा प्रदाताओं को तत्काल माइग्रेट करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सुकर उपाय करना।
- समय-समय पर यथा उपयुक्त प्रतीत होने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों के द्वारा नीति का प्रचालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान

155. **श्री हर्ष वर्धनः**
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सकल घरेलू उत्पादन में व्यापार, होटल, यातायात तथा संचार का कुल योगदान 11 प्रतिशत से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपरोक्त तथ्य देश के समग्र विकास के अनुरूप है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई, 2012 को जारी किए गए वार्षिक राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान जीडीपी में कृषि क्षेत्रक का योगदान वर्ष 2004-05 के मूल्यों पर कारक लागत में 14 प्रतिशत था। सेवा क्षेत्रक में संधारणीय तीव्र वकास हुआ है जिसके कारण देश की जीडीपी में इसकी अधिक हिस्सेदारी हुई है, जबकि कृषि क्षेत्रक में 90 के दशक के मध्य से 2004-05 तक इसके विकास में स्थायी मंदी आयी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रक के विकास में मंदी के कुछ प्रमुख कारण नोट किए गए थे जैसे प्रौद्योगिकी का असमान एवं धीमा विकास, कमजोर अनुसंधान विस्तार लिंकेज, उपलब्ध प्रौद्योगिकी और इनपुट्स का उपर्याप्त उपयोग, पर्याप्त प्रोत्साहनों और उचित संस्थानों का अभाव, प्राकृतिक संसाधन आधार का अवक्रमण, विश्व उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बढ़ी हुई भेद्यता और कृषि में सार्वजनिक और निजी पूंजी निर्माण की कमी।

(ग) और (घ) वर्ष 2011-12 के दौरान जीडीपी में व्यापार, होटलों परिवहन और संचार का योगदान 28 प्रतिशत था।

(ङ) और (च) समय विकास कार्यनीति का लक्ष्य अधिक समावेशी विकास पर ध्यानकेंद्रण करते हुए उपलब्ध संसाधनों में एक समग्र तरीके में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों के विकास को तेज करना है। योजना में समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्रक में विकास के प्रभाव की पहचान की जाती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों की औसतन विकास दर को 3.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष अनुमानि किया गया है जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के औसतन 2.5 प्रतिशत में सुधार को दर्शाता है। कृषि क्षेत्रक के विकास को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों में शामिल हैं-(i) कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों पर व्यय बढ़ाना (संलग्न विवरण कृषि मंत्रालय के वर्षवार योजना व्यय के ब्यौरे दर्शाता है) (ii) बागवानी, पुष्प खेती जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों और पशुधन, मुर्गीपालन आदि जैसी गैर फसल खेती के लिए किसानों के आय पोर्टफोलियों को विविधिकृत करना, (iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई प्रौद्योगिकियों के सृजन से खेती उत्पादकता को बढ़ाना, (iv) कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा इन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन एवं हस्तांतरण तथा कृषि विस्तार सेवाओं की उन्नत प्रदायगी, (v) निवेश उपलब्धता सुनिश्चित करना और यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना, (vi) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से कृषि योजना निर्णयों में किसानों को शामिल करना और (vii) संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर और एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एनएमएमआई)। आदि के माध्यम से राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना। इनके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अनेक अन्य कदम उठाए गए हैं, जिनमें किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज आर्थिक सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा और किसानों के लिए पारितोषिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि विपणन सुधार तथा भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना का विकास शामिल है।

विवरण

कृषि मंत्रालय के योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	ग्यारहवीं योजना	डीएसी	डीएचडीएफ	डीएआरई	आरकेवीवाई	डब्ल्यूडीपीएससीए	कुल
1	2	3	5	6	7	8	9
	(चालू 2007-08 मूल्य)	41337	8174	12588	25000	240	87339
I	2007-08 (बीई)	5520	910	1620		40	8090
	2007-08 (आरई)	5888	810	1434	1263	40	9435
	2007-08 (व्यय)	5769	782	1280	1247	40	9118

1	2	3	5	6	7	8	9
II	2008-09 (बीई)	6900	1000	1760	3166	40	12866
	2008-09 (आरई)	6868	940	1760	2892	40	12500
	2008-09 (व्यय)	6545	865	1630	2887	39	11966
III	2009-10 (बीई)	7200	1100	1760	4100	40	14200
	2009-10 (आरई)	7018	930	1760	3704	40	13452
	2009-10 (व्यय)	6827	871	1707	3761	40	13206
IV	2010-11 (बीई)	8280	1300	2300	6755	40	18675
	2010-11 (आरई)	10492	1257	2300	6720	40	20809
	2010-11 (व्यय)	10208	1096	2522	6720	40	20585
V	2011-12 (बीई)	9262	1600	2800	7860	50	21572
	2011-12 (आरई)	8654	1357	2850	7811	50	20722
	2007-08 वास्तविक, 2008-09 वास्तविक, 2009-10 वास्तविक, 2010-11 आरई, और 2011-12 (आई)	38003	4970	9989	22426	209	75597

डब्ल्यूडीपीएससीए=पूर्वोत्तर क्षेत्र में चक्रीय खेती के नियंत्रण के लिए जलसंभर विकास कार्यक्रम
डीएसी=कृषि एवं सहकारिता विभाग
डीएएचडीएफ=पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग
डीएआरई=कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

विद्यालयों में मूल-भूत सुविधाएं

156. **श्री भीष्म शंकर** उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्रीमती मीना सिंह:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री संजय धोत्रे:
श्री शिवकुमार उदासी:
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:
श्री नलिन कुमार कटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत कवर किये गये अनेक सरकारी विद्यालयों में भवन, पेयजल, विद्युत, शौचालय आदि की मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो बिहार सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे विद्यालयों में मूल-भूत सुविधाएं तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने विद्यालयों में उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराईं गई और उस पर कितना व्यय हुआ;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) प्रकाशित करता है जो प्रारंभिक स्तर पर स्कूल अवसंरचना के मुख्य घटकों संबंधी सूचना प्रदान करती है। डीआईएसई 2010-11 के अनुसार, भवनों, पेयजल, बिजली, शौचालय आदि जैसी सुविधाओं से रहित सरकारी स्कूलों की संख्या को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया हैं। सर्व शिक्षा अभियान की केन्द्र प्रयोजित योजना की शुरूआत से अब तक इसके अंतर्गत राज्यों के लिए 3,04,454 स्कूल भवन, 17,91,860 अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष, 8,53,624 शौचालय, 2,29,840 पेयजल सुविधाएं स्वीकृत की गई हैं। पिछले तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष (2012-13) के दौरान देश के जिन स्कूलों में अवसंरचना सुविधाएं स्वीकृत की गई, उनकी संख्या तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण-II संलग्न है।

(छ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्कूल अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता का ब्यौरा तैयार करते हैं और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधीयन के लिए भारत सरकार को प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक कार्ययोजना और बजट प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अपेक्षाओं के मद्देनजर बुनियादी स्कूल अवसरंचना के प्रावधान को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण I

डीआईएसई 2010-11 के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, भवनों, पेयजल, बिजली, शौचालय आदि जैसी बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं से रहित सरकारी स्कूलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	भवन रहित स्कूल	बालिका शौचालय रहित स्कूल	बालक शौचालय रहित स्कूल	पेयजल सुविधा रहित स्कूल	बिजली रहित स्कूल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	78	68	16	54
2.	आंध्र प्रदेश	916	38911	22540	9862	32091
3.	अरुणाचल प्रदेश	779	2979	2366	966	3480
4.	असम	126	22462	16125	6541	38486
5.	बिहार	8546	42512	24922	5582	65073
6.	चंडीगढ़	0	7	4	0	0
7.	छत्तीसगढ़	482	30815	21298	3077	38161
8.	दादरा और नगर हवेली	0	127	86	11	68
9.	दमन और दीव	0	17	4	0	0
10	दिल्ली	11	751	643	0	44
11.	गोवा	0	406	173	13	37
12.	गुजरात	79	9671	7082	845	981
13.	हरियाणा	78	2169	2232	144	939
14.	हिमाचल प्रदेश	0	5339	3762	426	6713
15.	जम्मू और कश्मीर	5	18326	13598	3442	20108

1	2	3	4	5	6	7
16.	झारखंड	673	15697	12151	5174	38117
17.	कर्नाटक	105	11922	3827	2954	3751
18.	केरल	6	701	333	31	380
19.	लक्षद्वीप	0	17	6	0	0
20.	मध्य प्रदेश	294	3414	2205	699	4119
21.	महाराष्ट्र	711	72823	35165	11317	99167
22.	मणिपुर	35	21511	6414	7075	21252
23.	मेघालय	190	2067	1150	394	2090
24.	मिजोरम	0	5777	3500	3190	6958
25.	नागालैंड	4	705	363	342	1361
26.	ओडिशा	893	2640	1003	955	3380
27.	पुदुचेरी	2	33921	11365	5907	45146
28.	पंजाब	37	164	111	4	6
29.	राजस्थान	895	1368	2310	406	2292
30.	सिक्किम	0	4824	24582	4784	54191
31.	तमिलनाडु	0	1332	740	19	609
32.	त्रिपुरा	8	11764	5543	6	1565
33.	उत्तर प्रदेश	264	4430	2352	887	8158
34.	उत्तराखंड	143	35373	17948	3489	114768
35.	पश्चिम बंगाल	1577	12534	3166	1582	14279
	कुल	16861	65503	28149	7970	85086

विवरण II

पिछले तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष (2012-13) के दौरान देश के जिन स्कूलों में अवसंरचना स्वीकृत की गई, उनकी संख्या तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राथमिक स्कूल		उच्च प्राथमिक स्कूल		अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष		पेयजल		शौचालय		पिछले तीन वर्ष के दौरान असवंसरचना पर किया गया कुल व्यय (रुपए लाख में)
		2009-10 से 2011-12 के लिए संस्वीकृतियां	2012-13 के लिए लिए संस्वीकृतियां	2009-10 से 2011-12 के लिए संस्वीकृतियां	2012-13 के लिए लिए संस्वीकृतियां	2009-10 से 2011-12 के लिए संस्वीकृतियां	2012-13 के लिए लिए संस्वीकृतियां	2009-10 से 2011-12 के लिए संस्वीकृतियां	2012-13 के लिए लिए संस्वीकृतियां	2009-10 से 2011-12 के लिए संस्वीकृतियां	2012-13 के लिए लिए संस्वीकृतियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	462	435	0	0	38252	20389	798	0	28420	7449	195376.49
2.	अरूणाचल प्रदेश	492	123	16	0	1880	297	42	0	1397	1094	9583.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	5017	0	0	0	19416	6910	0	0	20074	12125	127605.83
4.	बिहार	0	0	0	0	142605	0	9538	2859	36235	7747	387766.14
5.	छत्तीसगढ़	553	15	669	30	24483	1630	1060	378	34165	38044	109524.44
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	234	0	460	0	708.53
7.	गुजरात	0	0	0	0	26405	14979	75	0	3406	9661	129925.65
8.	हरियाणा	123	4	166	8	12298	1182	984	527	5403	5051	51628.52
9.	हिमाचल प्रदेश	80	8	20	7	1192	334	105	0	7454	1103	17333.98
10.	जम्मू और कश्मीर	2167	253	0	0	9832	7755	1018	0	9975	8170	77554.50
11.	झारखंड	1479	0	1967	0	51519	25369	1103	309	10112	7465	188214.54
12.	कर्नाटक	449	4	0	11	12736	5675	.350	152	22567	3378	90106.07
13.	केरल	6	0	0	0	1805	37	1755	32	4736	2582	15302.57
14.	मध्य प्रदेश	386	196	1625	880	54345	6764	479	851	35641	19110	221867.37
15.	महाराष्ट्र	2824	67	335	693	29527	4559	909	31	3006	21230	148303.60
16.	मणिपुर	180	368	0	153	2316	36	0	0	3958	0	4622.85
17.	मेघालय	1288	27	960	0	4589	25	0	0	0	0	16838.79
18.	मिजोरम	33	131	68	37	1209	68	0	4	1715	1124	6552.75
19.	नागालैंड	239	75	383	63	1296	211	295	91	610	837	7207.28
20.	ओडिशा	2735	0	1681	0	25131	15416	393	185	5520	65416	131754.94
21.	पंजाब	105	0	702	21	8061	1070	102	0	4025	6930	49587.49
22.	राजस्थान	0	99	0	27	17175	3016	4872	0	20603	0	104491.11
23.	सिक्किम	5	0	52	0	180	3	0	0	483	69	2223.13
24.	तमिलनाडु	233	0	1110	0	6299	2612	3996	1803	22959	17925	47054.53
25.	त्रिपुरा	262	34	238	0	1870	937	7	10	2344	525	10124.65
26.	उत्तर प्रदेश	11383	0	3487	0	66723	15262	278	1629	415	3660	249272.53
27.	उत्तराखंड	242	273	164	50	2280	737	1147	0	11121	2236	15411.56
28.	पश्चिम बंगाल	5859	100	1099	415	58145	54379	2272	0	20195	25789	241287.94
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	32	0	0	103	5	8	0	20	0	1514.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	चंडीगढ़	10	2	8	0	206	0	0	0	5	0	3539.95
31.	दादरा और नगर हवेली	3	0	0	0	280	37	0	0	0	162	868.65
32.	दमन और दीव	1	0	0	2	87	11	44	0	19	95	259.51
33.	दिल्ली	2	1	0	0	704	300	0	0	256	227	6196.68
34.	लक्षद्वीप	2	0	0	0	3	3	10	0	20	0	171.94
35.	पुदुचेरी	0	0	2	0	124	38	50	26	106	96	1412.72
	कुल	36625	2247	14752	2397	623076	190046	31224	8887	320425	269300	2671195.55

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान

157. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री शिवकुमार उदासी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान द्वारा राज्य-वार कितने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदन अभी भी आयोग के पास लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (एनसीएमईआई) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 11 (च) के अंतर्गत किसी शिक्षा संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्धारण करने तथा उसे इस प्रकार का दर्जा देने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग द्वारा अपने प्रारंभ से दिनांक 19.07.2012 तक शिक्षा संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2005-2012 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (एनसीएमईआई) में 13346 मामले पंजीकृत कराए गए थे जिनमें से 12031 मामलों का निपटारा कर दिया गया है तथा दिनांक 31.07.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या केवल 1315 है। आयोग द्वारा मामलों का राज्यवार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया जाता।

विवरण

(राज्यवार और वर्षवार) जारी किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र (राज्यवार और वर्षवार)

क्र.सं.	राज्य	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	3	2	–	–		1	
2.	आंध्र प्रदेश	4	9	24	6	30	2	17	34
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	2	–	6		1	1
4.	असम	–	2	–	17	2	13	111	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	1	2	20	17	3	3	27	6
6.	चंडीगढ़	–	2	3	1	1	1	3	2
7.	छत्तीसगढ़	–	1	4	5	7	55	91	1
8.	दादरा और नगर हवेली	–	2	2	–	–			
9.	दमन और दीव	–	1	–	–	–			
10.	दिल्ली	2	36	8	15	10	14	33	19
11.	गोवा	–	9	31	28	81	4	3	4
12.	गुजरात	–	3	3	5	8	5	5	
13.	हरियाणा	–	20	12	3	4		24	14
14.	हिमाचल प्रदेश	–	9	3	4	–	1	3	2
15.	झारखंड	–	2	15	15	3	1	4	6
16.	कर्नाटक	–	4	26	15	11	9	12	10
17.	केरल	–	9	78	97	524	822	852	627
18.	मध्य प्रदेश	–	15	19	12	23	23	58	46
19.	महाराष्ट्र	11	22	28	21	7	3	2	16
20.	मणिपुर	–	1	–	1	–		32	
21.	मेघालय	–	1	4	–	–	1		
22.	ओडिशा	–	14	16	23	6	12	6	
23.	पुदुचेरी	–	2	13	–	3			1
24.	पंजाब	–	11	39	4	–	9	5	5
25.	राजस्थान	–	2	22	37	20	4	2	
26.	सिक्किम	–	3	13	–	1			
27.	त्रिपुरा	1	9	19	13	14	16	12	21
28.	तमिलनाडु	–	–	–	1	6			
29.	उत्तर प्रदेश	1	107	99	48	59	114	253	388
30.	उत्तराखंड	–	36	17	6	4	3	11	2
31.	पश्चिम बंगाल	1	85	215	113	15	7	89	57
	कुल	21	422	737	507	848	1122	1656	1266

*19.07.2012 की स्थिति के अनुसार

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

158. **श्री बंस गोपाल चौधरी:**
श्री निशिकांत दुबे:
श्री पी. करुणाकरन:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
डॉ. रामचन्द्र डोम:
श्री बसुदेव आचार्य:
डॉ. अनूप कुमार साहा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खान-वार, कम्पनी-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार विभिन्न कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनकी क्या प्रकृति थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खान-वार इन दुर्घटनाओं में कितने लोग घायल हुए/कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करने और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच कार्रवाई की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने लोग दोषी पाये गये साथ ही सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों में मुआवजे की दर कम है जबकि ये एयर इंडिया में प्रवर्तनाधीन नियमों द्वारा शासित हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) उक्त मामलों में घायलों/मृत व्यक्ति के परिवारों को प्रदत्त मुआवजे की धनराशि तथा अन्य राहतों तथा खान-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार मुआवजे/रोजगार के कितने मामले लंबित हैं; और

(छ) कर्मचारियों/कामगारों की रक्षा के लिये ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

159. **श्री राम सुन्दर दास:**
श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की बैठक में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उचित कार्यान्वयन के लिये विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो परामर्शदात्री परिषद की सरंचना तथा विचारार्थ विषय क्या है;

(घ) क्या राज्यों के पास नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को किस प्रकार वित्तीय मदद देने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) ने 6 जून, 2012 को आयोजित अपनी 59वीं बैठक में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन पर चर्चा की थी और आरटीई अधिनियम की 'नो डिटेंशन पालिसी' के संदर्भ में सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रियाविधि का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था।

(ख) और (ग) आरटीई अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान के अनुसार, केन्द्र सरकार ने आरटीई अधिनियम के प्रभावी

कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए 8 जुलाई, 2010 को राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद (एनएसी) का गठन किया हैं। एनएसी के अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री हैं तथा इसमें प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 9 नामित सदस्य और 5 पदेन सदस्य हैं।

(घ) से (च) आरटीई के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय आवश्यकता के रूप में 2,31,233 करोड़ रुपए की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आरटीई अधिनियम को कार्यान्वित करने का मुख्य साधन है। आरटीई अधिनियम को कार्यान्वित करने में राज्यों की सहायता के लिए एसएसए के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच निधियों के बंटवारे की पद्धति 2010-11 से 2014-15 तक के पांच वर्षों के लिए राज्यों/संघ राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में संशोधित कर दी गई है तथा 13वें वित्त आयोग ने भी राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में 24,068 करोड़ रुपए की रशि उद्धिष्ट की है।

[अनुवाद]

ज्ञान केन्द्र के रूप में भारत

160. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:
श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारत को निकट भविष्य में ज्ञान केन्द्र बनाने के लिये क्या नई पहल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों तथा अन्य अंशधारियों को किस प्रकार शामिल किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) नए ज्ञान का सृजन और इसका प्रचार-प्रसार हमारे समाज की उन्नति और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मौजूदा उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ नवीन ज्ञान आधारित संस्थाओं का सृजन जो अनुसंधान में गुणवत्ता और उत्कृष्टता हेतु संघर्षरत हैं, भारत को ज्ञान का केन्द्र बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने का मूल है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बड़ी संख्या में नई संस्थाएं केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय स्थापित की गई हैं।

सरकार ने 'अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2012' को संसद में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय को स्थापित तथा शामिल करना है ताकि शिक्षण और अनुसंधान के बीच सहक्रियाशीलताओं को बढ़ाया जा सके और शिक्षण, विद्या और अनुसंधान में गुणवत्तायुक्त मान्यता प्राप्त सार्वभौमिक संस्थाएं सृजित की जा सके। इन विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का भी प्रावधान है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा में सुधार लाने के लिए, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुचित प्रथाओं को रोकने हेतु; प्रत्यायन को अनिवार्य अपनाने हेतु और विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने हेतु विधायी प्रस्तावों को संसद में पेश किया गया है। एक अन्य विधान को, उच्चतर शिक्षा को समग्र रूप से विनियमित करने के लिए सर्वोपरि निकाय को सृजित करना, विषयों की बढ़ती हुई अभिमुखी प्रकृति को ध्यान में रखना और ज्ञान सृजित करना, विषयों की बढ़ती हुई अभिमुखी प्रकृति को ध्यान में रखना और ज्ञान सृजन के अवसरों का पता लगाना जो मौजूदा विषयों के प्रतिच्छेद बिन्दु में आते हैं, संसद में पेश किया गया है।

उपर्युक्त सभी पहलें विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श, वाद-विवाद और परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई हैं।

[हिन्दी]

नेटवर्किंग साइटों का विनियमन

161. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सोशल नेटवर्किंग वेब-साइटों पर आपत्तिजनक विषय-वस्तु पर रोक लगाने के लिये राज्य सरकारों, जन-प्रतिनिधियों तथा सोशल नेटवर्किंग साइटों से चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त चर्चा में किन मुद्दों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में नया विधान/दिशानिर्देश लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) सरकार ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के साथ चर्चा की और सोशल नेटवर्किंग साइटों के ध्यान में लाया कि साइटों पर दर्शाई गई आपत्तिजनक सामग्री से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं और सोशल नेटवर्किंग साइटों से सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिदेश) नियमावली 2000 के अनुसार उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध किया था।

(ग) और (घ) इस बारे में पर्याप्त कानूनी प्रावधान पहले से ही मौजूद है। सरकार ने 11.4.2011 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 अधिसूचित की है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अनुसात सरकार के पास भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा के हित, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधो, सार्वजनिक व्यवस्था या इनसे संबंधित किसी संज्ञेय अपराध करने के लिए उकसाने को रोकने के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के जरिए जनता तक किसी सूचना की पहुंच को रोकने के लिए निदेश जारी करने के अधिकार हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय

162. **श्री अर्जुन चरण सेठी:**
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्रीमती प्रिया दत्त:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत किये गये और खोले गये;

(ग) क्या सरकार वर्तमान वर्ष में अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए राज्य-वार किन स्थानों की पहचान की गई है और उन्हें कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के लिए संस्वीकृत, जारी आर उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय/नवोदय विद्यालय खोलने के लिए सांसदों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा प्रत्येक अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) देश में केन्द्रीय विद्यालयों (केवीएस) को खोलने के लिए मानदण्ड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष अर्थात् 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान संस्वीकृत और खोले गए 113 केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्तमान में चालू, वर्ष में आज की तारीख तक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वार्षिक लेखे क्षेत्रवार समेकित किए जाते हैं। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा संस्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) और (छ) नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए संसद सदस्यों से 128 और नए जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने के लिए 25 अनुरोधों प्राप्त हुए है। नए केन्द्रीय विद्यालयों के 128 अनुरोधों में से 6 का अनुपालन कर दिया गया है और नए स्कूल खोलने के लिए संस्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। अन्य 8 प्रस्ताव उपयुक्त पाए गए हैं। 108 प्रस्ताव, नए केन्द्रीय विद्यालयों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं थे और प्रायोजित एजेंसियों को इन कमियों में सुधार करने के लिए कहा गया है, 6 अनुरोध भी भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन में जांच स्तर पर हैं।

नए केन्द्रीय विद्यालयों/जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन के लिए 12वीं योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए केवीएस/जेएनवीएस खोलना अवश्यक अनुमोदनों और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।

विवरण I

केन्द्रीय विद्यालयों को खोलने के संबंध में मानदंड

(क) केन्द्रीय विद्यालय, सिविल/रक्षा अथवा परियोजना क्षेत्र में खोले जाते हैं।

1. सिविल/रक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय निम्नलिखित आधार पर खोले जाते हैं:-

भारत सरकार के मंत्रालय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से निम्नलिखित के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होना:-

(i) निम्नानुसार उपयुक्त निशुल्क भूमि:-

क्र.सं.	स्थिति	न्यूनतम आवश्यकता	वांछनीय सीमा (एकड़ में)
I	मैट्रोपॉलिटन शहर	02	04
II	पर्वतीय क्षेत्र	04	08
III	शहरी क्षेत्र	04	08
IV	अर्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	05	10

(ii) जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन पट्टे की भूमि पर अपने विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कर लेता तब तक केन्द्रीय विद्यालय के लिए किराया मुक्त अथवा सामान्य किराए पर अस्थायी आवास; और

(iii) प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा कम से कम 50% स्टाफ को रिहायशी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा, सिविल/रक्षा क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों पर सामान्यत: विचार किया जाता है जब:-

(क) रक्षा सेवाओं अथवा केन्द्र सरकार अथवा भारत सरकार के उपक्रम की अलग से अथवा संयुक्त रूप से कर्मचारियों की संख्या कम से कम 500 हो। (विशेष फोकस वाले जिलों के मामले में 250); और

(ख) विशिष्ट वर्गों अर्थात केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/राज्य सरकार के कर्मचारियों/राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों का न्यूनतम संभावित नामांकन 200 हो अथवा प्रति कक्षा औसत 30 हो, जो भी अधिक हो।

2. परियोजना क्षेत्र में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उचचतर शिक्षा संस्थान निम्नलिखित के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों को प्रायोजित कर सकते हैं:-

(i) प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में सभी आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय वहन करना।

(ii) उपयुक्त नि:शुल्क भूमि प्रदान करना तथा विद्यालय खोलने तथा उसके भावी विकास के लिए भवन मुहैया कराना।

(iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए यथानिर्धारित आधार तथा समकक्ष दरों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा तथा शिक्षकोत्तर स्टाफ को उपयुक्त रिहायशी आवास प्रदान करना।

(iv) परियोजना क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय सामान्य रूप से तभी खोले जाते हैं जब भारत सरकार के प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की संख्या कम से कम 1000 हो तथा उस प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में नामांकन के इच्छुक बच्चों की संख्या कम से कम 200 हो (बड़े शहरों के मामले में 500 बच्चे)।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (आज तक) के दौरान खोले गए राज्यवार केन्द्रीय विद्यालय

वर्ष	राज्य का नाम/ संघ राज्य क्षेत्र	के.वि. की संख्या
1	2	3
2009-10	शून्य	शून्य
2010-11	1. आंध्र प्रदेश	02
	2. असम	03
	3. बिहार	03
	4. छत्तीसगढ़	01
	5. दिल्ली	01

1	2	3
	6. गुजरात	02
	8. मध्य प्रदेश	01
	7. हरियाणा	01
	9. जम्मू और कश्मीर	03
	10. झारखंड	02
	11. कर्नाटक	05
	12. केरल	03
	13. मध्य प्रदेश	09
	14. महाराष्ट्र	03
	15. मिजोरम	02
	16. ओडिशा	17
	17. पंजाब	08
	18. पुदुचेरी	01
	19. राजस्थान	05
	20. तमिलनाडु	02
	21. त्रिपुरा	03
	22. उत्तर प्रदेश	05
	23. उत्तराखंड	02
	24. पश्चिम बंगाल	07
2011-12	1. अरुणाचल प्रदेश	01
	2. आंध्र प्रदेश	01
	3. असम	01
	4. बिहार	02
	5. छत्तीसगढ़	01
	6. दिल्ली	01
	7. कर्नाटक	01
	8. केरल	01
	9. मध्य प्रदेश	01
	10. पंजाब	01
	11. राजस्थान	03
	12. उत्तर प्रदेश	03
	13. तमिलनाडु	01
2012-13	1. असम	01
	2. हिमाचल प्रदेश	01
	3. जम्मू और कश्मीर	01
	4. मध्य प्रदेश	01

विवरण III

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए क्षेत्रवार व्यय

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा*				2296.94
2.	अहमदाबाद	6585.82	6071.72	6316.42	2793.04
3.	बंगलौर	10341.72	9268.68	9082.25	3970.06

1	2	3	4	5	6
4.	भोपाल	133383.74	10731.66	11587.20	3879.31
5.	भुवेनश्वर	12449.48	11338.04	13135.21	4846.76
6.	चंडीगढ़	13735.91	11739.83	12567.92	4764.77
7.	चेन्नई	17431.33	15602.33	16968.39	4672.90
8.	देहरादून	12134.51	10755.58	11721.11	3839.56
9.	दिल्ली	25378.76	23141.90	25664.25	10968.90
10.	एर्नाकुलम*				2692.14
11.	गुवाहाटी	8296.76	7521.21	7667.35	2713.98
12.	हैदराबाद	11947.12	9798.95	10557.90	4048.79
13.	जबलपुर	9283.82	8305.29	9034.92	3336.55
14.	जयपुर	12890.89	11514.15	11846.56	4878.27
15.	जम्मू	10646.36	9113.84	10230.23	3303.60
16.	कोलकाता	12636.73	11196.92	12392.09	4399.28
17.	लखनऊ	15432.80	13351.02	15328.38	4999.00
18.	मुम्बई	12261.28	10515.67	11082.19	4935.68
19.	पटना	11199.90	9606.32	10540.72	3641.85
20.	रायपुर*				1525.33
21.	सिल्चर	5255.42	5421.95	6096.29	1892.53
22.	सिरसा*				2194.26
23.	तिनसुकिया दुलियाजन*				1263.01
24.	वाराणसी*				1910.15
25.	रांची*				1666.35
26.	केविएस मुख्यालय	2284.73	2372.22	2074.98	479.62
27.	जेडआईईटी चंडीगढ़	23.32	48.40	87.89	23.20
28.	जेडआईईटी भुवेनश्वर				0.00
29.	जेडआईईटी ग्वालियर	37.15	36.22	46.05	25.00
30.	जेडआईईटी मैसूर	63.55	49.23	46.02	19.45
31.	जेडआईईटी मुम्बई	90.78	64.47	41.22	38.32

1	2	3	4	5	6
32.	काठमांडू	281.44	254.39	283.79	0
33.	मास्को**	0.00	00.00	0.00	0
34.	तेहरान**	0.00	0.00	66.79	0
35.	केविएस मेन	15554.43	17182.50	22431.59	225
	कुल योग	239627.77	215002.47	236897.69	92243.58

*नया क्षेत्रीय कार्यालय वर्ष 2012-13 के दौरान खोला गया

**स्व-वित्तपोषित

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में अनियमितताएं

163. राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्रीमती रमा देवी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) के क्षेत्र के कार्यालय में चल रहे अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने में कोई अनियमितताएं आई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में संलिप्त चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) की क्षेत्रीय समितियों द्वारा मान्यता प्रदान करने में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतों के आधार पर सरकार ने उत्तरी क्षेत्रीय समिति (एनआरसी), जयपुर के कार्यकरण की वर्ष 2010 में एक समिति के माध्यम से समीक्षा की थी जिसने उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर की निर्णय लेने की प्रक्रिया में (क) रिकार्ड के रखरखाव में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने, (ख) आवेदनों को तैयार करने में विलम्ब करने, (ग) तथ्यों के गलत मूल्यांकन, (घ) निर्णय लेने में एकरूपता न होने सहित बहुत सी अनियमितताओं और कतियों का उल्लेख किया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने पूर्वी क्षेत्रीय समिति (ईआरसी), भुवनेश्वर और दक्षिणी क्षेत्रीय समिति (एसआरसी), बंगलौर के कार्यकरण की भी समीक्षा की है।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने कई कार्रवाइयां की हैं। उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर को भंग कर दिया गया था, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय समिति, जयपुर को उनके मूल विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था, गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई थी और अनुशासनात्मक कार्रवाइयां आरंभ की गईं। पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर को भी समीक्षा के बाद भंग कर दिया गया था। अनियमितताओं और मान्यता प्रदान करने में सरकार को प्राप्त हुईं अन्य शिकायतों के संबंध में भी कार्रवाई की गई हैं।

जुलाई, 2011 में सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का अधिक्रमण कर दिया था और परिषद् की शक्तियां और कार्यों का प्रयोग करने हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने चार क्षेत्रीय समितियों का पुनर्गठन करने और उनके कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपाय करने सहित बहुत से कदम उठाए हैं।

सी.बी.एस.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला

164. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीबीएसई द्वारा मान्यता-प्राप्त कतिपय विद्यालयों में धर्म के आधार पर छात्रों को दाखिला देने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध विद्यालयों से संबंधित ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

स्पीड पोस्ट सेवाएं

165. **श्री प्रेमचन्द गुड्डू:**
डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
श्री हरिशचंद्र चव्हाण:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार राजय-वार कितने स्पीड पोस्ट केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित नये स्पीड पोस्ट केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्पीड पोस्ट सेवा के संबंध में सेवा में कमी तथा अन्य शिकायतों पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्पीड पोस्ट सेवा में सुधार करने और इन्हें निजी कोरियर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) डाक विभाग के डाक नेटवर्क को इष्टतम बनाने संबंधी परियोजना के तहत स्पीड पोस्ट केन्द्रों के नेटवर्क एवं संख्या को हाल ही में पुनर्गठित किया गया हैं ये स्पीड पोस्ट केन्द्र या तो राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट छंटाई हब हैं या अन्तरा-सर्किल छंटाई हब है। 89 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट छंटाई हब तथा 105 अंतरा-सर्किल छंटाई हब हैं। हबों की राज्यवार सूची, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) वर्ष 2012-2013 में नए छंटाई हब तथा अन्तरा-सर्किल हब बनाने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) डाक विभाग सेवाओं में खामियों पर ध्यान देता है तथा स्पीड पोस्ट सेवा के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है तथा शिकायतें समयबद्ध तरीके से निपटाई जाती है। विगत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा स्पीड पोस्ट परियात के संबंध में शिकायतों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या	स्पीड पोस्ट परियात (करोड़ में)	परियात के संदर्भ में शिकायतों का प्रतिशत
2009-10	1,74,040	24.08	0.072
2010-11	2,09,735	27.29	0.076
2011-12	1,97,645	39.20	0.050

डाक विभाग के पास सभी डाक डिवीजनों में कस्टमर केयर केन्द्रों के माध्यम से शिकायतों के त्वरित निपटान हेतु एक सुस्थापित तंत्र है।

(ङ) सम्पूर्ण देश में स्पीड पोस्ट सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नेटवर्क को उपर्युक्त (क) के अनुसार पुनर्गठित किया गया हैं विभाग शीघ्रता से डाक की प्रोसेसिंग हेतु दिल्ली एवं कोलकाता में स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्द्रों को शीघ्र ही चालू करने जा रहा है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट वस्तुओं के लिए प्रेषण की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान ट्रैक एवं ट्रैस की सुविधा प्रदान की गई है। उपर्युक्त पहल कार्य प्राइवेट कोरियर्स के साथ प्रभावी प्रतिस्पर्धा में विभाग की मदद करेंगे।

विवरण

राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट छंटाई हब तथा अंतर सर्किल छंटाई हब की संख्या की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट छंटाई हब	अंतरा-सर्किल छंटाई हब
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	4
2.	असम	1	4
3.	बिहार	3	4
4.	छत्तीसगढ़	1	1
5.	दिल्ली	1	-
6.	गुजरात	4	10

1	2	3	4
7.	हरियाणा	4	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2	4
9.	जम्मू और कश्मीर	2	-
10.	झारखण्ड	3	3
11.	कर्नाटक	8	4
12.	केरल	6	1
13.	मध्य प्रदेश	4	5
14.	महाराष्ट्र	4	11
15.	मणिपुर	1	-
16.	त्रिपुरा	-	1
17.	मिजोरम	-	1
18.	नागालैंड	-	1
19.	अरुणाचल प्रदेश	-	1
20.	मेघालय	-	1
21.	ओडिशा	2	6
22.	पंजाब	5	2
23.	राजस्थान	3	6
24.	तमिलनाडु	10	8
25.	उत्तर प्रदेश	10	13
26.	उत्तराखण्ड	1	4
27.	पश्चिम बंगाल	5	8
28.	गोवा	1	-
29.	सेना डाक सेवा	2	-
	कुल	89	105

[अनुवाद]

फर्जी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान

166. श्री संजय धोत्रे:
डॉ. कृपारानी किल्ली:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान फर्जी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ऐसे संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे संस्थानों के भावी विस्तार पर लगाम लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी सूचित किया है कि 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की गई हैं। ऐसी संस्थाओं के और विस्तार पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश में क्रमशः फर्जी विश्वविद्यालयों और गैर-अनुमोदित संस्थाओं की पहचान की है और इसकी सूची अधिसूचित की है। व्यापक प्रचार करने के लिए नियमित रूप से फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची सभी विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों को भेजी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी हान में देश में फर्जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फर्जी विश्वविद्यालयों, इस प्रकार की फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ की गई कार्रवाई और इन संस्थाओं में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को संरक्षण देने और सुरक्षापायों के ब्यौरे जूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in और एआईसीटीई की वेबसाईट www.aicte-india.org पर भी उपलब्ध हैं।

उपभोक्ताओं के संतोष संबंधी सर्वेक्षण

167. श्री इज्यराज सिंह:
श्री रतन सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कतिपय एजेंसियों के माध्यम से प्रत्येक तिमाही में दूरसंचार उपभोक्ता/उपभोक्ता संतोष सर्वेक्षण कराया गया है/कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) ट्राई विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रक विनियमों, निदेशों और आदेशों के कार्यान्वयन में सेवा और प्रभावकारिता के संबंध में उपभोक्ता के नजरिए का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण का रहा है।

(ख) सर्वेक्षण ग्राहकों से संबंधित प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा गुणवत्ता के आधार पर उनका फीडबैक प्राप्त करके वर्ष में दो बार सभी सेवा क्षेत्रों हेतु सेल्युलर मोबाइल सेवा, आधारभूत सेवा (वायरलाइन) और ब्रॉडबैंड सेवाओं हेतु किया जा रहा है। सर्वेक्षण से ट्राई को सेवा प्राचल गुणवत्ता यथा सेवा व्यवस्था तुष्टिकरण, बिलिंग कार्यनिष्पादन, नेटवर्क कार्यानिष्पादन, विश्वसनीयता एवं उपलब्धता, अनुरक्षणता, अनुपूरकता व मूल्य संवर्धित सेवा, ग्राहक शिकायत निदान एवं समग्र तुष्टिकरण सहित सहायता सेवा के संबंध में ग्राहक के नजरिए का मूल्यांकन करने में सहायता मिली है। सर्वेक्षण से ग्राहकों के हितों, विशेषकर टेलीफोन बिलों में शामिल करने संबंधी सूचना, सेवा समापन, शिकायत निदान व मूल्य संवर्धित सेवा व्यवस्था तथा प्रीमियम दर सेवा सहित प्रशुल्क, बिलिंग से संबंधित मुद्दों की संरक्षा करने के लिए ट्राई द्वारा निर्गमित विभिन्न आदेशों/दिशा निर्देशों/विनियमों के कार्यान्वयन में प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने में भी सहायता मिली है।

(ग) ग्राहक सेवा नजरिए से संबंधित सेव बेंचमार्कों की गुणवत्ता प्राप्त करने में जहां कहीं कमियां पाई गई हैं, वहां ट्राई समयबद्ध तरीके से ऐसी कमियों के निदानार्थ बैठकों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। ये बैंठकें और सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं।

[हिन्दी]

स्विस बैंक में काला धन

168. **श्रीमती भावना पाटील गवली:**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) ने 2011 के अंत में भारतीयों द्वारा स्विस बैंकों में जमा राशि का खुलासा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जनवरी, 2012 से स्विस बैंकों में जमा ऐसी राशि का ब्यौरा क्या है एवं सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां महोदया।

(ख) स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी सूचनाओं के अनुसार स्विस बैंकों की भारतीय नागरिकों के प्रति देयता 31 दिसम्बर, 2011 को 2.183 बिलियन सीएचएफ थी। जनवरी, 2012 से भारतीय नागरिकों द्वारा स्विस बैंको में जमा किए गए धन के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

सीआईएल में ठेका कामगार

169. **डॉ. रामचन्द्र डोम:**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री बंस गोपाल चौधरी:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की प्रत्येक कोयला खनन करने वाली सहायक कंपनियों में ठेकेदारों द्वारा कितने कर्मचारियों को नियोजित किया गया है;

(ख) क्या ठेकेदारों और प्रबंधन के बीच कार्य की स्थिति और उक्त कामगारों की मजदूरी के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों को दी जाने वाली निर्धारित मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्य ठेकेदार समझौते के अनुसार कामगारों को भुगतान कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो प्रबंधन द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में संविदा कामगारों को प्रदान की गई चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) कार्य के दौरान जान गवां देने वाले ठेका कामगारों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की क्या प्रणाली/मानदंड हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) वर्तमान में कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियों में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त संविदागत कामगारों की

संख्या नीचे दी गई है। हालांकि, यह निजी पक्षों/ठेकदारों जो आवश्यकता के अनुसार अपने निजी श्रमिकों को नियुक्त कर रहे हैं, के समय-समय पर बदलता है।

कंपनी	वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त संविदागत कामगर
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	6524
भारत कोकिंग कोल लि.	1414
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	1013
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	3277
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	9504
महानदी कोलफील्ड्स लि.	5190
नार्दन कोलफील्ड्स लि.	4233
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	0
नार्थ इंस्टर्न कोलफील्ड्स	413
कोल इंडिया लि.	79
कुल	31647

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि संविदागत कामगारों जिनकी नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदारों द्वारा विभिन्न ठेके के कार्य में की जा रही है, को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार भुगतान की जा रही है तथा अन्य कार्य स्थितियां ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत नियमों में निर्धारित प्रावधान के अनुसार है। एनआईटी में, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान तथा कार्य स्थितियां आदि के संबंध में संबंधित अधिनियमों के संगत प्रावधानों के अनुपालन के लिए ठेकेदार/निजी पक्ष एक पूर्व शर्त है।

(घ) और (ङ) भाग (ख) के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों की वर्तमान नीति के अनुसार, संविदागत कामगारों को कंपनियों के अस्पताल तथा चिकित्सालयों में बहिरंग चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(छ) उन संविदागत कामगारों जिनकी दुर्घटना कार्य घंटों के दौरान होती है के बदले में संविदागत कामगारों के परिवार के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए सीआईएल की कोई नीति नहीं है।

सरकारी संवितरण पद्धति के अंतर्गत कोयला ब्लॉक

170\. **श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री हरिन पाठक:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित विभिन्न राज्यों ने सरकारी संवितरण पद्धति के अंतर्गत कोयला ब्लॉक आवंटन करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के कुछ क्षेत्रों में लिग्नाइट/अन्य खनिजों के लिए गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) को खनन पट्टा देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे प्रस्तावों में सम्मिलित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(च) कब तक उन्हें कोयला ब्लॉकों के आवंटन/खनन पट्टे दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) सरकार ने सरकारी वितरण मार्ग के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए हैं। तथापि, गुजरात सहित राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि किसी कोयला ब्लाकों की पेशकश आबंटन के लिए नहीं की गई थी इसलिए राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने लिग्नाइट ब्लाकों के आबंटन तथा निम्नलिखित ब्लाकों/क्षेत्रों के संबंध में खनन पट्टों का अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है-

क्र.सं.	लिग्नाइट ब्लाक/क्षेत्र का नाम
1.	वालिया
2.	लखपत-धेधादी
3.	डामलाई पडबनिया
4.	जलराई-वाघाबाडर
5.	कैयारी
6.	घाला
7.	हामला व रतादिया
8.	गुजरात में कच्छ एवं भरूच जिलों में कुछ क्षेत्र
9.	राजपर्दी ब्लाक का दक्षिण

कोयला एवं लिग्नाइट ब्लाकों का आबंटन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अंतर्गत की जाती है जबकि आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों का खनन लीज देने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत लिग्नाइट ब्लाक का आबंटन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन; अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत खनन पट्टा देने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन दिए जाने के पूर्व एक शर्त है। उपर्युक्त ब्लाकों का आबंटन कोयला मंत्रालय द्वारा गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (जीएमडीसीएल) को नहीं किया गया है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए खनन पट्टे का पूर्व अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) कोयला ब्लाकों का आबंटन एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी कोयला ब्लाकों का आबंटन के लिए पहचान एवं निर्धारण किया जाता है, उस पर आबंटन के लिए विचार किया जाता है। राज्य सरकारों से सरकारी वितरण मार्ग के अंतर्गत आबंटन के लिए कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए हैं। जहां तक खनन पट्टा देने का संबंध है, ऐसे आवेदनों पर विचार ब्लॉकों के आबंटन के बाद ही किया जाता है।

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन की समीक्षा

171. **श्री हरि मांझी:**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कोयले के उत्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक गुणवत्ता-वार, वर्ष-वार और मूल्य-वार कोयले का उत्पादन, मांग और ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में कोयले के आयात में वृद्धि हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातित और निर्यातित कोयले सहित देश-वार, गुणवत्ता-वार, वर्ष-वार, ग्रेड-वार आयातित और निर्यातित कोयले का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में कोयले की कमी को देखते हुए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ज) कोयले का उत्पादन बढ़ाने, आयात कम करने एवं देश को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयले के उत्पादन सहित कोयला कंपनियों की विभिन्न कार्यनिष्पादन मानदंडों की समीक्षा करना सतत प्रक्रिया है। सचिव (कोयला) स्तर पर समीक्षा के अलावा चालू वर्ष के दौरान कोयला मंत्री ने 04.04.2012, 12.06.2012 एवं 13.07.2012 को कार्यनिष्पादन की समीक्षा की। इन बैठकों में इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उचित निर्णय लिये गये।

(ग) कोयले की वर्ष-वार मांग, उत्पादन, प्रेषण और पिटहैंड मूल्य निम्नानुसार है:

(मिलियन टन और मिलियन रुपये)

वर्ष	मांग (ब.अ.)	उत्पादन	प्रेषण	पिटहैंड मूल्य
2009-10	604.33	532.042	513.792	513182.5
2010-11	656.31	532.694	523.465	620210.4
2011-12	696.03	(पी) 532.940	(पी) 535.152	उपलब्ध नहीं
2012-13 (जून 12 तक)	772.84	(पी) 126.637	(पी) 138.283	उपलब्ध नहीं

(पी) अनंतिम आंकड़ें के लिए

(घ) और (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए और आयात किए गए कोयले एवं कोक की देश-वार मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। यद्यपि कोयले का निर्यात 2008-09 में 3.02 मि.ट. से घटकर 2010-11 में 2.60 मि. ट. हो गया है, इसी अवधि के दौरान कोयले का आयात, विद्युत क्षेत्र एवं विविध क्षेत्र द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ मांग में समग्र वृद्धि और कोयले की मांग की स्वदेशी उत्पादन के उत्पादन के अन्तर के कारण प्रथमतया 60.88 मि.ट. से बढ़कर 70.40 मि.ट. हो गया हैं। अप्रैल 2011 से दिसम्बर, 2011 की अवधि के दौरान कोयले का निर्यात एवं आयात क्रमशः 1.78 मि.ट. एवं 79.57 मि. ट. है।

(च) और (छ) कोयला ओजीएल के अंतर्गत है और इसके निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोयले की स्वदेशी उपलब्धता पर निर्यात का प्रभाव नगण्य है।

(ज) आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के मद्देनजर सरकार ने पर्यावरण एवं वन स्वीकृति को गति प्रदान करने, रेलवे रेको की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ मामले को उठाने और भूमि अधिग्रहण में आवश्यक सहायता के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने और कानून और व्यवस्था से संबंधित समस्याओं सहित कई उपाय किए हैं। इसके अलावा, कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कई उपाय किए गए हैं जिसमें (I) उपकरणों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, नियमित मानीटरिंग, कार्यक्रम के अनुसार यंत्रीकरण और मौजूदा खानों और चल रही परियोजनाओं का कठोर पर्यवेक्षण (II) नई और भावी परियोजनाओं से क्षमता वृद्धि (III) पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण और कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों का समाधान करने के लिए निरन्तर प्रयास करना शामिल है।

विवरण I

2008-09 से 2011-12 के दौरान कोयला एवं कोक का गंतव्य देशवार निर्यात

(मात्रा मिलियन टन में और मूल्य मिलियन रुपए में)

देश	2008-09		2009-10		2010-11		अप्रैल 11 से दिस. 11	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बांग्लादेश पीआर	1.294	2838	1.453	3348	1.162	2472	0.867	2000
नेपाल	0.279	534	0.821	770	0.658	1271	0.327	960
ब्राजील	0.192	4178	0.039	674	0.404	7731	0.317	6717
भूटान	0.207	583	0.077	418	0.141	504	0.128	432
तुर्की	0.000	0	0.000	0	0.079	1465	0.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जापान	0.022	197	0.000	0	0.054	1061	0.000	0
यूएसए	0.001	3	0.005	20	0.037	693	0.001	6
पाकिस्तान आईआर	0.010	74	0.018	279	0.022	412	0.020	502
नीदरलैंड	0.000	0	0.000	0	0.020	357	0.000	1
बहरीन आईएस	0.522	390	0.006	85	0.010	185	0.005	94
कोरिया आरपी	0.009	184	0.003	26	0.007	132	0.003	73
साउथ अफ्रीका	0.000	4	0.002	35	0.004	92	0.000	9
यू अरब ईएमटीएस	0.006	7	0.002	28	0.002	27	0.018	99
श्रीलंका डीएसआर	0.007	17	0.001	16	0.001	24	0.001	22
साउदी अरब	0.001	16	0.000	5	0.001	9	0.003	36
जर्मनी	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
फिनलैंड	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
मिस्र एआरपी	0.000	0	0.000	0	0.000	3	0.000	1
यूके	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0
ईरान	0.000	0	0.005	7	0.000	2	0.080	1678
चीन पीआरपी	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	1
अन्य	0.475	1957	0.146	1411	0.002	14	0.018	105
कुल	3.023	10980	2.578	7122	2.604	16456	1.787	12735

स्रोत : डीजीसीआईएस, वाणिज्यिक मंत्रालय

विवरण II

2008-09 से 2011-12 के दौरान कोयला एवं कोक का स्रोत देशवार आयात

(मात्रा मिलियन टन में और मूल्य मिलियन रुपये में)

देश	2008-09		2009-10		2010-11		अप्रैल 11 से दिस. 11	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इण्डोनेशिया	28.768	126440	32.164	115474	35.944	134788	42.765	198905
आस्ट्रेलिया	19.735	204803	23.142	188108	17.495	185360	20.731	277915

1	2	3	4	5	6	7	8	9
साउथ अफ्रीका	7.093	44981	14.492	62269	11.214	57273	8.561	54580
यूएसए	1.215	16325	1.495	14558	1.947	22899	2.179	28753
चीन पी आरपी	2.127	44509	0.130	2030	0.943	17964	1.128	19923
न्यूजीलैंड	0.840	8863	1.059	9977	0.795	7704	0.688	9450
रूस	0.499	7744	0.734	9899	0.513	5965	1.060	10084
वितनाम एसओसी आरईपी	0.258	3419	0.206	2002	0.282	3523	0.056	1009
फिलिपीन्स	0.194	715	0.671	2235	0.262	802	0.061	208
कोलंबिया	0.001	8	0.177	2594	0.137	1269	0.067	1458
यूके	0.001	12	0.001	25	0.104	1092	0.036	683
जापान	0.070	1008	0.281	4005	0.086	1330	0.336	6710
यूक्रेन	0.000	0	0.126	1132	0.053	600	0.569	8506
लातविया	0.000	2	0.000	2	0.050	528	0.001	10
केन्या	0.000	0	0.000	0	0.050	676	0.000	0
पौलेंड	0.000	0	0.384	5132	0.044	1062	0.085	1973
बोसनिया-हर्जेगोविना	0.000	0	0.000	0	0.029	657	0.000	0
मेस्को	0.000	0	0.000	0	0.022	239	0.016	1275
बेल्जोम	0.000	0	0.000	0	0.021	205	0.005	61
कोरिया आरपी	0.000	0	0.000	0	0.015	372	0.024	230
अन्य	0.085	652	0.547	5668	0.403	2392	1.205	11317
कुल	60.886	459480	75.611	425111	70.408	446699	79.571	631953

स्रोत: डीजीसीआईएस, वाणिज्यिक मंत्रालय

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

172. **श्री राजीव रंजन सिंह** उर्फ **ललन सिंह:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री नलिन कुमार कटील:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2012 में जारी सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की प्रगति को असंतोषजनक बताया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारत सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, 2015 के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की "सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट, 2012" शीर्षक वाले प्रकाशन के अनुसार, एक दशक पूर्व विश्व के नेताओं द्वारा सहमत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) ने महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि:

(i) प्रत्येक क्षेत्र में अति दरिद्रता कम हो रही है। पहले के अनुमान दर्शाते हैं कि वैश्विक गरीबी दर 1990 की दर से आधे से कम गिरकर वर्ष 2010 में 1.25 डॉलर प्रतिदिन हो गई।

(ii) विश्व ने जल के उन्नत संसाधनों तक बिना पहुंच वाले लोगों के अनुपात को आधा करने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है।

(iii) 200 मिलियन झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालो के जीवन में सुधार हुआ है।

(iv) विश्व ने लड़कियों और लड़कों के बीच प्राथमिक शिक्षा में समानता हासिल कर ली है।

(v) बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले अनेक देशों ने सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है।

(vi) बाल उत्तरजीविता की प्रगति गति पकड़ रही है।

(vii) सभी क्षेत्रों में एचआईवी के साथ जीने वाले लोगों के लिए उपचार की पहुंच बढ़ गई।

(viii) विश्व क्षयरोग के प्रसार को कम करने और उसे उलटा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा पर है।

(ix) वैश्विक मलेरिया मौतों में कमी आई है।

रिपोर्ट में कुछ दूसरे पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है जो निम्नानुसार है:

(i) असुरक्षित रोजगार 20 वर्षों में केवल सीमांत रूप से ही कम हुआ है।

(ii) मातृत्व मृत्यु दर में कमी 2015 के लक्ष्य से दूर है।

(iii) जल के उन्नत स्रोतों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कम है।

(iv) भूखमरी वैश्विक चुनौती ही है।

(v) झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

(ग) और (घ) रिपोर्ट राष्ट्र विशिष्ट नहीं है। यह विभिन्न क्षेत्रों के लिए एमडीजी की उपलब्धियां दर्शाते हैं।

(ङ) और (च) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) की मानीटरण प्रणाली का समन्वय करता है और समय समय पर प्रगति रिपोर्ट जारी करता है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2011 केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2011 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार, सभी सूचकों में प्रगति हुई है। चूंकि वर्ष 2015 तक शेष अवधि में और प्रगति की जानी अपेक्षित है, यह आशा की जाती है कि 2015 के लक्ष्यों के संदर्भ में निष्पादन संतोषजनक रहेगा।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान

173. श्री अब्दुल रहमान:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्यों में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों दोनों को अनुदान प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय/कालेज-वार, वर्ष-वार प्रत्येक विश्वविद्यालय और कालेजों के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है/कितना अनुदान प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विश्वविद्यालयों और कालेजों के अनुदानों में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों/कालेजों से अनुदान लौटाने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अन्तर्गत शामिल विश्वविद्यालयों और कालेजों को प्रत्येक योजना अवधि में विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित और संसूचित परिव्ययों के आधार पर सामान्य विकास और अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है। ग्यारहवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को आवंटन, निरीक्षण, समिति, जिसने विश्वविद्यालयों के विभिन्न पणधारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया था, की सिफारिशों के आधार पर किया है इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास निधियों की उपलब्धता को भी आबंटन करने के समय पर ध्यान में रखा जाता था। कॉलेजों को आबंटन, मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत निर्धारित किए गए अनुसार प्रत्येक योजना के अंतर्गत अनुदान की विहित सीमा को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और विशेषज्ञ समितियों के बीच परस्पर बातचीत करके किया गया था।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार का इन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 12वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित परिव्यय, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, के आधार पर अनुदान में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) सामान्यतया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जारी की गई राशियों की किसी वापसी की मांग नहीं करता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन राशियों को अग्रनीत करने की अनुमति दी जाती है। तथापि पिछड़े क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों को विशेष विकास अनुदान जैसी कुछेक योजनाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को कार्य सम्पूर्ण होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण राशि को लौटाने के लिए कहा है।

कृतक बल की सिफारिशों का क्रियान्वयन

174. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
श्री हरिन पाठक:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला आवंटन संबंधी कृतक बल की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा सिफारिशों के कब तक क्रियान्वयन की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से उकाई ताप विद्युत सहित गुजरात को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि पर विचार किया है या विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) केप्टिव विद्युत संयंत्रों, स्पांज ऑयरन और सीमेंट संयंत्रों के संबंध में स्रोतों के योक्तिकीकरण से संबंधित अंतर्मंत्रालयी कार्यबल की सिफारिशों को कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। तथापि, विद्युत उपयोगिताओं जो अंतरसंबद्ध हैं, के स्रोतों के योक्तिकरण से संबंधित सिफारिशों को, कुछ राज्य विद्युत बोर्डो से संबंधित सिफारिश को स्वीकार करने में उनकी अनिच्छा के कारण अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। उक्त को कार्यान्वित करने के लिए कुल मिलाकर सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए सभी संबंधित विद्युत उपयोगिताओं/राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती कि विद्युत उपयोगिताओं से संबंधित सिफारिशों को सीआईएल द्वारा कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) अंतर्मंत्रालयी कार्यबल ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्लयूसीएल) से उकई तापीय विद्युत गृह सहित किसी तापीय विद्युत संयंत्र के लिए कोयले के आवंटन में वृद्धि करने से संबंधित कोई सिफारिश नहीं की है। डब्लयूसीएल, जहां कोई विकास की संभावना नहीं है, में उपलब्ध कोयला पहले ही विभिन्न विद्युत स्टेशनों और अन्य उद्योगों से सम्बद्ध है और इसलिए डब्लयूसीएल से उकई तापीय विद्युत स्टेशन से आपूर्ति किए जा रहे अतिरिक्त कोयले की कोई संभावना नहीं है।

आस्ति देयता प्रबंधन

175. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईआरडीए ने 'लाइफ' और 'नान लाइफ' बीमा कंपनियों द्वारा अपनाए गए आस्ति देयता प्रबंधन कार्यकलापों की रिपोर्टिंग के लिए किसी सुपरिभाषित समान रूपरेखा की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अपनाई गई आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति की रिपोर्टिंग के लिए एक व्यापक रूप से परिभाषित एक समान ढांचे की घोषणा की है। इस ढांचे के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता के पास बीमाकर्त्ता बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलमए पॉलिसी होगी जो आस्ति देयता संबंधों, बीमाकर्त्ता की कुल जोखिम सहिष्णुता, जोखिम और प्रतिफल अपेक्षा, शोध क्षमता स्थिति एवं नकदी अपेक्षाओं पर विचार करेगी।

आगे के विवरण आईआरडीए के परिपत्र सं. में उपलब्ध हैं।

3 जनवरी, 2012 के क्रमश:

आईआरडीए/एसीटीएल/सीआईआर/एएलएम/005/01/2012 और

आईआरडीए/एसीटीएल/सीआईआर/एएलएम/006/01/2012 दोनों में।

[हिन्दी]

आकाश टैबलेट

176. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आकाश के उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए;

(घ) क्या हाल में बाजार में आने वाला आकाश-दो तकनीकी रूप से आकाश-एक से बेहतर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) महोदय, दिनांक 5.10.2011 को कम लागत के एक्सेस-कम-कम्प्यूटिंग डिवाइसिस (एलसीएडी) आकाश को प्रवर्तित करने के बाद, इसके परीक्षण के उद्देश्यार्थ विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में स्थित विभिन्न संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु कुल 366 एलसीएडी का वितरण किया गया था (परीक्षण इत्यादि के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान में रखे गए उपकरण इनमें शामिल नहीं)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान के विद्यार्थियों से प्राप्त व्यक्तिगत फीडबैक प्रपत्रों का अवलोकन करने से उन क्षेत्रों का पता चला जहां सुधार की आवश्यकता थी (i) उपकरण का गर्म होना, (ii) लम्बे समय तक चलने वाली बैटरी की आवश्यकता, (iii) रेजिस्टिव टच स्क्रीन की अपेक्षा कैपेसिटिव की आवश्यकता, (iv) बेहतर प्रोसेसर्स इत्यादि की आवश्यकता। इस मामले को वेंडर के साथ उठाया गया था तथा उनके द्वारा परिवर्तनों यथा लागत में बिना किसी बढ़ोत्तरी के प्रोसेसर को 366 मेगाहर्टज आर्म 11 आधारित प्रोसेसर से 700 मेगाहर्टज आर्म कोर्टेक्स ए 8 प्रोसेसर में स्तरोन्नत करने, फर्मवेयर में सुधार करने तथा 2100 एमएएच बैटरी के स्थान पर 3200 एमएएच क्षमता वाली बैट्री लगाने और रेजिस्टिव टच स्क्रीन के स्थान पर कैपेसिटिव टच स्क्रीन लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। आकाश के उन्नत रूप (जो सरकार द्वारा आपूर्ति के लिए है) का साफ्ट-लांच पहले ही दिनांक 25 जून, 2012 को किया जा चुका है।

[अनुवाद]

सीवीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संगठन

177. श्री पूर्णमासी राम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीवीसी के दायरे में आने वाले संगठनों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मैनुअल का पालन करना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सीवीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संगठनों की स्थितियां या परिस्थितियां क्या हैं जिसके अंतर्गत सीमित निविदा के माध्यम से सामान खरीदा जा सकता है;

(घ) क्या सीवीसी के दायरे में आने वाले संगठनों के लिए खुली निविदा के माध्यम से सामान खरीदना आवश्यक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सीवीसी को इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों द्वारा खुली निविदा की तुलना में सीमित निविदा के माध्यम से संसद सदस्यों के सामान खरीदने के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का मैनुअल, सतर्कता प्रशासन में शामिल अधिकारियों के उपयोग के लिए एक त्वरित संदर्भ पुस्तक है। विभागों/संगठनों को भी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित नियमों को देखने की आवश्यकता होती है। सतर्कता मैनुअल, सरकार द्वारा जारी संबंधित नियमों एवं आदेशों के संदर्भ का विकल्प नहीं बन सकता।

(ग) सामान के सार्वजनिक प्रापण को अभिशासित करने वाला कोई अनन्य कानून नहीं है। हालांकि इस संबंध में समग्र नियम एवं निर्देश सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005 में उपलब्ध है। इन नियमों में वे दिशा-निर्देश भी समाहित हैं जिनके अधीन सीमित निविदा द्वारा सामान का प्रापण किया जा सकता है। इन नियमों के अनुसार, प्रापण किए जाने वाले सामान का अनुमानित मूल्य नियत सीमा में होने पर, सीमित निविदा द्वारा खरीददारी की जा सकती है। यह प्रक्रिया उस स्थिति में भी अपनाई जा सकती है जब अनुमानित मूल्य, कुछ परिस्थितियों जैसे अनिवार्यता, जनहित इत्यादि में नियत सीमा से परे हों।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं आदेशों तथा स्वीकार्य प्रक्रिया अर्थात सामान के प्रापण के समय सीमित या खुल निविदा प्रणाली का पालन करना आवश्यक होता है अर्थात सामान के प्रापण करते समय सीमित या खुली निविदा।

(च) और (छ) आयोग में संसद सदस्यों से प्राप्त, सीमित निविदा द्वारा सामान के क्रय सहित प्रापण एवं निविदा प्रक्रियाओं इत्यादि की कथित अनियमितताओं वाली शिकायतों का निवारण, इसकी शिकायत कार्रवाई नीति के अनुसार किया जाता है। भ्रष्टाचार की विशिष्ट दोषारोपण वाली शिकायतों की जांच-पड़ताल, संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है।

उपभोक्ताओं का सत्यापन

178. श्री के.पी. धनपालन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को समुचित सत्यापन किए बिना लोगों के नाम पर मोबाइल कनेक्शन/सिम कार्ड देने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कंपनी-वार और राज्य-वार ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा अभी तक लगाए गए और उनसे वसूले गए दण्ड का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, हां।

(ख) इन शिकायतों के तहत कवर किए गए कनेक्शनों की संख्या एवं प्राप्त मामलों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कंपनी-वार ब्यौरे

क्र.सं.	लाइसेंसधारक कंपनी का नाम	प्राप्त मामलों की संख्या	इन मामलों में कवर किए गए कनेक्शनों की संख्या
1.	डिनेट वायरलेस लि.	14	2038
2.	भारत संचार निगम लि.	8	59
3.	भारती एयरटेल लिमिटेड	25	756
4.	एच.एफ.सी.एल. इन्फोटेल लि.	1	80
5.	आईडिया सेल्यूलर लि.	18	2649
6.	लूप मोबाइल (इंडिया) लि0	2	2
7.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लि.	14	50619
8.	रिलायंस टेलीकॉम लि.	8	368
9.	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस लि.	5	13
10.	टाटा टेलीसर्विसेस लि.	16	125
11.	वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लि.	2	7
12.	वोडाफोन ऐस्सार स्पेसटेल लि.	20	156
	जोड़	133	56872

लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) वार ब्यौरा

क्र.सं.	एलएसए का नाम	प्राप्त मामलों की संख्या	इन मामलों में कवर किए गए कनेक्शनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1	3
2.	दिल्ली	18	2432
3.	गुजरात	5	204
4.	हरियाणा	2	2
5.	हिमाचल प्रदेश	1	151
6.	जम्मू और कश्मीर	18	376
7.	कोलकाता	3	32
8.	मध्य प्रदेश	32	745
9.	मुंबई	3	2
10.	पूर्वोत्तर	16	1884
11.	पंजाब	5	431
12.	राजस्थान	14	583
13.	तमिलनाडु	4	50000
14.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5	17
15.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1	2
16.	पश्चिम बंगाल	5	8
	जोड़	133	56872

(ग) इन मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर दूरसंचार सेव प्रदाताओं 9टीएसपी) पर करीब 15.5 करोड़ रु. का जुर्माना लगाया गया जिसमें से 2.7 करोड़ रु. की वसूली कर ली गई है। कम वसूली का मुख्य कारण टीएसपी द्वारा जुर्माने की परिकलन करने संबंधी अलग-अलग व्याख्याएं हैं जिससे जुर्माने की राशि पर्याप्त रुप से कम हो गई है। इसके अलावा, गैर-अनुपालनकर्ता नम्बरों के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। जिन मामलों में दस्तावेज संबंधी धोखाधड़ी पाई गई है, उनकी शिकायतें/एफआईआर भी पुलिस में दर्ज करा दी गई हैं।

विदेश में नियोज्याता संबंधी परीक्षा

179. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हर वर्ष उत्तीर्ण होने वाले 605 लाख इंजीनियरिंग स्नातकों में से केवल 25 प्रतिशत ही रोजगार पाने लायक हैं और लगभग दो तिहाई को रोजगार पाने के लिए पुनः कौशल देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) सहित तकनीकी संस्थान छात्रों की नियोज्यता को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में छात्रों को अपने कैरियर के पथ को चुनने में मदद के लिए बाह्य नियोज्यता परीक्षा आयोजित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) इंजिनियरी स्नातकों की नियोज्यता संबंधी आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनाईटी) सहित तकनीकी शिक्षा से छात्रों की नियोज्यता में सुधार करने के लिए बाह्य नियोज्यता परीक्षा को अपनाने का मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि इंजीनियरी स्नातकों की नियोज्यता परीक्षा को अपनाने का मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि इंजीनियरी स्नातकों की नियोज्यता में वृद्धि करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम संस्थाओं द्वारा अपनाया जा रहा है। इंजरीनियरी स्नातकों की नियोज्यता में और वृद्धि करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम की पुनः अभिकल्पना हेतु समिति गठित की है।

उद्योग की आवश्यकता तथा स्नातकों की नियोज्यता में वृद्धि करने के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरी, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला तथा शहरी योजना पाठ्यक्रमों हेतु मॉडल पाठ्यचर्या भी विकसित की है।

गरीबी का आकलन

180. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आज की तारीख तक देश में गरीबी के कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में गरीबी के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए क्या मानदण्ड और प्रणाली अपनाई गई; और

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए प्रतिदिन आवश्यकता वाले उत्पाद की लागत और मात्रा का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किए जाने वाले परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है। एनएसएसओ द्वारा परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़े 2009-10 के दौरान, अपने 66वें दौर में संग्रहित किए गए हैं। 2009-10 के लिए गरीबी रेखाएं तथा गरीबी अनुपात की परिगणना वर्तमान तेंदुलकर पद्धति द्वारा की गई है और इन्हें 19 मार्च, 2012 के प्रेस नोट द्वारा जारी किया गया है। इस प्रेस नोट के अनुसार, 2009-10 में देश में गरीबी अनुपात 29.8 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है।

(ख) योजना आयोग प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के मानदंड के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित करता है। गरीबी का अनुमान लगाने की योजना आयोग की प्रक्रिया इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर आधारित है। गरीबी का अनुमान लगाने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2005 में एक समिति गठित की गई थी। तेंदुलकर समिति ने, 2004-05 के मूल्य पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 579 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की सिफारिश की जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया। तेंदुलकर समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मानदंडात्मक तथा पोषणगत दृष्टियों से व्यय की पर्याप्तता का समावेश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि:

> "कैलोरी के मानदंडों से इतर, प्रस्तावित गरीबी रेखाओं को अनाज, शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में गरीबी रेखा के आसपास प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता की तुलना पोषणगत, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यगत परिणामों संबंधी मानदंडात्मक व्यय की निरन्तरता से जांचते हुए वैध किया गया है।"

परिवार व्यय संबंधी वृहत पतिदर्श सर्वेक्षण प्रत्येक 5 वर्ष पर किए जाते हैं। 2004-05 के बाद, यह सर्वेक्षण 2009-10 में किया गया जिसके परिणामों का उपयोग तेंदुलकर पद्धति का अनुसरण कर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। योजना आयोग ने गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। यह समिति गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और अन्य बातों के साथ इस बारे में भी सिफारिश करेगी कि गरीबी अनुमान को भारत सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए पात्रत तथा हकदारी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए।

(ग) योजना आयोग गरीबी रेखा को जनसंख्या के स्वास्थ्यकर तथा सक्रिय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग वयय स्तर के रूप में परिभाषित करता है। यह उत्पादों की लागत अथवा आजीविका की मात्रा का अलग से आकलन नहीं करता। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय ने अपने परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षणों में नियमित आधार पर विभिन्न मदों के उपभोग के स्तर तथा इसकी पद्धति को उजागर करता है। ये सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के साथ मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

फ्रांस से ईपीआर रिएक्टर

181. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फ्रांस से ईपीआर रिएक्टर खरीदने के अपने निर्णय को स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अधिकारियों का विदेश भ्रमण

182. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि की स्थिति के अनुसार मंत्रालय, विभिन्न विभागों, उपक्रम और इनके तहत अन्य संस्थाओं के किन-किन अधिकारियों ने वर्ष-वार विदेशी दौरे किए हैं और इन्होंने किन देशों का दौरा किया और वे वहां कुल कितने दिनों तक रहे;

(ख) सरकार द्वारा 'ट्रेवलर्स चेक' अथवा नकद के रूप में उन्हें दी गई विदेशी मुद्रा का निवल मूल्य क्या है;

(ग) भुनाने के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए बैंकर्स चेकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन अधिकारियों द्वारा सरकारी निधियों के दुरुपयोग के क्या कारण हैं और उनसे ये पैसे वसूल नहीं करने के क्या कारण है; और

(ङ) दुर्विनियोजित निधि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके कब तक वसूल किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) महोदय, मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के भाग के रूप में कोयला, मंत्रालय तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विदेश दौरे के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I के रूप में दी गयी है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-II के रूप में दी गयी है। मंत्रालय के अंतर्गत अन्य उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय इस मंत्रालय के अधिकारियों को ट्रेवलर्स तथा बैंकिंग चैक अथवा नकद नहीं जारी करता है। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ट्रेवलर्स चैक अथवा नकद के रूप में एनएलसी द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए विदेशी विनिमय की निवल पूंजी 34,57,358/- रुपये है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएलसी में नकदीकरण के लिए प्रस्तुत न किए गए बैंकर्स चैक शून्य है। इस मंत्रालय के अधीन अन्य उपक्रमों तथा संस्थाओं के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। एनएलसी ने भी शून्य सूचना दी है। इस मंत्रालय के अधीन अन्य उपक्रमों तथा संस्थाओं के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

आज की तारीख के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान (अर्थात् 08.08.2009 से 08.08.2012 तक) कोयला मंत्रालय तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विदेशी दौरे का वर्ष-वार विवरण

भाग-क-कोयला मंत्रालय

वर्ष		अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	विदेशी दौरे की अवधि	उस देश का नाम जिसका दौरा किया गया
1		2	3	4
2009	(i)	श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव	30/08/2009-06/10/2009	ऑस्ट्रेलिया
	(ii)	श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक	06/10/2009-07/10/2009	ब्रूसेल्स
	(iii)	श्री पी.आर.मंडल, सलाहकार (परियोजना)	12/10/2009-13/10/2009	स्विटजरलैंड
	(iv)	श्री के.सी. समरिया, निदेशक	08/10/2009-09/10/2009	मास्को
	(v)	श्री के.एन. कोफा, निदेशक	12/10/2009-14/10/2009	इंचियन-कोरिया
	(vi)	श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक	01/12/2009-04/12/2009	ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया
2010	(i)	श्री संदीप गुप्ता अवर सचिव	28/02/2010-13/03/2010	जापान
	(ii)	श्री आनंद प्रकाश, अवर सचिव	28/02/2010-13/03/2010	जापान
	(iii)	श्री कैलाश पति, आर्थिक सलाहकार	फरवरी-मार्च, 2010 (2 सप्ताह की ट्रेनिंग)	लंदन, कोपनहेगन अमेस्टरडम, ब्रूसेल और पेरिस
	(iv)	श्री आलोक परती, अपर सचिव	10/03/2010-12/03/2010	ऑस्ट्रेलिया

1		2	3	4
	(v)	श्री ए.के. ज्योतिषी, निदेशक	10/03/2010-12/03/2010	ऑस्ट्रेलिया
	(vi)	श्री आर.के. महाजन, संयुक्त सचिव	13/04/2010-15/04/2010	ओविडो, स्पेन
	(vii)	श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक	13/04/2010-15/04/2010	ओविडो, स्पेन
	(viii)	श्री आलोक परती, अपर सचिव	15/05/2010-22/05/2010	यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
	(ix)	श्री पी.आर. मंडल, सलाहकार (परियोजना)/ कोयला नियंत्रक	15/05/2010-22/05/2010	यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
	(x)	श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव	15/05/2010-22/05/2010	यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
	(xi)	श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक	07/06/2010-11/06/2010	ऑस्ट्रेलिया
	(xii)	श्री शरद घोड़के, निदेशक	07/06/2010-11/06/2010	ऑस्ट्रेलिया
	(xiii)	श्री आलोक परती, अपर सचिव	10/06/2010-12/06/2010	इंडोनेशिया
	(xiv)	श्री पी.आर.मंडल सलाहकार (पी)	10/06/2010-12/06/2010	इंडोनेशिया
	(xv)	श्री आलोक परती, अपर सचिव	04/09/2010-16/09/2010	यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
	(xvi)	श्री आलोक परती, अपर सचिव	सितम्बर, 2010*	सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) हांकाग सिंगापुर
	(xvii)	श्री शरद घोड़के, निदेशक	27/09/2010-29/09/2010	कनाडा
	(xviii)	श्री ए.के. भल्ला, संयुक्त सचिव	30/09/2010-08/10/2010	लंदन (ग्रेट ब्रिटेन) यूएसए
	(xix)	श्री आलोक परती, अपर सचिव	01/10/2010-07/10/2010	यूएसए फ्रांस हांगकांग
	(xx)	श्री ए.के.भल्ला, संयुक्त सचिव	14/10/2010-15/10/2010	सिंगापुर
	(xxi)	श्री पी.आर. मंडल सलाहकार (पी)	19/10/2010-21/10/2010	चीन
2011	(i)	श्री आर.के. महाजन संयुक्त सचिव	05/01/2011-12/01/2011	साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक
	(ii)	श्री दलजीत सिंह चौधरी कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव	05/01/2011-12/01/2011	साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक
	(iii)	श्री पी.आर. मंडल सलाहकार (पी)	05/01/2011-12/01/2011	साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक
	(iv)	श्री एन.सी. जोशी उपनिदेशक (मीडिया एंड संचार) पीआईबी (कोयला मंत्रालय से संबद्ध)	05/01/2011-12/01/2011	फ्रांस
	(v)	श्री के.सी. समरिया, निदेशक	26/04/2011-06/05/2011	ऑस्ट्रेलिया
	(vi)	श्री श्री. ए.के. भल्ला, संयुक्त सचिव	16/05/2011-19/05/2011	ऑस्ट्रेलिया
	(vii)	श्री आलोक परती, अपर सचिव	13/06/2011-22/06/2011	चेक गणराज्य, बेलारूस, पौलेंड

1		2	3	4
	(viii)	श्री श्री डी.एन. प्रसाद, निदेशक	13/06/2011-22/06/2011	चेक गणराज्य, बेलारूस, पौलेंड
	(ix)	श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला राज्य मंत्री (स्वंत्रत) प्रभार) के निजी सचिव	13/06/2011-22/06/2011	चेक गणराज्य, बेलारूस, पौलेंड
	(x)	श्री ए.के भल्ला, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	11/09/2011-16/09/2011	तुर्की
	(xi)	श्री श्री डी.एन प्रसाद, निदेशक, कोयला मंत्रालय	11/09/2011-16/09/2011	तुर्की
	(xii)	श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला राज्य मंत्री (स्वंत्रत) प्रभार) के निजी सचिव	11/09/2011-16/09/2011	तुर्की
	(xiii)	श्री शरद घोड़के, निदेशक	15/09/2011-23/09/2011	यूनाईटेड किंगडम
2012	(i)	श्री डी.एन प्रसाद, निदेशक	22/02/2012-24/02/2012	ऑस्टेलिया
	(ii)	श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव	09/07/2012-11/07/2012	यूनाईटेड किंगडम
	(iii)	श्री डी.एन. प्रसाद, सलाहकार (पी)	09/07/2012-11/07/2012	यूनाइटेड किंगडम
	(iv)	श्री आलोक परती, सलाहकार, कोयला मंत्रालय	01/08/2012-04/08/2012	सिंगापुर, हांगकांग
	(v)	श्री ए.के. भल्ला, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय	01/08/2012-04/08/2012	सिंगापुर, हांगकांग
	(vi)	श्री दलजीत सिंह चौधरी, कोयला मंत्री के निजी सचिव	01/08/2012-04/08/2012	सिंगापुर, हांगकांग
	(vii)	श्री एस.के. श्रीवास्तव, सचिव (कोयला)	04/08/2012-06/08/2012	ऑस्ट्रेलिया

भाग-कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारिगण

वर्ष		कोयला मंत्रालय के सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	विदेशी दौरे की अवधि	उप देश का नाम जिसका दौरा किया गया
2009	(i)	श्री पी.एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष, सीआईएल-कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता	30/08/2009-06/10/2009	ऑस्ट्रेलिया
2010	(i)	श्री पी.एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक कोल इंडिया लि., कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता	15/05/2010-22/05/2010	यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
2011	(i)	श्री पी.एस. भट्टाचार्य अध्यक्ष, कोल इंडिया लि., कोल इंडिया लिमिटेड	05/01/2011-12/01/2011	साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक
	(ii)	श्री एन.सी. झा, अध्यक्ष, कोल इंडिया लि.,	13/06/2011-22/06/2011	चेक गणराज्य, बेलारूस, पौलेंड
	(iii)	श्री एन.सी. झा, अध्यक्ष, कोल इंडिया लि.,	11/09/2011-16/09/2011	तुर्की
2012	(i)	श्री एस. नरसिंग राव, अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक, कोल इंडिया लि.,	01/08/2012-04/08/2012	सिंगापुर, हांगकांग

विवरण II

नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में सूचना

क्र.सं.	नाम	पद नाम	कब से	कब तक	देश/स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुगुमार सी	सी.एम.	22.03.2009	04.04.2009	जर्मनी
2.	श्री धनाशेकरन जे	सी.एम.	03.05.2009	16.05.2009	जर्मनी
3.	श्री काशीनाथन एम	सी.एम.	14.06.2009	27.06.2009	जर्मनी
4.	श्री कुमारागुरू जेबी	डी.जी.एम	24.08.2009	20.09.2009	गुड़गांव, भारत में मोडयूल- i (1 एवं 2 सप्ताह), यूरोप में मोड्यूल-ii (3 एवं 4 सप्ताह)
5.	श्री जयारमन एस.	डी.जी.एम	24.08.2009	20.09.2009	गुड़गांव, भारत में मोडयूल- i (1 एवं 2 सप्ताह), यूरोप में मोड्यूल-ii (3 एवं 4 सप्ताह)
6.	श्री सुरेन्द्र मोहन बी	डी.एम	22.09.2009	24.09.2009	वाशिगंटन डीसी
7.	श्री सुरेश आर	जी.एम	28.09.2009	03.10.2009	मास्को
8.	श्री अंसारी ए. आर	सी.एम.डी.	28.09.2009	03.10.2009	मास्को
9.	श्री शिवागननम बी	ई.डी	28.09.2009	03.10.2009	मास्को
10.	श्री सनमुगासुन्दरम पीटी	सी.जी.एस. (एम)	04.10.2009	10.10.2009	थिम्फू, भूटान
11.	श्री कन्दासमी आर.	डी.पी.एंड पी.	08.03.2010	10.03.2010	ऑस्ट्रेलिया
12.	श्री सुरेन्द्र मोहन बी	डी.एम.	19.05.2010	20.05.2010	यूएसए
13.	श्री विधागिरी पी		09.08.2010	20.08.2010	ऑस्ट्रेलिया
14.	श्री कन्नान जी	सी.एम.	17.01.2011	30.01.2011	साउथ कोरिया
15.	श्री अंसारी ए.आर.	सी.एम.डी.	13.06.2011	22.06.2011	पराग्वे, मिंस्क, वरसाव
16.	श्री सरत कुमार आचार्य	डी.पी.	21.07.2011	25.07.2011	सिंगापुर
17.	श्री अंसारी ए.आर.	सी.एम.डी.	14.09.2011	16.09.2011	इस्ताबुल, तुर्की,
18.	श्री रामा	ई.डी.	26.09.2011	30.09.2011	इसेन रेन और रूहर एरिया जर्मनी
19.	श्री रविशंकर एस	डीजीएम	05.02.2012	15.02.2012	चीन
20.	श्री शिवाप्रसाद एस.आर.	डीजीएम	05.02.2012	15.02.2012	चीन
21.	श्री चिन्नापन एस.	सीएम	05.02.2012	15.02.2012	चीन
22.	डा. सन्तानम एस.	डीजीएम	06.03.2012	14.03.2012	जापान

1	2	3	4	5	6
23.	श्री कृष्णान एम.	सीएम	06.03.2012	14.03.2012	जापान
24.	श्री कन्दासमी आर.	निदे./पीएंडपी	24.04.2012	30.04.2012	आस्ट्रेलिया
25.	श्री सीतारमन आर.	सीजीएम	24.04.2012	30.04.2012	आस्ट्रेलिया
26.	डा. सन्तानम एस.	डीजीएम	24.04.2012	30.04.2012	आस्ट्रेलिया
27.	श्री शंकरा नारायण एस.	जीएम	20.05.2012	30.05.2012	चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया
28.	श्री रविशंकर एस.	डीजीएम	20.05.2012	30.05.2012	चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया
29.	श्री शंकरन एस.	डीजीएम	20.05.2012	30.05.2012	चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया
30.	श्री सोल्लिन सिलवेन पी.	डीजीएम	21.06.2012	25.06.2012	चीन
31.	श्री गोविन्दन एम.	सीएम	21.06.2012	25.06.2012	चीन

[अनुवाद]

अंतरिक्ष विज्ञान में विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां

183. श्री अशोक तंवर: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में अध्ययन हेतु विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं; और

(घ) इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं। वर्तमान में अंतरिक्ष विभाग ने अध्ययन के लिए विदेश जाने हेतु छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्तियां कायम नहीं की हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में एसबीआई के एटीएम सेंटर

184. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित देश के आदिवासी और सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं और एटीएम सेंटर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) गैर सरकार क्षेत्र के बैंको (आरआरबी को छोड़कर) सहित घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (i) टीयर 2 से 6 केन्द्रों (99,999 तक की जनसंख्या वाले) में जिनमें ग्रामीण केन्द्र भी शामिल है और (ii) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी और शहरी केन्द्रों में रिपोर्टिंग के अध्यधीन शाखाएं/मोबाइल शाखाएं/प्रशासनिक शाखाएं/सीपीसी (सेवा शाखाएं) खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। गैर सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे सतत आधार पर अपनी कुल शाखाओं की 25% 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले अर्द्ध-शहरी केन्द्रों और ग्रामीण केन्द्रों में खोले। यह उनको बैंकिंग लाइसेंस देने में विहित शर्तों में से एक है।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अपनी शाखा प्राधिकार नीति में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना तैयार करते समय वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25% बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (टीयर 5 और टीयर 6) को आबंटिक करें। मौजूदा शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार ग्रामीण और कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने पर विशेष जोर दिया गया है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रिपोर्टिंग के अध्यधीन आरबीआई की पूर्व अनुमति लिए बिना अपनी पसन्द के स्थानों पर स्थलेतर एटीएम/मोबाइल एटीएम संस्थापित करने की सामान्य अनुमति दी गई है। बैंक अपने ग्राहकों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए सतत आधार पर शाखाएं/एटीएम खोल रहे हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने यह सूचित किया है कि तीन राज्यों में कार्यरत भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं तथा भारतीय स्टेट बैंक के संचालनीय एटीएम की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	कार्यरत शाखाओं की संख्या	संचालनीय ए.टी.एम. की संख्या
गुजरात	1159	1586
झारखण्ड	466	547
मध्य प्रदेश	1024	1572

[अनुवाद]

मनुस्मृति श्लोक

185. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेजों के संस्कृत विभाग में नियमित पाठ्यक्रम में मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ समुदायों विशेष रूप से दलित समुदाय को अपमानित करने वाले श्लोक भी उक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्यत्र जहां भी यह पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, से मनुस्मृति को वापस लेने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बी.ए. कार्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए मनुस्मृति के अध्याय-2 के प्रथम 40 श्लोकों को 'संस्कृत विषय पाठ्यक्रम' में निर्धारित किया गया है, जबकि एम.ए. (संस्कृत) के विद्यार्थियों जो अपने विकल्प के रूप में वैकल्पिक ग्रुप ई (धर्म शास्त्र) का विकल्प देते हैं. उनसे संपूर्ण मनुस्मृति का अध्ययन करना अपेक्षित होता है। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों के बारे में कहा जा सकता है कि उनमें उस समय के सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है जो दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 और उसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिासित है। अधिनियम के अंतर्गत, विश्वविद्यालय सांविधिक निकायों के अनुमोदन से अध्ययन के एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य विवरण को अंतिम रूप देने में सक्षम है और मंत्रालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि मनुस्मृति मनु काल में प्रचलित समाज के न्यायशास्त्र और धर्म तंत्रात्मक संगठनों के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पाठ्यसामग्री है। इस प्रकार की पाठ्य-सामग्री आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि विभिन्न पाठ्य-सामग्रियों के प्रतिपादन के जरिए इसका प्रयास है कि यह अपने विद्यार्थियों में सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान, समानता, सामाजिक न्याय के मूल्यों की स्थापना करें और अपने विद्यार्थियों से आशा करती है कि वे पाठ्य-सामग्री के ऐसे भागों, जो अन्य व्यक्तियों के हितों और मर्यादाओं के लिए हानिकारक हो सकते हैं, के बारे में एक समीक्षापरक एप्रोच को अपनाएं।

तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा संबंधी कार्यविधि

186. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेंदुलकर समिति द्वारा संस्तुत कार्यविधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) 2009-10 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार तेंदुलकर समिति कार्यविधि द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए किसी गरीबी रेखा का आंकलन किया गया है;

(ग) 2004-05 के एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार तेंदुलकर समिति कार्यविधि द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए किस गरीबी रेखा का आंकलन किया गया है;

(घ) केन्द्र और राज्य सरकार की वे कौन सी योजनाएं हैं जिसके लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा का उपयोग किया गया है; और

(ङ) वे अन्य क्षेत्र कौन से हैं जहां योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा का उपयोग किया जा रहा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) पारम्परिक रूप से योजना आयोग द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के मानदंड पर ही गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। गरीबी आकलन प्रक्रिया की योजना आयोग द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई है।

1977 में योजना आयोग ने न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी उपभोग मांग संबंधी कार्यबल (अलघ समिति) का गठन किया था जिसने 1973-74 के मूल्य पर राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपए प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपए प्रतिमाह के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। वे गरीबी रेखाएं सभी राज्यों के लिए समान रूप में परिभाषित किया। वे गरीबी रेखाएं सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किले कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी के मानदंड पर आधारित वस्तुओं और सेवाओं के अनुरूप हैं। तदुपरांत, 1989 में गठित गरीबों के समानुपात तथा उनकी संख्या के आकलन संबंधी विशेषज्ञ समूह (लकड़ावाला समिति) ने अलघ समिति द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा को ही बनाए रखा और अंतर-राज्यिक मूल्य अंतरों को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य-विशिष्ट की गरीबी रेखाओं में अलग-अलग कर दिया।

तेंदुलकर समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने लकड़ावाला पद्धति का अनुसरण कर, 2004-05 में 25.7 प्रतिशत के शहरी प्रति व्यक्ति अनुपात को शुरुआती बिंदु माना। इसने इस अनुपात के संदर्भ में मिश्रित रीकॉल अवधि आधारित एमपीसीई का उपयोग शहरी क्षेत्रों में नव संदर्भ गरीबी रेखा बास्केट (पीएलबी) के रूप में किया और सिफारिश की कि गरीबी रेखा को पुनर्गणना इस प्रकार की जाए कि उससे उसी पीएलबी का ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे का मूल्य परिलक्षित हो। तंदुलकर समिति की कार्यपद्धति के आधार पर, 2004-05 में अखिल भारतीय आधार पर गरीबी रेखा की गणना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446.68 रुपए प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 578.80 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में की गई। तेंदुलकर समिति ने मानदंडात्मक तथा पोषणगत दृष्टियों से व्यय की पर्याप्तता का समावेश किया है। समिति का कहना है कि:

कैलोरी के मानदंडों से इतर, प्रस्तावित गरीबी रेखाओं को अनाज, शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में, गरीबी रेखा के आसपास प्रति व्यक्ति वास्तविक गरीबी निजी व्यय की पर्याप्तता की तुलना पोषणागत, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यगत परिणामों संबंधी मानदंडात्मक व्यय की निरंतरता से जांचते हुए वैध किया गया है।

योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा की परिगणना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2009-10 के दौरान, तेंदुलकर समिति का अनुसरण कर अपने 66वें दौर में संग्रहित परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत सर्वेक्षण के आधार पर की है। इन्हें 19 मार्च, 2012 को प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया गया। इस प्रेस नोट के अनुसार, 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रु. प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा माना गया है।

योजना आयोग ने गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। यह समिति गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और अन्य बातों के साथ इस बारे में भी सिफारिश करेगी कि गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और अन्य बातों के साथ इस बारे में भी सिफारिश करेगी कि गरीबी अनुमान को भारत सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए पात्रता तथा हकदारी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए।

(घ) और (ङ) सामान्यतः स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न गरीबी-उन्मूलन स्कीमों के लिए लाभार्थियों के चयन के लिए गरीबी रेखा का भी एक मानदंड के रूप में उपयोग किया जाता है।

और अधिक उपग्रह प्रक्षेपण स्थलों की स्थापना

187. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक उपग्रह प्रक्षेपण स्थलों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) नए प्रक्षेपण स्थल की आवश्यकता का आकलन करने हेतु प्रारंभिक अध्ययन किए जा रहे हैं।

समान कार्य के लिए समान वेतन

188. श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री सी.आर. पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय से अवगत है जो निजी असहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के बीच के वेतनमान में समानता नहीं हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार कानून बनाने का है तथा राज्यों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी हां। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सहायता रहित निजी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियोजित अध्यापकों के वेतन में कोई समानता नहीं हो सकती है क्योंकि किसी भी सहायता रहित निजी स्कूल के अध्यापक के वेतन और भत्ते स्कूल और अध्यापक के बीच अनुबंध का मामला है और यह सार्वजनिक कानून के भीतर नहीं आता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 39 में यह व्यवस्था है कि राज्य पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त करने के प्रति अपनी नीति निर्देशित करेगा और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भीतर आता है। अध्यापक का वेतन और भत्ते राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23(3) के माध्यम से दोहराया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि अध्यापक को संदेय वेतन और भत्ता और उसकी सेवा के नियम एवं शर्तें वैसी ही होंगी, जैसी कि समुचित सरकार द्वारा विहित की जाती हैं।

ईंधन पर राज्यों द्वारा लगाया गया शुल्क

189. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आम आदमी को राहत पहुंचाने और हाल ही में हुई मूल्य-वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए डीजल, केरोसीन, पेट्रोल और रसोई गैस पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को कम करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। वित्त मंत्री ने 01 जून, 2012 को सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में राज्यों द्वारा लगाए जा रहे बिक्री कर/वैट को कम किए जाने और इस कर को यथामूल्य आधर पर वसूल किए जाने के बजाय प्रति लीटर की विशेष दर में परिवर्तित किए जाने का भी अनुरोध किया था।

गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जून, 2008 से पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर कम करके पहले ही 3 प्रतिशत कर दी गई है। राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख करते हुए विशेष शुल्क व्यवस्था को अपनाने की अनिच्छा व्यक्त की है कि असाधारण महंगाई के दौर में विशिष्ट कराधान संरचना स्कीमों को अपनाया जाना उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल होगा।

उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य सरकार ने सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जा रहे शुल्क की दरें अन्य राज्यों के साथ पहले से ही तुलनीय हैं और राज्य की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष शुल्क संरचना को अपनाया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

[हिन्दी]

'सेबी' द्वारा फोन-टैपिंग

190. श्री कामेश्वर बैठा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पूर्वानुमति के बिना फोन-टैपिंग करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधि-आबंटन बढ़ाना

191. डॉ. कृपारानी किल्ली: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के पिछड़े जिलों हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आबंटन को बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी जिलों में संतुलित ढंग से विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) अनेक केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि के मानदंड/दिशानिदेश विशिष्ट संकेतकों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों के पक्ष में निर्धारित किए गए हैं। पिछड़े जिलों के लिए आवंटन में वृद्धि, विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के लिए उपलब्ध आवंटन तथा संबंधित केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के तहत स्थानिक वितरण के मानदंडों पर निर्भर करेगी।

सामान्य केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की स्कीम है, को चिन्हित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में विकास में कमियों को पूरा करने के लिए 2006-07 में शुरू किया गया था और यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन थी। बीआरजीएफ के दो घटक हैं अर्थात (1) जिला घटक जिसमें 27 राज्यों के 272 जिले शामिल हैं, तथा (2) राज्य घटक जिसमें बिहार के लिए विशेष योजना, ओडिशा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना, पश्चिम बंगाल के लिए विशेष योजना, बुंदेलखंड पैकेज तथा 82 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एककृत कार्य योजना शामिल हैं।

पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में संतलित ढंग से विकास करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में योगदान को जारी रखने के लिए अन्य केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस)/फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अतिरिक्त 2012-13 में बीआरजीएफ के कार्यान्वयन को इसके वर्तमान रूप में जारी रखने का प्रस्ताव है। सरकार की समस्त नीतियों का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकरों के परामर्श और सहयोग से पूरे देश में संतुलित विकास को सुसाध्य बनाया जाए।

जीवन निर्वाह संबंधी कार्यक्रमों में निवेश

192. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जीनव-निर्वाह कार्यक्रमों के संबंध में राज्य-वार क्या-क्या भौतिक और वित्तीय कदम उठाए गए तथा क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की गईं; और

(ख) क्षमता निर्माण हेतु निवेश, बाजारों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा हेतु सरकारी सहायता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) विकास के लाभ गरीबों तक सही ढंग से पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में बहुकारी कदम उठाए हैं जो रोजगार आधार को मजबूत बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यान्वयनाधीन है। विगत तीन वर्षों अर्थात 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रमुख रोजगार कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की उपलब्धियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कौशल विकास संबंधी समन्वय कार्रवाई हेतु त्रिस्तरीय संस्थागत संरचनाएं बनाई गई हैं जिसमें शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद है। आरंभ में ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों और कामगारों के लिए कौशल विकास हेतु उद्योग, राज्य सरकार और विशेषज्ञों के साथ गहन परामर्श के बाद एक नई कार्यनीति रूपरेखा तैयार की गई है। उद्योग के साथ सीधे सम्पर्क से क्षमता निर्माण कार्यकलापों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरएसबीवाई आदि जैसे कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य	मनरेगा						एसजीएसवाई					
	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)			कुल व्यय			कुल संवितरित ऋण	कुल संवितरित सब्सिडी	कुल संवितरित ऋण	कुल संवितरित सब्सिडी	कुल संवितरित ऋण	कुल संवितरित सब्सिडी
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10		2010-11		2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	4044.30	3351.61	2884.75	450918.00	543938.55	417791.65	28826.68	9608.72	35105.72	10524.5	15256.89	5282.6
अरुणाचल प्रदेश	16.98	31.12	0.53	1725.74	5057.31	95.07	155.32	143.92	64.84	78.14	44.9	41.45
असम	732.95	470.52	352.55	103389.70	92104.35	74721.26	33639.87	19033.18	23271.84	13761.35	26700.27	12657.84
बिहार	1136.88	1602.62	656.52	181687.83	266425.17	132128.96	26472.16	19674.63	27267.94	17604.34	17845.3	10254.02
छत्तीसगढ़	1041.57	1110.35	1206.85	132266.65	163397.81	203660.6	13955.75	5791.22	14692.7	5969.94	16715.27	8917.82
गुजरात	585.09	491.84	312.93	73938.25	78822.00	65888.11	9682.95	4360.1	8280.02	4288.88	8199.97	3194.84
हरियाणा	59.04	84.20	109.38	14355.28	21470.43	31251.6	7383.09	2365.63	9435.9	3462.28	8769.64	2391.68
मध्य प्रदेश	284.94	219.46	266.77	55655.76	50196.38	50730.15	4281.73	971.51	5187.14	901.99	5821.39	859.14
जम्मू और कश्मीर	128.71	210.68	201.85	18531.34	37776.70	40124.88	1396.3	395.41	1633.24	377.27	1166.05	318.03
झारखंड	842.47	830.90	609.12	137970.19	128435.40	116796.6	13650.16	8679.24	13047.48	8081.69	9666.44	5904.97
कर्नाटक	2003.43	1097.85	701.24	273919.35	253716.51	163204.82	20693.91	7492.08	24858.62	8076.6	25598.77	7367
केरल	339.71	480.34	633.15	47151.35	70434.07	99414.47	10809.22	3608.2	11824.7	4312.01	10696	3864.89
मध्य प्रदेश	2624.00	2198.18	1642.64	372228.08	363724.90	329633.35	30259.17	15374.6	30174.33	11543.88	27647.3	10213.64
महाराष्ट्र	274.35	200.00	73421	32109.32	35811.97	158544.82	29862.06	20889.33	31195.71	13890.7	37466.78	14796.89
मणिपुर	306.18	295.61	223.97	39316.87	44070.51	29515.66	500.4	367.83	11.15	87.33	0	57.5
मेघालय	148.48	199.81	169.94	18352.79	31902.39	29857.83	226.15	432.4	491.77	346.27	265.6	460.11
मिजोरम	170.33	165.98	125.43	23823.99	29315.12	22322.28	148.85	226.23	168.4	245.08	131.65	175.66
नागालैंड	284.27	334.34	259.50	49945.76	60537.48	49734.45	162.49	282.01	157.51	263.86	150	247.8
ओडिशा	554.09	976.57	453.75	93898.37	153314.26	104484.88	28887.23	11663.55	29730.01	11960.65	30572.07	11837.98
पंजाब	77.17	75.40	64.51	14991.96	16584.21	15970.34	4278.23	1458.76	4374.19	1270.14	3571.77	949.16
राजस्थान	4498.10	3026.22	2119.14	566903.40	328907.14	318122.73	20602.66	6957.58	23776.49	6869.66	27525.07	6839.99
सिक्किम	43.27	48.14	32.85	6408.99	8525.72	4826.97	248.42	142.95	271.01	175.1	198.73	166.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु	2390.75	2685.93	3015.79	176123.49	232331.96	292321.51	30996.18	7196.01	34142.33	8723.15	21923.04	6940.48
त्रिपुरा	460.22	374.51	489.74	72940.80	63186.85	94221.58	4387.56	1420.21	5340.43	2399.22	2880.05	1098.58
उत्तर प्रदेश	3559.23	3348.97	2664.45	590003.87	563120.10	199036.81	94447.18	40216.29	101543.53	38316.3	116115.27	43889.98
उत्तराखंड	182.41	230.20	197.45	28309.06	38019.88	39969.35	5536.06	1803.79	6406.48	2082.52	5681.4	1776.66
पश्चिम बंगाल	1551.68	1553.08	1484.74	210898.16	253246.13	283111.91	22579.81	5400.06	15623.71	5603.17	18788.83	6835.32
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.83	4.03	8.17	1226.12	903.66	1562.93	16.07	18.54	26.41	24.53	4.5	19.85
दादरा और नगर हवेली	0.70	0.47	0.00	133.95	123.00	0	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	1.85	3.70	3.11	470.12	993.28	698.28	248.89	55.82	277.05	51.79	115.03	51.66
लक्षद्वीप	1.41	1.34	1.64	201.48	251.70	161.63	0	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	9.07	11.27	10.79	726.90	1082.11	1017.56	367.1	183.35	216.9	118.85	362.25	178.93
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0						
कुल	28359.46	25715.24	21634.43	3790522.78	3937727.05	3670733.07	444702.64	196213.13	458597.52	181411.19	439900.21	167590.19

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में लचीलापन

193. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के साथ और अधिक लचीलापन बरतने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे उक्त राज्य को कार्यक्रम में शामिल न किये गये तात्कालिक प्रकृति के कार्यो को करने में कितनी मदद मिल सकेगी ताकि लक्ष्य पूरा हो सके;

(घ) क्या प्रत्येक मंत्रालय में आवश्यकता के अनुरूप सुनम्य निधियां सृजित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे बार-बार केन्द्र की स्वीकृति लिए बगैर राज्य में स्थित परियोजनाओं के समयबद्ध और सकारात्मक निस्पादन हेतु कहां तक मदद मिलेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) का लचीलापन, पैमाना और कुशलता बढ़ाने के लिए इनकी पुनर्संरचना करने के मुद्दे की जांच करने हेतु योजना आयोग ने श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ग) ऐसे कार्य जो कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, वे समिति की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(घ) से (च) समिति ने छत्तीसगढ़ राज्य सहित सभी राज्यों को सीएसएस के भौतिक और वित्तीय मानदंडों में लचीलापन प्रदान करने की सिफारिश की थी ताकि राज्य सरकारों को अपनी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने हेतु समर्थ बनाया जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सभी फ्लैगशिप स्कीमों के बजट आवंटन का 10 प्रतिशत और अन्य सीएसएस का 20 प्रतिशत, फ्लेक्सी निधियों के रूप में उद्दिष्ट किया जाना चाहिए जिसका राज्य सरकारों द्वारा सीएसएस की उप-स्कीमों अथवा घटकों के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसके लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा दिशानिर्देश अधिसूचित किए जाने चाहिए।

सर्व-शिक्षा अभियान

194. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व-शिक्षा अभियान परियोजना के प्रारंभ की घोषणा के समय यदि संबंधित राज्य सरकार विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करा रही हो, तो फिर सर्व-शिक्षा अभियान के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर होने वाले व्यय को इसके बजट में शामिल करने का प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उक्त राज्य सरकारें एक प्रकार से दण्डित नहीं होती;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त मानकों को परिवर्तित करके बिना आबंधन के सभी राज्यों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के बजट में (पाठ्य पुस्तकों) के नि:शुल्क वितरण पर होने वाले व्यय को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का उक्त संबंध में गुजरात राज्य सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निधियां प्रारंभिक शिक्षा पर राज्यों किए जाने वाले स्वयं के व्यय के अतिरिक्त हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

शिकायत दर्ज करने संबंधी तंत्र

195. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. का शिकायत प्राप्ति तंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जिसके कारण उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) बी.एस.एन.एल. द्वारा विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खराब टेलीफोन और ब्रॉडबैंड-सेवाओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त की गई;

(घ) क्या शिकायत दर्ज करने की प्रणाली का कार्य बी.एस. एन.एल. द्वारा किसी बाह्य एजेंसी को सौंपा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निबंधनों एवं शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए प्रभार स्वरूप कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) जी, नहीं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का शिकायत प्राप्ति तंत्र सामान्यत: ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। बीएसएनएल के सभी दूरसंचार सर्किलों/बिलों में कंप्यूटरीकृत दोष सुधार सेवा (एफआरएस)/इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) के साथ बीएसएनएल में एक सुदृढ़ शिकायत निपटान तंत्र प्रणाली स्थापित की गई है और यह सामान्यत: संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, यदि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण कंप्यूटरीकृत सेवा अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होती है तब भी प्रत्येक एक्सचेंज में शिकायतों की बुकिंग की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, कॉल सेंटरों पर शिकायतों की बुकिंग के लिए विभिन्न नि:शुल्क नंबर उपलब्ध हैं। शिकायत निटान तंत्र भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित किए गए सेवा की गुणवत्ता संबंधी पैरामीटरों को सामान्यत: पूरा कर रहा है। बीएसएनएल के पास अपने ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक सर्किल में जन शिकायत प्रकोष्ठ भी है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) बीएसएनएल द्वारा प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) दोषयुक्त लैंडलाइन टेलीफोन सेवाओं के मामले में प्राप्त कुल शिकायतें:

वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
2010-11	7932209
2011-12	7075140
2012-13 (जून, 2012 तक)	3186710

(ii) दोषयुक्त ब्रॉडबैंड सेवाओं के मामले में प्राप्त कुल शिकायतें:

वित्तीय वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
2010-11	2420840
2011-12	2358666
2012-13 (जून, 2012 तक)	573912

(घ) और (ङ) लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड शिकायतों को कंप्यूटरीकृत दोष सुधार प्रणाली/इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पांस प्रणाली (एफआरएस/आईवीआरएस) द्वारा निपटाया जा रहा है जिसका रखरखाव बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है।

मोबाइल सेवाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रणाली प्रमुखत: जोनल कॉल सेंटरों के माध्यम से कार्य कर रही है जिसे आऊटसोर्स किया जाता है। अनुमोदित फर्मों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जोन	जिसको आऊटसोर्स किया गया	दरें (रुपए प्रति कनेक्ट मिनट)	
			आईवीआरएस द्वारा जवाब	एजेंट द्वारा जवाब
1.	पूर्व	मै. स्पर्श बीपीओ सर्विसेज लि. गुड़गांव	0.1755	1.17
2.	उत्तर	मै. स्पर्श बीपीओ सर्विसेज लि. गुड़गांव	0.25	1.15
3.	दक्षिण	मै. स्पर्श बीपीओ सर्विसेज लि. गुड़गांव	0.1755	1.17
4.	पश्चिम	मै. स्पर्श बीपीओ सर्विसेज लि. गुड़गांव	0.1680	1.12

कार्य निष्पादन आधारित परिणाम मूल्यांकन

196. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य-निष्पादन आधारित परिणाम मूल्यांकन की प्रणाली आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो बेहतर शासन की दिशा में इस प्रणाली के अंतर्गत किस ढंग से प्रोत्साहन किए जाने की योजना है;

(ग) किन-किन विभागों में बेहतर वित्तीय अनुशासन और बजट परिव्यय का उपयोग पाया गया है;

(घ) क्या रेल विभाग के कार्य-निष्पादन और वित्तीय अनुशासन का कोई अध्ययन किया गया है चूंकि इसका अपना पृथक बजट होता है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान रेलवे को प्रदान की गई बजटीय-सहायता और इसके द्वारा प्रदत्त लाभांश क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है।

(ग) ऐसा कोई तुलनात्मक गुणात्मक आकलन नहीं किया गया है।

(घ) रेलवे अपने वित्तीय निष्पादन की रिपोर्ट संसद और वित्त मंत्रालय को नियमित रूप से भेजता है। रेल बजट की संवीक्षा संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जाती है और वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है तथा इन्हें लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाता है। इसके एक अलग बजट के बावजूद, रेलवे के कार्यकरण को निर्धारित को प्रस्तुत किया जाता है। इसके एक अलग बजट के बावजूद, रेलवे के कार्यकरण को निर्धारित सरकारी वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ङ) रेलवे को बजटीय सहायता और इसके द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रदत्त लाभांश निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
रेलवे को बजटीय सहायता	8668	10110	17716	19485	21324
रेलवे द्वारा प्रदत्त लाभांश	4903	4718	5543	4941	5655 (अनंतिम)

मानवसहित और मानवरहित अंतरिक्ष-यान भेजना

197. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिक्ष में मानवरहित यान भेजने के सरकार के कार्यक्रम के 12,400 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय को संशोधित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्ष 2013 तक मानवरहित अंतरिक्ष-यान और 2014-15 तक मानवसहित अंतरिक्ष यान भेजने का कार्यक्रम बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने वर्ष 2009 में प्रारंभिक रूप में 12,400 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत वाले मानवसहित अंतरिक्ष-यान कार्यक्रम के प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया है।

(ग) और (घ) इस समय, सरकार ने केवल मानवरहित अंतरिक्ष यान भेजने हेतु अपेक्षित कुछ क्रांतिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर ही विचार किया है।

अध्यापकों/व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति आयु

198. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अध्यापकों/व्याख्याताओं/प्राध्यापकों की वर्तमान सेवानिवृत्ति-आयु को बढ़ाने का कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाली उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा संबंधी केन्द्रीय संस्थाओं में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को मार्च, 2007 में बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है।

[हिन्दी]

आदिवासी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड

199. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)-धारक आदिवासियों की राज्य-वार, जिला-वार और ब्लॉक-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने प्रतिशात आदिवासी किसानों के पास क्रेडिट कार्ड हैं और इस योजना हेतु आबंटित धनराशि कितनी है; और

(ग) सभी आदिवासी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि केसीसी के अन्तर्गत आदिवासी किसानों के कवरेज से संबंधित विशेष सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, इस योजना के आरंभ से 31 मार्च, 2012 तक सहकारी बैंकों और आरआरबी द्वारा जारी किए गए केसीसी की राज्य-वार स्थिति और एससी/एसटी के कवरेज का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

बैंको को सभी योग्य किसानों को केसीसी जारी करने की सलाह की दी गई है।

विवरण I

केसीसी योजना–एससी/एसटी के अन्तर्गत कवरेज–31 मार्च, 2012 की स्थिति (प्रारम्भ से) सहकारी

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	केसीसी की कुल संख्या	एससी/एसटी कवरेज	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4170562	317382	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
2.	असम	21555	एन.ए.	31 मार्च, 2011 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
3.	अरूणाचल प्रदेश	980	660	

1	2	3	4	5
4.	बिहार	867574	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
5.	गुजरात	1392930	128228	
6.	गोवा	5661	331	
7.	हरियाणा	1298997	47311	
8.	हिमाचल प्रदेश	216528	19548	31 मार्च, 2011 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
9.	जम्मू और कश्मीर	54619	0	31 मार्च, 2011 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
10.	कर्नाटक	2100457	49706	
11.	केरल	1711874	109204	
12.	मध्य प्रदेश	4174027	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
13.	महाराष्ट्र	5719704	135968	31 मार्च, 2011 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
14.	मेघालय	13354	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
15.	मिजोरम	2255	2116	31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
16.	मणिपुर	13532	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	3470	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
18.	ओडिशा	4583074	315875	31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
19.	पंजाब	960181	22393	
20.	राजस्थान	3533826	653949	31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
21.	सिक्किम	3476	654	31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
22.	तमिलनाडु	1978770	140498	31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
23.	त्रिपुरा	30087	1197	31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
24.	उत्तर प्रदेश	6987941	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
25.	पश्चिम बंगाल	1708395	100949	31 मार्च, 2011 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4278	0	
27.	चण्डीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	
28.	दमन और दीव	एन.ए.	एन.ए.	
29.	नई दिल्ली	2303	0	
30.	दादरा और नगर हवेली	एन.ए.	एन.ए.	
31.	लक्षद्वीप	एन.ए.	एन.ए.	

1	2	3	4	5
32.	पुदुचेरी	7781	887	31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
33.	झारखण्ड	288585	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
34.	छत्तीसगढ़	1418490	725745	
35.	उत्तराखण्ड	383388	57151	
	कुल	43658654		

स्रोत: नाबार्ड
स्वयं वित्तपोषित एजेंसी के रूप में एससीबी का कार्यकाल
इन केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।
इन केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई आरआरबी नहीं है।
लागू नहीं: डाटा उपलब्ध नहीं

विवरण II

केसीसी योजना–एससी/एसटी का कवरेज–31 मार्च, 2012 की स्थिति (प्रारम्भ से) आरआरबी

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	केसीसी की कुल संख्या	एससी/एसटी कवरेज	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2496439	201543	
2.	असम	276559	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
3.	अरूणाचल प्रदेश	3368	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
4.	बिहार	1576268	134290	
5.	गुजरात	296685	41412	
6.	गोवा	एन.ए.	एन.ए.	
7.	हरियाणा	455322	13841	
8.	हिमाचल प्रदेश	86379	12252	31 मार्च, 2011 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
9.	जम्मू और कश्मीर	42267	825	31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
10.	कर्नाटक	1504119	42906	
11.	केरल	544347	11922	
12.	मध्य प्रदेश	729573	130517	
13.	महाराष्ट्र	384068	13819	31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
14.	मेघालय	24270	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
15.	मिजोरम	10018	5585	31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
16.	मणिपुर	2082	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	1841	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
18.	ओडिशा	865067	7718	31 मार्च, 2010 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
19.	पंजाब	187976	10174	
20.	राजस्थान	672433	576333	31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
21.	सिक्किम	एन.ए.	एन.ए.	
22.	तमिलनाडु	386378	56268	31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
23.	त्रिपुरा	109090	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	4805204	902472	
25.	पश्चिम बंगाल	734466	1274	31 मार्च, 2009 तक एससी/एसटी कवरेज डाटा
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एन.ए.	एन.ए.	
27.	चण्डीगढ़	एन.ए.	एन.ए.	
28.	दमन और दीव	एन.ए.	एन.ए.	
29.	नई दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	
30.	दादरा और नगर हवेली	एन.ए.	एन.ए.	
31.	लक्षद्वीप	एन.ए.	एन.ए.	
32.	पुदुचेरी	133	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
33.	झारखण्ड	506583	एन.ए.	एससी/एसटी कवरेज डाटा उपलब्ध नहीं
34.	छत्तीसगढ़	427263	2144	
35.	उत्तराखण्ड	62838	12910	
	कुल	17191036		

स्रोत: नाबार्ड

स्वयं वित्तपोषित एजेंसी के रूप में एससीबी का कार्याकाल

इन केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

इन केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई आरआरबी नहीं है।

लागू नहीं: डाटा उपलब्ध नहीं

'नाबार्ड' द्वारा बैंकों को प्रतिपूर्ति

200. **श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ऋण-माफी और ऋण-राहत योजनाओं के कारण सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी समितियों पर वित्तीय भार बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्यों ने इन सहकारी समितियों के वित्तीय भार को कम करने हेतु केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन राज्यों के सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) सरकार द्वारा कृषि माफी एवं ऋण राहत स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 क्रियान्वित की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत अब उस ऋण प्रणाली के माध्यम से ऋण मिलना शुरू हो गया है जो किसानों पर ऋण के बोझ के कारण अवरूद्ध हो गई थी और इस स्कीम से किसान नया ऋण लेने के पात्र हो गए हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत 3.45 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए 52,275.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की हैं। सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सहकारी बैंकों को 18287.16 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

अल्पावधिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के पुनरुज्जीवन पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार ने उन राज्यों में संवितरण के लिए नाबार्ड को 9245 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की है जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड तथा भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

पुनर्पूंजीकरण सहायता का राज्य-वार निर्गम

पीएसीएस को पुनर्पूंजीकरण सहायता जारी करना जो पात्रता मानदंडों को पूरे करते हैं।

(करोड़)

क्र.सं.	राज्य	पेक्स की सं.	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	सीसीएस का हिस्सा	पुनर्पूंजीकरण सहायता
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2580	1589.67	215.98	166.91	1972.56
2.	असम	368	43.63	6.43	7.85	57.91
3.	बिहार #	6633	265.06	24.12	74.06	363.24
4.	छत्तीसगढ़	933	162.69	25.97	64.88	253.54
5.	गुजरात	2330	333.47	27.33	25.00	385.80
6.	हरियाणा	547	470.50	22.13	34.13	526.76
7.	कर्नाटक	4252	556.54	86.73	69.81	712.45
8.	मध्य प्रदेश	3134	985.09	69.92	106.12	1161.13
9.	महाराष्ट्र	14769	1284.19	32.26	260.41	1576.86

1	2	3	4	5	6	7
10.	मेघालय	179	10.69	1.19	0.19	12.07
11.	ओडिशा	2528	594.69	67.54	49.04	711.27
12.	राजस्थान	3275	318.02	13.05	48.89	379.96
13.	सिक्किम	135	1.64	0.18	0.07	1.89
14.	तमिलनाडु $$	3355	1078.84	147.58	157.05	1383.54
15.	त्रिपुरा	261	69.17	7.71	2.11	78.99
16.	उत्तर प्रदेश	4989	623.41	61.19	440.51	1125.11
17.	पश्चिम बंगाल	2937	134.97	15.59	11.67	162.23
	कुल	53205	8522.27	824.90	1518.07	10865.31

विशेष लेखा परीक्षा होने के बाद मान्य पीएसीएस *पीएसीएस जिन्हें अपना हिस्सा पूरा करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया।
$$ टीएनएससीबी के माध्यम से रामनाद सीसीबी से 0.49 करोड़ रुपये तथा तिरूनेवेली सीसीबी से 0.07 करोड़ रुपये की वापसी।

[अनुवाद]

साक्षरता को पुनः परिभाषित करना

201. श्री आर ध्रुवनारायणः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रौद्योगिकी में आए बड़े बदलावों और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखने हेतु साक्षरता की पुनः परिभाषा करने के पक्ष में है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक सहित राज्य-वार इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च शिक्षा हेतु अपर्याप्त निधियां

202. श्री सी. शिवासामीः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 12वीं योजना में उच्च शिक्षा हेतु लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार को आशा है कि इसमें से आधी राशि कॉर्पोरेट सेक्टर से प्राप्त हो जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में विद्यमान उच्च शिक्षा प्रणाली पिछड़ गई है और यह मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले उच्चतर शिक्षा की सुलभता में वृद्धि करने, अधिक समावेशन सुनिश्चित करने तथा उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए XIIवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 3,86,256 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया था। तथापि, XIIवीं पंचवर्षीय योजना हेतु परिव्यय का योजना आयोग द्वारा अंतिम निर्धारण नहीं किया गया है।

XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई सुलभता का विस्तार करने, उच्चतर शिक्षा को समावेशी बनाने तथा उत्कृष्टता को संवर्धित करने की प्रक्रिया को XIIवीं योजना में भी संघटित तथा विस्तारित करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को XIIवीं योजना के अंत (2017) में 21 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है तथा 2020 तक इसके 30

प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। XIIवीं योजना हेतु दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि दस मिलियन का अतिरिक्त नामांकन हासिल करने की आवश्यकता है। XIIवीं योजना हेतु दृष्टिकोण पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि संसाधनों का सीमित होना उच्चतर शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूरा करने को कठिन बनाएगा तथा इसलिए व्यवहार्य तथा नवाचारी सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित उच्चतर शिक्षा में निजी पहलों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी।

वैश्विक मानकों को हासिल करने के लिए यह अभिकल्पना की गई है कि XIIवीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की ओर कार्यनीतिक परिवर्तन होगा। हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के समान बनाने के लिए कई उपाय किए गए हें, जैसे संकाय संबंधी मुद्दों का समाधन, अनुसंधान तथा नवाचार का सुदृढ़ीकरण, अभिशासन तथा विनियामक सुधार, अनिवार्य प्रत्यायन, परीक्षा सुधार, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, राज्य संस्थाओं का नवीकरण, प्रत्यायित प्रणाली, का सुधार, शिक्षण अध्ययन में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण।

गरीबी रेखा की परिभाषा

203. श्री ए.के.एस. विजयनः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियां प्रदान करने हेतु प्रयुक्त गरीबी रेखा की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आज की तिथि अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की सटीक संख्या की पहचान करने के लिए बीपीएल सर्वेक्षण प्रारंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वा विगत तीन वर्षो के दौरान बीपीएल से एपीएल में गए परिवारों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) योजना आयोग प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के मादंड के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित करता है। गरीबी का अनुमान लगाने की योजना आयोग की प्रक्रिया इस क्षेत्र के विशेषों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर आधारित है। गरीबी का अनुमान लगाने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए, प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2005 में एक समिति गठित की गई थी। तेंदुलकर समिति ने, 2004-05 के मूल्य पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपए और शहरी क्षेत्रों के 579 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की सिफारिश की जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया।

योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा की परिगणना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 2009-10 के दौरान, तेंदुलकर समिति का अनुसरण कर अपने 66वें दौर में संग्रहित परिवर उपभोग व्यय संबंध वृहत् सर्वेक्षण के आधार पर की है। इन्हें 19 मार्च, 2012 को प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया गया। इस प्रेस नोट के अनुसार, 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रु. के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा माना गया है। तथापि, योजना आयोग ने गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए जून, 2012 में डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। यह समिति गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और अन्य बातों के साथ इस बारे में भी सिफारिश करेगी कि गरीबी अनुमान को भारत सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए पात्रता तथा हकदारी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए।

(ख) और (ग) योजना आयोग गरीबी का अनुमान लगाता है और सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान का काम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) ग्रामीण परिवारों की पहचान का काम सामान्यत: पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में किया जाता है। 13 समाज-आर्थिक मानदंडों पर आधारित ग्रामीण परिवारों की अंक-आधारित रैंकिंग पर, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पिछली जनगणना 2002 में हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून, 2011 में, समाज-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर-घर जाकर जनगणना शुरू की है ताकि बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए परिवार आधारित आंकड़े जुटाए जा सकें।

(घ) और (ङ) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा लगभग पांच वर्ष के अंतराल के बाद किए जाने वाले परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है। फिलहाल, पिछले तीन वर्षो के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे दो नवीनतम सर्वेक्षणों के आधार

पर देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 2004-05 के 37.2 से घटकर 2009-10 में 29.8 प्रतिशत रह गया है।

अवसंरचना विकास

204. श्री ए. साई प्रताप: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में लक्षित परिणामों हेतु अवसंरचना विकास और निजी भागीदारी को शामिल करने के संबंध में कोई बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) सरकार द्वारा इसके प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापार में सुधार के लिए निवेश में निजी भागीदारी और साझेदारी बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2012-13 के लिए अवसंरचना विकास के लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 6 जून, 2012 को बैठक बुलायी थी। लक्ष्यों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

बंदरगाह:

1. इस वर्ष के लक्ष्य में 14500 करोड़ के निवेश और 244 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) के क्षमता संवर्द्धन सहित कुल 42 परियोजनाएं प्रदान करना शामिल होगा।
2. इस वर्ष के दौरान ग्रीनफील्ड प्रमुख बंदरगाहों के लिए 20500 करोड़ के निवेश और 116 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता संवर्द्धन सहित दो परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी।

सड़क:

1. इस वर्ष के दौरान प्रदान की जाने वाली कुल सड़क लम्बाई 9500 किलोमीटर होगी जो पिछले वर्ष से 18.7 प्रतिशत की वृद्धि है। निवेश 73.6 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।
2. पहली बार ओएमटी (प्रचालन, अनुरक्षण, हस्तांतरण) प्रणाली के तहत रख-रखाव हेतु 4360 किलोमीटर सड़कें प्रदान की जाएंगी।

नागरिक उड्डयन:

1. ईटानगर हवाई अड्डे पर कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा शुरू किया जाएगा। एएआई परियोजनाओं पर कुल निवेश 2100 करोड़ रुपए का होगा।
2. नवी मुम्बई, गोवा और कन्नूर में इस वर्ष में तीन नई ग्रीनफील्ड परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी।
3. 3 या 4 स्थानों पर नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किए जाएंगे।
4. एक एयरलाइन केन्द्र नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा और केन्द्रों को इस वर्ष के दौरान दिल्ली और चेन्नई में प्रचालनरत किया जाएगा।
5. जुलाई, 2012 के अंत तक 10-12 मौजूदा हवाई अड्डों और 10-12 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन्हें इस वर्ष के दौरान प्रदान किया जाएगा।
6. हवाई अड्डा प्रचालनों में पीपीपी की सेवाएं ली जाएंगी।

रेलवे:

इस वर्ष के लिए पीपीपी परियोजनाओं के लक्ष्यों में शामिल हैं:

1. सोननगर-दानकुनी फैलाव के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर-पीपीपी प्रदान किया जाएगा।
2. 20000 करोड़ की कुल लागत के साथ मुम्बई में एलिवेटिड रेल कॉरिडोर शुरू किया जाएगा।
3. मधेपुरा और मारहोड़ा दो रेल इंजन निर्माण यूनिटों के लिए रियायत दी जाएगी।
4. 4/5 स्टेशनों के स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पीपीपी मोड में किया जाएगा।
5. मुम्बई से हैदराबाद तक उच्च गति कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन) हेतु प्रस्ताव और दृष्टिकोण को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विद्युत:

1. इस वर्ष के लिए क्षमता संवर्द्धन लक्ष्य 18000 मेगावाट (सटीक 17957 मेगावाट) होगा जिसमें कुंडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना द्वारा जोड़े जाने वाला 200 मेगावाट शामिल है।

2. विद्युत उत्पादन लक्ष्य 930 बिलियन यूनिटों का है जो 6.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।

3. विद्युत मंत्रालय अत्यधिक रूप से उच्च वोल्टेज (400 केवी के स्थान पर 765 केवी) के साथ पारेषण लाइनें बिछा रह है और इसके परिणामस्वरूप प्रति किलोमीटर उच्च पारेषण क्षमता बढ़ रही है।

कोयला:

1. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) सभी क्षेत्रकों को 470 मिलियन टन कोयला भेजेगा, जो 8.08 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। इसमें से विद्युत क्षेत्रको पिछले वर्ष भेजे गए 312 मिलियन टन के मुकाबले इस वर्ष 347 मिलियन टन कोयला भेजेगा।

(ग) उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा और मानीटरण सदस्य, योजना आयोग द्वारा की जाती है जिससे कि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए निजी भागीदारी और निवेश योजना में भागीदारी को बढ़ाया जा सके।

सहकारी बैंकों का कम्प्यूरीकरण

205. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी सहकारी बैंकों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अब तक कितना आवंटन और व्यय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में विशेषकर हरियाणा में सभी सहकारी बैंकों को कम्प्यूटरीकृत कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और केन्द्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) सहित ग्रामीण सहकारी ऋण अवसंरचना को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म तक लाने की प्रकिया आरंभ कर दी है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि सभी सीसीबी को 31 मार्च, 2013 तक और एससीबी को भी 31 दिसम्बर, 2012 तक कोर बैंकिंग अनुपालक बनने की सलाह दी गई है।

नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि हरियाणा में सभी 20 सहकारी बैंक (एससीबी और सीसीबी) इस पहल में शामिल हो गये हैं और 31 दिसंबर, 2012 तक सीबीएस का अनुपालन करने लगेंगे।

गरीबी और जी.डी.पी. वृद्धि-दर

206. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में 8.5 प्रतिशत वृद्धि-दर प्राप्त करने के लिहाज से अगले पांच वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या को 10 प्रतिशत कम करने या प्रत्येक वर्ष में औसतन 2 प्रतिशत कम करने की अपेक्षा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) विकास दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप गरीबी में की होने की आशा है। आर्थिक नीति बनाने में सरकार का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना तथा इस प्रमुख उद्देश्य से संबंधित जीडीपी विकास हासिल करना है। आय सृजन एवं रोजगार अवसरों के द्वारा उच्च विकास से गरीबी कम होती है जो कि अधिकांश आबादी के जीवन स्तर में सुधार करने तथा सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के वित्तपोषण और अवसंरचना में सुधार करने तथा सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के वित्तपोषण और अवसंरचना में सुधार करने के लिए आवश्यक संसाधनों के सृजन के लिए भी जारी है।

(ग) और (घ) सरकार ने लोगों की जीवन-गुणवत्ता में सुधार करने तथा देश में गरीबी कम करने के लिए गरीबी कम करने और उपशमन विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएमएस), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, इंदिरा आवास

योजना (आईएवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) इत्यादि कार्यान्वित कर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएमएस), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम, राजीव गांधी पेयजल मिशन, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) इत्यादि कार्यान्वित कर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं सरकार की अन्य सभी नीतिगत पहलें जिनसे देश में उच्च जीडीपी विकास हुआ है, ने वैयक्तिक और सामूहिक रूप से काफी समय से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और अतिनिर्धता और दरिद्रता में कमी करने में योगदान दिया है। हाल ही के वर्षो में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों के परिणामस्वरूप भीषण गरीबी की मार को कम किया गया है तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत में कमी आई है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति

207. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 राज्यों में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में तीव्र वृद्धि और उर्दू अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति और बालिका शिक्षा संबंधी पांच उपसमितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उर्दू अध्यापकों की कमी और अवसंरचना की आवश्यकता का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में शिक्षा के संबंध में मुस्लिम बच्चों की आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता वाला एक कार्यकारी निकाय है जिसकी सेवा अवधि 3 वर्ष की है तथा इसके प्रतिनिधियों में विख्यात शिक्षाविद्, संसद सदस्य, राज्य सरकारें, शैक्षिक संस्थाएं तथा अन्य स्टेकहोल्डर शामिल हैं। एनएमसीएमई के पुनर्गठन 23.11.2011 को किया गया था। इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति की स्थाई समिति तथा (1) अल्पसंख्यक लक्षित योजनाओं का कार्यान्वयन (2) अल्पसंख्यकों की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास (4) बालिका शिक्षा तथा (5) उर्दू भाषा संवर्धन तथा अंग्रेजी के ज्ञान द्वारा अल्पसंख्यकों में अनुकूलता बढ़ाने से संबंधित पांच उप-समितियों का गठन भी किया गया है। इन उपसमितियों को अल्पसंख्यक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है।

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण पहलें की हैं जो संपूर्ण देश में कार्यान्वित की गई हैं। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, 'निजी सहायताप्राप्त/गैर साहयताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं का अवसंरचना विकास' की योजना के तहत वित्तीय सहायता हेतु 259 अल्पसंख्यक संस्थाओं को शामिल करते हुए 10 राज्य सरकारों को 48.43 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना' हेतु 5934 मदरसों में अध्यापकों के मानदेय, पुस्तक बैंक/विज्ञान किटों, कम्प्यूटर प्रयोगशाला और मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले मदरसा अध्यापकों को प्रशिक्षण इत्यादि के लिए 9 राज्यों को 139.53 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

कामगारों के वेतन में वृद्धि

208. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला-खनन क्षेत्रक में कामगार संगठनों और कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) के मध्य वेतन-वृद्धि हेतु किसी समझौते पर चर्चा प्रगति में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोयला-खनन क्षेत्रक में काम करने वाले कामगारों के संगठनों ने उन्हें समय पर वेतन-वृद्धि प्रदान न किए जाने के संबंध में अपना आक्रोश प्रकट किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोयला खनन-क्षेत्रक के कामगारों में कर्मियों के संबंध में वेतन-वृद्धि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयला क्षेत्रक के कामगारों के संगठनों और सीआईएल के मध्य वेतन-वृद्धि हेतु किए जाने वाले समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और वेतन-वृद्धि समझौते को लागू करने के परिणामस्वरूप सीआईएल पर कितना वित्तीय भार आने का अनुमान है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) कोयला खनन क्षेत्र में कामगारों के संगठन और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) के बीच वेतन वृद्धि के लिए करार के संबंध में कोई बातचीत नहीं चल रही है क्योंकि हाल ही में 31.01.2012 को सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों और सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) सहित सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए-IX) हस्ताक्षर किया गया है।

(ख) एनसीडब्ल्यूए-VIII की अवधि 30.06.2011 तक थी और एनसीडब्ल्यूए-IX 01.07.201 से आरंभ हुआ। ऐसा करार कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई)-IX की अधिसूचना की तारीख से 6 महीने के भीतर 31.01.2012 को हस्ताक्षर किया गया।

(ग) और (घ) भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए नहीं उठता।

(ङ) वेतन वृद्धि करार अर्थात एनसीडब्ल्यूए-IX एससीसीएल सहित सीटीयू के प्रतिनिधियों और सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों के प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए गए, के मुख्य बिन्दु 01.07.2011 से 100% डीए निस्प्रभापन सहित 5 वर्ष की अवधि के लिए उक्त करार की अवधि थी। 30.06.2001 की स्थिति के अनुसार कुल आय (मूल-+डीए+एसडी+उपस्थित बोनस) पर अनुमेय न्यूनतम गारंटी लाभ (एमजीबी) 25% है। मौजूदा भत्ते जो एनसीडब्ल्यूए-VIII में समग्र राशि में प्रदान किए जा रहे थे, को भी मूल में वृद्धि के अनुपात में अर्थात 88% बढ़ा दिया गया और 01.02.2012 से एनसीडब्ल्यूए-IX में संशोधित मूल वेतन के 4% की दर से 'विशेष भत्ता भी लागू कर दिया गया। करार की गई वार्षिक वृद्धि संशोधित प्रगतिशील मूल वेतन का 3% है। कामगार की न्यूनतम श्रेणी के आरंभिक मूल वेतन को 8360/- रुपए की तुलना में बढ़ा कर 15772.62/- रुपए कर दिया गया। एनसीडब्ल्यूए-IX के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 6500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष (लगभग) का अनुमानित अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

डॉ. हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय

209. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को निधियां आबंटित करने के लिए क्या मानक अपनाए जाते हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डॉ. हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय को जारी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त विश्वविद्यालय द्वारा अप्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त विश्वविद्यालय में मानकों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं के संबंध में सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन शिकायतों पर उपरोक्त विश्वविद्यालय द्वारा सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) 11वीं योजना के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने योजना अवधि के दौरान वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए विजिटिंग समितियों का गठन किया था। मॉडरेशन समिति द्वारा विजिटिंग समिति की सिफारिशों पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति और विजिटिंग समिति के संयोजक के साथ चर्चा की गई थी और योजना अवधि के लिए अंतिम आबंटन कर निर्धारण किया गया था।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को गत तीन वर्षों के दौरान विनिर्मुक्त निधियों और उक्त विश्वविद्यालय द्वारा अव्ययित निधियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	शीर्षक	विनिर्मुक्त निधियां	अव्ययित शेष
2009-10	योजनेतर	5501.99	603.83
2010-11	योजनागत	1000.00	209.99
	योजनेतर	6521.88	400.00
2011-12	योजनागत	1500.00	269.72
	योजनेतर	7366.84	914.54
2012-13 (अत तक)	योजनागत	6946.96	3531.27
	योजनेतर	1741.31	-
	योजनागत	1575.00	-

(घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, संसदीय अधिनियम के अधीन स्थापित स्वायत्त निकाय हैं और अपने अपने संबधित अधिनियमों, संविधियों, और तदधीन बनाए गए अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। विश्वविद्यालय के विरूद्ध शिकायतें संबंधित विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित की जाती हैं। वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा अग्रेषित शिकायतों की संख्या क्रमश: 8, 7 और 19 थी। वर्ष 2012 के दौरान मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को 46 शिकायतें समुचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई हैं। वर्ष 2011 के दौरान विश्वविद्यालय को 5 शिकायतें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अग्रेषित की गई थीं।

(ङ) और (च) जी, हां। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि जहां कहीं अपेक्षित था, जरूरी कार्रवाई कर दी गई है, उदाहरण स्वरूप कार्यकारी परिषद की बैठकें अब नियमित रूप से आयोजित हो ही हैं और कार्यवाही दर्ज की जाती है; सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ चर्चा करके तय कर दिए गए हैं। अधिसंख्यक शिकायतें, अन्य बातों के साथ-साथ, उप रजिस्ट्रार को हटाने, भर्ती के रोस्टकर का पालन न करने, साक्षात्कार में अनियमितताएं होने; अनुबंध इत्यादि, के आधार पर शिक्षकों को हटाने से संबंधित थीं, जो विश्वविद्यालय द्वारा आधारहीन पाई गई हैं।

[अनुवाद]

भारत-कनाडा नीति अनुसंधान केन्द्र

210. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकार का देश में कोई भारत-कनाडा नीति अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उस विश्वविद्यालय की पहचान की है जहां उक्त केन्द्र खोला जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इस केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं। सरकार के पास देश में भारत-कनाडा नीति अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अखिल भारतीय बाल-शैक्षिक दृश्य-श्रव्य उत्सव

211. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अखिल भारतीय बाल-शैक्षिक दृश्य-श्रव्य उत्सव आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश तथा प्रत्येक राज्य से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(घ) इस उत्सव के लिए कितनी राशि आबंटित और व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) 17वें अखिल भारतीय बाल शैक्षिक दृश्य-श्रव्य उत्सव का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की एक संघटक इकाई केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) द्वारा तिरुवनंतपुरम, केरल स्थिति राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.आई.ई.टी.) में 1 से 3 फरवरी, 2012 के दौरान किया गया था। उत्सव का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माताओं को उनके सृजनात्मक कार्य प्रदर्शित करने तथा कार्यक्रम कार्यक्रम तैयार करने के अनुभव को एक दूसरे के साथ बांटने का अवसर प्रदान करना है।

(ख) और (ग) 12 राज्यों द्वारा 134 दृश्य-श्रव्य प्रविष्टियां प्रस्तुत की गई हैं तथा राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

आन्ध्र प्रदेश-16, दिल्ली-37, गुजरात-16, जम्मू-02, कर्नाटक-02, केरल-30, मध्य प्रदेश-01, महाराष्ट्र-13, मणिपुर-05, ओडिशा-05, तमिलनाडु-01 तथा उत्तर प्रदेश-06

(घ) एन.सी.ई.आर.टी. ने वर्ष 2011-12 के लिए 17वें अखिल भारतीय बाल शैक्षिक दृश्य-श्रव्य उत्सव हेतु 19,04,600 रु. की राशि आबंटित की थी तथा कुल खर्च 15,34,065 रु. था।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क के लिए नाबार्ड से ऋण

212. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने के लिए राज्यों को ऋण प्रदान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'नाबार्ड' ने इस प्रयोजनार्थ राजस्थान को ऋण प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस राज्य में इस प्रयोजनार्थ शामिल की गई ग्रामीण परियोजनाओं के ब्यौरे सहित गत तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा राजस्थान सहित राज्य सरकारों को मंजूर की गई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया हैं। आरआईडीएफ के अन्तर्गत पिछले तीन वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार को मंजूर किए गए ग्रामीण सड़क के अलावा परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

आरआईडीएफ के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को मंजूर की गई ग्रामीण सड़कें:- 31 जुलाई, 2012 तक संचयी स्थिति

(रुपये करोड़ में)

क्रसं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5605	4629.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	42	413.90
3.	असम	158	310.81
4.	बिहार	453	1437.38
5.	गोवा	464	387.38
6.	गुजरात	7865	2524.02
7.	हरियाणा	224	660.55
8.	हिमाचल प्रदेश	897	1766.05
9.	जम्मू और कश्मीर	1640	2843.40
10.	कर्नाटक	7516	3476.99
11.	केरल	980	882.45
12.	मध्य प्रदेश	1056	1758.27
13.	महाराष्ट्र	8985	3237.96
14.	मेघालय	353	232.33
15.	मिजोरम	26	184.08
16.	नागालैंड	226	195.03
17.	ओडिशा	437	1825.87
18.	पंजाब	906	1477.95
19.	राजस्थान	15406	3396.81
20.	तमिलनाडु	14129	3676.70
21.	त्रिपुरा	2	21.44
22.	उत्तर प्रदेश	13648	2601.52
23.	पश्चिम बंगाल	4478	4811.56
24.	सिक्किम	141	282.31
25.	झारखण्ड	1583	1820.40
26.	छत्तीसगढ़	367	400.89
27.	उत्तराखण्ड	1578	1499.69
28.	पुदुचेरी	142	114.23
	कुल	89307	46869.81

विवरण II

आरआईडीएफ के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड द्वारा राजस्थान सरकार को मंजूर किए गए ग्रामीण सड़क के अलावा ग्रामीण परियोजनाएं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	सिंचाई		कृषि संबंधित		ग्रामीण पुल		सामाजिक		बिजली	
		परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
1.	2009-10	0	0	209	66.55	0	0	531	696.42	0	0
2.	2010-11	0	0	241	9.1	4	32.17	3	600.02	0	0
3.	2011-12	7	309.28	2306	327.11	1	16.67	53	1070.73	0	0
	कुल	7	309.28	2756	402.76	5	48.84	587	2367.17	0	0

[अनुवाद]

सामुदायिक महाविद्यालय

213. श्री संजय दिना पाटील:
श्री गजानन ध. बाबर:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षतागत कमी को पूरा करने के उद्देश्य से, अमेरिका के सामुदायिक महाविद्यालय-माडल के आधार पर देश में भी सौ सामुदायिक महाविद्यालय खोलने संबंधी सुझाव सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त महाविद्यालयों के स्थापन-स्थलों और चिन्हित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने राज्यों में सामुदायिक महाविद्यालय खोलने के लिए ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) भारत सरकार ने शिक्षा सत्र 2013 से मौजूदा कॉलेजों/पॉलिटेक्निकों से 200 सामुदायिक कॉलेज आरंभ करने का निर्णय लिया है। योजना के कार्यान्वयन का दायित्व भारत सरकार की सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का होगा।

(ग) इन कॉलेजों का लक्ष्य शिक्षार्थियों वे नियोजनाधीन कौशल में सुधार करना, पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को छोड़ने और पुन: प्रवेश लेने में लचीलापन उपलब्ध कराना, स्तरीय और उर्ध्वाधर गतिशीलता और समुदाय-आधारित जीवनपर्यन्त अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना है। ऐसे सामुदायिक कॉलेजों के स्थल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(घ) जी, हां।

(ङ) आज की तिथि तक केवल असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

विकिरण का असर

214. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रावतभाटा में स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र (आरएपीएस) के कार्मिक हाल ही में कथित रूप से विकिरण-उत्सर्जन से पीड़ित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विकिरण से कितने कार्मिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) अन्वेषण स्तर से अधिक ट्रीशियम के अंतर्ग्रहण की घटना, 23 जून, 2012 को राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस यूनिट 5) के यूनिट-5 में घटित हुई थी। ट्रीशियम के अंतर्ग्रहण के अन्वेषण स्तर को परम्परागत रूप से, नियामक निकाय (परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद) द्वारा विनियर्दिष्ट प्राधिकरण प्राधिकृत वार्षिक सीमा के लगभग 1/10 भाग के बराबर माना जाता है।

(ख) यह घटना, यूनिट को योजनागत रूप से द्विवार्षिक तौर पर शट-डाउन किए जाने के समय किए जाने वाले अनुरक्षण कार्यों के दौरान घटित हुई थी। केवल एक ठेके के कार्मिक को, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा ठेके कार्मिकों के लिए विनिर्दिष्ट विकिरणसक्रियता की वार्षिक मात्रा सीमा से अधिक विकिरण प्राप्त हुआ था। भारत में, नियमित व्यावसायिक कार्मिकों के लिए विकिरणसक्रियता की वार्षिक मात्रा सीमा 20 मिलिसीवर्ट प्रतिवर्ष है, लेकिन ठेके के कार्मिकों के लिए यह सीमा 15 मिलिसीवर्ट प्रतिवर्ष है। एक कार्मिक को, एक वर्ष में विकिरण सक्रियता की लगभग 20.4 मिलिसीवर्ट मात्रा प्राप्त हुई थी। अनुमेय सीमाएं वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित हैं जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि विकिरण सक्रियता की मात्रा के इस स्तर की वजह से मनुष्यों के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं।

(ग) और (घ) इस घटना की जांच बिजलीघर की उद्भासन जांच समिति द्वारा और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा भी की गई। यह पाया गया कि व्यक्तिगत बचाव उपस्कर को काम में लाने की व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यक्तिगत बचाव उपस्कर को काम में लाने और विकिरण कार्मिकों के लिए आवधिक प्रशिक्षण को पुनः सुदृढ़ किया गया है।

कर-वंचकों को आम माफी

215. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सौ से अधिक ऐसे धनी नागरिकों, जिन्होंने एच.एस.बी.सी. बैंक कम्पनी की स्विस यूनिट के खातों में धनराशि छिपाकर कर-वंचन किया है; के आम माफी देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

तेंदुलकर समिति की कार्यविधि की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ-दल

216. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी के आकलन और संबंधित मानदण्डों को वर्तमान मूल्यों के संगत बनाने के बारे में तेंदुलकर समिति की कार्यविधि की समीक्षा करने के लिए किसी विशेषज्ञ तकनीकी दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विशेषज्ञ तकनीकी दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग ने गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। समूह के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:-

1. गरीबी के आकलन की मौजूदा प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा करना तथा इस बात की जांच करना कि गरीबी रेखा सिर्फ उपभोग के आधार पर ही निर्धारित की जानी चाहिए अथवा अन्य मानदंड भी प्रासंगिक हैं और यदि हैं, तो क्या दोनों को इस प्रकार प्रभावी ढंग से संयुक्त किया जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का अनुमान लगाने का आधार तैयार हो सके।

2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की कार्यप्रणाली तथा राष्ट्रीय लेखा के योगों से प्राप्त आकलनों के आधार पर उपभोग आकलनों के बीच की भिन्नता के मुद्दे की जांच करना; तथा सीएसओ द्वारा जारी नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए राज्यवार उपभोग गरीबी रेखाओं को अद्यतन करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव देना।

3. गरीबी के आकलन के लिए वैकल्पिक प्रणालियों के तौर पर, अन्य देशों में प्रयुक्त प्रणालियों की समीक्षा करना जिनमें उनके प्रक्रियागत पहलू शामिल हैं; तथा यह उल्लेख करना कि क्या इस आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लगाने की कोई विशेष पद्धति तैयार की जा सकती है, जिसमें इसे समय-समय पर अद्यतन करने की प्रक्रिया शामिल है।

4. इस बारे में सिफारिश करना कि उपर उल्लिखित अनुसार गरीबी के आकलन को भारत सरकार की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए हकदारी तथा पात्रताओं के साथ किस प्रकार जोड़ा जाए।

(ग) से (ङ) विशेषज्ञ समूह योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगा।

कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण

217. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन और कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिहाज से गहन प्रशिक्षण देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उपक्रमों को उनके कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन करने का भी निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भ्रष्ट और अक्षम कर्मचारियों को उनकी बुरी आदतों से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सभी केन्द्रीय मंत्रालयो/विभागों को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 12021/8/2011-प्रशि. 1 दिनांक 19.01.2012 द्वारा परिचालित राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 में अनुबंधित है कि:

(i) सभी सिविल सेवकों को उनके चालू अथवा भविष्य की नौकरियों हेतु दक्षता से उन्हें सुसज्जित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा:

* उनके सेवा में प्रवेश के समय, और
* उनके कॅरिअरों के पाठ्यक्रम में उचित अन्तराल पर।

(ii) ऐसा प्रशिक्षण निम्नतम स्तर के कृत्यकारियों से उच्चतम स्तरों तक सभी सिविल सेवकों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) प्रशिक्षण हेतु अवसरों को किसी कॅरिअर में मात्र अनिवार्य बिन्दुओं पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा किन्तु किसी परम्परागत पाठ्यक्रमों, दूरस्थ और ई-रिक्शा के मिश्रित रूप के माध्यम से उद्भूत होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा।

(iv) सॉफ्ट कौशलों पर प्रशिक्षण, ताकि नागरिकों को सेवा सुपुर्दगी के साथ-साथ ग्राहक अभिविन्यास में सुधार किया जा सके। सहित अग्रिम पंक्ति के स्टाफ को प्रशिक्षण दिए जाने में वरीयता दी जाएगी।

(ग) और (घ) सरकार ने वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की समय पर तैयारी और उचित रख-रखाव हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर अनुदेशों को जारी किया है। सरकार की विस्तारित नीति के अनुसार, वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को कार्य उत्पादन, वैयक्तिक विशेषताओं का मूल्यांकन और कार्यात्मक दक्षता के मूल्यांकन के तीन क्षेत्रों में संख्यात्मक ग्रेडिंग के उद्देश्य से सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी समूह क, ख और ग कर्मचारियों हेतु बनाए रखा जाना अपेक्षित होता है। वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट स्थायीकरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति के लिए चयन, विदेश नियुक्ति के लिए चयन आदि जैसे मामलों में उनके कॅरिअर में आगे उन्नति के लिए अधिकारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

(ङ) जहां तक भ्रष्ट कर्मचारियों को अलग हटाने का संबंध है, संगत अनुशासनिक नियमावली में प्रावधान किया गया है कि उन सभी मामलों जिनमें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियों के स्वामित्व का आरोप अथवा किसी सरकारी कार्य को करने या पक्षपात करने के लिए प्रेरणात्मक अथवा इनाम के रूप में वैध पारिश्रमिक के अलावा किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की घूसखोरी के आरोप लगाए जाते हैं, तो सेवा से बर्खास्त करने अथवा निकासित करने की दीर्घ शास्ति लगायी जाएगी। वर्तमान नियमों/अनुदेशों के अंतर्गत नैतिक भ्रष्टता और सत्यनिष्ठा रहित शामिल मामले में दीर्घ शास्ति जिसमें सेवा से बर्खास्तगी और निष्कासन शामिल है के लगाए जाने की कार्यवाही औचित्यपूर्ण होगी।

जहां तक अकार्यकुशल कर्मचारियों को अलग हटाने का संबंध है, ऐसे कर्मचारियों पर मूल नियम 56 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(च) मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण में सुधार संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। फिर भी, अन्य बातों के साथ-साथ इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

* सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन
* संसद में लोकपाल विधेयक, भण्डाफोड़कर्ताओं की सुरक्षा विधेयक, विदेशी लोक पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वतखोरी की रोकथाम विधेयक का पुर:स्थापन
* लोक सेवा डिलीवरी के लिए सेवोत्तम मॉडल का कार्यान्वयन
* संगठित सिविल सेवाओं के लिए अनिवार्य मिड कॅरिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ
* ई-शासन पहल के एक हिस्से के रूप में मिशन मोड प्रोजेक्ट में ई-आसिफ का कार्यान्वयन
* सक्षमता आधारित मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 तैयार करना
* "लोक शासन में नीतियां और मूल्य" पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का तैयार किया जाना।

[हिन्दी]

कोयला-ब्लॉकों के आबंटन के मानदंड

218. श्री भूदेव चौधरी:
योगी आदित्यनाथ:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री रमाशंकर राजभर:
श्रीमती मीना सिंह:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री के.डी. देशमुख:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर वर्ष 2004 से 2009 की अवधि के दौरान अब तक आबंटित किए गए कोयला-ब्लॉकों के आबंटन में अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक (क्रेग) ने वर्ष 2004-2009 की अवधि के दौरान आबंटित कोयला-ब्लॉकों के आबंटन पर कथित रूप से आपत्ति उठाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तत्कालीन कोयला सचिव ने वर्ष 2004 में कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए कुछ सिफारिशें की थीं/सुझाव दिए थे, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोयला-ब्लॉकों के आबंटन में उक्त सिफारिशों/सुझावों का अनुसरण किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) निजी तथा सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉक निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं के अंतर्गत आबंटित किए गए थे:

(i) **जांच समिति के माध्यम से केपिटव वितरण मार्ग:** सार्वजनिक/निजी पार्टियों को कायेला ब्लॉकों का आबंटन

जांच समिति नामक अंतर्मंत्रालयी, अंतर-सरकारी निकाय के तंत्र के माध्यम से किया जाता है। सचिव (कोयला) जांच समिति के अध्यक्ष हैं तथा इसमें इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल की सहायक कंपनियों, सीएमपीडीआईएल, एन.एल.सी. और संबंधित राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है। अन्य बातों के साथ-साथ, अन्त्य उपयोग परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, परियोजना की तैयारी की स्थिति, अन्त्य उपयोगकर्ता की आवश्यकता के साथ ब्लॉक में कोयले की मात्रा तथा गुणवता की उपयुक्तता और आवेदक कंपनी का ट्रेक रिकार्ड, संबंधित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय आदि की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा आबंटन का निर्णय लिया जाता है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(ए) (iii) के अंतर्गत सरकार द्वारा आबंटन का निर्णय लिया जाता है।

(ii) **सरकारी कंपनी वितरण के अंतर्गत**—सरकारी कंपनी वितरण मार्ग के अधीन, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को अभिज्ञात ब्लॉकों की सूची परिचालित की जाती है। सरकारी कंपनियों के लिए आवेदन राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार से आमंत्रित किए जाते हैं। इस मार्ग के अधीन, सरकारी कंपनियों द्वारा विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग और वाणिज्यिक खनन, दोनों के लिए केवल सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया जाता है, जहां कैप्टिव उपयोग का कोई प्रतिबंध नहीं है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की धारा 3(3)(ए) (i) के अंतर्गत सरकार द्वारा आबंटन का निर्णय लिया जाता है।

(iii) **टैरिफ आधारित बोली मार्ग**—कोयला ब्लॉकों को टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रणाली के आधार पर स्थापित की जाने वाली विद्युल परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट किया गया है। टैरिफ आधारित बोली मार्ग के अंतर्गत पहचान किए गए कोयला ब्लाकों को विद्युत मंत्रालय को सौंप दिया जाता है, जो पात्र कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करके टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली के आधार पर अवार्ड किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के साथ कोयला ब्लॉकों का लिंकेज निर्धारित करता है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) सफल बोलीदाता को दी जाती है तथा आबंटन कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(ए) (iii) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा कोयला ब्लाकों के आबंटन पर आपत्ति उठाये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए प्रतियोगी बोली शुरू करने का प्रस्ताव 2004 से सरकार के विचाराधीन है। बहुस्तरीय विचार-विमर्श तथा विस्तृत जांच के बाद खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में 2008 में पेश किया गया था। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया था और इसे 9 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है।

सरकार ने कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी" को दिनांक 02 फरवरी, 2012 को अधिसूचित किया है। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर अधिसूचना भी 13 फरवरी, 2012 को खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

[अनुवाद]

निवेश-अभिसूचन प्रणाली

219. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में एक निवेश-अभिसूचन प्रणाली स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रणाली के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) सरकार ने 1000 करोड़ रुपए और इससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए निवेश अभिसूचन (ट्रैकिंग) प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली का उद्देश्य समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा प्रणालीगत समस्याओं की पहचान करना और उनके समाधान का प्रयास करना है।

निवेश अभिसूचन (ट्रैकिंग) प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं का पता लगाने का अधिदेश दिया गया है तथा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग को निजी क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए और इससे अधिक निवेश वाली परियोजनाओं की निगरानी का अधिदेश दिया गया है।

मानदंडों का उल्लंघन

220. **श्री बिभू प्रसाद तराई:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ऐसे मामलों को उजागर किया है जिनमें यह बताया गया था कि कतिपय अपात्र इस्पात और कोयला कंपनियों, जिन्हें वर्ष 2006-2009 के दौरान की अवधि में कोयला-ब्लॉक आबंटित किया गया, के मामले में विद्यमान मानदंडों और मार्ग-निदेशों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इन मामलों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कथित उल्लंघन के संबंध में किसी पर कोई जिम्मेदारी तय की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) सीबीआई से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि अपात्र कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धि दर

221. **श्री नीरज शेखर:**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री यशवीर सिंह:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दर्ज वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आर्थिक वृद्धि-दर में कमी का कारण क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए त्रैमासिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 की आखिरी तिमाही में भारत की विकास दर (2004-05 की सतत कीमतों पर घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मापित) 5.3 प्रतिशत थी।

(ख) अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र में मंदी तथा कृषि क्षेत्र में दर्ज निम्नतर वृद्धि के कारण आई है। विकास दर में यह कमी घरेलू तथा वैश्विक, दोनों कारकों पर आरोप्य है। वैश्विक कारकों में, विशेषकर यूरोजोन क्षेत्र में संकट तथा यूरोप में व्याप्त प्राय: मंदी जैसी परिस्थितियां; कई अन्य औद्योगिकीकृत देशों में मंद विकास; कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि इत्यादि शामिल हैं। घरेलू कारकों में, मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करने से विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और विकास में गिरावट आई है।

स्वच्छ कोयला-प्रौद्योगिकी

222. **श्री मनीष तिवारी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला-खनन हेतु स्वच्छ कोयला-प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में किसी परियोजना के तहत स्वच्छ कोयला-प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ-राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिसमें कोयले की धुलाई, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसी) का विकास, सतही कोयला गैसीकरण तथा कोयला तरलीकरण अथवा कोयला से लिक्विड

(सीटीएल) बनाना जैसे स्वच्छ कोयला प्रोद्योगिकियों का संवर्द्धन करने तथा संभावित उद्यमियों को ब्लाकों का आबंटन आसान बनाने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत अन्त्य उपयोगों में से एक उपयोग के रूप में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसी) तथा कोयले का सतही गैसीकरण, कोयले का तरलीकरण, कोयले की धुलाई सहित कोयला गैसीकरण जैसे क्रियाकलापों को अधिसूचित करना शामिल है। इसके अलावा, कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/कोल माइन मिथेन (सीएमएम) के विकास के लिए एक पृथक नीति कोयला सीमों से मिथेन गैस के निष्कर्षण एवं उपयोग के लिए लागू की गई है।

(ख) और (ग) भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के मूनीडीह खान में भारत सरकार/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा निधि प्रदत्त कोल बेड मिथेन प्रदर्शन एवं उपयोग परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सीएमपीडीआई एवं बीसीसीएल द्वारा किया गया है जिसने भारतीय भूखननन दशाओं में इस प्रक्रिया की प्रभाविता को प्रमाणित कर दिया है। निष्कर्षण किए गए मिथेन गैस का उपयोग 500 कि.वा. विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने सीबीएम अन्वेषण तथा उपयोग के लिए पहले ही 33 ब्लॉकों का आबंटन कर दिया है जिसमें से एक ब्लाक ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने अपने कमान क्षेत्र में पांच सीएमएम परियोजनाओं तथा दो यूसीजी परियोजनाओं की अवधारणा विकसित की है। इसके अलावा 20 नए वाशरियों का प्रस्ताव सीआईएल ने 111 मि.ट. प्रति वर्ष की पूर्ण क्षमता के लिए कुल वच्चे कोयले के वास्ते किया गया है। जबकि कोयले की धुलाई के लिए प्रौद्योगिकी आकलन, सीबीएम/सीएमएम, कोयले का सतही गैसीकरण प्रमाणित किया गया है, सीटीएल एवं यूजीसी के लिए प्रौद्योगिकी को भारतीय दशाओं में अब भी प्रमाणित किया जाना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में दिए गए ब्यौरों के अनुसार सीआईएल ने झारखंड में मूनीडीह में अपनी बीसीसीएल खानों में सीएमएम परियोजना अपनाई है तथा विशेषतौर पर झारखंड में बीसीसीएल तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. आदि में अनेक कोयला वाशरी परियोजनाएं भी कार्यान्वित की हैं। इसके अलावा अनेक वाशरी परियोजनाएं भी झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं।

[हिन्दी]

आर्थिक नीति

223. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अर्जुन राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की आर्थिक नीति पर अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में बदलावों का सीधा असर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वर्तमान आर्थिक नीति को विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावों से सुरक्षित करने के लिहाज से इसकी समीक्षा की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यूरोप की वर्तमान आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप भारत की कितनी आर्थिक हानि होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) वर्धमान एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक परिणाम व्यापार और वित्तीय चैनलों के जरिए उभर रही बाजार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। भारत भी कुछ हद तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक हलचल से प्रभावित होता है। तथापि कतिपय अन्य अर्थवयवस्थाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और लोचशीलता, विशाल घरेलू मांग और मजबूत वित्तीय प्रणाली की आभारी है, जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की प्रतिबलित परिसंपत्तियाँ के प्रति कम खुलाव रखती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का अंश शोधन किया है।

(ग) और (घ) यूरोजोन में हाल के घटनाओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता का भारत पर भी कुछ प्रभाव पड़ा हैं सरकार प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक नीतियों का अंश शोधन कर रही है। रुपये की गिरावट को रोकने और संरचनात्मक विकास हेतु विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल है: विदेशिक वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति और पोर्टफोलियों निवेश मानकों का उदारीकरण; संरचनात्मक ऋण नधियों के जरिये कारपोरेट बॉड मार्किट तक अधिक पहुंच के उपाय करना। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अटकलबाजियों को रोकने के उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों के ब्याज दरों को बढ़ाना, निर्यात ऋण की उपलब्धता को आसान बनाना और मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातें में जमा के 50 प्रतिशत को रुपया जमाओं में बदलने की शर्त।

(ङ) पारेषण (ट्रांसमिशन) चैनलों के गतिशील और जटिल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर यूरोप की आर्थिक मंदी के प्रभाव का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

काला धन

224. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन विदेशी बैंकों में आज की तारीख तक काले धन की कितनी धनराशि जमा होने का अनुमान है;

(ख) देश में आज की तारीख तक कुल कितना काला धन वापस लाया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अमरीका की तर्ज पर काले धन के संबंध में 'आम माफी योजना' लाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी खातों में जमा किए गए ध न, जो उनके वैध विदेशी जमाओं के अतिरिक्त है, का अनुमान लगाने के लिए कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं है। तथापि, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय नागरिकों के लिए स्विस बैंक का दायित्व 2.183 बिलियन स्विस फ्रैंक (सीएचएफ) था।

(ख) आज की तारीख तक देश में वापस लाए गए काले धन का अनुमान लगाने के लिए कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असंतोषजनक इंटरनेट-सेवा

225. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में लैंडलाइन और मोबाइल फोल उपभोक्ताओं को इंटरनेट-सेवाओं का लाभ उठाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा): (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), स्वयं द्वारा अधिसूचित किए गए सेवा की गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्कों के संबंध में ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वली तिमाही कार्य निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टो की मानीटरिंग करता आ रहा है जो, ट्राई द्वारा दिनांक 10.12.2001 को "डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट अभिगम सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता, विनियमावली, 2001" और दिनांक 6.10.2006 को "ब्रॉडबैंड सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता, विनियमावली, 2006" द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

ब्रॉडबैंड सेवा के संबंध में, दिनांक 06.10.2006 की ब्रॉडबैंड सेवा हेतु सेवा की गुणवत्ता, विनियमावली में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सेवा की अभिगम्यता का मूल्यांकन करने के लिए सेवा की उपलब्धता/अपटाइम पैरामीटर (सभी प्रयोक्ताओं के लिए प्रतिशत में) (बैंचमार्क-98%) निर्धारित किया है।

मार्च, 2012 को समाप्त तिमाही की कार्यानिष्पादन मानीटरिंग रिपोर्ट के अनुसार, सेवा प्रदाता सामान्य रूप से इस बैचमार्क का अनुपालन कर रहे हैं, तथापि, तीन सेवा प्रदाता अर्थात गुजरात में मैसर्स हैथवे (97%) और तमिलनाडु में मैसर्स टाटा कम्यूनिकेशन्स (93%) तथा मुंबई में मैसर्स सिस्कॉन इन्फोवे प्रा.लि. (96%)-न्यूनतम रूप से बैंचमार्क को पूरा नहीं कर रहे हैं।

(ङ) सेवा प्रदाताओं से सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करवाने हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. सेवा की गुणवत्ता विनियामवली में निर्धारित किए गए विभिन्न पैरामीटरों के लिए दिए गए बैंचमार्कों की तिमाही और मासिक कार्यनिष्पादन मानीटरिंग रिपोर्टों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी करना। इसके अतिरिक्त, इंटरकनेक्शन पयंट (पीओआई) संकुलन की भी मासिक आधार पर निगरानी की जाती है।

2. बुनियादी सेल्युलर और ब्रॉडबैंड सेवाओं की सेवा-गुणवत्ता का स्वयं अभिकरणों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करवाना। इन अभिकरणों के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्टि का सर्वेक्षण भी तिमाही आधार पर करवाया जाता है। इन परीक्षणों और सर्वेक्षणों के परिणामों को जनता/स्टेकहोल्डरों की जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाता है।

3. सेवा के गुणवत्ता संबंधी बैंचमार्कों को पूरा करने में होने वाली कमियों का समाधान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ मामले को उठाना।

अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

226. श्री के. सुगुमारः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक समावेशी प्रदर्श को सभी वर्तमान और भावी अध्यापकों की तैयारी तथा सतत व्यावसायिक विकासचर्या का अनिवार्य अंग बनाने तथा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अविभाज्य अंग बनाए जाने पर लगातार सरोकर व्यक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अध्यापकों को आधारभूत जानकारी प्रदान करने तथा समावेशी शिक्षा का कार्य कौशल सिखाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एनसीटीई) के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफटीई), 2009 की सिफारिशों पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं ने अन्य बातों के साथ-साथ समावेशी शिक्षा की संकल्पना और कार्यनीतियों को शामिल करने, विभिन्न प्रकार के समायोजनों, जिन्हें स्कूलों द्वारा सभी प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं के प्रति शिक्षण से संबद्ध किया जाना होगा, के प्रति शिक्षकों को उन्मुखी बनाने हेतु अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या ओर पाठ्यक्रम में सुधार किया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेवारत अध्यापक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा की योजना के अंतर्गत विशेष अध्यापकों को नि:शक्तता वाले सभी छात्रों को शिक्षा देने हेतु सक्षम बनाने के नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रमुख परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा

227. श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अवसंरचनात्मक क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें कोई खामियां पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी हां।

(ख) से (घ) सदस्य, योजना आयोग ने वर्ष 2012-13 की प्रथम तिमाही के लिए विद्युत सड़क, रेलवे, बंदरगाह एवं हवाई अड्डे जैसे अवसंरचना क्षेत्रकों की प्रगति की समीक्षा की है। समीक्षा का परिणाम निम्नानुसार है:

विद्युतः

क्षमता संवर्द्धन के संबंध में प्रगति पहली तिमाही में 30807 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 5266 मेगावाट (10 जुलाई, 2012 तक) है। प्राप्त किए गए क्षमता संवर्द्धन में तापीय और जलीय क्षेत्रकों का हिस्सा 3680 मेगावाट और 127 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 4965 मेगावाट और 301 मेगावाट था। 4551 सर्किट किलो मीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों के लक्ष्य के मुकाबले पहली तिमाही में 3699.4 सीकेएम पारेषण लाइनों को जोड़ा गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (आरजीजीवाई) के तहत पहली तिमाही के दौरान 1160 गांवों के लक्ष्य के मुकाबले 818 गांवों को विद्युतीकृत किया गया।

राजमार्गः

पहली तिमाही के दौरान एनएचडीपी के तहत 1785 किलो मीटर के लक्ष्य की तुलना में 100 किलोमीटर राजमार्ग प्रदान किया गया। इस अवधि के दौरान 774 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 649.55 किलोमीटर निर्माण पूरा कर लिया गया।

रेलवे:

पहली तिमाही के दौरान उत्पन्न होने वाला माल भाड़ा यातायात प्राप्ति 246 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 244.81 मिलियन टन थी। रेलवे 2141.49 मिलियन यात्रियों के लक्ष्य के मुकाबले 2103.01 यात्रियों को सवारी कराई।

बड़े नगरों की परियोजनाओं के मामले में, 473.36 करोड़ रु. के लक्ष्य के मुकाबले मई, 2012 तक भूमि अधिग्रहण और नागरिक प्राधिकरणों से निकासियों में हुए विलम्ब के कारण केवल 81.09 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं।

समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर (डीएसफसी) परियोजना के मामले में परियोजनाओं के लिए आवश्यक 74 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पहले से ही कर लिया गया है जबकि शेष भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही के अंत तक कर लिया जाएगा। पूर्वी कॉरिडोर के लिए 12 किलोमीटर के फैलाव के निर्माण के लिए तीन ठेके देने के लिए योजना को अंतिम रूप दिया गया है। सोननगर तथा दानपुनी के बीच 538 किलेमीटर के फैलाव को पीपीपी बीओटी (टॉल) मोड पर शुरू किया जाएगा।

मचोड़ा तथा मधेपुरा में रोलिंग स्टॉक के निर्माण हेतु रियायत देना प्राक्रियाधीन है।

पांच स्टेशन जैसे आनंद विहार, बिजवासन, चण्डीगढ़, हबीबगंज और शिवाजी नगर (पुणे) भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को सौंपे गए हैं जो केवल स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए सृजित किया गया एसपीवी है। रेलवे इन स्टेशनों को पीपीपी मोड पर विकसित करने की परिकल्पना करता है और चालू वर्ष के दौरान कम से कम एक स्टेशन प्रदान करेगा।

मुम्बई में 60 किलोमीटर की लम्बाई वाले एलिवेटिड कॉरिडोर के लिए 20000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी। राज्य समर्थन करार पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य सरकार के साथ वार्ता अग्रिम स्तर पर है। यह अपेक्षा की जाती है कि परियोजना मार्च, 2013 तक प्रदान कर दी जाएगी।

बंदरगाह:

बंदरगाह क्षेत्रक में पहली तिमाही में कोई भी परियोजना अवार्ड नहीं की जा सकी।

नागरिक उड्डयन:

प्रथम तिमाही के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाई अड्डों में निवेश 1048.42 करोड़ के मुकाबले 796.85 करोड़ किया गया।

(ङ) विभिन्न क्षेत्रकों की प्रगति की समीक्षा और मानिटरण तिमाही आधार पर किया जा रहा है जिससे कि प्रगति को तेज किया जा सके। जुलाई, 2012 में की गई पिछली समीक्षा के दौरान सभी मंत्रालयों से पहली तिमाही में हुई कमियों को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि दूसरी तिमाही के लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं।

आदर्श विद्यालय

228. **श्री एस. अलागिरी:**
श्रीमती मीना सिंह:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत आदर्श विद्यालयों/राष्ट्रीय आर्दश विद्यालयों की स्थापना का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में प्रतिपादित प्रविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आदर्श विद्यालयों की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) देश में राज्य-वार ऐसे कितने आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए स्थान-चयन का क्या मानदंड रखे जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने ऐसे ब्लॉकों में, जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं, सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत 2,500 मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए मॉडल स्कूल योजना अनुमोदित की है। वर्ष 2012-13 से इस घटक के कार्यान्वयन की शुरुआत हो चुकी है तथा पात्र निजी संस्थाओं की पूर्व अर्हता निर्धारित करने के लिए जुलाई, 2012 में अर्हता अनुरोध पत्र जारी किया गया है।

चयनित निजी संस्थाएं जैसे कि न्यास, सोसायटियां तथा अलाभकारी कंपनियां अभिकल्प, निर्माण, वित्त तथा संचालन के आधार पर मॉडल स्कूलों की स्थापना के उत्तरदायी होंगी। सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रों के लिए सरकार प्रति व्यक्ति-आधार पर आवर्ती लागत की

सहायता देगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रायेजित छात्र के लिए एसी सहायता के 25% के बराबर राशि भी अवसंरचना अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी जो स्कूल के कुल पूंजी निवेश के 10% के बराबर राशि से अधिक नहीं होगी। गुणवत्तायुक्त शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हेतु प्रारंभिक समझौता प्रत्येक स्कूल हेतु 10 वर्ष के लिए होगा, जिसका परस्पर समझौते द्वारा विस्तार किया जा सकेगा।

(घ) और (ङ) ऐसे ब्लॉकों में 2500 मॉडल स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव है जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं तथा अगले तीन वर्षों अर्थात 2012-13 में 500 स्कूल तथा 2013-14 एवं 2014-15 में हर वर्ष 1000 स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने देश में 3,203 ब्लॉकों की पहचान की है जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं। ऐसे ब्लॉकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ऐसे ब्लॉकों जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं (नॉन ईबीबी) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	नॉन ईबीबी
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9
2.	आंध्र प्रदेश	391
3.	अरुणाचल प्रदेश	39
4.	असम	97
5.	बिहार	4
6.	चंडीगढ़	20
7.	छत्तीसगढ़	72
8.	दादरा और नगर हवेली	0
9.	दमन और दीव	2
10.	दिल्ली	28
11.	गोवा	11
12.	गुजरात	139
13.	हरियाणा	83
14.	हिमाचल प्रदेश	113
15.	जम्मू और कश्मीर	118
16.	झारखंड	11
17.	कर्नाटक	106
18.	केरल	163
19.	लक्षद्वीप	8
20.	मध्य प्रदेश	112
21.	महाराष्ट्र	312
22.	मणिपुर	30
23.	मेघालय	30
24.	मिजोरम	35
25.	नागालैंड	36
26.	ओडिशा	142
27.	पुदुचेरी	3
28.	पंजाब	121
29.	राजस्थान	68
30.	सिक्किम	9
31.	तमिलनाडु	358
32.	त्रिपुरा	31
33.	उत्तर प्रदेश	150
34.	उत्तराखंड	77
35.	पश्चिम बंगाल	275
	कुल योग	3203

[हिन्दी]

शिक्षा की गुणवता

229. डॉ संजय सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त तंत्र से देश में शिक्षा की गुणवता का स्तर बनाए रखने और सुधारने में कहां तक मदद मिलती है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है और सर्व शिक्षा अभियान की कार्यान्वयन संरचना को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित कर लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कार्यक्रमों का प्रावधान करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोलना, अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करना, आवधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तकों तथा वर्दियों का प्रावधान, शिक्षकों की अधिगम अभिवृद्धि हेतु नियमित शैक्षिक सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के कार्यान्वयन के विषय में पाठ्यचर्या सुधार शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को परामर्शी जारी की है जिसमें (i) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 को ध्यान में रखते हुए आयु के अनुकूल पाठ्यचर्याओं और पाठ्यक्रमों का निर्माण करना, (ii) विषयगत संतुलन बनाए रखना, (iii) पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु और उनके निर्माण संबंधी सुधारों को शुरू करना, (iv) अधिगम हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करना शामिल है।

प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) आवधिक रूप से शिशु उपलब्धि सर्वेक्षण संचालित करती है। अब तक एनसीईआरटी ने कहा III, V और VII/VIII के लिए सभी विषयों में शिशु उपलब्धि सर्वेक्षणों के दो चरण पूरे कर लिए हैं। एनसीईआरटी ने शिशु उपलब्धि सर्वेक्षण का तीसरा चरण आरंभ कर दिया है और कक्षा V के मामले में यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्ष 2010 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक मूल्यांकन किया था जिसमें कहा गया है कि पहुंच और नामांकन में महत्त्वपूर्ण सुधार के साथ-साथ नामांकन में सामाजिक तथा लैंगिक समानता आई है। इसके अलावा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए देश के प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की भारत सरकार के नामितियों के साथ सर्व शिक्षा अभियान के विकास भागीदारों, अर्थात् विश्व बैंक, डीएफआईडी और यूरोपीय कमीशन द्वारा द्विवार्षिक समीक्षा की जाती है। आज तक 15 संयुक्त समीक्षा मिशन आयोजित किए गए हैं।

माध्यमिक स्तर पर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने स्कूलों में चरणबद्ध रूप से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना शुरू की है ताकि इससे संबद्ध स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के प्रत्यायन पर पायलट परियोजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य पहले से निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वत: विश्लेषण तथा स्वत: मूल्यांकन के माध्यम से सतत गुणवत्ता सुधार के लिए सांस्थानिक क्षमता विकास है। यह सभी प्रत्यायित स्कूलों को उनके अनूठे दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए उनके लिए स्वीकार्य गुणवत्ता के स्तर को स्थापित करने का प्रयास करता है। बोर्ड ने स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन तथा प्रत्यायन पर सी.बी.एस.ई. मैनुअल तैयार करके इस संबंध में बैंचमार्क तथा दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

कक्षा 10 तक के सभी बच्चों की गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। स्कीम में 5 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराने तथा अवसंरचना तथा शिक्षकों के सुदृढीकरण के द्वारा सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की अभिकल्पना की गई है। साथ ही, वर्ष 2010 में "स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी" की केन्द्र प्रायोजित योजना को संशोधित किया गया था ताकि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर साधित अधिगम तथा आईसीटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके और फलस्वरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सके।

उच्चतर शिक्षा के स्तर पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), जिसके पास विश्वविद्यालयों में समन्वय और मानकों का निर्धारण करने का अधिदेश है, भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु लक्षित बहुत सी योजनाएं चला रहा है और उसने सैमेस्टर प्रणाली का आरंभ, पाठ्यचर्या का अनियमित अद्यतन और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली इत्यादि जैसे शैक्षिक सुधारों के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो अधिकतर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित हो गए हैं। यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण के स्तर में सुधार के लिए "विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अध्यापकों और अन्य अकादमिक स्टॉफ की भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय, 2010" पर विनियम भी जारी किए हैं। यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों पर प्रत्यायित करती है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तकनीकी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को प्रत्यायित करता है।

[अनुवाद]

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन और बढ़ाना

230 श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से चयनित अधिकारियों की संख्या और बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और विभिन्न अन्य समूह 'क' और समूह 'ख' सेवाओं सहित 24 सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाती है। विभिन्न सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी सीएसई के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में सूचना देते हैं। सीएसई 2010 और 2011 के लिए कुल रिक्तियां क्रमश: 1043 और 1001 थीं। सिविल सेवा परीक्षा 2012 के लिए, भा.प्र.से. में सीएसई-2011 में 170 की तुलना में 180 रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग को अधिसूचित की गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

लंदन ओलम्पिक 2012 में भारत के लिए पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है, आप सभी मेरे साथ श्री विजय कुमार, श्री गगन नारंग और सुश्री सायना नेहवाल को लंदन ओलंपिक, 2012 में विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भारत के लिए पदक जीतकर गौरव दिलाने के लिए हार्दिक बधाई देंगे।

श्री विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग प्रतिपर्धा के फाइनल में देश के लिए रजत पदक जीता।

श्री गगन नारंग ने पुरुषों की 10 मीटर एअर राईफल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में देश के लिए कांस्य पदक जीता।

सुश्री सायना नेहवाल ने महिलाओं की बैडमिंटन एकल प्रतिपर्धा में कांस्य पदक जीता।

ये उपलब्धियां पूरे देश में आगामी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगी।

मुझे विश्वास है कि सभा उन्हें और भारतीय ओलम्पिक दल को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देने के लिए मेरे साथ शामिल होंगी।

अपराह्न 12.02 बजे

स्थगन प्रस्ताव

असम में अवैध घुसपैठ तथा असम के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों मुझे सभा को सूचित करना है कि "असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और कोकराझार जिला, धुब्री और अन्य जिलों के बीटीएसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई नस्ली हिंसा जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं, पर काबू पाने में सरकार की विफलता" के बारे में सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, योगी आदित्य नाथ, एस.के. बैसीमुथियारी, अनंत गंगाराम गीते, लाल कृष्ण आडवाणी, बसुदेव आयार्च, शरद यादव, डॉ. रामचन्द्र डोम और श्री पी. करुणाकरन से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई और कि श्री योगी आदित्य नाथ ने प्रस्ताव पेश करने वाले बैलेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तथापि, श्री योगी आदित्य नाथ ने अनुरोध किया कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी को उनके स्थान पर स्थगन प्रस्ताव पेश करने हेतु सभा की अनुमति दी जाए। तदनुसार उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी:-

"असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति का आकलन करने और कोकराझार जिला, धुब्री और अन्य जिलों के बीटीएसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई नस्ली हिंसा जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, और हजारों लोग बेघर हुए हैं, पर काबू पाने में सरकार की विफलता।"

तत्पश्चात् श्री लाल कृष्णा आडवाणी ने प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मेरे प्रस्ताव की मूल प्रति जो आपने पढ़ी है से भिन्न है ...*(व्यवधान)* स्थगन प्रस्ताव वह मूल पाठ है जो मैंने पटल पर रखा है। वह उन्होंने कहा है उससे भिन्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सब बैठ जाइए। हर समय ऐसा नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्रीमती हरसिमरत कौर (बादल): महोदया, कृपया यह बताएं कि क्या आपको नोटिस प्राप्त हुआ है या नहीं तथा आप इस बारे में क्या कह रही हैं।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अभी कुछ नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

मैंने इसे ले लिया है और यह प्रक्रिया में है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया नियम समझें। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कृपया हस्तक्षेप न करें। हस्तक्षेप न करें क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अभी बैठ जाइए। आडवाणी जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कृपया प्रक्रिया बाधित न करें। आपने नोटिस दिया होगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): हमारा एडजर्नमेंट मोशन कब लगेगा, हमें यह बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: यह प्रोसेस समाप्त हो जाए, इसके बाद आप पूछिएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. रतन सिंह अजनाला: महोदया हमने नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रक्रिया के बीच में ही मैं इसे रोकने वाली नही हूं।

[हिन्दी]

यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आडवाणी जी, प्लीज़ आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यदि आप नहीं चाहते तो आप इसे जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: जी नहीं। अब

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि अध्यक्ष नियम तोड़े और प्रक्रिया बाधित हो। मैं इसे नहीं कर सकती। इसे समाप्त करें। मैं आपके प्रश्न की ओर आऊंगी लेकिन इसके बीच में नहीं। कृपया समझने की कोशिश करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रतन सिंह अजनाला: हमने नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, मेरी बात समझिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी, मेरी बात सुनिए। आपका कोई एडजर्नमेंट मोशन नोटिस नहीं है, आपका नोटिस है सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर का।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रश्नकाल खत्म हुआ। अब स्थगन प्रस्ताव लेते हैं जो प्रक्रिया में हैं। कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

आडवाणी जी, प्लीज आप बोलिए। अजनाला जी, बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदया, मैं असम में अवैध घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति के आकलन और कोकराझार से उत्पन्न स्थिति के आकलन और कोकराझार, धुब्री और अन्य जिलों के बीटीएसजी क्षेत्र में जहां कई लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हो गए। बड़े स्तर पर नक्सली हिंसा के नियंत्रण में सरकार की विफलता के संबंध में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: क्या अनुमति का कोई विरोध है? नहीं।

अत: अनुमति दी जाती है।

नियम 61 के तहत, स्थगन प्रस्ताव 4 बजे या उससे पहले लिया जाएगा। नियम 62 के तहत इसकी चर्चा के लिए 2 घंटे और 30 मिनट से कम नहीं दिया जाएगा। चर्चा में भाग लेने के लिए इच्छुक सदस्यों की बड़ी संख्या को देखते हुए मुझे लगता है कि पटल पर पत्र/प्रतिवेदन रखने के तुरंत बाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। मुझे लगता है कि सदन सहमत है।

कई सदस्यगण: जी हां।

अपराह्न 12.12 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 16 जुलाई, 2012 को प्रख्यापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संसथान (संशोधन) अध्यादेश, 2012 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** एलटी संख्या 7061/15/12]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 वी धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) भारतीय पुलिय सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 2012, जो 25 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 500 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेव (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2012, जा 25 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2012, जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 324 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2012 जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 325 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** एलटी संख्या 7062/15/12]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया मैं श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1390 (अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता मानदंडों के संबंध में ओडिशा राज्य को छूट प्रदान की गई है।

(दो) का.आ. 1391 (अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता मानदंडों के संबंध में मेघालय राज्य को छूट प्रदान की गई है।

(तीन) का.आ. 1264 (अ) जो 1 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हता मानदंडों के संबंध में त्रिपुरा राज्य को छूट प्रदान की गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एलटी संख्या 7063/15/12]

(2) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी भुवनेश्वर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एलटी संख्या 7064/15/12]

(4) (एक) उजाला सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), जम्मू और कश्मीर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एलटी संख्या 7065/15/12]

(6) (एक) सर्व शिक्षा अभियांन राज्य मिशन अथॉरिटी, अरुणाचल प्रदेश, इटानगर 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथॉरिटी, अरुणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एलटी संख्या 7066/15/12]

(8) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** एलटी संख्या 7067/15/12]

अपराह्न $12.12^1/_2$ बजे

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मुझे सभा को सूचित वरना है कि मुझे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री विजय बहुगुणा का दिनांक 23 जुलाई, 2012 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने तत्काल प्रभाव से लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। मैंने उनका त्याग-पत्र जुलाई, 2012 से स्वीकार कर लिया।

अपराह्न 12.13 बजे

लोक सभा में स्थान रिक्त होना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मुझे यह भी सूचित करना है कि भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के जांजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेण का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य श्री प्रणब मुखर्जी भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के खंड (1) के अनुसार 25 जुलाई, 2012 से लोक सभा के सदस्य नहीं रहे।

अपराह्न $12.13^1/_2$ बजे

दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसुर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में प्रो. पी.जे. कुरियन की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राज्य सभा से एक सदस्य को नियुक्त करें और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में प्रो. पी.जे. कुरियन की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राज्य सभा से एक सदस्य को नियुक्त करें और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 12.14 बजे

स्थगन प्रस्ताव

असम में अवैध घुसपैठ तथा असम के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा–*जारी*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अब सभा स्थगित हो।"

[हिन्दी]

महोदया, मैं असम के इस विषय पर बोलने से पहले सदन के नए नेता और गृह मंत्री शिंदे जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह जिम्मेदारी सम्भाली है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस चर्चा के समय प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित है। क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन केन्द्रीय सरकार की किसी विफलता के ऊपर होता है। असम की साधारण स्थिति में तो हम असम सरकार की चर्चा ज्यादा करते। लेकिन अध्यक्ष महोदया ने मुझे इस एडजर्नमेंट मोशन का कंसेन्ट देकर मेरे ऊपर एक प्रकार से जवाबदेही डाल दी है। मेरी ओर से चर्चा का केन्द्र-बिंदु यह है कि केन्द्र सरकार का क्या दायित्व रहा है, जिसके कारण हम समझते हैं कि जो घटनाएं इन दिनों असम में हुई हैं, उनमें यह विफलता मुख्यरूप से केन्द्र सरकार की है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे बहत खुशी है कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी यहां उपस्थित हैं और यह इसलिए भी उपयुक्त है कि पिछले 22 सालों से डॉ. मनमोहन सिंह जी अगर संसद में हैं तो वे असम के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं। दोनों दृष्टि से इस बात का महत्व है कि वे और हमारे नये गृह-मंत्री दोनों यहां उपस्थित हैं। हम चाहते थे कि प्रातःकाल 11 बजे ही इस पर चर्चा शुरू हो और कुछ हमारे मित्रों ने सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चयन ऑवर का नोटिस दिया था। उस समय मैंने देखा कि आज के हमारे गृह मंत्री और पूर्व-गृह-मंत्री जी बैठे हुए थे। मुझे लगा कि यह संयोग की बात है और अगर चर्चा इस समय शुरू होगी तो ये सभी के सभी होंगे।

पिछले दिनों 30-31 तारीख को मैं असम गया था, कोकराझार गया था, जहां पर ये घटनाएं सबसे अधिक हुई। उस दिन मैं अगर कोकराझार में था तो उस समय के गृह-मंत्री श्री चिदम्बरम जी धूबरी में थे, पड़ोस के जिले में थे। मैं इस बात से सहमत हूं कि हिंदुस्तान के अलग-अलग भागों में जब इस प्रकार के तनाव होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसमें कई बार बहुत लोगों की मौत हो जाती है। यहां हिंसा हुई है और उसके कारण कई लोग मरे हैं लेकिन शुरू में जब उल्लेख हुआ कि 100 लोगों की मृत्यु हुई, तो सजेस्ट किया गया कि वस्तुस्थिति यह नहीं है, हिंसा तो बहुत हुई है लेकिन अगर आप मरने वालों की संख्या न लिखकर आप लिखें कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई है तो ठीक रहेगा। इस सुझाव को हमने मान लिया और उसमें "बहुत" शब्द आ गया। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार जो कुछ हुआ है वह असम की जनसंख्या जो लगभग तीन करोड़ होगी और उसमें दो लाख से अधिक, जबकि कुछ लोग तीन लाख कहते हैं कुछ चार लाख कहते है, और बेघरबार हो जाएं,

[अनुवाद]

यह पहले नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

इस स्केल की डिस्टर्बेंस, जिसके कारण इतने लोब बेघरबार हो जाएं। मैं बोडो और नॉन-बोडोज के रिलीफ कैम्प में गया था और उनसे मिला था। उनमें अधिकतर महिलाएं और उनके बच्चे थे। वे बड़ी दु:खी थीं और वे बार-बार मुझे कहती थीं कि एक और प्रदेश है जहां के बारे में हमने सुना कि लोग अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में बेघरबार हो गये हैं, शरणार्थी बन गये हैं और वह जब हुआ, उसे काफी समय हो गया है और आज तक वे लौटे नहीं हैं, ऐसा न हो कि हमारी दशा भी वैसी ही हो जाए और हम अपने-अपने घरों से निकाले गये हैं। जो तीन-चार जिले खासतौर से बोडोज के प्रभावित हैं। दोनों ही कैम्पों में मैं जिन महिलाओं से मिला, दोनों कैम्पों में लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने घरों को वापस जा ही नहीं सकेंगे। मैं आरम्भ में ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सवाल को सांप्रदायिक नजर से नहीं देखना चाहिए।

महोदया, जब मैं कोकराझार गया था तब भी मैंने कहा कि

[अनुवाद]

किसी भी व्यक्ति को हिन्दू बनाम मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाने दीजिये

[हिन्दी]

मैं इसके साथ एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब यह बात कही गई कि यह एथनिक वायलेंस है, जिसमें से भाव यह आता है कि यह बोडोज़ और नॉन बोडोज़ के बीच में है। मैं मानता हूं कि भले ही दोनों बातों में थोड़ी-थोड़ी सच्चाई होगी, लेकिन मुख्य रूप से हमें समझना होगा कि जो स्थिति आज असम में पैदा हुई है वह मूलत: हिंदू वर्सिस मुस्लिम या ट्राइबल वर्सिस नॉन ट्राइबल नहीं है। मूलत: इस समस्या की जड़ है कि भारतवासी कौन है और विदेश से आया हुआ कौन है। इस तथ्य को पहचानने के बाद अप्रोच में संतुलन रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि असम में पहले से बहुत सारे असमिया मुस्लिम लोग बसते हैं और बहुत सालों से बसते हैं। उनके साथ समस्या नहीं है। यह बात सही है कि बहुत सारे लोग पड़ोसी देश से घुसपैठिए के रूप में आते हैं, वे अपनी भाषा असमिया लिखाते हैं, लेकिन उन्हें असमिया भाषा का एक शब्द नहीं नहीं आता है। वे बंगला बोलते हैं। मैं कहूंगा कि अगर मूलत: इसकी जड़ को हम पहचानेंगे कि बंगलादेश से बहुत सालों से हो रही घुसपैठ के कारण धीरे-धीरे केवल असम के लिए नहीं, केवल पूर्वी भारत के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की सुरक्षा संकटग्रस्त हो गई है। इस तथ्य को अगर हम पहचानेंगे तो मानना पड़ेगा कि आज असमिया लोग भी, जो बहुत सालों से असम में रहते हैं उन्हें लगता है कि जिस स्केल

की अशांति और जिस स्केल की हिंसा आज असम में हुई है, वह अगर देश के किसी और भाग में हुई होती तो आप देखते सभी के सभी कहते कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यह कानून बना दो, धारा 356 लगा दो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहां पत्र-पत्रिकाओं में से भी किसी को यह एकसास नहीं होता कि वहां कितनी खराब स्थिति है। इसका कारण यह है कि कुछ थोड़े से जिले हैं, जहां यह सब हुआ है। मैं एक प्रकार से कहूंगा कि उन जिलों में स्थिति आई है, जहां एनडीए ने अपना योगदान दिया था और बोडोज की मांगों के बारे में सोच कर टेरीटोरियल काउंसिल बनाई और जब टेरीटोरियल काउंसिल बनी, उसके कारण बोडोज की जो मांग थी कि उन्हें अलग बोडोलैंड मिले, वैसा नहीं हुआ लेकिन उसके स्थान पर कुछ तो किया गया। इसलिए जब हमारे मित्र वहां इस हिंसा को देखने के लिए गए थे और कुछ करने के लिए गए थे, तब उन्हें कहा गया कि एनडीए की सरकार ने सही कदम उठाया। लेकिन आज उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है क्योंकि पास के देश से बहुत सारे घुसपैठिए आए हैं। इस कारण लोग कहते हैं कि इन्हें अधिकार दिए हैं यह मानकर कि इनकी बड़ी संख्या है, हमारी संख्या अब ज्यादा हो गई है। मैं आपके सामने बात कहना चाहूंगा कि न केवल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह बहुत बड़ा कलंक है। प्रधानमंत्री वहां उसी दिन 28 तारीख को गए थे, जिस दिन यहां इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल छपा और आर्टिकल लिखने वाले मिस्टर ब्रह्म थे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने एक लम्बा आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किया और पूछा कि अचानक ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यह घुसपैठ आज ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

"असम व्यवहारत: बहुत बड़े टिंडर बॉक्स (आग जलाने की डिबिया) पर हैं

[हिन्दी]

इन्होंने ह्यूज टिंडर बॉक्स का प्रयोग किया है और आज प्रात:काल का मैं अखबार उठाकर देखता हूं कि वहां के मुख्य मंत्री तरुण गोगोई साहब ने कहा है कि

[अनुवाद]

असम ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है।

[हिन्दी]

असम ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। दोनों का भाव यही है कि एक तो स्थिति आज की जो खराब हुई है और दूसरे यह कि ऐसी विस्फोटक स्थिति बनी है कि अगर उसके लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी फिर से विस्फोट हो सकता है, फिर से वैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

मैं इलेक्शन कमीशन को कोट करता हूं। उन्होंने कहा कहा है:

[अनुवाद]

भारत का चुनाव आयोग भी इस समस्या से विमुक्त नहीं है। इसे डी-वोटर्स की समस्या से भी निपटना है।

[हिन्दी]

इलेक्शन कमीशन ने एक नया शब्द डी-वोटर्स प्रयोग किया है। डी-वोटर्स का मतलब डाउटफूल वोटर्स है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी नेशनेलिटी के बारे में ही संदेह है कि वह भारतवासी है कि नहीं है तो फिर वह वोटर कैसे हो सकता है? वोट देने का अधिकार केवल भारतवासी को है यानी जो भारत का नागरिक है, केवल उसी को है और उन्होंने कहा है कि

[अनुवाद]

अच्छे जानकार लोगों द्वारा यह कहा गया है कि असम में 27 जिलों में से 11 जिले मुस्लिम बहुल जिले होने जा रहे हैं जैसे ही धर्म-वार 2011 की जनगणना के आंकड़े जनगणना अधिकारियों द्वारा प्रचारित होते हैं।

[हिन्दी]

फिर कहा है

[अनुवाद]

अवैध आप्रावसियों तथा गैर-स्वदेशी समुदायों द्वारा सरकारी जमीनों को व्यवस्थित ढंग से हड़पना तथा वन क्षेत्र को तेजी से अतिक्रमण ने स्थानीय स्वदेशी आबादी में गंभीर मतभेद पैदा कर दिये हैं।"

[हिन्दी]

'धीरे धीरे करके जो असम की मूल जनता है, उसके मन में भाव यह आ रहा है कि हमारी सब जमीनें भी दूसरे लोग ले जाएंगे, हम उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। इसको केवल हिन्दू, मुस्लिम के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए।

मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि इसको भारतवासी और विदेशी इस संदर्भ में देखना चाहिए।...*(व्यवधान)* महोदया, मैं याद करता

हूं कि इसका जो आरम्भ हुआ, इस समस्या की ओर अगर सारे देश का ध्यान किसी ने दिलाया तो 1980 में जब वहां के छात्रों ने, नौजवानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और मैंने अपने 60 साल के राजनैतिक जीवन में बहुत सारे आंदोलन देखे लेकिन जितना उस असम के आंदोलन का व्यापक रूप था और जितनी पहुंच उनकी थी और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से केवल उनका नेता आदेश देता था और उस दिन असम बंद रहता था। यहां तक कि चुनाव में भी लागों ने भाग नहीं लिया। ऐसी स्थिति हुई और उस आंदोलन के बाद स्वाभाविक रूप से 1980 में ऐसा हुआ और शायद 1981-82 में एजीपी की सरकार आई होगी या वर्ष 1985 में आई थी। उसके तुरंत बाद उसका परिणाम राजनैतिक ही निकला। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रानी नरह (लखीमपुर): ये लोग 6 साल तक आंदोलन करने के बाद सरकार में आए थे और आंदोलन के दौरान कम से कम 600 लोग जो मारे गऐ थे, उसमें से 6 आदमी भी डिटैक्ट नहीं हो पाए थे, यह बात भी तो आप बताइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे इसकी जानकारी है।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि आज भी अगर बंग्लादेशी कोई आता है और उसको अगर कोई मारता है तो यह कोई खुशी की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री बदरूद्दीन अजमल (धुबरी): मैडम, एजीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने बंग्लादेशी आइडेंटिफाइ हुए थे, उनको रिकार्ड में आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं कहता हूं कि अगर कोई भारतवासी है और वह बेघर हो गया तो सरकार की जवाबदेही है कि उसको घर दे। लेकिन अगर कोई विदेशी भी यहां आता है और उसकी कोई हत्या करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, उस पर किसी भी प्रकार से खुशी व्यक्त नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि यह एथनीसिटी का सवाल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि साम्प्रदायिक के स्थान पर एथनीक वॉयलेंस कहने पर आपत्ति नहीं है। मैं दोनों को गलत मानता हूं और इस सवाल पर मैं मानता हूं कि बंगलादेश से जो घुसपैठ है और उसके कारण जो परिणाम पैदा होता है, स्थिति पैदा होती है, वह एक बहुत गम्भीर मामला है और उसमें स्टेट गवर्नमैन्ट से ज्यादा जवाबदारी केन्द्र सरकार की है। इसीलिए मैं इसे बहुत महत्त्वपूर्ण मानता हूं और जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं विपक्ष का कोई व्यक्ति हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन

[अनुवाद]

जो मैं कहता हूं उसके प्रत्येक शब्द पर देश की उच्चतम न्यायपालिका द्वारा टिप्पणी की गई है।

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में आईएमडीटी एक्ट को जब रद्द किया तो उन्होंने उसमें जो-जो कहा है, वह बहुत गम्भीर मामला है। प्रधान मंत्री जी एक प्रकार से आपकी सरकार पर आरोप लगाया

[अनुवाद]

कि आप विदेशी आक्रमण के साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जो कुछ हो रहा है, वह फॉरेन एग्रेशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और उन्होंने आर्टिकल 355 साइट किया

[अनुवाद]

यह किस प्रकार से केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। यह देखना कि इस विदेशी आक्रमण को बंद किया जाए।

[हिन्दी]

उन्होंने इल्लिगल इमिग्रेशन को एक्सटर्नल एग्रेशन कहा।

[अनुवाद]

मैं उन सभी का विस्तारपूर्वक उद्धरण नहीं करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

इतना ही नहीं उसके बाद 2005 में आईएमडीटी एक्ट;

[अनुवाद]

जिसमें विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे थे उसके लिये आई.एम.डी.टी. अधिनियम अब हल हो सकता था।

[हिन्दी]

राजीव गांधी जी ने किया था और उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत भला किया। लेकिन धीरे-धीरे करके सब लोगों को लगा और सुप्रीम कोर्ट में जब किसी ने पीआईएल दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इतना तीखा कटाक्ष किया कि वह कमाल है। जिन्होंने एक प्रकार से हिंदुस्तान में सिटीजनशिप एक्ट बनाया और जिन्होंने चाहा था कि कोई भी किसी भी समय भारत का सिटीजन बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे खत्म कर दिया। इतना ही नहीं उसके बाद आश्चर्य हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एकट खत्म करके उन्हें कहा कि जो फॉरेनर्स एक्ट है, वह लागू करके जो विदेशी हैं, उन्हें निकाल दो। 1964 का एक ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को लगाओ तो भारत सरकार ने तय किया कि जो 1964 का ऑर्डर है, वह असम पर नहीं लगेगा।

[अनुवाद]

यह पहली बार है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर आई.एम.डी.टी. अधिनियम को रद्द करने के पश्चात् उसे एक बार पुनः हस्तक्षेप करना पड़ा तथा यह कहना पड़ा कि अब जो कुछ हुआ है वह हमारे फैसले को रद्द करता है तथा हमारे फैसले को लांघना है।

[हिन्दी]

और उन्होंने कहा कि असम पर लागू नहीं होगा और उन्होंने उसे भी रद्द कर दिया और जो उसके बाद 2005-2006 का डिसीजन था, हमारे कपिल जी बैठे हैं, उन्होंने ये सब पढ़ा होगा। लेकिन उन्हें सबको पता है, लेकिन बेसिकली उनका 2006 के बारे में कहना है कि 2006 का निर्णय करते हुए हमें लगता है कि पिछली बार हमने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, भारत सरकार को यह नहीं कहा कि आईएमडीटी एक्ट को खत्म करने के बाद आपको विदेशी घुसपैठियों को कब तक निकालना चाहिए, हमने नहीं कहा। लेकिन अब हम कहते हैं, उन्होंन कहा कि हमें लगता है कि

[अनुवाद]

इस न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुपालन करने की बजाए आवश्यक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तथा इंडिया अर्थात् भारत के कुछ हिस्सों के जनांकिकीय संतुलन को बनाये रखने तथा असम में 1964 के आदेश को अक्षरशः कार्यान्वित करने वाले प्रौद्योगिकियों ने असम में 1964 के आदेश को लागू न किये जाने का चयन किया है हमें एक बार पुनः खेद है कि यह सुनिश्चित करने कि अवैध अप्रवासी देश से बाहर भेजा हो संबंधी मामले में इच्छा का अभाव है।

[हिन्दी]

और फिर इसके कारण उन्होंने कहा कि

[अनुवाद]

हम यह दिशानिर्देश देते हैं कि विदेशी जो बांगलदेश से अवैध तरीके से आये हैं अथवा असम में रह रहे हैं कि मामलों के साथ प्रभावी रूप से निपटने के लिये 1964 के आदेश के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में अधिकारियों के गठन हेतु भारत संघ को जारी किये गए दिशानिर्देशों को इस निथि से चार माह की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाये।

[हिन्दी]

इसकी तारीख 5 दिसम्बर, 2006 हैं। पांच दिसम्बर, 2006 को यह ऑर्डर इश्यु किया है कि चार महीने के अंदर-अंदर हमने आईएमडीटी एक्ट को खत्म करते हुए जो ऑर्डर दिया था, उसे इम्पलीमैन्ट करो।

[अनुवाद]

मैं केन्द्रीय सरकार की इससे ज्यादा विफलता के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। मैं सोच नहीं सकता हूं।

[हिन्दी]

मैं विस्तार से जा सकता हूं कि किस प्रकार से इस प्रकार के इल्लिगल इमिग्रेशन ने वहां पर लोगों के लिए समस्या पैदा की है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन न करने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है यह केवल असम के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक महान संकट है।

प्रधानमंत्री जी, पिछले काफी दिनों से आर्थिक मामलों को लेकर लोग कहते रहे हैं कि यह सरकार इस मामले में विफल हुई, उस मामले में विफल हुई। उसकी चर्चा इस सेशन में होगी। स्पीकर महोदया ने जो पहली-पहली बैठक बुलाई थी, उसमें हमको ऐसा आश्वासन मिला था कि उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ उससे भी गंभीर केवल असम की सुरक्षा के लिए ही नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए जो संकट पैदा हुआ है, वह इसमें से निकलता है।

[अनुवाद]

देश में अवैध प्रवसन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों, आदेशों को कार्यान्वित करने में विफलता

[हिन्दी]

मैं कंटेंप्ट नहीं कहूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह देश के लिए संकट है। राष्ट्र के लिए संकट है। आफ्टर ऑल असम की सामरिक स्थिति ऐसी है कि वह देश की सुरक्षा के लिए स्वंय ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसका सामरिक महत्व है। इसकी उपेक्षा करना मैं बहुत गंभीर संकट मानता हूँ। *...(व्यवधान)*

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) आडवाणी जी तभी एकॉर्ड हुआ था। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं जानता हूँ। *...(व्यवधान)* मैं जानता हूँ कि एकॉर्ड हुआ था। उस एकॉर्ड के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया है। *...(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार: उस पर चर्चा होगी, कई बार चर्चा होगी। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कई बार चर्चा होगी। *...(व्यवधान)* लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार से सुप्रीम कोई की उपेक्षा करके सरकार कुछ भी करती रहेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): जब तक आप उसकी पालना नहीं करोगे, चर्चा होगी और बार-बार होगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे तो कभी-कभी खुशी होती है। मैंने अभी दो-तीन दिन पहले अपने हिसाब से, मैंने केवल पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोला था कि मैं अपने कार्यकर्त्ताओं को उत्साह दिला रहा था। लेकिन मैंने एक ब्लॉग लिखा था। *...(व्यवधान)* मुझे पढ़कर कर के खुशी हुई कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि आडवाणी ने तो हार स्वीकार कर ली है। मैंने कहा कि अच्छा! प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहता हूँ, मैं तो अपनी दृष्टि से कहता था, सोच कर आया था कि आज मैं मांग करूंगा कि यह विषय ऐसा है। आपकी जो पहली-पहली सरकार बनी थी, जिसको आप यूपीए-1 कहते हैं, चुनाव में से बनी थी, वह लेजिटिमेट था। ।

[अनुवाद]

मैं इसमें से कुछ भी अवैध नहीं देखता हूं।

[हिन्दी]

लेकिन आपकी जो दूसरी सरकार बनी है, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में मतदान जीतने के लिए, लोक सभा में मतदान जीतने के लिए कभी करोड़ों रुपये खर्च नहीं हुए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: प्रधानमंत्री जी मुझे याद है, आप यहां पर थे, जब मैंने कहा था कि मेरे जिन साथियों ने करोड़ों रुपये ला कर सदन में पटके, दिखाए थे *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): कुछ लोग जेल जाएंगे। *...(व्यवधान)*

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम): यह बीजेपी की संस्कृति है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: प्रधानमंत्री जी, मैं तो यह मांग करने वाला था कि इस इश्यू पर राष्ट्र की सुरक्षा के इश्यू पर असम के सवाल को ले करके जनता से मत लिया जाए। जनता के पास जाया जाए और उनसे राय ली जाए कि आपकी क्या राय है? मैं मानता हूँ कि** *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों में रिकार्डों को देखूंगी। जो कुछ भी आपत्तिजनक होगा उसे मैं कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं यह करुंगी। मुझे कार्यवाही वृत्तांत तो देखने दीजिए। कृपया ऐसे मत कीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगी।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, ऐसा कुछ नहीं कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदया, मैं तो राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* देशी-विदेशी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): अध्यक्ष महोदया, आडवाणी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है तथा हम सभी उनका सम्मान करते हैं ...*(व्यवधान)*। परन्तु आज वे यह कह रहे हैं कि संपूर्ण चुनाव ...*(व्यवधान)* अत:, यह उन सभी लोगों का अपमान जिन्होंने हमने चुना है ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने ऐसा नहीं कहा है ...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे: जी हां। इसका यह अभिप्राय है कि ...*(व्यवधान)* मेरे विचार से उन्हें अपने श्ब्दों को वापिस लेना चाहिये। आज इस सत्र का पहला दिन है ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने यह कहा था, उस दिन भी वे व्यक्ति जो विसलब्लोअर्स थे जेल भेजे गये थे; नि:स्संदेह वे बाहर आ गये हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार: अध्यक्ष महादेया, उन्हें अपने शब्द वापिस लेने चाहिये ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदया, मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, मैं 2009 के चुनाव का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं सभा में विश्वास मत का उल्लेख कर रहा हूं ...*(व्यवधान)* मैं 2009 के चुनाव का उल्लेख नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदया, मंत्री सभा में व्यवधान डाल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगी और यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकलवा दूंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपत्तिजनक, असंसदीय शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य कृपया अब अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैडम, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं। मैं 2009 के चुनाव के बारे में नहीं बोल रहा था। ...*(व्यवधान)* 2008 में जो विश्वास मत लिया गया था, मैं उसके बारे में टिप्पणी कर रहा था। ...*(व्यवधान)* 2009 के चुनाव का जिक्र मैंने नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं 2008 के विश्वास मत का उल्लेख कर रहा था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। जरा सा शांत हो जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम सभी असम के लोगों के बारे में चिंतित हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप हर समय क्यों बोलते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

आडवाणी जी, आप जो बोल रहे थे, आप सब ठीक बोल रहे थे लेकिन एक शब्द पर सबको ठेस पहुंची।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप जरा सा सुन लीजिए। एक शब्द पर सबकी भावना को ठेस पहुंची है और आप अगर उसे वापस ले लेते हैं, तो हम आगे चलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदया, मैंने यूपीए-2 को कह दिया, मेरी गलती थी। मेरा कहना था कि यूपीए-1 के समय में ही एक प्रकार से जब विश्वास मत यहां लिया गया तो हिन्दुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ ...*(व्यवधान)* मैंने साफ कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बोल दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: आप बोल दीजिए कि आपने विद्ड्रा कर लिया है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने वह विदड्रा कर लिया है और मैंने यह कहा था कि मेरे शब्द उस समय लिए गये विश्वास मत के बारे में थे। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, दूसरी बात उसकी नैतिक बात के साथ-साथ मुझे इस पर की आपत्ति है, जिस पर श्री आडवाणी जी फिर दबाव रे रहे हैं। महोदया, कृपया नियम, 58 देखिए नियम 58 (दो) में यह कहा गया है "एक प्रस्ताव पर एक से अधिक मामलों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।"

आडवाणी जी आपने असम से जुड़े मामलों पर स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी जैसाकि इस संबंध में आपने अध्यक्ष महोदया से उल्लेख किया किया था यहां कौन से मामले उठाए जा रहे हैं। उसके पश्चात नियम में उल्लेख है कि "प्रस्ताव, हाल में घटित किसी विशिष्ट मामले से संबद्ध होना चाहिए (जिसमें सरकार का दायित्व हो)। महोदया, श्री आडवाणी जी यहां टिप्पणियां कर रहे हैं, वे उनके द्वारा मांगे गए स्थगन प्रस्ताव से बिल्कुल उलट है और इसलिए उन्हें स्वयं को स्थगन प्रस्ताव तक ही सीमित रखना चाहिए ...*(व्यवधान)* महोदया आप उसे पढ़ कर सुनाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मुझे दो बातें यहां कहनी हैं, एक तो जो अभी संसदीय कार्य मंत्री ने विषय उठाया। उनका कहना यह है कि आडवाणी जी ने अप्रासंगिक बात कही, जबकि

[अनुवाद]

उठाया गया मामला असम के बारे में था।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने अप्रासंगिक बात नहीं कही ...*(व्यवधान)* वह यह कह रहे थे। ...*(व्यवधान)* वह यह कह रहे थे कि सरकार की विफलता। ...*(व्यवधान)* वह यह कह रहे थे कि सरकार की विफलता केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा है और इसीलिए असम में जो अवैध घुसपैठ हो रही है, इसकी चर्चा कर रहे थे, तो वह अप्रासंगिक नहीं बोल रहे थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगी मेरे साथी बैठकर सुन लें। ...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री का यह कहना कि वह उस विषय पर नहीं बोल रहे थे, जिस पर एडजर्नमेंट मोशन मांगा है। ...*(व्यवधान)* आपका यह कहना कि उस विषय पर नहीं बोल रहे थे, जिस विषय पर एडजर्नमेंट मोशन मांगा है, यह सही नहीं है। वह यह कह रहे हैं कि सरकार की विफलता केवल आर्थिक मोर्चे पर नहीं है, सरकार की विफलता राष्ट्रीय सुरक्षा मोर्चे पर ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोका नहीं ...*(व्यवधान)* और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को माना नहीं। ...*(व्यवधान)* और दूसरी बात जो उन्होंने कहीं। आडवाणी जी ने स्वीकार किया कि वर्ष 2009 की यूपीए सरकार की बात वह गलती से कह गए। वर्ष 2008 के विश्वास मत के ऊपर वह व्यक्त कर रहे थे। ...*(व्यवधान)* और वर्ष 2008 में जो विश्वास मत लिया गया, उनके कथन को उस प्रसंग में लिया जाना चाहिए। वर्ष 2009 के चुनाव की सरकार उन्होंने... सरकार नहीं कहा। ...*(व्यवधान)* यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: असम की स्थिति के बारे में श्री आडवाणी ने जो भी आकलन किया है, हम निश्चित रूप से यहां उसका उत्तर देंगे, परन्तु यूपीए एक से जुड़े सभी मामलों,

विश्वास मत से जुड़े मामलों को उठाना, यूपीए दो को लाना, चुनाव जीतकर आई यूपीए-दो को बुरा भला कहना न केवल विषय से हटकर है बल्कि यह प्रणाली, संसदीय प्रणाली को बदनाम करने तथा भारत के लोगों और लोकतंत्र का अपमान है। इस वाद-विवाद के चलते इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नही किया जा सकता ...*(व्यवधान)*

श्री अश्विनी कुमार: यह तो एक लोकतंत्र की तौहीन है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आडवाणी जी, क्या आप कंटीन्यू करना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आडवाणी जी, कृपया इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। कृपया इन शब्दों को वापस ले लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप इस शब्द का इस्तेमाल न करें। इन्हें वापस ले लें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वह विदड्रॉ कर लिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने शब्द वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे शब्द वापस ले चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने विदड्रॉ कर लिया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने अब अपने शब्द वापस ले लिए हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आडवाणी जी, आप अपने शब्द वापस ले चुके हैं क्या।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हां, मैंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं। मैंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं और मैं विश्वास मत का जिक्र कर रहा था न कि 2009 के चुनाव का। ...*(व्यवधान)* वे नहीं चाहते कि सभा की कार्यवही चले ...*(व्यवधान)।* यह उनका दायित्व है ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आडवाणी जी को कहने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वे नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही चले।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः अब तो बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः बैठ जाइए।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः दोपहर एक बजे से दो बजे तक का अवकाश होगा। अब हम सभा की कार्यवाही स्थगित करते हैं। दोपहर दो बजे सभा की कार्यवाही फिर आरंभ होगी।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

स्थगन प्रस्ताव

असम में अवैध घुसपैठ तथा असम के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा—*जारी*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, मैंने रिकार्ड देख लिया है। जिस पर आपको आपत्ति थी, वह आडवाणी जी ने विदड्रा कर लिया है, परिणास्वरूप वह कार्यवाही में नहीं है।

श्री एल.के. आडवाणी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मैं आभारी हूं कि पहले तो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा का यह अवसर पैदा किया। मैंने 28 तारीख को इंडियन एक्सप्रैस में छपे हुए ब्रह्मा के आर्टिकल को कोट किया। उन्होंने यह भी कहा है कि:

[अनुवाद]

"आज, भारत बांग्लादेश सीमा के अधिकांश जिले सरकारी भूमि या बड़े चारागाहों से विहीन हो गये हैं, जो कभी स्थानीय समुदाय और किसानों की संपत्ति हुआ करते थे। अवैध आजीविकों और गैर-स्थानीय समुदायों द्वारा सरकारी भूमि को हड़प लिए जाने और बिना पेड़ों वाली वन भूमि के अतिक्रमण किये जाने के कारण स्थानीय समुदायों के साथ गंभीर मतभेद हो गये हैं। राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा इस ताजा मामले के सम्बंध में राजनैतिक नेताओं विशेषतौर से बीटीएडी के प्रमुख हंगरारामा मोहिलरी द्वारा व्यक्त की गयी चिंता पर गौर फरमाने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

हमारे बोडोज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

बीटीएडी क्षेत्र भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत शासित होता है तथा जनजातीय खंड नियम और विनियम भी लागू होते हैं।

यह समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो आजकल चल रहा है।

[हिन्दी]

आज शिन्दे जी गृह मंत्री के रूप में इस चर्चा में उपस्थित हैं और वे चर्चा का उत्तर देंगे। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी अगर उसमें कुछ कहें तो अच्छा होगा। लेकिन गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज सरकार का ऑफिशियल एस्टीमेट क्या है भारत में बांग्लादेश से अवैध आव्रजन के बारे में क्योंकि, अगर पुराना इतिहास आप देखेंगे तो यहां पर इसी विषय को लेकर कि कितने लोग हैं, जो कि केवल असम और नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही नहीं, लेकिन देश भर में फैल गये हैं तो मुझे एक बार का स्मरण है कि एक बार एक मंत्री ने एक्चुअली एग्जैक्ट फीगर देने की कोशिश की कि अलग-अलग स्टेट्स में कितने-कितने लोग हैं और मैं

आपको बताऊं कि श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राज्य सभा में एक बार 15 जुलाई, 2004 को यह कहा कि:

[अनुवाद]

31 दिसम्बर 2001 को 17 राज्यों और संघ राज्यों में 120,53,950 अवैध बांग्लादेशी आव्रजन निवास कर रहे हैं। यह बयान संसद में तत्कालीन मंत्री ने दिया था, उन्होंने यह भी कहा था कि 15 अरब बांग्लादेशी असम में रह रहे है।

[हिन्दी]

अकेले असम की बात हुई, 15 लाख। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आपको स्मरण होगा, आप शायद उसके अगले दिन गोहाटी गये होंगे, जहां पर आपको इस पर कन्फ्रण्ट किया गया, वहां के असम के नेताओं के द्वारा, कि जायसवाल जी का यह स्टेटमेंट 2006 की विधान सभा चुनाव को बहुत प्रभावित कर सकता है और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने इण्टरवीन किया और बाद में कुछ दिन बाद जायसवाल जी ने पार्लियामेंट में आकर यह कहा:

[अनुवाद]

"उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी दिये जो अविश्वसनीय है और सुनी सुनाई बात है। सह बयान सभा में दिया था।

श्री उदय सिंह: यह शर्मनाक है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि नॉर्मली दुनिया का कोई देश जहां इतनी मैसिव इल्लीगल इमीग्रेशन होती है, उसे कोई इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, कोई इमीग्रेशन, किसी भी शब्द का प्रयोग करो, लेकिन दुनिया का कोई देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है और स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कदम उठाये जाते हैं और यहां पर तो दो-दो बार सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा एक बार कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्ष 2005 का जजमेंट आया, उसको अनडू किया गया, सरकार के द्वारा ही यह कहकर कि यह असम पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं इसे बहुत गंभीर मानता हूं क्योंकि इस प्रकार की अप्रोच अपनाने का क्या कारण है? टी.वी. राजेश्वर वर्ष 1996 में जो डॉयरेक्टर ऑफ आईबी थे, जो बाद में उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बन गये, उन्होंने भी कहा,

[अनुवाद]

असम और उच्च सीमांत राज्यों में निर्बाध अवैध अप्रिजन से भारत का एक और टुकड़ा हो सकता है।

[हिन्दी]

मतलब फिर से तीसरा विभाजन हो जायेगा, यह हो क्या रहा है? कोई यह भी कहता है कि धुबरी जैसे जिले हैं, वहां पर इल्लीगल इमीग्रेंट्स की इतनी परसेंटेज हो गयी है कि वे कहेंगे कि यह तो बंगलादेश का हिस्सा है। ये सारी ऐसी खतरनाक बाते हैं, जिसके कारण मैं समझता हूं कि इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। केवल 4 महीने तो तब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 महीने में इसे पूरा करो, लेकिन आज जब बहस समाप्त होगी, तब गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि वे स्वयं अंदाजा बतायें कि कितने लोग वास्तव में इल्लीगल इमीग्रेंट्स बंगलादेश के हिन्दुस्तान के अलग-अलग प्रदेशों में हैं और उनमें से कितने लोग खासकर असम में हैं और यह जो इलाका बोडोज का है, वहां पर कितने आए हैं? क्योंकि वे यह मांग कर रहे हैं कि इन्हें टेरीटोरियल काउंसिल जो दी गयी है, वह भी ठीक नहीं है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन है ही नहीं इतनी, पॉपुलेशन तो हमारी ज्यादा हो गयी है।

श्री बदरुद्दीन अजमल: इसी के साथ बंगलादेशियों की निगरानी में एनडीए की सपोर्ट के साथ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बदरुद्दीन अजमल: आप जब होम मिनिस्टर साहब थे, एजीपी ने दस साल काम पूरा किया, उन्होंने कितने बंगलादेशियों को आइडेंटीफाई किया, कितनों को निकाला? ...*(व्यवधान)* आप उस जमाने में होम मिनिस्टर थे। हमें यह रिपोर्ट भी सौंपनी चाहिए।

[अनुवाद]

उस समय आप गृह मंत्री थे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हमें खुशी है कि एनडीए की सरकार ने पूरा समर्थन दिया ...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दिया था। ...*(व्यवधान)* घुसपैठियों के बारे में लगातार जो हमारी एक्टिविटी चलती रही, वह सबको परिचित है। ...*(व्यवधान)* उसकी हमारी तब आलोचना होती थी। ...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्लीज बैठ जाइए। उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अवैध आव्रजन का असम के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्हें लगता है उनकी जमीन जा रही है।

[हिन्दी]

उनकी जमीन जा रही है और जो बोडोज हैं उन्हें लगता है कि हम अपने ही इलाके में अपने देश में पराये हो रहे हैं। टी.वी. राजेश्वर ने यह बात कही थी कि वे तो सारे एक दिन रिफ्यूजी बन जायेंगे।

अध्यक्ष महोदया: आपको क्या हो गया? आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हर दफा ऐसे नहीं खड़े होते हैं, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने अपना जब भाषण आरम्भ किया था, तभी मैंने कहा था कि पहली-पहली बात जो पहचाननी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए, वह यह है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप क्यों बोल रहे हैं? जब हम उन्हें बिठा रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह ईश्यू हिन्दू, मुसलमान या एथिनिक डिफरेंसेज का न होकर देशी और विदेशी का है और उस कारण से मेरा आग्रह है कि एक अपडेटेड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार होना चाहिए और अपडेट करते हुए उस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नॉन सिटीजन्स का नाम काटा जाना चाहिए। जो सिटीजन्स नहीं हैं, जो बंगलादेश से आये हैं, उनका नाम वहां से काटा जाना चाहिए। फिर ट्राइबल बेल्टस की जो नॉन-वायलेबिलिटी है जो कि एक प्रकार से बोडो टेरिटॉरियल काउंसिल बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था उसको कोई ब्रीच न करे, नॉन-वायलेबिलिटी ऑफ ट्राइबल बेल्टन। चौथी बात, मैं मानता हूं कि अगर यह सदन यह स्वीकार कर ले कि असम की सुरक्षा, वह भारत की एकता और सुरक्षा से संबंधित है। ये चार तथ्य मैं कहूंगा। अगर सारे हिन्दुस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करें कि यह इंडियन वर्सेज फॉरनर का इश्यू है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स में से नॉन-सिटिजन्स के नाम हटाए जाएं और नॉन-वायलेबिलिटी ऑफ ट्राइबल बेल्टस, तीसरा और चौथा, असम को सुरक्षित करने से उसके सामरिक महत्व को ध्यान में रख कर के हम एक प्रकार से भारत की एकता और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, मजबूत करेंगे। इस पर अगर कंसेन्सस इस चर्चा में से निकलता है तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार को, प्रधानमंत्री को चार महीने तब का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आज वह अपने सामने कोई लक्ष्य, कोई डेडलाइन रखे, हम कोशिश करेंगे कि डिपोर्टेशन और डिपोर्टेशन न हो सके तो डिसइन्फ्रेंचाइज में, यह तो कम से कम होगा कि कोई भी बंगलादेशी हिन्दुस्तान में आ गया और हिन्दुस्तान के किसी भाग में बैठ गया तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और अगर डिपोर्टेशन न हो सके तो उससे पहले डिसन्फ्राचाइजमेंट अर्थात एलेक्टोरल रोल से उसका नाम हटाना, यह हम करेंगे। इसके लिए एक निश्चित अवधि, डेड लाइन तय कर के इस सदन को बताएं तो समस्या का समाधान होगा।

[अनुवाद]

***पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार):** माननीय अध्यक्ष महोदया मैंने तो यह सोचा था कि श्री आडवाणी जो कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में उन लोगों की तकलीफें व्यक्त की जाएंगी जो हाल ही की हिंसा में विस्थापित हो गये हैं। मैंने यह भी सोचा कि वे सरकार द्वारा किये जाने वाले राहत या पुनर्वास उपायों का जिक्र करेंगे। आडवाणी जी आज की स्थिति के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। स्वतंत्रता पूर्व असम कई समस्याओं से प्रभावित रहा है हम उग्रवाद आदि समस्याओं से प्रभावित हुए हैं। कोकराझार जिले में स्थिति अभी सुधरनी है। वास्तव में, हमें इन सभी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए और सभा से एक संदेश जाए कि हम सभी धर्म जैसे हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई सब भारतीय हैं और हम एक रहें। लेकिन उन्होंने अवैध अब्रविजन से संबंधी मुद्दों के बारे में चर्चा की। उन्होंने लंबित आसामी हड़ताल के बारे में बताया जो कुछ वर्ष पहल शुरू हुई थी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पहल पर असम सहमति पर हस्ताक्षर हुए हैं। उस समय कांग्रेस सरकार के पास 126 सदस्य में 100 सदस्य थे। असम असेम्बली में स्वर्गीय श्री हितेश्वर साइकिया सत्ता में थे। लेकिन 100 विधायकों के बावजूद हितेश्वर साइकिया के नेतृत्व में

*मूलतः असमिया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

असम सरकार ने राज्य की शांति और एकता के लिए इस्तीफा दिया। एक कांग्रेस सरकार ने ही ऐसे उदाहरण निर्धारित किए हैं, अन्य कोई सरकार नहीं कर सकती। असम आन्दोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया उन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया। एनडीए सरकार द्वारा उनको समर्थन दिया गया। लेकिन क्या वे उस मामले को सत्य कर पाये जिसके लिए राज्य में सत्ता पाने में मदद की पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। वे समस्या हल नहीं कर सके। मामला जटिल है। आप यह नहीं कह सकते कि सभी शरणार्थी जो वहां विदेशी हैं।

भारतीय मूल नागरिकों के लिए उन्होंने विदेशी कहना अपमानजनक है। किसी को विदेशी कहने से पहले इसे सिद्ध करना होगा। सिद्ध होने के बाद ही हम किसी को विदेशी कह सकते हैं। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद संधि हुई। 1985 में असम सहमति में यह कहा गया कि वे जो 1971 के बाद भारत अये उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी यह सब कहती रही कि हम अपने देश में विदेशियों को घुसपैठ की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन उसी समय हम विदेशियों को निर्वासन के नाम पर किसी वास्तविक भारतीय नागरिक के नाम पर किसी वास्तविक संसदीय नागरिक को अपमानित करने की अनुमति किसी राजनीतिक ... को नहीं दें। ...*(व्यवधान)* हम विचलित नहीं हो रहा हूं महोदया।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बारी आने पर बोलें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पबन सिंह घाटोवार: सभा में कई सदस्य ऐसे हैं जिनके दल ने राज्य में 10 वर्ष शासन किया है। उन्होंने कितने विदेशियों की पहचान की है। यह कांग्रेस सरकार ही है जिसने सीमा पर तारबन्दी की गम्भीरता से बात की है सीमा आउरपोस्टों की संख्या बढ़ाई है और सीमाक्षेत्र को सील करने की बात की है। भारत की दशकीय औसत वृद्धि की तुलना में असम की देशकीय वृद्धि बहुत पीछे है।

कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं चाहा है कि हमारे देश में एक भी विदेशी रहे। विदेशी की पहचान करना और निर्वासन करना वैधानिक प्रक्रिया है। पहले अवैध आग्रजन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए केवल ग्यारह न्यायाधिकरण थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने न्यायाधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 34 तक कर दी। है। न्यायाधिकरण संदेहजनक नागरिकों के मामलों को सुनेंगे और उचित संवीक्षा के बाद यदि यह सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति विदेशी है तो उसे निकाला जाए। लेकिन बिना किसी आधर के, हम किसी को विदेशी नहीं कह सकते। असम में मुस्लिम अहोम के दिनों से रह रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा महा अहेम महा लंबित बोरदुकान के नाम था हमेशा जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने कभी बाग हजारिका के नाम का कभी जिक्र नहीं किया है जो अहोम के शासन में बड़े जनरल भी थे। इस प्रकार का बंटवारा देश को कमजोर करेगा।

[अनुवाद]

अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने असम का दौरा किया था। भीषण बाढ़ ने असम में तबाही मचा दी है। 10 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे है। वे अभी तक अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग एक लाख बाढ़ पीड़ित लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस भीषण बाढ़ के बाद कोकराझार में हिंसक घटना घटी है। जब केन्द्रीय गृह मंत्री ने हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था तब मैं उनके साथ था। यह सच है कि लोग और अधिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जैसाकि आप सभी जानते हैं असम में 25-30 उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। उनमें से कुछ तो देश से पृथक हो जाना चाहते हैं। हमें इस सम्मानित सभा में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। जो लोग उन हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे थे, उन्हें फिर से एक साथ मिलजुकर रहना चाहिए। हमें ऐसा शांति का माहौल बनाना होगा ताकि हर कोई शांतिपूर्वक रह सके। जब एनडीए की सरकार थी तो ऐसी हिंसक वारदातें हुई थीं जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसे झगड़ों में किसी एक व्यक्ति को भी जान गंवाते देखना सच में हम सबके लिए बड़ा दुःखद और शर्मनाक है। हालांकि ऐसी वारदातें पहले भी हुई हैं। आपको मालूम होगा कि 1996 में जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो लगभग 198 लोगों ने वहां ऐसी हिंसक वारदातों में अपनी जान गंवाई थी। दो लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी। 1998 में हिंसक वारदातों में 186 लोग मारे गए। अतः हमें हिंसक वारदातों के लिए सिर्फ वर्तमान सरकार को ही दोषी नहीं ठहराना चाहिए। फिर भी यह सरकार का दायित्व है कि वह उचित कदम उठाए ताकि हमारे देश के सभी नागरिक एकता और अखंडता के साथ रह सकें। हमारे देश के सभी नागरिकों चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हों या ईसाई हों, का भी यह कर्तव्य है कि वे सतर्क रहें ताकि कोई भी विदेशी व्यक्ति अवैध रूप से हमारे देश में न रह सकें।

जैसाकि मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि अहोम शासन के दौरान हमारे पास बाग हजारीका जैसे सेनापति थे जो अल्पसंख्यक समुदाय के थें। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अहोन सेना का नेतृत्व किया था। हमें हमेशा बोडो भाइयों और बहिनों के बारे में सोचना

चाहिए। हमारा देश मजबूत है। बोडोलैंड क्षेत्र में जहां किसी दूसरे क्षेत्र में रहने वाला कोई भारतीय जमीन नहीं खरीद सकता है वहां कोई विदेशी जमीन कैसे खरीद सकता है। बोडो समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की स्थापना हुई थी। हमारे राज्य के किसी अन्य भाग में रहने वाला व्यक्ति बोडोलैंड क्षेत्र में बस जाकर जमीन नहीं खरीद सकता है। जब एनडीए की सरकार थी उस समय आडवाणी जी द्वारा तैयार किए गए इस समझौते में यह प्रावधान था। वे इस बात को जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री पवन सिंह घाटोवार: मुझे एनडीए सरकार के इरादे पर कोई संदेह नहीं है। एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र में शान्ति और समृद्धि लाने के लिए बीटीएडी का गठन किया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार: जब आपकी बारी आए तब आप बोलना। बीटीएडी के गठन के बावजूद जातीय दंगों से बोडोलैंड क्षेत्र 4 बार प्रभावित हुआ है। इसीलिए मैं आडवाणी जी को यह बताना चाहता हूं कि बीटीएडी के गठन से उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी है जिसके लिए उसका गठन किया गया था। हम सभी को इन मुद्दों पर सोच-विचार करना होगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाए ताकि विस्थापित भारतीय नागरिकों को पूरी सुरक्षा के साथ उनके अपने-अपने गांवों में पुनर्वासित किया जा सके। यह बहुत ही दयनीय है कि अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ 4 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। अधिकांश राहत शिविर स्कूलों और कॉलेजों में हैं। हमें उन स्कूलों और कॉलेजों को पुन: खोलने के उपाय करने होंगे। हमारे पूर्व-गृहमंत्री चिदम्बरम जी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था तब उन्होंने लोगों से यह पूछा था कि क्या वे अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं तो राहत शिविरों में रहे रहे सभी लोगों ने यही जवाब दिया था कि वे वापस जाना चाहते हैं बशर्ते कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सरकार ने उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित प्रबंध किया है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। जल्दी ही 108 विशेष पुलिस दस्ते मुहैया कराए जाएंगे ताकि ग्रामीण शान्ति से अपने-अपने घरों में रह सकें। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वर्तमान में बोडोलैंड क्षेत्र में 4 उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। वस्तुत: असम के अन्य भागों में भी उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। यह सच है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह क्या कह रहे हैं, आप बैठ जाइए।

श्री पवन सिंह घाटोवार: गोहैन जी, मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए। यह क्या रनिंग कमेंटरी हो रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार: गोहैन जी, मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार: मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि कोई विदेशी व्यक्ति और गैर-कानूनी ढंग से हमारे देश में रहे। सात साल तक एनडीए की सरकार थी। आप कितने विदेशी व्यक्तियों की पहचान कर पाए थे? आप केवल दूसरों पर दोषारोपण करना चाहते हैं। आपने कितने विदेशियों को देश से बाहर खदेड़ दिया था? इसीलिए मैं आप से अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री पवन सिंह घाटोवार: हमें इस मुद्दे पर गहन सोच-विचार करना होगा। आदिवासियों से भिड़ंत हुई है; असमी लोगों से भिड़ंतें हुई हैं। हमें भारतीयों और गैर-कानूनी ढंग से रह रहे विदेशियों के बीच भिड़ंत के रूप में इस समस्या पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें यह अवस्था मालूम होना चाहिए कि इन दंगों में किसका हाथ हैं, ऐसी वारदातों के साजिशकर्ता कौन लोग हैं ...*(व्यवधान)*

जब आपकी बारी आए तब आप बोलना। अभी मेरी पार्टी की बारी है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पबन सिंह घाटोवार: मैं सच कह रहा हूं। भाजपा के पास सच्चाई को स्वीकार करने का साहस नहीं है। वे सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। उनके पास खुद का एजेंडा है। यहां तक कि वे भारतीय मतदाताओं के फैसले को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सत्ता पक्ष में इसलिए बैठे हैं क्योंकि देश की जनता चाहती है कि वे वहां बैठें। हम लोगों ने बैठने के स्थान के बारे में निर्णय नहीं लिया है। इसका फैसला जनता ने किया है। सरकार ने कई कदम उठाये हैं। हमने यह कभी नहीं कहा है कि अवैध घुसपैठियों को हमारे देश में रुकने की अनुमति देनी चाहिए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। केवल अल्पसंख्यकों के पास विकल्प था। वे हमसे ज्यादा भारतीय हैं। उन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाए यहीं रहने का निर्णय लिया। यदि हम उनकी देशभक्ति पर संदेह करेंगे तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री पबन सिंह घाटोवार: इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि असम की समस्या इतनी सरल नहीं है। ये मुद्दे काफी जटिल हैं। ...*(व्यवधान)* दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा उठाए गए कदम के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के कई उग्रवादी दलों ने बात-चीत शुरू कर दी हैं। इन उग्रवादी दलों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार ने सभी संभव कदम उठाये हैं। परन्तु आडवाणी जी के द्वारा जिक्र किये गए नेशनल रजिस्टर के बारे में एनडीए सरकार कुछ भी नहीं कर पायी। नेशनल रजिस्टर तैयार करने के लिए असम सरकार ने कई राजनैतिक दलों और अन्य संगठनों के साथ बातचीत की शुरुआत कर दी है। सरकार ने एक पायलेट परियोजना शुरू कर दी है। तथापि, सरकार नेशनल रजिटर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बारे में भाजपा को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री पवन सिंह घाटोवार: आप सभी को उन लाखों लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो असम में हाल ही में हुई नस्लीय हिंसा से काफी ज्यादा पीड़ित हुए हैं और इस मुद्दे को अवैध घुसपैठ के मुद्दे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि ये लोग राहत शिविरों में रहे? इन चार लाख शराणर्थियों में से 1 लाख 16 अजार शरणार्थी पहले ही अपने घर जा चुके हैं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने हिंसा में मारे गए लोगों में से प्रत्येक के परिवार को आठ-आठ लाख रुपये देने का निर्णय लिया है। उन्हें वस्त्र, बर्तन खरीदने तथा अपने मकानों को फिर से बनाने के लिये पैसा दिया गया है। प्रधान मंत्री ने तीन सौ करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है जिसमें से 100 करोड़ रुपये इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दिये जाएंगे ताकि जिनके घर नहीं हैं वे अपना घर बना सकें।

और मुझे विश्वास है कि केवल कांग्रेस सरकार ही पीड़ितों के प्रति इस तरह की सहानुभूति दिखा सकती हैं। इसके अलावा आज की वार्ता में यह भी कहना चाहता हू सभा में आज की चर्चा से लोगों को यह संदेश मिलना चाहिए कि देश के किसी भी भाग में हिंसा की कोई वारदात भी होगी इन हिंसा की घटनाओं में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। भारत एक महान राष्ट्र है। यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई सभी भारतीय हैं और यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को विचार करना चाहिए कि अपने देश में किसी भी अवैध विदेशी नागरिक को रहने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही हमें किसी भी भारतीय को विदेशी की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। मुझे आशा है कि भविष्य में नस्लीय हिंसा की कोई घटना नहीं होगी ताकि कोई भी बेघर न हो, कोई भी अपने पिता को न खोए, और कोई भी पीड़ित न हो। असम के लोग कफी पीड़ित हुए हैं। इस तरह की घटना से हम और पीड़ित नहीं होंगे। अवैध घुसपैठ की समस्याओं पर माननीय गृह मंत्री महोदय विस्तार से बतायेंगे। मुझे आशा है कि हम लोगों को एकता, शांति और अखंडता का संदेश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया जी, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो कुछ माननीय सदस्यों ने दिया था उसे आपने स्वीकार किया। आपने पहली बार स्थगन मोशन स्वीकार किया, इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। कुछ कहने से पहले मैं सम्मानित नेता सदन और गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अभी पक्ष और प्रतिपक्ष से बहुत ही संवेदनशील मुद्दे जातिगत हिंसा पर बहुत विस्तार से, माननीय आडवाणी जी और पबन सिंह घाटोवार जी ने अपनी बातें रखीं। मैं सदन के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अपने लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वहां घटनाएं घटी हैं उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर न पेश करें बल्कि वहां कैसे अमन-चैन-शांति कैसे स्थापित हो, सांप्रदायिक सौहार्द्र बने, इस और उनका प्रयास होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय सोनिया जी ने वहां का दौरा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 300 करोड़ रुपये की सहायता दी, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सदन के माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि जैसे बात उठी है कि बंगलादेश की आजादी के पहले वहां क्या स्थिति थी और बंगला की आजादी के बाद वहां क्या स्थिति है, इसका भी मूल्यांकन कायदे से होना चाहिएं। मान लीजिए कहीं से घुसपैठ की घटना हुई है और घुसपैठ की घटना केवल असम में ही नहीं हुई वरन् कश्मीर और अन्य जगहों पर भी होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार वहां अमन और शांति हो और लोग वहां फिर से अपने घरों में लौट सकें। धार्मिकता के आधार पर भी इसे नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदू-मुस्लिम की बात या सांप्रदायिकता की दृष्टि से भी इसे नहीं देखा जाना चाहिए।

जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर 11 जिले वहां प्रभावित हुए हैं। हम लोगों को पूरी घटना मालूम नहीं है लेकिन ज्यादातर बोडो इलाकों के निचले हिस्सों में ये घटनाएं घटी हैं। जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 74-75 लोगों की जानें वहां गयी हैं और कोकराझार में 47 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। वहां यह प्रयास हुआ है कि 150 शिविर लगाकर वहां आपने 9 लाख बेघर लोगों को शिविर में रखा है और जैसा अभी पवन जी ने कहा कि वहां से बहुत से लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं। यह बहुत अच्छा प्रयास है लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि इन 9 लाख लोगों के अंदर डर-भय-आतंक खत्म हो और वे अपने-अपने घरों को जाएं। जैसा समाचार पत्रों में आया है कि वहां पर घुसपैठिये भी हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहां केंद्र सरकार की अपनी राज्य सरकार है, वहां की अपनी एजेंसी है। केंद्र सरकार देखे कि वहां इस प्रकार की घटना न हो। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें समय पर अगर सशस्त्र बल मिल जाता, तो हो सकता था कि इतनी बड़ी हिंसा न होती। ऐसा हो सकता है कि यह दोषारोपण की स्थिति हो। गृह मंत्री जी यहां से कह रहे हों कि वहां की नाकामी है और राज्य सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर बात डाल रही है। हमें इन बातों पर नहीं जाना चाहिए।

आज के समाचार पत्रों में आया है कि चार जानें और गईं हैं। वहां के मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की भी मांग की है कि यह घटना कैसे और क्यों घटी। मैं पूछना चाहता हूं कि आडवाणी जी बोल रहे थे और वे एनडीए सरकार में गृह मंत्री थे, उस समय की क्या स्थिति थी? उस समय कितने लोगों को आपने सर्च किया कि कितने घुसपैठिए थे और कितने लोगों को वापिस भेजा गया? अगर आज देखें तो केवल असम में ही घुसपैठिए नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में घुसपैठिए हैं और हर देश के लोग हमारे देश में बिना वीजा के रह रहे हैं। बहुत से लोग आए और वीजा के खत्म होने के बाद भी यहां रह गए हैं। उनकी अभी कोई जांच नहीं हो पाई है। सदन में कई बार इस विषय पर चर्चा की गई है कि जो वीजा समाप्त होने के बाद भी यहां रह गए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि वे यहां क्या कर रहे हैं। हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि उनके राशनकार्ड बने हैं या नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, उन्हें भारतवर्ष की नागरिकता दी गई है या नहीं। समय-समय पर जब भी कहीं लड़ाई हुई है, तो हमारे देश में उन लोगों को राहत शिविर में रखा, उनकी सेवा की। उनमें से कुछ लोग वापिस गए और कुछ यहीं रह गए। वे तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सदन को गम्भीरता से सोचना चाहिए। आज हमें जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल है। हमें दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर कि इन्होंने क्या किया और आपने क्या किया, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहां अमन, चैन और शांति हो। पूर्वोत्तर राज्य पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे राज्य हैं।

मैं पुन: केंद्र सरकार से मांग करना चाहूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने तीन सौ करोड़ रुपए की जो धनराशि दी है, वह पर्याप्त नहीं है। जहां लाखों की संख्या में लोग शिविर में हैं, बेघर हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, उनके घरों को बर्बाद किया गया है, उनके लिए यह धनराशि पर्याप्त नहीं हैं। गंभीरता से सरकार इस बारे में सोचे। जो मृतक हैं, उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले, वहां अमन, चैन, शांति हो।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात इस आशा और उम्मीद के साथ समाप्त करता हूं कि वहां साम्प्रदायिक सौहार्द बने और देश की एकता तथा अखंडता पर कोई आंच न आए।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज काफी गंभीरता से माननीय आडवाणी जी ने सदन में अपनी बात कही है। दोनों तरफ से इस मामले पर बहुत गंभीर चर्चा हो चुकी है। सभी जानते हैं कि असम भारतवर्ष के पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटक की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। असम में आज जो घटना घटी है बल्कि मैं कहूं कि यह तो घटती चली आ रही है, इस बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज असम में दो लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं और पचास से ज्यादा लोगों की हत्या अभी तक हो चुकी है। जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में किसी भी सवाल को ले कर जो आरोप या प्रत्यारोप लगाए जा रहे है, मैं समझता हूं कि इससे अलग हटकर सियासत की आग पर सियासी रोटियां सेंकने की जरूरत नहीं है और न ही इसे साम्प्रदायिकता प्रयोग शाला बनाने की जरूरत है। बल्कि सच्चाई से इसकी जांच होनी चाहिए और मेरा कहना है कि चाहे प्रदेश सरकार के द्वारा या सेना के द्वारा अगर समय रहते उचित कदम उठा लिये गये होते तो मेरा पूरा भरोसा है कि ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये नहीं हो पाती। जो तमाम लोग बेघर हो रहे हैं, जो तमाम लोग मारे जा रहे हैं और जिस तरह की वहां स्थिति है,

यह निश्चित रूप से निन्दनीय है। हमारी पार्टी इसकी निन्दा करती है और यह मांग करती है कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए। भारत की शानदार परम्परा रही है कि जो भी अपने दरवाजे पर कभी भूले भटके आ जाए, उसे भगाना नहीं चाहिए बल्कि उनको और भी सम्मान देना चाहिए। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जितने भी लोग बेघर हुए हैं, उन्हें पुनर्वास की सुविधा देनी चाहिए, और जो मारे गए लोग हैं, उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और जांच करके जितने भी लोग दोषी पाये जाते हैं, उनको दंडित करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, स्थगन प्रस्ताव के पाठ के बजाय प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि मैंने भी इस संबंध में एक नोटिस दिया था। परन्तु मेरे प्रस्ताव का पाठ अलग था। मेरे प्रस्ताव के अंतर्गत अवैध आप्रवास की समस्या का जिक्र नहीं किया गया था। हम श्री आडवाणी जी की इस बात से सहमत नहीं हैं कि वर्तमान समस्या का मूल कारण अवैध अप्रवास की समस्या है।

यहां हम इस मामले पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं और उधर लाखों लोग विभिन्न राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। मैं कोकराझार जा चुका हूं। मैं यहां 28 और 29 तारीख को था। जिस दिन हमारे माननीय प्रधनमंत्री कोकराझार में थे, यस दिन मैं भी वहां था। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं था। उन्होंने कोकराझार के राहत शिविरों का दौरा किया था परन्तु मैं अंदरूनी स्थानों जैसे बिजनी और अन्य जगहों पर गया था।

अपराह्न 2.47 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, आज यह स्थगन प्रस्ताव सरकार की विफलता से संबंधित है। यह राज्य और केन्द्र दोनों ही सरकारों की बहुत भारी विफलता है। तनाव जुलाई के पहले सप्ताह से ही आरंभ हो गया था। पहली घटना 6 जुलाई को हुई। उस समय राज्य सरकार सो रही थी। राज्य सरकार और पूर्व गृह मंत्री, श्री चिदम्बरम को यह जानकारी थी कि उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। उसके बाद, फिर 20 जलाई को एक बड़ी, घटना में 4 बोडो युवकों को मार दिया गया। जुलाई के पहले सप्ताह से ही तनाव बढ़ रहा था। 6 जुलाई को वहां गड़बड़ी की स्थिति थी। इसके बाद 20 जुलाई को 4 बोडो युवकों को मार डाला गया। इसके बाद पुन: 21 जुलाई, को मुस्लिम अल्पसंख्यकों और बोड़ों समुदाय के लोगों पर हमला हुआ।

मैंने कई गावों का दौरा किया। मैंने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के गांवों का भी दौरा किया ...*(व्यवधान)* मैंने देखा कि किस तरह से गांववासियों को लूटा गया और उस पूरे क्षेत्र में जहां एक सड़क है जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के गांवों को बोडो गांव से अलग करती है। मैंने पाया और यहां तक कि अश्चर्यचकित था कि पूरे मुस्लिम गांव में आग लगा दी गई थी परंतु बोडो गांव के एक भी घर पर हमला नहीं किया गया था मैंने रह रहे विस्थापित लोगों की दयनीय स्थिति को भी देखा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गये हैं। दूसरे मुझे नेल्ली नरसंहार की याद दिला दी। हम उस नेल्ली नरसंहार को भूल नहीं सकते जिसमें 3000 आतंकी भाषी मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया गया था, हमने 1987 में इस पर सभा में चर्चा की थी, लेकिन हम नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके फिर एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग ने कई सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन आज तक इस आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या यह बांग्लादेशी प्रवासियों के कारण हुआ था, मैंने कोकराझार जिले के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के क्षेत्र का तथा इससे सटे क्षेत्रों जैसे, बोगाईगांव, चिराग, धुब्री, और बिलासीपाड़ा का दौरा किया था क्या हमें उन्हें बांग्लादेशी प्रवाशी करना जो चाहिए आर में वे लोग यहां 1940-41 से रह रहे हैं। वर्ष 1053 में ब्रम्हपुत्र में अपक्षम हुआ था। गांव के गांव इसके शिकार हुए, मुस्लिम आबादी वहां से आधार कोकराझार में बए गये। क्या हमें उन्हें बांग्लादेशी प्रवासी कहना चाहिए और उन्हें निकाल बाहर कर देना चाहिए? वे हमारे देश के नागरिक हैं, ने वर्षों से वहां रह रहे हैं। हाल में बांग्लादेश से आए प्रवासी अथवा शरणार्थी नहीं हैं जैसा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहती है। जब हमारे देश के उस भाग में कोई घटना घटती है तो भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी प्रवासियों की वजह से घटी घटना कहती है अथवा मानती है, वे हमारे देश के नागरिक हैं।

वर्ष 2003 में, बोडो के साथ दूसरा समाझौता हुआ था। इससे पूर्व, पहला समझौता था।, लेकिन वह किसी तरह से सफल नहीं रहा, इसकी वर्ष 2003 में इससे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, बोडो क्षेत्रीय परिषद को छठी अनुसूची में लाया गया था। उस समाझौते में क्या शामिल था? इसमें यह कहा गया है कि इस समझौते के उपरान्त गैर-बोडो बोडो क्षेत्र में भूमि नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जो वहां इस समझौते से पहले पहले थे उनके पास क्या बसे और भूमि खरीदने के अधिकार थे, दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग ने द इंडियन एक्सप्रेस में प्रभावित एक लेख से उदृत किया है। मैंने भी उस लेख को पढ़ा है। उसमें उल्लेख था कि वे सरकारी भूमि और जंगल की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। उन्हें सरकारी और वन भूमि कहां से मिलेगी।

महोदय, मैंने जो कुछ वहां पाया वह यह है कि वहां 27 प्रभावित बोडो आबादी है। और वहां बाहुल्य गैर-बोडो का है, वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं जिनमें बंगाली भाषी मुस्लिम अल्पसंख्यक

हो सकते हैं। यदि अल्पसंख्यक मुस्लिम बंगला बोलते हैं तो क्या उन्हें बंगलादेशी कहा जाएगा? सिल्चर में हजारों मुस्लिम हैं जो बंगला बोलते हैं। क्या आप उन्हें बंग्लादेशी कहेंगे? *...(व्यवधान)*, वह 'हां' कह रहे हैं, श्री कविन्द्र पुरकायस्थ आप उन्हें क्या कहोगे? क्या आप उन्हें बांग्लादेशी कहोगे और बाहर जाने दोगे? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया अध्यक्षजी को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: क्या आप क्या आप उन्हें बांग्लादेशी कहोगे और बाहर खदेड़ दोगे और उनमें से कितनों को वापस भेजा गया है? उनमें से कितनों को "विदेशी" के रूप में पहचान की गई है और उन्हें अपने देश भेजा गया है? क्या हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे कि इन वर्षो में अर्थात जब से ... असम में आंदोलन हुआ तब से उनमें से कितने अपने देश वापस भेजे गए हैं?

महोदय, वहां लोग नागपुर क्षेत्र जो कि आपका खेत्र है के आदिवासी हैं। उन्हें संथाल के रूप में जाना जाता है, यद्यपि उन्हें असम में जनजाति का दर्जा हासिल नहीं है तथापि हमने उन जनजातियों के अधिकारों की भालाई नहीं है और ऐसे अधिकारों की मांग की है जो असम में चाय बागानों में काम करने के लिए वहां आए थे। वे मेरे क्षेत्र पुरुलिया से हैं और वे आपके क्षेत्र से भी हैं। इसका कारण यह है कि 1950 से पूर्व पुरुलिया बिहार का भाग था। यह छोटा नागपुर मंडल का हिस्सा है। ये उत्तरी बंगाल के छोटा नागपुर क्षेत्र तथा असम से थे।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: बोडो और मुस्लिम अल्पसंख्यकों में झड़पें नहीं हुई हैं। वर्ष 1996, 1998 और 2008 में बोडो और आदिवासी जनजातियों अर्थात संथालों में झड़पें हुई थीं, इनके कारण, कोच राजवंशी की तोतापुरी जैसे अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, बोडो क्षेत्रीय परिषद की समस्या यह है कि यह उस क्षेत्र में आन्तरिक विरोधाभाष का समाधान करने में असफल रही है, अर्थात विभिन्न जातीय समूहों के बीच विरोधाभास को। अब इस समस्या को पैदा करने का आशय यह है कि बोडो, आवासी को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है ताकि अलग राज्य की मांत्र को मजबूती दी जा सके। *...(व्यवधान)* बोडो के बीच कुछ समूह हैं और मुस्लिमों के बीच भी कुद कट्टरपंथी तत्व हैं। वे इस समस्या को पैदा कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद-विवाद है। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मांग यह है *...(व्यवधान)* अतिवादी तत्व लोगों को खदेड़ रहे हैं। वहां अभी भी अतिवादी तत्व हैं जो अन्य लोगों को बाहर जान की मांग कर रहे हैं और उन्हें ऐसा कारने को कह रहे हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: राहत शिविरों में काफी लोग रह रहे हैं। यहां तक कि एक आदमी भी अपने गांव वापस नहीं गया है। वे कैसे जाएंगे। हर चीज लूट ली गई है और वे अत्यधिक दु:खी हैं। मैं पहली बारत तो यह चाहता हूं कि वहां शांति स्थापित हो, दूसरा यह कि बोडो और मुस्लिम अल्पयंख्यकों से संबंधित सभी विस्थापितों को उनके गांव भेजा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा केसे हो सकता है? जब तक उनके घरों का पुनर्निर्माण नहीं होता तो ये केसे वहां जा सकते हैं।

महोदय, 300 करोड़ रुपये लोगों के पुनर्वासन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस कार्य को युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता मौजूद नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: जब तक लोगों को उनके गांव वापस नहीं भेजा जाता है, उनके घर दुबारा नहीं बनाये जाते हैं, उनका पुनर्वास नहीं किया जाता है, वे अपने गांव वापस नहीं जा पाएंगे। यहां कुछ ऐसे लोग हैं, जो इसी जगह पर दस साल पहले प्रभावित हुए थे और वे अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप कितना समय लेंगे, आप कितनी देर तक बोलेंगे?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: केन्द्र सरकार इसके लिये असम को न केवल पर्याप्त धनराशि बल्कि एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए ताकि पुनर्वास का कार्य किया जा सके और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जा सके।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राहत शिविरों में रह रहे 10000 बच्चे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उनका क्या होगा? इसलिए, उन्हें पर्याप्त राहत प्रदान की जानी चाहिए। हमने यह देखा है कि राहत शिविरों में केवल चावल और दाल प्रदान की जा रही है और उन्हें नमक भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उन्हें केवल एक कपड़े में अपना घर छोड़ना पड़ा था। मैंने लोगों की ऐसी दशा देखी है। राहत शिविरों में लोग दयनीय अवस्था में रह रहे हैं। जरा सोचिए इसलिए, सरकार को तुरंत पर्याप्त कदम उठाने चाहिएं ताकि लोग अपने घर वापस जा सकें और वहां शांति से रह सके इससे पहले, उस क्षेत्र में पुन: शांति बहाल की जानी चाहिए, लोगों के बीच सांप्रदायिक सदभाव और एकता भी पुन: स्थापित की जानी चाहिए। यह केवल उस क्षेत्र में ऐसे हालात पैदा करने के जिम्मेवार तत्वों के खिलाफ कार्यवाई करके ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बसुदेव आचार्य जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने काफी एन्लाइटेन किया।

महोदय, आडवाणी जी ने, घाटोवार जी ने बहुत अच्छे तरीके से बात रखी, शैलेन्द्र कुमार जी ने जब बोला, तब मैं यहां नहीं था, मैं उनकी बात नहीं सुन पाया और बसुदेव आचार्य जी ने जो बोला, उसे मैंने अधूरा सुना। जो अखबार है, मीडिया है उसमें इस पर काफी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन कहीं भी सही खबर पकड़ नहीं आती है।

आडवाणी जी 'इंडियन एक्सप्रैस' की खबर पढ़ रहे थे। आज मैं 'हिन्दू' में पढ़ रहा था। हालात ये हैं कि किसी अखबार या किसी मीडिया को यह नहीं पता है कि मुसलिम कितने माइग्रेट हुए हैं, कितने विस्थापित हुए हैं, बोडोज कितने हैं और संथाल कितने हैं। यह भी सही आँकड़ा नहीं आता। उपाध्यक्ष जी, यह वाजिब बात है कि हम इतनी गहराई से नहीं जानते। घाटोवार जी जब बोल रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वह आसामी में बोल रहे थे। मुझे लगता है कि उनके पास जो जानकारी होगी, वह बाकी लोगों के पास नहीं होगी। उनका मंत्री होना ठीक है लेकिन उस इलाके में रहना, बसना और पैदा होना बड़ी बात है। मैं इतना ही सदर साहब से बोलूँगा कि इस सदन में बहस तो अच्छी होती है लेकिन उस बहस के कभी सगुण नतीजे नहीं आते हैं। एक तरह से समस्याओं का अंबार होता जा रहा है और हम किंकर्तव्यविमूढ़ होकर यहाँ खड़े रहते हैं, बोलते हैं। आज कल तो तलवार से नहीं और बोली से नहीं बल्कि गोली से दुनिया चलती है। मैं समझता हूँ कि असम गण परिषद् के लोग शायद इस सदन में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* बहुत अच्छी बात है कि सदन में उनके सदस्य हैं। मुझे खुशी है क्योंकि वे हम लोगों के बड़े पुराने साथी हैं। जब चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे, तो मैं यूथ विंग का अध्यक्ष था। मै। असम गया तो वहाँ जो बेचैनी थी और उस इलाके की जो डैमोग्राफी है, उसके लिए वे बहुत चिन्तित थे। वह कितनी चेन्ज हुई है और कितनी नहीं हुई है, मैं इसकी सच्चाई नहीं जानता हूँ। लेकिन उनकी जो बेचैनी थी, उनकी बॉडी लैग्वेज से ऐसा लगता था कि वे लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। हमारी जनता पार्टी थी तो उसमें उन्होंने जो बातें उठाई, उस समय मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे। मैं कई बार उनसे मिला और उस बात के लिए उन्होंने मुझे वहाँ बैठाया। मोरारजी भाई हमेशा कहते थे कि जाओ, लेकिन उस दिन मुझे बैठाया और मेरी बात सुनी। इसके बाद असमगण परिषद् बन गई, उसकी सरकार बन गई। हम सब लोग यूनाइटेड फ्रंट में इकट्ठे थे। मुद्दा यही था लोगों ने दोहराया कि उसमें तीन मुख्य मुद्दे क्या-क्या थे। उस पर समझौता हुआ और समझौते तो इतने होते रहते हैं लेकिन वे कभी लागू नहीं होते। जैसे बसुदेव आचार्य जी कमेटीज़ के बारे में बड़ा याद रखते हैं। काफी कमेटीज का इनको याद रहता है। कोई बुरी बात थोड़ी है! याददाश्त ही नहीं, ये पढ़-लिखकर आते हैं वे उस इलाके में भी गए होंगे। ये ह्यूमनिस्ट हैं, ये सिर्फ नेशनलिस्ट नहीं हैं। वे ह्यूमनिस्ट लोग हैं मगर मैं राष्ट्रीय भी हूँ और देश की डेमोग्राफी चेन्ज हो जाए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे-जिन्ना साहब थे, जवाहरलाल जी थे, सरदार पटेल थे। एक ही आदमी थे महात्मा जी, जो पोल टु पिलर थे। वे अपनी जान लगाकर तनहा, अकेले चले। उनके साथ एक सीमांत गांधी थे।

हमने देश बांट दिया। मैं पांचवीं में जो नक्शा बनाता था, वह मानस से बाहर जाता ही नहीं। मगर वह विकट नक्शा बनाएं तो हमारे देश में बर्मा भी आता है। लेकिन देश बंट गया। यह जो विकट समस्या है और आज जो बहस हो रही है, उससे लगता है कि बंगलादेश से काफी लोग घुसपैठ करके भारत में आ गए हैं। बंगलादेश की आबादी 16 करोड़ के लगभग है। घाटोवार जी चले गए और बसुदेव जी बैठे हैं, हमारे देश की आबादी में इसे जोड़ लिया जाए, तो करीब 130 करोड़ लोग भारत में रह रहे हैं हम उन घुसपैठिए का कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं पशु

मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, वे जंगल खा रहे हैं, सभी चीजें खा रहे हैं यहां तक कि भ्रष्टाचार में सड़क खा रहे हैं जो गरीबों के लिए जाता है, उसमें सब कुछ खा जाते हैं पीडीएस हो या मनरेगा हो या इंदिरा आवास योजना हो। इंदिरा जी के जमाने में यह ठीक चल रहा था, लेकिन अब सब खा जाते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: कोयला भी खा जाते हैं।

श्री शरद यादव: अभी इस मुद्दे पर बात हो रही है, नहीं तो कोयले की बात सदन में उठाई जाती। सीएजी की रिपोर्ट क्यों डिले हुई है? प्रधानमंत्री जी यहां से चले गए हैं। हम कल नोटिस देंगे। उपाध्यक्ष महादेय, मेरा कहना है कि बहस तो होगी। असम में बेचैनी है। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद कोई कहता है तीन लाख, कोई कहता है चार लाख कोई कुछ कहता है, होम मिनिस्टर साहब आप सही बताएं कि वहां कितने लोग विस्थापित थे। न तो मीडिया से पता चलता है, न अखबार से पता चलता है। कल जब मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा देख रहा था तब मैंने छह, सात चैनल देखें। अंसारी साहब जीत गए, लेकिन हमें कितना वोट मिला, हम यह देख रहे थे। लेकिन यह नहीं पता चल रहा था। उसमें फिजा का मामला दिखा रहे थे, पता नहीं क्या-क्या दिखा रहे थे। हमारे यहां लोगों को मजा आ जाता है, अकेले मीडिया को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी कि किसी महिला का कोई कांड हो जाए, तो देश के रोयें खड़े हो जाते हैं। घाटोवार जी बोल रहे थे, हम नहीं थे नहीं तो उनकी बात ट्रासलेशन में सुन लेते। यह बात सच है कि हमने अपनी पार्टी के लोग पहुंचाए, उन्हें बहुत अधूरी जानकारी है। हमारे पुराने होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब अभी सदन में मौजूद नहीं हैं, वे एक-आध दिन जाते कि कितने मरे, कितने चित मरे, कितने पट मरे, कितने जले, कितने कटे, यह देखने जाना चाहिए था। लेकिन उसका कोई रास्ता बगैर वहां बैठे, वह नहीं बैठे तो किसी दूसरे आदमी को बैठा लो। वहां कम से कम उस समस्या के बारे में पूरी तरह से समझ तो बननी चाहिए। हकीकत क्या है? इधर से कुछ बोल रहे हैं, उधर से कुछ बोल रहे हैं। बात तो सही समझ में आनी चाहिए। यह एक विकट समस्या हो गई है। आज असम और पूरा नॉर्थ-ईस्ट बेचैनी में है। असम हमारे देश का हिस्सा है। आज की बहस से मुझे यह अच्छा लग रहा है कि हमने वहां की चिंता तो की है। इस सदन ने उस इलाके की चिंता की है। यह पूरे देश का सदन है। इसलिए आज मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। असम गण पषिद वहां दो बार जीती है। आप भी वहां जीते हैं। यहां आपकी सरकार रही है, हमारी भी सरकार रही है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ रही हो, लेकिन कोई रास्ता तो निकलना चाहिए। अगर कोई बाहर से आया है तो लोकल डायलेक्ट और बहार से आए हुए लोगों के डायलेक्ट का दो मिनट में पता चल जाएगा। यहां का बांग्ला डायलेक्ट और वहां के बांग्ला डायलेक्ट में फर्क हो जाता है। हमारे यहां तो कोस-कोस पर भाषा बदलती है, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर पर भाषा बदलती है। जिसकी भाषा लोकल डायलेक्ट से नहीं मिलती है, वह सही में कहीं बाहर से आया है, वह उस इलाके का नहीं है। उस इलाके का जो आदमी है, उसके बाप-दादे हजारों वर्षो से वहां बसे हुए हैं। इस देश में लोगों के पास जमीन के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं हैं उस पर अगर संख्या बढ़ती है तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाती हैं इन बेचैनी का रास्ता हमें निकालना चाहिए।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैंने उनके बयान को पन्द्रह दिनों के बाद पढ़ा। उन्होंने बहुत वाजिब कहा कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान-बांग्लादेश का महासंघ बनना चाहिए। पाकिस्तान हथियार पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा है, हमारा देश भी हथियार पर इतना खर्च कर रहा हैं बांग्लादेश का तो यह हाल है कि वर्ष 2020 में वहां की जनसंख्या बाइस करोड़ हो जाएगी। ऐसे में क्या वे समुद्र में बसेंगे? वहां जो हकीकत में परिस्थिति है, उससे तो फेस-टू-फेस कराइए। आपको इसके संबंध में पूरा पेपर सदन में बांटना चाहिए।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.17 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

असम में चार लाख आदमी बंटवारे के बाद कभी विस्थापित नहीं हुए? जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि वह गड़बड़ हो। दो लाख, तीन लाख भी बड़ी संख्या है। पर, चार लाख तो हिन्दुस्तान में आजादी के बाद कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। वहां इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब किसका हुआ, कैसे हुआ, इसका निदान और समाधान तो हम लोगों को निकालना चाहिए था। हम नहीं निकाल पाए। समय बीत गया। पर, आज तो कुछ शुरू करें। आज शुरू नहीं करेंगे तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। यह जनसंख्या विस्फोट तो हमारे देश में भी हो रहा है। इस पर भी यहां चिंता होनी चाहिए। इमरजेंसी के बाद यह भी रुका पड़ा है। हमने इसका दरवाजा ही बंद कर दिया। इसके लिए हमने एक विभाग का नाम परिवार कल्याण रख दिया। सबसे पहले नसबंदी

का विभाग खोलना चाहिए और जो ज्यादा बच्चा पैदा करे उसको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। कोई रास्ता निकालें। सीधी बात है कि जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)* इसके लिए कोई अकेला जिम्मेदार नहीं है। हम अपने-अपने दिलों में झांकेंगे तो पता चलेगा कि हमारे घरों में क्या-क्या है?

[अनुवाद]

सभापति महोदयः समय बीतता है, यह बदलता नहीं है कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां की जो हकीकत है, वे उसे बयान करें और बताएं कि तात्कालिक तौर पर इसका क्या इलाज हो सकता है? मतलब ह्युम्निस्टिक तरीके से इसका क्या इलाज हो सकता है? अगर आप कहेंगे कि इस देश में बाहर के आदमी को छांट दो तो यह भी एक विकट समस्या है क्योंकि यहां भ्रष्टाचार पूरे समाज में है। हमारे यहां एक कहावत है कि 'मन चंगा तो कठौती में गंगा'' यानि घर चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब घर तब बना है जब इस देश की मां को हमने गुलाम किया है। हम इसे मुक्त नहीं करना चाहते हैं। मेरी तीन बातें हैं। एक तो आप यह बताएं कि वहां कितने बोडो विस्थापित हैं और कितने एथनिक ग्रुप्स हैं? एथनिक्स में मुसलमान जो पुराने बसे हैं, उन्हें भी मानता हूं। ये जो समस्या है, इस समस्या के लिए आपको असम जाना चाहिए और ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए। वे पहले दिन आपको मीटिंग नहीं करने देंगे। बंगाल और बिहार में आप एक दिन में मीटिंग करके नहीं आ सकते। पहले दिन वे ऐसे जूझेंगे कि आप खुद सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे। आपको वहां बैठ जाना चाहिए या पहले अपने स्टेट मिनिस्टर को पहुंचाएं। वहां आप दो-चार-पांच दिन खर्च करिए। जब सारा खेत ठीक-ठाक हो जाए, बोने लायक हो जाए तो फिर आप हल लगाने जाइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें आपने कहां तक प्रगति की है और क्या किया है? असम के जो नौजवान छात्र थे, उनके साथ कहां तक समझौता पहुंचा और कहां खड़ा है, उसमें क्या हुआ है, सच बात को बताया जाएं। ये सारी बातें आप सदन में साफ रखेंगे तो बहस सीधी होगी और सीधी बहस होगी तो रास्ता भी आज नहीं तो कल इसमें सीधा निकलेगा।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपको ध्न्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम, मैं इस तथ्य को साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि हम पूर्वोत्तर राज्यों में हुए इस विवाद को सांप्रदायिक हिंसा या नस्लीय हिंसा का रूप न दें। एक तरह से यह बोडो लोगों का विद्रोह था जिन्हें लगता है कि उनका काफी लंबे समय तक दमन किया गया।

माननीय मंत्री महोदय वबन ने अपने भाषण में एक शब्द का जिक्र किया कि दुर्भाग्यवश वे इस समय यहां नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जिनके पास लोगों के लिए संवेदना है। वह अन्य सभी लोगों को अलग रखना चाहते थे जैसे किसी अन्य को भारत से प्यार नहीं है, किसी अन्य को भारत के लोगों से प्यार नहीं है; और प्रतिलिप्याधिकार या पेंटेंट राइट उन कुछ लोगों की प्रॉपर्टी है जो किसी विशेष दिशा में बैठे हैं।

महोदय, मैं विनम्र रूप से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस एक सम्मानित पार्टी है- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका जनाधार अब कम हो रहा है और यह अभी अलोकप्रिय हो रही है, परंतु हमें एक-दूसरे का आदर करना चाहिए और सभी लोगों को परेशान करने वाली समस्या को हल करना चाहिए। यह बात सच है कि देश के शेष भाग में रहने वाले अधिकांश लोगों को पूर्वोत्तर के बारे में बहुत कम जानकारी छोटे राजनीतिज्ञ जो एक दूसरे से बात करते हैं, जो दूसरी भाषा में बात करने वाले लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं करते, था दूसरे धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के प्रति आदर नहीं रखते, इस समस्या के लिए उन पर आंशिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है। यह एक प्रक्रिया है जिससे पार्टियां आती और जाती रहती है। उस तरफ बैठे लोग कभी यहां बैठे थे, और इस तरफ बैठे लोग कभी वहां बैठे थे- इसमें मैं शामिल लगती हूं। उन्होंने कुछ नहीं किया। वे अच्छे शब्द बोलते हैं, बात करते हैं परन्तु वास्तव मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र इस देश का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है।

मैं यह कुछ कहना चाहता हूं कि मुझे असम का थोड़ा-बहुत, दौरा करने का सौभाग्य मिला। मेरे असम के कुछ मित्र हैं, जो

मेरे साथ विद्यालय में पढ़ते थे। मैंने मेघालय को भी थोड़ी यात्रा की है। एक तो आदिवासी तथा दूसरा अल्पसंख्यक- वह ईसाई हैं और तीसरी बात यह कि पूर्वोत्तर से इस देश का राष्ट्रपति बनाये जाने पर विचार करने के पश्चात मेरी पार्टी बीत जनता दल ने श्री पी.ए. संगमा को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक स्पष्ट संदेश देना चाहते थे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अब इस देश का एक अभिन्न अंग है। दुर्भाग्यवश, राजनीतिकरण और काफी निम्न और छोटे स्तर के 'लेन-देन' वे इस बड़े सपने को तहस-नहस कर दिया जिससे भविष्य में इस देश को मदद मिलती है। घुसपैठ की समस्या केवल असम तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि सत्ता में बैठे लोग महसूस करेंगे कि मुम्बई में उड़ीसा और असम तक घुसपैठ हो रही है। ...*(व्यवधान)* हां, जगह बिहार के काफी लोग हैं।

महोदय, अपने मुद्दे से बिना हटे, मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि, बड़े देशों में, यहां तक कि अगर आप यू.एस. में भी देखें, यहां भी काफी घुसपैठ है, मैक्सिको की सीमा से भी काफी लोग घुसपैठ कर रहे हैं। अगर आप फ्रांस को देखें, तो फ्रांस के तत्कालीन सभी उपनिवेशों ल्यूपीपिशया से मोरक्को तक सभी उत्तरी अफ्रीका के देशों, के नागरिकों ने घुसपैठ की है, या वे फ्रांस में जाना चाहते हैं इसलिए, बड़ा देश होने के नाते और भारत की तरह आपके देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां स्वतंत्रता है, जहां अन्य देशों की तुलना में लोग यह महसूस करते हैं आप उनके देशों तथा उनके पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक सफल है। मुझे यकीन है कि पूरे विश्व के सभी बड़े देशों में इस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। भारत के लिए यह कोई बड़ी अजीब अथवा कुछ विशेष बात नहीं है।

अत: इस पूरी समस्या एक, निश्चित पहलू है, जिसे हम किसी न किसी तरह सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि श्री चिदम्बरम गृह मंत्री थे जब पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक विद्यार्थी की बंगलौर में हत्या कर दी गई थी। मैं उस मामले को लगातार देख रहा था। दुर्भाग्यवश, केनद्रीय गृह मंत्री के सदन में आश्वासन देने के बाद उस मामले पर कर्नाटक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही अथवा अनुवर्ती कार्रवाई की है।

महोदय, आप दिल्ली में, विद्यार्थी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवा लोगों, के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और उन्हें घृणा से देखा जाता है। जैसे वे लोग परिस्थितियां हैं। हम यह महसूस नहीं करते हैं कि वे काफी और स्वागत किया जाना शिक्षित और सक्षम युवा लोग हैं ... देश के शेष भागों में आदर, सम्मान और स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए, यह एक ऐसी समस्या है जिसे उत्पन्न करने में हम सभी लोगों ने योगदान दिया है।

महोदय, चूंकि आपने मुझे सीमित समय दिया है, इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हम कोका-कोला के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए बहुत इच्छुक हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वे पायी और चीनी कहां से प्राप्त कर रहे हैं; हम इतने सारे जी से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के बड़े इच्छुक हैं। ये इतने सारे जी हैं जैसे एलर्जी, एन्जी, ओ.जी. और 2जी कि मैं याद भी नहीं रख पाता हूं। लेकिन हम देश के एक महत्वपूर्ण भाग में उत्पन्न स्थिति की अनदेखी करना चाहते हैं, हमारे देश के एक भाग पर चीन अपना हक जता रहा है, वह पूर्वोत्तर के कई भागों जैसे अरुणाचल प्रदेश से जाने वाले लोगों को वीजा भी जारी नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसकी पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं। हम उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

मैं एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में यह सुझाव देता हूं कि आज इस सम्माननीय सभा को सर्वसम्मति से यह निर्णय लेना चाहिए कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की एक संयुक्त समिति गठित की जाए। इस समिति को पूर्वोत्तर जाना चाहिए; उन्हें बोडो लोगों की परेशानियों को देखना चाहिए; उन्हें घुसपैठ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि मीडिया में जो दावा किया जा रहा है वह सच है या नहीं क्योंकि मीडिया भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता हैं; किसी को यह जानकारी नहीं है। कि अरुणाचल प्रदेश में कितने बांधों का निर्माण हो रहा है; और कितने लाख लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। इस मुद्दों के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है।

इसलिए यह उचित समय है कि हम एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करें, और मैं यह कहना चाहूंगा कि हम उस क्षेत्र में केवल राजनेताओं को ही नहीं भेजे बल्कि सभी दलों के लोग वहां जाएं और यह देखें कि वास्तविकता क्या हैं; ओर वे जो महसूस करें, उसके संबंध में एक निश्चित समस्याओं के जैसेकि भीतर जैसे कि शीत कालीन सत्र से पहले इस सभा को रिपोर्ट दें।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, मैं ठोस बात कह रहा हूं। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं पहले ही आपके अधिक समय दे चुका हूं।

श्री तथागत सत्पथी: जी हां। यह एक सकारात्मक कार्रवाई है। हमें एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करनी चाहिए; और सभी दलों को वहां जाना चाहिए और तब इस सभा को रिपोर्ट देनी चाहिए, जिसके आधार पर दीर्घकालिक दृष्टि से आगामी कार्रवाई की जानी चाहिए।

डॉ. एम तम्बिदुरई (करूर): माननीय सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव संबंधी बाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

अधिकांश सदस्यों ने असम की दु:खद घटना का उल्लेख किया है। जो हुआ है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। असम में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। माननीय वित्त मंत्री एवं पूर्व गृह मंत्री ने असम का दौरा किया। मैं आशा करता हूं कि वहां की वास्तविक स्थिति की जानकारी देंगे जैसे कि वास्तविक रूप में वहां क्या हुआ है और वर्तमान में असम की क्या स्थिति है।

यह जातीय समस्या या अन्य समस्या भी हो सकती हैं, लेकिन हमें इस बारे में मालूम नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में हमें यह जानकारी मिली है कि असम में जो कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा था वह अब परेशानी में है। इसलिए जो लोग वहां कुछ अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ एक माननीय सदस्य ने यह उल्लेख भी किया था कि दिल्ली में भी पूर्वोत्तर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि वास्तविक समस्या क्या है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह असम में विभिन्न समूहों को आमंत्रित करें और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। सबने पहली प्राथमिकता वहां शान्ति और सामान्य हालात बहाल करने की है।

इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि वास्तविक समस्या क्या है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह असम में विभिन्न समूहों को आमंत्रित करें और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश वरें। सबसे पहली प्राथमिकता वहां शान्ति और सामान्य हालात बहाल करने की है।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने सभा में कुछ चित्र दिखाए थे और यह बताया था कि यह दु:खद घटना कैसे घटित हुई और आम नागरिकों के साथ के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कैसे उनकी हत्याएं की जा रही हैं। बड़ी संख्या में परिवारों से वहां से विस्थापित हुए हैं। अत: उनका पुनर्वास करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। सरकार को प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए और अधिक धन देने के लिए आगे आना चाहिए और असम में शीघ्र शान्ति और सामान्य हालात बहाल किए जाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे, आडवाणी जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, अगर वे यहां रहते तो मैं उनसे सीधे पूछता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया कोई टिप्पणी न करें। सदन में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आडवाणी जी ने यह आरोप लगाया कि यूपीए-वन का नहीं, लेकिन यूपीए-टू का जो इलेक्शन हुआ, सरकार का गठन हुआ, वह बिल्कुल ठीक नहीं था। यूपीए-वन से यूपीए-टू तक देश भर में जो भी चुनाव हुए, हम लोग जो चुनकर आए, मुलायम सिंह जी से लेकर सब लोग, तो हम यह जानना चाहते थे कि आपके सामने कौन सी परिस्थिति आ गयी कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया? हमने सुना है कि माफी मांग ली, काफी दवाब देने के बाद वापस ले लिया। हम लोग अपेक्षा करते थे कि आडवाणी जी ब्लॉग पर बोलेंगे, जो ब्लॉग में उन्होंने ...*(व्यवधान)* हमारी बात सुन लीजिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: वह ब्लॉग पर बोलेंगे। आडवाणी जी की इस भाषा को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं।* ...*(व्यवधान)* हम लोग आडवाणी जी का आदर करते हैं। वह बुजुर्ग आदमी हैं। दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना उनके लिए अच्छा नहीं लगता है। यह ठीक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। असम के मामले में दंगा और फसाद पर यह चर्चा हो रही है। असम में जो घटना घटित हुई है। जहां हमारे माइनरिटी भाई हैं, ट्राइबल भाई हैं। आखिर इस के पीछे कौन शक्ति है। ये जो असमगण परिषद और एनडीए की सरकार थी, देश यह जानना चाहता है कि जब यह सवाल

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

आज उठाया जा रहा है कि बंगलादेशी इसमें घुसपैठ किए हैं। यहां पर बंगलादेशी लोग हैं। यही सवाल जब आडवाणी होम मिनिस्टर थे और मैं सदस्य था तो कम्यूनल हेट्रेड पूरे देश में, बंगलादेशियों के नाम पर पूरे मुंबई में, दिल्ली में उन्होंने कह दिया कि सारे देश में बंगलादेशी घुसे हुए हैं मुसलमान होना, लुंगी पहनना, गंजी पहनना, मेहनत करना देश भर में काम करना, ये बंगलादेशी हो गए। निश्चित रूप से हमारे ट्राइबल भाइयों को बंगलादेशी के नाम पर बरगलाने की बड़ी भारी साजिश हुई है, पता करिए।

सभापति महोदय, उस इलाके में बैनर लगा हुआ है। मैं तो वहां नहीं गया हूं। वहां बैनर लगा हुआ है कि असम को हम कश्मीर नहीं बनने देंगे। यह क्या बताता है। यह कौन सी शक्ति है? कोई भी ट्राइबल इस तरह की बात नहीं कर सकता। उनके मोहल्लों में कौन छिपा हुआ है? ये कौन है? हाल में जब वहां चुनाव हुआ तो असम में आपकी हवा निकल गई। कांग्रेस पार्टी को मैडेट मिला। आखिर यह माइनरिटी एक फ्रंट है जो इधर एमपी साहब बैठे हुए हैं। इनके दल को भी समर्थन मिला।

सभापति महोदय, हम लोगों को याद करना चाहिए कि जब असम में तेल मिला, चाय बगान तब ब्रितानी सरकार ने सारे जगह से ला कर लोगों को वहां बैठाया। उन्होंने सब को रखा। हिन्दुस्तान एक था। हमारे यहां छपरा, सिवान, गोपालगंज, के चारों तरफ बिहारी लोग डिब्रुगढ़ तिनसुखिया में फैले हुए हैं। बड़े पैमाने पर साजिश के तहत यह दंगा कराया गया हैं। दंगा कराने वाला कौन है? ...*(व्यवधान)* दंगा कराने वाली शक्ति जगजाहिर है। जब इनका पतवार लड़खड़ा रहा है, संघ परिवार का, बीजेपी का...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मानीय सदस्यगण, कृपया सदन की गरिमा को बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः बंगलादेशी की बात करते हैं। ...*(व्यवधान)* कृपया इनको बैठाइए। ...*(व्यवधान)* आप बैठिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री लालू प्रसाद के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः दंगा फसाद कराने वाली शक्तियां देश में आइडेंटीफायड हैं। ये देश में दंगा फसाद कर के वर्ष 2014 के चुनाव के लिए इनकी लार टपक रही है। इनकी लार टपक रही है, यहां पहुंचने के लिए। ...*(व्यवधान)* मैं बताना चाहता हूं कि यह कभी भी संभव नहीं होगा। ...*(व्यवधान)* सारा देश जानता है कि माइनरिटी के लोगों को, ट्राइबल के लोगों को लड़ा कर, राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी वहां संलग्न हैं। आप नए होम मिनस्टिर बने हैं। कांग्रेस पार्टी को कड़ाई के साथ निपटना चाहिए। जो भी दंगे-फसाद का पक्ष लेता है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, हमारा यही सुझाव है। दंगा-फसाद, कम्युनल हेट्रेड करने वाले लोग एक साथ नाव में बैठे हुए हैं और नाव डूब रही है। ...*(व्यवधान)* दंगा कराओ।...*(व्यवधान)* भागलपुर में भी इन्होंने दंगा कराया। इसलिए कड़ाई से निपटना पड़ेगा। इन्होंने एक तरफ अन्ना जी को चलाया था। अन्ना जी की हवा निकल गई। इनकी हवा निकल चुकी, पंचर हो गया, लड़खड़ा गए। ...*(व्यवधान)* अब इनका दंगा सहारा है। इसलिए इनके साथ कड़ाई से निपटने की जरूरत है। हमारा पूरा समर्थन है। हमें यही कहना है।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): धन्यवाद सभापति जी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा कृपया आपस में बात न करें।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः मैं बोलूंगा। आप मेरी बात सुनिएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। अपना ध्यान भंग न होने दें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, असम में जो दंगा हुआ है, उस दंगे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो काम-रोको प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आडवाणी जी से पूरी तरह सहमत हूं कि जो समस्या आज असम में है, वह केवल असम की नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वह समस्या बंगलादेशी घुसपैठियों की है। वहां पर जो दंगे हुए, न वे हिन्दु-मुस्लिम दंगे हैं न कोई जातीय दंगा है। सरकार यदि मुझसे सहमत हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये दंगे नहीं है, ये बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा भारत पर किया गया आक्रमण है। यह हमारे देश पर किया हुआ आक्रमण है। यह कोई दंगा नहीं है। इसलिए सरकार को इस सारी घटना, दुर्घटना को गंभीरता से लेना चाहिए, गंभीरता से इस दुर्घटना का मुकाबला करना चाहिए। जो ये दंगे करवा रहे हैं, उनसे गंभीरता से, सख्ती से निपटना चाहिए।

मैं नए गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आपस में बात न करें। श्री गीते जो कुछ कह रहे हैं उसके अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री अनंत गंगाराम गीते: उनका स्वागत पुणे में कुछ लोगों ने सीरियल बम ब्लास्ट से करने का प्रयास किया। वह कितना सफल हुआ, असफल हुआ, उसकी जांच चल रही है। लेकिन हमारे गृह मंत्री से इस देश की अपेक्षा है। इसलिए जब यहां पबन सिंह घाटोवार जी बोल रहे थे, उन्होंने सरकार की ओर से आडवाणी जी को यहां जवाब दिया। उनके जवाब के बाद पूरी सत्ता पक्ष ने बैंचे थपथपाई। उन्होंने बैंच किसलिए थपथपाई, यह मैं समझ नहीं पाया। ...*(व्यवधान)* यदि असमी में बोले ...*(व्यवधान)*

सभापति जी, वे असमी में बोले, इसलिए उनका स्वागत होगा या उनके लिए बैंचे थपथपायी होंगी, तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जब हम कल तक मराठी की बात करते थे, तो हमें जातीय कहा जाता था। यदि असमी में बोलना गर्व की बात है, तो मैं भी उसका स्वागत करता हूं। ...*(व्यवधान)* उसके लिए उन्होंने बैंचें नहीं थपथपाई। उन्होंने बैंचें इसलिए थपथपायीं, क्योंकि उन्होंने आडवाणी जी को जवाब दिया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति जी, यह कोई सवाल-जवाब का मामला नहीं है। यहां जवाब देने से, वहां आज कितने विस्थापित हैं, इसका आंकड़ा कितना है, पता नहीं। अखबार कह रहे हैं कि चार लाख विस्थापित परिवार हैं।

आज हमारी अध्यक्षा जी ने जब यहां उस हादसे को लेकर सदन में शोक प्रकट किया तब उन्होंने कहा कि दो लाख परिवार विस्थापित हुए हैं। यदि ये दो लाख परिवार भी हैं, तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। यदि हमारे देश में दो लाख परिवार संख्या में विस्थापित होते हैं तो यह किसी भी सरकार के लिए शर्म की ही बात है। ...*(व्यवधान)* सरकार किसी की भी हो, लेकिन अपने ही देश में यदि दो लाख परिवार विस्थापित होते हैं, तो वह किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। मुझे नहीं पता चलता कि इसमें बैंच थपथपाने वाली कौन सी बात है। ...*(व्यवधान)* इसमें बैंच थपथपाने वाली कौन सी बात है, यह मेरी समझ के बाहर है। हम भी बैंच थपथपायेंगे, यदि आप इन दो लाख विस्थापित परिवारों को अपने घर ले जायेंगे, तो हम बैंच थपथपाकर आपका अभिनंदन करेंगे। जरूरत इसकी है, आवश्यकता इसकी है कि आज हमारे देश में जो परिवार विस्थापित हैं, उन्हें हम किस प्रकार से अपने घर तक पहुंचा पाते हैं। जो लोग इन दंगों में मारे हैं, उनकी संख्या कितनी है? स्पीकर साहब ने 73 लोगों का आंकड़ा यहां पर दिया है। वास्तव में कितने लोग मरे, कुछ पता नहीं है। लेकिन आज लोग वहां रिफूजी कैम्पों में हैं। वे विस्थापित होकर कैम्पों में रह रहे हैं।

सभापति जी, बंगलादेशी घुसपैठियों का जो मामला है, यह किसी जाति-धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हम बार-बार इस सदन में कहते आये हैं, मेरी पार्टी कहती आयी है, मेरी पार्टी के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे कहते आये हैं कि जो बंगलादेशी घुसपैठिये हैं, उन्हें आप मुसलमानों से मत जोड़िये, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। यदि बंगलादेशी मुस्लिम धर्म के हैं, तो उन्हें हिन्दुस्तानी मुसलमानों के साथ जोड़ना गलत है। जब तक हम इस बात को नहीं सुधारेंगे और इस वास्तविकता को नहीं स्वीकारेंगे, कोई भी सरकार इस मुसीबत का सामना नहीं कर पायेगी। आप तब सफल हो पायेंगे जब आप वास्तवकिता को स्वीकार करेंगे।

सभापति जी, यह जो दंगा हुआ है वह बंगलादेशी घुसपैठियों ने किया है। मुझे तो इस बात का डर है, आज हमारा पाक आक्पूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। कहीं कल ऐसा न हो कि यह कोकराझार, ढुबरी, बंगला आक्पूपाइड जिले न हों। यह जिम्मेदारी सरकार की है। ...*(व्यवधान)* वे बीओके न हों। जैसे ये पीओके है, वे बीओके न हों। सरकार को इसकी तरफ गंभीरता

से देखने की आवश्यकता है। यह भविष्य की खतरे की घण्टी है। आज शायद वे जिले उन्हीं के कब्जे में है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कब्जे में हैं। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है।, आडवाणी जी ने यहां आज कही है, मैं उसे दोहरा रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं। यहां पर हमारे पूर्व गृहमंत्री एवं आज के वित्तमंत्री जी बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व मंत्री श्री शशि थरूर, जिनकी एक पुस्तक का विमोचन पुणे में हुआ। हमारे गृहमंत्री जी ने भी इस खबर को पढ़ा होगा। यह खबर मराठी न्यूजपेपर में आई है, मैं आपकी इजाजत से इसका एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। पहले मराठी में पढ़कर फिर मैं उसका हिन्दी में अनुवाद करूंगा। पुणे में हमारे सिम्बायोसिस सेंटर फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन की ओर से सउदी अरेबिया के पूर्व एम्बेस्टर तलमिझ अहमद के हाथों सांसद शशि थरूर जी की पुस्तक 21वीं सदी का हिन्दुस्तान और दुनिया' का विमोचन किया गया। मराठी भाषा में लिखा है: 21व्या शतकावीन हिन्दुस्थान आणि जग।, उस समय शशि थरूर जी ने क्या कहा है? मैं उसको पहले मराठी में पढ़ता हूं: 'देशात 70 लाख नेपाली आणि सुमारे दोन कोटी बांग्लादेशी निर्वासित असून त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ हो आहे। शशि थरूर जी कह रहे हैं कि देश में आज 70 लाख नेपाली और दो करोड़ बांग्लादेशी हैं और दिन-ब-दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 'मात्र त्याना परत पाठविण्यासाठी हिंदुस्तानकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही। किन्तु उनको वापस भेजने के लिए भारत के पास कोई ठोस कारगर उपाय नहीं हैं। 'त्यासाठी हिंदुस्थानचा स्वतंत्र व्यापक कायदा असण्याची गरज आहे'। उसके लिए हिन्दुस्तान का, भारत का एक कड़ा एवं व्यापक कानून होने की आवश्यकता है। तो "करण्याकडे केन्द्रसरकारचे गेल्या काही वर्षापासून पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे।" इस प्रकार का कानून बनाने के लिए भारत की सरकार ने कई वर्षों से इस ओर ध्यान नहीं दिया है। असेमत कांग्रेसचे खासदार डॉ. शशि थरूर यानी व्यक्त केले। ऐसा मत कांग्रेस के सांसद श्री शशि थरूर जी ने व्यक्त किए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया आप बैठ जाएं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, सभी के पास अनुवाद की सुविधा है। इसलिए आपको दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः महोदय, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आप मुझे दो मिनट समय दीजिए।

यह दंगा किन लोगों ने किया है, उसका सबूत भी मैं यहां देने जा रहा हूं। मैं अपने गृहमंत्री जी को यह सबूत देने जा रहा हूं कि यह दंगा करने वाले कौन लोग हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं आपको बोलने के लिए केवल एक मिनट और दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सरकार इसकी जांच करे।

सभापति जी, राशि थरूर जी ने जो कहा है, यह वास्तविकता है। यह कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने यह बात पुणे में कही है। यह मेरी बात नहीं है। जो शशि थरूर जी ने कहा है, उसकी भी जांच गृहमंत्री जी करें कि इनमें क्या वास्तविकता है, उसे जानने का प्रयत्न सरकार करे।

सभापति जी, आज बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गयी है, लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात होती है, तब इसे मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है कि आप मुसलमानों को यहां से हटा रहे हैं। लालू जी बोल रहे है कि ऐसा ही रहेगा। मुझे उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैंने आपको काफी समय दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः मैं लालू जी की उत्तेजना को समझ सकता हूं क्योंकि जब से यूपीए-2 बना है, तब से वह मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सोनिया जी उनको अवसर नहीं दे रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसादः हम मंत्री से ऊपर हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने आपको बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया। हमारे पास और समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मैं अगले वक्ता, अर्थात श्री प्रबोध पांडा का नाम पुकारता हूं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, इसलिए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सभापति, जी, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां दंगा करवा रहे हैं, वे कोकराझार और धुबरी दोनों जिलों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि दुर्भाग्य से उन्हीं का वहां पर कब्ज़ा है। भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और इस बारे में यहां बयान देना चाहिए।

असम में हमारी शिव सेना पार्टी की छोटी यूनिट है। वहां के शिव सेना प्रमुख ने असम के मुख्य मंत्री और राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंनें यह कहा है कि ये जो सारे दंगे हुए हैं, उनके करने वाले संगठन का नाम युनाइटेड नेशनल मुस्लिम आर्मी है। मैं इस संगठन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब पवन सिंह घाटोवार सदन में अपनी बात कह रहे थे, वह भारत सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी इस बात को सदन के सामने रखा था और स्वीकार किया था कि कुछ मुस्लिम संगठन वहां पर हैं, जो वहां अलग इस्लामिक कंट्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप रिकार्ड निकाल कर देख सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

यह जो यूनाइटेड नेशनल मुस्लिम आर्मी है, यह एक आतंकवादी संगठन है।

श्री पवन सिंह घाटोवारः मैंने किसी माइनोरिटी संगठन के बारे में नहीं कहा था, मैंने इनजर्ससी ग्रुप की बात कही थी।

श्री अनंत गंगाराम गीतेः सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कैसे सफल होगी, जो ऐसे संगठन हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री प्रबोध पांडा, अब आप शुरू करें।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः मैं खत्म ही कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं इसके अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने आपको काफी समय दिया है कार्यवाही वृत्तांत मे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी प्रबोध पांडा कह रहे हैं केवल उसे ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत मे कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर)**:** श्री आडवाणी जी के द्वारा पेश किये गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परन्तु, मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं। क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में वर्तमान की विफलता ही नहीं है बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता भी है न केवल धूपीय सरकार अपितु पूर्ववर्ती एनडीए सरकार भी इसकी जिम्मेदार हैं।

महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं, परन्तु कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें ताकि मैं उन सभी मुद्दों के बारे में बात कर सकूं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं।

महोदय ये घटनाएं बोडो स्वायत्तशासी क्षेत्र के कुछ हिस्सों अर्थात् कोकराझार, बोंगईगांव, चिरगांव और सांथल लगे हुए धुबरी जिलों में घटित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.59 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

प्रेस में छपी खबर के अनुसार, चार लाख लोगों को 273 अस्थायी शरणार्थी शिविरों में जाना पड़ा। लगभग 65 लोगों की जानें गयीं और 500 गांवों में आग लगा दी गयी ये घटनाएं दो सप्ताह की घटित छोटी सी अवधि में घटित हुई। अत: मामला काफी गंभीर है और राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, इसकी इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? पिछले कुछ महीनों से पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, पचास से ज्यादा गांवों में भूमि के लिए खुला विवाद हो रहा था। राज्य सरकार ने कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाये वास्तव में पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की गई। राज्य सरकार टस से मस नहीं हुई और उसके कारण जवाबी कार्यवाही हुई। कुछ मौकापरस्त व्यक्ति, वहां तक कि कुछ सांप्रदायिक तत्वों वे मौके का लाभ उठाया और इस पूरी घटना को सांप्रदायिक रूप दे दिया। मैं इससे सहमत हूं कि इसे नस्लीय हिंसा की घटना का कारण नहीं माना जा सकता।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। समय बहुत कम है।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): महोदय, मैं अपने मुद्दों का जिक्र भी नहीं कर पाया। सर्वप्रथम, मैं आपसे अपील करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री प्रबोध पांडा: महोदय, ये नस्लीय संघर्ष नहीं है। वह सांप्रदायिक संघर्ष नहीं है। और मैं भा.ज.पा. से सहमत नहीं हूं कि यह भारत और बांग्लादेश का संघर्ष है। अगर हम घटना के स्वरूप को विस्तार से देखें, तो इसका वह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। महोदय, मुख्य समस्याएं क्या हैं? जहां तक मैं समझता हूं, मुख्य समस्या सीमा प्रबंधन की है। यह मुद्दा भूमि विवाद से संबंधित है; यह मुद्दा 25 मार्च 1971 के बाद घुसपैठियों की पहचान करने से संबंधित है; यह मुद्दा स्थानीय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को सुनिश्चित करने से संबंधित है जो शायद तत्कालीन बांग्लादेश से आये थे, जो शायद ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहा थे। ये चार बातें हैं और जहां तक हम जानते हैं 31 मई, 2002 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में इन सभी बातों की समीक्षा की गई और उन पर विचार-विमर्श किया जा चुका है। उसका क्या हुआ? इस त्रिपक्षीय समझौता में यह जिक्र किया गया था कि गृह मंत्रालय इसके कार्यान्वयन के लिए एक मात्र नोडल एजेंसी समझौता का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के कारण तथा ईमानदारी से इसका कार्यान्वयन किये जाने तथा केन्द्र और राज्य में उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा इस संबंध में की गई उपेक्षा के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं। वे खुद को एक समस्या से दूसरी समस्या की ओर ले जा रहे हैं। परन्तु यह एक गंभीर मुद्दा है। वे गंभीर नहीं हैं। उन्होंने 'असम समझौता' को ठीक ढंग से लागू नहीं किया है। अगर उन्होंने 31 मई, 2002 में हुए त्रिपक्षीय समझौते को ठीक ढंग से लागू किया होता, तो ऐसी स्थिति नहीं होती।

महोदय, अब मैं पुनर्वास के बारे में बताना चाहता हूं। बोडो स्वायत्तशासी क्षेत्र में भूमि की समस्या है। परन्तु मेरा सवाल है कि वे लोग मूल रूप से दूसरी जगहों से आये थे जो कि बोडो स्वायत्तशासी क्षेत्र या तत्कालीन बांग्लादेश या भारत के किसी अन्य हिससे से बाहर हैं या यहां भूमि लेने का अधिकर नहीं है। सर्वप्रथम इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। बिना भूमि के पुनर्वास करना कैसे संभव है? वे अलग-अलग राहत शिविरों में रह रहे हैं। आप उन्हें राहत प्रदान कर रहे हैं। इन्हें राहत प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। आप उन्हें मुहैया करा रहे हैं इन्हें पैकेज किये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: कृपया अब भाषण अब समाप्त करें।

श्री प्रबोध पांडा: इस विशेष मामले के संबंध में गृह मंत्रालय और केन्द्र सरकार अनुरोध करता हूं। सर्वदलीय बैठक में, हम लोग बैठ कर चर्चा कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय के भाषण ने मुझे निराश किया हैं मुझे लगता है, खुद की प्रशंसा का जो भी कारण हो, खुद की समीक्षा भी होनी चाहिए। खुद की समीक्षा वास्तव में आवश्यक है। खुद की प्रशंसा जो भी हो लेकिन आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वास्तव में आत्म समीक्षा की जानी चाहिए। केन्द्र में इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। फिर भी, उन्हें अपने आप को संतुष्ट करना पड़ता है। परन्तु, जहां तक खुद की समीक्षा का संबंद्ध है, कुछ भी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जायें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: श्री नरहरि महतो अब अपनी बात रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री नरहरि महतो: श्री आडवाणी जी द्वारा पेश स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है। परन्तु आज की चर्चा अत्यंत संवेदनशील है। आज की चर्चा हमारे देश की एकता और अखंडता के बारे में संदर्भ है।

आज हम असम की समस्या और वहां की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई मानीय सदस्यों ने इस सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हमने देखा है कि न केवल पर्यटन के संदर्भ में, अपितु हमारे देश की सुरक्षा के संदर्भ में भी असम हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। हमारे संविधान में, अखंडता, सुरक्षा सौहार्द एवं इससे जुड़े सभी मामलों को शामिल किया गया है। परंतु यह घटना जुलाई के तीसरे सप्ताह में कोकराझार और धुबरी में घटित हुई। इस घटना में अनेक लोग विस्थापित हुए और कई लोग बेघर हो गये वे अपने बच्चों के साथ पेड़ के नीचे रह रहे हैं। वे भूमि से, घर से और सभी चाजों से वंचित हैं। वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार बेघर लोगों और जुलाई के तीसरे सप्ताह की घटना से पीड़ित लोगों के लिए क्या कर रही है? अगर हम समाचारपत्रों को देखें तो पता चलता है कि हिंदू, मुस्लिम या बोडो लोग सभी पीड़ित है। सरकार को बेघर और पीड़ित लोगों के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। काफी विद्यार्थीगण बेघर होने और शरणस्थल न होने के कारण विद्यालय और महाविद्यालय नहीं जा रहे हैं। वे भूखे मर रहे हैं। उनके पास केवल दाल और चावल उपलब्ध है और यहां तक कि नमक भी उपलब्ध नहीं है। हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री महोदय ने उस स्थान का दौरा किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी उस स्थान का दौरा किया है।

[हिन्दी]

लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम आज सदन में चर्चा कर रह हैं, लेकिन केवल चर्चा करने से डिसट्रेस आदमी का पेट नहीं भरेगा। हमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

[अनुवाद]

इन घटनाओं के दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए। उनकी पहचान करनी चाहिए।? वे कौन लोग हैं? हमें नहीं पता है कि वे कौन हैं, क्या वे मुस्लिम या हिंदू या बोडो हैं हमें संकटग्रस्त लोगों की मदद करनी चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नरहरि महतो: मेरा सुझाव है कि सरकार को गिल्टी लोगों को, अपराधी लोगों को, जिन्होंने यह काम किया है, उन्हें चिह्नित करे कि किन लोगों ने यह काम किया है। जिन लोगों ने यह काम किया है। उन लोगों को सजा दी जाए।

[अनुवाद]

वे लोग बेघर हो गये हैं, जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, उनके घरों को या तो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा दोबारा बनाया जाना चाहिए। अब उनके पास घर नहीं है। उनके घरों का निर्माण कराया जाना चाहिए। और उन्हें शिविरों से उनके घरों में भेजा जाना चाहिए। उनके बच्चे विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जीवन तबाह हो गया है। आजादी के 67 साल बाद भी, ज्वलंत समस्याएं हैं और देश ज्वालामुखी की भांति जल रहा है। आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री महोदय से मेरा यही विनम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री जोसेफ टोप्पो (तेज़पुर): सभापति महोदय, मुझे इस ज्वलंत मुद्दे पर आपने बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका और सबसे ज्यादा स्पीकर महोदया का बहुत आभारी हूं जिन्होंने असम के बारे में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस मंच से मुझे बोलने का अवसर दिया।

सबसे पहले असम एकॉर्ड हुआ। इसके बाद राजीव गांधी जी के समय की असम स्टूडेंट एसोसिएशन ने इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया था। हमारे सभापति प्रफुल्ल कुमार महंतो और भृगुकुमार फूकन जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। उसके बाद एकॉर्ड होकर सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें दो तीन मुद्दे हैं। जिनको अभी तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक फुलफिल नहीं किया। अभी वॉर्डर अभी तक खुला है लेकिन फेंसिग नहीं हैं फेंसिग बनाने का काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट का था और इतने साल हो गये हैं लेकिन अभी फेंसिग नहीं हुई है।

दूसरे डी-वोटर इंडिया में किसी जगह नहीं है लेकिन असम में डी-वोटर हैं डी-वोटर का मतलब डाउटफुल वोटर है। लेकिन यह डाउटफुल वोटर कितने दिन तक रहेगा? डाउटफुल का मतलब है कि वे लोग वोट नहीं दे सकत लेकिन उनके बच्चे के जन्म का यदि सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वह बच्चा वोट दे सकता है लेकिन उनका पिता वोट नहीं दे सकता। मैं जानना चाहता हूं कि इस डी-वोटर के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? यह वह मुद्दा है जिस पर बहस करना बहुत जरूरी है और माइग्रेशन का जो हो रहा है, उसके पहले 1986 में आदिवासी लोगों को वहां से खदेड़ कर निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी वे लोग

शैल्टर होम में हैं। यह बात सरकार बार बार कह रही है कि सरकार उनको शैल्टर देगी। अभी वे लोग इतने बूढ़े हो गये हैं लेकिन अभी भी वे लोग कैम्प में हैं। इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 1996 से 11 हजार से ऊपर लोग अभी शरणार्थी हैं उसके बाद दूसरे माइनॉरिटी के कैम्प भी हैं, वहां भी वे लोग अभी वैसे ही रह रहे हैं। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं। अब कैम्प में भी वे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं मैं वहां कॉलेज में गया था, जहां 5000 लोग एक कॉलेज में रह रहे हैं। उनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं वहां महिला का प्रसव हो रहा है, वहीं महिला बच्चे को जन्म दे रही है और उन लोगों की हालत बहुत खराब हैं। आज यहां हम सभी ने असम के लोगों की पीड़ा के बारे में अनुभव किया और यहां यह चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं खुश हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह मुद्दा एक छोटा मुद्दा नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

अगर इन बंग्लादेशी लोगों को वहां रोका नहीं जाएगा तो वहां के जो हम लोग आदिवासी लोग हैं और जो बोडो आदिवासी हैं, हम लोग बेघर हो जाएंगे। यह हम लोगों का सबसे बड़ा डर है। मैं केन्द्र सरकार से कहूंगा कि आदिवासी लोगों को और माइनॉरिटी को सरकार ने शैल्टर नहीं दिया। अभी 4 लाख लोगों को सरकार कैसे शैल्टर देगी और यह सब भी किस दिन शुरू हुआ? जिस दिन मुस्लिम भाई लोगों का रोजा है, उस समय इन लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। मैं इंडिया टुडे से कोट कर रहा हूं और आप इस पिक्चर को देखिए, नदी में कैसे शव बह रहा है? यह पिक्चर असत्य नहीं बोलेगी।

सभापति महोदय: आप फोटो मत दिखाइए। जो आपको कहना है, आप कहिए।

श्री जोसेफ टोप्पो: मैं कोट कर रहा हूं: "45 वर्ष की नूरजहां ने और कई मुसलमान महिलाओं ने अंधाधुंध गोली से बचने के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाकर हिंदू दिखाने की कोशिश की।" वहां ऐसी हालत है कि मुस्लिम महिलाएं सिंदूर लगाकर कहती है कि हम लोग हिंदू हैं। ...*(व्यवधान)* ऐसा इसमें लिखा है।

सभापति महोदय: आप यहां ऐसे दिखा नहीं सकते हैं। आप अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए।

श्री जोसेफ टोपो: यह सच्चाई है। इसमें एक ऐसे आदमी को मारा है ...*(व्यवधान)* वहां ह्यूमैन बीइंग का टार्चर हो रहा है, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, लेकिन वहां अंधे, बहरे और गूंगे को भी मार दिया, उनका क्या दोष था। मैं आशा करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमैन्ट उन लोगों को रहने की सुविधा देगी। वहां इतना बड़ा कांड हो गया। सैंट्रल गवर्नमैन्ट के पास सीबीआई तथा अन्य एजेंसियां हैं और असम सरकार की एजेंसियां भी हैं, लेकिन इन एजेंसियों को पता नहीं लगा और वहां चार लाख लोग बेघर हो गये, लेकिन केन्द्र सरकार को पता नहीं चला।

मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी उन बेघर लोगों को शैल्टर दे तथा समय रहते तुरंत एक्शन ले और लोगों को राहत पहुंचाए।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस गम्भीर मामले पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे उम्मीद है कि दो मिनट में आप मेरी बात समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उसी जगह से हूं, जहां ये पूरा वाकया हुआ है और वहां लोग शैल्टर लिये हुए हैं।

सभापति महोदय: आप तीन मिनट बोलिये। आपने दो मिनट की बात कही, मैं आपको तीन मिनट दे रहा हूं।

श्री बदरुद्दीन अजमल: वहां के बारे में मेरे भाई ने अभी बताया, इससे पहले घटोवार साहब ने बताया तथा और भी बहुत सारे लोगो ने वहां के बारे में बताया। असल बात यह है कि इस वक्त इंसानियत के नाते जो वाक्या हआ है, उसकी इंक्वायरी की सख्त जरूरत है कि इसके पीछे कौन हैं। मैं लालू जी से सौ फीसदी मुत्तफिर हूं, आडवाणी जी हमारे बड़े मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे सामने आये हुए हैं। उन्हें इस पूरे मामले को बंगालदेशी कहकर मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यह बड़ी नाइंसाफी की बात है। यहां जो लोग आये हुए हैं, बंगाली बोलने वाले हैं, अनडिवाइडेउ इंडिया के बंगाल के लोगों को असम में लाया गया, बिहार के लोगों को लाया गया तथा दूसरे लोगों को लाया गया, मुख्तलिफ कामों के लिए लाया गया। अगर मैं इससे आगे बढ़कर कहूं कि वहां अनडिवाइडेड बंगाल से आने वाले लोग आज भी बंगलादेशी हैं और अगर हम आडवाणी जी के पुरखों की बात करें तो इनकी हिस्ट्री के हिसाब से हमें पाकिस्तान तक जाना पड़ेगा। मैं यह बात नहीं कहना चाहता ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठिये।

श्री बदरुद्दीन अजमल: हिन्दुस्तान का एक कांस्टीटयूशन है, 25 मार्च 1971 को जो एग्रीमेंट हुआ, उसके हिसाब से नेशनल और बाहर के लोगों का फैसला हो चुका है, अब उन बातों को दोहराया इन चीजों को हवा देना है। आप बीजेपी को बोलने दीजिए, वहा कई कम्युनल फोर्सेज हैं, जिन्होंने फसाद कराया, मुसलमानों के घरों पर निशान लगाये गये, हिन्दुओं के घरों पर निशान लगाये गये और चुन-चुन कर उनके घरों को जलाया गया। आज पता नहीं कितने हजार बच्चे मर जायेंगे, कितनी ही औरतें वहां प्रेगनेन्ट हैं, आज वहां दवाएं नहीं हैं, ये उनकी बातें नहीं करते, ये इंसानियत की बातें नहीं करते, ये समझते हैं कि इस किस्म की बातें करके

ये अपने वोट बढ़ायेंगे। इनके वोट के दिन चले गये। आज ये अपने प्रेसिडेन्ट को लेकर परेशान हैं, आज ये अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर परेशान हैं। ये इन चीजों में इंसानियत की बात करें, यदि ऊपर वाला खुश होगा तो इनका भी कुछ भला होगा। वहां ये इंसानियत की बात करें, उन लोगों को बसाने की बात करें, उन लोगों को रिहैबिलिटेशन की बात करें, उनके रिलीफ की बात करें, वहां लोगों तक मैडिसंस पहुंचाने की बात करें, गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया की मदद करें। इस सारे मामले में आडवाणी जी के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 2003 में बीटीसी का एग्रीमैन्ट इन्होंने कराया, जिसमें 70 परसैन्ट नॉन-बोडोज लोगों को इन्होंने कोई राइट नहीं दिया और 30 परसैन्ट लोगों को पूरे राइट्स दिये और पूरी हुकूमत का मौका दिया, जिसकी वजह से आज ये सारे मामलात हो रहे हैं।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक इस मसले का स्थाई समाधान नहीं होगा, ये मामले होते रहेंगे।

(उर्दू)

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے اس بے حد سنجیدہ مسئلہ پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ دو منٹ میں آپ میری بات ختم نہیں کریں گے، کیونکہ میں اسی جگہ سے آیا ہوں جہاں یہ پورا واقعہ ہوا ہے اور وہاں لوگ شیلٹر لئے ہوئے ہیں۔ وہاں کے بارے میں میرے بھائی نے ابھی بتایا، اس سے پہلے گھٹوور صاحب نے بتایا تھا اور بہت سارے لوگوں نے وہاں کے بارے میں بتایا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت انسانیت کے ناطے جو واقعہ ہوا ہے اس کی انکوائری کی سخت ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ میں لالو جی سے سو فیصدی متفق ہوں، اڈوانی جی ہمارے بڑے محترم ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے سامنے آئے ہیں۔ انہیں اس معاملے کو بنگلہ دیشی کہہ کر موڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، وہاں جو لوگ آئے ہیں بنگالی بولنے والے ہیں، انڈیوائڈڈ انڈیا کے بنگال کے لوگوں کو آسام میں لایا گیا، بہار کے لوگوں کو لایا گیا اور دوسرے لوگوں کو لایا گیا، مختلف کاموں کے لئے لوگوں کو لایا گیا۔ اگر میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ وہاں انڈیوائڈڈ بنگال سے آنے والے لوگ آج بھی بنگلہ دیشی ہیں۔ اور اگر ہم اڈوانی جی کے پرکھوں کی بات کریں تو ان کی ہسٹری کے حساب سے ہمیں پاکستان تک جانا پڑے گا میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا (مداخلت)

ہندوستان کا آیک آئین ہے، 25 مارچ، 1971 کو جو اگریمنٹ ہوا، اس کے حساب سے نیشنل اور باہر کے لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان باتوں کو دوہرانا ان چیزوں کو ہوا دینا ہے۔ آپ بی۔جے۔پی۔ کو بولنے دیجئے، وہاں کئی کمیونل فورسز ہیں، جنہوں نے فساد کروایا، مسلمانوں کے گھروں پر نشان لگائے گئے، ہندوؤں کے گھروں پر نشان لگائے گئے اور چن چن کر ان کے گھروں کو جلایا گیا۔ آج پتہ نہیں کتنے ہزار بچے مر جائیں گے، کتنی ہی عورتیں وہاں پریگنینٹ ہیں، آج وہاں دوائیں نہیں ہیں، یہ ان کی باتیں نہیں کرتے، یہ انسانیت کی باتیں نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر کے یہ اپنا ووٹ بڑھائیں گے۔ آج یہ اپنے پریسیڈینٹ کو لے کر پریشان ہیں، آج یہ اپنے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو لے کر پریشان ہیں۔ یہ ان چیزوں میں انسانیت کی بات کریں، اگر اوپر والا خوش ہوگا تو ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا۔ وہاں یہ انسانیت کی بات کریں، ان لوگوں کو بسانے کی بات کریں، ان لوگوں کے ری ہیبلیٹیشن کی بات کریں، ان کی ریلیف کی بات کریں، وہاں لوگوں تک میڈیسن پہنچانے کی بات کریں، ہندوستانی سرکار کی مدد کریں۔ اس سارے معاملے میں اڈوانی جی کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ 2003 میں بی۔ٹی۔سی۔ کا اگریمنٹ انہوں نے کروایا، جس میں 70 فیصد نان-بوڈوز لوگوں کو انہوں نے کوئی رائٹ نہیں دیا اور 30 فیصد لوگوں کو پورے رائٹس دے اور پوری حکومت کا موقع دیا، جس کی وجہ سے آج یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔

میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس مسئلہ کا پائیدار حل نہیں ہوگا، یہ معاملے ہوتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदय, सदन में असम की घटनाओं के बारे में चर्चा चल रही है और इस चर्चा में सबने भाग लिया है। असम में जो दुख घटना हुई है, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और जांच-पड़ताल के बाद दोषियों को सख्त सजा देने की सिफारिश करते हैं। सर, यह नई घटना नहीं है। मेरा क्षेत्र उसी असम से लगा हुआ हैं हम लोग इस घटना को देखते आ रहे हैं। अभी जो घटना घटी, दंगे-फ़साद हुए, उसमें बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में, कुछ बिहार के क्षेत्रों में चले गए है, शेल्टर ले रहे हैं। अभी वे अपने को निरापद महसूस नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि निरापद महसूस कर के उनको अपनी जगहों पर पहुंचाया जाए। सर, ये जातीय दंगे आज की घटना नहीं है। वहां जो घटना हम लोग पहले से देखे थे, उसमें स्टूडेंट मूवमेंट आदि सब हुआ। वहां से एक आवाज़ आई थी। वहां जो प्राकृतिक संपदा है, हमारा विश्लेषण जो है, वहां जो धनी प्राकृतिक संपदा है, वहां सब कुछ है लेकिन सद्व्यवहार नहीं हुआ हैं। वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसका अनदेखा किया है। वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। वहां विकास नहीं होने के कारण हालात खराब हैं। वहां तेल है, चाय है, वहां खेती होती है, वहां पर्यटन है, लेकिन वहां पर विकास नहीं है। वहां गरीबी के कारण से आदमी ये सोचते हैं, अंग्रेज ने वहां बाहर से लागों को लाए, बिहार से ले गए, उत्तर प्रदेश से ले गए और अन्य प्रदेशों से ले गए और वहां उनको काम दे कर बसाया। जब वहां पर कुछ हो रहा है तो वहां की नौकरियां में दूसरे प्रदेशों के आदमी आ गए, बिज़नेस में आग गए तो वहां के लोगों ने आवाज़ उठाई। स्टूडेंट्स ने वहां पर लड़ाई शुरू कर दी। वहां एक स्लोगन था-अली, बंगाली, देशवाली, गोरखाली असम छोड़ो। इस स्लोगन को लेकर वहां के नौजवानों ने तहलका मचा दिया। उसके बाद एजीपी का गठन हुआ। इस ढंग से उनको लगा कि दूसरों को हम हटाएंगे तो वहां हमें नौकरी मिलेंगी। इस प्रकार की भावना उनकी बनी। इसका मुद्दा है कि वहां कोई विकास नहीं हुआ है। वहां राष्ट्रीय संपति है, सब कुछ है। लेकिन वहां अभी भी हम देखते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि कोई ट्रेन कैंसल हो तो पूर्वांचल की ट्रेन कैंसल होती हैं वहां आने-जाने के लिए कोई ठीक रास्ता भी नहीं है। नेशनल हाइवे नंबर-21 है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हैं। वहां खबरें भी नहीं चलती हैं। मैं कहना चाहता

हूँ कि अगर वहां के विकास पर ध्यान दिया जाएगा तो ये जातीय दंगे नहीं होंगे। वहां हिंदू-मुस्लिम खींचतान की जो बात हो रही है, वहां पहले से लग ही रहा है। वहां अभी-अभी तीन-चार लाख लोग जो विस्थापित हुए हैं, वे दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, बोडो लोग हैं। वहां आदिवासी लोग हैं। वहां संथाल, उरांव, मुंडा हैं, उनको भी हटा दिया गया था। वे अभी भी कैंपों में पड़े हैं वे अभी-भी अपनी जगहों में नहीं जा सके हैं। वहां ये हालात हैं हम लोग भी एक समय झारखण्ड में थे, हम लोगों को बंगाल में ले जाया गया और हम बंगाली हो गए। ऐसे करीब एक करोड़ आदिवासी चाय बागानों में रहते हैं। उनको वहां का दर्जा नहीं मिला है। वे वहां छिटके हुए हैं। भारतवर्ष में आदिवासियों को जो सम्मान मिलता है, उनको नहीं मिला है। सरकार नहीं कर रही है। एक प्रदेश में उनको आदिवासी का दर्जा मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता है तो इसलिए टकराव होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को ठीक प्रकार से स्थापित करें। हमारे एक माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है कि बहुत सारी कमेटियां होती हैं, जैसे जेपीसी होती है और बहुत सारे घोटाले भी होते हैं, ये पूर्वांचल की समस्या है। यह सीमांत एरिया है। वह बर्मा से लगा हुआ है, चाइना से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से वहां हर साल समस्याएं होती रहती हैं। इसलिए एक कमेटी घटित कर के वहां पर भेजी जाए कि वहां की मौलिक समस्याओं का निदान कैसे किया जाए ताकि वहां पर जातीय समस्या उत्पन्न न हो। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग भी कह रहे हैं कि यह हमारे देश के लिए एक कलंक है। 21वीं सदी में एक कलंक हो रहा है। ये न हो और जातीय संप्रति तथा एकता मज़बूत हो और देश का विकास हो इसके मैं सदन से अनुरोध करता हूँ, माननीय गृहमंत्री जी से अनुरोध करते हुए मैं मांग करता हूँ इस घटना के जिम्मेदारों को सजा दी जाए और विस्थापितों को ठीक प्रकार से पुनर्वास किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी): सर, मैं माननीय आडवाणी जी का स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहती हूँ। असम में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उसका कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आडवाणी जी ने स्पष्ट कहा है कि यह कोई हिंदु-मुसलमान का संघर्ष नहीं है। यह देशी और विदेशी का संघर्ष है। जो असम के ओरिजन लोग हैं, वे बोडो कम्युनिटी है। इनके ऊपर जो हमला हुआ, वह अत्यंत दुर्भायजनक है। 25 लाख लोगों का घर जला दिया गया। अभी पांच लाख आदमी कैंप में हैं। मैंने स्वयं जा कर देखा है। वे लोग अभी रास्ते पर आ गए हैं। वे लोग अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति में हैं। सबसे दुर्भाग्यजन बात यह है कि असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगई जी ने ऑडर दिया है कि 15 अगस्त के पहले इन सब लोगों को घरों में वापस भेजना चाहिए। अभी उन लोगों के घर नहीं हैं तो उन्हें कहां भेजेंगे? लेकिन आज बीजीपी संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी के जितने भी एमपी हैं, सारे एमपी ने अपनी एक महीने का वेतन उन पीड़ित लोगों के लिए देगी। ...*(व्यवधान)* सिर्फ इतना ही नहीं, जो-जो क्षेत्र से है, वे अपने-अपने एरिया से जितना हो सके उतना रिफ्यूजी कैंप में सहायता करेंगे। यह भी माननीय आडवाणी जी, सुषमा जी ने निर्देश दिया है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां से सारा सामान रिफ्यूजी कैंप में जायेगा ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग अभी भी संकट में हैं, रास्ते पर हैं, उनका घर नहीं है, उधर एक-दो स्कूल हैं, वे वहां पर हैं, उन लोगों को 15 अगस्त से पहले जाने के लिए कहा है, यह बात नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से इसका प्रतिवाद करती हूं।

[अनुवाद]

मैंने 22 से 25 जुलाई तक शरणार्थी शिविर का दौरा किया था और मैंने उनकी हालत देखी है। उनके लिए उचित भोजन नही है। वहां स्वास्थ्य उपचार नहीं है।

[हिन्दी]

थोड़ा सा खाकर वे जी रहे हैं, उनके लिए पीने का पानी भी नहीं है। उसमें बदबू आ रही है। सारे एरिया में बदबू आ रही है। वहां की जो महिलायें हैं, जो महिलायें वहां बच्चा पैदा करती हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए वहां दफ्तर भी नहीं हैं। इतने कैंप हैं, इतने लोग हैं, वहां पर कोई जाता नहीं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें कुछ रिस्पांसिबिलिटी थी। यहां से भी वहां कुछ डॉक्टर्स और मेडिसिन भेजना काफी जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने तीन सौ करोड़ रुपए दिए।

[अनुवाद]

यह काफी कम राशि है।

[हिन्दी]

सौ करोड़ में से बताया गया कि यहां इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनेंगे, सौ करोड़ में 20 हजार घर बनेंगे। पांच लाख लोगों के घर जला दिए गए। इन सौ करोड़ में क्या होगा? पबन सिंह घाटोवार जी ने बार-बार गला फाड़कर कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने इतना दिया, प्रधानमंत्री जी असम के हैं, तीन बार असम से राज्य सभा में चुनकर गए हैं, उनकी ऐज ए प्रधानमंत्री और ऐज एन एमपी रिस्पांसिबिलिटी है। ये खुद को कहते हैं कि मैं असम का पुत्र हूं। असम का पुत्र यह कहेगा तो दूसरा जो

मिनिस्टर है, उन्होंने इतना कहा, यह समझने की बात है, यह मैं कहना चाहती हूं। यह जो गड़बड़ हुयी, 2 जुलाई से थोड़ी-थोड़ी शुरू हुयी, 6 जुलाई में कुछ आदमियों को मार डाला, मेरी जितनी जानकारी है, सेंट्रल होम मिनिस्टर के ऑफीसर ने बताया था, प्राइम मिनिस्टर को भी बताया था, ऐसा सुना है, असम के सीएम को भी बताया है, बीटीए एरिया में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने कुछ रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली, कुछ कार्रवाई नहीं की। इसके कारण 2 जुलाई से शुरू हुई इस घटना ने 19 जुलाई से भयंकर रूप लिया। सारे लोग बेघर हो गये, सबको मार डाला,

[अनुवाद]

सरकार की ओर से ऐसा किया जाना गैर-जिम्मेदाराना और अवांछित कार्य है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: महोदय, मैंने अभी शुरू किया है। सबसे दु:ख की बात यह है कि यह 16 जुलाई से शुरू हुआ।

सभापति महोदय: आप यह बात चुके हैं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: लेकिन सीएम ने खुद ही शिकायत की कि सेना बहुत देर से भेजी। 5 दिन के बाद सेना भेजी और 5 दिन में सारा का सारा खत्म हो गया। इसलिए मैं टोम मिनिस्टर जी से, प्राइम मिनिस्टर जी से पूछना चाहती हूं कि सेना लेट क्यूं भेजी, आपने सेना को लेट किस लिए भेजा, जब आप रिप्लाईं देंगे, तब इसका जवाब दीजिएगा?

सभापति महोदय: अब आप संक्षिप्त कीजिये।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: सेना के देर से जाने के कारण इतने लोग मर गये, इतने लोग बेघर हो गये। पबन सिंह घाटोवार जी ने कहा कि वहां पर बांग्लादेशी नहीं हैं। इतनी राजनीति करने वाली पार्टी इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। वोट के लालच, सत्ता के लालच के कारण इन लोगों ने कहा कि वहां बांग्लादेशी नहीं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने वर्ष 1985 में संधि की, ट्रीट्री की कि असम में जितने बांग्लादेशी हों वर्ष 1971 से, उन लोगों का असम से बहिष्कार करना है, लेकिन कांग्रेस ने आईएमडीटी एक्ट लागू करके इसको बंद कर दिया। अभी भी

[अनुवाद]

विदेशी नागरिकों से संबंधित सात लाख से ज्यादा मामले न्यायालयों में लंबित हैं।

[हिन्दी]

यह बहुत दु:ख की बात है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। पबन सिंह घाटोवार जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि नेशनल रजिस्टर फॉर फॉर्नर्स नया बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया। थोड़ा काम शुरू हुआ था, लेकिन 2 स्टूडेंट्स के बीच, मुस्लिम और लोकल के बीच थोड़ा झगड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया।

सभापति महोदय: आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: अभी बहुत भयंकर स्थिति असम की है, असम सिर्फ 22 किलोमीटर से मेन लाइन के साथ जुड़ रहा है। असम का बार्डर खुला है। असम में 270 किलोमीटर के बार्डर में 50 किलोमीटर बार्डर खुला है। पानी में जहाँ बार्डर है, वह भी खुला है। आपको सुनकर बहुत दुख लगेगा कि असम में जो पुलिस है, उनके हाथ में स्टील की गोलियाँ भी नहीं दी गई हैं उनको कहा गया है कि प्लास्टिक की गोलियाँ यूज़ करें ताकि कोई घुसपैठिये न मरें। वहाँ पर जिनती पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ हैं, उन लोगों के पास कोई सॉफहिस्टिकेटेड वैपन्स नहीं हैं जिससे वे घुसपैठियों को रोक नहीं सकते।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि असम में अगर इनफिलट्रेटर्स को हम रोक नहीं पाएँगे तो सारे देश की सुरक्षा नहीं होगी। अभी असम में 27 जिलों में से 13 जिलों में बंग्लादेशी मेजॉरिटी है। 15 असैम्बली सैगमैन्ट्स अभी डाउटफुल बंग्लादेशियों के हाथ में है। यह स्थिति असम की हैं धीरे-धीरे असम की डेमोग्राफी चेन्ज हो गई हैं असम का कल्चर, असम का ट्रेडीशन, असम का रिलीजन तथा जनजातीय लोगों का कल्चर भी खत्म होता जा रहा है। इसलिए यह भयंकर स्थिति वहाँ की है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: मैं खत्म करने जा रही हूँ। अभी जो घटना घटी है, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम सब लोगों को मिलकर, पार्टी से ऊपर उठकर एक साथ विचार करना चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लालू जी की पार्टी के लोग हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सबसे ऊपर उठकर हमें विचार करना चाहिए। यह ह्यूमन प्रॉबलम है। अगर असम नहीं रहेगा तो भारत भी नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

इसलिए, सर्वप्रथम, उन्हें बांग्लादेशियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें वापस भेजना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है कि पीजीआर/वीजीआर और नदी तट के पास के क्षेत्रों को खाली कराया जाना चाहिए और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ से मुक्त कराना चाहिए। मेरा तीसरा सुझाव है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विदेशी नागरिक अधिनियम को लागू किया जाए। और एनआरसी को अद्यतन बनाया जाए। उन्हें स्वदेशी लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। 300 करोड़ रुपये की धनराशि बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये की जानी चाहिए।

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: श्रीमती रानी नरह, अब अपनी बात कहें।

श्रीमती रानी नरह (लखीमपुर): सभापति महोदय, असम में कोकराझार, धुबरी चुरु और चिरांग जिलों में हाल में हुई हिंसा पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। इन हिंसक घटनाओं के बारे में बोलने से पहले मैं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (बीटीएडी) पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूं, क्योंकि कोई भी ठीक तरीके से यह नहीं जानता कि बीटीएडी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बीटीएडी में ये घटनाएं क्यों हुई हैं? बीटीएडी 8,821,86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मूल जनसंख्या में ये बोडो लोगों की जनसंख्या 32%, रावा समुदाय की जनसंख्या 22% जबकि आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 30.5% है, मुसलमान 14.5% हैं, कोच लोगों की जनसंख्या 6%, बंगाली हिन्दुओं की जनसंख्या 9.9%, असमिया लोगों की जनसंख्या लगभग 40.7% है तथा अन्य समुदाय 6.6% है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि बीटीएडी क्षेत्र में बोडो और रावा लोगों की संख्या कुल जनसंख्या की 74% है तथा शेष सभी लोग गैर-बोडो हैं। 2003 में, बीटीएडी का गठन किया गया। यद्यपि हम चाहते हैं कि इस 8,821,86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सभी बोडो लोग शांति से रहें परंतु साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि वहां रह रहे गैर-बोडो लोग भी वहां सुरक्षित महसूस करें। किसी को भी बीटीएडी क्षेत्र में रहने वाले गैर-बोडो लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं आडवाणी जी का बहुत सम्मान करती हूं। उन्होंने कहा था कि यह हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच झड़प है बल्कि यह भारतीय नागरिकों और बंगलादेशी घुपैठियों के बीच झड़प थी। ऐसा लगता है कि यह कहकर आडवाणी जी, स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)* *

श्रीमती रानी नरह: आडवाणी जी ने हमारे मुख्यमंत्री का हवाला दिया है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिंसाग्रस्त कोकराझार, धुबरी और चिरांग जिलों में स्थिति विस्फोटक है ...*(व्यवधान)* उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के वक्तव्य को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिंसा रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति वर्ण अथवा धर्म का हो, प्रत्येक राजनीतिक दल तथा प्रत्येक संगठन को सभी प्रयास करने चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि आडवाणी जी ने बहुत से आंदोलन विरोध प्रदर्शन देखें हैं। मैंने भी बहुत से विरोध प्रदर्शन तथा आंदोलन देखे हैं। इन्होंने उन लोगों का समर्थन किया, जिन्होंने एक बार दावा किया था कि हमारे राज्य में 50 लाख अवैध घुसपैठिए हैं। उनका संघर्ष 7 वर्ष तक चला। हमें स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी का स्मरण करना चाहिए, उन्होंने हमारे पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास किया। परन्तु दुर्भाग्यवश, हमने उन्हें खो दिया। राजीव गांधी जी भी चाहते थे कि पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि आए। शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए उन्होंने मिजो समझौते पर हस्ताक्षर किए। आज हमें राजीव गांधी जी को नमन करना चाहिए। एएएसयू जिसने एक बार यह दावा किया था कि असम में 50 लाख अवैध विदेशी नागरिक हैं, उसने 7 वर्ष तक अपना संघर्ष जारी रखा, जिसमें 600 से अधिक लोगों की जानें गई। वह राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने असम आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अखिल असम छात्र संघ (एएएसयू) के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने असम में शांति और सौहार्द के लिए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तत्काल ही मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र दे दिया था। आपके दल में ऐसा व्यक्तित्व किसी का भी नहीं है। आप जानते ही हैं कि हमारी यूपीए अध्यक्ष ने देश के लिए बहुत त्याग किया है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी राज्य में स्थायी शांति के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री हितेश्वर सैकिया ने त्यागपत्र देने को कहकर त्याग किया था। असम में कांग्रेस सरकार के त्याग-पत्र के बाद उन छात्र नेताओं को सरकार बनाने का अवसर मिला, जिन्होंने असम आंदोलन का नेतृत्व किया था। 24 दिसम्बर 1985 को श्री प्रफुल्ल कुमार महंत के नेतृत्व में एक नई सरकार ने नेहरू स्टेडियम में एक लाख से ज्यादा लोगों के सामने शपथ ली। वे लगभग 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। परन्तु वे 10 विदेशियों का भी न तो पता लगा सके और न ही उन्हें वापस भेज सके। आडवाणी जी, जो कि हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं, और जिनका

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं बहुत सम्मान करती हूं, वे अवैध आप्रवासियों की पहचान नहीं कर पाए। वे तथाकथित अवैध विदेशी नागरिकों को क्यों नहीं वापस भेज पाए? मैं दोहराना चाहती हूं कि हम एक भी बांग्लादेशी नागरिक को अपनी घरती पर रहने की कभी भी अनुमति नहीं देंगे। परन्तु बांग्लादेशियों को वापस भेजने के नाम पर हम एक भी वास्तविक भारतीय नागरिक को परेशान करने की अनुमति नहीं देंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। आप कृपया बैठ जाएं।

श्रीमती रानी नरहः केवल यही नहीं, हमारे गृह मंत्री होने के बावजूद वह एक भी अवैध विदेशी नागरिक का पता नहीं लगा सके। हाल ही में, धुबरी की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। चूंकि अब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने यह मुद्दा उस समय क्यों नहीं उठाया? अब हमारी राज्य सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा को सील कर दिया है। आप सभी यह सोच रहे होंगे कि असम में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। परन्तु यह सच नहीं है। वस्तुतः असम में जातीय संघर्ष हुआ है और इसके पीछे कुछ उपद्रवियों का हाथ है। प्रत्येक जातीय समुह में ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। क्या कुछ मुट्ठीभर लोगों की गलतियों के लिए पूरे समुदाय को दोष देना सही होगा? बोडो लोगों को भी वीटीएडी क्षेत्र में शांतिपूर्वक रहने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमारी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जी यह कहती रहीं हैं कि किसी को भी वीटीएडी क्षेत्र में रह रहे शांतिप्रिय बोडो लोगों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी भारतीय नागरिक को उत्पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा में दो मुसलमान नेता हैं। मैं सोचती हूं कि क्या भाजपा उन्हें भी बांग्लादेशी समझती है। भाजपा का कहना है कि यह झड़प बांग्लादेशियों और भारतीय नागरिकों के बीच है, जो कि सच नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विभिन्न जातियों, वर्णो तथा धर्म से संबंध रखने वाले सभी लोगों को शांति तथा पूरे सौहार्द के साथ रहना चाहिए। असम राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द की मजबूत नींव है। असम के कामरूप जिले में, जो कि महोदया विजया चक्रवर्ती के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां हाजो नामक स्थान है। हाजो में एक मस्जिद है, जिसका नाम है मावायक्का और उस मस्जिद की दीवार के साथ ही एक हिन्दू मंदिर है, जिसे होएग्रीब-माधव मन्दिर के नाम से जाना जाता है। वहां हिन्दू और मुसलमान सदियों से एक साथ रह रहे हैं। मैंने देखा है कि भाजपा चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाकर हमेशा ही राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती रानी नरहः असम में, सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस लगातार तीन बार सरकार बनाई है। भाजपा को यह एहसास हो गया है कि असम में कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करना अब उसके लिए संभव नहीं है। यही कारण है। कि वे इस प्रकार के मुद्दे उठाकर हमारे राज्य को अस्थिर करना चाहते हैं। वे कुल मिलाकर देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि असम की हिंसा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तीसरे पक्ष का हाथ है। हमें हिंसा की इन घिनौनी वारदातों में संलिप्त अपराधियों का पता लगाकर उन्हें दंडित करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं तथा इन क्षेत्रों में शांति बहाल हो गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं की सीवीआई जांच का आग्रह किया है। मैं सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों से अपील करती हूं कि वे सभी प्रयास करें ताकि इस प्रकार की घटना फिर न हो। इन शब्दों के साथ ही अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं श्री आडवाणी द्वारा पेश किए स्थगन प्रस्ताव का पूरी तरह विरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): सभापति जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस विषय पर मुझे नहीं बोलना था। लेकिन, बोलने वाले लोगों की बातें सुनकर मुझे लगा कि अभी भी हमारे सियासतदानों और लीडरों को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है कि अगर इस मुल्क की भलाई है तो वह इसलिए है कि इसमें बहुत से मजाहिब के लोग रहते हैं। यह मुल्क इसलिए अजीम है कि यहां बहुत-सी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं यह मुल्क इसलिए बड़ा है कि इसमें बहुत से एक्तदाद और धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिन्दुओं का ठेकेदार बनता है तो कोई मुसलमानों का ठेकेदार बनता है। हिन्दुस्तान सब का ठेकेदार है, मुसलमान का भी और हिन्दू का भी ठेकेदार ये मुल्क हैं अगर ये मुल्क मजबूत है, अगर ये मुल्क महफूज है तो हिन्दू भी महफूज है, मुसलमान भी महफूज है। अगर मुल्क महफूज नहीं है तो न हिन्दु महफूज है न मुसलमान महफूज है। ये फिरकापरस्त एलीमेंट के दिमाग में यह भूत सवार होता है, जब इलैक्शन नजदीक आते हैं तो कहीं न कहीं फसाद शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं मार-काट शुरू

होती है ताकि उनको इलैक्शन में जाने का एक एजेंडा मिले। शिवसेना का अभी मेरा दोस्त यहां बात कर रहा था। मैं उनसे पूछूंगा "किस मुंह से काबा जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।" क्या आपने मुंबई की गली कूचों में दिहाड़ी मजदूरों को रूसवा नहीं किया? क्या मुंबई की गली कूचों में दिहाड़ी मजदूरों को मार-मार कर उनका कचूमर नहीं निकलवा दिया? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: शांत हो जाइए, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री शरीफुद्दीन शारिक: जब पंजाब, लाहौर और रावलपिंडी से आए हुए लोग कश्मीर में रह रहे हैं हम कह रहे हैं कि इनको वोट एवं नौकरी का हक नहीं है तो यही लोग सटपटाते हैं कि इनको क्यों नहीं देते हो। वे गैर मुल्की बाशिंदे थे, उनको हम कैसे रियासत में रहने दे। जिस तरह आप कहते हैं कि बार्डर को बंद करके बंग्लादेशियों को मत आने दो। हम भी कहते हैं कि बार्डर को बंद करके उन लोगों को वापस निकालो, जो वहां गैर कानूनी तौर पर 30-40 सालों से बस रहे हैं उस वक्त तो आप नहीं कह रहे, आपको उस वक्त जात-पात नजर आती है। आपको धर्म के भाई नजर आते हैं। उस वक्त आप उसूल भूल जाते हैं मेरे दोस्तों, ये आम फैशन बना है कि हम हिन्दुस्तान में मुसलमान को टारगेट बनाएं। मुसलमान की इज्जत, असमत को तबाह करें। जितनी देर ये होता रहेगा, मुल्क में इस्तेकाम नहीं होगा, मुल्क में मजबूती नहीं होगी। ये मसला उसूलन सही है। मैं इत्तिफाक करता हूं कि गैर मुल्की लोगों को हमारे मुल्क में आने का हक नहीं है। गैर मुल्की लोगों को नाजायज तरीके से हमारे मुल्क में रहने का हक नहीं है। लेकिन इस आड़ में हिन्दुस्तानी मुसलमान की तरजीह करना, इसकी भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि जो अफसोसनाक वारदात असम में पेश आए हैं, उनकी तनकीद करने के लिए संगीन से संगीन कदम उठाए जाएं ताकि मुल्क में ये मैसेज आए कि ये मुल्क इकट्ठे रहना चाहता है, हिन्दू-मुस्लिम इत्तिहाद रखना चाहता हैं। सब मुल्क के लोगों की इज्जत और मिरास को जिन्दा रखना है, यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, 20 जुलाई को अलग से नहीं देखा जा सकता है 6 जुलाई और 19 जुलाई को जो भी हुआ उसे भी गम्भीरता से देखा जाए क्योंकि 20 जुलाई की घटना का त्वरित निष्कर्ष ठीक नहीं हैं बीटीसी क्षेत्रों में गैर-बोडो निवासियों की जानों और संपत्तियों की सुरक्षा करने में राज्य के असफल होने का आरोप मैं लगाता हूं। उसके परिणामस्वरूप लगभग पांच लाख गैर-बोडो उनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं 200 से अधिक राहत कैम्पों में रह रहे हैं जहां स्वच्छ पेयजल नहीं है, बच्चे बीमार हैं, और उन्हें उचित राशन नहीं दिया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उन जगहों पर गया हूं। मैं कोकराझार में कामाडूंगा हाईस्कूल राहत कैम्प का उदाहरण दे रहा हूं जहां 7700 लोग रह रहे हैं। इस स्कूल में 400 छात्र है। इन लोगों में 2980 बच्चे हैं। आप कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बच्चे मर रहे होंगे। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि एनएचआरएम और आईसीडीएस को मजबूत करें। 300 करोड़ रुपये की राशि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का वादा किया है वह कम है। हम उर्दू में कहा करते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ किया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक कमरे में साथ-साथ बैठें और आंतरिक भेदभाव देखें। उनके आन्तरिक झगड़ों की कीमत असम के लोग न चुकाएं। एक कारण यह है। तीसरी बात पुनर्वास के बारे में है। पुनर्वास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीटीसी क्षेत्रों में बोडो कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास सम्बद्ध संपत्ति के दस्तावेज नहीं हैं वे उन्हें अनुमति नहीं देंगे। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों और भूमि के किरायेदारों का क्या होगा? यह बीटीसी समझौता ज्ञापन की धाराओं का उल्लंघन है।

यह उसका उल्लंघन है। मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार को तुरंत यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकार उन कैम्पों में बच्चों को राहत प्रदान करें। वहां कई गर्भवती महिलाएं हैं, स्वच्छ पेयजल प्रदान करें। यदि सरकार साफ और स्वच्छ जल नहीं दे सकती यदि यह वहां दवा भी नहीं दे सकती तो सरकार के कार्य का क्या मतलब है।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि डीटीसी को तुरंत समाप्त किया जाए। वे लोगों की सुरक्षा करने में असफल हुए हैं। बोडोलैंड करार रद्द किया जाए। यदि आप बोडोलैंड करार रद्द नहीं कर सकते हैं तो कृपया उन क्षेत्रों को निकाल दें जहां 50 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या बोडो नहीं है।

आतंकवादी संगठन जैसे डीएनडीएससी के पास अर्द्ध-स्वचालित हथियार है। असम सरकार उनसे ये हथियार क्यों नहीं ले सकती?

चुनाव आयुक्त, श्री एच.एस. ब्रह्मा ने लेख लिखा है। मैं सम्माननीय सभा से यह जानना चाहता हूं कि क्या संवैधानिक पदों

पर बैठे व्यक्तियों को ऐसे जहरीले लेख लिखने का अधिकार है। श्री ब्रह्मा ने एक लेख लिखा है। लेकिन उन्होंने बोडो के रूप में लेख लिखा है। यदि चुनाव आयुक्त पक्षपाती और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो तो ये चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? केन्द्र को जांच करनी चाहिए। आखिर में, मैं केन्द्र सरकार को चेतावनी देता हूं: मैं माननीय सदस्यों को चेतावनी देता हूं ...*(व्यवधान)* यदि उचित पुनर्वास नहीं होता है तो मुस्लिम युवाओं में कट्टरता की तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाएं ...*(व्यवधान)* आप इसे ध्यान में नहीं ला रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं ...*(व्यवधान)*।

श्री आडवाणी ने आइएमडीटी निर्णय के बारे में बात की है। वे सही कह रहे हैं। उस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसे पूरे भारत में लागू करना चाहिए था। यही उच्चतम न्यायालय ने कहा था। श्री आडवाणी जी ने जानबूझकर उच्चतम न्यायालय के उन अनुच्छेदों को पढ़ा है जो उनकी विचारधारा में आते थे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह पूरे भारत में लागू हो: यह असम में लागू न हो।

आगे 30 न्यायाधिकरण इन मामलों की जांच कर रहे हैं सभी विदेशी हैं। आडवाणी को जाने दें और शिकायत करने दें। विदेशी कौन है? उन्हें ऐसा करने दें। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

अन्त में श्री आडवाणी जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं- यूपीए के माध्यम से अत: दल युद्ध। वे अकेले हैं ...*(व्यवधान)*। निष्कर्ष में, एक बार पुन: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करें। श्री आडवाणी जी मुझे खेद है मैं आपका नाम ले रहा हूं। आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि बांग्लादेश की जनसंख्या जब बांग्लादेश बना था तो तीन करोड़ मुस्लिम थे, तीन करोड़ हिन्दू थे। अब बांग्लादेश में मुस्लिम 13 करोड़ हैं: बांग्लादेश में हिन्दू 1.5 करोड़ हैं समुद्र बांग्लादेश के इतने हिन्दुओं को निगल नहीं सकता। वे कहां गये? यह प्रश्न मैं आडवाणी जी की बुद्धि पर छोड़ता हूं।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नामी): बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने मुझे यह अवसर दिया। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए इस सभा को सामूहिक विवेक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं कि दूसरी तरफ से वरिष्ठ सदस्य मौके का फायदा उठा रहे हैं और अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह कि प्रवृत्ति वहां नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर हमें और गहराई से सोचना होगा। उस क्षेत्र के सभी मुस्लिमों को बांग्लादेश के अवैध प्रवासी मानना ठीक नहीं है। उसी समय कुछ अवैध प्रवासी हो सकते हैं। कोई यह नहीं नकार रहा है लेकिन बात सम्भालने का यह कोई तरीका नहीं है।

दूसरी तरफ माननीय सदस्य श्री गीते कह रहे थे कि वहां कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है जो पृथक भूमि के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे इन सब आश्चर्यजनक विचारों को कहां से लाये थे। इस प्रकार के वक्तव्य कुछ नहीं है मात्र आग में घी का काम करते हैं। मेरा वरिष्ठ व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे ऐसे वक्तव्य न दें।

श्रीमान असम की स्थिति पर बात करता हूं। हम सब जानते हैं कि बात बिगड़ती जा रही है। मेरे पास आउटलुक पत्रिका का नवीनतम अंक है। इसमें लिखा है कि यह भारत की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हैं इसमें लिखा है कि असम में बोडो-मुस्लिम हिंसा में 4,00,000 लोग बेघर हो गये हैं और उन्हें राहत फैम्पों, में धकेल दिया तथा वहां पहले से 1,80,000 लोग पहले से ही हैं।

महोदय, श्री ओवेसी राहत कैम्पों की स्थित बता रहे थे। हम सब जानते हैं कि स्थिति दयनीय है। मैं असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का कथन उद्धृत कर रहा हूं। असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हिमंतबिस्व शर्मा ने कहा:

> "हम बहुत सतर्क हैं। कैम्पों में लोगों को डायरिया मलेरिया और बुखार है। हम बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। दो वर्ष से कम लगभग 8000 बच्चे बीमार हैं तथा कैम्पों में लगभग 4000 गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता की अवश्यकता है।"

महोदय, वहां स्थिति बिल्कुल अनिश्चित है क्योंकि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को यह पता ही नहीं है कि हिंसा में जलाए गए अनेक घरों में उनकी वपसी कब हो सकेगी, मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं, कई प्रमुख पत्रकार जिन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया है, का कहना है कि वह क्षेत्र युद्ध क्षेत्र जैसा है। यह नोट किया जाए कि आजादी के उपरान्त हमारे देश में हमने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। इसलिए, इन सभी बातों को गम्भीरता से लेना होगा।

मैं भारत सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। भारत सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसा कि अन्य वार्ताओं ने ठीक ही कहा है, वहां राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण रखने में पूर्णत: असफल रही है। इसलिए, भारत का यह कर्तव्य बनता है कि वह हस्तक्षेप करें और इस तरह की हिंसा को खत्म करें क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, मैं पुन: भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और शांति तथा लोगों को काम सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की अपील करता हूं।

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): माानीय सभापति महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सामान्यत: अंग्रेजी और हिन्दी में बोलता हूं लेकिन आज में बांग्ला में बोल रहा हूं। आज की चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, असम के कोकराझार जिले में बांग्ला भाषी लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। उन पर हमले हो रहे हैं मुझे अत्यधिक दु:ख है और मैं इससे आहत हुआ हूं। राहत शिविरों में रह रहे 4 लाख लोगों में से 2 लाख अल्पसंख्यक मुसलमान हैं जो बांग्ला बोलते हैं, वहां राजवंशी, जनजाति के लोग और असमी बोलने वाले लोग भी हैं। सभी को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है।

महोदय, यदि उन्होंने इस मुद्दे की उपेक्षा नहीं की होती तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार असंतोष को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाती। फिर मैं समझता हूं कि यह समस्या पैदा ही नहीं होती। संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना के पश्चात भी वहां मात्र 20% लोग बोडो मूल के हैं और शेष अन्य समुदायों से बसने वाले लोग हैं मैं आडवाणी जी द्वारा पुर:स्थापित स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता क्योंकि मेरा यह मानना नहीं है कि वहां भारत और बांग्लादेश के बीच मुद्दे जैसी स्थिति उत्पन्न भी हुई हैं असम समझौता में 1985 में नई दिल्ली में और राज्य द्वारा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधिनियों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। इसलिए, वर्ष 1971 को अंतिम वर्ष के रूप में लिया जाना चाहिए और उस समय तक बांग्लादेशी लोगों की उचित पहचान करानी चाहिए थी ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी और टकराव से बचा जा सके। *...(व्यवधान)*

महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दें क्योंकि मैं कुछ और बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। जहां अल्पसंख्यक अवैध प्रवासी हैं जो प्राय: अत्यधिक संकीर्णता और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के पीड़ित होने की शिकायत करते हैं। बोडोलैंड में भी ये अलगाववादी ताकतों का संचालन करते हैं जो अलग बोडोलैंड का नारा हमेशा बुलंद करते रहते हैं, पूर्व में भी ऐसी मांगे उठायी जाती रही हैं। लेकिन बाद में, जब जांच शुरू हुई तो लाख तो छोड़िए कहीं भी हजार प्रवासी नहीं मिले तब मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया और हम जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने इसे नकार दिया। क्षेत्र में बांग्ला बोलने वाले लोगों को विशेषकर अल्पसंख्यक मुसलमानों के सथ सौतेला व्यवहार किया जाता ही जबकि वे भारत के वास्तविक नागरिक हैं। 18 वर्षों से 1.5 लाख लोगों को डी-वोटर्स के रूप में मताधिकार नहीं दिया गया है, उन्हें अन्य अधिकारों से भी वंचित किया गया है। यह स्वीकार्य नहीं है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने के लिए नागरिकों की पहचान की जा रही है। असम सरकार इसे अधिनियम की धारा 4क के आधार पर कर रही है। असम सरकार यह कार्य एनआरसी अधिनियम के मानदंडों के आधार पर कर रही है। क्योंकि इस अधिनियम को पूरे देश में एक साथ लागू किया जाना है न कि समनात्मक आधार पर। इस धारा को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये और हिंसक घटनाओं के उत्तरदायी अपराधियों की पहचान की जाए तथा उन्हें कड़ी सजा दी जाए। पीड़ितों को वापस भेजा जाये तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि प्रशासन में उनका पुन: विश्वास कायम हो। जनजातीय लोगों को भी मुआवजा दिया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए। तब जाकर स्थिति कहीं सामान्य हो सकती है। क्योंकि काफी कुछ किए जाने की जरूरत है और यह सरकार का उत्तरदायित्व है। इसी अनुरोध के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहैन (नोगोंग): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं थोड़ा घबरा गया हूं क्योंकि आज जिस तरह से सद में असम की समस्या के बार में चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर एक भी बंगलादेशी नहीं हैं। यह कोई जनगोष्ठी और बंगलादेशी घुसपैठिए के साथ झगड़ा नहीं है। दो जन गुष्ठी का झगड़ा है। इस तरह से बात को टाला जाएगा तो देश कहां रहेगा, मुझे संदेह होता है। आज रानी जी ने जो बातें कहीं, उन्होंने छ: साल आंदोलन किया। वह असम मूवमेंट की लीडर थीं। उनके हसबैंड भी लीडर थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहैन: उस समय से विदेशी घुसपैठिए के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे। मुझे सुन कर आश्चर्य हुआ, जैसा एजीपी के सदस्य ने जिस तरह से बात बोला, इन लोगों ने छ: साल क्यों आंदोन किया था? इन लोगों ने छ: साल विदेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन किया था। 855 लोग की मौत हो गई थी। उनको शहीद डिक्लयेर किया। उन्होंने दस साल राज किया उन लोगों ने एक भी बंगलादेशी नहीं निकाल पाया। आज यह समस्या इनती गहरी हो गई कि बंगलादेशी किसी से नहीं डरते हैं। आम आदमी

को छोड़ दीजिए। वे लोग थाना उड़ा देते हैं। ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? मोडावरी एक थाना है, मेरा कांस्टीचुएंसी और दीप गोगोइ का कांस्टीचुएंसी में है, थाना पर अटैक किया और थाना के हिन्दू पुलिस ने खुद को मुसलमान बोल कर अपनी जान बचाई। *...(व्यवधान)* बात इस हद तक पहुंच गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहैन: सभापति महोदय, अगर इस तरह से चर्चा करेंगे तो असम नहीं रहेगा। असम एक दिन बीओए हो जाएगा, बंगालदेश अक्पूपाइड असम हो जाएगा। लोअर असम तो चला ही गया। अभी आपको असम के लोगों के प्रति चिंता करनी पड़ेगी। देश के लोग इस तरह से असम के लोगों को देखते हैं। आज हम लोग भारतीय हो कर विदेशियों के गुलाम बनने जा रहे हैं। हम लोग आप से मदद मांग रहे हैं कि आप हम लोगों को बचाइए।

सभापति महोदय: कृपाया आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

श्री राजेन गोहैन: यह गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)* आज वहां इतने एक्सट्रीमिस्ट ग्रूप्स ने जन्म ले लिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन गोहैन: वहां पर इतने एक्सट्रीमिस्ट ग्रूप्स ने जन्म क्यों ले लिया। अल्फा

[अनुवाद]

एनएससीएन

[हिन्दी]

मांगता है। नागालैंड

[अनुवाद]

संप्रभुता

[हिन्दी]

के लोग

[अनुवाद]

संप्रभुता

[हिन्दी]

मांगते हैं। बाकी जिनते हिली स्टेट्स हैं, सभी प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। *...(व्यवधान)* सिक्सथ शेडयुल के अंदर उनको स्टेट का दर्जा मिल गया। असम एक खुला मैदान है जहां पर घुसपैठिए खुले आम चले आ रहे हैं। असम के लोगों के लिए सदन को चिंता करनी पड़ेगी। *...(व्यवधान)* देश के राजनीतिक दल इस प्रकार की भावना दिखाए तो हम लोग किस के साथ रहे। इस तरह की भावना जरूर पैदा हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए। मंत्री जी को भी जवाब देना है।

श्री राजेन गोहैन: यह इतना कम्पलिकेटेड मामला है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): आदरणीय सभापति जी, अपने असम के एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामले के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप थोड़ा संक्षेप में बोलिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं अकेला हूं। मैं पीड़ित व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे काफी समय देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

मेरा यह विनम्र अनुरोध है

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः राजेन जी, आप बैठिए। आपकी बात आ गई, भावना व्यक्त हो गई।

...(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मेरा इस तरफ बैठने वाले सब सम्मानीय सांसदों से आग्रह है और उस तरफ बैठने वाले सब साथियों से विनम्र निवेदन है कि ध्यान से सुनिए, दिल, दिमाग से सुनिए। इसे लेकर कोई राजनीति करने की कोशिश मत कीजिए।

[अनुवाद]

अपराह्न 5.06 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन* हुईं]

[हिन्दी]

यह देश को चुनौती देने की बात हो रही है। देश को किस ढंग से बचाना पड़ेगा। यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः ऐसा मत कीजिए, उन्हें बोलने दीजिए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: असम में 20 जुलाई को जो घटना हुई थी, वह अभी तक चल रही है। वह बोडो ट्राइबल और कुछ विशेष धर्मावलंबी लोगों के साथ हुआ कोई संघर्ष नहीं है।

[अनुवाद]

यह न तो जातीय संघर्ष है और न ही साम्प्रदायिक झगड़ा। बल्कि मैं यह कहूंगा कि यह देशी लोगों, भारतीय बोडो जनजातीय लोगों और असम के अन्य शांति चाहने वाले लोगों पर बर्बरतापूर्वक हमला है, जो बोडो हैं भारतीय हैं यह हमला किनके द्वारा? यह हमला गैर-कानूनी लोगों, बांग्लादेशी नागरिकों के द्वारा हुआ है।

[हिन्दी]

15 अगस्त, 1985 को राजीव गांधी साहब ने उस समय के असम गण संग्राम परिषद और एएएसयू के साथ जो समझौता 1985 साल में किया था, उसे 27 साल बीत गए। अगर उन 27 वर्षों में असम समझौते को इम्प्लीमेंट किया होता हो इतनी गंभीर सिचुएशन नहीं होती।

[अनुवाद]

वर्ष 1983 में इस सम्माननीय सभा द्वारा आईएमडीटी अधिनियम पारित किया गया था। उसके खिलाफ हमारे भूतपूर्व सांसद साथी श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने एक पिटीशन फाइल की। मैं इस बात से खुश हूं और भारत के उच्चतम न्यायालय को इसके लिए ध्न्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2005 में आईएमडीटी अधिनियम को निरस्त कर दिया था। मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार उन लोगों की पहचान के लिए क्या उपयुक्त कार्यवाही करेगी, जो अवैध रूप से भारत में आये हैं। विशेषकर, असम, बोडोलैंड क्षेत्र में आये हैं और जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों और ब्लॉकों में प्रवेश किया है? इनकी पहचान कब की जाएगी और इन लोगों को उनके मूल देश कब भेजा जाएगा?

[हिन्दी]

आप बोडो जैसे भारत के मूल निवासी चाहे असमिया हों, राजवंशी हों, बोडो हों, हिन्दी स्पीकिंग लोग हों या असम में रहने वाले स्थायी मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उन्हें किस ढंग से बसाएंगे, कैसे सुरक्षा करेंगे। 20 जुलाई को हमारे चार बोडो युवकों की हत्या की घटना हो गयी; वह भी पुलिस की आँखों के सम्मुख में हो।

[अनुवाद]

यदि पुलिस द्वारा वहां फायरिंग की जाती और गोली चलाई जाती तो लगता है कि उन बेगुनाह बोडो युवकों की जान बचाई जा सकती थी। अहम सवाल यह है कि उन चार बोडो लड़कों को क्यों नहीं बचाया जा सका?

इसके बाद अगले दिन 21 जुलाई को उन्हीं अपराधियों ने कोकराझार कस्बे के निकट स्थिति फरौरा नामक एक बोडो गांव पर हमला किया था। वहां दो बोडो महिलाओं की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई। तीसरे दिन उसी गांव में एक तीसरे बोडो व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उस गांव के कई बोडो परिवारों के घरों को लूट लिया गया, नष्ट कर दिया गया और जला दिया गया। इसके बाद यह संघर्ष अन्य स्थानों पर भी फैल गया और इस प्रकार की घटनाएं हुई। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। जितने लोग मरे उनके लिए मैं दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं जो कष्ट झेल रहे हैं और शिविरों में रहने को मजबूर हैं, चाहे वो बोडो हो, मुस्लिम हों या समाज के अन्य सदस्य हों।

[हिन्दी]

जितने लोग मरे, उनके लिए मैं दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

इन 91 परिवारों में से अधिकांश परिवार राजबोंग्शी नामक विशेष समुदाय के थे। उनके घरों को भी लूटा गया और जला दिया गया।

[हिन्दी]

आप लोग देखिये कि यह सिर्फ बोडो लोगों के खिलाफ हमला नहीं हुआ। बिजनी नाम का एक सिविल सबडिवीजन है, वहां नयापारा नाम का एक गांव है। उस नयापारा गांव में 91 फैमिलीज के सारे घरों को जला दिया गया

[अनुवाद]

जब इस प्रकार की भयानक घटना हुई तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, गृह मंत्री और केन्द्रीय गृह सचिव से भी फोन पर बात करने की कोशिश की। सौभाग्य से मैं एक व्यक्ति से बात कर पाया और वह व्यक्ति मैडम सोनियाजी के पी.ए. थे। उन्होंने मुझसे एक ई-मेल भेजने के लिए कहा। उसके बाद मैंने मैडम सोनिया जी, प्रधानमंत्री जी और केन्द्रीय गृह सचिव को ई-मेल भेजे। उसके बाद मुझे गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री शंभु सिंह से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेंने उनसे कोकराझार आने के लिए अनुरोध किया। अगले दिन प्रधानमंत्री के पीए श्री पिल्लई ने मुझसे संपर्क किया। मैंने उनसे कहा कि कृपया प्रधानमंत्री जी को ईमानदारी से जानकारी दीजिए और उन्हें कोकराझार आने के लिए अनुरोध कीजिए ताकि वह व्यक्तिगत तौर पर यह देख सके कि यहां चारों ओर क्या हुआ है। इसके बाद गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सिंह ने 25 जुलाई को कोकराझार का दौरा किया। उसके बाद 28 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री कोकराझार आए और 30 जुलाई के तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने कोकराझार का दौरा किया।

[हिन्दी]

और क्या किया? उन्होंने माकन वगैरह जलाने से पहले घोड़ागाड़ी में सारा सामान कैरी करके ले गये, उसके बाद मकान बगैरह जला दिये।

[अनुवाद]

20 जुलाई को यह घटना शुरू हुई और 25 तारीख की शाम को ही वहां आर्मी पहुंच गयी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: जब वहां आर्मी नहीं पहुंची थी, तो धुब्री जिले में एक आर्मी आफिसर थे, मैंने उनसे बिलासपाड़ा (धुब्री) से कुछ बोडो लोगों को बचाने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बहुत लाचार होकर बोला कि मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि जब तक धुब्री के जिलाधीश और एसपी कोकराझार के लिए सहायता नहीं मंगते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम सहायता नहीं कर सकते। वह डीसी और एसपी की अनुमति के निबा वहां नहीं जा सके। ऐसी स्थिति थी। बहुत मुश्किल है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि असम भूमि और राजस्व नियमावली मैं, 1886 (1947 में संशोधित) के अध्याय दस के उपबंधों के तहत असम में 45 जनजातीय पट्टियों और खंडों का सृजन किया गया था। उस उपबंध के अनुसार इन सभी 45 जनजातीय पट्यों और खंडों को बाहरी व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। आज उन जनजातीय पट्टियों और खंडों का नामोनिशान मिटने वाला है और जब असम की राजधानी शिलांग से गुवाहाटी शिफ्ट की गई थी तो उस समय 1976 में गुवाहाटी जनजातीय पट्टी को भी अधिसूचना से हटा दिया गया था।

आज बोडोलैंड राज्यक्षेत्र परिषद क्षेत्र में तीन मिलियन लोग रह रहे हैं। इन तीन मिलियन लोगों में से लगभग 60 प्रतिशत गैर-बोडो और गैर-जनजातीय लोग लेंगे। इनमें से कई लाख अवैध प्रवासी पहले ही बोडोलैंड में घुस चुके हैं इसका ध्यान कौन रखेगा?

भातर सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित मामलों, पुलिस और राजनीतिक विभाग को अब तक बोडोलैंड राज्य क्षेत्र प्रशासन को नहीं सौंपा है। इन परिस्थितियों में बोडोलैंड सरकार बोडोलैंड के लोगों की रक्षा कैसे कर सकती है।

[हिन्दी]

बाडोलैण्ड गवर्नमेंट जहां अपने बोडो आदमियों की रक्षा नहीं कर पाई, वह दूसरों की रक्षा कैसे कर पाएगी?

[अनुवाद]

श्री गीते जी ने जिस बात का उल्लेख किया है वह बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में 16 जून को असमिया भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र 'असमिया प्रतिदिन' में एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक खबर छपी थी।

[हिन्दी]

उसमें क्या हुआ? एक आदमी ने एक नया मिलिटेंट आर्गनाइजेशन बनाया, जिसका नाम है 'यूनाइटेड मुस्लिम नेशनल आर्मी' और उनकी मांग क्या है?

[अनुवाद]

उनकी एक ही मांग है बोडोलैंड क्षेत्र की मुस्लिम जनसंख्या वाले गांवों और असम के 14 जिलों को मिलाकर 'एक संप्रभु मुस्लिम राज्य की स्थापना करना'। यदि ये 14 जिले चले गए तो क्या होगा? जिस तरह पीओके बना, उसी के मुताबिक बांग्लादेश ऑक्यूपाइड असम बनेगा। ऐसा जल्दी ही होने वाला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें मेरा कोई अपना राजनीतिक हित नहीं है। सवाल यह नहीं है कि कल या परसों मैं यहां आ पाऊंगा या नहीं। बल्कि सवाल यह है कि हम स्वदेशी बोडो जनजातीय लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा तथा देश की सुरक्षा, संरक्षा और रक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? यह गंभीर चिंता का विषय है। यह नेशनल मुद्दा है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि विदेशी कौन है, देशी कौन है, उन लोगों का आइडेंटीफिकेशन असम समझौते के डेडलाइन मुताबिक हो। किसी को दुबारा वहां नहीं भेजना चाहिए, जब तक आपस में समझौता नहीं होगा गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और विश्वास वापस नहीं आ पाएगा। उसके पहले पुनर्वास ठीक नहीं होगा। जब तक उन लोगों को घर-बार और मकान नहीं मिलेगा, तब तक वे कहां रहेंगे?

[अनुवाद]

वे कहां रहेंगे?

[हिन्दी]

इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम से कम इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक जबर्दस्त, इफेक्टिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। इस सदन में जितनी पार्टीज हैं, जितने सांसद हैं, सदस्य हैं, हमें एकत्र होकर पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने प्रस्ताव दिया था।

[अनुवाद]

एक संयुक्त संसदीय समिति बोगोलैंड और धुब्री क्यों नहीं जा सकती ताकि यह पता लगाया जा सके कि असम में और पूर्वोत्तर में सच में क्या हो रहा है? एक हाई लेबल जुडिशियल कमीशन नियुक्त करना पड़ेगा। उस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई वर्तमान जज होना चाहिए। इस आयोग के बोडोलैंड और धुब्री जलों में जो कुछ हुआ है, उसकी उच्चस्तरीय जांच करनी चाहिए और इन समस्याओं और मुद्दों के स्थायी और सम्मानजनक समाधान के लिए भारत सरकार को सिफारिश करनी चाहिए।

[हिन्दी]

रुपये के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

माननीय प्रधानमंत्री ने लगभग 300 करोड़ रु. के पैकेज की घोषणा की है।

[हिन्दी]

इससे क्या होगा? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

कंट्रोल पैकेज कम से वुम 10,000 करोड़ रु. का होना चाहिए।

[हिन्दी]

सरकार की तरफ से इसको स्वीकार करना पड़ेगा और जितने लोग वहां मरे हैं, एक-एक आदमी को 10 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया ग्रांट के रूप में देना होगा। जितनी ट्राइबल फैमिलीज के घर जले हैं, उनमें से हरेक फैमिली को कम से कम 20 से 25 लाख रुपये देने चाहिए। जितनी भी ट्राइबल बेल्ट्स और ब्लॉक्स हैं, उनमें जितने गैर कानूनी लोग घुसे हुए हैं, उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। बोडोलैंड टेरिटोरियल कौंसिल सरकार के पास पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने का अधिकार देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

यह सब तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि पृथक बोडोलैंड राज्य का गठन न किया जाए।

इन परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि वह बहुप्रतीक्षित पृथक बोडोलैंड राज्य के गठन के लिए उचित कदम उठाए ताकि स्वदेशी बोडो लोगों और शान्ति चाहने वाले इस क्षेत्र के अन्य स्थानीय लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केवल यही व्यावहारिक समाधान है। इस समस्या का और केई समाधान नहीं है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तानी होने के नाते हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हमारे बहुत लोगों को भी अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन यह सब देकर भी हमें क्या मिला?

[अनुवाद]

अभी हमारे पास किस तरह की स्वतंत्रता और आजादी है? आज महात्मा गांधी नहीं हैं, सीमांत गांधी नहीं हैं ...*(व्यवधान)* हमें वास्तविक आजादी चाहिए, हमें वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए; और हमें शांति चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

बहुत मुश्किल की बात चल रही है। प्रधान मंत्री जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप हमें, बसाएं, हिन्दुस्तान को बसाएं, असम को बसाएं, उत्तर-पूर्वी राज्यों को बसाएं, वहां पर उचित ढंग से कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, उसके लिए धन्यवाद और अब आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): अध्यक्ष महोदया, मैं आडवाणी जी द्वारा रखे गए स्थगन प्रस्ताव का तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूरी तरह से विरोध करता हूं। मैंने उनका भाषण ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने लगातार एक बात गैर कानूनी प्रवासियों की समस्या पर जोर दिया है। दुर्भाग्यवश, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उस क्षेत्र में शांति बहाल करने की और जिनको उनके घरों से उजाड़ दिया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की आवश्यकता है। चार लाख लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं कुछ लोग पश्चिम बंगाल में भी आ चुके हैं। हमारी मुख्मंत्री महोदया ने उन्हें सहायता प्रदान की है। आडवाणी जी के भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया गया।

आडवाणी जी के भाषण के लहजे से हिंसा और बढ़ेगी। मैं यह क्यों कह रहा हूं? आडवाणी जी ने एएएसयू आंदोलन, जिसके साथ राजीव जी ने 1985 में असम समझौता किया था, की प्रशंसा की थी। परंतु आंदोलन के समय क्या हुआ? छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण था। परंतु आंदोलन के बढ़ते मिजाज से बड़ा नरसंहार हुआ जिसमें नवगांव जिले में नेथे गांव के 300 गरीब मुसलमान मारे गये। क्या आप यह चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर हों? अथवा हमें उन लोगों के घावों पर मलहम लगानी चाहिए, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया है, जिनके घरों को जला दिया गया है?

आज, मुख्य मुद्दा हिंसा की पुनरावृत्ति रोकने का हैं इसके लिए कानून और व्यवस्था तंत्र द्वारा कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। मुख्य बात विस्थापित लोगों का पुनर्वास करना हैं महोदया, धुबरी, बिलासिपारा, कोकराझार, बोंगाईगांव, चिरंग के क्षेत्र बंगाल के साथ लगते हैं इन क्षेत्रों में भी प्रायः समय-समय पर झगड़ा होता रहता हैं 1993 में बोडो और मुस्लिमों में 1994 बोडो और मुस्लिमों में 1996 में बोडो और आदिवासियों मे, 1998 में बोडो और आदिवासियों में और 2008 में बोडो और मुस्लिमें में झगड़ा हो चुका है। जब आडवाणी जी ने कहा कि यह समस्या घुपैठियों के कारण है, क्या उनका मतलब यह था कि आदिवासी भी घुसपैठिये हैं, वे वहां कई कारणों से रह रहे हैं।

असम विभिन्न जातियों, धार्मों और आदिवासियों का समूह है। असम को मलहम लगाने की अवश्यकता है क्योंकि वहां गरीब लोगों के बीच भूमि, सुविधाओं और अन्य विषयों पर विवाद है। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से इस समस्या को सुलझाना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित हैं। वे असम से राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य हैं। उन्होंने 28 जुलाई को वहां का दौरा किया था। उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या प्रक्रियात्मक कारणों से वहां सेना की तैनाती में विलंब हुआ है? उन्हें देखना चाहिए कि जब पहली बार वहां हिंसा भड़की तो क्या अर्धसैनिक बलों को तैनात करने में देरी हुई? इन मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

परंतु मुख्य बात है कि हमें उन स्थानों पर लगातार निगाह रखनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद फिर 4 अगस्त को वहां हिंसा हुई। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ये बंगाली मुस्लिम जो गरीब लोग हैं वे वहां अभी से नहीं रह रहे हैं। आप जानते हैं कि 1937 में जब श्री सैदुल्लाह असम के मुख्मंत्री थे तब उन्होंने ज्यादा खाद्यान्न उगाने के लिये उन्हें बुलाया था इनमें से बहुत से मुस्लिम जो मीमेनसिंह जिले से हैं इस समय बांग्लादेश में हैं। वे बहुत परिश्रमी लोग हैं। वे इन स्थानों से यहां आये हैं और लंबे समय से बसे हुए हैं। वे ब्रह्मपुत्र नदी की निचली भूमि पर खेती करते हैं यह क्षेत्र एक साल में 6 महीने जलमग्न रहता है।

यह सत्य है कि श्री आडवाणी जी की अगुआई में 2003 के समझौते में यह जिक्र किया गया है कि कोई गैर-बोडो व्यक्ति बोडो परिषद क्षेत्र में भूमि नहीं खरीद सकता है। परन्तु वे लोग तो पहले से ही जमीन ले चुके हैं और जिनका वहां घर बार है, उन्हें आप क्या करने देना चाहते है? क्या आप यह चाहते हैं वि वे अपनी जगहों को और अपने घरबार को छोड़कर वहां से चले जाएं? नहीं, भारत एक राष्ट्र है, और हम तृणमूल कांग्रेस, यूपीए के घटक दल हैं और हम सांप्रदायिक सदभाव और एकता में विश्वास करते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मैंने भा.ज.पा. के कुछ सदस्यों और अन्य व्यक्तियों का जो भाषण सुना है सांप्रदायिक सद्भाव और

शांति को भंग करता है और भारत सांप्रदायिक सद्भाव और शांति के लिए प्रसिद्ध है।

एक बार टैगोर ने कहा था:

"नाना भाषा नाना मत
नाना परिधान
बिबंधर माझे दाखो
मिलानो महान।"

हमारे अनेक विचार हैं। हमारी अनेक भाषाएं हैं। हमारे पास अनेक परिधान हैं परन्तु अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं। प्रश्न यह है कि भारत को अनेकता में एकता को बनाये रखना है। हमें इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। जिसमें इस देश के सांप्रदायिक दल और समूह लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य सभी को साथ रखने का होना चाहिए।

भा.ज.पा. ने गैर कानूनी प्रवासी सिद्धांत को पश्चिम बंगाल में आजमाय है। पश्चिम बंगाल में, लोग सांप्रदायिक सदभाव में विश्वास करते हैं, और हमारी वर्तमान मुख्मंत्री महोदया के नेतृत्व में, हम लोग सांप्रदायिक मेल-जोल वाले राज्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी की आशा करते हैं। हमें दुख पहुंचा है क्योंकि असम हमारा पड़ोसी राज्य है। उनकी गरीबी और बेरोजगारी की मूल समस्या का हल होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, हम इन लोगों के बहकावे में आ पाते हैं।

बोडो लोग अच्छे लोग हैं और वे शांति पसंद करते हैं। लेकिन वहां उनके बीच में कुछ उग्रवादी तत्व है। वे बोडो समझौते में विश्वास नहीं करते हैं। वे हथियारों के बल पर एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी हथियार हैं। नये गृह मंत्री, श्री शिंदे साहब सभा में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करुंगा कि वे इस क्षेत्र को गैर-कानूनी हथियारों को जब्त करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों को यहां तैनात करें। इस क्षेत्र में, कुछ वोडो उग्रवादी हथियारों के साथ जाते हैं और वे कुछ हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। कल, उल्का के दो लोगों को ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया था। ये चिंताजनक बाते हैं। अगर सुरक्षा बलों से उनके ऊपर नजर रखने में कोई भूल हुई है, तो उन्हें उसमें सुधार करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस सदन को आडवाणी जी के प्रस्ताव को पूर्णतः खारिज करना चाहिए।

मैं उनकी उम्र को देखते हुए आडवाणी जी का सम्मान करता हूं परन्तु मुझे लगता है कि आडवाणी जी अब उतने तेज तर्रार नहीं हैं, जितने वह भारत के गृह मंत्री के पद पर रहने के दौरान थे। शायद उनकी पार्टी ने उनको अलग-थलग कर दिया है, यही कारण है कि वह निश्चित रूप से थोड़े निराश हैं और अलग-थलग रहते हैं, जैसा कि हाल ही में उनके प्रसिद्ध ब्लॉग की प्रतिक्रियाओं में सिद्ध भी हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आडवाणी जी इस स्थगन प्रस्तव के लिए दबाव नहीं डालेंगे। मुझे आशा है कि आडवाणी जी अवैध अप्रवासियों के विषय कोो नहीं घसीटेंगे।

सरकार के कानून हैं। हमारे यहां राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका है। दुर्भाग्यवश एएएसयू नेता श्री प्रफुल्ल कुमार महंत 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे परन्तु नागरिकता पंजिका आरंभ नहीं कर सके, वे इललीगल माइग्रेन्ट डिक्टेशन ट्रिब्यूनल (आईएचडीटी) स्थापित नहीं कर सके। आडवाणी जी ने उच्चतम नयायालय के निर्णयों से काफी उद्धरण दिये हैं। मुझे नहीं लगता कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय बाइबल हैं। उनकी पार्टी के एक सदस्य श्री अरुण शैरी ने कोट्स एण्ड देयर जजमेंन्ट्स' नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से एक ही न्यायालय ने विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग निर्णय दिए हैं। मैं न्यायालय को बाइबल नहीं मानता, हम जनप्रतिनिधि हैं और मेरे लिए संसद सर्वोच्च है। वहां हमें निर्णय लेना चाहिए और न्यायालयों के फैसलों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अतः हमें यह चर्चा बंद कर देनी चाहिए। सरकार के उसका कार्य करने दीजिए। मैं इस सभा के सभी वर्गों से असम को होलिंग टच देने की अपील करता हूं।

आंदोलन में असम को कई वर्षों का नुकसान हुआ है। उल्का के उग्रवाद के कारण इसके कई वर्ष व्यर्थ गए। सौभाग्यवश, अरविन्द रजखोवा के नेतृत्व में बहुत से उल्का उग्रवादी मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अनूप चेतिया और अरुण मुख्यधारा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उल्का का केवल एक छोटा सा दल ही बचा है जो समस्या उत्पन्न करने में लगा है।

असम को शांति चाहिए; असम को विकास चाहिए। इस सभा में हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि असम में व्यापक विकास हो प्रधानमंत्री ने पुनर्वास के लिए 300 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है। यदि आवश्यकता पड़ी तो असम को और धन दिया जाएगा। असम के पड़ोसी के रूप में पश्चिम बंगाल में हम सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम अपने पड़ोसी राज्य जोकि भारत की पूर्वी सीमा में 300 रु. सेवा सिस्टर्स का भाग है, में साम्प्रदायिक सौहार्द्र लाने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे।

इन शब्दों के साथ ही मैं सभा से फिर आग्रह करता हूं कि वह इस स्थगन प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दें।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से ले कर सौगत

राय और उनके साथियों तक इस सदन में राष्ट्र को जो चिंता है, उस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं प्रथमतः आडवाणी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैं अच्छा काम करूंगा, इस तरह की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज ऐसा वक्त है कि यदि मैं गृह मंत्री नहीं होता, तो टीका-टिप्पणी जरूर करता। लेकिन भारत सरकार में गृह मंत्री होते हुए जो बात सौगत राय जी ने आखिर में कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि देश में हमें शांति के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। शांति और विकास, जब तक देश में नहीं होगा, तब तक हमारी ग्रोथ रेट आगे नहीं बढ़ सकती है। यह बात सही है कि देश में दंगे फसाद होते हैं, उसकी चिंता हम करते हैं। कल आप इधर सरकार में थे और हम उधर थे। हम उधर से चिंता करते थे, लेकिन संयम से करते थे। ऐसी टीका-टिप्पणी करने का महत्व नहीं रहता है कि हम आज सत्ता में आए हमने क्यों नहीं किया या आप सत्ता में दस-दस साल रहे तो आपने क्यों नहीं किया। ऐसी बात करने में समय भी जाएगा और देश की उन्नति की बातें तथा समाज को इकट्ठा लाने का जो काम करना है, वह काम हम नहीं कर पाते हैं। मैं आज सुबह एक नोट ले कर आया था कि एक सुओ-मोटो स्टेटमेंट सदन में रखूंगा। एक माहौल पैदा हो गया था, आपके नेतृत्व में बैठक हो गई और विरोधी दल की नेता ने भी कहा था कि हम सब मिल कर सहयोग करेंगे। हमारे सामने चिंता थी कि आतंकवाद का प्रश्न है, नक्सलवाद का प्रश्न है और केवल एक से छुटकारा पाकर हमें कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि हम सभी को इसमें सहयोग देने का काम करना होगा। मैंने इसीलिए सुबह कहा था कि यह सदन सभी का सदन है और इसीलिए मैं अब भी कहूंगा कि हम इस तरह का संदेश देश को दें कि हम सभी चाहते हैं कि शांति से इस देश में सभी धर्म और जाति के लोग रहें और भारत का नाम विश्व में ऊंचा है। हम यही प्रार्थना करते हैं मैं यही कहूंगा कि सुओ-मोटो स्टेटमैन्ट के लिए मैं जो नोट लाया था, उसमें पूरे डिटेल्स दिये हुए हैं, वहीं मैं आपको बताऊंगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत ही दुख और पीड़ा के साथ मैं असम के कोकराझार, चिरांग, धुबरी और बोंगाईगांव जिलों में 6 जुलाई 2012 से आज तक हुई हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। असम सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला जिसे कि बीटीएडी कहा जाता है, वहां बोडो और गैर-बोडो समुदायों के बीच विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर जबरदस्त तनाव है। हाल में हुई हिंसा को मुख्यतः 6 जुलाई 2012 और 19 तथा 20 जुलाई 2012 के बीच हुई घटनाओं से जोड़कर देखा जा सकता है।

(क) 6 जुलाई, 2012 को कामतापुरी लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादियों ने गोंसाईगांव पुलिस थाने के अंतर्गत मुस्लिम पाडागांव पर अंधाधुंध गोलीबारी की जिससे मुस्लिम समुदाय के दो लोगों की मृत्यु हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इस संबंध में दर्ज किए गए मामले में के एलओ के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि इस क्षेत्र के मुसिलम लोगों को इस बात की जानकारी दी गई थी लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने इस घटना का शक बोडो उग्रवादियों पर किया।

(ख) 19 जुलाई, 2012 को मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने मगुमारी गांव के महिबूलहक उर्फ रातूल तथा मोहम्मद अबू सिद्दकी के आवास के सामने अंधाधुंध गोलियां चलाई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों लोग ऑल बोडोलैंड मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन (एबीएमएसयू) के पदाधिकारी थे।

(ग) 20 जुलाई, 2012 को सायं 3.25 बजे के लगभग 4 बोडो युवक भाटीपाड़ा से कोकराझार की तरफ दो मोटरसाइकिलों पर आ रहे थे तभी कोकराझार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जयपुर नामक स्थान पर कुछ अज्ञात मुसलमान युवकों ने धारदार हथियार से उन पर वार कर दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

(घ) चार बोडो युवकों की हत्या की इस घटना के पश्चात एक के बाद एक साम्प्रदायिक वारदातें शुरू हो गईं। आरम्भ में यह घटना कोकराझार जिले तक ही सीमित थीं किन्तु अखिल असम मुस्लिम छात्र संघ (एएएमएसयू) द्वारा 23 जुलाई, 2012 को बंद का आह्वान किये जाने पर धुबरी तथा जिलों में भी तनाव फैले।

इसके अलावा 5 और 6 अगस्त 2012 को कोकराझार और चिरांग जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हुए। 24 जुलाई, 2012 से 4 अगस्त, 2012 के बीच किसी बड़ी हिंसक वारदात की खबर नहीं मिली।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 6.8.2012 तक इस हिंसा से 244 गांव 47, 936 परिवार और 5,367 मकान प्रभावित हुए हैं जिसमें 73 लोगों की जानें गई हैं और 50 व्यक्ति घायल हुए हैं जिनमें 14 पुलिस कर्मी भी सम्मिलित हैं तथा 7 लोग गायब बताए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 340 राहत शिविर स्थापित किए हैं। असम में घटी इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही मेरे मंत्रालय द्वारा सीएपीएफ की 14 अतिरिक्त कंपनियां भेज दी गई जबकि राज्य ने केवल 10 कंपनियों की ही मांग की थी। प्रतिदिन अतिरिक्त बल को तैनात किया जाता रहा जब तक कि अतिरिक्त कंपनियों की संख्या 65 तक नहीं पहुंची। इनमें से कुछ

कंपनियों के वहां विमान द्वारा भी भेजा गया। केबिनेट सचिव ने एक बैठक की और प्रभावित क्षेत्र में डॉक्टरों का एक दल भी भेजा गया। राहत कार्य में कोकराझार के जिला प्रशासन की सहयता हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ0 को भी तैनात किया गया है। प्रभावित क्षेत्र में सेना फ्लैग मार्च कर रही है तथा असम पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ0 भी गश्त लगा रहे हैं।

सुरक्षा बलों ने अब तक हिंसा आगजनी की इन घटनाओं में शामिल 170 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है; जातीय हिंसा से संबंधित 309 मामले दर्ज किए गए हैं, और 6 महतवपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है जिसके प्रभारी एडीजीपी (सीआईडी) हैं।

प्रभावित लोगों को त्रुटिरहित सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है। हिंसा संभावित गांवों के लिये 104 स्थायी पुलिस टुकड़ियों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें से 99 स्थापित की जा चुकी हैं। उन्हें प्रभावित गांवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने, राहत कार्य में मदद करने और इससे संबंधित अन्य मामलों में जिला प्रशासन की सहायता हेतु अन्य जिलों से भी अनेक असैनिक और पुलिस अधिकारियों को वहां तैनात किया गया है। राहत कार्यो की निगरानी के लिए राज्य मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया गया है।

राज्य सरकार राहत शिविरों में रह रहे लोगों को आनुग्रहिक राहत (जीआर), स्वास्थ्य एवं सफाई सहित न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए खाद्य सामग्री जैसे- चावल, दाल, सरसों का तेल, नमक, शिशु भोजन, वयस्क व्यक्तियों के लिए लुंगी, साड़ी और गमछा सहित कपड़े और बच्चों के कपड़े, मोमबत्ती, साबुन, मच्छर भगाने के लिए कॉइल, दंत मंजन, तारपॉलीन, चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल आदि की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): सर, वहां कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग कैंप्स से हो कर आ रहे हैं। वहां बच्चे मर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय की बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशीलकुमार शिंदे: एक बार मेरा स्टेमेंट पूरा होने दीजिए, फिर आपको सब कुछ बताऊंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हिंसा से प्रभावित लोगों को पर्याप्त अनुग्रह अनुदान ओर पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा।

राहत और पुनर्वास उपायों की मौजूदा स्थिति से यह पता चलता है कि अत्यधिक आवश्यकता के समय में 340 राहत कैम्प बनाये गये जिन में 4,80,000 लोग रहते हैं। 06 अगस्त 2012 को, 245 राहत केम्पों में 3,64,000 लोग आज भी रह रहे हैं। 95 राहत कैम्प बंद कर दिये गये हैं तथा 1,15,000 व्यक्ति अपने गांवों को लौट गये।

माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरे पूर्व वर्ती मंत्री ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का क्रमश: 28 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई 2012 को दौरा किया। अब, मैं असम में सुरक्षा स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा हूं।

सरकार असम में लूटपाट और हत्या की घटनाओं की घोर निंदा करती है। क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के नेताओं से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। केन्द्र सरकार हिंसा को नियंत्रित करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए असम सरकार कर पूरी मदद कर रही है।

मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और स्थिति की समीक्षा की। अब उन्होंने सुझाव दिया है, वहां सीबीआई की टीम भेजी जाए। अत: सीबीआई जांच के लिए कई मामले लेगी जिनमें षड्यंत्र प्रतीत होता है तथा इस हेतु सीबीआई के अपर निदेशक और संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर समस्याएं, का दल 6 अगस्त को गुवाहाटी भेजा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया, केवल इतना ही नहीं मैं आपको बताता हूं कि कल से मैं हर तीन या चार घंटे के बाद असम के मुख्य मंत्री से बात कर रहा हूं। किसी अग्रिम घटना की स्थिति में मैंने सेना को सतर्क कर दिया है। यदि कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है ताकि कुछ भी घटित न हो। सेना उस क्षेत्र में न जाएं जहां कुछ नहीं करना हो। सेना उन्हीं क्षेत्रों में जाए और परिणाम दिखाए जो वास्तव में प्रभावित हैं।

महोदया, ओवेसी जी कल मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे दो कैम्पों के नाम दिए। मैंने अपने विभाग को पहले से निर्देश दे दिए हैं। और तदनुसार, सचिव (गृह) ने संबंधित व्यक्तियों से बात की। मुझे लगता है कि अब तक स्थिति सुधर गई होगी। यदि

कोई कमी है तो मैं उस संबंध में निश्चय ही सुधारात्मक कदम उठाउंगा।

महोदया, इस सरकार की नियत बिल्कुल साफ है। हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। यही कारण है कि आज मैं यह बात आप के ध्यान में लाया हूं कि मैं स्वतः बयान देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मुआवजा, एक्स-ग्रेसिया के बारे में क्या है?

श्री सुशीलकुमार शिंदे: वह भी देख लेंगे।

[अनुवाद]

महोदया, सरकार का मन और नियत दोनों एकदम साफ है कि हम इस देश में शांतिपूर्ण स्थिति लाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): बांग्लादेशी शरणार्थियों की पहचान करके उनको वापस भेजने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, मैंने दो-तीन बातें कही थीं। जो तात्कालिक परिस्थिति है, उस पर तो आपने विस्तार से कहा, लेकिन यह समस्या जो बार-बार असम में उठती है, उसका लॉगटर्म सोल्युशन क्या होगा? तीसरी बात मैंने कही थी कि यह जो बात देश में चलती रहती है कि जो वहां के लोकल ट्राइबल हैं, एथिनिक ग्रुप हैं और या जो ये मुस्लिम लोग हैं, इनका ब्रेकअप क्या है? कितने-कितने लोग हैं, जो अफेक्टिड थे? जो अफेक्टिड लोग थे, उसमें आपने चार लाख कहा, ये बातें देश के सामने आनी चाहिए। मैंने आपसे यह निवेदन किया था, लेकिन उसमें से कोई भी बात सामने नहीं आयी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं सुओ-मोटो स्टेटमेंट करने वाला था और वह वहां की स्थिति के बारे में था। जबकि एडजर्नमेंट मोशन किसी स्टेट की स्थिति के बारे में संसद में चर्चा करने के लिए नहीं होता। मैंने यह आरम्भ में भी कहा कि मैं जब एडजर्नमेंट मोशन की बात करता हूं, स्वाभाविक रूप से मैं इस दायित्व को पहचानता हूं कि स्थगन प्रस्ताव केवल मात्र केंद्र सरकार की ओर से कोई कमी हुई होती है, उसके आधार पर होता है। यानी पहला-पहला शब्द अनिवार्य रूप से लिखना पड़ता है,

[अनुवाद]

सरकार की असफलता अथवा भारत सरकार की असफलता।" उसका मूल भाग है।

[हिन्दी]

ठीक है कि साधारण स्थिति वहां पर है, उसमें ये सारी बातें रिहैबिलिटेशन इत्यादि महत्व की होंगी। पीस सब जगह पर होना चाहिए, जैसे तथागत जी ने भी कहा ...*(व्यवधान)* जी हाँ, सौगत राय जी। मुझे उनके भाई का ध्यान था। उनके भाई हमारे साथी हैं और प्रमुख हैं। ...*(व्यवधान)*

इसीलिए मैंने कहा कि महत्व की बात यह है कि हम मानते हैं। अब हमारा विश्लेषण गलत होगा लेकिन उसकी पुष्टि बहुत लोगों ने की है कि इस सारी समस्या की जड़ में कोई एथनिक प्राबलम नहीं है, कोई कम्यूनल प्रॉबलम भी नहीं है। प्रमुख प्राबलम यह है कि लगातार बंग्लादेश से जो इनफिलट्रेशन, घुसपैठ हो रही है, उसके कारण वहां के कई सारे लोगों को लगता है कि हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हम माइनारिटी हो जाएँगे और वह जो डैमोग्राफिक चेन्ज हो रहा है, उसके अनेक उदाहरण हैं और कई प्रकार के उदाहरण हैं। मैंने इसलिए गृह मंत्री जी से निवेदन किया ...*(व्यवधान)* मैंने आपकी बात सुन ली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने इसीलिए गृह मंत्री जी से निवेदन किया था कि अच्छा होगा कि कम से कम रिप्लाई देते हुए सरकार की ओर से उनको पता लगे कि उनका अपना अंदाजा क्या है। नॉर्थ ईस्ट में, असम में, देश भर में कितने सारे लोग हैं जो बंग्लादेश से आए हुए हैं और देश भर में फैल गए हैं जिसके कारण अलग-अलग संस्थानों पर अलग-अलग समस्या है। मैंने केन्द्र के एक मंत्री का उल्लेख किया कि उन्होंने तो ऐक्जैटली फिगर दिया कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोग हैं। मैं इसीलिए सोचता था कि आज कम से कम इतनी लंबी चर्चा हुई है जिसमें हमारी ओर से यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस

मामले में सफल नहीं हुई है, विफल हुई है और जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट या अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये हैं, उनका पालन नहीं हुआ है। उसका उत्तर आपके उत्तर में होता तो मैं स्वीकार करता, लेकिन जैसी स्थिति है, मैं इस उत्तर को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि जो इच्छा सौगत राय जी ने प्रकट की थी कि हमें इसको प्रैस नहीं करना चाहिए, हम इसको प्रैस करेंगे और हम चाहेंगे कि इस पर मतदान हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि अब सभा स्थगित होती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.53 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, हम मद संख्या 8 को लेते हैं। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए कहा गया है और जो उन्हें रखने के इच्छुक हैं वे पहले तत्काल सभा पटल पर पर्चियां दे दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे जिनकी पर्चियां निर्धारित समय में प्राप्त हुई है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. मोबाइल टावरों को स्थापित किए जाने तथा उनका उचित कार्यकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में बी.एस.एन.एल. के बी.टी.एस. के लिए आवश्यक सामान की आपूर्ति नहीं होने से एवं मोबाइल टॉबरों की कमी से मोबाइल कनेक्शनों में कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है जिसके कारण मोबाइल सेवा का लाभ मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि करीब डेढ़ साल पहले कई मोबाइल टावर प्रतापगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत हुए थे। परन्तु वे अभी तक नहीं लगाये गये हैं, क्योंकि उसके लिए जो सामान की आपूर्ति होनी थी वह अभी तक नहीं हो पायी है। जबकि दूसरे प्राइवेट ऑपरेटरों के मोबाइल अच्छे ढंग से चल रहे हैं क्योंकि उनके मोबाइल टावर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उनका रखरखाव भी अच्छा है। अगर बी.एस.एन.एल. की कनेक्टिबिटी प्रतापगढ़ जिले में अच्छी हो तो लोग इसकी सेवा अधिक संख्या में ले सकते हैं। वर्तमान समय में बी.एस.एन.एल. द्वारा समुचित मात्रा में मोबाइल टावर स्थापित नहीं होने से लोग बी.एस.एन.एल. की सेवा को पसंद नहीं कर रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में मोबाइल टावरों की कमी को एवं बी.टी.एस. के लिए आवश्यक कमी की आपूर्ति की समस्या को दूर किया जाये और कनेक्टिविटी को बनाये रखने के कार्य किए जायें।

(दो) उत्तर प्रदेश में पश्चिम गंडक नहर का पुनरुद्धार और मरम्मत कार्य तत्काल आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री हर्षवर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): उत्तर प्रदेशों एवं बिहार के बड़े भू-भाग को सींचने वाली मुख्य पश्चिमी गंडक नहर का उद्गम नेपाल एवं बिहार के कुछ भाग में गंडक नदी पर बनाए गए बैराज से होता है। शीर्ष पर 18800 क्यूसेक डिस्चार्ज वाली यह नहर नेपाल में लगभग 19 कि.मी. की दूरी पार कर उत्तर प्रदेश में आने पर नहर का डिस्चार्ज 15800 क्यूसेक होता है। इस नहर के जल का 7300 क्यूसेक अंश उ.प्र. तथा 8500 क्यूसेक अंश बिहार के लिए है। उ.प्र. के महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया एवं कुशीनगर में यह नहर सिंचाई का मुख्य साधन है।

नहर में सिल्ट की अत्यधिक मात्रा जम जाने के कारण जल का वास्तविक डिस्चार्ज परिकल्पित डिस्चार्ज की अपेक्षा लगभग 60 प्रतिशत कम हो गया है जिसके चलते सिंचाई क्षमता पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ा है। सूखे की वर्तमान दशा में नहर अपना उद्देश्य पूरा करने में सफल नहीं हो सकती है। नहर की वर्तमान अवस्था अत्यंत जीर्णशीर्ण हो गई है। रेगुलेटर, गेट, लाइनिंग आदि अधिकांश स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण नहर पूरी तरह असुरक्षित हो गई है।

बिहार में इस नहर के पुनर्रुद्धार का काम इस वर्ष हुआ है परंतु उ.प्र. में स्थिति जस की तस है। केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष लंबित इस नहर की क्षमता पुनर्स्थापना योजना परियोजना पर उ.प्र. में पड़ने वाले नहर के भाग पर कोई कार्य नहीं होने से स्थिति और भी विषम हो गई है। अत: मेरी मांग है कि मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के उ.प्र. के भाग का पुनरुद्धार तत्काल कराया जाए।

(तीन) देश में आम आदमी के लिए तत्काल ई-पासपोर्ट सुविधा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): इण्डियन पासपोर्ट एथॉरिटी ने 25 जून, 2008 में देश की तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति के नाम से प्रथम ई-पासपोर्ट जारी किया था और देश के आम नागरिकों के लिए सितम्बर, 2010 तक यह सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन कई वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इस दिशा में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जबकि विश्व के विभिन्न देशों में वहां के सभी नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट की सुविधा विगत काफी समय से प्रचलन में है।

आज सूचना प्रौद्योगिकी का युग है और हमारे देश के नवयुवकों ने पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। अत: ऐसी स्थिति में देश में अब तक आम नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट की सुविधा उपलब्ध न होना चिंता का विषय है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के आम नागरिकों के लिए भी ई-पासपोर्ट की सुविधा शीघ्र प्रदत्त किए जाने हेतु आवश्यक पहल करे।

(चार) देश में सभी विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल तथा बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): देश के करीब तीन करोड़ स्कूली बच्चों को शौचालय की सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं है जबकि हाल के वर्षों में शौचालय सुविधाओं को लेकर काफी जागरूकता आयी है और स्कूलों ने इस कमी को दूर करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। स्कूलों में शौचालय नहीं होने के स्थिति में बच्चों को काफी असुविधा होती है खासकर छात्राओं के लिए यह चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनीसेफ द्वारा 'वाश कार्यक्रम' के तहत कराये गये एक अध्ययन के मुकाबले आज भी 60 फीसदी स्कूलों में ही छात्राओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था उपलब्ध है यही वजह है कि स्कूल लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। यूनीसेफ के अध्ययन से यह बात भी सामने आयी है कि जिन स्कूलों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध भी है उनमें से एक या दो ही प्रयोग करने लायक होते हैं। यूनीसेफ के आंकड़ों के अनुसार अभी भी देश के 10 फीसदी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं हैं इसी प्रकार स्वच्छता संबंधी शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्वच्छ जल एवं छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की आवश्यकता की बात की गयी है। अत: मैं देश के सभी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सुविधाओं को लागू करने की मांग करता हूं।

(पांच) हरियाणा के दक्षिणी भागों में पेयजल आपूर्ति परियोजना संबंधी हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने तथा परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि संस्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़): मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भिवानी, महेन्द्रगढ़ और उससे लगे रिवाड़ी तथा झज्जर जैसे क्षेत्रों के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कर्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के दक्षिणी भागों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु तत्काल धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

इस संबंध में, मैं कहना चाहती हूं कि हरियाणा सरकार ने माननीय केन्द्रीय मंत्री को पेयजल और स्वच्छता के बारे में प्रस्ताव पहले ही सौंप दिया है। और हरियाणा के दक्षिणी भाग में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए भी 400 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की मांग की है और हाल में नई दिल्ली में हुए विभिन्न मंत्रियों के सम्मेलन में इस मुद्दे को भी उठाना है।

दक्षिण हरियाणा की प्रभावित व्यक्तियों में पेयजल की वास्तविक उपलब्धता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था तथा भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और झज्जर जिलों के लिए 414 करोड़ की परियोजना संबंधी अवधारण दस्तावेज निरूपित किया गया है। परियोजना हस्तक्षेप ने इन जिलों में व्याप्त पेयजल समस्या की भयावहता का उल्लेख है तथा उसमें यहां रहने वाले लोगों की समस्या को कम करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित मूर्त उपायों का उल्लेख है। इन क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति रहती है और वहां पेयजल की निरन्तर कमी है।

अत: मैं संबंधित माननीय मंत्री जी से 414 करोड़ रुपये की प्रस्तावित उन परियोजना को अनुमोदित करने और गर्मी के मौसम से पूर्व डीवीएपी के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपये जारी करने की व्यवस्था का अनुरोध करती हूं।

(छह) आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य में केन्द्रीय दल भेजे जाने और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): आंध्र प्रदेश में, मानसून असफल रहा था और वहां वर्षा बिल्कुल नहीं हुई थी। मानसून

के असफल रहने के कारण कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदियां सूख गई थी तथा महबूबनगर के जुराला तथा श्रीसेलम तथा कुरनूल जिलों के जलाशयों में जलभराव हुआ और यही स्थिति नागार्जुननगर की रही थी जिसके कारण वहां कृषि संबंधी कार्यकलाप ठप्प पड़ गए। सूखे के कारण, वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में भी कृषि ठप्प रही और वहां बहुत कम खाद्यान्न उत्पादन होने जा रहा है। 100 मंडकों से भी अधिक मंडलों में से लगाया 400 में सूखा पड़ता नजर आ रहा है।

पूरे तेलंगाना क्षेत्र में तालाब और हौजों में पानी नहीं है और वहां लेगों को पेयजल समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारा एक समस्या बन गया है। चारा बुचड़खानों में बेचा जा रहा है। कृषि कार्यकुलापों के अभाव के जूझते मेरे जिले महबूब नगर के लोग देश के अन्य भागों में जा रहे हैं।

मैं भारत सरकार से आन्ध्र प्रदेश में स्थिति का आकलन करके और सूखे से निपटने के लिए केन्द्रीय प्रारम्भिक जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु एक केन्द्रीय टीम भेजने का अनुरोध करता हूं।

(सात) तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तिथाकुड्डी और पान्नाडम नगरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर): मैं सरकार का ध्यान तमिलनाडु में अपने संसदीय क्षेत्र कुड्डालोर के दो प्रमुख शहरों तिथाकुड्डी और पेन्नाडम में बैंकिंग वित्तीय सुविधाओं के अभाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन शहरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक एक शाखा है जो कि अन्य शहरों के बढ़ते औद्योगीकीकरण के लिए काफी नहीं है। वहां दो सीमेंट फैक्ट्रियों और एक चीनी मिल सहित कई औद्योगिक इकाइयां हैं। उक्त दो बैंकों की सुविधा वित्तीय कार्यकलापों के संबंध में इन दो शहरों की, मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन शहरों में बैंक की एक एक शाखा लोगों को पर्याप्त सेवाएं नहीं दे पा रही हैं। भारत सरकार 2012 तक प्रत्येक 2000 की आबादी वाले गांव में बैंकिंग सुविधाएं देने जा रही हैं और ये दो शहर आज भी वित्तीय सुविधाओं से वंचित है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मेरे संसदीय क्षेत्र, कुड्डालोर, तमिलनाडु में उक्त शहरों में कम से कम राष्ट्रीयकृत बैंकों की तीन शाखाएं खोलने का आग्रह करता हूं।

(आठ) मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 को चार लेन में बदले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एन.एच. 75 पर महाप्रबंधक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा कि.मी. 16.00 से कि.मी. 96.127 तक फोरलेन रोड निर्माण का कार्य बी.ओ.टी. एन्यूटी आधार पर संपन्न किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट का बजट 604 करोड़ रुपये है। अनुबंध के मुताबिक यह कार्य 5 जून, 2007 से प्रारंभ होकर दिनांक 4 दिसम्बर 2009 को पूर्ण होना था। इस 80.127 कि.मी. फोरलेन मार्ग निर्माण में 146 स्ट्रक्चर, 3 बड़े पुल क्रमशः सिंध, चिरुला एवं पहुज नदी पर बनने हैं। इसके अतिरिक्त 22 छोटे पुल पुलियां, 1 फ्लाईओवर एवं 7 अंडर पास बनने थे।

परंतु उक्त फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य विभिन्न हिस्सों में लगभग 49 कि.मी. में पूर्ण हो पाया है। स्ट्रक्चर, पुल निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य वर्तमान में लगभग बंद है। जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है जिसके कारण समय-समय पर कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। अत: जनहित को ध्यान में रखकर इस महत्वाकांक्षी योजना को शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करे।

(नौ) असम में बाढ़ रोकने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों में गाद निकालने का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): असम में 4365 किलोमीटर लंबे तटबंधों में से 90 प्रतिशत तटबंधों की मियाद समाप्त हो चुकी है। मॉनसून में इन तटबंधों के पानी द्वारा टक्कर मानसून के कारण इनके आसानी से टूटने की संभावना है। बाढ़ नियंत्रण तंत्र पूरी तरह विफल है, जिसके कारण असम में हर वर्ष बाढ़ आती है।

बाढ़ नियंत्रण के लिए अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों की आवश्यकता है। परन्तु बाढ़ नियंत्रण के लिए उचित योजना के अभाव में राज्य मॉनसून में निरंतर प्रभावित होता रहता है, जिससे लाखों लोगों, असंख्य पशुओं पर असर पड़ता है और हजारों एकड़ फसल भूमि को नुकसान पहुंचता है। असम के लोगों को भू-क्षरण तथा बाढ़ से राहत देने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया था।

इस विकराल स्थिति के कारण, ब्रह्मपुत्र की वहनीय क्षमता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से

यह अनुरोध करता हूं कि वह तटबंधों की मियाद को बढ़ाने तथा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से गाद निकालकर उनकी जल वहनीय क्षमता को बढ़ाने के उपाय करे। समुचित सर्वेक्षण और वैज्ञानिक पद्धति से असम में बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है और इसके लिए भारत सरकार को त्वरित कार्यावाही करनी चाहिए ताकि असम के लोगों को बाढ़ तथा भू-क्षरण से बचाया जा सके।

(दस) गुना-इटावा रेल परियोजना को तेजी से पूरा किए जाने और इसे प्रचालनात्मक बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (भिंड): गुना इटावा रेल परियोजना को 20 वर्ष से अधिक समय हो गया है परंतु विलम्ब के कारण अभी तक भिंड-इटावा जो कि मात्र 36 कि.मी. है एवं जिसका अधिकांश कार्य हो चुका है अभी तक अंतिम रूप से पूर्ण नहीं हुई है। विलम्ब के कारण इस योजना की लागत बढ़ रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उक्त रेलवे ट्रेक के कार्य को शीघ्र पूरा कराकर जनता के लिये रेल चालू की जाये जिससे जनता उसका लाभ उठा सके।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): इंदौर से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 51 का 4 लेनिंग का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है तथा इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। इस के साथ ही इंदौर-बैतूल-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 51-ए है। जिस की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। जब कि इंदौर-बैतूल के 4 लेनिंग करने से अहमदाबाद से इंदौर-बैतूल-नागपुर-रायपुर होते हुए कोलकत्ता तक का 4 लेन मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जिसका जुड़ाव विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा हो जाता हैं जब कि इंदौर-बैतूल तक की स्थिति अत्यंत दयनीय होने से इस मार्ग का कम उपयोग होता है और लोगों को लंबे मार्ग का उपयोग करना पड़ता है जिससे यहां की यातायात गणना वास्तविक नहीं आती है। मेरे मत में इसके छोटे से भाग इंदौर-बैतूल को 4 लेनिंग करने से राष्ट्रीय आवागमन के महत्व के अहमदाबाद से कोलकत्ता की सुविधा प्राप्त हो सकती है। इससे वर्तमान में उपयोग होने वाले लंबे रास्ते का विकल्प छोटा मार्ग बन सकेगा। इससे यात्रा समय एवं ईंधन की भी बचत होगी। अतः मेरा सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि इंदौर-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र से शीघ्र 4 लेनिंग हेतु स्वीकृत किया जाये

(बारह) उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक खण्ड में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं और ए.टी.एम. स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज (उत्तर प्रदेश) में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं कार्यरत है। कृषक उत्पादित अन्न बेचते हैं। परंतु क्षेत्र में जगह जगह सरकारी बैंक एवं ए.टी.एम. मशीन न होने के कारण लोग सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं, जिससे कठिनाई होती है। इस क्षेत्र के बच्चे अनेक प्रदेशों में अध्ययन करने जाते हैं, जिससे फीस इत्यादि भेजना होता है। सभी तरह के राष्ट्रीयकृत बैंक न होने के कारण कठिनाई होती है। बैंक एवं ए.टी.एम. स्थापित होने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक एवं ए.टी.एम. मशीन मेरे क्षेत्र में नहीं है उसे प्रत्येक ब्लाक में आवश्यकता के अनुरूप स्थापित कराने का कष्ट करें।

(तेरह) मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): उत्तर प्रदेश राज्य का मिसरिख संसदीय क्षेत्र एक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा तीन सर्वाधिक पिछड़े जिलों से मिलकर बना हे। मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मिसरिख मल्लावां, बिलग्राम तथा संडिला क्षेत्र पिछड़े हुए है। इन क्षेत्रों को विकसित करके मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मिसरिख संसदीय क्षेत्र अंतर्गत स्थित मिसरिख, मल्लावा, बिलग्राम, बिल्लौर तथा संडिला नगर पंचायतों/पालिका को जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन में चयनित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(चौदह) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री महाबली सिंह (काराकाट): बिहार की विषम भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग लम्बे समय से उठ रही है। उत्तरी बिहार के करीब 12 जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित रहते हैं तो मध्य एवं दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित रहते हैं। विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार सेवा का पहुंचाना कठिन है।

अत: बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये।

(पंद्रह) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक ई.एस. आई. अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): यह गौरव की बात है कि केन्द्र सरकार ने हजारों बहिष्कृत लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देवघर में बहुत से सुपर स्पेशलिटी ई.एस.आई. अस्पतालों तथा चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की है। ई.एस.आई. अस्पतालों द्वारा किया जा रहा उपचार किसी भी फाइव स्टार कॉर्पोरेट अस्पताल के समकक्ष तथा उससे बेहतर है।

मैं बताना चाहती हूं कि 2 लाख परिवार के सदस्यों में से लगभग 65,000 व्यक्ति ही अधिकृत हैं ये लोग मुख्यत: काम उद्योग और फिशनैट उत्पादन उद्योगों में कम वेतन वाली नौकरियों में लगे हुए है। काजू उद्योगों में लगी बहुत सी महिला कामगार अपने व्यवसाय के कारण ये कैंसर के रोग से पीड़ित हैं। समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के इन निर्धन कामगारों के लिए पर्याप्त ई.एस.आई. औषधालय अथवा अस्पताल नहीं हैं।

गुणवत्तपूर्ण उपचार के लिए बीमाकृत लोगों तथा उनके परिवार को सरकारी में निकटवर्ती अस्पताल जाने हेतु 250 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। तमिलनाडु के तिरूनावेली जिले में एक और ई.एस.आई. अस्पताल की स्थापना की जा रही है, जो कि कन्याकुमारी जिले से 120 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है।

टाई-अप अस्पताल बीमाकृत लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते और ये अस्पताल भुगतान लेकर निर्धन कामगारों का उपचार करते हैं, हालांकि यह नि:शुल्क उपचार है। अत: बीमाकृत लोगों तथा उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 200 बिस्तरों वाला ई.एस.आई. अस्पताल बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इस क्षेत्र के निर्धन और वंचित कामगारों के लिए कन्याकुमारी जिले में 200 बिस्तरों वाला ई.एस.आई. अस्पताल बनाने के बारे में विचार करें और उचित उपाय करें क्योंकि लोग काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।

(सोलह) केरल के पालक्काड में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई.आई.टी. की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड): केरल देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं है। यह नोट किया जाना चाहिए कि देश में केरल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य है। यहां तक कि शिक्षा में केरल की उपलब्धि विकसित देशों से तुलनीय है। केरल ढेर सारे योग्य व्यावसायी और मानव संसाधन दे रहा है जो आईआईटी की तरह उत्कृष्ट संस्थान है। इस सदन के अंदर भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में केरल को एक आईआईटी दी जाएगी। राज्य सरकार आईआईटी की स्थापना के लिए मुफ्त में पालक्काड में भूमि देने के लिए तैयार है। 2006 से राज्य सरकार इस कार्य के लिए भूमि देने के लिए तैयार है। कोयम्बटूर हवाई अड्डे से नजदीक होने के कारण और औद्योगिक केन्द्र के रूप में इसकी महत्ता बढ़ने के कारण पालक्काड को आई.आई.टी. की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से केरल में आई.आई.टी. की स्थापना करने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने का अनुरोध करता हूं और अगले वित्त वर्ष में ही इस परियोजना की शुरुआत करने के लिए तुरंत कदम उठाये जाने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) महाराष्ट्र में विशेष रूप से परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आज किसानों को खेती के लिए खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ के किसानों ने बार-बार खाद की आपूर्ति की मांग केन्द्र से की है लेकिन आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई और किसानों को खाद की आपूर्ति नहीं होने के कारण मराठवाड़ा सहित पूरे महाराष्ट्र के किसानों की हालत काफी खराब है। यदि उन्हें खाद की आपूर्ति नहीं की गयी तो उनकी फसलों को और नुकसान होगा तथा किसानों के नुकसान की भरपाई बाद में करना मुश्किल होगा।

अत: सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभणी के साथ-साथ समस्त मराठवाड़ा सहित पूरे महाराष्ट्र में किसानों की मांग के आधार पर खाद की आपूर्ति की जाय और किसानों की परेशानी को दूर किया जाय।

(अठारह) तिरुचिरापल्ली से बंगलुरु तक सीधी रेल शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार: मेरा संसदीय क्षेत्र, तिरुचिरापल्ली करूर, थंजावुर, तिरुवरुर, नागापट्टिनाम, पुडुकोट्टई, पेराम्बलूर और अरियालुर जिलों से घिरा हुआ है जहां से बड़ी संख्या में लोग रेलगाड़ी द्वारा

मुख्य शहरों को जाते हैं। वर्तमान में, तिरुचिरापल्ली होते हुए बेंगलुरु-मईलादुतुराई-बेंगलुरु जाने वाली केवल एक ही रेलगाड़ी है।

तिरुचिरापल्ली और थंजावुर जिले ऐतिहासिक मंदिरों के लिए और पुडुकोट्टई जिला प्राचीन ऐतिहासिक जगहों के लिए प्रसिद्ध हैं। तिरुचिरापल्ली काफी बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है।

आम जनता और व्यावसायी बार-बार व्यावसायिक और व्यक्तिगत कारणों से बेंगलुरु जाते हैं चूंकि मईलादुतुराई-बेंगलुरु-मईलादुतुराई जाने वाली रेलगाड़ियों में तिरुचिरापल्ली में पर्याप्त कोटा नहीं है, जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को बेंगलुरु जाने के लिए आरक्षण कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग तिरुचिरापल्ली से बेंगलुरु तक (दैनिक सेवा) सीधी रेलगाड़ी की मांग कर रहे हैं।, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की तरफ से, रेल मंत्रालय से लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग पर विचार करने का और यथाशीघ्र तिथि में तिरुचिरापल्ली से बेंगलुरु तक एक सीधी रेलगाड़ी शुरू किये जाने का अनुरोध करता हूं।

(उन्नीस) महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): महाराष्ट्र के 69 तहसीलों में इस साल औसत पचास प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है, और आगे भी बारिश होने की संभावना कम हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र का पूर्वोत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वोत्तर खानदेश, पश्चिमी मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ, ये हमेशा सूखाग्रस्त रहते हैं या बारिश बहुत ही कम होती है। सिंचाई के प्रकल्प (प्रोजेक्ट) ना के बराबर है। यहाँ पानी और घास (चारा) के बिना पालतू जानवर भूखे मर रहे हैं। यह संकट अगले मानसून तक यानि जून, 2013 तक रहने की आशंका है।

दूसरी ओर भूगर्भ के जल का स्तर 500 फीट से भी नीचे जा चुका है। इसलिए अधूरे सिंचाई प्रकल्प के साथ-साथ नदियों को जोड़ने के अधूरे प्रकल्प और रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग की योजनाओं को तुरंत कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में निधि आबंटित करते समय इस सूखाग्रस्त इलाकों के हितों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ हमेशा बारिश कम होती है और सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। इस प्रदेश के पुनर्विकास के लिए एक स्वतंत्र ''अकाल निगम'' (ड्रॉट कॉर्पोरेशन) बनाकर इस प्रदेश के पुनर्विकास के लिए इस निगम को केन्द्र सरकार द्वारा 'विशेष वित्तीय सहायता निधि' देने की नितांत आवश्यकता है।

अपराह्न 5.54 बजे

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रत्यायन विनियामक प्राधिकार विधेयक, 2010

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम मद सं-9 लेंगे। श्री कपिल सिब्बल।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं प्रस्ताव करता हूं: कि यह विधेयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अकादमिक गुणवत्ता इनमें आयोजित कार्यक्रमों और स्वतंत्र प्रत्यायन ऐजेंसियों के द्वारा अनिवार्य प्रत्यायन के जरिये उनकी अवसंरचना तथा उक्त प्रयोजनार्थ एक अनिवार्य प्रत्यायन के सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने और उससे जुड़े मामले या उस से संबंधित मामले का आकलन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदया: क्या आप बोलना चाहते हैं?

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, मैं बोलना चाहता हूं कि जैसा आपको ज्ञात है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती गुणवत्ता का अभाव है। हमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के बारे में कई बार ऐसी अप्रिय बातें सुनने को मिलती हैं कि देश के अनेक भागों में ऐसे संस्थान एक कमरे में चलाए जा रहे हैं, डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं और शिक्षा प्रदान करने के लिए उनमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदया: माननीय, सदस्यगण, सभा में शांति बनाएं रखें कृपया अनुशासन और व्यवस्था बनायें रखें।

श्री कपिल सिब्बल: इसलिए यह आवश्यक है कि गुणवत्ता के मुद्दे का समाधान किया जाए। कक्षा नौंवी और कक्षा दसवीं और उसके बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और फिर महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करवाया है।

जैसाकि आपको ज्ञात है कि विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में 18-24 आयु वर्ग में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों का सकल नामांकन अनुपात कम है। कुछ कहते हैं यह 15 प्रतिशत है; कुछ कहते हैं यह 17 प्रतिशत है। परन्तु यदि आप विकसित देशों के सकल नामांकन अनुपात से इसकी तुलना करें तो किसी भी विकसित देश में वह 40 प्रतिशत से कम नहीं है। जब तक कि पर्याप्त स्नातक उच्चतर शिक्षा ग्रहण नहीं करते, हमारी शिक्षा में अपेक्षित गुणवत्ता नहीं आएगी क्योंकि एक देश की संपदा, उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: सदन में बहुत शोर मच रहा है, कृपया शांति बनाए रखिए। आप लोग बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: मैं देख रहा हूं कि 2020 तक देश में सकल नामांकन अनुपात लगभग 15 से 17 प्रतिशत तक बढ़ेगा, अभी वह लगभग 30 प्रतिशत है। आने वाले समय में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। वर्तमान में, उस आयु समूह में 15 से 17 मिलियन बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके लिए लगभग 600 विश्वविद्यालय तथा लगभग 35,000 महाविद्यालय (कॉलेज) हैं। यदि हम सकल नामांकन अनुपात को 15 अथवा 17 प्रतिशत बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर देते हैं तो हमें 800 से लेकर एक हजार और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता पड़ेगी। युवाओं की मांगों को पूरा करने के लिए हमें ऐसे संस्थानों के फैलाव के साथ हमें केवल संस्थान बनाने की ही आवश्यकता नहीं होगी बल्कि हमें गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की जरूरत होगी ताकि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए हमें स्थापित प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन नियामक प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक संस्थान को आकलन तथा प्रत्यायन की एक अनिवार्य प्रक्रिया से गुजरना होगा।

अपराह्न 5.59 बजे

[**डॉ. एम तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

जब तक हम इसे अनिवार्य रूपरेखा में शामिल नहीं करते, देशभर में संस्थानों की संख्या बढ़ती जाएगी तथा जिस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे युवा चाहते हैं उन्हें नहीं मिल पाएगी। इस विधेयक का यही उद्देश्य है। साथ ही साथ हम यह भी निश्चित करना चाहते हैं कि पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाएं और प्रत्यायन के प्रयोजनार्थ प्रक्रिया नियम आधारित हो ताकि विवेकाधीन निर्णय का दायरा समाप्त हो जाए। आपको पता ही होगा कि हमारे संस्थानों के सामने आज एक बड़ी चुनौती यह है कि इंस्पेक्टर दिल्ली से आते हैं। उनका संबंध ए आई सीटीईए हो सकता है, उनका संबंध एक सीटीई जैसे किसी अन्य सांविधिक नियामक प्राधिकरण से हो सकता है तथा उन्हीं संस्थानों द्वारा मानकों के बारे में निर्णय लिया जाता है, जो नियामक प्राधिकारी होते हैं। आजकल भवनों का निरीक्षण करने वालों पर काफी आरोप लगाए जाते हैं। हमें इसके बारे में आश्वस्त होना चाहिए।

सभापति महोदय: क्या आप अपनी बात कल भी जारी रखेंगे अथवा इसे अभी समाप्त करेंगे?

श्री कपिल सिब्बल: मैं अपनी बात कल भी जारी रखूंगा।

सभापति महोदय: अब सभा की कार्यवाही को 'शून्य काल' के समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

सायं 6.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब 'शून्य काल' शुरू करेगी।

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): महोदय, मैं विदेशी मत्स्ययानों द्वारा भारत की समुद्री सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने से संबंधित महत्वपूर्ण मसला उठाना चाहता हूं जिससे देश को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। यह सूचना मिली है कि अधिकांश विदेशी मत्स्ययान जो भारतीय तटों से भारी मात्रा में मछलियां ले जाते हैं मछली पकड़ने के अवैध रूप से प्राप्त परमिट रखते हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में समुद्र में मछली पकड़ने पर नियंत्रण करने के लिये कोई उचित कानून नहीं है अत: यह उन अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्य नौकियों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र हैं जो हमारे अपार मत्स्य संसाधन को लूटने का इरादा रखते हैं इससे देश की आय और मत्स्य संसाधन का भारी घाटा हुआ।

वर्तमान में उन विदेशी मत्स्ययानों को भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस दिया जाता है जो ट्यूना लौंग लाइन नेट मिड वाटर प्लास्टिक नेट हुक एंड लाइन नेट आदि नेटों का प्रयोग करते है। फिर भी, विदेशी यान अवैध रूप से लोंग हुक और लाइनर नेट का प्रयोग करते हैं जो मत्स्य संसाधन के लिए नुकसानदायक है तथा इससे कुछ समुद्री जीवों और पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। फिलहाल हमारी समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के लिए ऐसे प्रतिबंधित नेटों के अवैध प्रयोग के निरीक्षण और नियंत्रण की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

विदेशी मत्स्ययान जिन्होंने भारतीय तट से 200 नौटिकल मीटर के दायरे में मछली पकड़ने का परमिट लिया है वे परमिट प्राप्त करने की तारीख से प्रति वर्ष विदेशी यानों में नियुक्त किये जाने वाले भारतीय कार्मिक के न्यूनतम प्रतिशत के संबंध में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जो परमिट जारी करने से पहले से चौथे वर्ष तक क्रमश: 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत है।

इसके अलावा विदेशी यान जितनी मछली पकड़ते हैं उनके मूल्य के अनुपात में कर चुकाये बिना मछलियां अवैध रूप से बाह्य समुद्र में खड़े अन्य यानों के माध्यम से ले जाते हैं।

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इन बिन्दुओं पर विचार करते हुए विदेशी मत्स्य यानों को मछली पकड़ने के परमिट जारी करने से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार त्वरित कदम उठाये।

श्री पी. लिंगम (तेनकासी): सभापति महोदय, मैं उन लाखों हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा इस सम्मानित सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं जो अपने परंपरागत व्यवसाय में लगे हैं। इन पारम्परिक हथकरघा बुनकरों की रोजाना की आमदनी न होने पर उनके पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है। वैश्वीकरण के कारण हम हथकरघा बुनकरों की स्थिति और खराब हुई है। 1970 में हथकरघा बुनकरों को लाभ देने के लिए उन्हें सहकारी सोसायटियों के तहत लाया गया था ताकि प्रत्येक जुलाहे की आय से बचत करने में मदद की जा सके तथा उन्हें भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार से प्रोत्साहन के रूप में समतुल्य अंशदान भी मिले।

इस प्रकार, 1975 में पूरे देश में हथकरघा बुनकारों के लिए बचत और सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई जिसमें बचत के साथ-साथ बुनकरों को केन्द्र और राज्य सरकार से अंशदान भी दिया जा रहा था ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जा सके। इसका आशय गरीब हथकरघा जुलाहों का सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान करने में मदद करना है। सहकारी सोसायटियों से उनकी दैनिक मजदूरी के आठ प्रतिशत को प्रत्येक जुलाहे की बचत के रूप में निर्धारित किया गया। उनकी दैनिक मजदूरी के चार प्रतिशत के बराबर राशि का केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अंशदान दिया जाता है। व्यय कम करने के नाम पर केन्द्र ने 2007 से चार प्रतिशत का अंशदान देना बंद कर दिया है। तमिलनाडु में ही यह राशि लगभग पांच करोड़ प्रतिवर्ष आती है। मैं बताना चाहती हूं कि इस बचत और सुरक्षा योजना में केन्द्र द्वारा अंशदान न दिये जाने के कारण तमिलनाडु के बुनकरों की दशा बद से बदतर हो गयी है। पिछला बजट पेश करते समय तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वह हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने राजकोष से केन्द्र सरकार के अंश के बराबर की राशि देगी। मुझे नहीं पता कि केन्द्र सरकार गरीब जुलाहों की उपेक्षा क्यों कर रही है। इससे केन्द्र सरकार के सौतेले दृष्टिकोण का पता चलता है जबकि वे बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियों को भारी धन राशि दे रही है। इससे सरकार के मजदूर विरोधी दृष्टिकोण का पता चलता है।

केन्द्र सरकार के अंशदान न देने के कारण विगत पांच वर्षों में जुलाहे तबाह हो गये हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सहकारी सोसायटियों में 76000 से अधिक जुलाहे लाभन्वित होंगे तथा यह भी कि पांच करोड़ की यह राशि ढाई लाख करोड़ के वार्षिक बजट की तुलना में बहुत कम है, केन्द्र सरकार को ब्याज सहित बकाया राशि तुरंत जारी करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से शून्य काल के दौरान एक बहुत लोक महत्व का मुद्दा उठाना चाहता हूं आपने मुझे परमीशन दी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के छात्रों और नागरिकों को पिछड़ी जाति होने का प्रमाण पत्र जारी करने के प्रावधान भारत सरकार के निर्देशानुसार जारी किए गए हैं। लोकल स्तर पर जो तहसीलदार, एसडीएम होते हैं, कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र जारी करते हैं कि ये पिछड़ी जाति के हैं। लेकिन उसमें ये एक शर्त लगा देते हैं कि वह जो प्रमात्र पत्र है, उसका हर छ: माह में नवीनीकरण कराना पड़ेगा या नये सिरे से उसे जारी कराना पड़ेगा। इस शर्त के कारण कुछ विशेषकर अध्ययन करने वाले छात्रों को बड़ी समस्या पैदा होती है। यदि किसी छात्र का मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आई.आई.टी. में प्रवेश हो गया, लेकिन सर्टिफिकेट समय पर नहीं मिलता है तो छात्र प्रवेश से वंचित हो जाता है और छात्र मानसिक पीड़ा के साथ जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। पिछड़ी जाति का आदमी अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वह अपनी खेती के लिए किसी वाणिज्यिक बैंक से ऋण लेना चाहता है और ऋण की पत्रावली के समय पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगाया जाता है, लेकिन ऋण स्वीकृत होते समय अगर छ: माह लग जाए तो वह प्रमाण पत्र पुन: बनाने के लिए बैंक अधिकारी कहते हैं, क्योंकि ऋण सैंक्शन हो जाता है और प्राधिकृत अधिकारी पुन: प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं व्यक्ति को ऋण नहीं मिलता है। ऐसा ही कई बार किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हो जाता है, लेकिन प्रमाण पत्र पुराना होने के कारण उसकी फीस में वह छूट नहीं मिलती, जिसका वह हकदार होता है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह कहना है कि पिछड़ी जाति का आदमी तो पिछड़ा ही होता है, उसके सर्टिफिकेट की हर छ: माह में नवीनीकरण की क्यों शर्त लगा रखी है, ये शर्त हटाई जानी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है। मुझे लगता है कि इसमें और सदस्य भी सहमति प्रकट करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, उठाये गये मामले से स्वयं पी.एस. पूनिया और श्री देवजी एम. पटेल को संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी। वर्ष 2011 में 14 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की।

[अनुवाद]

वर्ष 2011 में 14000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की।

[हिन्दी]

अभी इस 2012 के वर्ष में जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये संख्या शायद और बढ़ जाएगी। खाद के दाम बेहिसाब बढ़ गए हैं, बीजों, पेस्टीसाइड्स, बिजली और सिंचाई के दाम बढ़ हुए हैं। इसलिए किसान के सामने भारी विपत्ति एवं कठिनाई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्पूर्ण नीति के बारे में गहराई से विचार करने की जरूरत है। इसका एक परिणाम यह हो रहा है कि किसान खेती से अलग होता जा रहा है। और बहुत से किसानों ने खेती छोड़ कर दूसरी तरफ आने का प्रयास किया है। इसके अनेक सामाजिक परिणाम होंगे, सोशल कांसीक्वेंसिस बहुत भारी होंगे। ये लोग खेती छोड़ कर शहरों की तरफ आएंगे और शहरी नौकरियों के ऊपर दबाव पड़ेगा। इसलिए इस प्रश्न पर, क्योंकि खाद के दाम जिस हिसाब से बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली और सिंचाई के दाम किसान के लिए जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, वे बहुत अन्यायपूर्ण हैं। वे खेती और देश के लिए बहुत घातक हैं और इस बार क्योंकि सूखा पड़ा है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में किसान के ऊपर पहले से ही विपत्ति है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में किसानों की आत्महत्या को रोकने के बारे में और उनकी खेती लाभकारी बनाई जाए, वह उसे छोड़ कर न जाए, इसके बारे में सरकार की क्या नीति है? खाद का दाम कम करने के बारे में सरकार का क्या विचार है? किसान जगह-जगह पर आंदोलन कर रहा है, इसलिए खाद का दाम घटना चाहिए। जितने भी इन्पुट्स हैं, किसान के लिए जितने भी आवश्यक इन्पुट्स हैं, उन सब के दामों में कमी होनी चाहिए। इस तरह से खेती को लाभकारी बनाया जाना चाहिए। कभी-कभी हम सुनते हैं कि किसानों की सब्सिडी समाप्त की जायेगी, यह और भी खतरनाक होगा। इसलिए एक पूरी विस्तृत, कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है, जिसमें किसान खेती को और अधिक मनोयोग से कर सकें, खेती लाभकारी बनाई जा सके और देश के उत्पादन में उसका योगदान हो।

एक और कठिनाई इस समय कपास के क्षेत्र में, कॉटन के मामले में आ रही है और जो स्थिति है, वह पिछले साल की तुलना में ज्यादा खतरनाक पैदा हो रही है। कॉटन पिछले साल से इस साल कम हो रही है। कॉटन के बारे में, कपास के बारे में सरकार ने जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की नीति रखी है, उससे भी किसान प्रभावित हो रहा है। यह बी.टी. कॉटन और उससे संबंधित जो सरकार की नीति थी, उसका भी किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत से किसानों की आत्महत्या इस कॉटन के क्षेत्र में हुई है, इसलिए इस कपास की नीति के बारे में भी सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए, क्योंकि, वह केवल किसान से ही संबंधित नहीं है, उसका परिणाम टैक्सटाइल पर भी पड़ता है, उसका परिणाम हमारी गारमेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ता है तो यह इस समय एक गंभीर समस्या है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार की नीति क्या है और इसको कितना शीघ्र वह सुधार कर किसानों को राहत पहुंचाएगी?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पी.एल. पुनिया, श्री गणेश सिंह और श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा स्वयं को डॉ. मुरली मनोहर जोशी द्वारा उठाए गए मामले के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, आज इस सम्मानित सदन का पहला दिन है और इस सदन में एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक-महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अभी माननीय मुरली मनोहर जोशी जी खेती के बारे में कह रहे थे कि खेती को लाभप्रद बनाना होगा, तभी किसानों को आत्महत्या से बचाया जा सकता है या किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह बात तो कदाचित बिल्कुल सही है, लेकिन व्यावहारिक जो है, वह यह है कि आज भी किसान प्रकृति पर निर्भर है। आज भी किसान 60 से 70 प्रतिशत, चाहे सिंचाई हो, आज भी वह केवल नेचर या बारिश पर ही निर्भर है, लेकिन इस समय यह विडम्बना है कि इस मानसून सैशन में पिछले महीने तक 23 परसेंट जो सामान्य मानसून होना चाहिए, उससे कम बारिश हुई है, जिसके कारण महाराष्ट्र, गुजरात या बहुत से राज्यों में सूखे की स्थिति हो गई। विडम्बना देखिये कि देश के काफी बड़े हिस्से में एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ देश के दूसरे बड़े हिस्से में बाढ़ की विभीषिका आ गई है। आज उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखण्ड हो, मध्य प्रदेश हो, वहां जन-धन का नुकसान हो रहा है।

उत्तराखण्ड में बादल फटने से 28 लोगों की मौत हो गई और सैंकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। भागीरथी से, नेपाल से जिसे तरह से जल का प्रवाह हुआ है, हम सब ने देखा कि किस तरह से वहां पर बहुत नुकसान हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में घाघरा में खतरे के निशान से एक-डेढ़ मीटर पानी ऊपर बह रहा है। आज बाराबंकी के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और वहां जो कार्य है, लोग जिस तरीके से बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनकी विभीषिका की भी वह परिस्थिति नहीं बन पाई। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जहां नेपाल का पानी आता है, जब नेपाल में बारिश होती है या नेपाल की जो बाणगंगा नदी है, करनाली है, जलकुंडी है, इन नदियों में जब पानी छोड़ा जाता है तो चाहे सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, बलरामपुर हो, ये जलमग्न हो जाते हैं।

पिछले दिनों जो बुद्धिस्ट सर्किट का मार्ग है, जो गोरखपुर से बलरामपुर होते हुए श्रावस्ती होते हुए बहराइच तक जाता है, एक-डेढ़ मीटर पानी उस सड़क पर बह रहा था और उससे सिद्धार्थनगर के सैंकड़ों गांव जलमग्न हो गये, जिसके कारण गणेशपुर के पास, सिसवा के पास और पूरे जो गांव हैं, फलौरा, गुल्हौरा, करचुलिया, बसहिया, मैं इन गांवों की तरफ सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जलमग्न होने के कारण वे गांव प्रभावित हैं, लोग सुरक्षित स्थान पर भी नहीं आ सके हैं।

आज चाहे मध्य प्रदेश हो, असम हो या भागीरथी नदी हो, आज सेना भी वहां काम कर रही है तो आज बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण चाहे उत्तर प्रदेश की सरयू नदी हो, चाहे घाघरा हो, आज ये सब नदियां खतरे के निशान से एक मीटर, कोई डेढ़ मीटर ऊपर बह रही हैं, जिससे लाखों जनसंख्या प्रभावित हुई है। इससे एक तरफ फसल का भी नुकसान हो रहा है, चूंकि किसान अपनी मेहनत से, परिश्रम से और अपनी कमाई से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम): आन्ध्र प्रदेश में भी यही स्थिति है।

श्री जगदम्बिका पाल: मेरी बहन बता रही हैं कि आन्ध्र प्रदेश भी प्रभावित हुआ है।

सभापति महोदय: आप केवल यह बताइए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: हम यह चाहते है कि निश्चित तौर पर राहत कार्य शुरू किए जाएं। मैं चाहता हूं कि कुछ सैंट्रल फाइनेंस की भी मदद हो। जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति हो या रिहेबिलिटेशन का काम हो। उनके घर उजड़ गए हैं, क्योंकि वहां कटान हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज घाघरा में, सरयू में, बूढ़ी राप्ती जो सिद्धार्थ नगर में है, उन नदियों में बूढ़ी राप्ती के कई जगहों पर जैसे गणमौर में है, लोटन में है, डागापुर में है, आदि गांवों में जिस तरह से कटान हो रही है, उससे आधे-आधे गांव नदी में विलीन हो गए हैं। अब स्वाभाविक है कि उनके पास आज न रहने की जगह है, अनाज की बात तो अलग है, आज उनके घर भी नदी की उस धारा में विलीन हो चुके हैं। उनके समक्ष बहुत बड़ी समस्या है। यह जीडी पी को भी प्रभावित करेगा। कम से कम जो आज अनुमान है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार इस बार सूखे और बाढ़ की स्थिति के कारण 2.8 परसेंट तक इसको प्रभावित करेगा और कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करेगा। यह सबकी चिंता है।

आज उत्तर प्रदेश में मेरे तमाम साथी हैं जो इस बार सदन के सदस्य हैं, वे सब इस पर सहमति व्यक्त करेंगे कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, जिनके बारे में महत्वपूर्ण ढंग से मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर की आधी से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है, जिसमें राप्ती है, बूढ़ी राप्ती है और हमारी दूसरी नदियां हैं। आखिरी बात कहकर मैं कंक्ल्यूड करूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप क्य चाहते हैं? आप पिछले पांच मिनट से बोल रहे हैं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: श्री पी.एल. पुनिया और श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी स्वयं को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति जी, पूरे देश की गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूरे देश में बाढ़ और सूखे से किसान परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दूसरे प्रांतों में हुयी भारी वर्षा से बाढ़ आयी। इसी तरह से सूखे से प्रांत के कई जनपद प्रभावित हैं। इस पर उत्तर प्रदेश में हमारी विद्युत उतपादन की जो परियोजनायें हैं, जहां कायेले की कमी के चलते उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जो कायेला आबंटन उनको होना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए, जो निश्चित मात्रा में उनको आबंटन होना चाहिए उसके अनुसार भारत सरकार कोयला उपलब्ध नहीं कर पा रही है, जिससे बिजली का उत्पादन भी घट रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सूखा पड़ा है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली और बनारस के आसपास के जो जिले हैं, उनको बिजली भी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो तापीय परियोजनायें हैं उनको जो केंद्रीय आबंटन का कोयला है, उनके कोटे का कोयला उनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन भी कम हो रहा है।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का उत्तर प्रदेश के लिए कोयले का केंद्रीय कोटा निर्धारित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खेती होती है, पूरा प्रदेश खेती पर निर्भर है, एक तरफ बाढ़ और सूखा है और दूसरी तरफ बिजली की भारी किल्लत है। उससे किसानों की सिंचाई के लिए जो टयूबवेल हैं, जो लिफ्ट कैनाल हैं, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार भी उनको अलग से विशेष बिजली देने का प्रावधान नहीं कर पा रही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश को केंद्र के कोटे से विशेष रूप से अतिरिक्त बिजली देने का काम करें। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश को बिजली दी जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो केंद्र सरकार की ओर से जो आबंटित कोयले का कोटा है, वह पूरी मात्रा में, निर्धारित मात्रा में उत्तर प्रदेश की तापीय परियोजनाओं को नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ जो केंद्रीय बिजली उसको मिलनी चाहिए, वह भी उसे नहीं मिल रही है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त बिजली दी जाए, ताकि किसानों को सिंचाई के संसाधनों के लिए बिजली उपलब्ध करायी जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री पी.एल. पुनिया स्वयं को श्री रामकिशुन द्वारा उठाए गए मामले के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर): मैं पिछले माह बिहार में प्रीतम भट्टाचार्यजी की हत्या से संबंधित मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रीतम असम का रहने वाला एक छात्र था।

स्वर्गीय श्री प्रीतम भट्टाचार्यजी ने 8 जुलाई, 2012 को अवध एक्सप्रेस से गुवाहाटी से दिल्ली के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। 9 जुलाई, 2012 को यह ट्रेन नौगचिया स्टेशन पहुंची जो बिहार के भागलपुर जिले में हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने उसका बैग छीन लिया जिसमें उसके दस्तावेज और लैपटॉप आदि जैसे कीमती सामान था। स्वर्गीय प्रीतम ने उनका पीछा किया लेकिन वी उन्हें पकड़ नहीं पाया और इसके बाद उसने नौगचिया स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई।

तथापि, प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच स्टेशन से ट्रेन छूट गई और वह स्टेशन पर खड़ा रह गया। उसके बाद वह गायब हो गया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसे ढूंढने के यथासंभव सभी प्रयास किए गए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली 15 जुलाई, 2012 को भागलपुर के निकट रेलवे लाइन के किनारे उसकी लाश पायी गई। प्रीतम एम.एस.सी. उत्तीर्ण था और वह एक होनहार छात्र था जो वैज्ञानिक बनकर अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता था। नौगचिया में ऐसा जघन्य अपराध पहली बार नहीं हुआ है।

सभापति महोदय: यह व्यक्ति विशेष से संबंधित मामला है। आप पुलिस में केस दर्ज कर सकते हैं।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हर समय होती रहती हैं। इन असामाजिक तत्वों की वजह से यात्री असुरक्षित महसूस करते हैं। सभी को यह लगता है कि राष्ट्र हित में एक होनहार और समर्पित युवक की ऐसी हत्या की उचित ढंग से जांच की जानी चाहिए। और ऐसी अराजकता की जांच की जानी चाहिए।

यह वारदात 9 जुलाई से 14 जुलाई, 2012 के बीच हुई है। अपहरण की इस वारदात ने मुझे यह विश्वास करने पर मजबूर कर दिया है कि पुलिस के कुछ लोग अपराधियों से मिले हुए हैं। यहां तक कि अपराधी राजनेताओं के बीच सांठ7गांठ को भी नहीं नकारा जा सकता है। राज्य पुलिस की भूमिका निराशाजनक है। औश्र यह अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनके पास ऐसी रहस्यमय मौतों का खुलासा करने और वास्तविक अपराधियों को पकड़ने के लिए आवश्यक पेशेवर कुशलता भी नहीं है। इसलिए यदि यह मामला राज्य पुलिस के हाथ में रहता है तो प्रीतम को न्याय मिल पाने की आशा बहुत कम है।

इसलिए मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि इस गंभीर मामले को जांच के लिए सी.बी.आई. को सौंपा जाए। वह कोई ठोस परिणाम निकाल सकती है और इस प्रकार दोषियों को पकड़कर कानून के अनुसार दंड दिया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि ऐसे जघन्य अपराधों में सुनवाई और जांच अवश्य होनी चाहिए और दोषियों को मिलना चाहिए।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी): महोदय, मैं एयर इंडिया द्वारा केरल और खाड़ी देशों के बीच विभाग सेवाओं के किराए में अत्यधिक वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एयर इंडिया ने केरल और खाड़ी देशों के बीच टिकट दरें और अत्यधिक बढ़ा दी है। हम सभी जानते हैं कि 1.5 मिलियन केरल निवासी खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं और इनमें से 80 प्रतिशत कर्मचारी निम्न वेतन वर्ग में काम कर रहे हैं। यही वह अवसर है जब वे अपने देश आते हैं क्योंकि अभी रमजान है और ओणम भी आ रहा है। यही वह समय है जब वे अपने परिवारों के साथ इन त्यौहारों को मनाने के लिए अपने देश आते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि मलयाली लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ रही है। क्योंकि वे टिकट का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया गरीब यात्रियों के साथ ज्यादती कर रही है कि एयर इंडिया केरल के गरीब यात्रियों से अत्यधिक किराया ले रही है। इसमें हमें हस्तक्षेप करना होगा। मैं नागर विमानन मंत्रालय और सरकार का भरपूर सम्मान करता हूं क्योंकि वे एयर इंडिया को बचाने के लिए भारी धनराशि दे रहे हैं। लेकिन यह एक अंधे कुंए के समन है और यह कोई नहीं जानता कि यह पैसा कहां जा रहा है। वे हर प्रकार से मलयालियों का शोषण कर रहे हैं।

आज सुबह मैंने एअर इंडिया की टिकट दरों का पता लगाया। केरल से खाड़ी देशों के लिए यह औसतन 14000 रु. की थीं अन्य टिकट दरें इस प्रकार हैं: कालीकट-रियाद-21,300 रु. रियाद-कालीकट-23,562 रु.; कालीकट-दुबई- 38,953 रु. अबधाबी-कालीकट- 34, 727 रु. और कालीकट- धमाम-30727 रु.। यह किराया है। इरस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। हमें एक राष्ट्रीय कंपनी विदेशों में काम कर रहे अपने भारतीय लोगों का शोषण करने की अनुमति नहीं दे सकते। भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। हज फ्लाइट की स्थिति भी ऐसी ही है। इस बार इस फ्लाइट का किराया एअर इंडिया के इतिहास का अब तक सबसे अधिक किराया है। महोदय अभी जो किराया वसूला जा रहा है उसे जारी रखने की अनुमति नहीं की जानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और एअर इंडिया के किराए को कम किया जाए।

सभापति महोदयः श्री एस.एस. रामासुब्बू स्वयं को श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर द्वारा उठाए गए मामले के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश के साथ-साथ उत्तर भारत के सभी राज्यों में जहां आटा मिलें हैं, वे बंद होने के कगार पर आ गई हैं, उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड वे राज्य हैं जहां सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है और इन्हीं राज्यों में सर्वाधिक फ्लोर मिलें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने बैंक से लोन लेकर इन्हें लगाया है। अभी भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने एक निर्णय लेने का काम शुरू किया है कि हम अब पूरे देश के सभी राज्यों को 1170 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेचेंगे। जो गेहूं के उत्पादक राज्य हैं, जहां सर्वाधिक फ्लोर मिलें लगी हुई हैं उन्हे पहले रियायत दर पर गेहूं मिलता था और वे उससे आटा बनाकर मार्किट को देते थे। जब फ्लैट रेट हो जाएगा तो यह उन राज्यों के लिए ठीक है जहां गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन जो राज्य गेहूं के उत्पादन का काम कर रहे हैं, अगर उन छोटे उद्योगों को रियायती दर पर गेहूं उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो उनका भारी नुकसान होगा।

मुझे मध्य प्रदेश की फ्लोर मिल की एक एसोसिएशन मिली थी। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो हमने जो करोड़ों रुपये कर्ज लेकर इस उद्योग में लगाए हैं, वह बंद हो जाएगा। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और रियायती दर पर ऐसी फ्लोर मिलों को गेहूं उपलब्ध करवाने का काम करे।

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदय, बारिश की कमी की वजह से भारत के कई प्रदेशों में सूखे की परिस्थिति बनी हुई है। केन्द्र सरकार ने कई प्रदेशों को राहत देने की योजना बनाई है और कई को राहत पहुंचाई भी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष तौर से पंजाब की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि भारत की खाद्यान आपूर्ति में पंजाब की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। पंजाब में किसान की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है, बारिश बहुत कम हुई है। इसकी वजह से डीजल के पम्प सैट को इस्तेमाल करके वहां खेती-बाड़ी का काम चल रहा है। इसकी वजह से जिसे हम झोने की फसल कहते है, उसके ऊपर किसान का खर्च बहुत ज्यादा हुआ है। अगले कुछ दिनों में केन्द्र सरकार की तरफ से, हमें जो जानकारी मिली है, शायद कृषि मंत्री भी पंजाब जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्ष 2009 में जब सूखे की परिस्थिति बनी थी, तब पंजाब सरकार को 800 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिए थे। वे 800

करोड़ रुपये पंजाब सरकार को पहुंच गए लेकिन आगे किसानों में नहीं बंटे। इसकी वजह से वहां बहुत एजिटेशन हुआ और उसके बाद 50-50, 100-100 रुपये के चैक किसानों को बांटे गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पंजाब के मुतल्लक जो भी फैसला करे, मैं मांग करता हूं कि पंजाब के किसानों को राहत देनी चाहिए। राज्य सरकार ने 2800 करोड़ रुपये की मांग की है। अगर 2800 करोड़ रुपये से ज्यादा भी देना बनता है तो वह भी दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह जरूर निश्चित करना चाहिए कि जो पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को जाता है, खासकर किसानों को मुआवजा देने कि लिए, वह पैसा किसानों तक पहुंचे और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि इस बार जब मुआवजा बांटा जाए तो वह एफसीआई के माध्यम से बांटा जाए जिससे वह पैसा जो केन्द्र सरकार से जा रहा है, उन किसानों के पास पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है।

सभापति महोदयः श्री पी.एल. पुनिया अपने आपको श्री मनीष तिवारी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान गुजरात हाई कोर्ट में गुजराती भाषा के प्रयोग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गुजराती भाषा के प्रयोग के प्रस्ताव को गुजरात कैबिनेट द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 को सर्वसम्मति से पारित कर माननीय राज्यपाल महादेय की संस्तुति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। माननीय राज्यपाल महादेय ने दिनांक 9 मई, 2011 को उपरोक्त प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की संस्तुति के पूर्व भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया है।

महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों द्वारा अपने-अपने राज्यों की उच्च न्यायालयों में हिन्दी के अधिकारिक प्रयोग हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार यदि गुजराती भाषा को गुजरात उच्च न्यायालय में अधिकारिक प्रयोग हेतु आवश्यक संस्तुति प्राप्त हो जाती, तो इससे गुजरात के उच्च न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में अधिक से अधिक लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ सकेगी, क्योंकि इससे गुजराती भाषा को आम बोलचाल के तौर पर प्रयोग में लाने वाले लाखों लोगों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी की समझ हो सकेगी तथा वह अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु अपनी राजकीय, स्थानीय भाषा में अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग में न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।

महोदय, दिनांक 3.5.2012 को गुजरात के सभी सांसदों ने माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में गुजरात के माननीय गृह मंत्री जी ने यह चर्चा भी की थी कि गुजराती मातृभाषा को एक राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाये और सभी कार्यों में गुजरात उच्च न्यायालय के माध्यम से कानूनी कार्यवाही तथा पत्र व्यवहार एवं न्याय संबंधी सभी कार्य गुजराती भाषा में हो, ऐसा निवदेन किया था।

महोदय, गुजरात सरकार ने 23.3.2011 को उच्च न्यायालय में गुजराती भाषा का प्रयोग करने के लिए गुजरात विधान सभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया और भारतीय संविधान के 348वें अनुच्छेद के अंतर्गत सभी पत्र व्यवहार गुजराती में किये जायेंगे। गुजरात के महामहिम राज्यपाल के सचिवालय द्वारा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः जो कुछ भी है उसे पढ़ना आपके लिए आवश्यक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नारनभाई कछाड़ियाः दिनांक 13.5.2011 को यह प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयः उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। वहां पारित हुए संकल्प को यहां पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यंत विकट समस्या की तरफ उठाना चाहता हूं। अमेरिका में वाशिंगटन स्थित एक जूता बनाने वाली कम्पनी ने पिछले माह अपना उत्पाद जूता बाजार में उतारा, जिस पर बौद्ध धर्म का चित्रण है। विश्व भर में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके लिए यह घोर अपमान का विषय है। भारत में बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव 2600 साल पहले हुआ था। इसी स्थान से जिस धर्म का प्रार्दुभाव हुआ, उसे अमेरिका की एक जूता बनाने वाली कम्पनी, उस बौद्ध भगवान को जिसके करोड़ों अनुयायी आज विश्व भर में फैले हुए हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं पर जो आघात पहुंचा रही है, यह अत्यंत विचारणीय विषय है। इससे बौद्ध धर्म के हितों की रक्षा होनी चाहिए। विश्वभर के बौद्ध धर्मावलंबियों का केन्द्र बिन्दु यहीं पर है। बौद्ध का जन्म स्थान, बौद्ध का निर्वाण स्थल, जहां पर बौद्ध भगवान ने दीक्षा दी, जहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वह सब भारत में स्थित है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह अमरीका से इस संबंध में अपना विरोध प्रकट करते हुए यह भी सुनिश्चित करे कि भविष्य में कभी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमारा देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहां पर जो धर्म है और उनके जो भगवान हैं, उन्हें लोग मानते हैं। उनकी पुरावृत्ति फिर कहीं न हो, यही मेरा आपसे कहना है।

सभापति महोदय: श्री पी.एल. पुनिया अपने आपको श्री हर्ष वर्धन द्वारा उठाये गये विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पुरुलिया, पश्चिम बंगाल के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दों को डठने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको ध्यन्यवाद देता हूं। मैंने एक महत्वपूर्ण विषय इस सम्मानित सभा में कई बार उठाया है। यह महत्वपूर्ण विषय कोटशिला से पुरुलिया तक रेलगाड़ीर की दोहरी लाईन के बारे में है।

महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के जिले से झारखंड राज्य की राजधानी रांची के बीच 122 कि.मी. की दूरी है। रेलवे जंक्शन से पुरुलिया तक शेष 34 लाईन आज तक दोहरीकरण नहीं हुआ है। उस क्षेत्र को 'जंगल महल' के नाम से जाना जाता है। वह माओवादी गतिविधियों से प्रभावित था। उस क्षेत्र के विद्यार्थी शिक्षा के लिए रांची जाते हैं। अगर इस लाईन को दोहरी लाईन में परिवर्तित किया जाता है, तो विद्यार्थियों, मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रांची, बोकारो, दुर्गापुर और जमशेदपुर जाने में आसानी होगी।

महोदय, मैं इस सदन माननीय रेलवे मंत्री महोदय के ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट किया था परंतु आज तक यह कार्य नहीं किया गया है।

महोदय, आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है। मेरे संसदीय क्षेत्र का यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कोटशिला से पुरुलिया तक की मात्र 34 किमी लाईन के दोहरीकरण किये जाने का अनुरोध करता हूं। यह इस देश के लोगों, विद्यार्थियों, युवकों किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लाभकारी होगा।

[हिन्दी]

प्रो. रामशंकर (आगरा): सभापति महादेय, मेरे आगरा लोक सभा क्षेत्र में एक जलेसर तहसील है, जहां पर यातायात के साधन तो हैं, लेकिन वहां जो एक ट्रेन चलाई जा रही है, वह केवल टुंडला से जलेसर होकर एटा तक जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेलमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो ट्रेन टुंडला से एटा तक चलाई जा रही है, मैं इसके बारे में कई बार पत्र लिखा चुका हूं, उसे आगरा से टुंडला और टुंडला से जलेसर होकर एटा तक चलाया जाए, क्योंकि जलेसर में बर्ड सैंक्चुअरी-पटना पक्षी विहार है, जहां पर दुनियाभर के पक्षी आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स वहां जाते हैं। दुर्भाग्य से वहां कोई बस नहीं जाती है और केवल एक पैसेंजर ट्रेन जाती है, वह टुंडला से जाती है जिसके कारण आगरा से जाने वाले पर्यटक वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। जलेसर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वहां पर घण्टे, घण्टियां और घुंघरू बनते हैं, जिसके कारण देशभर के व्यापारी वहां जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से रेलमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आगरा से दो पैसेंजर ट्रेन आगरा से टुंडला और टुंडला से जलेसर तक चलाई जाएं जिससे वहां टूरिस्ट्स की संख्या बढ़ सके, वे पटना पक्षी विहार देख सकें और व्यापारी वहां पर आराम से आ-जा सकें जिससे सरकार को राजस्व का लाभ हो। यही मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापति महोदय, आज मेरे साथियों ने भी सूखे और बाढ़ पर चिंता जताई, मैं भी उसी विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूरे भारत में यह समस्या है और राजस्थान में सबसे भारी समस्या सूखे की है। मेरे दोनों जिले-जालौर और सिरोही, जिनको मैंने पिछली बार भी बताया था कि डार्क जोन घोषित कर दिया है। आज हम सूखे की ऐसी मार झेल रहे हैं कि वहां बारिश नहीं हुई है। पिछली बार जब रबी की फसल हुई थी, हमें अधिकारियों ने धोखा दिया था, हमें राज्य सरकार की तरफ से भी धोखा मिला था क्योंकि रबी की फसल

के समय ओलावृष्टि से लगभग 80 से 90 प्रतिशत खराबी हुई थी। तब अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया था कि आपके किसानों को लाभ देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन बाद में अधिकारियों द्वारा 35 से 40 प्रतिशत करने के कारण हमारे किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इस बार भी हम सूखे की मार झेल रहे हैं। राज्य सरकार ने पांच जिले सूखाग्रस्त घोषित किए हैं, लेकिन हमारे जिले को उनमें शामिल नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के किसानों को अब की बार जो उन्होंने फसल की बुवाई की है, जो उस पर खर्चा हुआ है और अकाल के कारण जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही केन्द्र भी इंटरफियर करके किसानों को मुआवजा दे, ताकि वहां के किसान अपना जीवन बच सकें हमारे यहां पानी की समस्या काफी है और आहोर, जालौर तो ऐसे गांव हैं, जहां पानी की एक बूंद तक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस समस्या को निपटाने के लिए तुरंत कदम उठाए और उस एरिया के लिए विशेष पैकेज दे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री आर के सिंह पटेल यह राज्य-सूची का विषय है। अगर आप किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कर रहे हैं तब ठीक है। परन्तु आप राज्य विश्वविद्यालयों के लिए कह रहे हैं। इसे यहां कैसे उठाया जा सकता है। इस पर यहां नहीं केवल राज्य की विधान सभा में ही विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा): मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह विषय केन्द्र से संबंधित नहीं है। इसे आप यहां क्यों उठा रहे हैं। कृपया मेरी बात सुनें। यह विषय उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य का विषय है, संसद का नहीं। अगर यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में है तब ठीक है। आप इसके बारे में बता सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह पटेल: मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग रखना चाहता हूं। हमारे यहां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंटरकॉलेज से जो छात्र-छात्राएं पढ़कर आगे जाना चाहती हैं, उन्हें डिग्री कालेज और विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं मिल रहा है, जबकि आजकल दाखिलों का दौर चल रहा है। हमारा क्षेत्र, जहां से मैं चुनकर आता हूं, एक पिछड़ा हुआ इलाका है। उस बुंदेलखंड में चित्रकूट मंडल में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 19 मंडल हैं और 14 विश्वविद्यालय हैं। मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम एक मंडल या एक कमीश्नरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और चित्रकूट मंडल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इससे जो छात्र-छात्राएं दाखिला नहीं ले पाती हैं, हमारा बुंदेलखंड जो सुदूर अंचल तक फैला हुआ है, वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने से उन्हें दाखिला लेने में आसानी होगी, ऐसी मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। भारत सरकार द्वारा 1973 में हज सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था। यह हज सब्सिडी समुद्री जहाज और हवाईजहाज के किराए में अंतर के बराबर धनराशि होती थी। वर्तमान में यह सब्सिडी औसतन प्रति यात्री 70,000 रुपये की है। मुख्यत: यह हवाई यात्रा का खर्चा है, जो एयर इंडिया को जाता है। सन् 2005 से 2010 के बीच यह खर्चा 2891.71 करोड़ रुपए हुआ, जिसके माध्यम से 6,40,792 हज यात्री लाभान्वित हुए। मुझे बताया गया है कि हवाई यात्रा के लिए टिकट की दरें अगर ओपन टेंडरिंग द्वारा निर्धारित की जाएं तो यह खर्चा वर्तमान के कारण एक तिहाई रह जाएगा वास्तव में हज सब्सिडी हज यात्रियों को नहीं, बल्कि यह मनमाने तरीके से निर्धारित किराए की राशि एयर इंडिया को सब्सिडी के रूप में जाती हैं अनावश्यक रूप से बदनामी हज यात्रियों की होती है। अत: मेरा यह प्रस्ताव है कि भविष्य में हज यात्रियों को भेजने के लिए निजी हवाई यात्रा कम्पनीज से भी ओपन टेंडर के माध्यम से टिकट दरें मंगाई जाएं, ताकि हज यात्रा के लिए जारी सब्सिडी में अपने आप कमी आ जाएगी।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति जी, मैं आपका ध्यान उत्तराखंड की वेदना की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। आजकल देवभूमि उत्तराखंड अतिभौतिक ताप और अतिदैविक ताप से पीड़ित है। पहले तो वहां सूखा पड़ा हुआ था। मैं केन्द्र सरकार से मांग रखता हूं कि सूखा राहत उत्तराखंड को प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन विगत दस दिनों से वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है और बादल फटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिससे वहां पर काफी नुकसान और क्षति हुई है। उत्तर काशी, चमौली और रुद्रप्रयाग जिलों में अब तक 862 सड़कें बह गई हैं। 184 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, 105 मकान व होटल जमीनदोज़ हो चुके हैं, 14 मोटरमार्ग व पुल बह गये हैं। गंगोत्री राजमार्ग 500 मीटर पूरा बह गया है, 40 लोग उत्तरकाशी में और दो लोग कर्णप्रयाग के अपर बाजार में बह गये हैं, वहां पर प्रकृति का

कहर है। बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री एवं श्री हेमकुंड साहब की यात्रा करने हजारों यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। खाने-पीने की चीजें, छोटे बच्चों के लिए दूध आदि की समस्या पैदा हो गयी है, खाद्यान्न एवं गैस की कमी हो गयी है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने 150 करोड़ रुपये की राशि दी है और मिलिट्री से आग्रह किया है कि वहां पर जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाला जाए। मैं सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि सरकार वहां पर कैरोसीन ऑयल की जो किल्लत हो रही है, बीपीएल और एपीएल खाद्यान्न की जो कमी हो गयी है, उसकी पूर्ति करे और वहां के लोगों का विस्थापन करे।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): सभापति महोदय धन्यवाद मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं जिससे हजारों विद्यार्थी खासकर मेरा राज्य केरल के विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। अगस्त 2011 में, भारतीय बैंक संघ ने शिक्षा के लिए दिये जाने वाले ऋण के मॉडल में बदलाव किया था। भारतीय बैंक संघ और इसके सभी सहयोगी बैंकों को प्रबंधन सीट प्राप्त करने वाले विद्यार्थयों को शिक्षा ऋण देने के लिए हय निर्देश दिया गया था कि शिक्षा ऋण देने से पहले विद्यार्थियों की रोजगार का भी अनुमान लगाया जाना चाहिए। इसने सभी सहयोगी बैंकों को यह स्पष्ट किया था कि शिक्षा ऋण के लिए केवल योग्यता ही एकमात्र मानदण्ड होगा। महोदय, इससे दक्षिण के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, के सभी विद्यार्थी खासकर नर्सिंग छात्रों प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

पहले न प्रबंधन कोटा था और न ही योग्यता कोटा। जो भी शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करते थे बैंक उन्हें शिक्षा ऋण देते थे। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय वे भी बैंकों को निर्देश दिया। भारतीय बैंक संघ ने भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करके प्रबंधन सीट के लिये ऋण न देने का निर्णय किया है। केरल और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहा है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्रालय आगे आए और भारतीय बैंक संघ को उनका निर्णय वापिस लेने के लिए एक स्पष्ट निर्देश दे अन्यथा हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा।

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): महोदय, मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाये गये मामले से संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: अब आप जो भी कहना चाहते हैं कहें। आप उनके साथ स्वयं को संबद्ध न करें।

श्री आर. थामराईसेलवन: धन्यवाद, सभापति महोदय। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष डीआरडीओ ने मेरे संसदीय क्षेत्र, धर्मापुरी में एक रक्षा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की पहल की थी। इस कार्य के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान को आवंटित करने के लिए भूमि की पहचान की थी। डीआरडीओ की एक टीम ने 25.9.2010 को धर्मापुरी में स्थल का निरीक्षण भी किया था और इस प्रयोजन के लिए धर्मापुरी तालुक और जिले के नेकुंजी गांव में 817.56 एकड़ सरकारी जमीन और 11.76 एकड़ निजी जमीन का चयन किया गया था।

महोदय, धर्मापुरी तमिलनाडु में औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यह पहल इस जिले के लगभग 15000 लोगों को रोजगार मुहैया कराने का सुनहरा मौका था। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने (धर्मापुरी) में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए डीआरडीओ द्वारा वांछित सभी जानकारी मुहैया करायी थी। तथापि, इस महत्वपूर्ण परियोजना कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए डीआरडीओ की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है।

इसलिए, मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वे संबंधित प्राधिकारियों को धर्मापुरी स्थित डीआरडीओ के ऊपर उल्लिखित वेन्द्र की स्थापना हेतु तुरंत मंजूरी देने का निर्देश दें ताकि औद्योगिक रूप से पिछड़े इस जिले के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।

सभापति महोदय: अब सभा कल, 9 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.50 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 9 अगस्त, 2012/18 श्रावण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री संजय दिना पाटील श्री इन्दर सिंह नामधारी	1
2.	श्री अशोक कुमार रावत श्री नारनभाई कछाड़िया	2
3.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे श्री शैलेन्द्र कुमार	3
4.	श्री गुरुदास दासगुप्त	4
5.	श्री गजानन ध. बाबर श्री आनंदराव अडसुल	5
6.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी श्री मनोहर तिरकी	6
7.	श्री टी.आर. बालू श्री धर्मेंद्र यादव	7
8.	श्री संजय भोई श्री चार्ल्स डिएस	8
9.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर श्रीमती रमा देवी	9
10.	श्री महेन्द्र कुमार राय शेख सैदुल हक	10
11.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश श्री महेश जोशी	11
12.	श्री भूपेन्द्र सिंह श्री निशिकांत दुबे	12
13.	श्री भूदेव चौधरी	13
14.	श्री आर. ध्रुवनारायण	14
15.	श्री कामेश्वर बैठा श्री महेश्वर हजारी	15
16.	श्री प्रदीप माझी श्री हंसराज गं. अहीर	16
17.	श्री बिभू प्रसाद तराई श्री प्रबोध पांडा	17
18.	श्री ए.टी. नाना पाटील श्री नीरज शेखर	18
19.	श्री मनीष तिवारी	19
20.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री दिनेश चन्द्र यादव	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए साई प्रताप	44, 204
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	43, 78, 150, 203
3.	श्री बसुदेव आचार्य	158, 169
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	147, 213, 216
5.	श्री आनंदराव अडसुल	147, 213, 216,
6.	श्री जय प्रकाश अगवाल	53, 78
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	2, 67,161, 208
8.	श्री अनंत कुमार	92
9.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	106, 172
10.	श्री सुरेश अंगड़ी	148
11.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	117
12.	श्री कीर्ति आजाद	25
13.	श्री गजानन ध. बाबर	147, 213, 216
14.	श्री कामेश्वर बैठा	67, 140, 150, 190
15.	डॉ. बलीराम	109
16.	श्री अवतार सिंह भडाना	134
17.	श्री संजय भोई	145, 214
18.	श्री पी.के. बिजू	154
19.	श्री हेमानंद बिसवाल	57, 80
20.	श्री जितेन्द्र सिंह बिसवाल	38, 199, 218
21.	श्री सी. शिवासामी	42, 202
22.	श्री हरीश चौधरी	99
23.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	77, 87, 97
24.	श्री महेन्द्रसिंह पी चौहाण	65, 126, 170, 224
25.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	12, 165, 227
26.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	146

1	2	3
27.	श्री भूदेव चौधरी	218
28.	श्रीमती श्रुति चौधरी	45, 150, 154, 205
29.	श्री अधीर चौधरी	136
30.	श्री बंस गोपाल चौधरी	158, 169
31.	श्री खगेन दास	138
32.	श्री राम सुन्दर दास	159
33.	श्री गुरुदास दासगुप्त	215
34.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	160
35.	श्री रमेन डेका	66
36.	श्री के.डी. देशमुख	127, 144, 218
37.	श्रीमती रमा देवी	163, 164
38.	श्री आर. ध्रुवनारायण	48, 68, 178
39.	श्री संजय धोत्रे	156, 166
40.	श्री आर. ध्रुवनारायण	149, 201
41.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	13, 151, 184
42.	डॉ. रामचन्द्र डोम	158, 169
43.	श्री निशिकांत दुबे	69, 158, 228
44.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांकर	93, 168
45.	श्रीमती प्रिया दत्त	141, 162
46.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	137
47.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	145, 146, 214,
48.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	120
49.	श्री ए. गणेशमूर्ति	128
50.	श्री एल. राजगोपाल	135, 154,
51.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा	114, 147, 173, 217
52.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	122

1	2	3
53.	श्री महेश्वर हजारी	140, 150, 151, 67
54.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	5, 156, 157, 176
55.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	52
56.	श्री बलीराम जाधव	60
57.	डॉ. संजय जायसवाल	82
58.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	37, 87
59.	श्री बद्रीराम जाखड़	39, 162, 200
60.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	170
62.	श्री हरिभाऊ जावले	15, 41, 151
63.	श्री नवीन जिन्दल	155, 223
64.	श्री प्रहलाद जोशी	56, 80
65.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	29, 144, 151, 193
66.	श्री सुरेश कलमाड़ी	98
67.	श्री पी. करुणाकरन	84, 158
68.	श्री कपिल मुनि करवारिया	7, 159, 160
69.	श्री राम सिंह कस्वां	61, 212
70.	श्री लालचन्द कटारिया	95
71.	श्री नलिन कुमार कटील	11, 156, 172
72.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	121
73.	डॉ. कृपारानी किल्ली	27, 165, 166, 191
74.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	49
75.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	46, 169
76.	श्री विश्व मोहन कुमार	89, 130
77.	श्री पी. कुमार	18
78.	श्री यशवंत लागुरी	70, 91, 103
79.	श्री पी. लिंगम	129
80.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	23, 67, 171, 189
81.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	70, 111

1	2	3
82.	श्री नरहरि महतो	216
83.	श्री प्रदीप माझी	75, 216, 219
84.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	83, 149
85.	श्री जोस के. मणि	16
86.	श्री हरि मांझी	26, 67, 171
87.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	73
88.	श्री दत्ता मेघे	82, 87
89.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3, 80
90.	श्री पी.सी. मोहन	38, 218
91.	श्री गोपीनाथ मुंडे	70, 77
92.	श्री विलास मुत्तेमवार	88, 116, 159
93.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	123
94.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	142, 143, 213
95.	श्री नामा नागेश्वर राव	67, 225
96.	श्री नारनभाई कछाड़िया	13, 151, 170
97.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	22, 50, 168, 207
98.	श्री पी.आर. नटराजन	8, 180
99.	श्री वैजयंत पांडा	71
100.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	90, 133, 144
101.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	145, 146, 214
102.	श्री देवजी एम. पटेल	2
103.	श्री आर.के. सिंह पटेल	118
104.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	170, 174
105.	श्री बाल कुमार पटेल	72
106.	श्री किसनभाई वी. पटेल	75, 216, 219
107.	श्री हरिन पाठक	126, 170, 174
108.	श्री संजय दिना पाटील	142, 143, 213
109.	श्री ए.टी. नाना पाटील	151

1	2	3
110.	श्रीमती भावना पाटील गवली	93, 168
111.	श्री सी.आर. पाटिल	119, 188
112.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	145, 146, 214
113.	श्रीमती कमला देवी पटले	33, 162
114.	श्री पोन्नम प्रभाकर	59, 171, 211
115.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	165
116.	श्री पन्ना लाल पुनिया	17, 186
117.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	139
118.	श्री एम.के. राघवन	132
119.	श्री अब्दुल रहमान	148, 173
120.	श्री रमाशंकर राजभर	96, 218
121.	श्री सी. राजेन्द्रन	80
122.	श्री एम.बी. राजेश	62
123.	श्री पूर्णमासी राम	6, 177
124.	श्री रामकिशुन	121
125.	श्री कादिर राणा	40
126.	श्री निलेश नारायण राणे	32, 195
127.	श्री रायापति सांबासिवा राव	9, 181
128.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	94
129.	श्री अशोक कुमार रावत	144, 182
130.	श्री अर्जुन राय	67, 223
131.	श्री रुद्रमाधव राय	54
132.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	4, 230
133.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	26
134.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	2, 175
135.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	112, 151, 228
136.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	85, 216

1	2	3
137.	श्री एस. अलागिरी	99, 130, 153, 228
138.	श्री एस. सेम्मलई	76
139.	श्री एस. पक्कीरप्पा	14, 185
140.	श्री एस.आर. जेयदुरई	110, 158
141.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2, 51, 63, 103
142.	डॉ. अनूप कुमार साहा	158
143.	श्री ए. सम्पत	79
144.	श्रीमती सुशीला सरोज	67, 93, 140, 150, 151
145.	श्री तथागत सत्पथी	131
146.	श्री हमदुल्लाह सईद	22, 188
147.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	74, 149
148.	श्री अर्जुन चरण सेठी	84, 162
149.	श्री जगदीश शर्मा	88, 159
150.	श्री नीरज शेखर	152, 153, 154, 221
151.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	28, 192
152.	श्री राजू शेट्टी	149
153.	श्री एंटो एंटोनी	71, 115
154.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	179
155.	डॉ. भोला सिंह	214,
156.	श्री भूपेन्द्र सिंह	149, 209
157.	श्री इज्यराज सिंह	167, 229
158.	श्री जगदानंद सिंह	67, 113
159.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	30, 141, 162, 194, 213
160.	श्री महाबली सिंह	80, 151, 20
161.	श्रीमती मीना सिंह	144, 156, 218, 228
162.	श्री राधा मोहन सिंह	161, 171
163.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	124
164.	श्री रतन सिंह	91, 167
165.	श्री रवनीत सिंह	67, 107, 151
166.	श्री सुशील कुमार सिंह	19
167.	श्री उदय सिंह	31, 152
168.	श्री यशवीर सिंह	152, 153, 154, 221
169.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	172
170.	राजकुमारी रत्ना सिंह	87, 163
171.	श्री उदय प्रताप सिंह	70, 90, 144
172.	श्री विजय बहादुर सिंह	77, 87, 97
173.	डॉ. संजय सिंह	70, 229
174.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	21, 187
175.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	100, 170, 218
176.	श्री ई.जी. सुगावनम	36, 136, 154, 198
177.	श्री के. सुगुमार	1, 151, 226
178.	श्रीमती सुप्रिया सुले	142, 143, 213
179.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	147, 148, 217
180.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	55, 144, 210
181.	श्री मानिक टैगोर	67, 105
182.	श्रीमती अन्नू टन्डन	35, 197
183.	श्री लालजी टन्डन	70, 108
184.	श्री अशोक तंवर	10, 183
185.	श्री बिभू प्रसाद तराई	220
186.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	68
187.	श्री मनीष तिवारी	222

1	2	3
188.	श्री जगदीश ठाकोर	58
189.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	37, 162, 221
190.	श्री आर. थामराईसेलवन	47, 129, 206, 214
191.	श्री पी.टी. थॉमस	24
192.	श्री मनोहर तिरकी	83, 149
193.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	156
194.	श्री लक्ष्मण टुडु	15, 80, 87
195.	श्री शिवकुमार उदासी	125, 156, 157
196.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	67, 140, 150, 151, 171
197.	श्री हर्ष वर्धन	106, 155
198.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	164, 170
199.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	81, 129

1	2	3
200.	श्री सज्जन वर्मा	86
201.	श्रीमती ऊषा वर्मा	67, 140, 150, 151, 171
202.	श्री वीरेन्द्र कुमार	78
203.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	156, 157
204.	श्री पी. विश्वनाथन	89
205.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	101, 171
206.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	102, 156, 166
207.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	153
208.	श्री धर्मेंद्र यादव	147, 213, 216
209.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	67
210.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	77, 221
211.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	104
212.	योगी आदित्यनाथ	64, 218

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	1, 2, 10, 18
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3, 9, 11
वित्त	:	5, 6, 15, 19, 20
मानव संसाधन विकास	:	7, 8, 14, 16, 17
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	12
योजना	:	4, 13,
अंतरिक्ष	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	6
परमाणु ऊर्जा	:	35, 47, 63, 129, 181, 214
कोयला	:	12, 31, 54, 61, 65, 67, 72, 74, 89, 109, 116, 126, 127, 144, 158, 169, 170, 171, 174, 182, 208, 218, 220, 222
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	4, 9, 15, 24, 34, 37, 70, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 94, 110, 124, 130, 140, 146, 147, 154, 161, 165, 167, 178, 195, 225
वित्त	:	3, 8, 11, 16, 17, 18, 21, 28, 32, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 51, 52, 56, 57, 73, 76, 77, 83, 85, 88, 92, 97, 100, 102, 107, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 125, 134, 137, 145, 153, 168, 175, 184, 189, 190, 192, 199, 200, 205, 2012, 215, 219, 221, 223, 224
मानव संसाधन विकास	:	1, 2, 5, 7, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 42, 46, 53, 55, 59, 64, 66, 68, 69, 71, 75, 89, 90, 96, 98, 103, 104, 108, 112, 132, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 179, 185, 188, 194, 198, 201, 202, 207, 209, 210, 211, 213, 226, 228, 229
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	14, 19, 48, 50, 58, 60, 91, 95, 99, 101, 111, 117, 122, 128, 133, 177, 217, 230
योजना	:	13, 25, 33, 41, 45, 62, 93, 105, 106, 114, 123, 131, 155, 172, 180, 186, 191, 193, 196, 203, 204, 206, 216, 227
अंतरिक्ष	:	10, 20, 81, 183, 187, 197.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

G4D

पी.एल.एस.–48/27/1/2012 (एन.)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।